vol
3

1180
सुनन नसाई
हदीस नं. **2091**

-: उर्दू तर्जुमा :-
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

-: हिन्दी तर्जुमा :-
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़
سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर
جمعیت اہل حدیث جودھپور
नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर
مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

3

हदीस नम्बर 1180 से 2091

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक़ व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

3

हदीस नम्बर 1 से 626

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 3)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफ़िज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत** **जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)**
नज़्रे सानी	**मुहम्मद गुफ़रान अंसारी** (83022-58062)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्ज़ा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट,** स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	742	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	अप्रेल-2021	क़ीमत	800/- (आठ सौ रुपये)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
ज़ेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख़ जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद,
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुज़ैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन,
मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves,
Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज,
कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड
नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI
ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मजामीन

सह्व (नमाज़ में भूलने) से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	19
बाब: 1 जब दो रकअ़तों के बाद (तशहहुद पढ़ कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे	41
बाब: 2 आख़री दो रकअ़तों के लिये खड़े होते वक़्त रफ़उल यदैन करना	42
बाब: 3 आख़री दो रकअ़तों के लिये खड़े होने पर कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना	42
बाब: 4 दौराने नमाज़ में (किसी अहम मौक़े पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना करना	43
बाब: 5 नमाज़ में (इख़्तिताम के मौक़े पर) हाथों से सलाम करना?	44
बाब: 6 नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना	46
बाब: 7 नमाज़ में कंकरियाँ हटाने की मुमानिअ़त	49
बाब: 8 एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर लेने की रुख़सत	49
बाब: 9 नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठाने की मुमानिअ़त	50
बाब: 10 नमाज़ में इधर उधर देखने की सख़्त मुमानिअ़त	51
बाब: 11 नमाज़ में (बवक़्ते ज़रूरत कंखियों से) दायें बायें देखने की रुख़सत	53
बाब: 12 नमाज़ में साँप और बिच्छू को क़त्ल करना	54
बाब: 13 नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू व सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना	55
बाब: 14 नमाज़ में चन्द क़दम क़िब्ले की तरफ़ चलने की रुख़सत	57
बाब: 15 नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) ताली बजाना	57
बाब: 16 नमाज़ में 'सुब्हानल्लाह' कहना	58
बाब: 17 नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) खंखारना	59
बाब: 18 नमाज़ में रोना	60
बाब: 19 नमाज़ में इब्लीस को लानत करना और उससे अल्लाह की पनाह माँगना	60
बाब: 20 नमाज़ में (मस्नून दुआओं के अलावा) कोई कलाम करना	62
बाब: 21 जो आदमी भूल कर दो रकअ़तों से खड़ा हो जाये और तशहहुद न बैठे	69
बाब: 22 जो आदमी भूल कर दो रकअ़तों के बाद सलाम फेर दे और बातें भी कर ले तो क्या करे?	70
बाब: 23 सुजूदे सह्व की अदायगी के बारे में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	77
बाब: 24 नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी याददाश्त के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल करे	80
बाब: 25 (शक की सूरत में सही तादाद जानने की) जुस्तजू करना	81
बाब: 26 जो शख़्स पाँच रकआ़त पढ़ बैठे तो क्या करे?	88
बाब: 27 जो शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जाये तो क्या करे?	91

बाब:28 सुजूदे सह्व में भी तकबीरात कहना	92
बाब:29 जिस रकअत पर नमाज़ ख़त्म होती है उसमें तशह्हुद बैठने का तरीक़ा	92
बाब:30 (तशह्हुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें?	94
बाब:31 (तशह्हुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी जायें?	94
बाब:32 (तशह्हुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी जायें?	95
बाब:33 अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ की ऊँगलियाँ बन्द करना	96
बाब:34 दायें हाथ की दो ऊँगलियों को बन्द करना और दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे से हल्क़ा बनाना	97
बाब:35 बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा जाये	97
बाब:36 तशह्हुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा करना	99
बाब:37 दो ऊँगलियों से इशारा करने की मुमानिअत, और किस ऊँगली से इशारा किया जाये?	100
बाब:38 इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका कर रखा जाये	101
बाब:39 इशारे के वक़्त नज़र किस जगह होनी चाहिए? और क्या ऊँगली को हरकत दी जायेगी?	102
बाब:40 नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़र उठाने की मुमानिअत	102
बाब:41 (नमाज़ में) तशह्हुद वाजिब है	103
बाब:42 तशह्हुद क़ुर्आन मजीद की सूरत की तरह सिखाया जाये	104
बाब:43 तशह्हुद कैसे पढ़ा जाये?	104
बाब:44 एक और क़िस्म का तशह्हुद	105
बाब:45 एक और क़िस्म का तशह्हुद	105
बाब:46 नबी (ﷺ) पर सलाम पढ़ना	108
बाब:47 नबी (ﷺ) पर सलाम पढ़ने की फ़ज़ीलत	109
बाब:48 नमाज़ में अल्लाह तआला की बुज़ुर्गी बयान करना और नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ना	110
बाब:49 नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने का हुक्म है	111
बाब:50 नबी (ﷺ) पर दरूद कैसे पढ़ा जाये?	113
बाब:51 एक और क़िस्म का दरूद	113
बाब:52 एक और क़िस्म का दरूद	116
बाब:53 एक और क़िस्म का दरूद	118
बाब:54 एक और क़िस्म का दरूद	118
बाब:55 नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने की फ़ज़ीलत	119
बाब:56 नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने के बाद, इख़्तियार है कि कोई (मन्क़ूल) दुआ पढ़ ली जाये	121
बाब:57 तशह्हुद के बाद ज़िक्र	122
बाब:58 ज़िक्र के बाद दुआ	123
बाब:59 एक और क़िस्म की दुआ	125
बाब:60 एक और क़िस्म की दुआ	126
बाब:61 एक और क़िस्म की दुआ	127
बाब:62 एक और क़िस्म की दुआ	128
बाब:63 नमाज़ में (अल्लाह तआला से) पनाह तलब करना	130
बाब:64 एक और क़िस्म का तअव्वुज़	131

बाब:65 तशह्हुद के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र	134
बाब:66 नाक़िस नमाज़ पढ़ने का बयान	135
बाब:67 वह कम अज़ कम अरकान जिनके साथ नमाज़ काफ़ी होती है	136
बाब:68 सलाम का बयान	139
बाब:69 सलाम कहते वक़्त हाथ किस जगह हों?	140
बाब:70 दायीं तरफ़ सलाम कैसे कहा जाये?	141
बाब:71 बाईं तरफ़ कैसे सलाम कहा जाये?	143
बाब:72 दोनों हाथों से सलाम कहना	145
बाब:73 जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी सलाम कह दे	146
बाब:74 नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद सज्दा करना	147
बाब:75 सलाम और कलाम के बाद सज्द ए-सह्व करना	148
बाब:76 सुजूदे सह्व के बाद सलाम फेरना	149
बाब:77 सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह मोड़ने के दरम्यान इमाम का (कुछ देर क़िब्ला रुख) बैठना	150
बाब:78 (इमाम का) सलाम के बाद अपना रुख (क़िब्ले से) हटाना	151
बाब:79 इमाम के सलाम फेरने के बाद (बलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर कहना	152
बाब:80 नमाज़ से सलाम फेरने के बाद मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म	153
बाब:81 सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार करना	153
बाब:82 इस्तिग़फ़ार के बाद ज़िक्र करना	154
बाब:83 सलाम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना	154
बाब:84 सलाम के बाद ज़िक्र और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद	155
बाब:85 नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक और क़िस्म का ज़िक्र	156
बाब:86 ये ज़िक्र कितनी दफ़ा करे?	158
बाब:87 सलाम के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र	159
बाब:88 सलाम के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र और दुआ	160
बाब:89 नमाज़ से फ़राग़त के वक़्त की एक और दुआ	161
बाब:90 नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	163
बाब:91 सलाम के बाद तस्बीह की तादाद	163
बाब:92 तस्बीह की एक और तादाद	165
बाब:93 तस्बीह की एक और तादाद	166
बाब:94 तस्बीह की एक और तादाद	168
बाब:95 एक और क़िस्म का ज़िक्र	169
बाब:96 एक और क़िस्म का ज़िक्र	170
बाब:97 तस्बीहात को शुमार करना	171
बाब:98 सलाम के बाद माथा न पोंछना	171
बाब:99 सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बैठे रहना	173
बाब:100 नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ कर जाये?	174
बाब:101 औरतें नमाज़ से फ़ारिग़ होकर किस वक़्त घर वापस जायें?	176

बाब: 102 सलाम फेरने में इमाम से पहल करने की मुमानिअ़त	176
बाब: 103 उस शख़्स का सवाब जो इमाम के साथ नमाज़ पढ़े और उसके उठने तक साथ ही रहे	177
बाब: 104 इमाम के लिए लोगों की गर्दनें फँलागने की रुख़सत	179
बाब: 105 जब किसी आदमी से पूछा जाये: तूने नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह कह सकता है: नहीं?	180
जुम्अ़तुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	182
जुमे के दिन करने वाले काम	186
जुम्अ़तुल मुबारक के सुनन व आदाब	187
चन्द अहम मसाइल	190
ख़तीब के लिए चन्द आदाब व अहकाम	195
ममनूअ़ा आमाल व हरकात	197
बाब: 1 जुमे का वाजिब होना	200
बाब: 2 जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर तशदीद	203
बाब: 3 जो शख़्स बिला उ़ज़्र जुमा छोड़ दे, उस पर क्या कफ़्फ़ारा है?	205
बाब: 4 जुमे के दिन की फ़ज़ीलत का तज़्किरा	206
बाब: 5 जुमे के दिन नबी (ﷺ) पर कस्रत से दरूद पढ़ना	207
बाब: 6 जुमे के दिन मिस्वाक करने का हुक्म	208
बाब: 7 जुम्अ़तुल मुबारक के दिन गुस्ल का हुक्म	209
बाब: 8 जुम्अ़तुल मुबारक के दिन गुस्ल का वाजिब होना	210
बाब: 9 जुम्अ़तुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने की रुख़सत	210
बाब: 10 जुमे के दिन के गुस्ल की फ़ज़ीलत	213
बाब: 11 जुमे के लिये अच्छी हालत इख़्तियार करना	214
बाब: 12 जुमे के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत	215
बाब: 13 जुमे के लिये जल्दी जाना	216
बाब: 14 जुमे का वक़्त	223
बाब: 15 जुमे के लिये अज़ान	226
बाब: 16 जब कोई शख़्स जुमे के लिये आये और इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो तो भी वह दो रकअ़त नमाज़ पढ़े	229
बाब: 17 ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह	229
बाब: 18 ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना	230
बाब: 19 इमाम के क़रीब बैठने की फ़ज़ीलत	231
बाब: 20 इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा दे रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर आगे जाने की मुमानिअ़त	232
बाब: 21 जो शख़्स जुमे के दिन दौराने ख़ुत्बा आये, तब भी वह (दो रकअ़त) नमाज़ पढ़े	232
बाब: 22 जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी	233
बाब: 23 जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फ़ुज़ूल काम न करने की फ़ज़ीलत	234
बाब: 24 ख़ुत्बे की कैफ़ियत	235
बाब: 25 इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे के दिन गुस्ल करने की तर्ग़ीब देना	237
बाब: 26 जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में सदक़ा करने की रग़बत दिलाना	239

बाब:27 (दौराने ख़ुत्बा) इमाम का मिम्बर पर अपने अवाम से ख़िताब करना	240
बाब:28 ख़ुत्बे में (क़ुर्आन मजीद की) क़िराअत	240
बाब:29 ख़ुत्बे में इशारा करना	242
बाब:30 जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होने से पहले इमाम का मिम्बर से नीचे उतरना, अपना कलाम रोक लेना और फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ना और ख़ुत्बा मुकम्मल करना	243
बाब:31 ख़ुत्बा मुख़्तसर रखना चाहिए	244
बाब:32 इमाम कितने ख़ुत्बे दे?	245
बाब:33 दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठ कर फ़स्ल करना	245
बाब:34 दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठने के दौरान में ख़ामोश रहना	246
बाब:35 दूसरे ख़ुत्बे में क़ुर्आन पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना	246
बाब:36 मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर बातें करना	247
बाब:37 नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद	248
बाब:38 जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना	249
बाब:39 जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और सूरह (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ना	249
बाब:40 नमाज़े जुमा की क़िराअत की बाबत हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) की रिवायात में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	250
बाब:41 जो शख़्स जुमे की नमाज़ से एक रकअत बा'जमाअत पा ले	251
बाब:42 जुमे के बाद मस्जिद में कितनी सुन्नतें पढ़ी जायें?	252
बाब:43 जुमे के बाद इमाम कितनी रकअत (सुन्नत) पढ़े?	252
बाब:44 जुमे के बाद दो रकअतें लम्बी पढ़ी जायें	253
बाब:45 जुमे के दिन वह कौन सी घड़ी है जिसमें दुआ ज़रूर क़बूल होती है?	254
सफ़र में नमाज़ क़स्र करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	259
बाब:2 मक्का मुकर्रमा में (मुसाफ़िर) नमाज़ (कैसे पढ़े?)	265
बाब:3 मिना में नमाज़ (कैसे पढ़ी जाये?)	266
बाब:4 कितनी देर तक ठहरे तो क़स्र कर सकता है?	269
बाब:5 सफ़र में नफ़ल न पढ़ना	272
कुसूफ़ और नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	275
ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	304
बाब:1 सूरज और चाँद ग्रहण	304
बाब:2 सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व तकबीरात कहना और दुआ माँगना	305
बाब:3 सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म	306
बाब:4 चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म	307
बाब:5 ग्रहण के मौक़े पर सूरज और चाँद के रोशन होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म	307
बाब:6 ग्रहण की नमाज़ के लिये ऐलान करने का हुक्म	308

बाब:7 नमाज़े कुसूफ़ में सफ़बन्दी का एहतिमाम करना	309
बाब:8 नमाज़े कुसूफ़ कैसे पढ़ी जाये?	309
बाब:9 इब्ने अब्बास (ﷺ) से नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत	310
बाब:10 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत	311
बाब:11 सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (ﷺ) से मरवी नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत	313
बाब:12 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत	317
बाब:13 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत	320
बाब:14 एक और सूरत	322
बाब:15 एक और सूरत	325
बाब:16 एक और सूरत	327
बाब:17 नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत की मिक़्दार?	332
बाब:18 नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से क़िराअत करना	334
बाब:19 नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से किराअत न करना	335
बाब:20 नमाज़े कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा जाये?	335
बाब:21 नमाज़े कुसूफ़ में तशहहुद पढ़ना और सलाम फेरना	337
बाब:22 नमाज़े कुसूफ़ के बाद मिम्बर पर बैठना (यानी ख़िताब करना)	339
बाब:23 ग्रहण के मौक़े पर (नमाज़ के बाद) ख़ुत्बा कैसे होगा?	340
बाब:24 ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का हुक्म	341
बाब:25 ग्रहण के मौक़े पर बख़्शिश तलब करने का हुक्म	342

बारिश की दुआ करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 344

बाब:1 इमाम बारिश की दुआ कब करे?	344
बाब:2 (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का ईदगाह की तरफ़ निकलना	345
बाब:3 इमाम दुआ के लिये बाहर जाये तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए?	347
बाब:4 दुआए इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का मिम्बर पर बैठना	348
बाब:5 दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना	348
बाब:6 दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त इमाम का चादर उल्टाना	349
बाब:7 इमाम अपनी चादर कब उल्टाये?	349
बाब:8 इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ उठाना	350
बाब:9 (इमाम) हाथ कैसे उठाये?	350
बाब:10 (नमाज़ की बजाये सिर्फ़) दुआ का ज़िक्र	352
बाब:11 दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो रकअत) पढ़ी जायेगी	356
बाब:12 नमाज़े इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है?	356
बाब:13 नमाज़े इस्तिस्क़ा कैसे पढ़ी जाये?	357
बाब:14 नमाज़े इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से क़िराअत करना	357
बाब:15 बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये	358
बाब:16 बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ करना मना है	358
बाब:17 जब बारिश से नुक़सान का ख़तरा हो तो इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना	360

बाब: 18 बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त इमाम का अपने हाथ उठाना 362

नमाज़े ख़ौफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 364

बाब: 1 364

ईदैन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 385

बाब: 1 391

बाब: 2 ईदैन के लिये अगले (दूसरे) दिन निकलना 392

बाब: 3 ईदैन में बालिग़ और पर्दा नशीन औरतों का (बाहर) निकलना 393

बाब: 4 हैज़ वाली औरतों का ईदगाह से अलग रहना 394

बाब: 5 ईदैन में ज़ीनत इख़्तियार करना (बन संवर कर जाना) 395

बाब: 6 ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ना 396

बाब: 7 ईदैन के लिये अज़ान न कहना 397

बाब: 8 ईद के दिन ख़ुत्बा देना 397

बाब: 9 ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना 399

बाब: 10 ईदैन की नमाज़ में सामने बरछा, या नेज़ा वग़ैरह गाड़ना 399

बाब: 11 नमाज़े ईदैन की रकअतें 400

बाब: 12 नमाज़े ईदैन में सूरह (क़ॉफ़) और (इक़्तरबतिस्साआ) का पढ़ना 400

बाब: 13 ईदैन की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) का पढ़ना 401

बाब: 14 ईदैन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा 401

बाब: 15 ईदैन का ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठने या न बैठने का इख़्तियार है 402

बाब: 16 (ईदैन में) ख़ुत्बे के लिये ज़ीनत इख़्तियार करना 402

बाब: 17 ऊँट पर ख़ुत्बा देना 403

बाब: 18 ख़ुत्बे के वक़्त इमाम को खड़ा होना चाहिए 403

बाब: 19 इमाम का दौराने ख़ुत्बा में किसी इन्सान का सहारा लेना 404

बाब: 20 ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का लोगों की तरफ़ मुँह करना 406

बाब: 21 ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 406

बाब: 22 ख़ुत्बा कैसे शुरू किया जाये? 407

बाब: 23 ख़ुत्बे में इमाम का सदक़े की रग़बत दिलाना 409

बाब: 24 ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए 412

बाब: 25 दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से बैठना 412

बाब: 26 दूसरे ख़ुत्बे में क़ुर्आन पढ़ना और वाज़ व नसीहत (या अल्लाह का ज़िक्र) करना 413

बाब: 27 ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होने से पहले इमाम का मिम्बर से उतरना 413

बाब: 28 ख़ुत्बे से फ़राग़त के बाद इमाम का औरतों को वाज़ व नसीहत करना और उन्हें सदक़े की तर्ग़ीब दिलाना 414

बाब: 29 ईदैन से पहले और बाद नफ़्ल नमाज़? 415

बाब: 30 इमाम ईद के दिन (लोगों के सामने) क़ुर्बानी करे और कितने जानवर क़ुर्बान करे? 416

बाब:31 अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो दोनों में हाज़िर होना चाहिए 417

बाब:32 जो शख़्स ईद पढ़ ले, उसे जुमे में हाज़िर न होने की रुख़्सत है। 417

बाब:33 ईद के दिन दुफ़ बजाना 418

बाब:34 ईद के दिन इमाम के सामने खेल कूद का बयान 419

बाब:35 ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल खेलना और औरतों का उनको देखना 420

बाब:36 ईद के दिन दुफ़ बजाने और (पाकीज़ा) नग़मे सुनने की इजाज़त है 421

रात की (नफ़ल) नमाज़ और दिन के नवाफ़िल से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 423

बाब:1 नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ने की तर्ग़ीब और उसकी फ़ज़ीलत 423

बाब:2 रात की नमाज़ 426

बाब:3 जो शख़्स ईमान की बिना पर सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? 430

बाब:4 माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) नमाज़ (तरावीह) 431

बाब:5 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्ग़ीब 434

बाब:6 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की फ़ज़ीलत 438

बाब:7 दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की फ़ज़ीलत 439

बाब:8 क़यामुल लैल (तहज्जुद) का वक़्त 440

बाब:9 क़यामुल लैल के आग़ाज़ की दुआएँ 441

बाब:10 जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो मिस्वाक करे 445

बाब:11 इस हदीस (की सनद के बयान) में अबू हुसैन उस्मान बिन आसिम पर (उनके शागिर्दों के) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 446

बाब:12 रात की नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ से शुरू करे? 447

बाब:13 रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ का ज़िक्र 448

बाब:14 अल्लाह तआला के नबी हज़रत दाऊद (عليه السلام) की रात की नमाज़ का बयान 450

बाब:15 अल्लाह तआला के नबी हज़रत मूसा (عليه السلام) की नमाज़ का बयान और इस हदीस के बयान में सुलैमान तैमी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 451

बाब:16 सारी रात जागने (इबादत करने) का बयान 454

बाब:17 रात जागने वाली रिवायत में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ 456

बाब:18 जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े होकर शुरू करे तो किस तरह करे? और हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से ये रिवायत नक़ल करने वालों में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 460

बाब:19 नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती है, और अबू इस्हाक़ के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 464

बाब:20 खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने वाले की बैठ कर पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 467

बाब:21 बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 468

बाब:22 नमाज़ बैठ कर किस तरह पढ़ी जाये? 469

बाब:23 रात की नमाज़ में क़िराअत कैसे की जाये?	470
बाब:24 (रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता पढ़ने वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत	470
बाब:25 रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़याम, रुकू, रुकू के बाद क़ौमा, सज्दा और दो सज्दों के दरम्यान बैठना, सब का बराबर होना	471
बाब:26 रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये?	473
बाब:27 नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है	477
बाब:28 सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद	479
बाब:29 नबी (ﷺ) ने एक रात में दो दफ़ा वित्र पढ़ने से मना फ़रमाया है	480
बाब:30 वित्र नमाज़ का वक़्त	481
बाब:31 सुबह तुलूअ होने से पहले पहले वित्र पढ़ लिये जायें	482
बाब:32 सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना	483
बाब:33 सवारी पर वित्र पढ़ना	484
बाब:34 वित्र कितने हैं?	485
बाब:35 एक वित्र कैसे पढ़ा जाये?	486
बाब:36 तीन वित्र कैसे पढ़े जायें?	488
बाब:37 वित्र के बारे में हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) की रिवायत में रावियों का (लफ़्ज़ी) इख़्तिलाफ़	490
बाब:38 वित्र के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) की हदीस और इसमें अबू इस्हाक़ के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	492
बाब:39 वित्र के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) की एक और रिवायत और इसमें हबीब बिन अबी साबित के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	493
बाब:40 वित्र के बारे में हज़रत अबू अय्यूब(ﷺ) की हदीस और इसमें ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	496
बाब:41 पाँच वित्र कैसे पढ़े जायें? और हदीसे वित्र में हकम के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	498
बाब:42 सात वित्र कैसे पढ़ें?	499
बाब:43 नौ वित्र कैसे पढ़ें?	501
बाब:44 ग्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मअ वित्र) कैसे पढ़ें?	504
बाब:45 तेरह रकआत वित्र (नमाज़े तहज्जुद मअ वित्र) पढ़ना	505
बाब:46 वित्र की नमाज़ में क़िराअत	506
बाब:47 वित्र में एक और क़िस्म की क़िराअत	506
बाब:48 क़िराअते वित्र की रिवायत में शोबा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	508
बाब:49 क़िराअते वित्र की रिवायत में मालिक बिन मिग़्वल के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	511
बाब:50 क़िराअते वित्र की हदीस में क़तादा के शागिर्द शोबा पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	512
बाब:51 वित्र में दुआए क़ुनूत	514
बाब:52 क़ुनूते वित्र में हाथ न उठाना	518
बाब:53 नमाज़े वित्र के बाद सज्दे की मिक़्दार?	519

बाब:54 वित्र से फ़ारिग़ होने के बाद तस्बीह और इस हदीस़ में सुफ़ियान पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	519
बाब:55 वित्र और फ़ज्र की सुन्नतों के दरम्यान और नमाज़ भी जायज़ है	522
बाब:56 नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअ़त सुन्नत पर पाबन्दी करना	523
बाब:57 फ़ज्र की दो सुन्नतों का (मस्नून) वक़्त	524
बाब:58 फ़ज्र की दो सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटना	525
बाब:59 जो शख़्स क़यामुल लैल (जिसकी उसे आ़दत थी) छोड़ दे, उसकी मज़म्मत	526
बाब:60 फ़ज्र की दो रकअ़त (सुन्नत) का (मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में नाफ़ेअ़ से इख़्तिलाफ़	527
बाब:61 जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो, कभी उस पर नींद ग़ालिब आ जाये और वह न पढ़ सके तो?	534
बाब:62 पसन्दीदा शख़्स का नाम	534
बाब:63 जो आदमी सोते वक़्त क़यामुल लैल की नियत रखता हो मगर वह (गहरी नींद) सोया रहा	534
बाब:64 जो शख़्स रात की मामूल की नमाज़ से सोया रहा या किसी तक्लीफ़ की वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को कितनी रकआ़त पढ़े?	537
बाब:65 जो शख़्स रात को अपनी मुक़र्ररा नफ़्ल नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा तो वह कब उसकी अदायगी करे?	537
बाब:66 जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अ़लावा बारह रकआ़त (सुन्नत) पढ़े, उसे क्या स़वाब मिलेगा? और इस बारे में हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) की रिवायत नक़ल करने वालों का इख़्तिलाफ़, और हज़रत अ़ता के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	539
बाब:67 इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत इख़्तिलाफ़	544
जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	**551**
बाब:1 मौत की तमन्ना करना (कैसा है?)	560
बाब:2 मौत की दुआ़ करना	562
बाब:3 मौत को कस़रत से याद करना	563
बाब:4 क़रीबुल वफ़ात शख़्स को कलिम-ए-तय्यबा की तल्क़ीन करनी चाहिए	564
बाब:5 मोमिन की मौत की निशानी	565
बाब:6 मौत की सख़्ती	566
बाब:7 पीर के दिन की मौत	567
बाब:8 अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत होना	568
बाब:9 मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते वक़्त इज़्ज़त अफ़ज़ा सुलूक किया जाता है	569
बाब:10 जो शख़्स अपने रब की मुलाक़ात का ख़्वाहिशमन्द हो	570
बाब:11 मय्यत को बोसा देना	574
बाब:12 मय्यत को ढाँपना	576
बाब:13 मय्यत पर रोना	577

बाब: 14 (मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की मुमानिअत	579
बाब: 15 मय्यत पर नौहा करना	583
बाब: 16 मय्यत पर रोने की रुख़्सत	588
बाब: 17 जाहिलियत के दौर जैसी आहो बुका (जायज़ नहीं)	589
बाब: 18 सल्क़ (चीख़ व पुकार करना)	589
बाब: 19 रुख़सार पीटना	590
बाब: 20 (मुसीबत में) बाल मुंडवाना	590
बाब: 21 गिरेबान फाड़ना	591
बाब: 22 मुसीबत की आमद के वक़्त सवाब तलब करने की नियत और सब्र करने का हुक्म	593
बाब: 23 जो शख़्स सब्र करे और सवाब की नियत करे, उसका अज्र	595
बाब: 24 जो आदमी अपनी औलाद में से तीन बच्चों पर सब्र करे और सवाब का तालिब हो, तो उसका सवाब	596
बाब: 25 जिस शख़्स के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें?	597
बाब: 26 जिस शख़्स के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें	599
बाब: 27 वफ़ात की इत्तिला करना	600
बाब: 28 मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना	602
बाब: 29 मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देना	603
बाब: 30 मय्यत के सर के बाल खोलना	603
बाब: 31 मय्यत के दाहिने आज़ा और वुज़ू वाले आज़ा (से गुस्ल की इब्तेदा करना)	604
बाब: 32 मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना	604
बाब: 33 मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना	605
बाब: 34 मय्यत को सात से भी ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना	606
बाब: 35 मय्यत को गुस्ल देते वक़्त काफ़ूर डालना	607
बाब: 36 कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना	608
बाब: 37 अच्छे कफ़न का हुक्म	610
बाब: 38 कौन सा कफ़न बेहतर है?	611
बाब: 39 नबी (ﷺ) का कफ़न कैसा था?	612
बाब: 40 कफ़न में क़मीस	613
बाब: 41 जो शख़्स हालते एहराम में, मर जाये तो उसे कैसे कफ़न दिया जाये?	617
बाब: 42 कस्तूरी	618
बाब: 43 जनाज़े की इत्तिला देना	619
बाब: 44 जनाज़ा लेकर जल्दी चलना	620
बाब: 45 जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म	624
बाब: 46 मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा होना	626
बाब: 47 खड़े न होने की रुख़्सत	628
बाब: 48 मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत पाना	631
बाब: 49 काफ़िरों से राहत पाना	632
बाब: 50 (मय्यत की) अच्छी तारीफ़	633
बाब: 51 फ़ौतशुदगान का ज़िक्रे ख़ैर ही किया जाये	635
बाब: 52 फ़ौतशुदगान को बुरा कहने की मुमानिअत	636
बाब: 53 जनाज़े के साथ जाने का हुक्म	638
बाब: 54 जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब	639

बाब:55 सवार शख़्स (जनाज़े के साथ) कहाँ चले?	640
बाब:56 पैदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले?	641
बाब:57 मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म	642
बाब:58 बच्चों का जनाज़ा	642
बाब:59 नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा	644
बाब:60 मुश्रिकीन की औलाद	644
बाब:61 शोहदा का जनाज़ा	646
बाब:62 शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना	649
बाब:63 रज्म शुदा शख़्स का जनाज़ा न पढ़ना?	649
बाब:64 रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना	651
बाब:65 जो आदमी वसीयत में ज़ुल्म कर जाये उसका जनाज़ा?	652
बाब:66 ख़्यानत करने वाले का जनाज़ा?	653
बाब:67 मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा?	653
बाब:68 ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना	656
बाब:49 मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा?	658
बाब:70 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना	659
बाब:71 रात को जनाज़ा पढ़ना	661
बाब:72 जनाज़े पर सफ़ें बाँधना	662
बाब:73 नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ना	664
बाब:74 बच्चे और औरत के जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो?	665
बाब:75 मर्दों और औरतों के (एक से ज़्यादा) जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो?	666
बाब:76 जनाज़े में तकबीरों की तादाद	667
बाब:77 जनाज़े की दुआएँ	668
बाब:78 जिस शख़्स के जनाज़े में सो मुसलमान हों, उसकी फ़ज़ीलत?	675
बाब:79 जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब	676
बाब:80 जनाज़ा रखने से पहले बैठना	678
बाब:81 जनाज़ा देख कर खड़ा होना	678
बाब:82 शहीद को ख़ून समेत (बग़ैर ग़ुस्ल दिये और कपड़े उतारे) दफ़न किया जाये	679
बाब:83 शहीद को कहाँ दफ़न किया जाये?	680
बाब:84 मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये	682
बाब:85 लहद और शक़	683
बाब:86 क़ब्र को गहरा खोदना मुस्तहब है	684
बाब:87 क़ब्र को वसीअ़ बनाना मुस्तहब है	685
बाब:88 लहद में (मय्यत के नीचे) अलग कपड़ा रखना?	686
बाब:89 वह औक़ात जिनमें मय्यत को दफ़न करना मना है	686
बाब:90 एक से ज़्यादा अफ़राद को एक क़ब्र में दफ़न करना	687
बाब:91 (एक से ज़्यादा होने की सूरत में) किस मय्यत को आगे रखा जाये?	689
बाब:92 मय्यत को लहद में रखने के बाद (किसी वजह से) निकालना	689
बाब:93 मय्यत को दफ़न करने के बाद क़ब्र से निकालना?	690
बाब:94 क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना	691
बाब:95 जनाज़े से फ़राग़त के बाद (वापसी पर) सवार होना	693
बाब:96 क़ब्र पर इज़ाफ़ा करना	693
बाब:97 क़ब्र पर इमारत बनाना	694

बाब:98 क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना	695
बाब:99 ज़्यादा बलन्द बनी हुई क़ब्र को हमवार करना	695
बाब:100 क़ब्रों की ज़ियारत	697
बाब:101 मुश्रिक की क़ब्र पर जाना	699
बाब:102 मुश्रिकीन के लिये इस्तेग़फ़ार की मुमानिअत	700
बाब:103 मोमिनीन के लिये इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है	702
बाब:104 क़ब्रों पर चिराग़ जलाना सख़्त मना है	707
बाब:105 क़ब्र पर बैठने की बाबत तशदीद	708
बाब:106 क़ब्रों को इबादतगाह बनाना	709
बाब:107 क़ब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के जूते पहन कर चलने की कराहत (मुमानिअत)	710
बाब:108 जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई हर्ज नहीं	711
बाब:109 क़ब्र में सवाल (व जवाब)	711
बाब:110 काफ़िर से सवाल का बयान	713
बाब:111 जो शख़्स पेट की तक्लीफ़ से मर जाये	714
बाब:112 शहीद का बयान	715
बाब:113 क़ब्र का मय्यत को भींचना और ज़ोर से दबाना	716
बाब:114 अज़ाबे क़ब्र	717
बाब:115 अज़ाबे क़ब्र से बचाव की दुआ करना	719
बाब:116 क़ब्र पर शाख़ रखना	723
बाब:117 मोमिनीन की रूहें	726
बाब:118 (क़यामत के दिन) क़ब्रों से उठाया जाना	734
बाब:119 सब से पहले किस को लिबास पहनाया जायेगा?	737
बाब:120 ताज़ियत का बयान	739
बाब:121 ताज़ियत की एक और सूरत	740

بسم الله الرحمن الرحيم

सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

✧ **सुजूद:** ये बाब सजद यस्जुदु सज्दतंव व सुजूदन से मस्दर है जिसके लुग़वी मानी आजिज़ी व ख़ाकसारी से झुकना हैं। इस्तेलाह में इन्तेहाई इज्ज़ व इन्केसार का इज़्हार करते हुये अपनी पेशानी और नाक ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम महल) पर रखना सज्दा कहलाता है।

✧ **सह्व:** ये बाब सहा यस्हू सह्वन से मस्दर है जिसके मानी ग़ाफ़िल होना, भूलना, और दिल का दूसरी तरफ़ फिर जाना हैं। साहिबे लिसानुल अरब लिखते हैं: अस्सह्वु वस्सह्वतु के मानी हैं किसी चीज़ का भूल जाना और उससे ग़ाफ़िल हो जाना और दिल का असल चीज़ से हट कर दूसरी तरफ़ चले जाना।

इब्ने असीर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर सह्व के बाद 'फ़ी' हो तो उसके मानी हैं: बग़ैर इल्म के किसी चीज़ को छोड़ना। और अगर 'अन' आये तो उसके मानी हैं: जानबूझ कर किसी चीज़ को छोड़ना और ग़फ़लत करना, जैसे अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'वह लोग जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत इख़्तियार करते हैं।' (अल माऊन: 107/5)

✧ **सह्व और निस्यान:** जुम्हूर फ़ुक़हा और उसूलिय्यीन के नज़दीक इन दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं, दोनों मुतरादिफ़ (हम मानी) हैं और अहादीस में एक ही मानी में इस्तेमाल हुये हैं जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक दफ़ा जब भूल कर ज़ुहर या अस्र की नमाज़ में दो रकअतों पर सलाम फेर दिया, तो सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) के याद कराने पर आपने बक़िया नमाज़ अदा की और फ़रमाया: **'मैं भी तुम्हारी तरह एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ, जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 401, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) और एक दूसरी रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: **'जब तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में भूल जाये।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 398) तो इन अहादीस से साबित हुआ कि सह्व और निस्यान बाहम मुतरादिफ़ और हम मानी अल्फ़ाज़ हैं।

✧ **सुजूदे सह्व:** जब नमाज़ी अपनी नमाज़ में भूल कर किसी वाजिब में कमी या बेशी कर बैठे, और याद आने या किसी के याद दिलाने पर सलाम से पहले या बाद में ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम जगह) पर दो सज्दे करे तो उसे सुजूदे सह्व और उर्फ़े आम में सज्द-ए-सह्व कहते हैं।

✧ **सज्द-ए-सहव का हुक्मः** इसके वुजूब और अदमे वुजूब की बाबत अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। शवाफ़ेअ इसे मस्नून कहते हैं और अहनाफ़ के नज़दीक ये वाजिब है जैसा कि साहिबे हिदाया ने इसकी तसरीह की है। देखिये: (अल हिदाया: 1/80)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शवाफ़ेअ के नज़दीक सज्द-ए-सहव हर हाल में मस्नून और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। मालकिया कमी की सूरत में वाजिब समझते हैं। और इज़ाफ़े की सूरत में अफ़ज़ल हनाबिला के यहाँ अरकान के अलावा वाजिबात में क़द्रे तफ़्सील है। वह कहते हैं कि अगर कोई वाजिब भूल कर रह जाये तो इस सूरत में सज्द-ए-सहव वाजिब हैं इसी तरह अगर भूल कर किसी अमल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: एक रकअत ज़्यादा पढ़ ली या सज्दा ज़्यादा कर लिया वग़ैरह या किसी क़ौल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: रुकू में क़िराअत या नमाज़ में कलाम वग़ैरह का इज़ाफ़ा कर लिया तो फिर भी सज्द-ए-सहव वाजिब है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: **'जब आदमी (नमाज़ में भूल कर) कोई कमी बेशी कर दे तो वह दो सज्दे करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीसः 572/96)

और अगर कोई आदमी नमाज़ में जानबूझ कर कमी बेशी करे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। (फ़तहुलबारी: 3/120, हदीसः 1224)

दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ यही है कि सुजूदे सहव वाजिब हैं, नमाज़ में कमी हो या इज़ाफ़ा क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर ख़लत मलत कर देता है (यानी भूलवा देता है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है तो तुममें से जब कोई ये कैफ़ियत महसूस करे तो चाहिए कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 1332, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 389, हदीसः 569)

इस हदीस में भूल जाने की सूरत में दो सज्दे करने का अम्र (हुक्म) है और अम्र वुजूब के लिये होता है जबकि कोई ऐसा क़रीना न पाया जाये जो अम्र को वुजूब से फेर कर किसी और मानी की तरफ़ ले जाये।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़ेअल से भी यही साबित होता है कि जब भी आपको नमाज़ में सहव हुआ तो आपने सहव के सज्दे किये, और जिस तरह नमाज़ की अदायगी ज़रूरी और फ़र्ज़ है उसी तरह रसूले अकरम (ﷺ) के बताये हुये तरीक़े के मुताबिक़ अदा करना भी ज़रूरी और फ़र्ज़ है जैसा कि नबी (ﷺ) का फ़रमान भी है: **'तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुये देखा है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 631) अलबत्ता अगर कोई रुक्न रह जाये तो रकअत नहीं होगी बल्कि वह

रकअत दोबारा पढ़ कर बाद में दो सज्दे किये जायेंगे। जिन लोगों ने सज्द-ए-सह्व को मस्नून कहा है या सिर्फ़ कमी की सूरत में वाजिब और इज़ाफ़े की सूरत में अफ़ज़ल कहा है, उनके पास कोई सरीह दलील नहीं है। वल्लाहु आलम!

✧ **अगर कोई नमाज़ में भूल जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो?:** अगर आदमी दौराने नमाज़ में भूल जाये और नमाज़ के बाद याद आये या दौराने नमाज़ याद तो आ जाये लेकिन फिर सह्व के सज्दे भूल जाये तो वह दो सज्दे करे अगरचे वक़्त ज़्यादा गुज़र गया हो और बाहम बातचीत भी हो चुकी हो। इमाम मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई और अबू सौर (رحمہم اللہ) का यही मौक़िफ़ है। हसन बसरी और इब्ने सीरीन (رحمہم اللہ) फ़रमाते हैं कि जब वह क़िब्ले से मुँह फेर लेगा तो वह बिना नहीं करेगा और न सज्दे करेगा। (बल्कि नये सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़ेगा।) इमाम अबू हनीफ़ा (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं कि अगर सलाम के बाद कलाम कर लिया तो उससे सुजूदे सह्व साक़ित हो जायेंगे, इसलिये कि उसने नमाज़ के मुनाफ़ी अमल किया है चुनांचे ये उस शख़्स की तरह है जो बे'वुज़ू हो गया। देखिये: (मजमूअ अल फ़तावा: 23/39, 40, वल मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा: 1/722) जबकि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई भूल गया और उसे बाद में याद आया तो वह सलाम और कलाम के बाद भी दो सज्दे करेगा अगरचे वक़्फ़ा लम्बा हो जाये जैसा कि इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि **नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई और तीन रकअत के बाद सलाम फेर दिया, फिर आप घर चले गये। एक आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा जिसका नाम ख़िरबाक़ था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई है? आप गुस्से में अपनी चादर घसीटते हुये निकले और फ़रमाया: 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने जवाब दिया: हाँ! तो आपने एक रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा फिर दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 574) और सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि **नबी (ﷺ) ने सलाम और कलाम के बाद सह्व के दो सज्दे किये।** देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572-(95)

जनाब सलमा बिन नुबैत कहते हैं कि मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और मुझे नमाज़ में सह्व हो गया, फिर मैं ज़हहाक बिन मज़ाहिम (رحمہ اللہ) के पास आया और उनसे कहा: मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ में भूल गया हूँ? तो उन्होंने कहा: अभी सज्दे करो। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/351)

मज़्कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि जिसे नमाज़ में सह्व हो जाये और उसे आख़िर में सज्द-ए-सह्व करना याद न रहे, तो बाद में याद आने पर या किसी के बतलाने पर सज्द-ए-सह्व करेगा। अगर रकअत रह जाये तो उसे अदा करने के बाद दो सज्दे करेगा, पूरी नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **सुजूदे सह्व के अस्बाब:** ये अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ले अ़ज़ीम है कि उसने नवाफ़िल और इस्तेग़फ़ार वग़ैरह को अपने बन्दों की इबादात में वाक़ेअ़ होने वाले ख़लल और नुक़सान को पूरा करने का सबब और ज़रिया बनाया है।

नमाज़ में पैदा होने वाले नुक़सान और कमी कोताही को पूरा करने के लिये अल्लाह तआ़ला ने सज्द-ए-सह्व मशरूअ़ किया है। लेकिन इससे नमाज़ की कुछ ख़ास चीज़ों की तलाफ़ी होती है, हर चीज़ की नहीं। नमाज़ में सज्द-ए-सह्व के तीन अस्बाब हैं: इज़ाफ़ा, कमी और शक।

(1) **इज़ाफ़ा:** नमाज़ में इज़ाफ़े की दो क़िस्में हैं: 1. अफ़आ़ल का इज़ाफ़ा, 2. अक़वाल का इज़ाफ़ा।

✧ **अफ़आ़ल का इज़ाफ़ा:** इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से हो, जैसे क़याम, क़ादा, रुकू और सज्दा या रकअ़त ज़्यादा पढ़ लेना। अगर नमाज़ी जानबूझ कर ऐसा इज़ाफ़ा करता है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। और अगर भूल कर ऐसा हो जाये तो उसकी तलाफ़ी के लिये दो सज्दे करे, उसकी नमाज़ सही होगी। अगर उसने एक रकअ़त ज़्यादा पढ़ ली है और नमाज़ से फ़राग़त तक उसे पता नहीं चला तो वह आख़िर में सज्द-ए-सह्व करेगा। इसकी दलील अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं कि **नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ज़ुहर की (सह्वन) पाँच रकआ़त पढ़ा दीं, चुनांचे स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ने अ़र्ज़ किया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने पूछा: 'वह क्या है?' उन्होंने अ़र्ज़ किया: आपने पाँच रकआ़त पढ़ा दी हैं। तो आपने अपने पाँव मोड़े और दो सज्दे किये।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 404, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 572) लेकिन अगर उसे रकअ़त के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा रकअ़त है तो वह फ़ौरन बग़ैर तकबीर कहे बैठ जाये, फिर तशह्हुद पढ़े और आख़िर में सह्व के दो सज्दे करे और सलाम फेर दे। अगर रकअ़त के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा रकअ़त है, लेकिन फिर भी न बैठे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी क्योंकि उसने नमाज़ में ज़्यादती की और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) के बतलाये हुये तरीक़े के अ़लावा किसी और तरीक़े पर नमाज़ अदा की है। रसूले करीम (ﷺ) का फ़रमान है: **'जिसने कोई ऐसा अ़मल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वह (अ़मल) मरदूद है।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1718)

जिसे इल्म हो जाये कि इमाम नमाज़ में इज़ाफ़ा या कमी कर रहा है तो उसके लिये ज़रूरी है कि वह इमाम को उस पर मुतवज्जा करे क्योंकि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) की रिवायत है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मैं तो बस तुमहारी तरह बशर हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम**

भूल जाते हो, चुनांचे जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 401, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 572)

मर्द सुब्हानल्लाह कह कर लुक़्मा दें और औरतें ताली बजा कर, यानी एक हाथ का अन्दुरूनी हिस्सा दूसरे हाथ की पुश्त पर मार कर। हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम्हें नमाज़ में कोई मामला पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरतें ताली बजायें।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 941)

इमाम के लिये भी ज़रूरी है कि अगर मुक़्तदी उसे लुक़्मा दें और उसे बज़ाते ख़ुद दुरुस्ती का यक़ीन न हो तो वह उनका लुक़्मा क़बूल करे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: **'जिसे नमाज़ में कोई मामला पेश आये, वह सुब्हानल्लाह कहे, जब वह सुब्हानल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जा की जायेगी। और तालियाँ औरतों के लिये हैं।'** (सहीह बुख़ारी, ह.:674, व सहीह मुस्लिम, ह.: 421)

दूसरी सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से न हो, जैसे चलना, ख़ारिश करना या इस तरह की कोई और हरकत करना। इन हरकात की बिना पर सुजूदे सह्व नहीं होंगे इन हरकात की चार क़िस्में हैं:

1. वह हरकात जो नमाज़ को बातिल कर देती हैं: जैसे: इधर उधर देखना और हँसना वग़ैरह। इससे नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है, वह कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि आदमी का नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना कैसा है? आपने फ़रमाया: **'ये उचकना है। इस तरह से शैतान बन्दे की नमाज़ से उचक लेता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 751) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि **रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये और देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठाये हुये हैं तो आपने फ़रमाया: 'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाने से बाज़ आ जायें या उनकी नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लौटेंगी।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 428, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 912 वल्लफ़्ज़ुलहू)

हँसना और क़हक़हा लगाना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। अ़ल्लामा इब्ने मुन्ज़िर(رحمه الله) कहते हैं कि उलमा का इज्मा है कि नमाज़ के दौरान में हँसना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। (अल इज्मा: 40/48) क्योंकि ये सारी चीज़ें नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी हैं। इनसे नमाज़ ज़ाया हो जाती है। वल्लाहु आलम!

2. मकरूह हरकात: इनसे नमाज़ बातिल नहीं होती, अलबत्ता ये नापसन्दीदा हैं, इनसे नमाज़ी के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में फ़र्क़ आता है जिससे सवाब में कमी वाक़ेअ होती है, जैसे: नमाज़ में बिला ज़रूरत कपड़े दुरुस्त करते रहना और आदतन दाढ़ी को खुजलाते रहना वग़ैरह। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'बेशक नमाज़ में एक और ही मशग़ूलियत है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 199, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 923) यानी नमाज़ में क़िराअते क़ुर्आन, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशग़ूलियत होती है, इसलिये किसी और तरफ़ मुतवज्जा होना दुरुस्त नहीं है। इब्ने अब्बास (ؓ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'(हमें हुक्म दिया गया है कि) हम (नमाज़ में) अपने कपड़े या बाल न समेटें।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 812, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 490) हाँ नागुज़ीर ज़रूरत के पेशे नज़र थोड़ी बहुत हरकत की जा सकती है।

नमाज़ में जमाही लेना भी मकरूह हरकत है। हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जमाही आना शैतान की तरफ़ से हैं जब किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके, उसे रोकने की कोशिश करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2994) हाथों की ऊँगलियाँ बाहम एक दूसरी में डाल लेना (तशबीक) भी मकरूहाते नमाज़ में से हैं हज़रत कअब बिन उज्रा (ؓ) से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना: **'जब तुममें से कोई वुज़ू करे और फिर (नमाज़ की ग़र्ज़ से) मस्जिद का इरादा करके निकले तो अपने हाथों की ऊँगलियाँ एक दूसरी में मत डाले क्योंकि बिलाशुब्हा वह नमाज़ में है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 562, व मुसनद अहमद: 4/214)

3. जायज़ हरकात: 1. ज़रूरत के मुताबिक़ चलना: रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित है कि आपने हज़रत आयशा (ؓ) के लिये दरवाज़ा खोला था जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 922) ये उस सूरत में है जब दरवाज़ा क़िब्ला रुख हो, आप (ﷺ) के हुज्रे का दरवाज़ा क़िब्ला रुख ही था। 2. बच्चे को उठाना: अबू क़तादा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (कई बार) नमाज़ पढ़ते तो (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठा लेते। जब आप सज्दे में जाते तो उसे नीचे उतार देते और जब खड़े होते तो उठा लेते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 516, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 543) मुह्लिक व मूज़ी चीज़ को हलाक करने के लिये हरकत करना, कोई साँप या बिच्छू वग़ैरह नमाज़ में नज़र आये तो उसे मार देना चाहिए, इससे नमाज़ में कोई नुक़्स वाक़ेअ नहीं होता क्योंकि अगर वह उसे न मारेगा तो पूरी नमाज़ में यकसूई नहीं रहेगी बल्कि तवज्जा उधर ही रहेगी। और ये ख़तरा दामनगीर रहेगा कि कहीं वह मुझे नुक़सान न पहुँचा दें सय्यदना अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'दो स्याह चीज़ों को दौराने नमाज़ में भी क़त्ल कर डालो, यानी**

साँप और बिच्छू को।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 921, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 390) साँप और बिच्छू के अलावा दूसरे मूज़ी (तक़लीफ़देह) जानवरों का भी यही हुक्म है। 3. नमाज़ में ज़रूरत के मुताबिक़ समझाने के लिये इशारा करना और कंखियों से देखना: हज़रत जाबिर(ﷺ) बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार थे, हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप बैठे हुये थे और अबू बक्र (ﷺ) लोगों को आपकी तकबीर सुना रहे थे। आपने (कंखियों से) हमारी तरफ़ झाँका तो हमें खड़े हुये पाया, चुनांचे आपने हमें इशारा किया तो हम भी बैठ गये।** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 413) इससे मालूम हुआ ऐसा करना जायज़ है। 4. सोये हुये को छूना: ज़रूरत के तहत सोये हुये को छुना जायज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि **मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सोई होती थी और मेरे पाँव आपके सामने क़िब्ले की तरफ़ होते। तो जब आप सज्दा करने लगते, मेरा पाँव दबा देते, मैं पाँव समेट लेती, फिर आप (ﷺ) जब खड़े हो जाते तो मैं पाँव फैला लेती।** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 382, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 512)

4. मशरूअ हरकात: वह हरकात जिन्हें करना ज़रूरी है, जैसे: अगर इमाम बे'वुज़ू हो जाये तो उसकी जगह इमाम के पीछे वाला आदमी खड़ा होगा जैसा कि स़हीह बुख़ारी में है: हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक मजूसी ग़ुलाम ने उन पर हमला करके शदीद ज़ख़्मी कर दिया तो उन्होंने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 3700) इसी तरह अगर स़फ़ में से कोई आदमी निकल जाये तो स़फ़ के ख़लल को दूर करने के लिये क़रीब क़रीब होना जैसा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का हुक्म है: **'...... और स़फ़ के ख़ला को पूरा करो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 666) इसी तरह अगर इमाम भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर(ﷺ) बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक नमाज़: पढ़ाई और उसमें क़िराअत की तो कुछ खलत हो गया। जब आप फ़ारिग़ हुये तो हज़रत उबय (ﷺ) से पूछा: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बतला देते)'** इसी तरह नमाज़ में आगे से गुज़रने वाले को मक़दूर (ताक़त) भर रोकना चाहिए अगर वह बाज़ न आये तो उससे लड़ाई करनी चाहिए जैसा कि अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: **'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो जो उसके लिये लोगों से सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ करके उसे रोकने की कोशिश करे और अगर वह इन्कार करे तो उससे लड़ाई करे, बिलाशुब्हा वह शैतान है।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 509, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 505)

मालूम हुआ ऊपर दिये गये मुख़्तलिफ़ क़िस्म की हरकात में से कुछ ऐसी हैं जिनके सरज़द होने से नमाज़ बातिल हो जाती है और कुछ ऐसी हैं जिनसे नमाज़ बातिल तो नहीं होती, अलबत्ता वह मकरूह हो जाती है। और कुछ हरकात जायज़ हैं और कुछ मशरूअ़। इनमें से किसी भी हरकत पर सज्द-ए-सह्व नहीं है। वल्लाहु आलम!

तीसरी सूरत: नमाज़ के दौरान में खाना पीना। अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इज्मा है कि जो शख़्स नमाज़ में जानबूझ कर खाता पीता है, उसे नमाज़ दोहरानी होगी, अलबत्ता नमाज़ में भूल कर खाने पीने के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है। अ़ता (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर वह भूल कर नमाज़ में कुछ पी ले तो वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और आख़िर में सह्व के दो सज्दे करे और अगर उसने जानबूझ कर पिया है तो वह नमाज़ दोहराये। इमाम औज़ाई और अस्हाबे राय भूल कर खाने पीने वाले के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) का मस्लक अ़ता (رحمه الله) के मुवाफ़िक़ है। मज़ीद देखिये: (अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/248)

रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: **'बेशक अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से ग़लती, भूल और वह गुनाह माफ़ कर दिये हैं। जिन पर उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हो।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 2045)

✧ **अक़वाल का इज़ाफ़ा:** इसकी भी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से हो, जैसे: रुकू या सज्दे में क़िराअत करना, क़याम में तशहहुद पढ़ना वग़ैरह। अगर जानबूझ कर ऐसा करेगा तो ये हराम है और उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसे कर ले तो एक राय के मुताबिक़ उसके लिये सज्द-ए-सह्व करना ज़रूरी है जैसा कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी (नमाज़ में) इज़ाफ़ा या कमी कर दे तो वह दो सज्दे करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) जबकि शैख़ इब्ने बाज़ (رحمه الله) का मौक़िफ़ इससे क़द्रे मुख़्तलिफ़ है। वह फ़रमाते हैं कि अगर ये ज़िक्र उसने किसी वाजिब की जगह पढ़ा है और असल वाजिब को छोड़ दिया है, जैसे रुकू या सज्दे में तस्बीहात के बजाये क़िराअत कर ली और तस्बीहात न पढ़ीं तो तर्के वाजिब की बिना पर सुजूदे सह्व वाजिब होंगे। अगर तस्बीहात भी पढ़ी हैं तो फिर सुजूदे सह्व वाजिब नहीं। (मजमूअ़ फ़तावा, व मक़ालाते मुतनव्वआ लिइब्ने बाज़: 11/270)

दूसरी सूरत: नमाज़ मुकम्मल करने से पहले ही सलाम फेर देना। अगर उसने जानबूझ कर सलाम फेरा है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा देर हो गई हो, जैसे:

एक दिन या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बाद याद आया या वुज़ू टूट गया तो फिर भी नमाज़ बातिल हो जायेगी, चुनांचे वह नमाज़ दोहराये। अगर जल्दी याद आ गया तो वह नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे, फिर सह्व के सज्दे करे, बाद में सलाम फेरे। (अल्लुबाब फ़ी फ़िक़्हिस सुन्ना वल किताब, स़फ़ा: 190)

तीसरी स़ूरत: कलाम नमाज़ की जिन्स से न हो। अगर उसने जानबूझ कर कलाम किया हो और उसे नमाज़ में कलाम के हराम होने का इल्म था तो बिल इज्मा उसकी नमाज़ बातिल हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: **'बेशक इस नमाज़ में लोगों की आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें तस्बीह और तकबीर होती है और क़ुर्आन मजीद पढ़ा जाता है।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 537, व सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 930, व सुनन नसाई, हदीस़: 1218) अगर भूल कर या अ़दमे इल्म (लाइल्मी) की बिना पर कलाम किया हो तो राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ स़ही होगी और उस पर सुजूदे सह्व लाज़िम नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआविया बिन हकम सुलमी(رضي الله عنه) को नमाज़ दोहराने का हुक्म नहीं दिया था जबकि उन्होंने अ़दमे इल्म की वजह से नमाज़ में कलाम कर लिया था। देखिये (हवाल-ए-मज़्कूर)

इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि नमाज़ में भूल कर कलाम करने वाला और वह शख़्स़ जिसे ये गुमान हो कि वह नमाज़ में नहीं है, उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। यही सलफ़ व ख़लफ़ जुम्हूर उ़लमा का मौक़िफ़ है। इब्ने अ़ब्बास, अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, उर्वा बिन ज़ुबैर (رضي الله عنهم), अ़ता, हसन, शअ़बी, क़तादा, औज़ाई, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और तमाम मुहद्दिस़ीने किराम (رحمهم الله) का भी यही मौक़िफ़ है। (शरह स़हीह मुस्लिम लिन नववी: 5/99, हदीस़: 574)

इसी तरह बिला इख़्तियार कलाम हो जाये या किसी को कलाम पर मजबूर कर दिया जाये, और ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है, तो इस स़ूरत में भी राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी।

✧ **क्या इस़्लाहे नमाज़ के लिये कलाम जायज़ है?:** नमाज़ की इस़्लाह के लिये कलाम करने के बारे में मुख़्तलिफ़ राय व नज़रियात पाये जाते हैं। जुम्हूर कहते हैं कि अगर नमाज़ में कलाम इस़्लाहे नमाज़ के लिये हो और सुब्हानल्लाह से मुतनब्बा करना मुमकिन न हो तो ये जायज़ है, इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। अ़ल्लामा हल्लाल और उनके अस़्हाब कहते हैं कि इससे नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है कुछ के नज़दीक इमाम की नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी जबकि मुक़्तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। दलाइल की रोशनी में राजेह मौक़िफ़ ये मालूम होता है कि नमाज़ फ़ासिद हो जाती है क्योंकि ये कलामुन्नास है।

इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इस पर इज्मा है कि जो आदमी नमाज़ में जानबूझ कर कलाम करता है जबकि उसका इरादा नमाज ही की इस्लाह क्यूँ न हो तो उसकी नमाज़ फ़ासिद है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान है: 'नमाज़ में लोगों के कलाम में से कोई बातचीत दुरुस्त नहीं है। बेशक नमाज़ में तस्बीह और तकबीर होती है और क़ुर्आन पढ़ा जाता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 537) और हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में कलाम कर लिया करते थे। हममें से हर कोई अपने पहलू वाले साथी से कलाम कर लेता था यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल हूई: 'और अल्लाह के लिये फ़रमांबरदार होकर खड़े रहो।' तो हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और कलाम करने से रोक दिया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1200, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 539)

(2) **कमी:** नमाज़ में कमी की भी तीन सूरतें हैं, पहली सूरत: रुक्न की कमी। अगर नमाज़ी ने अपनी नमाज़ में किसी रुक्न की कमी कर दी और वह रुक्न तकबीरे तहरीमा है तो उसकी नमाज़ ही नहीं होती, जानबूझ कर छोड़े या भूल कर। और अगर तकबीरे तहरीमा के अलावा कोई और रुक्न है और उसे जानबूझ कर छोड़ा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी, अगर भूल कर छोड़ा है तो उसकी तीन हालतें हैं:

1. अगर दूसरी रकअत की क़िराअत शुरू करने से पहले याद आ जाये तो उस पर वाजिब है कि वह वापस लौटे और छोड़े हुये रुक्न और उसके मा'बाद को अदा करे, इसलिये कि रुक्न साक़ित होने की सूरत में सज्द-ए-सह्व किफ़ायत नहीं करेगा। अगर इल्म होने के बाद भी नहीं लौटेगा तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। देखिये: (हाशिया अरौंज़ुल मुरब्बअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़अ: 2/162)

अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर सअदी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अगर दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँचने से पहले याद आ जाये जहाँ पहली रकअत में भूला था और कोई रूक्न छोड़ गया था, तो उसी वक़्त वापस पलट आये और उसे और उसके बाद वाले रुक्न को मुकम्मल करे, ये ज़रूरी है। देखिये: (अलमुख़्तारातुल जलिय्या मिनल मसाइलिल फ़िक़्हिया, सफ़ा: 47, 48)

2. अगर दूसरी रकअत में क़िराअत शुरू करने के बाद याद आये तो पहली वह रकअत बातिल हो जायेगी जिसमें रुक्न तर्क किया हो और दूसरी रकअत उसके क़ाइम मक़ाम होगी। (हाशिया अरौंज़ुल मुरब्बअ: 2/169) इसके मुताल्लिक़ दूसरा क़ौल ये है कि अगर दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँच कर उसे याद आये तो इस सूरत में उसकी दूसरी रकअत उस रुक्न के बदले में होगी जो उसने तर्क किया था, लिहाज़ा दूसरी रकअत शुमार नहीं होगी। (इरशाद उलिल अब्सार, सफ़ा: 49)

शैख़ इब्ने उसैमीन (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इसकी मिसाल ये बनेगी कि एक शख़्स पहली रकअत में एक सज्दा करने के बाद उठ खड़ा हुआ, न बैठा और न दूसरा सज्दा किया। जब क़िराअत शुरू की तो उसे याद आया कि वह दो सज्दों के दरम्यान नहीं बैठा और न उसने दूसरा सज्दा किया है तो वह उसी वक़्त वापस पलट आये और दो सज्दों के बीच बैठे और दूसरा सज्दा कर के अपनी बाक़ी मान्दा नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व कर ले। दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँच कर याद आने वाले की मिसाल ये है कि पहली रकअत में वह एक सज्दे के बाद उठा और दूसरा सज्दा न किया और न दो सज्दों के दरम्यान बैठा लेकिन उसे दूसरी रकअत में दो सज्दों के दरम्यान याद आया या दूसरे सज्दे में याद आया तो इस हालत में उसकी दूसरी रकअत पहली शुमार होगी और वह अपनी नमाज़ में एक रकअत मज़ीद पढ़ेगा, फिर बाद में सज्द-ए-सह्व करेगा। तफ़्सीली बहस के लिये देखिये: (अश्शरहुल मुमत्तिअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़िअ: 3/459-523)

3. अगर कोई रुक्न रह जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो ये मुकम्मल रकअत छोड़ने ही की तरह है, चुनांचे वह एक रकअत पढ़े और सह्व के दो सज्दे करे। हाँ, अगर छोड़ा हुआ रुक्न आख़री तशहहुद हो या सलाम, तो फिर वह उसे ही अदा करे और सह्व के दो सज्दे करे। (हाशिया अर्रौज़ुल मुरब्बअ: 2/163, अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/319)

दूसरी सूरत: अगर नमाज़ के वाजिबात में से उसने कोई वाजिब जानबूझ कर छोड़ा है तो नमाज़ बातिल होगी, अगर भूल कर रह जाये और अभी दूसरे रुक्न तक नहीं पहुँचा तो वह उसे अदा करे। अगर दूसरे रुक्न में पहुँचने के बाद याद आये तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम फेरने से पहले सुजूदे सह्व करे, जैसे: एक आदमी सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) कहना भूल गया। अगर उसे सज्दे से सर उठाने से पहले याद आ जाये तो पढ़ ले और अगर दूसरे सज्दे में या सर उठाने के बाद याद आये तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम से पहले दो सज्दे कर ले।

तीसरी सूरत: अगर नमाज़ी से कोई सुन्नत रह जाये तो उस पर सुजूदे सह्व नहीं होंगे और न नमाज़ बातिल होगी।

(3) शक: सुजूदे सह्व के अस्बाब में से तीसरा सबब शक है। ज़्यादती और नुक़सान में तरद्दुद को शक कहते हैं। नमाज़ में अगर शक हो जाये तो उसकी दो सूरतें हैं: पहली-शक हो और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे और किसी चीज़ का ज़न्ने ग़ालिब न हो। दूसरी-जब कोई शक हो मगर कोशिश और ग़ौर व फ़िक्र के बाद किसी सूरत का तअय्युन और उसका ज़न्ने ग़ालिब हासिल हो जाये।

✧ **जब कोई शक हो और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे:** इस सूरत में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तालीमात ये हैं कि कम अज़ कम पुर यक़ीन करते हुये नमाज़ मुकम्मल करें हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये और उसे याद न रहे कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं, तीन या चार? तो उसे चाहिए कि शक को छोड़ दे और यक़ीन पर इन्हिसार करे, फिर सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो ये सज्दे उसकी ज़्यादा रकअत को दोगाना बना देंगे और अगर उसने चार पूरी पढ़ी हैं तो ये सज्दे शैतान की तज़लील व रूस्वाई का बाइस़ बनेंगे।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 571, व मुसनद अहमद: 3/72)

✧ **जब शक हो जाये मगर कोशिश और ग़ौरो-फ़िक्र के बाद किसी जानिब का ज़न्ने ग़ालिब हो जाये:** जब नमाज़ी को शक हो जाये और शक के दो पहलूओं में से एक पहलू राजेह हो जाये तो उसे चाहिए कि ग़ालिब ज़न पर अमल करे, आख़िर में सलाम फेर कर दो सज्दे करे और फिर सलाम फ़ेरे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो उसे चाहिए कि स़ही सूरत तलाश करे और उसके मुताबिक़ अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे, फिर दो सज्दे कर ले।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 401)

इसके अलावा सूर-ए-फ़ातिहा के पढ़ने या न पढ़ने के बारे में शक हो तो रुकू से पहले सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ ली जायें इस सूरत में सज्द-ए-सह्व की ज़रूरत नहीं है। हाँ! अगर वह रुकू में चला गया है या दूसरी रकअत शुरू कर ली है और सूर-ए-फ़ातिहा न पढ़ने का उसे यक़ीन हो जाये तो वह एक रकअत दोबारा पढ़े और सलाम के बाद सुजूदे सह्व करे, फिर सलाम फेरे।

नमाज़ की अदायगी के बाद अगर 'अत्तहिय्यात' के मुताल्लिक़ शक पड़ जाये तो अदायगी के बाद लाहिक़ होने वाले शक का कोई ऐतबार नहीं क्योंकि आम तौर पर इन्सान नमाज़ के वाजिब व अरकान उनके मक़ाम ही पर अदा करता है। जब नमाज़ के दौरान में शक हो तो यक़ीन पर बिना करते हुये इबादत के लिये मोहतात तरीक़ा इख़्तियार किया जायेगा लेकिन सलाम के बाद पैदा होने वाला शक क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़ में शुकूक व शुब्हात:** नमाज़ उम्मुल इबादात है, इसमें मुकम्मल यक्सूई होनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने से पहले दिल व दिमाग़ को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने के

लिये मुतवज्जा कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बेशक तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में खड़ा होता है तो वह बिलाशुब्हा अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 405, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 551) लिहाज़ा नमाज़ी को वस्वसों और ख़्यालात से बचना चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर खड़े होकर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज्जा रहे तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 234)

ख़्यालात और वस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न देखे, दौराने नमाज़ में अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करे, नमाज़ में नज़र को सज्दे की जगह मरकूज़ रखे, आयात व अज़्कार के मानी व मफ़ाहीम पर ग़ौर करे और इस तरह इबादत करे कि गोया अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है, और ये दुआ अपना मामूल बनाये: **'ऐ अल्लाह! अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1522) इसके बावजूद वस्वसे और ख़्यालात आये। तो उसके मुताल्लिक़ शरीयत ने हमारी रहनुमाई फ़रमाई है कि (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) पढ़ कर तीन मर्तबा बायीं जानिब थू थू कर दें। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (2203) इरशादे बारी तआला है: **'और अगर शैतान की तरफ़ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वस्वसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक वह सुनने वाला, जानने वाला है।'** (आराफ़: 7/200)

✧ **पहला तशह्हुद छूट जाये तो?:** अगर नमाज़ी दरम्यानी तशह्हुद छोड़ दे और उसी वक़्त उठने से पहले याद आ जाये तो वह बैठ कर उसे पढ़े और उस पर कुछ और लाज़िम नहीं, इसलिये कि उसने नमाज़ में कोई कमी बेशी नहीं की। अगर उठते हुये याद आया मगर अभी मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ तो बैठ जाये और तशह्हुद पढ़े और उस पर सुजूदे सह्व लाज़िम नहीं, अगर वह मुकम्मल खड़ा हो गया तो वापस न पलटे बल्कि अपनी नमाज़ जारी रखे और आख़िर में दो सज्दे कर ले।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद खड़े हो गये और दरम्यानी तशह्हुद के लिये न बैठे, जब नमाज़ मुकम्मल कर चुके तो आपने सलाम से पहले दो सज्दे किये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1224, 1225, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 570) अगर उसे इल्म हो कि सीधा खड़ा होने के बाद लौटना हराम है लेकिन फिर भी लौट गया तो उसकी नमाज़ बातिल हो गई क्योंकि उसने मुफ़्सिदे नमाज़ काम का इर्तिकाब किया है। वल्लाहु आलम! इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/287-291)

✧ **सुजूदे सह्व सलाम से पहले किये जायें या बाद में?:** इस मसले में अहले इल्म का इख़्तेलाफ़ है। इमाम शौकानी (رحمه الله) ने इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़्वाल नक़ल किये हैं:

(1) सुजूदे सह्व हर हाल में सलाम के बाद किये जायेंगे। (ये अहनाफ़ का मौक़िफ़ है जिस पर उनका अपना अ़मल भी नहीं है, बल्कि उनका मौजूदा अ़मल (अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू) तक तशह्हुद पढ़ के एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद सुजूदे सह्व करके अज़ सरे नौ पूरा तशह्हुद यौम यक़ूमुल हिसाबु तक पढ़ने का है जिसकी कोई दलील नहीं।)

(2) सलाम से पहले किये जायें। ये शवाफ़ेअ़ का मौक़िफ़ है।

(3) कमी और बेशी में फ़र्क़ किया जायेगा, इज़ाफ़े की सूरत में सुजूदे सह्व सलाम के बाद किये जायेंगे और कमी की सूरत में पहले (ये इमाम मालिक का एक क़ौल है, और अस्हाबे मालिक की एक जमाअ़त का यही मौक़िफ़ है।)

(4) हर हदीस़ पर उसी तरह अ़मल किया जायेगा जिस तरह कि नबी (ﷺ) से वारिद हुई है और जिसके मुताल्लिक़ कुछ भी वारिद नहीं वहाँ सुजूदे सह्व सलाम से पहले किये जायेंगे। (ये हनाबिला का मौक़िफ़ है।)

(5) हर हदीस़ पर बिऐनिही अ़मल किया जायेगा, जैसे: आप (ﷺ) ने चार के बजाये दो या तीन रकआ़त के बाद सलाम फेर दिया। इस हालत में आपने सलाम के बाद सज्दे किये। और तशह्हुदे अव्वल छोड़ने की सूरत में आपने सज्दे पहले किये, लिहाज़ा ऐसी सूरतों में आपके उस्वा को अपनाया जायेगा। और जिसके मुताल्लिक़ नबी (ﷺ) की सुन्नत से कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ कमी की सूरत में सलाम से पहले सज्दे किये जायेंगे और इज़ाफ़े की सूरत में सलाम के बाद।

(6) नमाज़ी को अगर शक हो जाये और ग़ौरो-फ़िक्र के बाद कोई जानिब क़ाबिले तर्जीह न हो तो सज्दे सलाम से पहले और अगर ग़ौरो-फ़िक्र के बाद कोई पहलू राजेह हो जाये तो सज्दे सलाम के बाद किये जायेंगे।

(7) भूलने वाले को इख़्तियार है, अगर चाहे तो वह सज्दे सलाम से पहले कर ले और अगर चाहे तो बाद में (इमाम मालिक से मन्क़ूल उनका ये दूसरा मौक़िफ़ है।)

(8) दो मौक़े के अ़लावा हर जगह सुजूदे सह्व सलाम के बाद किये जायेंगे। दो मौक़ों पर भूलने वाला इख़्तियार रखता है, चाहे सलाम से पहले सज्दे कर ले, चाहे बाद में। पहला मौक़ा जबकि दो

रकअतों के बाद तशहहुद न बैठे, सीधा खड़ा हो जाये और दूसरा, जबकि उसे शक हो दो, तीन या चार, कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो वह कम अज़ कम पर बिना करे। इन दोनों सूरतों में वह बा'इख़्तियार हैं अहले ज़ाहिर का यही मज़हब है। (नैलुल अवतार: 3/126, 127) (वाज़ेह रहे अहले ज़ाहिर सिर्फ़ उन्हीं मक़ामात पर सुजूदे सह्व की मशरूइयत के क़ाइल हैं जहाँ नबी (ﷺ) से सह्व साबित है। इसके अलावा किसी मौक़े पर वह सुजूदे सह्व के क़ाइल नहीं।)

अलबत्ता राजेह बात यही मालूम होती है कि उसी तरह अमल किया जाये जैसा कि नबी(ﷺ) के अक़वाल और अफ़आल का तक़ाज़ा है, जहाँ सुजूदे सह्व सलाम से पहले करने की क़ैद है, वहाँ सज्दे सलाम से पहले किये जायें और जहाँ सज्दे सलाम के बाद करने की तक़ईद है, वहाँ सलाम के बाद किये जायें और जिसके मुताल्लिक़ कोई क़ैद वारिद नहीं हुई वहाँ भूलने वाले को इख़्तियार है, चाहे सलाम से पहले कर ले या बाद में, जैसा कि इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने बयान किया है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी नमाज में इज़ाफ़ा कर दे या कमी तो वह दो सज्दे करें'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 3/116-128)

✧ **सुजूदे सह्व के बाद तशहहुद पढ़ना और सलाम फेरना:** इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। राजेह यही है कि सज्दों के बाद सलाम तो फेरेगा लेकिन तशहहुद नहीं पढ़ेगा। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने बाब क़ाइम किया है: 'सह्व के सज्दों के बाद फिर तशहहुद न पढ़े।' और इसके तहत तालीक़न ये असर नक़ल किया है कि अनस (رضي الله عنه) और हसन ने सलाम फेरा (यानी सुजूदे सह्व के बाद) और तशहहुद नहीं पढ़ा। अल्लामा ऐनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने इस असर को मौसूलन भी बयान किया है। देखिये: (उम्दतुल क़ारी: 7/451)

हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ में दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया, फिर ज़ुल्यदैन के दरयाफ़्त करने के बाद आप ने दो रकअतें और पढ़ाईं और फिर दो सज्दे किये। हज़रत इमरान बिन हुसैन की रिवायत में है कि आपने सलाम फेरने के बाद दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 482, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 574)

ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सुजूदे सह्व के बाद सलाम है, तशहहुद नहीं बल्कि किसी भी सही हदीस में सुजूदे सह्व के बाद तशहहुद का ज़िक्र नहीं। कुछ रिवायात में सुजूदे सह्व के बाद तशहहुद का ज़िक्र है लेकिन वह ज़ईफ़ होने की वजह से क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। वल्लाहु आलम!

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि सुजूदे सह्व में सलाम फेरना तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से

साबित है लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनमें तशह्हुद भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित हो। इसके मुताल्लिक़ तीन अहादीस मरवी हैं, उन तमाम के मुताल्लिक़ अहले इल्म ने कलाम किया है, उनमें सबसे अच्छी सनद वाली रिवायत इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) की है। (उसमें सिर्फ़ सलाम ही का ज़िक्र है।) देखिये: (अल्औसत: 3/316, 317)

✧ **एक नमाज़ में कई बार सह्व हो जाये तो?:** एक नमाज़ में दो या दो से ज़्यादा मर्तबा सह्व हो जाये तो फिर भी आख़िर में सिर्फ़ दो सज्दे ही किये जायेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: **'नमाज़ में सह्व के दो सज्दे हर कमी बेशी से किफ़ायत कर जायेंगे।'** (सहीह जामेअ अस्सग़ीर: 1/678, रक़म: 3626, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 4/510, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/346)

इमाम अल्बानी (رحمہ اللہ) ने इसके लिये सुनन अबू दाऊद की रिवायत बतौर शाहिद पेश की है जिसे उन्होंने हसन क़रार दिया है 'हर सह्व के लिये सलाम के बाद (सिर्फ़) दो सज्दे ही हैं।' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 4/201, रक़म: 954)

इब्ने क़ुदामा फ़रमाते हैं: (लिकुल्लि सह्विन सज्दतैन) में लफ़्ज़ सह्व इस्मे जिन्स है, इससे मुराद ये है कि हर वह नमाज़ जिसमें सह्व (एक या ज़्यादा दफ़ा) हो जाये तो उसमें दो ही सज्दे हैं। (अल मुग़नी: 1/729, मसला: 926)

नबी (ﷺ) का फ़रमान है: **'जब तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे करें'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) हदीसे ज़ुल्यदैन से भी यही साबित होता है कि आपसे एक ही नमाज़ में एक से ज़्यादा सह्व हुये लेकिन आपने सिर्फ़ दो सज्दे ही किये। आपने नमाज़ मुकम्मल होने से पहले ही सलाम फेर दिया, फिर आप चले भी और कलाम भी किया। एक से ज़्यादा काम होने के बावजूद आपने दो सज्दे ही किये।

अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपूरी (رحمہ اللہ) हदीसे ज़ुल्यदैन की शरह में रक़मतराज़ हैं: बार बार सह्व होने की वजह से सज्दे मुकर्रर नहीं किये जायेंगे, अगरचे सह्व की जिन्स मुख़्तलिफ़ हो जाये, इसलिये कि नबी (ﷺ) ने कलाम भी किया, भूल कर चले भी, सलाम भी फेरा लेकिन सज्दे सिर्फ़ दो किये। इमाम इब्ने अबी शैबा (رحمہ اللہ) ने इमाम नख़ई और इमाम शअबी (رحمہ اللہ) से रिवायत किया है कि बिलाशुब्हा हर सह्व के लिये सिर्फ़ दो सज्दे हैं। देखिये: (मिर्आतुल मफ़ातीह मिश्कातुल मसाबीह, अस्सलात, बाब सुजूदुस्सह्व: 2/37)

अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इस मसले में इख़्तिलाफ़ है कि नमाज़ी अपनी नमाज़ में बार बार भूले तो क्या करे? एक जमाअत का क़ौल है कि तमाम ग़लतियों (सह्व व निस्यान) से दो सज्दे ही काफ़ी हैं। ये क़ौल इमाम नख़ई, इमाम मालिक, इमाम लैस़ बिन सअद, इमाम सुफ़ियान स़ौरी, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (رحمهم الله) और अस्हाबुर राय का है और हसन बस़री (رحمه الله) से भी इसी तरह मरवी है।

दूसरी जमाअत के नज़दीक जिस शख़्स को दो मर्तबा मुख़्तलिफ़ क़िस्म का सह्व हो जाये तो वह हर सह्व के बदले दो, दो सज्दे करे। ये औज़ाई का क़ौल है। इब्ने अबी हाज़िम फ़रमाते हैं: जब आदमी को एक ही नमाज़ में दो मर्तबा सह्व हो जाये। एक वह जिसके लिये सज्दे सलाम से पहले किये जायें (जैसे: तशह्हुदे अव्वल छूट जाये या शक पड़ जाये और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे) और दूसरा वह जिसमें सज्दे सलाम के बाद किये जायें, (जैसे: दो रकअतों पर सलाम फेर देना वग़ैरह) तो वह दो सज्दे सलाम से पहले करे और दो सज्दे सलाम के बाद करे। मज़ीद देखिये: (अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/317, 318)

अल्लामा इब्ने उसैमीन अपने रिसाला 'फ़ी सुजूदिस सह्व' में फ़रमाते हैं कि जब आदमी पर दो सह्व इकट्ठे हो जायें, उनमें से एक का महल सलाम से पहले हो और दूसरे का सलाम के बाद, तो अहले इल्म फ़रमाते हैं कि वह सलाम से पहले ही सज्दे करे। दलाइल की रू से यही राजेह है कि नमाज़ में अगर एक या ज़्यादा मर्तबा सह्व व निस्यान हो जाये तो उसके लिये बार बार सज्दे नहीं किये जायेंगे बल्कि सिर्फ़ दो सज्दे किफ़ायत कर जायेंगे। इन्शाअल्लाह। (और यही मौक़िफ़ राजेह है। वल्लाहु आलम!)

✧ **इमाम को लुक़्मा देना:** अगर इमाम नमाज़ में क़िराअत करते हुये भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना दुरुस्त है, इससे न नमाज़ फ़ासिद होती है और न सुजूदे सह्व करने पड़ेंगे। कुछ अहनाफ़ लुक़्मा देने के क़ाइल नहीं, उनके यहाँ अगर इमाम भूल जाये तो सिर्फ़ सज्द-ए-सह्व काफ़ी है। हज़रत मिस्वर बिन यज़ीद मालिकी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं **रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने नमाज़ में क़िराअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गईं जिन्हें आपने तिलावत नहीं फ़रमाया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़ुलां फ़ुलां आयत छोड़ दी है। आपने फ़रमाया: 'तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?'** और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से मरवी है कि **नबी (ﷺ) ने एक नमाज़ पढ़ी और उसमें क़िराअत की तो कुछ ख़लत हो गया। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो हज़रत उबय (رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बता देते)'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 907)

बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी (ﷺ) को कभी क़िराअत में कुछ भूल हूई जिससे एक तो आप(ﷺ) की बशरियत का इस्बात हुआ, दूसरा आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व तशरीअ का ज़रिया बन गया।

अल्लामा शम्सुल हक़ अजीमाबादी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ये दोनों हदीसें लुक़्मा देने के जवाज़ पर दलालत करती हैं और जवाज़े लुक़्मा को इस शर्त के साथ मुक़य्यद करना कि इमाम इतनी क़िराअत करते हुये भूल जाये जो वाजिब है (तीन आयात) और रकअत आख़री हो। ये क़ौल बिला दलील है। दलाइल से मुत्लक़न लुक़्मा देने का जवाज़ साबित होता है, ख़्वाह बक़द्रे वाजिब क़िराअत में भूले या ज़्यादा में, और लुक़्मा देने की दो सूरतें हैं: पहली: जहरी नमाज़ में अगर क़िराअत में भूल जाये तो मुक़्तदी भूली हूई आयत इमाम को बतला दे। दूसरी: अगर क़िराअत के अलावा भूला हो, जैसे: सज्दा या क़ादा वग़ैरह, मुक़्तदी अगर मर्द हो, तो इमाम को सुब्हानल्लाह कह कर इत्तिला दे और अगर औरत हो तो ताली बजाये। मज़ीद देखिये: (औनुल माबूद: 3/176, हदीस: 907)

कुछ फ़ुक़हा की कुतूब में भी इसके जवाज़ का सबूत मिलता है। शरह वक़ाया में उबैदुल्लाह बिन मसऊद बिन ताजुश्शरीया लिखते हैं: 'और अपने इमाम के अलावा ग़ैर को लुक़्मा देना (साहिबे विक़ाया ने) अपने इमाम के अलावा इसलिये कहा कि अपने इमाम को लुक़्मा देना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता और कुछ मशाइख़ ने कहा है कि जब इमाम इतनी क़िराअत कर ले जिससे नमाज़ जायज़ है (यानी तीन आयात) या दूसरी आयत की तरफ़ मुन्तक़िल हो गया और मुक़्तदी ने लुक़्मा दिया तो लुक़्मा देने वाले की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर इमाम ने उसका लुक़्मा लिया तो इमाम की नमाज़ भी फ़ासिद हो जायेगी और कुछ मशाइख़ ने कहा कि उनमें से किसी शै में भी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी और (शारिह फ़रमाते हैं) मैंने (अपने मशाइख़ से) सुना है कि फ़त्वा इसी पर है।' (शरह अल विक़ाया: 1/190) शरह विक़ाया के हाशिये पर भी मौलाना उबैदुल हक़ ने सुनन अबू दाऊद की हदीस से इस्तेदलाल करते हुये लिखा है कि इमाम को लुक़्मा देना जायज़ है।

जो लोग लुक़्मा देने के क़ाइल नहीं उनकी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस है जिसे अबू इस्हाक़ ने हारिस से उन्होंने हज़रत अली (رضي الله عنه) से रिवायत किया है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ऐ अली! नमाज़ में इमाम को लुक़्मा मत दो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 908)

इमाम अबू दाऊद इस हदीस को बयान करने के बाद फ़रमाते हैं कि अबू इस्हाक़ ने हारिस से सिर्फ़ चार अहादीस सुनी हैं और ये उनमें से नहीं है, और इसकी सनद में हारिस आवर है जिसे अक्सर अइम्मा ने कज़्ज़ाब कहा है। इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने भी सहीह मुस्लिम के मुक़द्दमे में इस पर किज़्ब बयानी का

हुक्म लगाया है। मज़ीद देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 2/126) लिहाज़ा इस सख़्त ज़ईफ़ रिवायत को लुक़्मा देने के अदमे जवाज़ पर दलील बनाना दुरुस्त नहीं। सही और राजेह बात वही है जो दलाइल से साबित शुदा है कि इमाम को लुक़्मा देना जायज़ है। इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होतीं वल्लाहु आलम!

✧ **क्या ग़ैर नमाज़ी नमाज़ी को लुक़्मा दे सकता है:** इसकी बाबत सही और दुरुस्त मौक़िफ़ ये है कि वह शख़्स जो नमाज़ से बाहर है, वह नमाज़ पढ़ने वाले को लुक़्मा दे सकता है और नमाज़ पढ़ने वाला भी उसका लुक़्मा क़बूल कर सकता है इससे उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पहले मदीना में तशरीफ़ लाये तो अन्सार में से अपने ननिहाल या (फ़रमाया) अपने मामूओं पर उतरे और सोलह या सतरह माह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, और बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना आपको पसन्द था, पहली नमाज़ जो आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी वह नमाज़े ज़ुहर है और आपके साथ एक जमाअत ने नमाज़ पढ़ी। उनमें से एक आदमी नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद निकला और एक (दूसरी) मस्जिद वालों के पास से गुज़रा, वह रुकू की हालत में थे। उसने कहा: मैं अल्लाह के नाम के साथ गवाही देता हूँ (अल्लाह की क़सम!) मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ बैतुल्लाह की तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे मस्जिद वाले रुकू ही की हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 40) इस हदीस से मालूम हुआ कि लुक़्मा देने के लिये नमाज़ में दाख़िल होना शर्त नहीं। जो शख़्स नमाज़ में शामिल न हो, लुक़्मा दे सकता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस से मालूम हुआ कि ग़ैर नमाज़ी का तालीम देना जायज़ है और नमाज़ी का ग़ैर नमाज़ी के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना उसकी नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता। देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/657, हदीस: 403)

✧ **अगर इमाम भूल जाये तो मुक़्तदी भी सज्दा करें:** अगर इमाम भूल जाये तो आख़िर में सज्द-ए-सहव करेगा और मुक़्तदी भी उसके साथ सज्दे करेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: **'बिलाशुब्हा इमाम को इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 378, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 411)

अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर इमाम भूल जाये, फिर नमाज़ के आख़िर में सहव के सज्दे भी न करे तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। एक गिरोह का मौक़िफ़ ये है कि जब इमाम सज्दा न करे तो मुक़्तदी भी सज्दे न करे। ये हसन बसरी, अता बिन अबू रबाह, नख़ई, क़ासिम, हम्माद बिन अबू सुलैमान, सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) और असहाबुर राय का क़ौल है। दूसरे गिरोह का मौक़िफ़ ये है कि जब इमाम को ग़लती लग जाये और वह सहव के सज्दे न करे तो लोग सज्दा

करेंगे। ये इब्ने सीरीन, हकम, क़तादा, औज़ाई, मालिक, लैस़ बिन सअ़द शाफ़ेई और अबू स़ौर का क़ौल है। अबू स़ौर फ़रमाते हैं: ये इसलिये कि ये चीज़ (सुजूदे सह्व) उन पर वाजिब हो गई है, लिहाज़ा वाजिब को तर्क करने से उनसे हुक्म ज़ाइल न होगा, इसलिये कि फ़र्ज़ और वाजिब को अदा करने वाले से वह फ़र्ज़ या वाजिब उस वक़्त तक ज़ाइल नहीं होता जब तक कि वह उसे अदा न कर ले। (अल्औसत: 3/322, 323) लेकिन राजेह ये है कि मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम फेर दें। अगर इमाम को याद न आये तो मुक़्तदी याद करा दें, फिर इमाम और मुक़्तदी मिल कर सह्व के दो सज्दे करें।

✧ **मुक़्तदी से ग़लती हो जाये तो सुजूदे सह्व का हुक्म:** अगर मुक़्तदी से कोई सह्व हो जाये तो वह सज्दे नहीं करेगा क्योंकि वह अपने इमाम के ताबेअ़ है। अगर ये सज्दे करेगा तो इमाम की इक़्तेदा से निकल जायेगा जबकि मुक़्तदी को इमाम की पैरवी का हुक्म है जैसा कि मुआविया बिन हकम सुलमी(ﷺ) ने नमाज़ में भूल कर या अ़दमे वाक़फ़ियत की बिना पर कलाम किया लेकिन नबी(ﷺ) ने उन्हें सज्दे का हुक्म दिया न नमाज़ लौटाने का। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 537) अगर मसबूक़, यानी जो आदमी बाद में जमाअ़त के साथ शामिल हुआ और उसकी कोई रकअ़त रह गई, उसकी दो सूरतें हैं: (1) इमाम के सलाम फेरने से पहले, यानी इमाम की इक़्तेदा की हालत में अगर ग़लती हो जाये तो सुजूदे सह्व नहीं करेगा। (2) अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक़ से ग़लती हो तो अब वह सह्व के सज्दे करेगा क्योंकि अब वह इमाम की इक़्तेदा से निकल चुका है और मुन्फ़रिद (तन्हा) आदमी के हुक्म में है।

अ़ल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अक्स़र अहले इल्म का यही क़ौल है कि जो शख़्स़ इमाम के पीछे है, उससे भूल हो जाये तो उस पर सह्व के सज्दे नहीं हैं। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ), नख़ई, शअ़बी, मकहूल, ज़ोहरी, मालिक, सुफ़ियान स़ौरी, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़(رحمهم الله) और अस़्हाबुर राय से इसी तरह मरवी है, और अबू इस्हाक़ ने इस पर अहले इल्म के इज्मा का ज़िक्र किया है। सअ़द बिन मुसय्यब और हसन बस़री से भी इसी तरह मरवी है। देखिये: (अल्औसत: 3/321)

✧ **अगर इमाम के ज़िम्मे सह्व के सज्दे हों तो क्या मसबूक़ भी सज्दे करेगा?:** अगर इमाम से सह्व हो जाये और इमाम सलाम से पहले सज्दे करे तो मसबूक़ भी सज्दे करेगा। अगर इमाम ने सज्दे सलाम के बाद किये और मसबूक़ बक़िया नमाज़ के लिये खड़ा हो गया तो उसका हुक्म उस आदमी जैसा है जो पहले तशह्हुद से खड़ा हो, यानी अगर इमाम ने उसके खड़ा होने से पहले सज्दा कर लिया तो उसके लिये लौटना लाज़िम है और अगर मुकम्मल खड़ा हो गया और क़िराअत शुरू नहीं की तो वह लौटेगा नहीं, अगर लौट आये तो जायज़ है। अगर क़िराअत शुरू कर ली तो उसके लिये लौटना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बक़िया नमाज़ अदा करने के बाद वह सज्दे करेगा। (हाशिया अर्रौज़ुल मुरब्बअ़: 2/171) शैख़ इब्ने उसैमीन (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि सलाम फेरने के बाद सज्दे करेगा। (अश्शरहुल मुमत्तिअ़: 3/526)

✧ **मसबूक़ इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक़िया नमाज़ पढ़ना भूल जाये:** अगर मसबूक़ इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक़िया नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो याद आने पर बक़िया नमाज़ पढ़े और सलाम के बाद दो सज्दे करे, फिर सलाम फेर दे। अगर उसने फ़र्ज़ नमाज़ के बाद नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है जिसे इब्ने मुन्ज़िर ने ज़िक्र किया है, वह फ़रमाते हैं कि एक जमाअत के नज़दीक उसने जो नफ़ल नमाज़ पढ़ ली है, वह लग़्व हो जायेगी और वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करके सहव के दो सज्दे करे। हज़रत अनस(ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ से एक रकअत भूल गये और नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी, दौराने नमाज़ में याद आया तो उन्होंने फ़र्ज़ नमाज़ से जो बाक़ी रह गई थी, वह पढ़ी, फिर बैठे बैठे दो सज्दे किये। ये इमाम हकम और औज़ाई का क़ौल है। एक गिरोह के नज़दीक उसकी फ़र्ज़ नमाज़ बातिल हो जायेगी। कि वह नफ़ल में दाख़िल हो जाये, अब वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। हसन बसरी, हम्माद और इमाम मालिक(رحمہ اللہ) से इसी तरह मरवी है। मज़ीद देखिये: (अल्औसत: 3/324)

✧ **क्या मसबूक़ इमाम के साथ ज़्यादा रकअत शुमार करेगा?:** अगर कोई शख़्स इमाम के साथ दूसरी रकअत में शमिल हो और इमाम भूल कर एक रकअत ज़्यादा अदा कर ले तो बाद में आकर मिलने वाला (मसबूक़) उसे अपनी चौथी रकअत शुमार करे और इमाम के साथ सलाम फेर दे क्योंकि उसकी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है लेकिन इमाम उस ज़्यादा रकअत में माज़ूर है।

शैख़ इब्ने उसैमीन (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अगर इमाम भूल कर पाँच रकआत पढ़ा दे तो उसकी नमाज़ सही है और जहालत या सहव की हालत में उसकी मुताबिअत करने वाले की नमाज़ भी सही है। लेकिन जिसे ज़्यादा रकअत का इल्म हो उस पर बैठना और सलाम फेरना वाजिब है क्योंकि इस हालत में उसका ऐतक़ाद है कि उसके इमाम की नमाज़ बातिल है। लेकिन अगर उसे ख़दशा हो कि उसका इमाम ज़्यादा रकअत अदा करने के लिये इस बिना पर खड़ा हुआ है कि उसकी किसी एक रकअत में ख़लल पैदा हुआ, जैसे: सूर-ए-फ़ातिहा में कोई नुक़्स वाक़ेअ हो गया वग़ैरह, तो इस हालत में इमाम का इन्तेज़ार करे और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ ही सलाम फेर दे। अगर वह दूसरी रकअत में इमाम के साथ शामिल हुआ तो उसके लिये ये रकअत ज़्यादा शुमार होगी, वह इमाम के साथ ही सलाम फेर दे। (मजमूअ अल फ़तावा लिश्शैख़ इब्ने उसैमीन: 14/20)

✧ **क्या नफ़ली नमाज़ में ग़लती हो जाने पर सुजूदे सहव किये जायेंगे?:** फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह नफ़ल नमाज़ों में भी सुजूदे सहव के अस्बाब की मौजूदगी में सुजूदे सहव करना मशरूअ

हैं। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान आम है: **'जब तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/92)

और दूसरी रिवायत में है: **'जब आदमी (अपनी नमाज़ में) कोई इज़ाफ़ा या कमी करे तो वह दो सज्दे करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/96)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने सहीह बुख़ारी में उन्वान क़ाइम किया है: 'फ़र्ज़ और नफ़्ल नमाज़ में सह्व का बयान, और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने अपने वित्र के बाद दो सज्दे किये।'

इसके तहत इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ये हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बेशक जब तुममें से कोई नमाज़ में खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर ख़लत करता है यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं होता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे जब तुममें से कोई ये सूरते हाल पाये तो वह बैठे बैठे दो सज्दे करे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1232, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 398, 569) लिहाज़ा राजेह यही है कि फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नफ़्ल नमाज़ में भी ग़लती की सूरत में सुजूदे सह्व किये जायेंगे।

अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ने इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल नक़्ल किया है। उन्होंने फ़रमाया: जब तुम्हें नफ़्ल नमाज़ में शक पड़ जाये तो दो सज्दे करो। ये क़ौल हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, क़तादा, सुफ़ियान, सौरी, मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और अस्हाबुर राय का है। (अल औसत: 3/325, 326)

والحمد لله على ذلك

وأسأل الله أن ينفعنا بهذا وسائر المسلمين وأن يرزقنا العمل بما يرضاه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب السهو

सहव (नमाज़ में भूलने) से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे

باب : (۱) التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ، فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ . فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - ثُمَّ سَكَتَ . فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ وَعُثْمَانُ قَالَ وَعُثْمَانُ.

(1180) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अस़म्म से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷻ) से नमाज़ में तकबीरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहे जब रुकू करे, जब सज्दा करे, जब सज्दे से सर उठाये और जब दो रकअतों से खड़ा हो। हुतैम ने उनसे पूछा कि ये बात आपने किस से याद रखी है? उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ), हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷻ) से, फिर ख़ामोश हो गये। हुतैम ने कहा: हज़रत उस्मान (ﷻ) से भी? फ़रमाया: 'हाँ' हज़रत उस्मान (ﷻ) से भी।

(1180) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/251, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1102.

फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा तो मुत्तफ़क़ अलैह है, और इसमें कोई सुस्ती नहीं करता था, इसलिये उसका ज़िक्र नहीं किया। बाक़ी तकबीरात में कुछ अइम्मा सुस्ती कर जाते थे, इसलिये उनका ज़िक्र फ़रमा दिया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

(1181) हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷻ) ने नमाज़ पढ़ी तो वह हर झुकने और उठने के वक़्त पूरी तकबीर कहते थे। हज़रत इमरान

قَالَ صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ . فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

बिन हुसैन (ﷺ) ने फ़रमायाः यक़ीनन उन्होंने मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ याद करा दी है।

(1181) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1103.

(٢): بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

बाब : (2) आख़री दो रकअतों के लिये खड़े होते वक़्त रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

(1182) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब दो रकअतों के बाद खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें अपने कंधों के बराबर करते थे जैसा कि आपने नमाज़ शुरू करते वक़्त किया था।

(1182) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 304, 305, व इब्ने माजा, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1104, देखें, हदीस: 1040.

फ़ायदा : ये रफ़उल यदैन भी सही अहादीस से साबित है अगर चे कुछ अहादीस में इसका ज़िक्र नहीं है लेकिन हर बात का हर हदीस में ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं। अगर किसी भी सही हदीस में किसी बात का ज़िक्र हो और वह असह (ज़्यादा सही) रिवायात के मुनाफ़ी न हो तो उस पर अमल वाजिब होता है, लिहाज़ा ये रफ़उल यदैन भी सुन्नत है, अगर चे इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) इसके क़ाइल नहीं। अगली हदीस में भी इस रफ़उल यदैन का इस्बात है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हदीस: 877 के फ़वाइद व मसाइल)

(٣): بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

बाब : (3) आख़री दो रकअतों के लिये खड़े होने पर कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ،

(1183) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो रफ़उल यदैन फ़रमाते और जब रुकू का इरादा फ़रमाते

- وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ .

और जब रुकू से सर उठाते और जब दो रकअतों के बाद खड़े होते तो इसी तरह कंधों तक अपने दोनों हाथ उठाते (यानी रफ़उल यदैन फ़रमाते)

(1183) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2/67, बुख़ारी, हदीस: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1105, व सहीह इब्ने हिब्बान: 3/260, 270, अबी अवाना: 2/91, देखें हदीस: 879.

फ़ायदा : रफ़उल यदैन कंधों तक भी हो सकता है, कानों के किनारों तक भी जैसा कि पीछे हदीस: 879 के फ़ायदे में ज़िक्र हो चुका है।

(٤): باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (4) दौराने नमाज़ में (किसी अहम मौक़े पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला की हम्द व सना करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا

(1184) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) बनू अम्र बिन औफ़ (अहले क़ुबा) के दरम्यान सुलह करवाने तशरीफ़ ले गये। (अस्र की) नमाज़ का वक़्त हो गया तो मुअज़्ज़िन हज़रत अबू बक्र(ﷺ) के पास आया और कहा कि लोगों को इकट्ठा करें और इमामत फ़रमायें। (नमाज़ शुरू होते ही) रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये। आप सफ़ों को चीरते हुये पहली सफ़ में आ खड़े हुये। लोगों ने अबू बक्र को मुत्तलअ करने के लिये तालियाँ बजाना शुरू कर दीं ताकि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) (की तशरीफ़ आवरी) के बारे में मुत्तलअ करें। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं फ़रमाते थे। जब उन्होंने ज़्यादा ही तालियाँ बजाईं तो उनकी समझ में आया कि नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आई है।

أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ " مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . ثُمَّ قَالَ " إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ فَسَبِّحُوا " .

उन्होंने तवज्जा की तो वहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि आप अपनी हालत में रहें तो हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने हाथ उठाये और आपके इस फ़रमान पर अल्लाह तआला की हम्द व सना की, फिर उलटे पाँव पीछे हटे। रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो अबू बक्र (رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'जब मैंने तुम्हें इशारा कर दिया था तो फिर तुम्हें किस चीज़ ने नमाज़ पढ़ाने से रोका?' हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने अ़र्ज़ किया: अबू क़ुहाफ़ा के बेटे को लायक़ और मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इमाम बनता। फिर आपने लोगों से फ़रमाया: 'क्या वजह है कि तुमने तालियाँ बजाना शुरू कर दीं, तालियाँ बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये है? जब तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये तो सुब्हानल्लाह कहा करो।'

(1184) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह. 621, बुख़ारी, ह. 684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह. 1106.

फ़ायदा : इस रफ़उल यदैन से मुराद तकबीर वाला रफ़उल यदैन नहीं बल्कि दुआ वाला रफ़उल यदैन है जिसमें हथेलियों का रुख क़िब्ला की बजाये चेहरे की तरफ़ होता है। ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, फ़वाइद हदीस: 875)

بَاب: (٥) السَّلاَمِ بِالأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ

बाब : (5) नमाज़ में (इख़्तिताम के मौक़े पर) हाथों से सलाम करना?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ

(1185) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम नमाज़ (के

بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ "

इख़्तिताम पर सलाम) में हाथ उठा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'इन्हें क्या हुआ है कि नमाज़ में हाथ उठा रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं? नमाज़ में सुकून इख़्तियार करो।'

(1185) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1107.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ " مَا بَالُ هَؤُلاَءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ " .

(1186) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हाथों से सलाम करते थे। आपने फ़रमाया: 'इन्हें क्या हुआ है कि हाथों से सलाम कर रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं? क्या उन्हें काफ़ी नहीं कि अपने हाथ अपनी रानों पर रखे रहें और (ज़बान से) कह दें: (अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम)

(1186) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 431, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1108.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहली रिवायत मुख़्तसर है, उसमें सिर्फ़ रफ़उल यदैन का ज़िक्र है, ये दूसरी रिवायत उसकी तफ़्सील है। इसमें वज़ाहत है कि ये हाथ उठाना सलाम के वक़्त था। इब्तेदा में सहाब-ए-किराम (ﷺ) (अस्सलामुअलैकुम) कहते वक़्त हाथ भी उठाते जैसे किसी दूर खड़े आदमी को ज़बान के साथ हाथ से भी सलाम का इशारा देते हैं ताकि अगर सुन न सके तो इशारे से समझ जाये। और ये कुछ सहाब-ए-किराम (ﷺ) का अपना इज्तेहादी फ़ेअल (अमल) था। (2) कुछ अहनाफ़ ने इस वाज़ेह सूरते हाल को नज़र अन्दाज़ करके दोनों हदीसों को अलग अलग कर दिया कि पहली रिवायत में मुत्लक़ रफ़उल यदैन पर इन्कार किया गया है और दूसरी रिवायत में सलाम वाले रफ़उल यदैन पर, हालांकि मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि ये दोनों एक ही चीज़ का बयान है। एक में इख़्तेसार है, दूसरी में तफ़्सील। दोनों एक ही सहाबी से मरवी है। सियाक़ इसी का ताईद करने वाला है। (3) कुछ अहनाफ़ ने दोनों रिवायात को एक तस्लीम करने के बावजूद ये कहा है: 'बहरहाल हाथ उठाने पर आप का इज़्हारे नाराज़ी और सुकून का हुक्म देना रुकू वग़ैरह के रफ़उल यदैन के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह भी तो सुकून के मुनाफ़ी है।' अदब के साथ गुज़ारिश है कि आपके ये अल्फ़ाज़ और इज़्हारे नाराज़ी तकबीरे तहरीमा,

क़ुनूते वित्र और ईदैन के रफ़उल यदैन के ख़िलाफ़ क्यूँ नहीं? क्या वह सुकून के मुनाफ़ी नहीं? अगर आपके ये अल्फ़ाज़ रुकू वग़ैरह के रफ़उल यदैन को मन्सूख़ करते हैं तो हज़रात अपनी भी ख़ैर मनाइये। ये अल्फ़ाज़ ऊपर दी गई रफ़उल यदैन (जिनके आप क़ाइल व फ़ाइल हैं) को भी मन्सूख़ करते हैं, फिर तो रफ़उल यदैन पुरी तरह मन्सूख़ है। जहाँ वह तीन वहाँ हमारे तीन। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सल्ला। (4) हक़ीक़त ये है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ सलाम के वक़्त दायीं तरफ़ हाथ उठाने (न कि क़िब्ला रुख) और बायीं तरफ़ सलाम कहते वक़्त हाथ बायीं तरफ़ उठाने के ख़िलाफ़ हैं। उन्हीं हाथ उठाने को घोड़ों की दुम उठाने से तश्बीह दी गई है क्योंकि रुकू वग़ैरह के रफ़उल यदैन को तो ख़ुद अहनाफ़ भी सुन्नत समझते हैं, सिर्फ़ मन्सूख़ समझते हैं। गोया नबी (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) पहले किया करते थे, बाद में मन्सूख़ हो गया। क्या वह रफ़उल यदैन जो आपकी पैरवी में किये गये, इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ बन सकते हैं? क्या नबी (ﷺ) अपने ही फ़ेअल को सरकश घोड़ों की दुम हिलाने से तश्बीह दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं! हर मुन्सिफ़ मिज़ाज शख़्स इन रिवायात का वही मतलब समझेगा जो मुहद्दिसीन ने क़रार दिया है कि ये इन्कार सिर्फ़ सलाम के रफ़उल यदैन पर है जो क़िब्ला रुख नहीं था, यानी मस्नून रफ़उल यदैन के मुशाबा भी नहीं था बल्कि ये दायें बायें हाथ उठाना था जिस तरह घोड़ा कभी दायें और कभी बायें दुम हिलाता है। (रफ़उल यदैन की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 877-880, 1025-1027)

बाब : (6)
नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना

باب: (٦)
رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

(1187) सहाबी-ए-रसूल सुहैब (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम कहा तो आपने मुझे ऊंगली के इशारे से जवाब दिया।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 965, तिर्मिज़ी: ह. 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 1109.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ .

फ़ायदा : इस बाब की रिवायात का हासिल ये है कि इब्तेदा-ए-इस्लाम में नमाज़ में हस्बे ज़रूरत कलाम करने की इजाज़त थी, इसके पेशे नज़र कुछ सहाबा ने नबी (ﷺ) को जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, सलाम किया, लेकिन उस वक़्त नमाज़ में कलाम करने से रोका जा चुका था, इसलिये आपने लफ़्ज़न

सलाम का जवाब नहीं दिया, सिर्फ़ इशारे से सलाम का जवाब दिया और सलाम फेरने के बाद आपने कुछ सहाबा से ऐतज़ार भी किया कि आपने लफ़्ज़न सलाम का जवाब इसलिये नहीं दिया कि अब नमाज़ में कलाम करना ममनूअ (मना) हो चुका है, ताहम इसके बावजूद आपने इशारे से जवाब दिया। फ़ुक़हा-ए-मुहद्दिसीन और शारिहीने हदीस़ ने इन अहादीस़ से यही इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ी को सलाम करना जायज़ है, इसे ममनूअ क़रार देना स़रीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। देखिये: (शरह स़हीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5/37, व सुबुलुस्सलाम: 1/264, व औनुल माबूद: 2/292, व सुनन अलकुब्रा लिल बैहक़ी: 2/285-260, वग़ैरहुम) बाक़ी रहा ये मसला कि जवाब में इशारा किस तरह किया जायेगा? तो अहादीस़ ही में इसकी चार शक्लें मज़्कूर हैं, हथेली के साथ, हाथ के साथ, ऊँगली के साथ और सर के साथ, इसलिये ये सारी शक्लें जायज़ हैं। देखिये: (औनुल माबूद: 2/292)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ .

(1188) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ पढ़ने के लिये दाख़िल हुये। कुछ लोग आये, आपको सलाम कहने लगे। मैंने सुहैब (ﷺ) से पूछा, क्योंकि वह आपके साथ थे, कि फिर नबी (ﷺ) क्या करते थे, जब आपको सलाम कहा जाता था? उन्होंने फ़रमाया: आप हाथ से इशारा फ़रमाते थे।

(1188) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1017, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1110, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2258, वल हाकिम: 3/12, वज़्ज़हबी: (1190), इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/49, हदीस़: 888.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ.

(1189) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सलाम कहा जबकि आप नमाज़ में थे तो आपने (इशारे से) जवाब दिया।

(1189) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1111.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ " إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَىَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي " . وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ

(1190) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे नबी (ﷺ) ने किसी काम से भेजा, मैं वापस आया तो मैंने आपको नमाज़ की हालत में पाया। मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरी तरफ़ इशारा किया। फिर आप जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मुझे बुलाया और फ़रमाया: 'तुमने अभी मुझे सलाम किया था जब कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' असल में आप उस वक़्त मशरिक़ की तरफ़ जा रहे थे।

(1190) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 537, 1112.

फ़ायदा : 'मशरिक़ की तरफ़' से मुराद ये है कि आप बैतुल्लाह की तरफ़ रुख करके नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि मदीने में क़िब्ला तो जुनूब की तरफ़ है लेकिन सफ़र के दौरान में नफ़्ल नमाज़ के लिये क़िब्ला रुख होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ आग़ाज़ में सवारी का रुख क़िब्ले की तरफ़ करना ज़रूरी है, बाद में चाहे सवारी का रुख जिधर भी हो जाये, नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। इससे नमाज़ी को सलाम करने और नमाज़ी का इशारे से जवाब देना भी साबित होता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي " يَا جَابِرُ " . فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ . فَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي " .

(1191) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे नबी (ﷺ) ने (किसी काम से) भेजा। मैं वापस आया तो आप मशरिक़ या मग़रिब की तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैंने सलाम कह दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया। मैंने फिर सलाम कहा तो आपने फिर हाथ से इशारा किया। मैं चला गया। (कुछ देर बाद) आपने मुझे आवाज़ दी: 'ऐ जाबिर!' लोगों ने भी आवाज़ें दीं। जाबिर! जाबिर! मैं हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैंने आपको सलाम कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। आपने फ़रमाया: 'मैं नमाज़ पढ़ रहा था।'

(1191) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1113.

फ़ायदा : ये रिवायत पहली रिवायत ही की तफ़्सील है। गोया जाबिर ये न समझ सके कि इशारा सलाम का जवाब है। क्योंकि ये ज़बान के साथ जवाब देने से नह्य का इब्तेदाई दौर था।

बाब : (7) नमाज़ में कंकरियाँ हटाने की मुमानिअत

باب: (٧) النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فِي الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ " .

(1192) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ में हो तो कंकरियाँ न छूए क्योंकि रहमते इलाही उसकी तरफ़ मुतवज्जा होती है।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ह.: 945, तिर्मिज़ी, ह.: 379, व इब्ने माजा, ह. 1027, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 532, 1114, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, व इब्ने अल जारूद, वल हाफ़िज़ फ़ी बुलूग़िल मराम.

फ़ायदा : चूंकि नमाज़ दरअसल अल्लाह तआला से सरगोशी करना है किसी से बातें करते हुये इधर उधर मुतवज्जा होना और फ़ुज़ूल काम करना इससे बे'तवज्जोही है। ज़ाहिर है जब कोई शख़्स नमाज़ में अल्लाह तआला से बे'तवज्जोही करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मुँह फेर लेगा और वह शख़्स रहमते इलाही से महरूम रहेगा, अलबत्ता अगर ज़रूरत हो, जैसे: सज्दे के लिये जगह हमवार करना मक़सूद हो तो सिर्फ़ एक दफ़ा कंकरियाँ हमवार कर सकता है, वरना वह सारे सज्दे में बेचैन रहेगा और नमाज़ का ख़ुशूअ ख़त्म हो जायेगा।

बाब : (8) एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर लेने की रुख़्सत

باب: (٨) الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةً

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

(1193) हज़रत मुऐक़ीब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुझे ज़रूर कंकरियों को हमवार करना पड़े तो एक दफ़ा कर ले (बार बार न कर)'

الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً " .

(1193) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1207, व मुस्लिम, हदीस: 546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 533.

باب: (٩) النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (9) नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ " . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ " لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

(1194) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या वजह है, कुछ लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाते हैं।' फिर आपने इसके बारे में सख़्त अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये, यहाँ तक कि फ़रमाया: 'लोग इस काम से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़रें उचक ली जायेंगी।'

(1194) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 750, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 542.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम तौर पर लोग दुआ में नज़र ऊपर उठाते हैं। नमाज़ से बाहर तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में चूंकि नज़र की जगह मुक़र्रर है, लिहाज़ा नमाज़ में मना है, और ये आदाबे नमाज़ के ख़िलाफ़ है कि नज़र क़िब्ले (सामने) से इधर उधर हटे। **(2)** जो बन्दा मुन्करात का इर्तिकाब करे, उसे सख़्त कलाम के साथ ज़ज्रो-तौबीख़ की जा सकती है, और जिस बन्दे को तम्बीह करना मक़सूद हो, उसका नाम लिये बग़ैर ही तमाम लोगों को मुख़ातब करके मुत्लक़ आम बात करनी चाहिए जैसा कि नबी (ﷺ) अगर किसी में कोई ख़िलाफ़े शरअ बात देखते तो उसका नाम लिये बग़ैर यूँ ख़िताब फ़रमाते: 'लोगों का क्या ख़्याल है!' ये इसलिये कि उसकी रूस्वाई न हो, और अगर किसी का नाम तमाम लोगों के सामने लेकर उसे किसी बुराई से रोका जाये तो बसा औक़ात ये अन्दाज़े नसीहत उसे हठधर्मी और मज़ीद इर्तिकाबे गुनाह पर आमादा करता है, लिहाज़ा नासेह और दाई को चाहिए कि हिकमत भरे अन्दाज़ और वस्फ़े सतर (किसी के ऐब पर पर्दा डालने) को अपनाये तो उससे उसकी नसीहत मुअस्सिर होगी।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ " .

(1195) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक सहाबी ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ में हो तो अपनी नज़र आसमान की तरफ़ न उठाये (कहीं ऐसा न हो) कि वह उचक ली जाये।'

(1195) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/41, 5/295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 1117.

फ़ायदा : ज़रूरी नहीं कि दुनिया ही में इस फ़ेअल पर नज़र उचक ली जाये बल्कि आख़िरत में भी ये सज़ा मिल सकती है बल्कि ज़्यादा क़रीने क़यास यही है।

باب: (١٠) التَّشْدِيدِ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (10) नमाज़ में इधर उधर देखने की सख़्त मुमानिअत

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ " .

(1196) हज़रत अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ की हालत में अल्लाह तआला अपने बन्दे की तरफ़ मुतवज्जा रहता है जब तक वह इधर उधर न देखे। जब वह अपना मुँह इधर उधर करता है तो अल्लाह तआला उससे तवज्जा मुन्क़तअ फ़रमा लेता है।'

(1196) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1192, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 481, 482, वल हाकिम: 1/239.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में इधर उधर झाँकना सख़्त मना है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से नमाज़ की फ़ज़ीलत व अहमियत भी वाज़ेह होती है कि नमाज़ अल्लाह तआला का अपने बन्दे पर मुतवज्जा होने का सबब है और ये अल्लाह तआला का अपने बन्दे पर कमाल लुत्फ़ व करम है। **(3)**

नमाज़ में झाँकना अल्लाह तआला से ऐराज़ करना है। जब बन्दा अल्लाह की रहमत से ख़ुद ही मुँह मोड़ता है तो अल्लाह तआला भी उससे ऐराज़ फ़रमा लेता है, लिहाज़ा नमाज़ में किसी तरफ़ झाँका नहीं जा सकता। हाँ, नमाज़ में किसी मजबूरी की वजह से झाँकना पड़े तो अलग बात है, जैसे: इमाम का किसी ज़रूरत के तहत मुक़्तदियों की तरफ़ या मुक़्तदियों का ज़रूरत की बिना पर इमाम की तरफ़ झाँकना। इन सूरतों में भी कंखियों ही से काम लेना चाहिए, न कि पूरा मुँह क़िब्ले से हटा लिया जाये, जैसा कि अगले बाब की हदीस़ में आ रहा है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - ﵂ - قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ " .

(1197) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ में इधर उधर देखने के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया: 'ये उचकना है कि शैतान उसे नमाज़ से उचक लेता है।'

(1197) तख़रीज : **(सनद स़ही)** बुख़ारी, हदीस़: 751, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1119.

फ़ायदा : नमाज़ में इधर उधर देखना बहुत क़बीह फ़ेअ़ल (अ़मल) है जिसका नमाज़ पर बहुत बुरा अस़र पड़ता है। (जैसे किसी जानवर से दरिन्दा कुछ गोश्त नोच कर ले जाये तो वह जानवर फ़ौरन मरता भी नहीं, बचता भी नहीं, अगर बचे भी तो वह जानवर बहुत नाक़िस़ हो जाता है) इसलिये इस फ़ेअ़ल की निस्बत शैतान की तरफ़ कर दी गई। वैसे भी इस क़िस्म के अफ़आ़ल शैतानी वस्वसे का नतीजा होते हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(1198) हज़रत अशअ़स की ये रिवायत ज़ाइदा की बजाये अबुल अहवस से भी हमें अ़म्र बिन अ़ली ने इसी तरह बयान फ़रमाई।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1120.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ

(1199) हज़रत अशअ़स की यही रिवायत अ़म्र बिन अ़ली ने हमें इसी तरह बयान फ़रमाई, लेकिन इसमें ज़ाइदा और अबुल अहवस की बजाये इस्राईल का वास्ता ज़िक्र किया जब कि

मَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

अबुल अह्वस की बजाये अबू अतिया का ज़िक्र किया।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1121.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، - وَهُوَ ابْنُ مَعْنٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ .

(1200) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नमाज़ में इधर उधर देखना शैतान की लूट खसोट है जो वह इन्सान की नमाज़ (में) से करता है।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1122.

باب: (١١) الرُّخْصَةِ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً

बाब : (11) नमाज़ में (बवक़्ते ज़रूरत कंखियों से) दायें बायें देखने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

(1201) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार हो गये। हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप बैठे थे और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) लोगों को आपकी तकबीर सुनाते थे। आपने हमें खड़े देखा। आपने हमें बैठने का इशारा फ़रमाया। हम बैठ गये और हमने आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमायाः 'अभी तुम फ़ारसियों और रूमियों जैसा काम कर रहे थे। वह अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हैं जब कि बादशाह बैठे रहते हैं। तुम ऐसे न करो। अपने इमामों की पैरवी करो। अगर वह खड़े होकर

وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " .

नमाज़ पढ़ें तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और अगर वह बैठ कर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।'

(1201) **तख़रीज : (सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1123.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम का बवक़्ते ज़रूरत मुक़्तदियों को कंखियों से देखना जायज़ है। (तफ़्सील देखिये, हदीस़: 1196) **(2)** बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी बैठ कर नमाज़ पढ़ें या खड़े होकर? इसकी तफ्सील देखिये, हदीस़: 833 **(3)** ये वाक़िया आपके मर्ज़ुल मौत का नहीं क्योंकि इस वाक़िया के बारे में स़राहत है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) और मुक़्तदी सब खड़े थे। (ये अलग मसला है कि इमाम नबी (ﷺ) थे या अबू बक्र? इसके लिये देखिये: किताब अल इमामा का इब्तेदाइया) ये वाक़िया पहली किसी बीमारी के दौरान का है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

(1202) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) नमाज़ में दायें बायें देख लिया करते थे मगर अपनी गर्दन मोड़ कर पिछली तरफ़ नहीं करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 587, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1124, व स़हीह अल हाकिम: 1/236, 237.

फ़ायदा : यहाँ कंखियों से देखना मुराद है जिससे चेहरा क़िब्ला रुख से नहीं हटता। अगर मुँह मोड़ कर देखना मुराद हो तो ये पहले दौर की बात होगी, अब इसकी इजाज़त नहीं क्योंकि (अल्लज़ीना हुम फ़ी स़लातिहिम ख़ाशिऊन) (अल मोमिनून: 23/2) के ख़िलाफ़ है। मुँह मोड़ने से गर्दन मुड़ेगी जो कि जायज़ नहीं। ज़रूरत के तहत कंखियों से देखना फ़र्ज़ नमाज़ में भी हो सकता है और नफ़्ल में भी।

باب : (١٢) قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (12) नमाज़ में साँप और बिच्छू को क़त्ल करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(1203) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में दो स्याह

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .

जानवर (साँप और बिच्छू) क़त्ल करने का हुक्म दिया है।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1245, तिर्मिज़ी, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1125, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 869, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 528, वल हाकिम: 1/256, अहमद: 2/473.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .

(1204) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में दो स्याह जानवर (साँप और बिच्छू) क़त्ल करने का हुक्म दिया है।

(1204) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1126.

फ़ायदा : हुक्म से मुराद रुख़सत और इजाज़त है क्योंकि ये दोनों मूज़ी (नुक़सानदेह) जानवर हैं और मूज़ी जानवर को क़त्ल कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह नुक़सान पहुँचाये। क़त्ल न करने की सूरत में सारी नमाज़ के दौरान में तवज्जा साँप बिच्छू की तरफ़ ही रहेगी और नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ होगा, इसलिये रुख़सत है कि साँप और बिच्छू क़त्ल कर दिये जायें। बाक़ी रही ये बात कि इस फ़ेअल क़त्ल से नमाज़ी की नमाज़ टूट जायेगी या नहीं? तो उलमा की एक जमाअत ने अल्फ़ाज़े हदीस के पेशे नज़र यही कहा है कि इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी। साहिबे सुबुलुस सलाम कहते हैं: 'ये हदीस इस बात की दलील है कि जो फ़ेअल उनके क़त्ल के लिये नागुज़ीर है, इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी, चाहे वह अमल क़लील हो या कसीर देखिये: (सुबुलुस सलाम, बाब शुरूतुस्सलात)

باب: (۱۳) حَمْلِ الصَّبَايَا فِي الصَّلاَةِ وَوَضْعِهِنَّ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (13) नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू व सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(1205) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नवासी उमामा (رضي الله عنها) को उठा कर नमाज़ पढ़ा लिया करते थे। जब आप सज्दा करते तो उसे उतार देते और जब

عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا .

खड़े होते तो उसे उठा लेते।

(1205) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1127.

फ़ायदा : ये उमामा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की नवासी और आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (ﷺ) की बेटी थीं। उनके वालिद अबू अलआस (ﷺ) कुफ़्र की वजह से मक्के में रह गये थे। जंगे बद्र में क़ैदी हुये तो नबी (ﷺ) ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि ज़ैनब को भेज दें। उन्होंने जाते ही वादे के मुताबिक़ ज़ैनब (ﷺ) को बहिफ़ाज़त मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया। बाप दूर होने की वजह से नबी(ﷺ) उमामा से ख़ुसूसी शफ़क़त फ़रमाते थे, इसी लिये कभी कभार वह आपकी गोद में मस्जिद में आ जाया करती थी। ये अबू अलआस (ﷺ) सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आ गये तो आपने साबिक़ा निकाह क़ाइम होने की वजह से हज़रत ज़ैनब (ﷺ) को उनकी ज़ौजियत में रखा। आपने कुछ औक़ात इस दामाद (अबू अलआस) की बरसरे मिम्बर तारीफ़ भी फ़रमाई। (ﷺ) (तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 712)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا .

(1206) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि नबी (ﷺ) लोगों को जमाअत करवा रहे हैं और आपने उमामा बिन्ते अबू अलआस को अपने कंधे पर उठा रखा है। जब रुकू फ़रमाते तो बच्ची को उतार देते और जब सज्दे से फ़ारिग़ होते तो दोबारा उठा लेते।

(1206) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1128.

फ़ायदा : कुछ उलमा का ख़याल है कि बच्चे को उठा कर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि बच्चे के जिस्म की पाकीज़गी का यक़ीन नहीं होता। वह हज़रात इस उसूल से ग़ाफ़िल हो गये कि जब तक ज़ाहिरी नजासत न हो तो बच्चे या किसी भी चीज़ को पाक ही तसव्वुर किया जायेगा, और ये ज़रूरत की हालत में है। ज़रूरत की हालत में ऐसे इम्कानात मद्दे नज़र नहीं रखे जाते वरना ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी। कुछ अफ़ाज़िल ने (शायद मज़ाक़न) कहा है कि 'बच्ची को उठाने की सूरत में रफ़उल यदैन कहाँ गया?' हम कहते हैं: जहाँ पहला गया। हक़ीक़त ये है कि आप रुकू से पहले बच्ची को उतार दिया करते थे जैसा कि हदीस में ज़िक्र है।

बाब : (14) नमाज़ में चन्द क़दम क़िब्ले की तरफ़ चलने की रुख़सत

باب : (١٤) الْمَشْيِ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيرَةً

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - قَالَتِ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ .

(1207) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के रसूल(ﷺ) नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। दरवाज़ा क़िब्ले की जानिब था। आपने थोड़ा सा दायें या बायें चल कर दरवाज़ा खोल दिया और फिर अपनी नमाज़ की जगह पर वापस चले गये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 622, तिर्मिज़ी, हदीस: 601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1129, दारक़ुतनी: 2/80.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नफ़ल नमाज़ में कुछ रिआयत होती है। वैसे भी नबी (ﷺ) का चेहरा क़िब्ले से तब्दील नहीं हुआ। चन्द क़दम उठाने की इजाज़त है। फ़र्ज़ नमाज़ में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(رضي الله عنه) का पीछे आना और रसूलुल्लाह (ﷺ) का आगे चलना इसकी दलील है। लेकिन ये याद रहे कि ये रुख़सत ज़रूरत के वक़्त ही है। बिला वजह चलना नमाज़ ज़ाया कर देगा। **(2)** मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है और उन्हीं की राय अक़रब इलस्सवाब मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 4/77, हदीस: 855, मुसनद इमाम अहमद: 42/320, 321) **(3)** जब घर में और कोई न हो और दरवाज़ा क़िब्ले की जानिब हो तो नमाज़ पढ़ने वाला दरवाज़ा खोल सकता है।

बाब : (15) नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) ताली बजाना

باب : (١٥) التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

(1208) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ में (इमाम को मुतवज्जा करने के लिये) सुब्हानल्लाह

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى " فِي الصَّلاَةِ " .

कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये है।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, ह: 1203, व मुस्लिम, ह: 422/106, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 534, 1130.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

(1209) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 422/106, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1131.

باب : (١٦)
التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (16)
नमाज़ में 'सुब्हानल्लाह' कहना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ".

(1210) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह' कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।'

(1210) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 422/107 (देखें हदीस: 1208), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 543, 1132.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ".

(1211) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह' कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 2/432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1133.

फ़ायदा : ऊपर दी गई चारों रिवायात में है कि मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरतें ताली बजायें।

बाब: (17)
नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) खंखारना

باب :(١٧)التَّنَحْنُحِ فِي الصَّلاَةِ

(1212) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे लिये एक वक़्त मुक़र्रर था जब मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ करता था। जब मैं आपके पास आता तो इजाज़त तलब करता। अगर मैं आपको नमाज़ की हालत में पाता तो आप खंखार देते और मैं दाख़िल हो जाता और अगर मैं आपको फ़राग़त में पाता तो आप मुझे इजाज़त इनायत फ़रमाते।

(1212) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1134, देखें हदीस: 1214 में.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي .

(1213) हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाते हैं: मेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाने के दो वक़्त मुक़र्रर थे। एक दिन को और एक रात को। जब मैं रात को आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता तो आप खंखार देते।

(1213) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1136.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلاَنِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي .

(1214) हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) के नज़दीक मेरे लिये ख़ुसूसी मर्तबा व मक़ाम था जो किसी दूसरे का न था। मैं हर रात सहरी के वक़्त आपके पास जाता और कहता: (अस्सलामुअलैक या नबिय्यल्लाह) अगर आप खंखरते तो मैं वापस घर आ जाता था वरना आपके पास (अन्दर) चला जाता था।

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ الْخَلاَئِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ

فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ .

(1214) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1137, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 902, नैलुल मक़सूद, ह: 227.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने पहली दो रिवायतों को सही और तीसरी को हसन क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये हुक्म महल्ले नज़र है क्योंकि ये रिवायत अव्वलन मुन्क़तअ, सानियन सनदन व मतनन मुज़्तरिब हैं, लिहाज़ा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। इन रिवायात का मदार अ़ब्दुल्लाह बिन नजी पर है जो कि मुतकल्लम फ़ीह (डाउटफुल) रावी है। यहया बिन मईन फ़रमाते हैं: अ़ब्दुल्लाह बिन नजी ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से ये रिवायत नहीं सुनी। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 14/225)

باب: (١٨) الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

बाब : (18) नमाज़ में रोना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي .

(1215) हज़रत मुतर्रिफ़ अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर) (ﷺ) से बयान करते है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी (ﷺ) के पास आया जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया उबल रही हो, यानी आप रो रहे थे।

(1215) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 544, 1135.

फ़ायदा : अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से रोना नमाज़ का असल मक़सूद है। इबादत चश्मे पुर नम की है। असल नमाज़ ही ये है कि दिल पर ख़ौफ़े बारी तआला, ख़शियते इलाही, ज़िक्रे आख़िरत और जन्नत व जहन्नम की याद ग़ालिब आ जाये और आँखों से आँसू छलकें-हाँ, किसी तकलीफ़ की बिना पर या दुनियावी नुक़सान या किसी की याद की बिना पर रोये तो नमाज़ के मुनाफ़ी है।

باب: (١٩) لَعْنِ إِبْلِيسَ وَالتَّعَوُّذِ بِاللهِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

बाब : (19) नमाज़ में इब्लीस को लानत करना और उससे अल्लाह की पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ

(1216) हज़रत अबू दरदा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े नमाज़

بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ " . ثَلاَثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ " إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " .

पढ़ रहे थे कि अचानक हमने आपको ये फ़रमाते सुना: (अऊज़ुबिल्लाहि मिन्क) 'मैं तुझसे अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर आपने तीन दफ़ा फ़रमाया: (अल्अनुक बिलअ़्नतिल्लाहि) 'मैं तुझ पर अल्लाह तआ़ला की लानत भेजता हूँ।' और आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया गोया कि कोई चीज़ पकड़ रहे हैं। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आज आपको नमाज़ में ऐसे अल्फ़ाज़ कहते सुना है जो इससे पहले कभी नहीं सुने और हमने आपको देखा कि आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का एक भड़कता हुआ शोला लेकर आया था ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे तो मैंने तीन दफ़ा कहा: (अऊज़ुबिल्लाहि मिन्क) 'मैं तुझ से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर मैंने कहा: (अल्अनुक बिलअ़्नतिल्लाह) 'मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ।' लेकिन वह पीछे न हटा। तीन दफ़ा ऐसा हुआ। आख़िर मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की क़सम! अगर मेरे भाई हज़रत सुलैमान (عليه السلام) ने दुआ न की होती तो उसे सुतून से बाँध दिया जाता और सुबह अहले मदीना के बच्चे उससे खेलते।'

(1216) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 549.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मालूम हुआ कि शैतान पर लानत भेजना और उससे तअव्वुज़, ख़्वाह सेग़-ए-ख़िताब के साथ ही हो, नमाज़ को बातिल नहीं करता क्योंकि इससे मक़सूद ख़िताब नहीं होता बल्कि लानत वग़ैरह मक़सूद होती है। हाँ, अगर नमाज़ में जिन्नों से कलाम मक़सूद हो

तो नमाज़ बातिल हो जायेगी। **(2)** शैतान दरअस़ल नबी (ﷺ) को डराना चाहता था मगर उसे आपकी रूहानी क़ुव्वत का अन्दाज़ा न था। **(3)** हज़रत सुलैमान (عليه السلام) ने दुआ की थी: 'ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी हुकूमत अ़ता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को न मिले।' (स़ॉद: 38/35) इस हुकूमत की एक ख़ुसूसियत जिन्नों पर ग़ल्बा भी था। अगर नबी (ﷺ) उस जिन्न को पकड़ लेते और उसे सुतून से बाँध देते तो ये उनके इख़्तेसास़ और दुआ के मुनाफ़ी होता क्योंकि अल्लाह तआला सुलैमान(عليه السلام) की दुआ क़बूल फ़रमा चुका था। **(4)** मुमकिन है वह इन्सानी शक्ल में आया हो और आपके पकड़ने से वह आदमी की स़ूरत में रह जाता। तभी उसे बाँधा जाता और बच्चों के लिये शग़ल का मौक़ा फ़राहम होता वरना अस़ली स़ूरत में तो ये मुमकिन नहीं। **(5)** क़ैदी को मस्जिद में बाँधना जायज़ है।

बाब : (20)
नमाज़ में (मस्नून दुआओं के अलावा) कोई कलाम करना

باب : (٢٠)
الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

(1217) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुये। हम भी आपके साथ खड़े हुये। एक अ़राबी ने दौराने नमाज़ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इर्हम्नी ......) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद (ﷺ) पर रहम फ़रमा और हमारे अ़लावा किसी और पर रहम न फ़रमा।' जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा तो उस अ़राबी से फ़रमाया: 'तूने एक वसीअ़ चीज़ को तंग कर दिया।' आपका मक़सद था कि अल्लाह की रहमत तो बहुत वसीअ़ है।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(1217) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1139, 554.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आ़राबी का ये कलाम किसी इन्सान से कलाम नहीं था कि उससे नमाज़ में नुक़्स़ होता। ये मस्नून और मुक़र्ररा दुआओं में से नहीं है, इसी लिये बाब के उन्वान में क़ौसैन (ब्रेकिट) के ज़रिये से वज़ाहत की गई है। बाब का मक़सद ये है कि इस क़िस्म का कलाम अगरचे नमाज़ में मुनासिब

नहीं मगर चूंकि अल्लाह तआला ही से ख़िताब है, लिहाज़ा इससे नमाज़ बातिल न होगी। वैसे नमाज़ में मस्नून और मन्क़ूल दुआओं से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मुमकिन है अपनी तरफ़ से बनाई हूई दुआ दुरुस्त न हो। (2) दुआ जामेअ और वुस्अत की हामिल होनी चाहिए, चुनांचे ऐसी दुआ करना दुरुस्त नहीं जिसमें अल्लाह तआला के वसीअ फ़ज़्ल व करम को महदूद कर दिया जाये।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " .

(1218) हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) से रिवायत है कि एक आराबी मस्जिद में दाख़िल हुआ। उसने दो रकअतें पढ़ीं, फिर कहने लगा: (अल्लाहुम्मा! इर्हम्नी .....) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद(ﷺ) पर रहम फ़रमा। हमारे साथ किसी और पर रहम न फ़रमा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने एक वसीअ (कुशादा) चीज़ को तंग कर दिया।'

(1218) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 380, तिर्मिज़ी, हदीस: 147, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 555, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: 141 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'तूने एक वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' अल्लाह की रहमत इन्सान के वहम व गुमान में नहीं आ सकती। इसमें कोई तहदीद नहीं, लिहाज़ा माँगते वक़्त न शर्माना चाहिए न दिल छोटा करना चाहिए। इम्कान व अदमे इम्कान की बहस हमारे लिये है। अल्लाह तआला के सामने हर चीज़ हाज़िर और मौजूद है। इन्सान दिल खोल कर माँगे। अस्बाब का वजूद भी हक़ तआला के हाथ में है। वह ख़ुद मुहैया फ़रमायेगा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि साइल माँगने वाली शक्ल बनाये।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا

(1219) हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी(ﷻ) फ़रमाते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने जाहिलियत अभी ताज़ा ताज़ा छोड़ी है और अल्लाह तआला ने इस्लाम भेजा है। हममें से कुछ लोग बदशगूनी पकड़ते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये एक बे'हक़ीक़त चीज़ है जिसे वह अपने दिलों में महसूस करते हैं, लिहाज़ा ये उन्हें उनके काम काज से न रोके।'

حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ " . وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ " فَلاَ تَأْتُوهُمْ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ " . قَالَ وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَالَ " إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ " . قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتُ إِلَى غُنَيْمَةٍ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ وَإِنِّي

(मैंने कहा:) और हममें से कुछ लोग काहिनों के पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास मत जाया करो।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और हममें से कुछ लोग ख़त खींचते हैं। आपने फ़रमाया: 'नबीयों में से एक नबी (عليه السلام) ख़त खींचा करते थे। जो शख़्स उनके मुताबिक़ ख़त खींचे, वह तो ठीक है (और बाक़ी ग़लत)' मुआविया (رضي الله عنه) कहते हैं कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि एक आदमी को छींक आ गई। मैंने (यर्हमुकल्लाह) 'अल्लाह तआला तुझ पर रहम फ़रमाये' कह दिया। लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैंने (परेशान होकर) कहा: हाये! मेरी माँ मुझे गुम करे! (यानी मैं मर जाऊँ) तुम्हें क्या हुआ है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो? लोग (बेबसी से) अपने रानों पर हाथ मारने लगे (क्योंकि वह नमाज़ की वजह से बोल नहीं सकते थे।) जब मैंने महसूस किया कि वह मुझे चुप करा रहे हैं तो आख़िर मैं चुप हो गया। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मुझे बुलाया। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! आपने मुझे मारा, न झिड़का, न बुरा भला कहा। वल्लाह! (अल्लाह की क़सम) मैंने आपसे पहले या बाद कोई उस्ताद आपसे ज़्यादा अच्छे अन्दाज में तालीम देने वाला नहीं देखा। आपने (शफ़क़त से) फ़रमाया: 'हमारी इस नमाज़ में लोगों की किसी क़िस्म की बात करना जायज़ और दुरुस्त नहीं। नमाज़ तो सिर्फ़ तस्बीहात,

اطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ " ادْعُهَا " . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ " فَمَنْ أَنَا " . قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاعْتِقْهَا " .

तकबीरात और तिलावते क़ुर्आन का नाम है।' हज़रत मुआविया ने कहा: फिर एक दफ़ा मैं अपनी कुछ बकरियाँ देखने गया जिन्हें मेरी एक लौण्डी जबले उहुद और जव्वानिया की तरफ़ चराया करती थी। मैंने अच्छी तरह जायज़ा लिया तो पता चला कि एक बकरी को भेड़िया ले गया है, मैं भी औलादे आदम में से एक आदमी था, मुझे ग़ुस्सा आ गया जिस तरह लोगों को ग़ुस्सा आता है। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर (मुझे नदामत हुई तो) मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गया और आपको सारा वाक़िया बताया। आपने उसे मेरी बहुत बड़ी ग़लती क़रार दिया तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उसे आज़ाद ही न कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास बुलाओ।' (मैं उसे लाया तो) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'अल्लाह तआला कहाँ है?' उसने कहा: आसमान में (यानी ऊपर) आपने फ़रमाया: 'मैं कौन हूँ?' उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फ़रमाया: 'ये मोमिन औरत है, इसे आज़ाद कर दो।'

(1219) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 556, 1141.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जाहिलियत से मुराद इस्लाम से पहले के रिवाज हैं। उमूमन उनकी बुनियाद जहालत पर थी, लिहाज़ा उन्हें जाहिलियत कहा गया है। **(2)** 'बे'हक़ीक़त चीज़ है।' यानी उसकी कोई बुनियाद नहीं, सिर्फ़ उनका दिली वहम है। कुछ ने इस जुम्ले के ये मानी भी किये हैं कि 'ऐसे ख़्यालात तो दिल में आ ही जाया करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। हाँ, ऐसे ख़्यालात की बिना पर वह अपने काम काज से न रुकें।' **(3)** 'काहिन' ग़ैब की बातें, बताने वाले को कहा जाता है, ख़्वाह वह जिन्नों की मदद से बतायें या नुजूम व ख़ुतूत और लकीरों की मदद से या अटकल और ज़न व तख़मीन से। चूंकि उनकी बात

की स़ेहत यक़ीनी नहीं होती, लिहाज़ा उनसे पूछना और उनकी बात पर यक़ीन करना शरियते इस्लामिया में मना है। उनकी ग़लत बातें बसा औक़ात बाहमी ताल्लुक़ात की ख़राबी और फ़साद का मोजिब बनती हैं। अक़ीदा अलग ख़राब होता है, अलबत्ता कभी फ़रासत व ज़हानत की बिना पर स़ही नतीजे तक पहुँच जाने वाले को भी काहिन कह दिया जाता है, हालांकि ये मज़्मूम नहीं, ख़ुसूसन जब कि अल्लाह की बात दूसरे दलाइल से बिल्कुल स़ही स़ाबित हो जाये। जैसे हज़रत सुलैमान (ﷺ), हज़रत मुहम्मद (ﷺ), हज़रत उ़मर व अ़ली (رضي الله عنه) और क़ाज़ी शुरैह व इयास (رحمهما الله) वग़ैरह के वाक़ियात मशहूर हैं। लेकिन फ़रासत वाली बात भी उसी वक़्त स़ही होगी जब बाद में वह सही स़ाबित हो जाये वरना किसी स़ाहिबे फ़रासत की बात को आँखें बन्द करके तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल कहानत हराम है और उसे मानना भी, और कहानत की तरह बदशगूनी लेना भी हराम है। **(4)** 'एक नबी ख़त खींचा करते थे।- वल्लाहु आ़लम वह कैसे ख़त खींचते थे? क्या हिसाब था? कहीं स़राहत नहीं है, लिहाज़ा शरीयते इस्लामिया में ये क़तअ़न ममनूअ़ (मना) है। **(5)** 'नमाज़ में लोगों की किसी क़िस्म की बात करना दुरुस्त नहीं' मज़्कूर स़हाबी उस वक़्त इस मसले से वाक़िफ़ नहीं थे, लिहाज़ा उन्हें माज़ूर समझा और क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया वरना आपके अल्फ़ाज़ स़राहतन स़ाबित कर रहे हैं कि इस सूरत में नमाज़ न होगी। **(6)** 'जव्वानिया' मदीना मुनव्वरा के शिमाल में उहुद पहाड़ के क़रीब एक जगह का नाम है। **(7)** 'बड़ी ग़लती' क्योंकि वह लौण्डी भेड़िये के सामने बेबस थी और बेक़सूर थी। **(8)** 'आसमान में' मज़्कूरा हदीस़ से मालूम हुआ कि किसी से पूछा जा सकता है, अल्लाह तआ़ला कहाँ है? और जवाब में आसमान या अ़र्श का नाम लिया जा सकता है। इससे अल्लाह तआ़ला की कोई तौहीन नहीं होगी। इसी तरह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ऊपर को इशारा किया जा सकता है। उसके अ़र्श पर मुस्तवी होने को बयान किया जा सकता है इससे अल्लाह तआ़ला न तो किसी जगह का मोहताज हो जायेगा न इसमें मुक़य्यद क़ुर्आन मजीद और अहादीस़े स़हीहा में इसके नज़ाइर मौजूद हैं, जैसे: इरशादे बारी है: (अम् अमिन्तुम मन फ़िस्समाइ) (अलमुल्क: 67/17) इसी तरह (अर्रहमानु अ़लल अ़र्शिस्तवा) (ताहा: 20/5) और हदीस़ शरीफ़ में है: (इर्हमू अह्लल अर्ज़ि यर्हमुकुम मन फ़िस्समाइ) (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4941) कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआ़ला की फ़िक्र अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) से भी बढ़ कर है, इस क़िस्म की इबारात को अल्लाह तआ़ला के हक़ में जायज़ नहीं समझते मगर ये उनकी बेइल्मी है। इन मसाइल में सलफ़ स़ालेहीन (स़हाबा व ताबेईन) और मुहद्दिस़ीन का मस्लक ही स़ही है कि अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात जो क़ुर्आन मजीद और अहादीस़े स़हीहा व स़रीहा से स़ाबित हैं, उन्हें बिला झिझक माना जाये, बोला जाये और किसी क़िस्म की तावील न की जाये, न इनमें बहस़ की जाये क्योंकि ये चीज़ें इन्सान की अ़क़्ल से मावरा हैं। इनकी हक़ीक़त अल्लाह (عزوجل) के सुपुर्द कर दी जाये। तश्बीह दी जाये न इन्कार किया जाये, बल्कि क़यामत का इन्तेज़ार किया जाये कि उस दिन हर चीज़

वाज़ेह हो जायेगी, आँखों के सामने होगी, कहीं उस दिन नदामत न हो। **(9)** 'ये मोमिना औरत है।' मालूम होता है कि अगर किसी कफ़्फ़ारा वग़ैरह में ग़ुलाम आज़ाद करना हो तो वह मोमिन होना चाहिए। क़ुर्आन मजीद में भी कुछ मक़ामात पर क़ैद है: (तहरीरू रक़बतिम् मूमिनतिन) (अन्निसा: 4/92) बाक़ी मक़ामात पर भी ये क़ैद मोतबर होगी। नफ़्ल आज़ादी में भी मोमिन को आज़ाद करना अफ़ज़ल है, ज़रूरी नहीं। **(10)** ख़ादिमों और मुलाज़िमों के साथ नर्मी व शफ़क़त से पेश आना चाहिए अगर कभी कभार सख़्ती हो जाये तो उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلاَةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ .

(1220) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के (इब्तेदाई) दौर में लोग नमाज़ में अपने साथी से ज़रूरत की बात कर लेते थे यहाँ तक कि ये आयत उतरी: (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन) 'तुम सब नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और ख़ास तौर पर अफ़ज़ल नमाज़ की और अल्लाह के सामने फ़रमांबरदार होकर खड़े रहो।' तो हमें (इस क़िस्म की बातों से) ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया।

(1220) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4534, व मुस्लिम, हदीस: 539, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 557.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़रूरत की बात' जैसे: सलाम का जवाब, छींक पर दुआ, नमाज़ से मुतअल्लिक़ा वज़ाहत वग़ैरह, न कि घरेलू बातें या कारोबारी बातें। **(2)** 'अफ़ज़ल नमाज़' हदीस: 473 में गुज़र चुका है कि इससे मुराद अस्र की नमाज़ हैं इसके मुताल्लिक़ और अक़वाल भी हैं मगर राजेह क़ौल यही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/187-162, हदीस: 473) **(3)** 'ख़ामोश रहने का हुक्म' यानी अपने साथी से बातें करने से, न कि मुत्लक़न कि अज़्कार व औराद या क़िराअते फ़ातिहा भी ममनूअ हो जायें। ऐसी तो कोई नमाज़ ही नहीं जिसमें कुछ न पढ़ा जाये और मुकम्मल ख़ामोशी हो। हाँ! जमाअत की सूरत में जहर (ज़ोर) से रोका गया है। **(4)** शरीयत में नस्ख़ साबित है। **(5)** कलाम किसी भी क़िस्म का हो उससे नमाज़ बातिल हो जाती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، -وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ - قَالَ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَىَّ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - يَعْنِي - أَحْدَثَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " .

(1221) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास आया करता था जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते। मैं आप को सलाम कहता तो आप मुझे सलाम का जवाब दे दिया करते थे। एक दिन मैं आया और आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जब आपने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ़ इशारा किया और फ़रमाया: '(ऐ लोगो!) अल्लाह तआला ने नमाज़ के बारे में एक नया हुक्म जारी किया है कि तुम (नमाज़ में) अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ के मुनासिब अल्फ़ाज़ के अलावा कोई कलाम न करो और अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी और सुकून से खड़े रहो।'

(1221) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 558, अब्दुल बर्र फ़ी तम्हीद: 1/355.

फ़ायदा : इस हदीस को इमाम सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) से उनके दो शागिर्द इब्ने अबी ग़निया (यहया बिन अब्दुल मलिक) और क़ासिम बिन यज़ीद बयान करते हैं लेकिन इस हदीस के अल्फ़ाज़ क़ासिम बिन यज़ीद के हैं, इब्ने ग़निया इस हदीस को बिल मानी रिवायत करते हैं।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ "

(1222) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम (पहले पहल) नबी (ﷺ) को (नमाज़ की हालत में) सलाम कर दिया करते थे और आप जवाब भी दे दिया करते थे यहाँ तक कि हम हब्शा के इलाक़े से वापस आये तो मैंने आपको (नमाज़ की हालत में) सलाम किया। आपने मुझे जवाब न दिया। मुझे तो क़रीब और दूर की सोचें आने लगीं (कि जवाब न देने की क्या वजह हो सकती है?) मैं बैठ गया यहाँ तक

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ " .

कि जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जो चाहता है, नया हुक्म जारी फ़रमाता है और अल्लाह तआला ने ये नया हुक्म जारी किया है कि नमाज़ में बात चीत न की जाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 924, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 559, बुख़ारी, ह: 7522.

باب (٢١): مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

बाब : (21) जो आदमी भूल कर दो रकअतों से खड़ा हो जाये और तशह्हुद न बैठे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

(1223) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहैना (ﷺ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो रकअतें पढ़ाईं, फिर उठ खड़े हुये, बैठे नहीं। लोग भी आपके साथ खड़े हो गये। जब आपने नमाज़ मुकम्मल फ़रमा ली और हम आपके सलाम के इन्तेज़ार में थे तो आपने अल्लाहु अकबर कह कर दो सज्दे किये जब कि आप सलाम से पहले बैठे थे। फिर आपने सलाम फेरा।

(1223) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 600.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .

(1224) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहैना से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में (दो रकअतों के बाद) खड़े हो गये, हालांकि आपने बैठना था तो आपने (आख़िर में) सलाम से पहले बैठे बैठे दो सज्दे किये।

(1224) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1146.

फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस में सुजूदे सहव सलाम से पहले करने का ज़िक्र है लेकिन अहले इल्म का इस मसले की बाबत दीगर अहादीस में मुख़्तलिफ़ तरीक़े बयान होने की वजह से इख़्तेलाफ़ है। इमाम शौकानी (رحمه الله) ने इस मसले के मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं जिसकी तफ़्सील इसी किताब के इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है।

बाब : (22) जो आदमी भूल कर दो रकअतों के बाद सलाम फेर दे और बातें भी कर ले तो क्या करे?

باب (٢٢): مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

(1225) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हमें ज़ुहर और अस्र में से कोई एक नमाज़ पढ़ाई। लेकिन मैं भूल गया कि वह कौन सी थी? आप (ﷺ) ने हमें दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद में रखी हुई एक लकड़ी की तरफ़ गये और अपना हाथ उस पर रख लिया। यूँ लगता था जैसे आप ग़ुस्से में हों। कुछ जल्दबाज़ लोग मस्जिद के दरवाज़ों से निकल भी गये और कहने लगे: नमाज़ कम हो गई। लोगों (नमाज़ियों) में अबू बक्र और उमर(رضي الله عنه) भी शामिल थे मगर आपसे (इस मसले में) बात चीत करने से वह भी डरे रहे। लोगों में एक लम्बे हाथों वाला शख़्स था जिसे ज़ूल्यदैन (लम्बे हाथों वाला) कहा जाता था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भूल गये या नमाज़ कम हो गई? आपने फ़रमाया: 'मैं भूला हूँ न नमाज़ कम हुई है।' (ज़ूल्यदैन ने कहा: एक काम तो ज़रूर हुआ है।) आपने (लोगों से) पूछा: 'क्या बात इसी तरह है जैसे ज़ूल्यदैन कहता है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आप (मुसल्ले

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ . قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ - قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلاَةُ " . قَالَ وَقَالَ " أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ " . قَالُوا نَعَمْ . فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ

تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ .

पर) तशरीफ़ लाये और जो नमाज़ बाक़ी रह गई थी, पढ़ाई, फिर सलाम फेरा और अल्लाहु अकबर कहा और आम सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर दूसरा सज्दा किया, आम सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया और अल्लाहु अकबर कहा।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 482, व मुस्लिम, ह: 573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1147.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मैं भूल गया' ये भूलने वाले हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हैं या उनके शागिर्द मुहम्मद बिन सीरीन (ﷺ) **(2)** 'गुस्से में' दरअसल ये आपकी तबअे लतीफ़ (नर्म मिज़ाजी) पर नमाज़ के सहव का असर था जिसे गुस्सा ख़्याल किया गया। **(3)** 'डरे रहे' अल्लाह! अल्लाह! क्या कहने आपके रौब के कि आपके बे'तकल्लुफ़ और क़रीब तरीन दोस्त बल्कि यारे ग़ार भी आपसे डर रहे हैं। दरअसल वह आपके मक़ाम व मर्तबे से पूरी तरह आगाह थे। इसलिये दोस्ती और बे'तकल्लुफ़ी के बावजूद भी आपके एहतिराम को मल्हूज़ रखते थे। वह जितने ज़्यादा क़रीबी थे उतना ही ज़्यादा आपके अदब व एहतिराम का ख़्याल करते थे। **(4)** हज़रत ज़ुल्यदैन और दीगर सहाब-ए-किराम(ﷺ) का रसूले अकरम (ﷺ) से बातें करना जब कि अभी कुछ नमाज़ बाक़ी थी, दलील है कि नमाज़ को मुकम्मल समझ कर कलाम या कोई और अमल करना माफ़ है। नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। आख़िर में सुजूदे सहव काफ़ी हैं। अहनाफ़ ऐसी सूरत में नमाज़ नये सिरे से पढ़ने के क़ाइल हैं और इस हदीस को इब्तेदाई दौर से मुताल्लिक़ बताते हैं जब कलाम (नमाज़ में) मना नहीं था, हालांकि इस हदीस के रावी अबू हुरैरह (ﷺ) हैं जो इस नमाज़ में मुक़्तदी भी थे और उनका इस्लाम 7 हिजरी का है जब कि कलाम की हुरमत तो बहुत इब्तेदाई दौर की बात है। **(5)** इन्सान होने के लिहाज़ से नबी (ﷺ) को भी निस्यान लाहिक़ हो सकता है जिस तरह दूसरे इन्सानी अवारिज़, जैसे: बीमारी वग़ैरह। अल्लाह तआला ने न भूलने की ज़मानत क़ुर्आन मजीद के बारे में दी है। वैसे वहाँ भी (इल्ला माशाअल्लाह) की सराहत है। **(6)** ये सज्दे आपने सलाम के बाद अदा किये हैं। गोया सज्द-ए-सहव सलाम के बाद भी हो सकता है और पहले भी। जिसकी तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। **(7)** जब वाक़िया सिक़ात की एक मज्लिस का हो और आदतन सभी का ग़ाफ़िल होना मुहाल हो और उनमें से एक सिक़ा दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा बयान करे तो उस अकेले की बात क़बूल नहीं करनी चाहिए जब

तक कि उसकी दीगर हमनशीन तस्दीक़ न कर दे। (8) इस हदीस़ से इस्तेस़हाब पर अ़मल का जवाज़ स़ाबित होता है। इस्तेस़हाब का मतलब है पहले से मौजूद हुक्म पर स़ाबित रहना ता'वक़्त ये कि कोई नया हुक्म आ जाये जो पहले हुक्म को तब्दील या मन्सूख़ कर दें ज़ूल्यदैन ने इसी बिना पर सवाल किया, बावजूद इसके कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का अ़मल एक शरई हैसियत रखता है और अस़ल अ़दमे सह्व है और नस्ख़ भी मुमकिन था। बाक़ी स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) जो ख़ामोश रहे, वह पहले के हुक्म के बारे में मुतरद्दिद थे कि आया वह मन्सूख़ हो गया है या कि नहीं। और जो स़हाबा जल्दी चले गये उन्होंने यक़ीनी तौर पर समझ लिया कि पहला हुक्म मन्सूख़ हो गया है और नमाज़ कम हो गई है। इससे अहकामे शरईया में इज्तेहाद का जवाज़ स़ाबित होता है। (9) नमाज़ में कई बार भूलने की वजह से मुतअ़द्दिद दफ़ा सुजूदे सह्व करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक ही दफ़ा काफ़ी हैं तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

(1226) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रकअ़तों पर सलाम फेर दिया तो ज़ूल्यदैन ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या ज़ूल्यदैन स़ही कहता है?' लोगों ने कहा: जी हाँ। आप (ﷺ) उठे और दो रकअ़तें मज़ीद पढ़ाईं, फिर सलाम फेरा। फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपने आ़म सज्दे की तरह या उससे लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर अपने आ़म सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा सज्दा फ़रमाया, फिर सर उठाया।

(1226) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 714, मुस्लिम, हदीस़: 573, मौता: 1/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1148.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ صَلَّى

(1227) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअ़तों पर सलाम फेर दिया।

بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ " . فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

ज़ूल्यदैन उठ खड़े हुये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कुछ भी नहीं हुआ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ तो हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या ज़ूल्यदैन ने दुरुस्त कहा है?' लोगों ने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाक़ी मान्दा नमाज़ मुकम्मल की, फिर सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे दो सज्दे किये।

(1227) **तख़रीज : (सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 573/99, देखें हदीस़: 1225, मौता: 1/94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1149.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(1228) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ की दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। लोगों ने कहा: क्या नमाज़ कम हो गई? आप उठे और दो रकअतें मज़ीद पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किये।

(1228) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 715, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1150, मुस्लिम, हदीस़: 573, देखें हदीस़: 1225.

फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) भूल गये थे कि कौन सी नमाज़ थी, ज़ुहर या अस्र? इसलिये कहीं ज़ुहर कहा, कहीं अस्र। मगर इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि दोनों नमाज़ें एक जैसी हैं।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي

(1229) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन नमाज़ पढ़ी और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया और उठ

أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ " لَمْ تُنْقَصِ الصَّلاَةُ وَلَمْ أَنْسَ " . قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . قَالُوا نَعَمْ . فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ.

कर चले गये तो ज़ूशिमालैन (ﷺ) आप को जा कर मिले और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? आपने फ़रमाया: 'नमाज़ कम हूई है न मैं भूला हूँ।' उसने कहा: क्यूँ नहीं (कुछ तो हुआ है।) क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (लोगों से मुख़ातिब होकर) फ़रमाया: 'क्या ज़ूल्यदैन दुरुस्त कह रहा है?' लोगों ने कहा: हाँ। तो आपने लोगों को दो रकअ़तें मज़ीद पढ़ाईं।

(1229) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शोबा: 2/37, तहावी फ़ी मानी अल आसार: 1/445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 561, 1151.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ . فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . قَالُوا نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ .

(1230) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भूल गये और दो रकअ़तों पर सलाम फेर दिया तो ज़ूशिमालैन ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों से पूछा: 'क्या ज़ूल्यदैन दुरुस्त कह रहा है?' उन्होंने कहा: हाँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये और नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1045, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 564, बुख़ारी, ह: 1227.

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि अबू हुरैरह (ﷺ) इस वाक़िये में हाज़िर थे जबकि इमाम तहावी (رحمه الله) ने इसे मजाज़ पर महमूल किया है। वह फ़रमाते हैं कि अबू हुरैरह (ﷺ) के इस क़ौल 'हमें नमाज़ पढ़ाई' का मतलब है कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाई। उनकी इस तौजीह की वजह इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) का ये क़ौल है कि साहिबे क़िस्सा

ज़ूश्शिमालैन बद्र के दिन शहीद हो गये थे, लिहाज़ा ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-बद्र से पहले का है जबकि अबू हुरैरह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-बद्र के पाँच साल बाद इस्लाम लाये। लेकिन अइम्म-ए-हदीस़ का इत्तेफ़ाक़ है कि इसमें इमाम ज़ोहरी (ﷺ) को वहम हुआ है जैसा कि इब्ने अ़ब्दुल बर्र वग़ैरह ने ये क़ौल नक़ल किया है, वह इसे ज़ूश्शिमालैन का क़िस्सा क़रार देते हैं लेकिन ज़ूश्शिमालैन तो बद्र के दिन शहीद हो गये थे, उनका ताल्लुक़ बनू ख़ुज़ाअ से था और उनका नाम उ़मैर बिन अ़ब्दे अ़म्र था और ज़ूल्यदैन बनू सुलैम के फ़र्द थे, उनका नाम ख़िरबाक़ था और वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के बाद लम्बा अ़र्सा हयात रहे। स़हीह मुस्लिम में अबू सलमा के वास्ते से अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायात के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'बनू सुलैम का एक आदमी खड़ा हुआ।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 573) और ज़ोहरी के वास्ते से अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'ज़ूश्शिमालैन खड़ा हुआ।' हालांकि वह जंगे बद्र में शहीद कर दिये गये थे। इसी वजह से उन्होंने इसे जंगे बद्र से पहले का वाक़िया क़रार दिया है।

कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि ये दो वाक़िआत हैं: पहला ज़ूश्शिमालैन (उ़मैर बिन अ़ब्दे अ़म्र) और दूसरा ज़ूल्यदैन (ख़िरबाक़) का। पहले वाक़िये को अबू हुरैरह (ﷺ) ने मुर्सल बयान किया है और दूसरे में वह ख़ुद हाज़िर था। जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर इसका भी एहतिमाल है। और इसके मुताल्लिक़ एक क़ौल ये भी है कि इस इश्तेबाह की वजह ये है कि आप कभी ज़ुश्शिमालैन को ज़ूल्यदैन कह लेते थे और कभी ज़ूल्यदैन को ज़ूश्शिमालैन कह लेते थे। लेकिन इस क़ौल की बुनियाद कमज़ोर है, और इमाम तहावी (ﷺ) का इसे मजाज़ पर महमूल करना दुरुस्त मालूम नहीं होता क्योंकि स़हीह मुस्लिम में अबू हुरैरह (ﷺ) के स़रीह अल्फ़ाज़ मन्क़ूल हैं: 'एक दफ़ा मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी ....' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 573) और किबारे मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि ज़ूश्शिमालैन (ﷺ) ज़ूल्यदैन (ﷺ) के अलावा दूसरे आदमी हैं। इसी बात की स़राहत इमाम शाफ़ेई (ﷺ) ने 'इख़्तिलाफ़ुल हदीस़' में की है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक राजेह यही है कि ये एक ही वाक़िया है अगरचे अल्फ़ाज़ के मुख़्तलिफ़ होने की वजह से इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह का रुझान मुतअ़द्दिद (कई) वाक़िआत की तरफ़ है क्योंकि अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत में है कि आपने दो रकअ़तों के बाद सलाम फेरा, फिर मस्जिद में एक लकड़ी की तरफ़ खड़े हो गये और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) की रिवायत में है कि आपने तीन रकअ़तों के बाद सलाम फेरा, फिर आप घर चले गये। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/136, 131, 132, हदीस़: 1227, 1229)

(1231) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर या अ़स्र की

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي، بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. وَانْصَرَفَ . فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو أَنُقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَقَالُوا صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ .

नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया और उठ कर चल दिये तो ज़ूशिमालैन बिन अम्र(ﷺ) ने आपसे कहा: क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ूल्यदैन क्या कहता है?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सच कहता है। आपने फिर वह दो रकअतें मुकम्मल फ़रमाईं जो रह गई थीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/271, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 565, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2/296, 297, हदीस: 3441.

फ़ायदा : इस रिवायत में दो ग़लतियाँ हैं। एक तो ज़ूशिमालैन बिन अब्दे अम्र होना चाहिए दूसरे इस ज़ूशिमालैन का ज़िक्र रावी की ग़लती और शुज़ूज़ है। ये तो बद्र में शहीद होने वाले ज़ूशिमालैन हैं जो इस वाक़िये से बहुत पहले के हैं।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

(1232) हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान बिन अबू हस्मा ने इब्ने शिहाब को बताया कि मुझे ये ख़बर पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं (और सलाम फेर दिया) तो ज़ूशिमालैन ने आपसे गुज़ारिश की। (बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ है) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी बयान करते हैं कि मुझे ये रिवायत हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान फ़रमाई, और मुझे ये रिवायत हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान, अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने भी बयान फ़रमाई।

(1232) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1013, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 566.

वज़ाहत : ऊपर दर्ज किया गया वाक़िया हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है जैसा कि साबिक़ा अहादीस़ से स़ाफ़ मालूम हो रहा है। मगर इस रिवायत (1232) में हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का नाम स़राहतन ज़िक्र नहीं किया बल्कि फ़रमाया: मुझे ये वाक़िया पहुंचा है, वास्ते का ज़िक्र नहीं किया, जब कि साबिक़ा हदीस़ में उन्होंने वाक़िया हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का नाम लेकर बयान किया है। इससे रिवायत की इस्नादी हैसियत में फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि एक जगह ज़िक्र न करना दूसरी जगह ज़िक्र करने के मुख़ालिफ़ नहीं। इमाम नसाई (رحمه الله) का इस रिवायत को ज़िक्र करने का मक़सद इमाम ज़ोहरी पर रिवायत के मुत्तस़िल व मुर्सल होने के इख़्तिलाफ़ को बयान करना है। वल्लाहु आलम!

बाब : (23)
सुजूदे सहव की अदायगी के बारे में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (٢٣)
ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ .

(1233) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस दिन न सलाम से पहले सज्दे किये न बाद में।

(1233) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 568, देखें, हदीस़: 1207.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ

(1234) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने ज़ुल्यदैन वाले वाक़िये के दिन सलाम के बाद दो सज्दे किये।

(1234) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 571.

(1235) (इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं:) हमें ये रिवायत अम्र बिन सव्वाद बिन अस्वद ने इब्ने वहब से, उन्होंने अम्र बिन हारिस से, उन्होंने क़तादा अन मुहम्मद बिन सीरीन अन अबी हुरैरह अन रसूलिल्लाह (ﷺ) की सनद से भी इसी तरह बयान फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(1235) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 572. पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : हदीस: 1233, जिसमें सज्द-ए-सह्व न करने का ज़िक्र है, ज़ईफ़ है। अइम्म-ए-हुफ़्फ़ाज़ ने इसे इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) का अपना कलाम क़रार दिया है। सही रिवायत में सज्द-ए-सह्व का ज़िक्र है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 15/5-7)

(1236) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने सह्व के (उस) वाक़िये में सलाम के बाद सज्दे किये।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي وَهْمِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1039, तिर्मिज़ी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1159, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1062, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 536, वल हाकिम: 1/323.

(1237) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। आपको सह्व हो गया। आपने दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1039, तिर्मिज़ी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1159, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1062, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: 1/323.

फ़ायदा : इस हदीस़ में सह्व की स़राहत नहीं कि कौन सा था? तशह्हुद वाला या दो रकअतों वाला? पहली सूरत में दो सज्दे सलाम से पहले और दूसरी सूरत में सलाम के बाद किये जायेंगे। रिवायात में स़राहत है, मुबहम रिवायत को स़रीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा।

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ يَعْنِي نَقَصَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ " أَصَدَقَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ .

(1238) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷻ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक दफ़ा) अस्र की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर दिया। फिर अपने घर में दाख़िल हो गये। एक आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा। उसका नाम ख़िरबाक़ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ कम हो गई? आप ग़ुस्से में अपनी ऊपर वाली चादर घसीटते हुये बाहर निकले और फ़रमाया: 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने कहा: हाँ। आप मुस़ल्ले पर खड़े हुये और रह जाने वाली रकअत पढ़ाई। फिर सलाम फेरा। फिर सह्व के दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा।

(1238) तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 576.

फ़ायदा : मुस़न्निफ़ (ﷺ) का अन्दाज़ ज़ाहिर कर रहा है कि वह इस रिवायत के वाक़िये को हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) वाली रिवायत वाला वाक़िया ही समझ रहे हैं। मगर दोनों की तफ़्सीलात में कुछ इख़्तिलाफ़ है। पहली रिवायात में दो रकअत पर सलाम का ज़िक्र है। इस रिवायत में तीन रकआत पर सलाम मन्क़ूल है। पहली रिवायत के मुताबिक़ आप मस्जिद ही में रहे, घर नहीं गये। इस रिवायत के मुताबिक़ आप घर चले गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) का रुझान इस तरफ़ है कि ये एक ही वाक़िया है जैसा कि पीछे ज़िक्र हुआ। और इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) वग़ैरह के नज़दीक ये मुख़्तलिफ़ वाक़िआत हैं क्योंकि रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम!

باب: (٢٤)
إِتْمَامِ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ

बाब : (24)
नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी याददाश्त के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल करे

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .

(1239) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह शक दूर करे और यक़ीन पर बुनियाद रखे (यानी यक़ीन के मुताबिक़ नमाज़ जारी रखे) जब उसे नमाज़ मुकम्मल होने का यक़ीन हो जाये तो बैठा बैठा दो सज्दे करे। अगर उसने पाँच (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये दो सज्दे उसकी नमाज़ को जुफ़्त बना देंगे। और अगर उसने चार (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये दो सज्दे शैतान को ज़लील करने का सबब बनेंगे।'

(1239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1161.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शक दूर करे।' अगर तीन और चार में शक हो तो तीन समझे क्योंकि कम का यक़ीन और ज़्यादा में शक होता है। (2) 'जुफ़्त बना देंगे।' यानी दो सज्दे एक रकअत के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगे और पाँचवीं रकअत से मिल कर दो नफ़्ल बन जायेंगे और पहली चार रकअतें फ़र्ज़ होंगी, अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक इस सूरत में ज़रूरी है कि हर उस रकअत के बाद बैठ कर तशह्हुद पढ़े जिसका चौथी होना मुमकिन हो, यानी आख़री और इससे पहली दोनों में बैठे और तशह्हुद पढ़े वरना सारी नमाज़ नफ़्ल हो जायेगी। मुहद्दिसीन और जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वह चौथी को तीसरी समझ कर सीधा उठ खड़ा हुआ हो और शक बाद में पड़ा हो। इस सूरत में आख़री से पहली में बैठने का इम्कान ही नहीं। और अक्सर ऐसे ही होता है, लिहाज़ा अहनाफ़ का क़ौल ग़ैर ज़रूरी तशद्दुद है जिसकी दलील सुन्नत से नहीं मिलती, सिर्फ़ क़यास के ज़ोर से इतना सख़्त फ़तवा नहीं देना चाहिए। (3) 'शैतान की रूस्वाई और ज़िल्लत' क्योंकि सह्व शैतान की कोशिशों ही से हुआ था मगर नमाज़ी ने मज़ीद दो सज्दे किये। गोया शैतान का

वस्वसा नमाज़ी के लिये दो सज्दों के इज़ाफ़े का ज़रिया बन गया जब कि सज्दे के इन्कार ही से शैतान रान्द-ए-दरगाह हुआ था, लिहाज़ा उसका रुस्वा और ज़लील होना लाज़मी अम्र है। शायद इसी नुक्ते की बिना पर सह्व का तदारुक सज्दे से मशरूअ किया गया है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .

(1240) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को पता न चले कि उसने तीन (रकआत) पढ़ी हैं या चार? तो वह एक रकअत मज़ीद पढ़ कर बैठे बैठे दो सज्दे करे। अगर उसने पाँच (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये सज्दे उसकी नमाज़ को जुफ़्त बना देंगे और अगर चार पढ़ी हैं तो ये शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे।'

(1240) तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1162.

باب:(٢٥) التَّحَرِّي

बाब : (25) (शक की सूरत में सही तादाद जानने की) जुस्तजू करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيُتِمَّهُ ثُمَّ - يَعْنِي - يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " . وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ .

(1241) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो उसे सही सूरते हाल जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करे, फिर दो सज्दे करे।'

(इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) मैं इस रिवायत के कुछ अल्फ़ाज़ (अपने उस्तादे गिरामी से) उस तरह नहीं समझ सका जिस तरह मेरी ख़्वाहिश थी।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 401, मुस्लिम, हदीस: 572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1163.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया कुछ अल्फ़ाज़ सही तरह समझ में नहीं आये, इसलिये इमाम साहिब ने हदीस: 1242 में यही रिवायत एक और उस्ताद के वास्ते से बयान की ताकि वह शक दूर हो जाये और रिवायत मुस्तनद बन जाये। **(2)** पिछली रिवायत में मुत्लक़न 'अक़ल्लन' पर ऐतमाद करने का हुक्म था मगर इस रिवायत में मज़ीद सराहत है कि वह सोचे कौन सी बात सही है? अगर किसी एक बात पर यक़ीन हो जाये तो दुरुस्त वरना अक़ल्लन (कम) पर ऐतमाद किया जायेगा क्योंकि वह क़तअन यक़ीनी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ " .

(1242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह सही बात जानने की कोशिश करे और फ़ारिग़ होने के बाद दो सज्दे करे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 572, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1164.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ " لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

(1243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक नमाज़ पढ़ी जिसमें आपसे ज़्यादती या कमी हो गई। जब आपने सलाम फेरा तो आपसे पूछा गया: क्या नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने फ़रमाया: 'अगर नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आया होता तो मैं तुम्हें बता देता। लेकिन मैं भी एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। जिस आदमी को भी अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह देखे कौन सी बात सेहत के ज़्यादा क़रीब है। फिर उसके मुताबिक़ अपनी नमाज़ मुकम्मल करे। फिर सलाम फेरे और (सह्व के) दो सज्दे करे।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1165.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आगे आ रहा है कि नमाज़ में आपसे इज़ाफ़ा हो गया था, यानी ज़ुहर की नमाज़ पाँच रकअ़त पढ़ी गई थी। (2) अगर सज्द-ए-सह्व सलाम के बाद हो तो वह सलाम दोनों तरफ़ होना चाहिए, न कि एक तरफ़ जैसा कि अहनाफ़ का उमूमी रिवाज है क्योंकि मुत्लक़ सलाम का लफ़्ज़ दो सलाम पर ही महमूल होगा जो कि नमाज़ में मशरूअ़ व मअ़हूद हैं। मुहक़्क़िक़ीन अहनाफ़ इसी के क़ाइल हैं। (3) जब लोग कोई नई चीज़ देखें तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में कोई हर्ज नहीं और इमाम या हाकिम को भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि ख़ुश दिली से उसका जवाब देना चाहिए।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ لأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ " .

(1244) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई नमाज़ पढ़ी। उसमें आपसे ज़्यादती या कमी हो गई। जब आपने सलाम फेरा तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने फ़रमाया: 'क्या हुआ?' हमने आपसे पूरी बात ज़िक्र की। आपने अपना पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और सह्व के दो सज्दे किये। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'अगर नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आ जाता तो मैं तुम्हें बतला देता।' फिर फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान हूँ, भूल सकता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो, लिहाज़ा जिस आदमी को अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये, वह सही सूरते हाल जानने की कोशिश करे। फिर सलाम फेर दे फिर सह्व के दो सज्दे करे।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, (देखें हदीस: 1241), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 581, 1166.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपसे दरअसल नमाज़े ज़ुहर में इज़ाफ़ा हो गया था। इज़ाफ़े की सूरत में सुजूदे सह्व की मज़्कूरा सूरत पर अमल होगा। (2) जब नमाज़ में शक पड़ जाये तो आदमी को हक़ीक़ते हाल मालूम करने के लिये ग़ौरो-फ़िक्र करना चाहिए, इससे नमाज़ ख़राब नहीं होती। (3)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह के पैग़ामात को मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। आप पर जब भी कोई नई वह्य आती तो आप फ़ौरन सहाब-ए-किराम (ﷺ) को उससे आगाह फ़रमा देते थे, लिहाज़ा जो चीज़ उस वक़्त दीन थी, आज भी वही दीन है, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثٌ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . فَأَخْبَرُوهُ بِصَنِيعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي " . وَقَالَ " لَوْ كَانَ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ " . وَقَالَ " إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

(1245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई (आपसे एक रकअत ज़्यादा पढ़ी गई) फिर आपने अपना चेहरा लोगों की तरफ़ फ़रमाया तो लोगों ने कहा: क्या नमाज़ में कोई तब्दीली आ गई है? आपने फ़रमाया: 'क्या हुआ?' तो उन्होंने आपको पूरी बात बताई। आपने अपना पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा, फिर उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो। जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। अगर नमाज़ के बारे में कोई तब्दीली हुई होती तो मैं तुम्हें बता देता।' और फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को नमाज़ में वहम पड़ जाये तो वह बहुत ज़्यादा दुरुस्त बात मालूम करे और उसके हिसाब से नमाज़ मुकम्मल करे, फिर दो सज्दे करे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 1241), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1167.

फ़ायदा : 'मुझे याद दिला दिया करो।' मालूम होता है कि जब आप पाँचवीं रकअत के लिये (भूल कर) उठे तो सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने आपको मुतनब्बा नहीं किया। उन्होंने ख़याल किया कि शायद नमाज़ में इज़ाफ़े का हुक्म आ गया है, हालांकि ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) पहले मुत्तलअ फ़रमा देते।

(1246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि जिसे नमाज़ में वहम हो जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर नमाज़ मुकम्मल करने के बाद बेठे बैठे दो सज्दे करे।

(1246) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1168.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ .

(1247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जिसे (नमाज़ में) शक या वहम पड़ जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर दो सज्दे करे।

(1247) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1169.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

(1248) हज़रत इब्राहीम नख़ई (رحمه الله) बयान करते हैं कि लोग (सहाब-ए-किराम) कहते थे कि जब नमाज़ी को वहम हो जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर दो सज्दे करे।

तख़रीज : (सनद सही मक़तूअ) इब्ने अबी शैबा, हदीस: 2/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1170.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

(1249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को नमाज़ में शक हो तो वह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।'

(1249) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1033, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1171, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1033, बैहक़ी: 2/336.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "

(1250) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।'

(1250) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1172.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

(1251) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी नमाज़ में शक करे तो वह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।'

(1251) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1173.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، - هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . قَالَ حَجَّاجٌ " بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " . وَقَالَ رَوْحٌ " وَهُوَ جَالِسٌ " .

(1252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो वह सलाम के बाद बैठे बैठे दो सज्दे करे।'

(1252) तख़रीज : (सनद हसन) देखें हदीस: 1249, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1174.

फ़ायदा : हदीस: 1246 से 1252 तक रिवायात मुख़्तसर हैं। इनका सही मफ़हूम समझने के लिये इनसे ऊपर वाली तफ़्सीली रिवायात से मदद ली जाये, यानी शक की सूरत में सही बात जानने या 'अक़ल्लन' (कम) पर ऐतमाद करने के बाद नमाज़ मुकम्मल करें फिर सलाम फेरने के बाद सहव के

दो सज्दे करे और सलाम फेर दे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) नमाज़ ज़्यादा पढ़ी जाने की सूरत में सिर्फ़ दो सज्दे काफ़ी हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " .

(1253) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शैतान आकर उस पर उसकी नमाज़ मुश्तबा कर देता है यहाँ तक कि उसे पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़्स ये सूरते हाल पाये तो (यक़ीन के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल करके सलाम फेरे और) बैठे बैठे दो सज्दे करे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 389, 569, बुख़ारी, हदीस: 1232, मौता: 1/100, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1176.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "

(1254) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के लिये अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज मारता हुआ भाग जाता है। जब इक़ामत पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है यहाँ तक कि नमाज़ी और उसके दिल के दरम्यान हाइल हो जाता है यहाँ तक कि उसे पता नहीं चलता कि मैंने कितनी नमाज़ पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़्स ये सूरते हाल देखे (महसूस करे) तो (नमाज़ यक़ीन के मुताबिक़ मुकम्मल करने के बाद) दो सज्दे करे।'

(1254) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1231, व मुस्लिम, हदीस: 389/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1176.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैतान का गोज मारना अज़ान का असर भी हो सकता है (जैसे गधे पर ज़्यादा बोझ लदा हो तो वह गोज मारता है) या इसलिये कि अज़ान न सुन सके (गोज की आवाज़ की

वजह से) या ये किनाया है कि अज़ान शैतान के लिये बहुत परेशानकुन है। (2) दीगर रिवायात में अज़ान के बाद वापसी और फिर इक़ामत के मौक़े पर भागने का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 608, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये रिवायत मुख़्तसर है।

बाब : (26) जो शख़्स पाँच रकआत पढ़ बैठे तो क्या करे?

باب : (٢٦) مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى خَمْسًا

(1255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर की पाँच रकअतें पढ़ा दीं। आपसे अर्ज़ किया गया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने फ़रमाया: 'क्या हुआ?' लोगों ने अर्ज़ किया: आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। आपने अपना पाँव मोड़ा (यानी क़िब्ला रुख हुये) और दो सज्दे किये।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह.: 404, व मुस्लिम, ह.: 572/91, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 1177.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(1256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ पाँच रकअतें पढ़ा दीं। लोगों ने कहा: आपने पाँच पढ़ी हैं तो आपने सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे दो सज्दे किये।

(1256) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1178.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ .

(1257) इब्राहीम सूवैद से रिवायत है कि हज़रत अल्क़मा ने एक दफ़ा पाँच रकअतें पढ़ा दीं। उन्हें बताया गया तो वह कहने लगे: मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने सर के इशारे से कहा: क्यूँ नहीं? (आपने किया है) वह कहने लगे: ऐ आवर! तू

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ

فَقَالَ مَا فَعَلْتُ . قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى . قَالَ وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " لاَ " . فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " .

भी ऐसे ही कहता है? मैंने कहा: हाँ फिर उन्होंने दो सज्दे किये। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के वास्ते से हदीस़ बयान की कि नबी (ﷺ) ने भी (एक दफ़ा) पाँच रकआत पढ़ा दी थीं। लोग एक दूसरे से काना फूसी करने लगे। उन्होंने आपसे कहा: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने फ़रमाया: 'नहीं।' उन्होंने आपको बताया तो आपने अपने पाँव सीधे (क़िब्ला रुख़) किये और दो सज्दे किये, फिर फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान हूँ जिस तरह तुम भूलते हो, मैं भी भूल जाता हूँ।'

(1257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 572/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1179.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلاَتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ أَكَذَلِكَ يَا أَعْوَرُ قَالَ نَعَمْ . فَحَلَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْسًا.

(1258) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि हज़रत अल्क़मा बिन क़ैस अपनी नमाज़ में भूल गये। उनके कलाम वग़ैरह करने के बाद लोगों ने उनसे ज़िक्र किया तो कहने लगे: ऐ आवर! क्या ऐसे ही हुआ है?' उसने कहा: जी हाँ। उन्होंने अपनी गोठ खोली, फिर सहव के दो सज्दे किये और कहने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे किया था। (राविये हदीस़) मालिक बिन मिग़्वल ने कहा: मैंने हज़रत हकम बिन उतैबा को फ़रमाते सुना कि अल्क़मा ने (सहवन) पाँच रकअतें पढ़ ली थीं।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1180.

फ़ायदा : असल रिवायत तो मालिक बिन मिग़्वल ने हज़रत शअबी से बयान की है जिसमें सिर्फ़ सहव का ज़िक्र है। ये वज़ाहत नहीं कि क्या सहव हुआ था? ये वज़ाहत हज़रत हकम की रिवायत में है कि वह सहवन पाँच रकआत पढ़ चुके थे शअबी और हकम दोनों हज़रत अल्क़मा के शागिर्द हैं।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَا أَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَقَالَ أَكَذَلِكَ يَا أَعْوَرُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1259) इब्राहीम बिन सुवैद से मरवी है कि हज़रत अल्क़मा ने पाँच रकअतें पढ़ लीं। मैंने कहा: ऐ अबू शिब्ल! (अल्क़मा की कुनियत है) आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। कहने लगे: ऐ आवर! क्या हक़ीक़तन ऐसे ही है? फिर उन्होंने सहव के दो सज्दे किये। फिर कहने लगे: अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने ऐसे ही किया था।

(1259) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1181.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ " . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ .

(1260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पिछले पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अस्र) में से कोई एक नमाज़ पाँच रकअत पढ़ा दी। आपसे पूछा गया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने फ़रमाया: 'क्या हुआ?' उन्होंने कहा: आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। आपने फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो और याद रखता हूँ जिस तरह तुम याद रखते हो।' फिर आपने दो सज्दे फ़रमाये और तशरीफ़ ले गये।

(1260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 572/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1182.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर ज़िक्र की गई तमाम रिवायात में पाँच रकआत पढ़ने का ज़िक्र हैं रसूले अकरम (ﷺ) ने भी पाँच पढ़ीं और अल्क़मा ने भी। ज़ाहिर है चौथी को तीसरी समझ कर ही पाँचवीं पढ़ी होगी, लिहाज़ा वह (हक़ीक़तन) चौथी में नहीं बैठे होंगे। अहनाफ़ के नज़दीक ऐसी सूरत में फ़र्ज़ीयत बातिल हो जाती है मगर ये सरीह रिवायात उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती हैं। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं, मगर ये माना जाये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और अल्क़मा को दो दो सहव हुई पहले चौथी को दूसरी समझ कर बैठे। फिर सिर्फ़ एक रकअत पढ़ कर गोया तीसरी में ही बैठ गये। मगर

ये बहुत बईद और महज़ तकल्लुफ़ हैं सही बात वही है जो ऊपर गुज़री। रिवायत के नाक़िल हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) हैं। इब्ने मसऊ़द और अ़ल्क़मा दोनों अहनाफ़ के लिये हुज्जत हैं। (2) इन रिवायात में कलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करने का ज़िक्र है। इसके भी अहनाफ़ क़ाइल नहीं बल्कि ये तो सलाम से मुत्तसिल बाद सज्द-ए-सह्व के क़ाइल हैं और सलाम भी सिर्फ़ एक तरफ़ फ़ासिला और कलाम की सूरत में लौटाने के क़ाइल हैं मगर उनके अपने अइम्मा की ये रिवायात उनके ख़िलाफ़ हैं। (दोनों मसाइल की मज़ीद तफ़्सील देखिये, हदीस: 1225, 1229)

बाब : (27) जो शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जाये तो क्या करे?

باب : (٢٧) مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ

(1261) हज़रत यूसुफ़ (उमवी) (رحمه الله) से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने उन्हें इमाम बन कर नमाज़ पढ़ाई। वह नमाज़ में (एक मक़ाम पर) खड़े हो गये जबकि उन्हें बैठना चाहिए था। लोगों ने (सुब्हानल्लाह) कहा लेकिन वह खड़े रहे। फिर उन्होंने नमाज़ पूरी करने के बाद बैठे बैठे दो सज्दे किये। फिर मिम्बर पर बैठ गये और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जाये तो वह इन दो सज्दों की तरह सज्दे करे।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/100, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 594, 1173, तबरानी फ़ी अल कबीर: 19/336, 337, मुसनद अहमद: 4/100.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، يُوسُفَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، صَلَّى إِمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ " .

फ़ायदा : ये सह्व दो रकअ़तों के बाद तशह्हुद भूलने का सह्व था। इसमें यही तरीक़ा है कि अगर इमाम खड़ा हो जाये तो (सुब्हानल्लाह) सुनने के बावजूद वापस न बैठे बल्कि नमाज़ जारी रखे। आख़िर में सलाम से पहले सह्व के दो सज्दे करे। हर सह्व में ऐसे नहीं होता। जैसे कि पीछे वज़ाहत हो चुकी है।

باب : (٢٨)
التَّكْبِيرِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

बाब : (28)
सुजूदे सह्व में भी तकबीरात कहना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ .

(1262) हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने बुहैना (﵁) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ज़ुहर की दो रकअ़तों के बाद (बैठने की बजाये) सीधे खड़े हो गये। फिर (तवज्जा दिलाने पर भी) वापस न बैठे। जब नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे दो सज्दे किये। हर सज्दे में अल्लाहु अकबर कहते थे। लोगों ने भी आपके साथ सज्दे किये। ये उस क़ादे की जगह थे जो आप भूल गये थे।

(1262) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1230, व मुस्लिम, हदीस: 86/570, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 603, 604, 1184.

باب : (٢٩) صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الصَّلاَةَ

बाब: (29) जिस रकअ़त पर नमाज़ ख़त्म होती है उसमें तशह्हुद बैठने का तरीक़ा

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، بُنْدَارٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلاَةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

(1263) हज़रत अबू हुमैद साइदी (﵁) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) उन दो रकअ़तों के बाद जिन पर नमाज़ ख़त्म होती है (तशह्हुद में बैठते वक़्त अपना बायाँ पाँव दायीं तरफ़ (पिण्डली के नीचे से) बाहर निकाल लेते और सुरीन पर (ज़ोर देकर) बैठते, फिर सलाम फेरते।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1040, 1102, 1182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1185.

फ़ायदा : इस तरीक़े से बैठने को शरई इस्तेलाह में तवर्रुक कहते हैं, यानी पाँव पर बैठने की बजाये बराहे रास्त नीचे बैठने और बायाँ पाँव दायीं तरफ़ निकाल ले। सलाम वाले तशह्हुद में तवर्रुक सुन्नत है जैसा कि इस रिवायत में सराहत है मगर अहनाफ़ इसे नबी (ﷺ) के बुढ़ापे पर महमूल करते हैं लेकिन इसकी कोई दलील पेश नहीं करते। नबी (ﷺ) के तवर्रुक करने को बुढ़ापे की हालत पर महमूल करने वाले हज़रात से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या चौथी सदी से लेकर आज तक आपका कोई बुज़ुर्ग इस क़द्र बूढ़ा नहीं हुआ कि उसे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह तवर्रुक करना पड़े? अगर ये वजह होती तो सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) हमसे ज़्यादा इस बात का इद्राक फ़रमाते। ताज्जुब की बात है, ये हदीस़ दस सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) की एक जमाअत में बयान की गई। उनमें से किसी ने ये तौजीह नहीं की मगर बाद वाले उनकी ग़लतियाँ निकाल रहे हैं। सुब्हानल्लाह। अलबत्ता अगर जमाअत की सूरत में जगह तंग हो और तवर्रुक से दूसरे नमाज़ियों को मुश्किल पेश आती हो तो न करने की भी गुंजाइश है लेकिन आम हालात में यही सुन्नत है हज़रत अबू हुमैद (رضی اللہ عنہ) की रिवायत बहुत मुफ़स्सल है किसी मुब्हम रिवायत की वजह से उसे छोड़ा नहीं जा सकता।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامَ وَأَشَارَ ‏.‏

(1264) हज़रत वाइल बिन हुज्र (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़उल यदैन करते और आप जब बैठते तो बायें पाँव को बिछाते और दायाँ खड़ा करते और अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखते और दायाँ हाथ दायीं रान पर रखते और अंगूठे और दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाते और (अंगुश्ते शहादत से) इशारा फ़रमाते।

(1264) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 1160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1186.

फ़ायदा : इस रिवायत में बैठने का आम तरीक़ा बयान किया गया है ऊपर वाली रिवायत में सलाम वाले तशह्हुद में बैठने का मख़्सूस तरीक़ा बयान किया गया है और ये उसूल है कि मुफ़स्सल रिवायत पर अमल किया जाता है और मुब्हम को मुफ़स्सल पर महमूल किया जाता है।

बाब (30)
(तशह्हुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें?

(1265) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा, आप नमाज़ में बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया और अपने दोनों बाज़ू अपनी रानों पर रखे और तशह्हुद पढ़ते वक़्त अंगुश्ते शहादत से इशारा फ़रमाया।

(1265) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 957, तिर्मिज़ी, हदीस: 292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1187, पिछली हदीस देखें।

باب : (٣٠)
مَوْضِعُ الذِّرَاعَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا .

फ़ायदा : क़राइन से ये पहला तशह्हुद मालूम होता है। इशारे वग़ैरह की कैफ़ियत की तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 890, 1162.

बाब : (31)
(तशह्हुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी जायें?

(1266) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) कहा कि वल्लाहि! मैं अल्लाह के रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ को बग़ौर देखूंगा कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये, क़िब्ले की तरफ़ मुँह फ़रमाया और अपने दोनों हाथ उठाये यहाँ तक कि वह कानों के बराबर हो गये। फिर आपने अपने बायें हाथ को दायें से पकड़ लिया। जब आपने रुकू का इरादा फ़रमाया तो उन्हें फिर उसी तरह उठाया और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे,

باب : (٣١)
مَوْضِعُ الْمِرْفَقَيْنِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ

يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى .

चुनांचे जब रुकू से सर उठाया तो दोनों हाथ फिर उसी तरह उठाये, फिर जब सज्दा किया तो अपना सर अपने हाथों के साथ रफ़उल यदैन वाली कैफ़ियत में रखा। (जहाँ तक हाथ उठाये थे, वहीं तक हाथ सज्दे में सर के क़रीब रहे) फिर आप बैठ गये और अपना बायाँ पाँव बिछाया और अपना बायाँ हाथ बायीं रान पर रखा और दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं रान पर रखा। दो (छंगली और उसके साथ वाली) ऊँगलियाँ बन्द कीं और अंगूठे और दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाया और अंगुश्ते शहादत से इशारा किया।

(1266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1188.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 890.

بَاب : (٣٢) مَوْضِعُ الْكَفَّيْنِ

बाब : (32) (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी जायें?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ لاَ تُقَلِّبِ الْحَصَى فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(1267) हज़रत अली बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के पास नमाज़ पढ़ी। मैं कंकरियों को उलट पलट करने लगा तो मुझे इब्ने उमर (ﷺ) कहने लगे: कंकरियों को न छेड़ो क्योंकि कंकरियों से खेलना शैतानी फ़ेअल है बल्कि इस तरह करो जैसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को करते देखा। मैंने कहा: आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कैसे करते देखा है? फ़रमाया: ऐसे। फिर इब्ने उमर (ﷺ) ने अपना दायाँ पाँव खड़ा किया और बायें को

बिछाया और अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखा और बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा और आपने शहादत की ऊँगली से इशारा किया।

(1267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1189.

صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ . قُلْتُ وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ قَالَ هَكَذَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

बाब : (33)
अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ की ऊँगलियाँ बन्द करना

باب : (٣٣)
قَبْضِ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى دُونَ السَّبَّابَةِ

(1268) हज़रत अली बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने नमाज़ के दौरान में कंकरियों से खेलते देखा। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो उन्होंने मुझे रोका और फ़रमाया: इस तरह करो जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे। मैंने कहा आप कैसे करते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप जब नमाज़ में बैठते: 'अपनी दायीं हथेली को (दायीं) रान पर रखते और अपनी तमाम ऊँगलियाँ बन्द कर लेते और उस ऊँगली से इशारा फ़रमाते जो अंगूठे के साथ मिलती है और अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखते।

(1268) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1190.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ، بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَقَبَضَ - يَعْنِي أَصَابِعَهُ كُلَّهَا - وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

फ़ायदा : दायें हाथ को रखने का एक ये भी अन्दाज़ है कि सब ऊँगलियाँ बन्द कर ली जायें और अंगूठे का सिरा शहादत वाली ऊँगली की जड़ में रखा जाये, सिर्फ़ शहादत वाली ऊँगली खुली रखी जाये।

बाब : (34) दायें हाथ की दो ऊँगलियों को बन्द करना और दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे से हल्क़ा बनाना

باب : (٣٤) قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ الْيُمْنَى وَعَقْدِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامِ مِنْهَا

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا . مُخْتَصَرٌ .

(1269) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने इरादा किया कि मैं ज़रूर अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नमाज़ को बग़ौर देखूंगा कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने ग़ौर से देखा .... फिर उन्होंने बयान किया कि ..... फिर आप बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया और अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं रान और घुटने पर रखी और अपनी दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं रान पर रखा। फिर (अपने दायें हाथ की) दो ऊँगलियाँ बन्द कीं और (दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे से) हल्क़ा बनाया। फिर अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। मैंने आपको देखा, आप उसे हरकत देते थे और उसके साथ दुआ करते थे। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(1269) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1191.

फ़ायदा : ऊँगली को हरकत देने के बारे में तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये हदीस: 890 के फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (35) बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा जाये

باب : (٣٥) بَسْطِ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،

(1270) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में बैठते तो

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .

अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते और अंगूठे के साथ वाली ऊँगली उठाते और उसके साथ दुआ करते और बायें हाथ को खोल कर घुटने पर रखते।

(1270) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1192.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में रान पर हाथ रखने का ज़िक्र है और कुछ में घुटने पर। तत्बीक़ यूँ मुमकिन है कि हथेली रान पर हो और ऊँगलियाँ घुटने पर। कुछ रिवायात में ये तरीक़ा स़राहतन भी मन्क़ूल है जैसा कि हदीस: 1269 में है। अगरचे रान वाली रिवायात का लिहाज़ रखते हुये कुछ हज़रात ने पूरा हाथ रान पर रखना भी जायज़ क़रार दिया है मगर औला यही है कि सब रिवायात पर अमल किया जाये।

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو كَذٰلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى .

(1271) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब दुआ करते (तशह्हुद पढ़ते) तो अपनी ऊँगली से इशारा करते और उसे हरकत नहीं देते थे। दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से ये मरवी है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा आप उसी तरह दुआ करते थे और आप अपना बायाँ हाथ (खोल कर) अपनी बायीं टाँग पर रखते थे और उस पर बोझ डालते थे।

(1271) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1193.

फ़ायदा : (वला युहर्रिकुहा) 'और उसे हरकत न देते थे' कि इज़ाफ़े के साथ ये रिवायत शाज़ है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद हसन है लेकिन (वला युहर्रिकुहा) का इज़ाफ़ा शाज़ है। इसे इब्ने अज्लान से बयान करने में ज़ियाद बिन सअद मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं और सिक़ात की एक जमाअत ने इसकी मुख़ालिफ़त की है, वह इस तरह कि जब उन्होंने इब्ने अज्लान से ये हदीस बयान की है तो इस इज़ाफ़े के बग़ैर नक़ल की है और इब्ने अज्लान की दो सिक़ात ने मुताबिअत की है। उन्होंने

भी आमिर बिन अब्दुल्लाह से इस ज़्यादती के बग़ैर ये रिवायत बयान की है, इसी लिये इब्ने क़य्यिम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसकी सेहत महल्ले नज़र है।' मज़ीद बरां ये कि इस इज़ाफ़े की मुख़ालिफ़त वाइल बिन हुज्र (ﷺ) की हदीस़ से भी होती है, जिसमें है कि फिर आप (ﷺ) ने अपनी ऊँगली उठाई। मैंने आपको देखा कि आप उसे हरकत दे रहे थे और उसके साथ दुआ करते थे। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 175) अलग़र्ज़ मज़्कूरा ज़्यादती ज़ईफ़ और शाज़ है जबकि बाक़ी हदीस़ दर्जे-ए-क़बूलियत को पहुँचती है। अगरचे मुहक़्क़िक़े किताब ने पूरी रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। वल्लाहु आलम!

باب : (٣٦)
الإِشَارَةِ بِالأُصْبُعِ فِي التَّشَهُّدِ

बाब : (36)
तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा करना

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكٍ، - وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ .

(1272) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दौराने नमाज़ में दायाँ हाथ दाईं रान पर रखते हुये देखा। आप अपनी ऊँगली से इशारा फ़रमा रहे थे।

(1272) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 991, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1194, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : तशहहुद (पहला हो या आख़री इस) में दायाँ हाथ शुरू ही से इसी तरह रखा जाता है कि तीन ऊँगलियाँ और अंगूठा बन्द और अंगुश्ते शहादत खुली होती है। और ये कैफ़ियत तकबीर या सलाम तक क़ाइम रहती है। अंगुश्ते शहादत को शुरू तशहहुद से आख़िर तक बग़ैर ख़म के इशारे के अन्दाज़ में सीधा खड़ा भी कर सकते हैं और मुसल्सल हरकत भी दे सकते हैं। दोनों तरीक़े जायज़ और साबित हैं। बल्कि हरकत अलग चीज़ है और इशारा अलग, लिहाज़ा अक्सर इशारा (क्योंकि ज़्यादा रिवायात में इशारे का ज़िक्र है) और कभी कभार मुसल्सल हरकत दे लेनी चाहिए जैसा कि तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी हैं देखिये, हदीस़: 890 के फ़वाइद व मसाइल।

باب : (٣٧) النَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِأُصْبُعَيْنِ وَبِأَيِّ أُصْبُعٍ يُشِيرُ

बाब : (37) दो ऊँगलियों से इशारा करने की मुमानिअत, और किस ऊँगली से इशारा किया जाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحِّدْ أَحِّدْ ".

(1273) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, एक आदमी अपनी दो ऊँगलियों से इशारा कर रहा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक ऊँगली से इशारा कर। एक ऊँगली से इशारा कर।'

(1273) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 3557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1195, व सहीह अल हाकिम, व देखें, हदीस: 1271.

फ़ायदा : दो ऊँगलियों से इशारा या तो दायें हाथ ही की दो ऊँगलियों से होगा और ये भी मुमकिन है कि दोनों हाथों की अंगूठे के साथ वाली ऊँगलियों के साथ हो चूंकि ये इशारा तौहीद का अमली इज़्हार है, लिहाज़ा एक ऊँगली ही से होना चाहिए।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ مَرَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ " أَحِّدْ أَحِّدْ " . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

(1274) हज़रत सअ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास से गुज़रे जबकि मैं अपनी कई ऊँगलियों से इशारा कर रहा था। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक से कर। एक से कर।' और आपने अपनी (दायें हाथ की) अंगुश्ते शहादत के साथ इशारा किया।

(1274) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** अबू दाऊद, हदीस: 1499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1196, व सहीह अल हाकिम: 1/531, पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुमकिन है पहली हदीस में भी हज़रत सअ़द (ﷺ) ही का वाक़िया हो तो फिर कई ऊँगलियों से मुराद एक से ज़्यादा, यानी दो होंगी वरना ये अलग अलग वाक़िआत हैं। **(2)** मज़्कूरा रिवायात को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इन्हें सही क़रार दिया है। मुहक़्क़िक़े अस्र शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) में

इस मौज़ूअ पर सियर हासिल बहस की है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा दोनों रिवायतें सही हैं। इससे मालूम हुआ कि इशारा एक ही ऊँगली से करना चाहिए। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई: 1/407, रक़म: 1271, 1272, व सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 5/335, 336, रक़म: 1244)

बाब : (38)
इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका कर रखा जाये

باب : (۳۸)
إِحْنَاءِ السَّبَّابَةِ فِي الإِشَارَةِ

(1275) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (﵁) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में बैठे हुये देखा। आपने अपना दायाँ बाज़ू अपनी दायीं रान पर रखा था और अपनी अंगुश्ते शहादत उठा रखी थी, अलबत्ता उसे कुछ झुकाया हुआ था और आप तशह्हुद पढ़ रहे थे।

(1275) **तख़रीज : (सनद हसन)** देखें, हदीस: 1272, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1197.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الصَّلاَةِ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو .

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत को सनदन हसन कहा है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने (क़द अह्नाहा शैअन) के अलावा बाक़ी रिवायत को सही क़रार दिया है। शैख़ अल्बानी (﵀) ने इन अल्फ़ाज़ को मुन्कर कहा है और अल्मौसुअतुल हदीसिया के मुहक़्क़िक़ीन ने इन अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी रिवायत को सही लिग़ैरिही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत इन अल्फ़ाज़ के अलावा क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 9/371, रक़म: 176, अल्मौसुअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 25/200-201, रक़म: 15866)

बाब : (39) इशारे के वक़्त नज़र किस जगह होनी चाहिए? और क्या ऊँगली को हरकत दी जायेगी?

باب :(٣٩) مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ .

(1276) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तशहहुद में बैठते तो अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं रान पर रखते और (दायें हाथ की) अंगुश्ते शहादत से इशारा फ़रमाते। आपकी नज़र इशारे से आगे नहीं जाती थी।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 579/113, अहमद: 4/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1198.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दूसरी रिवायात जिनके मुताबिक़ नज़र सज्दागाह में रहनी चाहिए वह क़याम व रुकू के बारे में हैं और ये रिवायत तशहहुद के बारे में है, लिहाज़ा इनमें कोई तआरुज़ नहीं, यानी दौराने क़याम व रुकू नज़र सज्दागाह में होनी चाहिए और दौराने तशहहुद इशारे पर। **(2)** इशारे और हरकत की बहस़ हदीस़: 890 में गुज़र चुकी है।

बाब : (40) नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़र उठाने की मुमानिअ़त

باب :(٤٠) النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ، إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

(1277) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोग नमाज़ के दौरान में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़रें उठाने से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़रें उचक ली जायेंगी।'

(1277) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 429, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1199.

फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये, अहादीस़: 1194, 1195.

बाब : (41)
(नमाज़ में) तशह्हुद वाजिब (फ़र्ज़) है

باب : (۴۱)
إِيجَابِ التَّشَهُّدِ

(1278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि तशह्हुद फ़र्ज़ होने से पहले हम कहा करते थे। (अस्सलामु अलल्लाहि, अस्सलामु अला जिब्रील व मिकाईल) 'अल्लाह पर सलाम हो। जिब्रील व मीकाईल पर सलाम हो।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे न कहो क्योंकि अल्लाह (عزوجل) ख़ुद सलाम है, लेकिन यूँ कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि .... व रसूलुहु) 'तमाम आदाब (या क़ौली इबादात) और तमाम दुआएँ और नमाज़ें (या बदनी इबादात) और पाकीज़ा कलिमात (या माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(1278) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1171, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1200.

फ़ायदा : मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 1065.

बाब : (42)
तशह्हुद क़ुर्आन मजीद की सूरत की तरह सिखाया जाये

باب :(٤٢) تَعْلِيمِ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

(1279) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे जिस तरह क़ुर्आन मजीद की कोई सूरत सिखाते थे।

(1279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1175, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1201.

फ़ायदा : मुअय्यन और मस्नून औराद व वज़ाइफ़ में जहाँ तक हो सके कमी बेशी और तब्दीली से इज्तेनाब करना चाहिए यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'नबी' की जगह लफ़्ज़ 'रसूल' भी न कहा जाये। क़ुर्आन मजीद की तरह तालीम देने का यही मतलब है। इसी तरह अज़ान और अद्इया-ए-मस्नूना (मस्नून दुआएँ) बेऐनिही पढ़नी चाहिए, वरना तहरीफ़ का इल्ज़ाम आयेगा, अलबत्ता मुत्लक़ दुआएँ अपनी पसन्द के मुताबिक़ की जा सकती है। अगरचे क़ुर्आन व हदीस में मन्क़ूल दुआएँ बहरहाल जामेअ, मुबारक और बेहतर हैं।

बाब : (43)
तशह्हुद कैसे पढ़ा जाये?

باب : (٤٣) كَيْفَ التَّشَهُّدُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، - وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا

(1280) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ख़ुद सलाम है (लिहाज़ा अस्सलामु अलल्लाहि न कहो बल्कि) जब तुममें से कोई (क़अदे में) बैठे तो यूँ कहे: (अत्तहिय्यातुलिल्लाहि वस्सलवातु .... अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम आदाब, सब दुआएँ और सारे पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ " .

रहमत व बरकात नाज़िल हों। हम पर और अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद(ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' फिर उसके बाद वह अपनी पसन्द के मुताबिक़ दुआ करे।'

(1280) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1171, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1202.

फ़ायदा : तशहहुद की बहस के लिये देखिये, हदीस: 1176.

باب : (٤٤)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

बाब : (44)
एक और क़िस्म का तशहहुद

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ { وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ

(1281) हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया। हमें हमारे तरीक़े सिखाये और हमारे लिये हमारी नमाज़ बयान फ़रमाई और फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी सफ़ें सीधी करो। फिर तुममें से कोई शख़्स तुम्हारा इमाम बने। जब भी वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो और जब वह (वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ क़बूल फ़रमायेगा। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कहे और रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो और रुकू करो इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है और तुमसे पहले सर उठाता है।' नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये सबक़त उस सबक़त के मुक़ाबले में है। और जब वह (समिअल्लाहु लिमन

وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" .

हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना लकल हम्दु) कहो। अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की ज़बानी फ़रमाया है कि अल्लाह तआला उस शख़्स की बात सुनता है जो उसकी हम्द करे। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कहे और सज्दा करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो और सज्दा करो। इमाम तुमसे पहले सज्दे को जाता है और तुमसे पहले सर उठाता है।' नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये सबक़त उस सबक़त के मुक़ाबले में है। (तुम्हारे और इमाम के सज्दे की मिक़्दार में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।) और जब इमाम क़अदे में बैठे तो तुम्हें यूँ कहना चाहिए: (अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु लिल्लाहि .... अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम आदाब, पाकीज़ा कलिमात और दुआएँ अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सलाम, रहमत और बरकतें हों हम पर सलाम हो और अल्लाह के तमाम नेक बन्दों पर भी। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 831, मुस्लिम, ह.: 404/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 603.

باب: (٤٥) نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

बाब : (45) एक और क़िस्म का तशहहुद

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ

(1282) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें इस तरह तशहहुद सिखाते थे जैसे हमें क़ुरआन

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

मजीद की सूरत सिखाते थे: (बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहित्तहिय्यातु ..... अऊज़ुबिहि मिनन्नार) 'अल्लाह तआला के नाम के साथ और अल्लाह तआला की मदद के साथ। तमाम आदाब, दुआएँ और पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह तआला के तमाम नेक बन्दों पर सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह तआला से जन्नत माँगता हूँ और जहन्नम से उसकी पनाह चाहता हूँ।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम नहीं जानते कि किसी दूसरे रावी ने इस रिवायत में ऐमन बिन नाबिल की मुवाफ़िक़त की हो। ऐमन हमारे नज़दीक मोतबर रावी है, लेकिन ये रिवायत दुरुस्त नहीं। और तौफ़ीक़ अल्लाह तआला की मदद ही से मिलती है।

(1282) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 1176, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1204.

फ़ायदा : इस रिवायत में तशहहुद के आग़ाज़ में (बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि) का इज़ाफ़ा है जो किसी और रावी ने बयान नहीं किया। इसी तरह आख़िर में जन्नत व जहन्नम वाले जुम्ले भी सिर्फ़ इसी रिवायत में हैं और कोई रावी इसमें मुवाफ़िक़त नहीं करता, लिहाज़ा ये इज़ाफ़े ग़रीब और शाज़ हैं, इसलिये मोतबर नहीं, अगरचे ऐमन बिन नाबिल सिक़ा रावी है। सिक़ा रावी की रिवायत भी उसी वक़्त मोतबर होगी जब वह ज़्यादा सिक़ात या अपने से औसक़ (ज़्यादा सिक़ा) रावी के ख़िलाफ़ न हों बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। (देखिये बिल्कुल यही हदीस नम्बर 1176 में)

बाब : (46)
नबी (ﷺ) पर सलाम पढ़ना

باب: (٤٦)
السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ " .

(1283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने कुछ फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं जो ज़मीन में हर वक़्त चलते फ़िरते रहते हैं। वह मुझे मेरी उम्मत की तरफ़ से सलाम पहुँचाते हैं।'

(1283) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1205, इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस़: 2392.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में आप पर सलाम पढ़ना फ़र्ज़ है, आगे पीछे भी आप पर सलाम पढ़ना एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और यही मर्तबा आप पर स़लात (दरूद) का है क्योंकि ये क़ुर्आनी हुक्म है: (या अय्युहल लज़ीना आमनू स़ल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा) (अल अहज़ाब: 33/56) (ﷺ) **(2)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर दरूद के अलावा अकेला सलाम पढ़ना भी दुरुस्त है, यानी अगर कोई शख़्स (ﷺ) या अलैहिस्सलाम अकेला-अकेला कह दे तो जायज़ है। **(3)** इस हदीसे मुबारका में नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर कस़रत से सलाम पढ़ने की तर्ग़ीब है। **(4)** इस हदीसे मुबारका से नबी-ए-अकरम (ﷺ) का बलन्द मर्तबा और इज़्ज़त व अज़मत वाज़ेह है कि अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो आप पर सलाम पढ़े, फ़रिश्ते उसका सलाम आप तक पहुँचाये। **(5)** उस शख़्स की फ़ज़ीलत भी इससे स़ाबित होती है जो आप (ﷺ) पर सलाम पढ़ता है और उसका सलाम नबी-ए-अकरम (ﷺ) तक पहुँचाया जाता है, फिर आप (ﷺ) बनफ़्से नफ़ीस उसका जवाब देते हैं जैसा कि अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स भी मुझे सलाम कहता है, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2041) ये हदीस़ हसन दर्जे की है। 'रूह लौटाने' की कई एक तावीलात की गई हैं मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये आलमे बर्ज़ख़ का मामला है, इसे दुनिया की ज़िन्दगी पर क़यास करना दुरुस्त नहीं, इसके अलावा ये मुतशाबिहात में से है। हम कोई इत्मिनान बख़्श तफ़्सील व तौजीह करने से क़ासिर हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (47)
नबी (ﷺ) पर सलाम पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب : (٤٧)
فَضْلِ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ . فَقَالَ " إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ".

(1284) हज़रत अबू तल्हा (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन तशरीफ़ लाये जबकि आपके चेहर-ए-अनवर पर सुरूर झलक रहा था। हमने कहा: हम आपके चेहर-ए-अक़्दस पर ख़ूशी के आसार देख रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे पास एक फ़रिश्ता आया और उसने कहा: ऐ मुहम्मद! तहक़ीक़ आपका रब तआला फ़रमाता है: क्या आपको ये बात पसन्द नहीं कि जो शख़्स भी आप पर दरूद पढ़ेगा, मैं उस पर दस दफ़ा रहमत करूंगा? और जो भी आप पर सलाम कहेगा, मैं उस पर दस बार सलाम नाज़िल करूंगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/29, 30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1206, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2391, वल हाकिम: 1/420, 421.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह! अल्लाह! किस क़द्र फ़ज़ीलत है नबी-ए-पाक (ﷺ) पर दरूद व सलाम पढ़ने की कि अल्लाह तआला ख़ूश होकर उस बन्दे पर अपनी शान के मुताबिक़ दस रहमतें और दस बार सलाम नाज़िल फ़रमाता है। नबी (ﷺ) की रज़ामन्दी और शफ़ाअत मुस्तज़ाद है। दरूद से मुराद नबी-ए-कामिल के लिये रहमत की दुआ करना और सलाम से मुराद आप पर सलामती की दुआ करना है। ख़ुसूसी मर्तबे की वजह से मख़्सूस नाम दरूद व सलाम रख दिया गया। ये दुआएँ भी नतीजतन अपने लिये ही हैं क्योंकि आपके लिये दुआ दरअसल उम्मत के लिये है। उम्मत की शान बढ़ेगी ..... (ﷺ) ...... **(2)** इस हदीसे मुबारका में अल्लाह तआला के इस उम्मत पर अज़ीम एहसान का तज़्किरा है कि जो शख़्स एक मर्तबा नबी (ﷺ) पर दरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें भेजता है और जो एक मर्तबा आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस मर्तबा सलाम भेजता है। (3) अल्लाह का इनाम और फ़ज़्ल पाकर ख़ूश होना चाहिए और चेहरे पर ख़ूशी के वाज़ेह आसार नज़र आने चाहिए।

बाब : (48) नमाज़ में अल्लाह तआला की बुज़ुर्गी बयान करना और नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ना

باب : (٤٨) التَّمْجِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي " . ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ ".

(1285) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को नमाज़ में दुआ करते सुना जिसने न अल्लाह तआला की हम्द बयान की और न नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ नमाज़ी! तूने जल्दी की है।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों को दुआ का तरीक़ा सिखाया, फिर आपने एक आदमी को दुआ करते हुये सुना, उसने पहले अल्लाह तआला की बुज़ुर्गी और तारीफ़ बयान की, फिर नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अब तु दुआ कर, क़बूल होगी और माँग तुझे दिया जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1481, तिर्मिज़ी, हदीस: 3476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1207, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 709, 710, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 510, वल हाकिम: 1/230, 268.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के आख़री तशहहुद में दरूद पढ़ने पर तो सब उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है, अलबत्ता वुजूब व इस्तेहबाब में इख़्तिलाफ़ है। मुहद्दिसीन (उमूमी तौर पर) नमाज़ में दरूद को वाजिब समझते हैं क्योंकि सलात का साथी सलाम सबके नज़दीक वाजिब है तो दरूद भी वाजिब होगा क्योंकि दोनों का हुक्म इकट्ठा है। (सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा) (अल अहज़ाब: 33/56) और आपने इसे तशहहुद की तरह सिखलाया है जैसे कि अगली रिवायत में सराहत है: (उमिर्ना अन नुसल्लि-य अलैक) और मुत्लक़न सलात व सलाम तो सबके नज़दीक फ़र्ज़ है क्योंकि ये क़ुर्आनी हुक्म है। नमाज़ के अलावा इस फ़र्ज़ के लिये कौन सा मौक़ा मुनासिब होगा? अहनाफ़ और कुछ मवालिक इसे फ़र्ज़ और वाजिब नहीं समझते। ये मौक़िफ़ मर्जूह है। एहतियात पहले मस्लक ही में है कि

इसे किसी हाल में छोड़ा न जाये। (2) नमाज़ के अलावा आम दुआ में भी पहले हम्द व सना की जाये फिर दरूद पढ़ा जाये और फिर दुआ की जाये। (3) मज़्कूरा आयते क़ुर्आनी (सल्लू अलैहि....) के उमूम से उलमा के एक गिरोह ने ये भी इस्तेदलाल किया है कि तशहहुदे अव्वल में भी दरूद शरीफ़ पढ़ा जाये और सुनन नसाई की एक रिवायत में भी नफ़ली नमाज़ के तशहहुदे अव्वल में नबी (ﷺ) से दरूद पढ़ने का सबूत मौजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 1721, 1/202 मज़ीद तफ़सील के लिये मुलाहिज़ा हो: 'अहसनुल बयान, मतबूआ अर्रियाज़, सऊदी अरब, सूरह अल अहज़ाब 33/56 के ज़ेल में) (4) नमाज़ में दुआ करना मशरूअ है। (5) दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान करना और नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर दरूद पढ़ना क़बूलियते दुआ के अस्बाब में से है, लिहाज़ा दुआ करने वाले को चाहिए कि अपनी हाजत बरारी के लिये पहले अल्लाह की हम्द बयान करे, फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर दरूद पढ़े, फिर जो चाहे माँगे, अल्लाह तआला उसकी दुआ क़बूल करेगा। इन्शाअल्लाह तआला!

बाब : (49)
नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने का हुक्म है

باب : (٤٩)
الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

(1286) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास हज़रत सअद बिन उबादा (رضي الله عنه) की बैठक में तशरीफ़ लाये। बशीर बिन सअद (رضي الله عنه) ने अर्ज़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। हम आप पर कैसे दरूद पढ़ें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि हमने तमन्ना की कि वह आप से न पूछते। कुछ देर के बाद आपने फ़रमाया: 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद(ﷺ) और उनकी आल पर ख़ुसूसी रहमत फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम (عليه السلام) की आल पर ख़ुसूसी रहमत फ़रमाई। और मुहम्मद

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، -وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَسَكَتَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا عَلِمْتُمْ " .

(ﷺ) और आपकी आल पर बरकत नाज़िल फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम(عليه السلام) की आल पर तमाम जहानों में बरकतें नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू ही क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।' और सलाम उस तरह पढ़ो जैसे तुम्हें सिखाया गया है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 405, मौता: 1/165, 166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1208.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हुक्म दिया गया है' सहाबा का आपसे दरूद के बारे में इस तरह सवाल करना और सवाल व जवाब में सलाम का हवाला इस बात की दलील है कि ये सवाल नमाज़ के बारे में था क्योंकि सलाम तो नमाज़ ही में वाजिब है। **(2)** आल से मुराद आपके मुस्लिम क़रीबी रिश्तेदार या मुत्तबिईन, यानी सहाबा या कुल उम्मत है। ये लफ़्ज़ इन तीनों मानी में इस्तेमाल हुआ है। **(3)** दरूद में हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का हवाला या तो इसलिये है कि वह आपके जद्दे अमजद हैं या इसलिये कि तमाम आसमानी मज़ाहिब (इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत) उन्हें अपना इमाम मानते हैं। **(4)** आपने जो भी दरूद सिखाया उसमें हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का हवाला ज़रूर है, इसलिये जमीअ उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है कि हर क़िस्म की नमाज़ में दरूदे इब्राहीमी ही पढ़ा जायेगा। नमाज़ के अलावा भी इब्राहीमी दरूद ही बेहतर है अगरचे कोई और दरूद भी, जो हदीस से साबित हो, पढ़ा जा सकता है। **(5)** तमाम जहानों से मुराद दुनिया व आख़िरत दोनों हैं। **(6)** इस हदीसे मुबारका से नबी(ﷺ) के इज्ज़ व इन्किसार और ख़साइले हमीदा का पता चलता है, आप अपने सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का एहतिराम करते थे और उनसे अपनाइयत का इज़्हार करते हुये उनके पास तशरीफ़ ले जाते थे। **(7)** सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को अगर कोई शरई मसला दरपेश होता तो वह अपनी तरफ़ से शरीयत साज़ी नहीं करते थे बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ रुजू करते थे, इसलिये हमें भी चाहिए कि अगर हमें कोई मसला दरपेश हो तो क़ुर्आन व सुन्नत से रहनुमाई लें, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयों की तरफ़ सबक़त न करें। **(8)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) से अगर कोई साइल सवाल करता और उसका जवाब अभी तक अल्लाह ने आपको बताया न होता तो आप वहि का इन्तेज़ार करते थे जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'और वह (अपनी) ख़्वाहिश से नहीं बोलता। वह वहि ही तो है जो उसकी तरफ़ भेजी जाती है।' (अन्नज्म: 53/3, 4) **(9)** इस हदीसे मुबारका से दूसरे अम्बिया पर सलात (दरूद) पढ़ना साबित होता है।

बाब : (50)
नबी (ﷺ) पर दरूद कैसे पढ़ा जाये?

باب : (٥٠)
كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

(1287) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से कहा गयाः हमें हुक्म दिया गया है कि हम आप पर दरूद व सलाम पढ़ें, सलाम तो हम जान चुके हैं, दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमायाः 'तुम कहोः (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिवं ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर ख़ुसूसी रहमतें फ़रमा जैसे तूने आले इब्राहीम पर रहमतें फ़रमाईं। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (علیہ السلام) की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं।'

(1287) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1209.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ أَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ".

बाब : (51)
एक और क़िस्म का दरूद

باب : (٥١)
نَوْعٌ آخَرُ

(1288) हज़रत कअ़ब बिन उ़ज्रा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि हमने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (तशहहुद में) आप पर सलाम पढ़ना तो हम जान चुके हैं, लेकिन दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमायाः 'तुम यूँ कहोः (अल्लाहुम्मा! स़ल्लि अ़ला मुहम्मद ......) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमा जैसे तूने इब्राहीम (علیہ السلام) की आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाई हैं। यक़ीनन तू तारीफ़

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَهَذَا خَطَأٌ .

और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (عليه السلام) की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

(रावी) इब्ने अबी लैला ने कहा: हम साथ ही ये भी कहते थे: उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमा।)

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस़ भी हमारे उस्तादे गिरामी (क़ासिम बिन ज़करिया) ने अपनी किताब से देख कर बयान की थी मगर उसकी सनद ग़लत है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: (10), हदीस़: 3370, व मुस्लिम, हदीस़: 406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1210.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस ग़लती की वज़ाहत आइन्दा रिवायत में आ रही है कि सुलैमान के उस्ताद अम्र बिन मुर्रा नहीं बल्कि हकम हैं जैसा कि हदीस़: 1389 की सनद से साफ़ मालूम हो रहा है। लतीफ़ा ये है कि ये रिवायत भी क़ासिम बिन ज़करिया ही से है। गोया उन्होंने एक दफ़ा सुलैमान के उस्ताद का नाम अम्र बिन मुर्रा बताया, एक दफ़ा हकम। लेकिन पहली सनद ग़लत है दूसरी सही है क्योंकि इसकी ताईद दूसरे रावी भी करते हैं, जैसे: (देखिये, हदीस़ : 1290 की सनद) वल्लाहु आलम! **(2)** ये आख़री अल्फ़ाज़ उन्होंने बतौर दुआ मज़ीद कहे जिनका असल हदीस़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी ये दरूद का हिस्सा नहीं।

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ

(1289) हज़रत कअब बिन उज्रा (رضي الله عنه) से मरवी है, वह कहते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम तो हम जान चुके हैं लेकिन आप पर दरूद कैसे है? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद .....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और

قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

आपकी आल पर ख़ुसूसी रहमत नाज़िल फ़रमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम (ﷺ) और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। और मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम(ﷺ) और उनकी आल पर नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

(रावी) अ़ब्दुर्रहमान ने कहा: हम ये भी कहते थे: और उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमा)

इमाम अबु अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये सनद पहली सनद के मुक़ाबले में ज़्यादा दुरुस्त है। हम नहीं जानते कि हज़रत क़ासिम के अलावा किसी ने इस हदीस़ में अम्र बिन मुर्रा का ज़िक्र किया हो। वल्लाहु आलम!

(1289) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1211, मुस्लिम, हदीस़: 406/68, बुख़ारी, हदीस़: 4797.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

(1290) हज़रत इब्ने अबी लैला से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत कअ़ब बिन उ़ज्रा (رضي الله عنه) ने मुझसे फ़रमाया: मैं तुझे तोहफ़ा न दूँ? (और वह ये है कि) हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम पढ़ना तो हम जान चुके हैं लेकिन आप पर दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मद ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर ख़ुसूसी बरकतें

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) की आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

(1290) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1412, बुख़ारी, हदीस: 6357, व मुस्लिम, हदीस: 406.

باب : (٥٢)
نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (52)
एक और क़िस्म का दरूद

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

(1291) हज़रत तल्हा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर दरूद कैसे पढ़ा जाये? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) और उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ और बुज़ुर्गी वाला है। और मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम(ﷺ) और उनकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

(1291) तख़रीज : (सनद हसन) अहमद: 1/162, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1213.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" .

(1292) हज़रत तल्हा (ﷻ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा! स़ल्लि अ़ला ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। और मुहम्मद(ﷺ) और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

(1292) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/199, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1216.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ أَنَا سَأَلْتُ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَلُّوا عَلَىَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " .

(1293) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा (ﷻ) से पूछा, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था तो आपने फ़रमाया था: 'मुझ पर दरूद पढ़ो और ख़ूब कोशिश से दुआ करो और कहो: (अल्लाहुम्मा! स़ल्लि अ़ला ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आले मुहम्मद पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा।'

(1293) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/199, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1215.

बाब : (53) एक और क़िस्म का दरूद

باب :(٥٣) نَوْعٌ آخَرُ

(1294) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम पढ़ना तो हमने जान लिया है मगर आप पर दरूद कैसे है? आपने फ़रमाया: तुम कहो: (अल्लाहुम्मा! स़ल्लि अ़ला मुहम्मद ....) 'ऐ अल्लाह! अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (ﷺ) और पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा, जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। और मुहम्मद (ﷺ) और आले मुहम्मद (ﷺ) पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4798, 6308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1216.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " .

बाब : (54) एक और क़िस्म का दरूद

باب :(٥٤) نَوْعٌ آخَرُ

(1295) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) से रिवायत है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! स़ल्लि अ़ला मुहम्मद ....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद(ﷺ), आपकी बीवियों और आपकी नस्ल पर रहमतें नाज़िल फ़रमा।' हारिस़ की हदीस़ में ये लफ़्ज़ भी हैं: (कमा स़ल्लैता ....) 'जिस तरह तूने इब्राहीम (ﷺ) की आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाईं। और नबी (ﷺ), आपकी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ " . فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ " كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ " . قَالاَ جَمِيعًا " كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ سَطْرٌ .

बीवियों और आपकी नस्ल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा।' यहाँ से फिर दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं: (कमा बारक्ता ......) 'जिस तरह तूने इब्राहीम(ﷺ) की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें ये हदीस़ हज़रत कुतैबा ने दो दफ़ा बयान फ़रमाई। मालूम यूँ होता है कि उनसे एक सतर रह गई।'

(1295) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 3369, 6360, व मुस्लिम, हदीस़: 407, मौता: 1/165, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1217.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में इमाम स़ाहिब के दो उस्ताद हैं। कुतैबा और हारिस़ बिन मिस्कीन। कुतैबा की रिवायत में कुछ अल्फ़ाज़ रह गये हैं जो हारिस़ बिन मिस्कीन ने बयान किये हैं। इमाम स़ाहिब ने उसकी स़राहत की हैं रिवायत के अल्फ़ाज़ पढ़ने से स़ाफ़ मालूम होता है कि हज़रत कुतैबा से पढ़ते वक़्त एक सतर छूट गई है क्योंकि (अल्लाहुम्मा स़ल्लि) के बाद (कमा बारक्ता) तो नहीं आ सकता बल्कि (कमा स़ल्लैत) ही आ सकता है। **(2)** ऊपर दी गई अहादीस़ में दरूद के जो अल्फ़ाज़ बयान किये गये हैं, उनमें मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है जिसकी कोई हैस़ियत नहीं। इनमें से कोई से अल्फ़ाज़ भी पढ़ लिये जायें, कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता दरूदे इब्राहीमी हो जैसा कि रिवायत से ज़ाहिर है।

باب : (٥٥)
الْفَضْلِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

बाब : (55)
नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(1296) हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन आये तो आपके चेहरे पर ख़ुशी के आस़ार नज़र आ रहे थे। (हमारे इस्तेफ़सार पर) आपने फ़रमाया: 'जिब्रील मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ मुहम्मद! क्या आपके लिये ये बात ख़ुश कुन नहीं है कि आपकी उम्मत में से जो शख़्स भी

عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

आप पर दरूद पढ़ेगा, मैं उस पर दस बार रहमत उतारूंगा और आपकी उम्मत में से जो शख़्स भी आप पर सलाम पढ़ेगा, मैं उस पर दस दफ़ा सलाम नाज़िल करूंगा।'

(1296) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1218.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 1284.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

(1297) हज़रत अबू हुरैरह से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस पर दस दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा।'

(1297) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1219.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " .

(1298) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमायेगा और उसकी दस ग़लतियाँ माफ़ कर दी जायेंगी और उसके दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे।'

(1298) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1220, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2390, वल हाकिम: 1/550.

फ़ायदा : इस हदीस में साबिक़ा अहादीस से ज़्यादा फ़ज़ीलत और सवाब का बयान है और ये अल्लाह तआला का करम है। अल्लाह तआला के हबीब (ﷺ) पर दरूद पढ़ने वाला अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है। क्यूँ न हो? हबीबुल हबीब हबीबुन. दरूद पढ़ना अज़ीमुल क़ुरुबात 'नेक कामों में सबसे अज़ीम' है और अफ़ज़ल दुआ है।

बाब : (56) नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ने के बाद, इख़्तियार है कि कोई (मन्क़ूल) दुआ पढ़ ली जाये

باب :(٥٦) تَخْيِيرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ " .

(1299) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पीछे (तशह्हुद में) बैठते थे तो हम कहते थे: अल्लाह के बन्दों की तरफ़ से अल्लाह तआला पर सलाम हो, फ़ुलां पर सलाम और फ़ुलां पर सलाम। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम (अस्सलामुअलल्लाहि) न कहो क्योंकि अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम है बल्कि जब तुममें से कोई शख़्स (क़अदे में) बैठे तो वह कहे: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि .....) 'तमाम आदाब (क़ौली इबादात) और तमाम दुआएँ (फ़ेअली इबादात) और तमाम अच्छे कलिमात (माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमत व बरकात हों। हम पर और अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। जब तुम ये अल्फ़ाज़ कहोगे तो ये सलाम और दुआ आसमान व ज़मीन में अल्लाह तआला के हर नेक बन्दे को पहुँच जायेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल हैं।' फिर उसके बाद (दरूद पढ़ कर) जो (मन्क़ूल) दुआ उसे ज़्यादा पसन्द हो, मुन्तख़ब करे और पढ़े।'

(1299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1221.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे हदीस़ में मुत्लक़ दुआ का ज़िक्र है मगर कुछ चीज़ें ख़ुद बख़ुद मफ़हूम होती हैं, यानी दुआ से पहले दरूद पढ़ा जायेगा जैसा कि गुज़िश्ता रिवायात से वाज़ेह है, जैसे: हदीस़ नम्बर 1285 इसी तरह दुआ से मुराद भी मन्क़ूल और मासूर दुआ है, न कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ दुआएँ बनाता रहे। जब नमाज़ के हर रुक्न के लिये मन्क़ूल ज़िक्र होना ज़रूरी है तो यहाँ कैसे ग़ैर मन्क़ूल दुआ मुराद होगी? वैसे भी अपनी तरफ़ से बनाई हूई दुआ की स़ेहत का यक़ीन नहीं होता और नमाज़ में मशकूक चीज़ नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु आलम! (2) दरूद शरीफ़ पढ़ने से अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। (3) नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर स़लात पढ़ने में बन्दा अपने रब की मुवाफ़िक़त करता है अगरचे अल्लाह का आप पर स़लात पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों के यहाँ आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करता है और हमारे और फ़रिश्तों के स़लात पढ़ने से मुराद दुआ है। (4) जो बन्दा एक दफ़ा नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, दस नेकियाँ अता फ़रमाता है। दस दर्जे बलन्द हो जाते हैं और उसके दस गुनाह मिटा दिये जाते हैं। (5) जब बन्दा अल्लाह के हुज़ूर दुआ माँगता और उससे पहले दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ क़बूल होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। (6) दरूद शरीफ़ क़यामत वाले दिन नबी-ए-रहमत (ﷺ) की शफ़ाअत, आपकी रफ़ाक़त और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा। (7) इसके न पढ़ने से आदमी क़यामत के दिन हसरत और अफ़सोस करेगा। (8) इसके पढ़ने से फ़ाक़ों और मुसीबतों से निजात मिलती है। (9) इसके पढ़ने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। (10) आप पर दरूद न भेजने वाला बख़ील है। (11) आपका नाम सुन कर दरूद न पढ़ने वाले के लिये जिब्रील (عليه السلام) और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने बद दुआ फ़रमाई। (12) इसके पढ़ने से फ़रिश्ते दुआ-ए-रहमत करते हैं। (13) इसके पढ़ने से रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ुर्ब नस़ीब होगा।

बाब : (57)
तशह्हुद के बाद ज़िक्र

باب: (٥٧)
الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

(1300) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) नबी (ﷺ) के पास आईं और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखा दीजिये जिनके साथ मैं नमाज़ में दुआ किया करूं। आपने फ़रमाया: 'दस दफ़ा

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَخُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلاَتِي . قَالَ " سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ".

सुब्हानल्लाह पढ़ा कर और दस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर और दस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। फिर अल्लाह से अपनी हाजत तलब कर। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: हाँ (मैंने तेरी हाजत क़बूल की)'

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी, ह.481, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.1222, व सहीह अलहाकिम: 1/317, 318.

फ़ायदा : हदीसे मज़्कूर में ये कहीं नहीं कि ये ज़िक्र तशहहुद के बाद किया जायेगा, दीगर रिवायात में सराहत है कि ये ज़िक्र सलाम के बाद किया जायेगा। (देखिये, हदीस: 1349) या इस जुम्ला (नमाज़ में दुआ किया करूं - फ़ी सलाती) में सलात से मुराद दुआ ली जाये। मतलब ये होगा कि मुझे ऐसे कलिमात सिखा दीजिये जो मैं अपनी दुआ में पढ़ा करूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का जवाब इस मानी की ताईद करता है। इमाम नसाई (رحمه الله) का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है (कि ये ज़िक्र सलाम से पहले है) बल्कि ये ज़िक्र भी नमाज़ के बाद है और ज़िक्र के बाद दुआ भी नमाज़ के बाद है। वल्लाहु आलम।

बाब : (58)
ज़िक्र के बाद दुआ

بَاب : (٥٨)
الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي، أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا - يَعْنِي - وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله

(1301) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था। जब उसने रुकू और सज्दा कर लिया और तशहहुद भी पढ़ लिया तो उसने दुआ की और अपनी दुआ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्अलुक ......) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिये ही तारीफ़ है। तेरे सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। तु बहुत एहसान करने वाला है। आसमानों और ज़मीनों को बिला माद्दा पैदा करने वाला है। ऐ बुज़ुर्गी व इज़्ज़त वाले! ऐ ज़िन्दा व जावेद! ऐ

عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " تَدْرُونَ بِمَا دَعَا " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " .

सबको क़ाइम रखने वाले! बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ।' नबी (ﷺ) ने अपने सहाबा से फ़रमाया: 'तुम जानते हो उसने किन लफ़्ज़ों से दुआ की?' उन्होंने कहा: अल्लाह तआला और उसका रसूल बख़ूबी जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने अल्लाह तआला के उस इस्मे आज़म के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ अल्लाह को पुकारा जाये तो वह ज़रूर जवाब देता है और जब उसके साथ कुछ माँगा जाये तो ज़रूर अता फ़रमाता है।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1223, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2382, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 1/503, 504.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بُرَيْدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ

(1302) हज़रत मिहजन बिन अदरअ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुये जबकि एक आदमी अपनी नमाज़ मुकम्मल कर चुका था और तशह्हुद की हालत में था। उसने कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्अलुक ....) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तु वाहिद है। यक्ता और बेन्याज़ है, जिसने न किसी को जना और न वह जना गया, और न कोई उसका हमसर है, तू मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बिलाशुब्हा तू ही बहुत ज़्यादा बख़्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।' रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तीन मर्तबा फ़रमाया: 'तहक़ीक़ उसे माफ़ कर दिया गया।'

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ غُفِرَ لَهُ " . ثَلاَثًا .

(1302) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1224, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 724, वल हाकिम: 1/267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूले अकरम (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से ये अज़ीम ख़ुश ख़बरी न सिर्फ़ हज़रत मिह्जन (رضي الله عنه) के लिये थी बल्कि हर उस शख़्स के लिये है जो इस अन्दाज़ से दुआ करे। ये दुआ भी इस्मे आज़म के साथ ही है क्योंकि मज़्कूरा औसाफ़ बारी तआला की ज़ाते बेमिसाल के साथ ख़ास हैं। किसी में उनका शम्मा भी नहीं पाया जाता। **(2)** नमाज़ से फ़ारिग़ होकर अज़्कार करने के बाद दुआ करना मुस्तहसन अम्र है। **(3)** अपनी हाजत का मुतालबा करने से पहले मज़्कूरा अल्फ़ाज़ कहने से अल्लाह तआला बन्दे की दुआ ज़रूर क़बूल फ़रमाता है, बशर्ते कि इसमें बक़िया शराइत मौजूद हों, जैसे: उसका खाना, पीना और लिबास हलाल का हो। **(4)** अल्लाह तआला के तमाम नाम ही मुक़द्दस व बा'बरकत हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तासीर बाक़ी से बढ़ कर है। वल्लाहु आलम!

बाब : (59)
एक और क़िस्म की दुआ

باب : (٥٩)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، - رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي . قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "

(1303) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिये जो मैं अपनी नमाज़ में करूं। आपने फ़रमाया: 'यूँ कहा करो: (अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम्तु ......) 'ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा ज़ुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा मेरे लिये अपनी तरफ़ से बख़्शिश फ़रमा और मुझ पर रहम फ़रमा। बिलाशुब्हा तू ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, निहायत रहम करने वाला है।'

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 834, व मुस्लिम, 2705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1225.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर इन्सान पुर तक़्सीर है, लिहाज़ा अपने क़सूर का ऐतराफ़ करते रहना चाहिए, ख़्वाह इल्म हो या न। बन्दे की शान यही है, ख़्वाह सिद्दीक़ ही हो, और ये दुआ तो हर उम्मती के लिये है। ज़ुल्मे कसीर से मुराद गुनाहों और ग़लतियों की कस्रत है जिससे कोई उम्मती महफ़ूज़ नहीं हैं वल्लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से इस मौक़िफ़ की तर्दीद होती है कि मोमिन का लफ़्ज़ सिर्फ़ उसी शख़्स पर बोला जा सकता है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह न हो। अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) इस उम्मत में सबसे बड़े मोमिन थे लेकिन नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें ये दुआ सिखाई।

बाब : (60)
एक और क़िस्म की दुआ

باب : (٦٠)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

(1304) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! मैं तुझ से मोहब्बत करता हूँ।' मैंने अर्ज़ कियाः 'ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'फिर तू किसी नमाज़ में ये दुआ करना न छोड़ः (रब्बि इन्नी अला ज़िक्रिका .....) 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़रमा कि मैं तेरा ज़िक्र करूं और तेरा शुक्र करूं और तेरी इबादत अच्छी तरह बना संवार के करूं।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 1522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1226, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीसः 751, व इब्ने हिब्बान, हदीसः 2345, वल हाकिमः 1/273.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ " . فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ में दुआ करना मशरूअ है। (2) इस हदीस में (फ़ी कुल्लि सलातिन) 'हर नमाज़ में' के अल्फ़ाज़ हैं, दीगर रिवायात में (फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन) 'हर नमाज़ के बाद' के अल्फ़ाज़ हैं। दोनों रिवायतों में तआरुज़ नहीं बल्कि इसमें वुस्अत है कि बन्दा सलाम के बाद भी ये दुआ पढ़ सकता है और सलाम से पहले भी, इसलिये कि दुबुर के मानी

'हर चीज़ का आख़िर' भी हैं और 'बाद' भी हैं। वल्लाहु आलम! (3) हज़रत मुआज़ (ﷺ) की फ़ज़ीलत कि नबी (ﷺ) उनसे मोहब्बत करते थे। (4) इससे ये भी साबित हुआ कि अगर किसी बन्दे को दूसरे से मोहब्बत हो तो उसे बता देना चाहिए, इससे मोहब्बत में पायेदारी और दवाम हो जाता है। (5) बन्दा हर वक़्त अल्लाह की इताअत व फ़रमांबरदारी के लिये उससे मदद माँगता रहे क्योंकि गुनाह से बचने और नेकी करने की ताक़त उसकी तौफ़ीक़ के बग़ैर मुमकिन नहीं।

बाब : (61)
एक और क़िस्म की दुआ

باب : (٦١)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

(1305) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक ....) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मैं दीन के मामले में साबित क़दम रहूं और हिदायत के हुसूल में पुर अज़्म रहूँ और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और तेरी इबादत अच्छे तरीक़े से करूं और मैं तुझसे क़ल्बे सलीम और सच्ची ज़बान माँगता हूँ। और तुझसे मैं हर उस चीज़ की ख़ैर माँगता हूँ जो तू जानता है और हर उस चीज़ के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जो तू जानता है और तुझसे हर उस गुनाह की माफ़ी माँगता हूँ जो तू जानता है।'

(1305) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान, (मवारिद) हदीस: 2416, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1227, तिर्मिज़ी, हदीस: 3407, वग़ैरह अत्तबरानी (अल कबीर: 7/279, हदीस: 7135) वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ " .

फ़ायदा : 'क़ल्बे सलीम' से मुराद वह दिल है जो अल्लाह तआला के हक़ में शिर्क व निफ़ाक़ और रिया से महफ़ूज़ हो और बन्दों के हक़ में हसद, कीना, बुग़्ज़, हिर्स और हवस से पाक हो और नेकी की तरफ़ राग़िब हो। वल्लाहु आलम!

बाब : (62)एक और क़िस्म की दुआ

باب :(٦٢) نَوْعٌ آخَرُ

(1306) हज़रत साइब बयान करते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) ने हमें एक नमाज़ पढ़ाई और बड़ी मुख़्तसर पढ़ाई। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपने बड़ी हल्की और मुख़्तसर नमाज़ पढ़ाई है। आप कहने लगे: इसके बावजूद मैंने नमाज़ में बहुत सी दुआएँ पढ़ी हैं जो मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से सुनीं। जब वह उठे तो एक आदमी उनके पीछे चला .... वह ख़ूद हज़रत साइब ही थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम पोशीदा रखा ..... और उनसे वह दुआएँ पूछीं। फिर वापस आकर उसने लोगों को बताई। (एक दुआ ये थी:) (अल्लाहुम्मा बिइल्मिक .....) 'ऐ अल्लाह! चूंकि तू इल्मे ग़ैब जानता है और तमाम मख़्लूक़ात पर क़ुदरत रखता है, इसलिये (मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उस वक़्त तक ज़िन्दा रख जब तक मेरे लिये ज़िन्दा रहना बेहतर है और मुझे उस वक़्त फ़ौत कर देना जब मेरे लिये वफ़ात बेहतर समझे। और ऐ अल्लाह! मैं तुझसे बातिनन और ज़ाहिरन तेरे डर का सवाल करता हूँ और रज़ामन्दी व नाराज़ी हर हाल में सच्ची और हिकमत भरी बात कहने का सवाल करता हूँ। और फ़क़ीरी व अमीरी में मियानारवी इख़्तियार करने की तौफ़ीक़ माँगता हूँ और तुझसे ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो कभी ख़त्म न हों और ऐसी आँख की ठण्डक (ख़ूशी व लज़्ज़त) माँगता हूँ जो कभी मुन्क़तअ न हों और राज़ी बरज़ा व क़ज़ा रहने का सवाल करता हूँ।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَةَ . فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِي غَيْرَ أَنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ

لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ " .

और मौत के बाद लज़ीज़ ज़िन्दगी माँगता हूँ। और तेरे रूए अक़्दस के दीदार के मज़े और तेरी मुलाक़ात के शौक़ का तलबगार हूँ, बग़ैर इसके कि किसी नुक़सानदेह मुसीबत में फँसूं या किसी गुमराहकुन फ़ित्ने में मुब्तला हों। ऐ अल्लाह! हमें ईमान की ज़ीनत से आरास्ता फ़रमा और हमें हिदायत याफ़्ता (और गुमराहों को) राह दिखाने वाले बना दे।'

(1306) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमा, सफ़ा: 12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1228, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 509.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلاَةً أَخَفَّهَا فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهَا فَقَالَ أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا بَلَى . قَالَ أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الإِخْلاَصِ فِي

(1307) हज़रत क़ैस बिन उबादा बयान करते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) ने लोगों को हल्की नमाज़ पढ़ाई। गोया कि लोगों ने उसे अजीब समझा। आपने फ़रमाया: 'क्या मैंने रुकू और सज्दे मुकम्मल नहीं किये? लोगों ने कहा: क्यूँ नहीं (वह तो ठीक हैं) आपने फ़रमाया: मैंने नमाज़ में वह दुआ पढ़ी है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा .....) 'ऐ अल्लाह! चूंकि तु ग़ैब जानता है और मख़्लूक़ पर क़ुदरते कामिला रखता है, लिहाज़ा (मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उतनी देर तक ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिये बेहतर हो और उस वक़्त फ़ौत कर देना जब तू मेरे लिये वफ़ात बेहतर समझे। मैं तुझसे ख़ल्वत व जल्वत में तेरा डर माँगता हूँ और रज़ामन्दी व नाराज़ी में कलिम-ए हक़ कहने की तौफ़ीक़ माँगता हूँ। और तुझसे वह नेमत माँगता हूँ जो ख़त्म न हो और आँख की वह ठण्डक (लज़्ज़त

الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ " .

व सुरूर) जो कभी मुन्क़तअ न हो और तक़दीर पर राज़ी रहने, मौत के बाद पर सुरूरे ज़िन्दगी और तेरे रूए अक़्दस की ज़ियारत की लज़्ज़त और तेरी मुलाक़ात का शौक़ माँगता हूँ और हर नुक़सानदेह मुसीबत और हर गुमराहकुन फ़ित्ने से तेरी पनाह तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह! हमें ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फ़रमा और हमें हिदायत याफ़्ता (और गुमराहों के लिये) राह दिखाने वाला (रहनुमा) बना दे।'

(1307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/264, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1229. पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) दोनों रिवायात में मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है, मानी दोनों के एक हैं। ये इन्तेहाई जामेअ़ दुआ है। **(2)** कुछ रिवायात में मौत की ख़्वाहिश करने से मना किया गया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 7233-7235) और इन रिवायात में मौत की दुआ मज़्कूर है। इन दोनों में तत्बीक़ ये है कि बीमारी वग़ैरह या दूसरे दुनियावी मसाइब की वजह से मौत की ख़्वाहिश करना मना है, अगर आदमी को दीन में ख़राबी या फ़ित्ने का डर हो तो ऐसे हालात में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ कर सकता है। **(3)** जब तक इन्सान ज़िन्दा रहे अपनी ख़ैर व भलाई की दुआ करता रहे। **(4)** मोमिनों को अल्लाह तआ़ला का दीदार नसीब होगा और वह अल्लाह को बग़ैर किसी रुकावट के देखेंगे।

باب :(٦٣) التَّعَوُّذِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (63) नमाज़ में (अल्लाह तआ़ला से) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدِّثِينِي بِشَىْءٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِهِ . فَقَالَتْ نَعَمْ

(1308) हज़रत फ़र्वा बिन नौफ़ल बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﵞ) से कहा: मुझे कोई ऐसी चीज़ बयान कीजिये जिसके साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ में दुआ फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: ज़रूर, रसूलुल्लाह (ﷺ) यूँ पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी ......) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

पनाह चाहता हूँ उन बुरे कामों के शर से जो मैंने किये और जो अभी नहीं किये।'

(1308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2716/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1230.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मानी भी हो सकते हैं कि बुरे काम करने और नेक काम न करने के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तीसरे मानी ये हो सकते हैं कि मैं अपने कामों के शर से भी तेरी पनाह चाहता हूँ और उन कामों और चीज़ों के शर से भी जिनका मेरे अमल से ताल्लुक़ नहीं। वह दूसरे लोगों का फ़ेअल हो या अल्लाह तआला का, यानी क़ज़ा व क़द्र। दूसरे लोगों के फ़ेअल (जैसे: उनके हसद, बुग़्ज़, मअ़सीयत वग़ैरह) से भी तो इन्सान को शर पहुँच सकता है। वल्लाहु आलम (2) नबी (ﷺ) अक्सर अल्लाह तआला की पनाह तलब करते रहते थे। आपने इससे उम्मत को ये तालीम दी है कि हमा वक़्त अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो क्योंकि अल्लाह की पकड़ से सिर्फ़ ख़ाइब व ख़ासिर लोग ही बेख़ौफ़ होते हैं।

باب : (٦٤)
نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (64)
एक और क़िस्म का तअव्वुज़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ " نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةً بَعْدُ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(1309) हज़रत आयशा (ﵵ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से क़ब्र के अज़ाब के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'हाँ, अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है।' हज़रत आयशा (ﵵ) बयान करती हैं कि उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जो भी नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसमें अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते थे।

(1309) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1372, व मुस्लिम, हदीस: 586/126, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1231.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज़ाबे क़ब्र से मुराद क़ब्र का जहन्नम से कुछ हद तक मुताल्लिक़ हो जाना है जिसकी बिना पर क़ब्र की ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी, और जवाबात न आने पर फ़रिश्तों की तरफ़ से सज़ा और कुछ आमाल की जुज़्वी सज़ा, जैसे: पेशाब के छींटों से परहेज़ न करना और

चुग़लियाँ करना क़ब्र में भी सज़ा का मुस्तौजिब बनाता है। इस क़िस्म का अज़ाब सबको नहीं होगा। अल्लाह तआला के नेक बन्दे उससे महफ़ूज़ रहेंगे। बल्कि उसके मुक़ाबिल उन्हें सवाबे क़ब्र होगा। वल्लाहु आलम! **(2)** नमाज़ में अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगना मशरूअ है। **(3)** इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। **(4)** इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अगली पिछली सारी लग़ज़िशें माफ़ कर दीं थीं: (क़द ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही वमा तअख़्ख़र) इसके बावजूद आप किस कद्र अल्लाह के अज़ाब से डरते थे और इस्तेग़फ़ार करते रहते थे जबकि हम गुनाहों की दलदल में फँसे हुये हैं, हमें तो बिल औला कस्रत से इस्तेग़फ़ार और तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह की पकड़ से पनाह माँगनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

(1310) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र .....) 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने व आज़माइश से तेरी पनाह चाहता हूँ और जिन्दगी और मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ और ऐ अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ (या गुनाहों के बोझ) से तेरी पनाह चाहता हूँ।' किसी कहने वाले ने आपसे कहा: आप क़र्ज़ से किस क़द्र ज़्यादा पनाह तलब करते हैं! आपने फ़रमाया: 'जब कोई आदमी मक़रूज़ हो जाता है, फिर बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो वादा ख़िलाफ़ी करता है।'

(1310) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह. 832, व मुस्लिम, ह. 589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह. 1232.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मसीह दज्जाल' अहादीसे सहीहा से मालूम होता है कि क़यामत से पहले एक शख़्स दुनिया पर ग़ल्बा हासिल कर लेगा। वह दुनियावी तौर पर तरक़्क़ी याफ़्ता होगा और लोगों को अपने साइंसी व दीगर कमालात से मरऊब करेगा। दीनी तौर पर वह रब होने का दावा करेगा और सब लोगों को अपना कलिमा पढ़ाने की कोशिश करेगा। सख़्त दग़ाबाज़ और धोखेबाज़ होगा। ये दज्जाल के

मानी हैं। मसीह उसे इसलिये कहा गया है कि वह मम्सूहुल ऐन (काना) होगा। यहूदी उसे अपना निजात दहिन्दा क़रार देंगे। वह उसके इन्तेज़ार में हैं, वरना हक़ीक़ी मसीह तो कब का आ चुका जिसे उन्होंने न माना। इस जअ्ली मसीह को मानेंगे जो उनमें से होगा। दोनों आँखों से ऐबनाक होगा। यहूदियों ने हक़ीक़ी मसीह ईसा (عليه السلام) को सूली देने की नापाक जसारत की तो अल्लाह तआला ने उन्हें यहूदियों के शर से बचाने के लिये ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के नज़दीक अल्लाह तआला उन्हें फिर ज़मीन पर उतारेगा, वह इस ज़अ्ली धोखेबाज़ मसीह को क़त्ल करके उसकी मसीहयत का भाण्डा फोड़ देंगे और दुनिया को उसके ज़ुल्म व सितम से निजात दिलायेंगे। उसके क़त्ल से यहूदियत का ख़ातिमा हो जायेगा और ईसाइयत को ईसा (عليه السلام) अपनी ज़बानी और अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। ईसाइयत के निशान सलीब और ख़िन्ज़ीर का नाम व निशान मिटायेंगे। ख़ालिस इस्लाम का बोल बाला होगा। इन्शाअल्लाह। **(2)** 'जिन्दगी का फ़ित्ना' ये है कि इन्सान ज़िन्दगी में रब तआला का नाफ़रमान रहें दीने हक़ से बर्गश्ता रहें ज़िन्दगी की ख़ूश नुमाइयों में खोकर हक़ तआला से ग़ाफ़िल रहें और 'मौत का फ़ित्ना' ये है कि मरते वक़्त शैतान गुमराह कर दे। कलिम ए-तौहीद नसीब न हो। बुरी हालत पर मौत आये। अलइयाज़ बिल्लाह मुमकिन है इससे अज़ाबे क़ब्र, यानी सवाल व जवाब में नाकामी मुराद हो। मुक़ल्लबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक. **(3)** अपने वसाइल से बढ़ कर क़र्ज़ उठाना कि बाद में उसे अदा न किया जा सके, दुरुस्त नहीं है। **(4)** वादा ख़िलाफ़ी करना और झूठ बोलना हराम है। **(5)** मज़्कूरा अश्या (चीज़ों) से अल्लाह तआला की पनाह माँगते रहना चाहिए।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ

(1311) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ी तशह्हुद पढ़ चुके तो इन चार चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करे: जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी और मौत की आज़माइश और मसीह दज्जाल के शर से, फिर उसके बाद (मन्क़ूल दुआओं में से) अपने लिये अपनी पसन्दीदा दुआ करे।'

(1311) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 588/130, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1233.

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुये इस तअव्वुज़ को वाजिब क़रार दिया है, इब्ने हज़्म और इमाम ताऊस (ﷺ) का यही मौक़िफ़ है। शैख़ अल्बानी (ﷺ) भी इसके क़ाइल हैं। देखिये: (अस़्लु स़िफ़तिस़्स़लात: 3/998, 999) जबकि जुम्हूर अहले इल्म की दलील वह अहादीस हैं जिनमें है कि आपने इसके बग़ैर नमाज़ पढ़ी या सिखाई है या उसे कामिल क़रार दिया है। इस एक रिवायत के ऐसे मानी मुराद नहीं लिये जा सकते जो बाक़ी तमाम अहादीस़ के ख़िलाफ़ हों, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है। इस क़िस्म के (अम्र व हुक्म के) अल्फ़ाज़ इस्तेहबाब व ताकीद के लिये भी आ जाया करते हैं। बाक़ी अहादीस़ के पेशे नज़र यहाँ यही मानी मुराद हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (65)
तशह्हुद के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र

باب : (٦٥)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ " أَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " .

(1312) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ में तशह्हुद के बाद ये अल्फ़ाज़ कहते थे: (वअह्सनुल कलामि कलामुल्लाहि....) 'सब से बेहतरीन कलाम अल्लाह तआला का कलाम है और सबसे अच्छा तरीक़ा मुहम्मद(ﷺ) का तरीक़ा है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/319.

फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए-वाज़ में तशह्हुद के बाद तो ये अल्फ़ाज़ बहुत जचते हैं क्योंकि ये वाज़ की तम्हीद हैं मगर नमाज़ के तशह्हुद के बाद इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत मालूम नहीं होती। इमाम नसाई (ﷺ) का इस हदीस़ से नमाज़ वाले तशह्हुद के बाद इस ज़िक्र के पढ़ने का इस्तेदलाल करना महल्ले नज़र है। इससे मुराद ख़ुत्बे का तशह्हुद (शहादतैन) है जैसा कि मुसनद अहमद की रिवायत से स़राहत होती है: 'नबी (ﷺ) अपने ख़ुत्बे में शहादतैन के बाद ये अल्फ़ाज़ (इन्ना अह्सनल हदीस़ ....) पढ़ा करते थे।' (मुसनद अहमद: 3/319) और यहाँ 'अस़्स़लात' से मुराद ख़ुत्बा है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से ज़ाहिर हुआ। और ख़ुत्बे को स़लात इसलिये कहा कि ये उसके मुक़द्दमात और मुबादियात में से है, जैसा कि ख़ुत्ब-ए-जुमा है। वल्लाहु आलम। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह नसाई: 15/264)

बाब : (66)
नाक़िस नमाज़ पढ़ने का बयान

باب : (٦٦)
تَطْفِيفِ الصَّلَاةِ

(1313) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने एक आदमी को नाक़िस नमाज़ पढ़ते देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा: तू कितने अर्से से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा है? उसने कहा: चालीस साल से। आपने फ़रमाया: यक़ीन कर चालीस साल से तूने नमाज़ पढ़ी ही नहीं और अगर तू इसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ता पढ़ता मर जाता तो हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के दीन पर फ़ौत न होता। फिर आप कहने लगे: बिलाशुब्हा इन्सान हल्की नमाज़ पढ़ने के बावजूद मुकम्मल और अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकता है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا . قَالَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ .

(1313) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 791, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1335.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह शख़्स नमाज़ तेज़ तेज़ पढ़ता था और इत्मिनान व सुकून नहीं करता था। बुख़ारी में है: 'वह रुकू व सुजूद मुकम्मल नहीं कर रहा था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 79--) ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (हदीस: 3732, 3733) में भी है। उसमें है कि वह ठूंगें मार रहा था। 'यन्कुरुफ़ीहा' एक और रिवायत में इस क़िस्म की नमाज़ को 'ठूंगें मारने' से तश्बीह दी गई है और इसे मुनाफ़िक़ की नमाज़ भी कहा गया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 622) इसलिये हज़रत हुज़ैफ़ा(ﷺ) ने इस नमाज़ को कलअदम क़रार दिया है और जब नमाज़ ही न हूई तो उसकी मौत इस्लाम की मौत नहीं क्योंकि नमाज़ के बग़ैर दीन नहीं। मुमकिन है आपने ज़ज्र के तौर पर सख़्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हों ताकि वह कामिल नमाज़ पढ़े। **(2)** हल्की नमाज़ से मुराद क़िराअत में तख़्फ़ीफ़ है। रुकू, क़ौमा, सज्दा और जल्सा मुकम्मल होने चाहिए, यानी तमाम अरकान में सुकून व इत्मिनान इख़्तियार किया जाये। **(3)** नमाज़ में कमी करना या नाक़िस अदा करना हराम है। **(4)** जो शख़्स नमाज़ के अरकान व वाजिबात मुकम्मल न करे, उसे बेनमाज़ी ही शुमार किया जायेगा। **(5)** जब सहाबी सुन्नतु मुहम्मदिन या फ़ितरतु मुहम्मदिन कहे तो वह हदीस मर्फ़ूअ के हुक्म में होती है।

باب : (٦٧)
أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمٍّ، لَهُ بَدْرِيٍّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ " إِذَا قُمْتَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ " .

बाब : (67)
वह कम अज़ कम अरकान जिनके साथ नमाज़ काफ़ी होती है

(1314) एक बदरी सहाबी (हज़रत रिफ़ाअ़ा बिन राफ़ेअ़) (ﷺ) ने बयान किया कि एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हुआ और नमाज़ पढ़ने लगा और रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे बग़ौर देखने लगे। हमें इस बात का पता नहीं था। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ आया और सलाम कहा। आपने फ़रमाया: 'वापस जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह वापस गया और दोबारा नमाज़ पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया। आपने फिर फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' दो तीन दफ़ा ऐसा ही हुआ। आख़िर वह आदमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने आपको इज़्ज़त बख़्शी! मैं तो (बार बार नमाज़ पढ़ कर) थक गया हूँ, लिहाज़ा मुझे सिखा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के इरादे से खड़ा हो तो वुज़ू कर और अच्छी तरह वुज़ू कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर और अल्लाहु अकबर कह, फिर क़िराअत कर, फिर रुकू कर और इत्मिनान से रुकू कर, फिर सर उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे,

फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, फिर सर उठा, फिर (हर रकअत में) ऐसे ही कर यहाँ तक कि तू अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 860, तिर्मिज़ी, ह: 302, देखें हदीस: 1054, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1236.

फ़ायदा : इस हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ के फ़र्ज़ काम बयान किये हैं या वह काम जिनमें वह सहाबी सुस्ती करता था। दोनों सूरतों में इन कामों के बग़ैर नमाज़ नहीं होती क्योंकि आपने फ़रमाया था: 'तेरी नमाज़ नहीं हूई।' (बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 1054)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمٍّ، لَهُ بَدْرِيٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ فِي صَلاَتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ

(1315) एक बदरी सहाबी हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं रसूल (ﷺ) के साथ मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी दाख़िल हुआ और उसने दो रकअतें पढ़ीं, फिर वह नबी (ﷺ) के पास आया और आपको सलाम कहा जब कि नबी (ﷺ) उसे नमाज़ में देखते रहे थे। आपने उसे सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 'वापस जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह वापस गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी(ﷺ) के पास आया और आपको सलाम कहा। आपने उसे सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि तीसरी या चौथी दफ़ा हूई तो उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आप पर किताब उतारी! मैं तो (बार बार नमाज़ पढ़ कर) थक गया हूँ। मेरी ख़्वाहिश है कि आप मुझे (नमाज़ पढ़ कर) दिखायें और मुझे सिखला दें। आपने

فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي . قَالَ " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ " .

फ़रमायाः 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो वुज़ू कर और बेहतरीन वुज़ू कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर और अल्लाहु अकबर कह, फिर क़ुआन (कम अज़ कम फ़ातिहा) पढ़, फिर रुकू कर यहाँ तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि तुझे सज्दे में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ जाये, फिर दूसरा सज्दा कर यहाँ तक कि तुझे सज्दे में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा, फिर जब तू इस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल कर ले तो तेरी नमाज़ मुकम्मल और स़ही हो जायेगी। और जो तू इन कामों में कमी करेगा तो यक़ीनन अपनी नमाज़ ही में नुक़्स डालेगा।'

(1315) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1237.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में स़राहत है कि उसने तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी। (मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: हदीस़: 1054)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ

(1316) हज़रत सअद बिन हिशाम बयान फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्र (रात की नफ़ल नमाज़) के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमायाः हम आपके लिये आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार करके रख देते थे। जब अल्लाह तआला चाहता आपको जगाता। आप उठ कर मिस्वाक करते, वुज़ू फ़रमाते और आठ रकआत पढ़ते। इनमें आप तशह्हुद के लिये नहीं बैठते थे मगर

فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا .

आठवीं रकअत के बाद। फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते। फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते कि हम सुन लेते।

(1316) **तख़रीज : (सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 1191, बैहक़ी: 2/499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1238, सहीह मुस्लिम, हदीस: 746.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं बैठते थे' गोया नफ़ल नमाज़ में अगर हर दो रकअत के बाद न बैठे, सिर्फ़ आख़री रकअत के बाद बैठ जाये और तशह्हुद वग़ैरह पढ़ ले तो काफ़ी है, नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशह्हुद बैठना चाहिए। अगर भूल जाये तो नमाज़ हो जायेगी मगर सज्द-ए-सहव ज़रूरी हैं क़सदन छूटे तो नमाज़ दोहराये। **(2)** 'आठ रकआत पढ़ते' वित्र उसके अलावा पढ़ते। वित्र (ताक़ नमाज़) पढ़ने के बाद पहले पढ़े हुये सब नवाफ़िल भी वित्र में शामिल हो जायेंगे क्योंकि नमाज़ एक ही है। सिर्फ़ रकआत की तादाद (ताक़) के मद्दे नज़र उसे वित्र कह देते हैं वरना ये सब सलातुल लैल है, ताहम ख़ाली वित्र के लिए कुछ ने कम अज़ कम तीन की हद मुक़र्रर की है मगर आप (ﷺ) और कुछ सहाब-ए-किराम (ﷺ) से सिर्फ़ एक रकअत भी साबित है, लिहाज़ा एक रकअत पढ़ना भी जायज़ है। लेकिन इस पर हमेशगी उस्व-ए-रसूल(ﷺ) नहीं।

बाब : (68)
सलाम का बयान

باب : (٦٨)
السَّلَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمَخْرَمِيُّ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

(1317) हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (नमाज़ के आख़िर में) दायें बायें (मुँह मोड़ते थे और) सलाम कहते थे।

(1317) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 582, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1239.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

(1318) हज़रत सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखता था कि आप (नमाज़ के इख़्तिताम पर) दायें और बायें सलाम कहते थे और इस क़द्र मुँह मोड़ते थे कि आपके रुख़सारे अतहर की सफ़ेदी नज़र आने लगती थी।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये (रावी-ए-हदीस़) अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र मोतबर रावी हैं, अलबत्ता अ़ली बिन मदीनी के वालिद अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह मतरूक हैं। (उनकी हदीस़ मोतबर नहीं है)

(1318) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 582, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1240.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ के रावी अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र मख़रमी हैं जो स़िक़ा हैं। एक दूसरे अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र हैं जो मशहूर मुहद्दिस़ और नुक़्क़ाद हज़रत अ़ली बिन मदीनी के वालिदे मोहतरम हैं लेकिन वह अपने कमज़ोर हाफ़िज़े की वजह से इल्मे हदीस़ में क़ाबिले ऐतबार नहीं। चूंकि इश्तेबाह का ख़तरा था, इसलिए इमाम स़ाहिब ने वज़ाहत फ़रमाई। जज़ाहुल्लाहु ख़ैरन **(2)** सलाम दोनों जानिब कहना चाहिए। कस़ीर रिवायात इसी पर दाल हैं। लेकिन नमाज़ के आख़िर में सिर्फ़ एक तरफ़ सलाम कहना भी जायज़ है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक तरफ़ सलाम कहना भी स़ाबित है। तफ़्सील के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसि़स़ स़हीहा: 1/628, हदीस़: 316) जब एक सलाम कहना हो तो सामने की तरफ़ मुँह करके सलाम कहा जाये, फिर चेहरे को दायें जानिब माइल कर लें। वल्लाहु आ़लम!

بَاب : (٦٩)
مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ

बाब : (69)
सलाम कहते वक़्त हाथ किस जगह हों?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ

(1319) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि (इब्तेदा में) जब हम नबी (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हम (अस्सलामु अ़लैकुम, अस्सलामु अ़लैकुम)

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ " مَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " .

कहते और साथ हाथों को भी दायें बायें उठाते थे। (यानी दाईं तरफ़ सलाम के वक़्त दाईं तरफ़ और बाईं तरफ़ सलाम के वक़्त बाईं तरफ़ हाथ उठाते) आपने (देखा तो) फ़रमाया: 'इन्हें क्या है कि अपने हाथों से (दायें बायें) इशारे करते हैं जैसे सरकश घोड़ों की दुमें हैं। क्या ये काफ़ी नहीं कि नमाज़ी अपने हाथ अपनी रान ही पर रखे और ज़बान से अपने दायें और बायें अपने साथियों को सलाम कह दे।'

(1319) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1241.

फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह है कि नबी (ﷺ) का रफ़उल यदैन को सरकश घोड़ों की दुमों से ताबीर करना, सलाम के वक़्त हाथों से सलाम करने से मुताल्लिक़ है। इसका उस रफ़उल यदैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त किया जाता है। इसे उस रफ़उल यदैन से जोड़ कर ये कहना कि इससे नबी (ﷺ) ने रोक दिया था, इल्मी ख़यानत है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। (तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 1185, 1186)

باب : (٧٠)
كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الْيَمِينِ

बाब : (70)
दायीं तरफ़ सलाम कैसे कहा जाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ

(1320) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप हर झुकते उठते और खड़े होते और बैठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते और अपने दायें और बायें सलाम कहते: (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) 'तुम पर अल्लाह तआला का सलाम और रहमत हो।' (और मुँह भी मोड़ते थे) यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र

اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ " . حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

आती थी और मैंने हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) को भी ऐसे करते देखा है।

(1320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1084, 1143, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1242.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، . أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللّٰهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَسَارِهِ" .

(1321) हज़रत वासेअ बिन हब्बान ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप जब झुकते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे और जब सर उठाते थे, तब भी अल्लाहु अकबर कहते थे। फिर (नमाज़ के इख़्तिताम पर) दायीं तरफ़ मुँह करके कहते: (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) और बायीं तरफ़ मुँह करके कहते: (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह)

(1321) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/152, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1243, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 576.

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने जिस तरह नमाज़ का आग़ाज़ अल्लाहु अकबर जैसे बारौब जुम्ले से किया था जो कि नमाज़ी को लोगों से मुन्क़तअ करने और अल्लाह तआला से जोड़ने पर दलालत करता है इस तरह, उसके मुक़ाबले में नमाज़ का इख़्तिताम (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) जैसे पुर लुत्फ़ जुम्ले से किया जो नमाज़ी का ताल्लुक़ फिर से लोगों के साथ बतरीक़े अहसन जोड़ देता है। ये नमाज़ के इख़्तिताम का ऐलान भी है और लोगों के साथ कलाम का आग़ाज़ भी और वह भी बेहतरीन अन्दाज़ में, यानी दुआइया कलिमात के साथ। चूंकि नमाज़ में इधर उधर देखना मना है, लिहाज़ा नमाज़ के इख़्तिताम पर सलाम फेरना मशरूअ है।

बाब : (71)
बाईं तरफ़ कैसे सलाम कहा जाये?

باب : (٧١)
كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الشِّمَالِ

(1322) हज़रत वासेअ बिन हब्बान से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से कहा: मुझे बताइये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ कैसे होती थी? आपने ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाहु अकबर कहते थे और (नमाज़ के इख़्तिताम पर) दायीं तरफ़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते थे और बायीं तरफ़ अस्सलामु अलैकुम कहते थे।

(1322) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/71, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1244.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ قَالَ يَعْنِي وَذَكَرَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَمِينِهِ، "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ" عَنْ يَسَارِهِ."

(1323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि गोया मैं नबी (ﷺ) के रुख़सार की सफ़ेदी को देख रहा हूँ, आप अपनी दायीं तरफ़ फ़रमाते: (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) और बायीं तरफ़ फ़रमाते (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह)

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 996, तिर्मिज़ी, ह: 295, व इब्ने माजा, ह: 914, मुसनद अहमद: 1/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1245, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, व इब्ने जारूद वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، عَنِ ابْنِ دَاوُدَ، - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ". وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ".

(1324) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दायीं तरफ़ सलाम फेरते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती, फिर बायीं तरफ़ यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ

بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ .

(1324) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1246.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَا هُنَا وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَا هُنَا .

(1325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी दाईं और बाईं तरफ़ सलाम फेरते (और कहते:) (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक कि दायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती और बायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती।

(1325) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1247.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ". حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ .

(1326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी दायीं तरफ़ सलाम फ़ेरते (और कहते:) (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक कि आपके दायें रूख़सार की सफ़ेदी नज़र आती, फिर बायीं तरफ़ सलाम फेरते (और कहते:) (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक कि बायें रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती।

(1326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1248.

फ़ायदा : रिवायात के ततब्बोअ से सलाम कहने के चार तरीक़े मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर भी अमल कर लिया जाये तो दुरुस्त है। **(1)** दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) कहना और ये तरीक़ा ज़्यादा मशहूर और मामूल बिही है क्योंकि अक्सर रिवायात में यही तरीक़ा मरवी है। **(2)** दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू)

कहना। (3) दायें जानिब (अस्सलामु अ़लैकुम) कहना और चेहरे का मैलान थोड़ा सा दायें जानिब हो। कुछ उ़लमा दायें जानिब (अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) और बायें जानिब (अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि) कहने के क़ाइल हैं लेकिन उनका ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है क्योंकि सुनन अबी दाऊद की जिस रिवायत से सिर्फ़ दायें जानिब (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा साबित है उ़लमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि सुनन अबी दाऊद के सही और मोतमद नुस्ख़ों में दोनों तरफ़ (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा मन्क़ूल हैं याद रहे दायें और बायें दोनों जानिब (व बरकातुहु) कहना चाहिए। वल्लाहु आ़लम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (असल सिफ़तु सलातिन्नबी, लिल अल्बानी, सफ़ा: 1023-1036, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 15/296-306)

باب : (٧٢)
السَّلاَمِ بِالْيَدَيْنِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ - قَالَ - فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُومِئْ بِيَدِهِ " .

बाब : (72)
दोनों हाथों से सलाम कहना

(1327) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते थे तो हाथों के साथ भी इशारा करते और कहते (अस्सलामु अ़लैकुम, अस्सलामु अ़लैकुम) हमें अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने देख लिया तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हें क्या हुआ कि तुम अपने हाथों से इशारे करते हो जैसे ये सरकश घोड़ों की दुमें हैं। जब तुममें से कोई आदमी (नमाज़ के आख़िर में) सलाम कहे तो अपने साथी की तरफ़ मुँह मोड़े। हाथ से इशारा न करे।

(1327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1249.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 1186, 1319.

बाब : (73)
जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी सलाम कह दे

باب : (٧٣)
تَسْلِيمِ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِّي بِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ‏"‏ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ ‏.‏

(1328) हज़रत इत्बान बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अपनी क़ौम बनू सालिम को नमाज़ पढ़ाया करता था। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं तक़रीबन नाबीना हो चुका हूँ। (मौसमे बरसात में) बारिशी और सैलाबी पानी मेरे और मेरी क़ौम की मस्जिद के दरम्यान रुकावट बन जाता है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लायें और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे मैं (घरेलू) मस्जिद बना लूं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह मैं अनक़रीब आऊंगा।' अगले दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) भी आपके साथ थे। दिन काफ़ी ऊँचा आ चुका था, नबी (ﷺ) ने इजाज़त तलब की। मैंने इजाज़त दे दी। आप बैठे नहीं बल्कि फ़रमाया: 'तुम किस जगह चाहते हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ?' मैंने उस जगह की तरफ़ इशारा किया जहाँ मैं चाहता था कि आप नमाज़ पढ़ें। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये, हमने आपके पीछे सफ़बन्दी की, (आपने नमाज़ अदा की) फिर आपने सलाम फेरा और आपके सलाम फेरते ही हमने भी सलाम फेर दिया।

(1328) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 686, व मुस्लिम, हदीस: 33/264, हदीस: 657, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1250.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब इमाम सलाम कहे तो अगर मुक़्तदी की नमाज़ मुकम्मल हो गई है तो वह भी सलाम कह दे। अगर उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हूई तो वह नमाज़ मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरे। (2) आदमी को अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह उसके मुताल्लिक़ बतला सकता है, ये शिक्वा नहीं समझा जायेगा। (3) मदीना मुनव्वरा में नबी (ﷺ) की मस्जिद के अलावा भी मस्जिदें थीं। (4) अगर बारिश वग़ैरह जैसे शरई उ़ज्र की बिना पर जमाअ़त रह जाये तो गुनाह नहीं। (5) शरई उ़ज्र की वजह से घर में नमाज़ के लिये जगह मुतय्यन कर लेना जायज़ है। (6) नमाज़ के लिये सफ़ दुरुस्त करना लाज़िम है। (7) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की हैसियत नुमायाँ होती है। (8) किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, बग़ैर इजाज़त कोई भी किसी के घर में दाख़िल नहीं हो सकता जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) अपने सहाबा के घर में भी बग़ैर इजाज़त दाख़िल नहीं हुये थे। अगर साहिबे ख़ाना अन्दर दाख़िल होने की इजाज़त न दें तो बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। (9) नफ़ल नमाज़ में जमाअ़त कराना मशरूअ़ है।

बाब : (74)
नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद सज्दा करना

باب : (٧٤)
السُّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ . مُخْتَصَرٌ .

(1329) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़ज्र के तुलूअ़ होने तक ग्यारह रकअ़त पढ़ते थे और उनमें से एक रकअ़त अलग (सलाम से) पढ़ते और इतना लम्बा सज्दा करते कि आपके सर उठाने से पहले तुममें से कोई शख़्स पचास (50) आयात पढ़ सकता था।

(इब्ने वहब फ़रमाते हैं) कुछ रावी कुछ की निस्बत (कुछ) इज़ाफ़े के साथ ये हदीस़ बयान करते हैं। ये हदीस़ मुख़्तसर है।

(1329) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1251.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहिब (رحمہ اللہ) का इस रिवायत से नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद सज्दा करने पर इस्तेदलाल करना महल्ले नज़र है क्योंकि इस रिवायत में जो सज्दे का ज़िक्र है, इससे

मुराद नमाज़ से फ़रागत के बाद का सज्दा नहीं बल्कि नमाज़ में किये जाने वाले सज्दे की तवालत (लम्बा होने) का बयान है जैसा कि सहीह बुख़ारी की रिवायत से मालूम होता है। हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े (तहज्जुद) ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। रात के वक़्त आपकी यही नमाज़ होती थी, इस नमाज़ में सज्दा इस क़द्र तवील करते कि आपके सर उठाने से पहले तुममें से कोई शख़्स पचास आयात तिलावत कर सकता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 994) **(2)** इस रिवायत में इशा की मा'बअद सुन्नतों को इशा ही में शुमार किया गया है, यानी ये ग्यारह रकआत इशा की सुन्नतों के अलावा थी। **(3)** अगर सिर्फ़ तीन वित्र पढ़ने हों तो फिर दो रकअत नमाज़ अलग और एक रकअत अलग पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है। अहादीस की रोशनी में इसी तरीक़े की अफ़ज़लियत मिलती है। अहनाफ़ किसी हाल में एक रकअत अलग पढ़ने को जायज़ नहीं समझते। सहीह, कसीर, और सरीह अहादीस की मौजूदगी में इनका एक वित्र से इन्हिराफ़ क़ाबिले अफ़सोस है। **(4)** रात की नमाज़ लम्बी पढ़ना मुस्तहब है।

बाब : (75)
सलाम और कलाम के बाद सज्द ए-सहव करना

باب : (٧٥)
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

(1330) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (भूल कर) सलाम फेर दिया, फिर कुछ बातें कीं, फिर आपने सहव के दो सज्दे किये।

(1330) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 572/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1252.

फ़ायदा : जब इमाम ये समझता हो कि मैं नमाज़ मुकम्मल कर चुका हूँ और नमाज़ से फ़ारिग़ हूँ, इस हालत में अगर वह कोई कलाम कर ले या मुक़्तदी होने की सूरत में इमाम को मुतनब्बा करे और उससे कुछ कलाम करना पड़े या तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से आपस में बातचीत हो जाये, तो मालूम हो जाने के बाद सलाम और कलाम नमाज़ के लिये क़ातेअ नहीं होंगे। बक़िया नमाज़ पढ़ कर सुजूदे सहव कर लिये जायें तो नमाज़ बिला रैब (बग़ैर डाउट के) दुरुस्त है। ये बात अहादीस से साफ़ समझ में आती है, अलबत्ता अहनाफ़ और हनाबिला कलाम की सूरत में नये सिरे से नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। लेकिन अहादीस से उनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 1225, 1230)

बाब : (76)
सुजूदे सहव के बाद सलाम फेरना

باب : (٧٦)
السَّلَامِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

(1331) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा, फिर बैठे बैठे सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। (इमाम नसाई (ﷺ) ने) फ़रमाया: ज़ूल्यदैन की हदीस़ में भी इसका ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ .

(1331) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1016, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1254.

फ़ायदा : देखिये, हदीस़: 1225.

(1332) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने तीन रकअतों के बाद सलाम फेर दिया। हज़रत ख़िरबाक़ (ﷺ) ने कहा: आपने तीन रकअतें पढ़ी हैं। आपने उन्हें बक़िया रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاَثًا . فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

(1332) तख़रीज : (सनद स़ही) तक़दीम, हदीस़: 1238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1254.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुजूदे सहव के बाद सलाम इत्तेफ़ाक़ी मसला है, अलबत्ता तशहहुद में इख़्तिलाफ़ है। तशहहुद की रिवायात ज़ईफ़ हैं। आम रिवायात में तशहहुद का ज़िक्र नहीं है, इसलिये राजेह और स़ही मौक़िफ़ यही है कि तशहहुद नहीं है। अहनाफ़ लाज़मी समझते हैं। (2) 'ख़िरबाक़' की तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस़: 1230 का फ़ायदा।

बाब : (77)
सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह मोड़ने के दरम्यान इमाम का (कुछ देर क़िब्ला रुख़) बैठना

باب : (٧٧)
جَلْسَةِ الإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

(1333) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ की हालत में बग़ौर देखा तो मैंने आपके क़याम, रुकू, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, सज्दा, दो सज्दों के दरम्यान बैठना, फिर दूसरा सज्दा करना, फिर सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह फेरने के दरम्यान (क़िब्ला रुख़) बैठना, तक़रीबन बराबर पाया।

(1333) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 471, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1255.

फ़ायदा : सलाम फेरने के बाद इमाम को कुछ देर क़िब्ला रुख़ बैठे रहना चाहिए। इस हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि नबी (ﷺ) का क़याम, रुकू और सुजूद दूसरे अरकान, जैसे: क़ौमा, जल्सा वग़ैरह के बराबर होते थे। बहुत सी रिवायात से मालूम होता है कि क़याम काफ़ी लम्बा होता था। इसी तरह रात की नमाज़ में रुकू व सुजूद भी तवील होते थे। मुमकिन है कभी कभार सब अरकान बराबर भी होते हों। ये मतलब भी हो सकता है कि आप सब अरकान में तनासुब रखते थे। अगर क़याम लम्बा होता तो बाक़ी अरकान में भी इसी तनासुब से इज़ाफ़ा होता था और अगर इख़्तिसार होता तो दीगर अरकान में भी इसी तनासुब से इख़्तिसार होता था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ

(1334) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में औरतें नमाज़ से सलाम फेरते ही उठ कर चली जाती थीं जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाले मर्द नमाज़ी, जब तक अल्लाह तआला चाहता (काफ़ी देर तक) बैठे रहते। फिर जब

الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.

अल्लाह के रसूल (ﷺ) उठते तो मर्द भी उठ कर चले जाते।

(1334) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 850, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1256.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मालूम होता है कि बाब का मक़सद ये है कि सलाम फेरने और उठ कर जाने के दरम्यान कुछ देर तक ज़िक्र अज़्कार के लिये बैठना चाहिए। मुमकिन है दोनों जगह बैठना मुराद हो। मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होने से पहले क़िब्ला रुख़ बैठना और उठ कर चले जाने से पहले ज़िक्र अज़्कार के लिये मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होकर बैठना दोनों मस्नून हैं। जमाअ़त ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उठ जाना मायूब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है मगर ये कि कोई उ़ज़्र हो बल्कि नमाज़ के इख़्तिताम के बाद क़िब्ला रुख़ बैठ कर ज़िक्र अज़्कार और मास़ूर दुआओं को पढ़ना मुस्तहब व मस्नून है, अलावा इमाम के कि वह मुक़्तदियों की तरफ़ रुख़ करके बैठेगा। **(2)** इमाम को मुक़्तदियों के अहवाल का ख़्याल रखना चाहिए। **(3)** इस हदीस़े मुबारका से मालूम हुआ कि उन अस्बाब से भी बचना चाहिए जो ममनूआत तक पहुँचाने वाले हों। **(4)** तोहमत वाले मक़ामात से बचना चाहिए। **(5)** औरतें मस्जिद में नमाज़ बाजमाअ़त के साथ शामिल हो सकती हैं।

باب :(٧٨) الِانْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

बाब : (78) (इमाम का) सलाम के बाद अपना रुख़ (क़िब्ले से) हटाना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ .

(1335) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो आपने अपना रुख़ (क़िब्ले से) मोड़ लिया।

(1335) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, ह: 614, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1257, तिर्मिज़ी, ह: 219.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़िब्ले से रुख़ मोड़ना शायद इसीलिए है कि दूर से देखने वाले को भी नमाज़ के ख़त्म होने का इल्म हो जाये। वैसे भी इमाम का मुक़्तदियों की तरफ़ पीठ करके बैठना नमाज़ की हद तक तो मजबूरी थी, नमाज़ के बाद मुनासिब है कि वह लोगों की तरफ़ मुँह करके बैठे जैसे सरदार लोगों के साथ बैठता है, इसलिए इमाम को अपना रुख़ क़िब्ले की तरफ़ से बदल लेना चाहिए।

फिर चाहे तो बिल्कुल मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठे, ख़ुसूसन अगर कोई ख़िताब करना हो और चाहे तो दायें या बायें मुँह करके बैठ जाये। दायें को तर्जीह देना मुस्तहसन है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन दायें जानिब को तर्जीह देते थे। (2) इस हदीस़ के मानी ये भी हो सकते हैं कि जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो उठ कर घर चले गये मगर नमाज़ के बाद देर तक ज़िक्र अज़्कार आपका मामूल था, ख़ुसूसन सुबह की नमाज़ के बाद। अहादीस़ में इसकी फ़ज़ीलत भी वारिद है। हो सकता है कोई काम हो, इसलिए फ़ौरन चले गये लेकिन ये मानी मुराद लेने बईद हैं क्योंकि ये हज्जतुल विदा के मौक़े पर मस्जिदे ख़ैफ़ की बात है जैसा कि हदीस़: 859 में गुज़र चुका है। और मुसनद अहमद के अल्फ़ाज़ हैं: 'फिर बैठे बैठे मुड़े।' (मुसनद अहमद: 4/161) लिहाज़ा पहली बात ही ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र इमाम फ़ौरन उठ कर भी जा सकता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (79) इमाम के सलाम फेरने के बाद (बलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर कहना

باب: (٧٩) التَّكْبِيرِ بَعْدَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ .

(1336) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का इख़्तिताम लोगों के अल्लाहु अकबर कहने से मालूम करता था।

तख़रीज : (सनद सही), बुख़ारी, हदीस़: 842, मुस्लिम, हदीस़: 583/121, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1258.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ से फ़राग़त के बाद ज़िक्र मस्नून है। उसकी इब्तेदा अल्लाहु अकबर से की जाये। आवाज़ दरम्यानी हो, न बहुत बलन्द हो और न बिल्कुल आहिस्ता ताकि सब मुक़्तदियों की आवाज़ मिल कर एक गूंज सी पैदा हो जाये। बाक़ी ज़िक्र आहिस्ता किया जाये। (2) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नाबालिग़ होने की वजह से पिछली सफ़ों में खड़े होते थे, इसलिए उन तक सलाम की आवाज़ नहीं पहुँचती थी। सलाम के बाद जब तकबीर की आवाज़ गूंजती, तो उन्हें नमाज़ के ख़त्म होने का पता चलता। मुमकिन है तकबीर बलन्द आवाज़ से कहने में ये हिकमत भी हो कि लोगों को नमाज़ ख़त्म होने का पता चल जाये, जैसे नमाज़ में तकबीराते इन्तेक़ाल बलन्द आवाज़ से कही जाती हैं, अज़ान बलन्द आवाज़ से कही जाती है वग़ैरह, लिहाज़ा ये बात कमज़ोर है कि ज़िक्र में इख़्फ़ा मुनासिब है, इसलिए सलाम के बाद तकबीर आहिस्ता कही जाये जैसा कि ये जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है।

باب :(٨٠) الأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ .

बाब : (80) नमाज़ से सलाम फेरने के बाद मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म

(1337) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया क मैं हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद मुअव्विज़ात पढ़ूँ।

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1259, तिर्मिज़ी, हदीस़: 2903, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 755, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2347, वल हाकिम: 1/253.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में 'मुअव्विज़तैन' का ज़िक्र है, यानी क़ुर्आन मजीद की आख़री दो सूरतें (सूरह फ़लक़) और (सूरह अन्नास) मुअव्विज़ात का मतलब है कि ये कलिमात अपने पढ़ने वाले को हर शर से बचाते हैं या उनके ज़रिये अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। ये सूरतें भी इसीलिए नाज़िल हूई कि लोगों के हसद, जादू, शर और शैतानों से इनके ज़रिये से बचा जाये या पनाह तलब की जाये।

باب :(٨١) الاِسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ

बाब : (81) सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार करना

(1338) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम हज़रत स़ौबान (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो तीन दफ़ा (अस्तग़फ़िरुल्लाह) 'मैं अल्लाह तआ़ला से बख़्शिश तलब करता हूँ।' पढ़ते और ये दुआ़ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु ......) 'ऐ अल्लाह! तू सलाम है। तेरी ही तरफ़ से सलामती मिलती है। ऐ एहतिराम व इज़्ज़त वाले! तू बा'बरकत है।'

(1338) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 591, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1260.

وَالإِكْرَامِ" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार करना मुस्तहब है। (2) इस हदीसे मुबारका से नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अपने रब के सामने कमाल आजिज़ी और इज़्हारे बन्दगी का इस्बात होता है बावजूद इसके कि अल्लाह तआला ने आपकी तमाम लग़्ज़िशें माफ़ कर दी थीं। (3) बन्दे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इताअत में कामिल हूँ बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि मेरे इताअत करने में नुक़्स है, मैंने इबादत का हक़ अदा नहीं किया, उसे इस्तिग़फ़ार के साथ इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। (4) 'बा'बरकत है' यानी तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, कस्रत ही कस्रत है। या जहाँ तेरा ज़िक्र हो, वहाँ बरकत होती है।

बाब : (82) इस्तिग़फ़ार के बाद ज़िक्र करना

باب : (٨٢) الذِّكْرِ بَعْدَ الاِسْتِغْفَارِ

(1339) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो यूँ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु ....) 'ऐ अल्लाह! तू सलाम है और तुझी से सलामती मिलती है। ऐ एहतिराम व इज़्ज़त वाले! तू बा'बरकत है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 592, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1261.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" .

फ़ायदा : 'तू सलाम है' यानी तू हर क़िस्म के ऐब और नुक़्स से पाक है, या तू लोगों को सलामती देने वाला है।

बाब : (83) सलाम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना

باب :(٨٣) التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

(1340) हज़रत अबू ज़ुबैर बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) को इस

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ

أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ".

मिम्बर (मिम्बरे काबा) पर बयान करते हुये सुना, वह फ़रमा रहे थे: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो यूँ फ़रमाते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ..) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। उसके लिए बादशाही है और उसी के लिए कुल हम्द है। और वह हर चीज़ पर खुब क़ादिर है। गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह की मदद के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। ऐ नेमत, फ़ज़्ल और अच्छी तारीफ़ वाले! अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की इताअत करते हैं। चाहे काफ़िर बुरा ही समझें।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 594/140, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1262.

फ़ायदा : (ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह) जामेअ कलिमा है। हौल से मुराद हर नुक़सान और ख़राबी से बचने की ताक़त और क़ुव्वत से मुराद हर अच्छी चीज़ हासिल करने की क़ुव्वत है। ज़ाहिर है हर चीज़ उनमें आ जाती है। शायद इसीलिए इस कलिमे को जन्नत का ख़ज़ाना कहा गया है।

باب : (٨٤)
عَدَدِ التَّهْلِيلِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

बाब : (84)
सलाम के बाद ज़िक्र और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ

(1341) हज़रत अबू ज़ुबैर बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इस तरह तहलील पढ़ते थे: (ला इलाहा इल्लल्लाह ... व लौ करिहल

الصَّلاَةِ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ .

काफ़िरुन) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। उसके लिए हुकूमत और बादशाही है और उसी के लिए हर तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। उसी की हैं सब नेमतें और उसी के हैं सब एहसान व फ़ज़्ल और उसी के लिए हैं अच्छी तारीफ़ें। अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की इताअत करते हैं, ख़्वाह काफ़िर बुरा ही समझें।' फिर हज़रत इब्ने ज़ुबैर(ﷺ) फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ तहलील पढ़ते थे।

(1341) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1263.

باب :(٨٥) نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاَةِ

बाब : (85)
नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक और क़िस्म का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ، عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، كِلاَهُمَا سَمِعَهُ مِنْ، وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(1342) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) के कातिब हज़रत वर्राद ने बयान किया कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा(ﷺ) को लिखा: मुझे किसी ऐसी चीज़ की ख़बर दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो। तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) जब नमाज़ मुकम्मल फ़रमा

عليه وسلم . فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

लेते तो यूँ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ....) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्ता है। कोई उसका शरीक नहीं। उसी के लिए है बादशाही और तमाम तारीफ़ें, और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह! नहीं कोई रोकने वाला उस चीज़ को जो तू दे और न कोई उस चीज़ को अता करने वाला है जो तू न दे और किसी साहिबे हैसियत को उसकी हैसियत तेरे मुक़ाबले में मुफ़ीद नहीं।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, ह: 844, व मुस्लिम, ह: 593/138, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1264.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के बाद ये ज़िक्र करना मुस्तहसन है क्योंकि इसमें ख़ालिस तौहीद और अल्लाह तआला की कमाले कुदरत का बयान है। (2) किसी को हदीस लिख कर भेजना और उसे आगे बयान करना दुरुस्त है। (3) एक आदमी की ख़बर भी हुज्जत है जबकि वह सिक़ा हो। (4) 'तेरे मुक़ाबले में' यानी अगर तू पकड़ना चाहे तो किसी की हैसियत या उसका माल उसे कोई फ़ायदा दे सकता है, न बचा सकता है। या तेरे यहाँ किसी माल वाले को उसका माल फ़ायदा नहीं देता।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ دُبُرَ الصَّلاَةِ إِذَا سَلَّمَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا

(1343) हज़रत वर्राद से रिवायत है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) ने हज़रत मुआविया(ﷺ) को लिखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से सलाम फेर कर यूँ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाह ...) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए है बादशाही और उसी के लिए है सब तारीफ़ और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह! कोई उस चीज़ को रोकने वाला नहीं जो तू दे और न कोई वह चीज़ देने वाला है जो तू

الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

रोक दे और किसी साहिबे हैसियत को उसकी हैसियत तेरे मुक़ाबले में मुफ़ीद नहीं।'

(1343) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1265.

بَاب : (٨٦)
كَمْ مَرَّةً يَقُولُ ذَلِكَ

बाब : (86)
ये ज़िक्र कितनी दफ़ा करे?

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا غَيْرُ، وَاحِدٍ، مِنْهُمُ الْمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَىَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(1344) हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) के कातिब वर्राद से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) को लिखा कि मुझे एक ऐसी हदीस लिख दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो तो हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) ने उन्हें लिखा: तहक़ीक़ मैंने नबी (ﷺ) को नमाज़ से फ़ारिग़ होने के वक़्त ये पढ़ते सुना है: (ला इलाहा इल्लल्लाह...) 'अलाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' आप ये ज़िक्र तीन दफ़ा पढ़ते।

(1344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1266, व असलुल हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि, बुख़ारी, हदीस: 844, व मुस्लिम, हदीस: 593.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ (सलास मर्रात) (तीन दफ़ा) की बाबत मुहक़्क़िक़े किताब और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) लिखते हैं ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं जबकि कुछ उलमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक (सलास मर्रात) वाले अल्फ़ाज़ सही साबित हैं। सिर्फ़ नुस्ख़ों में इख़्तिलाफ़ है। सही बुख़ारी के सही और मोतमद नुस्ख़ों में ये अल्फ़ाज़ साबित हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा लिल अल्बानी: 12/209-220, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 15/360-362)

बाब : (87)
सलाम के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र

باب : (٨٧)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِينَ - عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " .

(1345) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी मज्लिस में बैठते या नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो कुछ कलिमात पढ़ते। हज़रत आयशा (ﷺ) ने आपसे इन कलिमात के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'अगर किसी शख़्स ने (उस मज्लिस में) अच्छी बातें की होंगी तो ये कलिमात क़यामत तक के लिए उन बातों के लिए मुहर बन जायेंगे और अगर उसने और क़िस्म की (ग़लत या फ़ुज़ूल) बातें की होंगी तो ये उसके लिए कफ़्फ़ारा (गुनाह मिटाने वाले) बन जायेंगे। (और वह कलिमात ये हैं:) (सुब्हानकल्लाहुम्मा! वबिहम्दिका अस्तग़ फ़िरुका वअतूबु इलैक) 'ऐ अल्लाह! तू हर क़िस्म के नुक़्स व ऐब से पाक है और तमाम तारीफ़ों और ख़ूबियों वाला है। मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ और तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ।' (यानी हर क़िस्म की ग़लती से तौबा करता हूँ।)

(1345) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस दुआ को 'कफ़्फ़ार-ए-मज्लिस' कहा जाता है, लिहाज़ा हर मज्लिस के बाद पढ़नी चाहिए। **(2)** 'मुहर बन जायेंगे' यानी उन अच्छी बातों के स़वाब को क़ाइम रखेंगे और उनकी क़बूलियत की ज़मानत होंगे और उन्हें रद्द नहीं होने देंगे।

باب :(۸۸) نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، عَنْ جَسْرَةَ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ . فَقُلْتُ كَذَبْتِ . فَقَالَتْ بَلَى إِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالثَّوْبَ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ " صَدَقَتْ " . فَمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةً إِلاَّ قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ " رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

बाब : (88) सलाम के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र और दुआ

(1346) हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि पेशाब के छींटे पड़ने से क़ब्र में अज़ाब होता है। मैंने कहा: तू ग़लत कहती है। उसने कहा: नहीं, बल्कि सच है। हम पेशाब के छींटे पड़ने से चमड़ा और कपड़ा काटते थे। (इसी दौरान में) रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिए निकले तो हम ऊँची ऊँची बोल रही थीं। आपने फ़रमाया: 'क्या हुआ?' मैंने आपसे बात बयान की। आपने फ़रमाया: 'ये सही कहती है।' उस दिन के बाद आपने जब भी नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ी: (रब्ब जिब्रील ....) 'ऐ जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील के रब! मुझे आग की तपिश और क़ब्र के अज़ाब से बचा।'

(1346) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/61, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1268, (नैलुल मक़सूद, हदीस: 3568)

फ़वाइद व मसाइल : (1) पेशाब के छींटों से परहेज़ न करना अज़ाबे क़ब्र का सबब है ये बात दीगर रिवायात में भी बयान की गई है। हज़रत आयशा (ﵞ) को इनका इल्म न होगा या ये वाक़िया पहले का है जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम होता है कि आप उसके बाद हमेशा अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते रहे। **(2)** 'चमड़ा और कपड़ा काटते थे।' चमड़े से मुराद भी पहना हुआ चमड़ा है जिसे पेशाब लगता था न कि अपने जिस्म का चमड़ा क्योंकि पेशाब तो निकलता ही जिस्म से है और इसका जिस्म को लगना लाज़िमी है, तभी तो इस्तिन्जा ज़रूरी है। अगर वहाँ धोना किफ़ायत करता था तो जिस्म के दीगर हिस्सों को भी काटने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मलबूस कपड़ा या चमड़ा चूंकि जिस्म से जुदा है, उसे

पेशाब के क़तरे लगना इन्सान की ग़लती और सुस्ती का नतीजा है, लिहाज़ा उन्हें काटने की सज़ा दी जा सकती है। कुछ उ़लमा ने उससे ज़िस्म का चमड़ा भी मुराद लिया है मगर ये दुरुस्त नहीं। वैसे भी ये तकलीफ़ माला युताक़ है, यानी इस पर अ़मल नामुमकिन है कुछ रिवायात में (जसद) का लफ़्ज़ भी आया है लेकिन ये आ़सिम बन बहदला का वहम है कि उसने नस्ख़ से जिस्म का चमड़ा समझा और फिर उसकी जगह लफ़्ज़ (जसद) (जिस्म) बोल दिया। शैख़ अल्बानी(رحمه الله) ने 'जसद अहदिहिम' को मुन्कर कहा है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़मुल हदीस़: 5) शाज़ (बात) की तावील की जानी चाहिए, अ़क़्लन शाज़ हो या नक़्लन, वह ग़ैर मोतबर है। (मज़ीद देखिये, हदीस़: 30 का फ़ायदा नम्बर: 3) **(3)** 'जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब!' इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से मक़सूद रब तआ़ला की अ़ज़मत का इज़्हार है, यानी इतनी अ़ज़ीमुश्शान मख़्लूक़ को पैदा करने वाला। इसी तरह आसमानों, ज़मीनों के रब्बे बरहक़, मग़रिब के रब वग़ैरह।

बाब : (89) नमाज़ से फ़राग़त के वक़्त की एक और दुआ

باب: (٨٩) نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

(1347) हज़रत अबू मरवान से रिवायत है कि हज़रत कअ़ब ने मुझसे हल्फ़न कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने हज़रत मूसा (عليه السلام) के लिए समन्दर को फाड़ कर रास्ते बनाये! हम तौरात में ये लिखा पाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद (عليه السلام) जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते थे तो यूँ कहते थे: (अल्लाहुम्मा! अस़्लिह ली.......) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरे दीन को दुरुस्त फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए (दुनिया व आख़िरत में रुस्वाई से) बचाव का ज़रिया बनाया है। और मेरे लिए मेरी दुनिया को दुरुस्त फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए ज़िन्दगी गुज़ारने का सबब बनाया है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से बचने के लिए तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ और तेरी सज़ा से बचने के लिए तेरी माफ़ी की

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا، حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلاَتِهِ .

पनाह चाहता हूँ और तेरे ग़ज़ब से बचने के लिए तेरी (रहमत की) पनाह चाहता हूँ। जो चीज़ तू दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो चीज़ तू रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं और किसी माल वाले को तेरे यहाँ माल फ़ायदा नहीं देता (बल्कि अमल फ़ायदा देता है)' हज़रत कअब ने कहा: मुझे हज़रत सुहैब (ﷺ) ने बताया कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) भी नमाज़ से फ़राग़त के वक़्त ये कलिमात कहा करते थे।

(1347) तख़रीज : (सनद हसन) सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा सहीहा, हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1269, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 541.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ 'तौरात' से मुराद वह किताब नहीं जो हज़रत मूसा (ﷺ) पर नाज़िल की गई क्योंकि वह किताब तो हज़रत दाऊद (ﷺ) से बहुत पहले की है। इसमें उनका तज़्किरा (ऊपर दी गई सूरत में) कैसे आ सकता है? यहाँ तौरात से सुहुफ़ मुराद हैं जो बहुत से अम्बिया पर उतरते और उनमें 'ज़बूर' भी शामिल है जो ख़ुद हज़रत दाऊद (ﷺ) पर उतरी। आज कल इन तमाम सुहुफ़ के मजमूआ को बाइबिल कहते हैं। इसमें तौरात भी आ जाती है, बल्कि इसमें उन अम्बिया (ﷺ) के शागिर्दों की बातें भी दाख़िल हैं, यहाँ तक कि ये तअय्युन मुश्किल है कि इसमें कौन सा कलाम अल्लाह तआला का है और कौन सा अम्बिया का या उनके शागिर्दों का? ये इम्तियाज़ सिर्फ़ मुसलमानों को हासिल है कि अल्लाह की किताब पुरी तरह मुमताज़ है, किसी दूसरे का एक लफ़्ज़ भी इसमें शामिल नहीं। और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बातें (अक़्वाल व अफ़आल) अपनी जगह अलग मुमताज़ और वाज़ेह हैं। आप के शागिर्दाने रशीद के फ़तावा व बयानात बिल्कुल अलग हैं। कोई किसी से ख़लत मलत नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। **(2)** इस हदीसे मुबारका से पता चलता है कि दाऊद (ﷺ) की शरीयत में भी नमाज़ मशरूअ थी। **(3)** 'दीन' इन्सान के लिए बचाव का ज़रिया है जो इन्सान को दुनिया और आख़िरत की तमाम मकरूहात से बचाता है, लिहाज़ा बन्दे को चाहिए कि वह अपने रब के सामने आह व ज़ारी करता रहे और अपने दीन की दुरुस्ती के लिए दुआ माँगता रहे। **(4)** दुनिया इन्सान के ज़िन्दगी गुज़ारने का सबब है और पाक़ीज़ा मआश इन्सान को जन्नत में ले जाने का सबब है, इसलिए अपनी दुनिया की इस्लाह के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए।

बाब : (90)
नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

باب : (٩٠)
التَّعَوُّذِ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ [illegible] فَقَالَ أَبِي أَىْ بُنَىَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قلت عنْكَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ .

(1348) हज़रत मुस्लिम बिन अबू बक्रा से मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम हर नमाज़ के बाद ये पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी ...) 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़्र, फ़क़्र और अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ।' तो मैं भी ये कलिमात कहने लगा। वालिदे मोहतरम पूछने लगे: बेटा! ये कलिमात किससे सीखे हैं? मैंने कहा: आपसे। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) भी नमाज़ के बाद ये कलिमात कहा करते थे।

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 5/36, 39, 44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1270.

फ़ायदा : इस रिवायत में फ़क़्र को कुफ़्र के साथ ज़िक्र किया गया है। मशहूर रिवायत है: 'क़रीब है फ़क़्र कुफ़्र हो।' (कशफ़ुल ख़िफ़ा: 2/108, हदीस: 1919) ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन फ़क़्र से बचने की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। फ़ज़ीलत उस फ़क़्र की है जिसमें दिल ग़नी हो। उसके बावजूद फ़क़्र की दुआ दुरुस्त नहीं। अगर फ़क़्र की हालत हो जाये तो अल्लाह तआला से फ़क़्र का सवाब माँगा जाये और ग़नी की दुआ की जाये। मुसीबत माँगना जायज़ नहीं। हाँ, अगर मिन जानिबिल्लाह फ़क़्र आ जाये, फिर इन्सान दिल ग़नी रखे और शिका शिकायत से इज्तेनाब करे तो अज्रे अज़ीम का मुस्तहिक़ होगा, जैसे फ़ुक़रा मुहाजिरीन।

बाब : (91)
सलाम के बाद तस्बीह की तादाद

باب : (٩١)
عَدَدِ التَّسْبِيحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

(1349) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो काम ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी उन पर पाबन्दी

أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ " . وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ " وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ سَبَّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَهِيَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لاَ نُحْصِيهِمَا فَقَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيمُهُ " .

करे, वह जन्नत में दाख़िल होगा। ये दोनों काम बहुत आसान हैं और उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(वह दो काम ये हैं:) पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों में से हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दस दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़े। दस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़े और दस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े। इस तरह ज़बान पर (पढ़ने में) ये कुल डेढ़ सौ कलिमात हैं मगर मीज़ान में (सवाब के लिहाज़ से) डेढ़ हज़ार हैं।' (क्योंकि हर नेकी के बदले में अल्लाह तआला दस गुना जज़ा देता है।) मैंने देखा, अल्लाह के रसूल (ﷺ) इन कलिमात को हाथ से शुमार करते थे। (दूसरा काम ये है कि) 'जब तुममें से कोई शख़्स अपने बिस्तर या चारपाई पर लेटे तो तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़े, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़े और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े ये ज़बान पर (पढ़ने के लिहाज़ से) सौ कलिमात हैं और मीज़ान में (सवाब के लिहाज़ से) एक हज़ार हैं।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कौन ऐसा शख़्स है जो हर दिन रात में दो हज़ार पाँच सौ गुनाह करता है?' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी इन दो कामों की पाबन्दी कैसे नहीं कर सकता? आपने फ़रमाया: 'जब कोई आदमी नमाज़ में होता है तो शैतान उसके पास आकर कहता है 'फ़ुलां चीज़ याद कर, फ़ुलां चीज़ याद कर। (इस तरह उसकी तवज्जा इधर उधर हो जाती है और वह नमाज़ के फ़ौरन बाद उठ कर चला जाता है।)

इसी तरह सोते वक़्त भी शैतान आकर (इधर उधर के ख़्यालात में फँसा देता है और) उसे सुला देता है। (उसे इस ज़िक्र की तरफ़ तवज्जा ही नहीं होती)'

(1349) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस: 5065, तिर्मिज़ी, हदीस: 3410, व इब्ने माजा, हदीस: 926, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1271.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सच फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने, इस क़द्र आसान काम जो चन्द मिनटों में मुकम्मल हो जाता है, शैतान की कोशिश से शाज़ो नादिर लोग ही इस पर अमल करते हैं: 'व कलीलुम् मिन इबादियश्शकूर' (सबा: 34/13) **(2)** इस हदीसे मुबारका में इन अज़्कार की और इस उम्मत की फ़ज़ीलत बयान की गई है कि मामूली से काम पर किस क़द्र अज़ीम सवाब है। **(3)** इसमें इन अज़्कार पर पाबन्दी करने, ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी करने और सुस्ती तर्क करने की तर्ग़ीब दिलाई गई है। **(4)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हाथों की ऊँगलियों पर तस्बीह शुमार करना मुस्तहब है। **(5)** शैतान हर वक़्त इन्सान को भलाई के कामों से रोकने में मसरूफ़े अमल है, वह इन्सान को अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल करके उस पर अपने दाव पेच लड़ाता है। जो भी उसकी पैरवी कर ले वह ख़सारा पाने वालों में से हो गया।

बाब : (92) तस्बीह की एक और तादाद

باب: (٩٢) نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَسْبَاطٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ " .

(1350) हज़रत कअब बिन उज्रा (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़े जाने वाले कुछ ऐसे कलिमात हैं जिन्हें पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। हर नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े।'

(1350) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 596/145, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1272.

फ़ायदा : 'नाकाम नहीं होता।' यानी जिस तरह भी पढ़े सवाब ज़रूर मिलता है, ख़्वाह कुछ ग़फ़लत भी हो जाये। या जन्नत में ज़रूर दाख़िल होगा।

बाब : (93)
तस्बीह की एक और तादाद

باب : (٩٣)
نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ " .

(1351) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) फ़रमाते हैं कि लोगों को हुक्म दिया गया (इस्तेहबाबन) कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाहि और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें। एक अन्सारी सहाबी को ख़्वाब आया। उसे कहा गया: तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया है कि तुम हर नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहो? उसने कहा: हाँ। ख़्वाब में नज़र आने वाले शख़्स ने कहा: तुम उन्हें पच्चीस दफ़ा कर लो और उनमें ला इलाहा इल्लल्लाहु का इज़ाफ़ा कर लो। जब सुबह हुई तो वह अन्सारी सहाबी नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और पूरा ख़्वाब बयान किया। आपने फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।'

(1351) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1273, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/370, हदीस: 752, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2340, वल हाकिम: 1/253.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़्वाब हुज्जत नहीं होगा क्योंकि यक़ीन नहीं होता कि वह मिन जानिबिल्लाह है या मिनजानिबिश्शैतान या अपने दिमाग़ी ख़्यालात, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) की तस्दीक़ के बाद ख़्वाब हुज्जत है क्योंकि उसका मिनजानिबे अल्लाह होना यक़ीनी हो गया, लिहाज़ा

अब ये भी अम्रे रसूल ही है। (2) लोगों का आम अमल तैंतीस वाली तादाद पर है क्योंकि वह रिवायात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जब कि पच्चीस वाली रिवायात इस क़द्र मारूफ़ नहीं हैं, अलबत्ता ये भी बिलाशुब्हा जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह कभी कभी दस वाली रिवायात पर भी अमल कर लेना चाहिए। (3) जब सहाबी कहे: 'हमें हुक्म दिया गया 'या' लोगों को हुक्म दिया गया' तो वह हदीस मरफ़ूअ के हुक्म में होती है। जुम्हूर मुहद्दिसीन इसके क़ाइल हैं।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قِيلَ لَهُ بِأَىِّ شَىْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ ‏.‏ قَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ افْعَلُوا كَمَا قَالَ الأَنْصَارِيُّ ‏"‏ ‏.‏

(1352) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक सहाबी ने ख़्वाब में देखा। उनसे पूछा गया: तुम्हारे नबी (ﷺ) ने तुम्हें किस चीज़ का हुक्म दिया है? उन्होंने कहा: आपने हमें हुक्म दिया है कि हम (फ़र्ज़ नमाज़ के बाद) तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें। ये एक सौ हो जायेंगे। उसने कहा: तुम पच्चीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, पच्चीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह, पच्चीस दफ़ा अल्लाहु अकबर और पच्चीस दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो। ये भी एक सौ हो जायेंगे। जब सुबह हूई तो उस सहाबी ने ये ख़्वाब नबी (ﷺ) से बयान किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जैसे ये अन्सारी कहता है, उसी तरह कर लो।'

(1352) तख़रीज : (सनद हसन) अबू नुऐम: हिल्यतुल औलिया: 8/299, 300, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1274.

बाब : (94)
तस्बीह की एक और तादाद

باب : (٩٤)
نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا " مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " أَلاَ أُعَلِّمُكِ - يَعْنِي - كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ " .

(1353) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी ज़ौज-ए-मोहतरमा जुवैरिया बिन्ते हारिस (ﷺ) के पास से गुज़रे जब कि वह अपनी जाए नमाज़ पर बैठी ज़िक्र अज़्कार कर रही थीं। फिर आप दोपहर के क़रीब दोबारा उनके पास से गुज़रे। (वह उस वक़्त भी बैठी थीं) आपने उनसे फ़रमाया: 'तुम उस वक़्त से इसी हालत में हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें कुछ कलिमात न सिखा दूं जिन्हें तुम पढ़ा करो: (सुब्हानल्लाहि अदद ख़ल्क़िही) 'अल्लाह की तस्बीह है, उसकी मख़्लूक़ात की तादाद के बराबर।' तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि रिज़ा नफ़्सिही) 'अल्लाह की तस्बीह है उसकी रज़ामन्दी के मुताबिक़।' तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि ज़िन-त अर्शिही) 'अल्लाह की तस्बीह है उसके अर्श के वज़न के मुताबिक़' तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि मिदाद कलिमातिहि) 'अल्लाह की तस्बीह है उसके कलिमात की रोशनाई के बराबर।' तीन दफ़ा।'

(1353) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2726, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1275.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहीह मुस्लिम की हदीस में ये भी सराहत है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज जो कुछ तुमने कहा है, ये कलिमात उनसे वज़न किये जायें तो वज़न में उन (तुम्हारे कहे हुये) कलिमात से बढ़ जायेंगे।' और वह कलिमात इस तरह मज़्कूर हैं (सुब्हानल्लाहि वबिहम्दीहि अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही वज़िन-त अर्शिही व मिदाद कलिमातिही) (सहीह मुस्लिम, हदीस:

2726), इन कलिमात का मतलब ये है कि अल्लाह तआला बेइन्तेहा तस्बीहात का मुस्तहिक़ है और इन मज़्कूरा चीज़ों की तादाद और मिक़्दार व वज़न को कोई नहीं जानता। वह इन्तेहाई वज़्नी और बेइन्तेहा हैं। (2) ये भी साबित हुआ कि कुछ ज़िक्र, कुछ से अफ़ज़ल होते हैं और उनका सवाब ज़्यादा होता है क्योंकि सब कलाम बराबर नहीं होते। (3) इससे ये भी पता चलता है कि नबी (ﷺ) के अहद में औरतें बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़्कार और इबादत करती थीं। (4) नमाज़े फ़ज्र से लेकर दिन चढ़ने तक ज़िक्र अज़्कार करना मुस्तहसन अम्र है।

باب :(٩٥) نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، - هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ - عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ وَيُنْفِقُونَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَشْرًا فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ " .

बाब : (95) एक और क़िस्म का ज़िक्र

(1354) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि फ़क़ीर सहाबा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मालदार लोग हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं और हमारी तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके पास माल है जिससे वह सदक़ा करते हैं और गुलाम आज़ाद करते हैं। (हम उनके दर्जे को कैसे पहुँच सकते हैं?) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो तैंतीस मर्तबा सुब्हानल्लाहि, तैंतीस मर्तबा अल हम्दुलिल्लाहि, तैंतीस मर्तबा अल्लाहु अकबर और दस दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। तुम इस अमल की बदौलत अपने से आगे बढ़ जाने वाले लोगों को जा मिलोगे और उन लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो तुमसे पीछे हैं।' (या जो ये अमल नहीं करते।)

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1276, नसाई: 177.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी रिवायत की असल सही है क्योंकि मज़्कूरा रिवायत इस इज़ाफ़े के बग़ैर सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद

है, और इस इज़ाफ़े को शैख़ अल्बानी (ﷺ) और शारेह सुनन अन्नसाई अ़ल्लामा अतयूबी ने मुन्कर क़रार दिया है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत 'दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) के इज़ाफ़े के अलावा सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 15/421-424, व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 1352) **(2)** ग़िना और फ़क़्रा अगरचे अल्लाह तआ़ला की तक़दीर से हैं मगर मालदार को अपना माल ख़र्च करने का सवाब तो मिलेगा जिससे फ़क़ीर शख़्स ख़र्च न करने की वजह से महरूम रहेगा जैसे लंगड़ा अगरचे अल्लाह तआ़ला की तक़दीर से है मगर वह बहुत सारे उन मफ़ादात व मुनाफ़े से महरूम रहता है जिनसे दो टाँगों वाले बहरावर होते हैं और इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है इस ऐतबार से ये रिवायत मअ़नन सही है, अलबत्ता इस रिवायत में दस मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा मुन्कर है। **(3)** बलन्दी-ए-दर्जात के लिये नेक आ़माल में मुक़ाबला करना जायज़ है। **(4)** किसी पर अल्लाह के इनामात देख कर रश्क करना और उस जैसी नेमतों की ख़्वाहिश करना दुरुस्त है। **(5)** कभी छोटे से अ़मल की बिना पर बहुत बड़े अ़मल की फ़ज़ीलत और सवाब हासिल हो जाता है।

बाब : (96) एक और क़िस्म का ज़िक्र

باب: (٩٦) نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " .

(1355) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह की नमाज़ के बाद सौ दफ़ा सुब्हानल्लाह और सौ दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसके सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे अगरचे वह समन्दर की झाग के बराबर हों।'

(1355) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1277, देखें हदीस: 594.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली कलाम करते हुए इसे सही क़रार दिया है और उनके कलाम से यही बात राजेह मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत सही और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आ़लम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह सुनन नसाई: 1/435, रक़म: 1353, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 15/425, 426) **(2)** ये रब्बे करीम का करम है कि छोटे से काम पर अ़ज़ीम जज़ा से सरफ़राज़ फ़रमाता है इसमें ये एहतिमाल

भी है कि ये अज़ीम ख़ुशख़बरी उस शख़्स के लिये है जो इस अमल पर हमेशगी करता है और इस पर हमेशगी ख़ूशबख़्त मोमिन ही कर सकता है। अल्लाहुम्मज्अल्ना मिन्हुम! (3) समन्दर की झाग किनाया है बेइन्तेहा से। हमारे इल्म के लिहाज़ से समन्दर की झाग बे इन्तेहा ही है। इसे कस्रत भी कहा जा सकता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (97)
तस्बीहात को शुमार करना

باب: (٩٧) نَوْعٌ آخَرُ

(1356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तस्बीहात शुमार करते देखा।

(1356) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1278, वल हाकिम: 1/547, नैलुल मक़सूद, हदीस: 1502.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ .

फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस में मुअय्यन मिक़्दार में ज़िक्र करने का हुक्म है, लिहाज़ा तस्बीहात और दीगर अज़्कार को शुमार करना मशरूअ अमल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका तरीक़ा भी मन्क़ूल है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दायें हाथ के साथ तस्बीहात शुमार करते देखा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1502) अलबत्ता जिस शख़्स के लिये दायें हाथ की ऊँगलियों पर तस्बीहात शुमार करना वाक़ेई मुश्किल और दुश्वार हो तो उसके लिए इस मक़सद की ख़ातिर बायाँ हाथ या कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल करना इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) वल्लाहु आलम!

बाब : (98)
सलाम के बाद माथा न पोंछना

باب: (٩٨)
تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

(1357) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) माहे रमज़ानुल मुबारक के दरम्यान वाले दस दिनों में ऐतकाफ़

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ " إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً .

बैठते थे। फिर जब बीस रातें गुज़र जातीं और इक्कीसवीं रात आ जाती तो आप और आपके साथ ऐतकाफ़ बैठने वाले घरों को चले जाते। फिर एक साल उस रात भी ऐतकाफ़ में बैठे रहे जिस रात आप घर को लौट जाया करते थे। फिर आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया और जो अल्लाह ने चाहा उसका उन्हें हुक्म दिया। फिर फ़रमाया: 'मैं दरम्यान वाले दस दिनों का ऐतकाफ़ बैठा करता था। अब मुझे ख़्याल आया है कि मैं आख़री दस दिनों का भी ऐतकाफ़ बैठूँ, इसलिए जो शख़्स मेरे साथ ऐतकाफ़ बेठा है, वह अपनी ऐतकाफ़गाह में बैठा रहे। तहक़ीक़ मैंने लैलतुल क़द्र ख़्वाब में देखी थी मगर मुझे वह भुलवा दी गई, लिहाज़ा इस रात को आख़री दस दिनों की ताक़ रातों में तलाश करो। मैंने ख़्वाब में देखा है कि मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ।' हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि इक्कीसवीं रात ही हम पर बारिश बरसी। रसूलुल्लाह (ﷺ) की सज्दागाह में मस्जिद टपकने लगी। मैंने देखा कि जब आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हमारी तरफ़ मुड़े तो आपका चेहरा (यानी माथा और नाक का किनारा) कीचड़ से तर था।

(1357) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1279.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़्वाब में नबी (ﷺ) को लैलतुल क़द्र मुअय्यन रात में बतलाई गई थी मगर दूसरी रिवायत के मुताबिक़ कुछ लोगों के झगड़े की वजह से आपके ज़हन से निकल गई आपको सिर्फ़ निशानी याद रह गई कि मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि ये निशानी सिर्फ़ उस साल के लिए थी, न कि हमेशा के लिए क्योंकि आपने कुछ दूसरे मौक़े पर और निशानियाँ भी

बताई हैं, और ये रात हर साल बदलती रहती है मगर आख़री अशरे की ताक़ रातों ही में। (2) नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद माथा वग़ैरह पोंछ लेना चाहिए ताकि सज्दे में अगर कोई तिन्का या मिट्टी लगी हो तो साफ़ हो जाये। इस तरह रियाकारी का ख़तरा नहीं रहेगा। ऊपर दी गई रिवायत में तो अभी आपने सलाम फेरा ही था।

बाब : (99) सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बैठे रहना

باب : (٩٩) قُعُودِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

(1358) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़ज्र की नमाज़ पढ़ चुकते तो सूरज तुलूअ होने तक अपनी नमाज़ वाली जगह में बैठे रहते।

(1358) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 670/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1280.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ.

(1359) हज़रत सिमाक बिन हर्ब से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से कहा: आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलूअ होने तक अपनी नमाज़ वाली जगह में बैठे रहते। आपके सहाब-ए-किराम (ﷺ) आपके सामने बातें करते रहते। कभी जाहिलियत की बातें ज़िक्र करते, कभी शेअर पढ़ते और हँसते। अल्लाह के रसूल (ﷺ) मुस्कुराते रहते।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 670, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1281.

फ़ायदा : नमाज़ के बाद मस्नून ज़िक्र अज़्कार के लिए बैठना तो मुत्तफ़क़ अलैहि चीज़ है। इमाम को दूसरों की निस्बत ज़्यादा पाबन्दी करनी चाहिए। ज़िक्र अज़्कार के अलावा जिन नमाज़ों के बाद

मुअक्क़दा सुन्नतें नहीं, जैसे: फ़ज्र और अ़स्र तो मुनासिब है कि इमाम बैठा रहे ताकि लोग अपने मसाइल पेश करें। इस तरह अ़वामुन्नास से इमाम का राब्ता क़ाइम होगा। मालूमाते आ़म्मा से वाक़फ़ियत रहेगी। लोगों के साथ ख़ुश तबई के साथ मेल-जोल रखना भी नेकी है। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद ज़िक्र अज़्कार मुअक्क़दा सुन्नतों से पहले पढ़ने चाहिए। आ़म अहादीस़ से यही मालूम होता है। बाक़ी रही हज़रत आ़यशा (ﷺ) की ये हदीस़ कि आप सलाम के बाद सिर्फ़ (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु....) वाली दुआ़ पढ़ने के बराबर ही बैठते थे तो उससे मुराद क़िब्ला रुख़ बैठना है न कि मुत्लक़न, यानी इतनी देर आप क़िब्ला रूख़ बैठते, फिर मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा हो जाते। स़हाबा आपके पास ऐसे शेअ़र ही पढ़ते होंगे जो शाइराना यावह गोई से पाक होंगे। अच्छे अश्आ़र थोड़ी मिक़्दार में बा'क़ायदा मज्लिस क़ाइम किये बग़ैर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता मसाजिद में बा'क़ायदा शेअ़र गोई की मजालिस मुन्अक़िद करना दुरुस्त नहीं। शेअ़रों से ज़्यादा दिलचस्पी क़ुर्आन मजीद से दूर करती है।

बाब : (100)
नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ कर जाये?

باب : (١٠٠)
الانصراف من الصلاة

(1360) हज़रत सुद्दी से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा कि जब मैं नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाऊँ तो कैसे उठूँ? दायें जानिब से या बायें जानिब से? उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को आ़म तौर पर दायें जानिब मुड़ कर उठते देखा है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَارِي، قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ، مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

(1360) **तख़रीज : (सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1282.

फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये मालूम होता है कि फ़राग़त के बाद घर जाते वक़्त किस तरफ़ से मुड़ना चाहिए, दायें से या बायें से? ज़ाहिर है जिस तरफ़ को हाजत हो उठ कर जा सकता है मगर दायें जानिब को तर्जीह देना अच्छी बात है। फिर जिस तरफ़ जी चाहे चला जाये, अलबत्ता दायें जानिब को लाज़िम न समझे। रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठते थे। इस तरह आपका घर दायें जानिब बन जाता था तो आप उ़मूमन दायें जानिब को ही उठ कर तशरीफ़ ले जाते थे। कभी घर न जाना होता तो दूसरी जानिब भी उठते थे। अगर आप क़िब्ला रुख़ बैठे होते तो आपका घर बायें

जानिब था। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने दायें जानिब से उठने को लाज़िम क़रार देना बुरा समझा है। बाब का मक़सूद ये भी हो सकता है कि इमाम नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ़ किस जानिब से मुड़े? दोनों तरफ़ से मुड़ सकता है मगर दायें जानिब अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) हर काम में दायें जानिब को ज़्यादा पसन्द फ़रमाते थे। सहाब-ए-किराम (ﷺ) क़सदन दायें जानिब खड़े होते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का रुखे अनवर पहले हमारी तरफ़ होगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

(1361) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि तुममें से कोई शख़्स अपने आप पर शैतान का हिस्सा न रखे कि वह अपने आप पर ज़रूरी क़रार दे कि सिर्फ़ दायें जानिब ही से मुड़ेगा। बिलाशुब्हा मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को अक्सर बायें जानिब से मुड़ते देखा है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 852, व मुस्लिम, हदीस: 707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1283.

फ़ायदा : 'अपने आप पर शैतान का हिस्सा न रखे।' यानी ग़ैर वाजिब को ख़ुद ही वाजिब कर लेना शरीयत में मुदाख़लत है, शैतान की पेरवी है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े की मुख़ालिफ़त है गोया दायें जानिब से मुड़ने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर कोई दोनों जानिब से मुड़ने को जायज़ समझ कर दायें जानिब को तर्जीह दे तो कोई हर्ज नहीं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّ مَكْحُولاً، حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

(1362) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर भी पानी पी लेते थे और बैठ कर भी। नंगे पाँव भी नमाज़ पढ़ लिया करते थे और जूते पहन कर भी और नमाज़ियों की तरफ़ दायीं तरफ़ से भी मुड़ जाते थे और बायीं तरफ़ से भी।

(1362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1284.

फ़ायदा : बिला वजह तशद्दुद दुरुस्त नहीं। जब दोनों तरफ़ दलाइल हों तो बजाये झगड़ने और बात को तूल देने के वजहे तर्जीह ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। बिला वजह किसी एक बात पर जम जाना

मुनासिब नहीं इसी तरह वह मसाइल जो सहाब-ए-किराम (ﷺ) के दौर में मुख़्तलफ़ फ़ीह रहे और उन पर इत्तेफ़ाक़ न हो सका, उनमें दोनों सूरतों के जवाज़ का फ़तवा दिया जाये बशर्ते कि मामला जवाज़ व इस्तेहबाब का हो, वरना बसूरते तआरुज़ जवाज़ व एबाहत पर हुरमत व मुमानिअत को मुक़द्दम करना ही मोहतात रास्ता है, अलबत्ता जो मसला सहाब-ए-किराम (ﷺ) में मुत्तफ़क़ अलैहि हो, उसे मज़बूती से पकड़ा जाये क्योंकि सहाब-ए-किराम (ﷺ) ग़लती पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते थे।

باب :(١٠١) الْوَقْتِ الَّذِي يَنْصَرِفُ فِيهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلاَةِ

बाब : (101)औरतें नमाज़ से फ़ारिग़ होकर किस वक़्त घर वापस जायें?

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

(1363) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे फ़ज्र की नमाज़ पढ़ती थीं। जब आप सलाम फेरते तो वह फ़ौरन उठ कर चली जातीं। उन्होंने बड़ी चादरें लपेटी होती थीं और अंधेरे की वजह से उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 578, व मुस्लिम, ह 645/230, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1285.

फ़ायदा : औरतों को सलाम फेरते ही उठ जाना चाहिए। मर्द बैठे रहें। मर्दों को ज़िक्र अज़्कार और सुनने मुअक्कदा की अदायगी के बाद घर जाना चाहिए ताकि औरतें उनसे पहले घरों में पहुँच जायें और इख़्तिलात न हो। चादर में लिपटी होने के बावजूद औरत की चाल ढाल से उसे पहचाना जा सकता है मगर अंधेरे में ये चीज़ भी मुमकिन न होती थी। मालूम होता है कि रसूले अकरम (ﷺ) की नमाज़ से फ़रागत ग़लस (अंधेरे) ही में हो जाती थी।

باب :(١٠٢) النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

बाब : (102)सलाम फेरने में इमाम से पहल करने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1364) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाज़ा

عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي " . ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " . قُلْنَا مَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ " .

रुकू, सज्दे, उठने और सलाम फेरने में मुझसे जल्दी न किया करो। मैं तुम्हें हर हाल में देखता हूँ, तुम आगे हो या पीछे।' फिर फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर तुम वह चीज़ें देख लो जो मैं देख चुका हूँ तो तुम बहुत कम हँसो और बहुत ज़्यादा रोओ।' हमने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क्या देखा है? आपने फ़रमाया: 'मैंने जन्नत और दोज़ख़ देखी है।'

(1364) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1286.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ ने 'इन्सिराफ़' के मानी सलाम के बाद 'उठ कर जाना' मुराद लिये हैं लेकिन ये मानी मुराद लेना बईद हैं क्योंकि सियाक़े कलाम तक़ाज़ा करता है कि इससे मुराद नमाज़ में सलाम फेरना ही है क्योंकि आपने रुकू, सुजूद और क़याम का ज़िक्र फ़रमाया, सलाम का ज़िक्र नहीं किया तो यहाँ इन्सिराफ़ से सलाम ही मुराद है। इसी तरह आपका ये फ़रमान कि 'मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ।' भी दलालत करता है कि जिस जल्दी से मना किया गया है वह नमाज़ से सलाम फेरने में जल्दी है। इमाम नववी (رحمه الله) ने भी इससे 'सलाम' ही मुराद लिया है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 426) **(2)** नमाज़ में इमाम से जल्दी करने के मुताल्लिक़ देखिये, हदीस: 922 का फ़ायदा। **(3)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) का नमाज़ में पीछे देखना आपका मोजिज़ा था। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 814 का फ़ायदा: 2)

बाब : (103)
उस शख़्स का सवाब जो इमाम के साथ नमाज़ पढ़े और उसके उठने तक साथ ही रहे

باب : (١٠٣)
ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ

(1365) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नबी (ﷺ) ने हमें रात को (तरावीह की) नमाज़ नहीं पढ़ाई

الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ . قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " . قَالَ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ . قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ .

यहाँ तक कि माहे मुक़द्दस के सात दिन बाक़ी रह गये तो आपने (तैईस्वी रात को) हमें (तरावीह की) नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात का तक़रीबन तीसरा हिस्सा गुज़र गया। फिर चौबीसवीं रात हूई तो हमें नमाज़ नहीं पढ़ाई। जब पच्चीसवीं रात हूई तो फिर हमें नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि तक़रीबन निस्फ़ रात गुज़र गई। हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप सारी रात हमें नफ़ल नमाज़ पढ़ाते रहते तो क्या ही ख़ूब होता। आपने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स इमाम के साथ नमाज़ पढ़े और इमाम के वापस जाने तक साथ रहे तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार किया जाता है।' फिर छब्बीस्वीं रात हूई तो आपने हमें नफ़ल नमाज़ न पढ़ाई। जब माहे मुक़द्दस के तीन दिन बाक़ी रह गये (यानी सत्ताईसवीं रात को) तो आपने अपनी बेटियों और बीवियों को भी बुला भेजा ओर बहुत लोग जमा हो गये तो आपने हमें नफ़ल नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि हमें ख़तरा महसूस हुआ कि 'फ़लाह' रह जायेगी। फिर उसके बाद उस माहे मुक़द्दस की किसी रात को हमें नफ़ल नमाज़ (तरावीह) नहीं पढ़ाई।

(रावी-ए-हदीस़) दाऊद (बिन अबू हिन्द) ने कहा: मैंने (अपने उस्ताद वलीद से) पूछा: 'फ़लाह' क्या है? उन्होंने कहा: सहरी है।

(1365) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 1375, तिर्मिज़ी, हदीस़: 806, इब्ने माजा, हदीस़: 1327, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1287, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2206, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 919.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) का बाद की रातों में तरावीह न पढ़ाना फ़र्ज़ीयत के डर से था जैसा कि आपने ख़ुद फ़रमाया है। आपकी वफ़ात के बाद ये डर न रहा, लिहाज़ा हज़रत उमर (ﷺ) ने मुस्तक़िल जमाअत शुरू करा दी जिस पर आज तक उम्मत मुत्तफ़िक़ है। सो अब यही सुन्नत है। ख़ुसूसन जब कि क़ुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ की कस्रत नहीं रही और लम्बी नमाज़ का शौक़ भी ओनक़ा (एक परिन्दे का नाम) है। **(2)** अहदे रिसालत और अहदे सहाबा व ताबेईन में रात के क़याम, यानी तहज्जुद को क़यामुल लैल या तहज्जुद कहा जाता था, इस हदीस में भी इसके लिए क़याम ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बाद में रमज़ान के क़याम को 'तरावीह' कहा जाने लगा जो तर्वीहा की जमा है, ताहम तहज्जुद, क़यामुल लैल और तरावीह एक ही नमाज़ (तहज्जुद) का नाम है, अलबत्ता रमज़ान के क़याम के लिए तरावीह का लफ़्ज़ मारूफ़ हो गया है, इसके अलावा अव्वाम की सहूलत के पेशे नज़र इसे इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया जाता है क्योंकि तहज्जुद के वक़्त का आग़ाज़ नमाज़े इशा के बाद शुरू हो जाता और तुलूअे फ़ज्र तक रहता हैं गो इसका आम दिनों में अफ़ज़ल वक़्त सुलुसे लैल का आख़री पहर ही है, ताहम इसे रमज़ानुल मुबारक में अव्वल वक़्त में बा'जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि रमज़ान के आख़री अश्रे की ताक़ रातों में क़याम का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए क्योंकि लैलतुल क़द्र उन्हीं में से एक रात होती है।

बाब : (104)
इमाम के लिए लोगों की गर्दनें फँलागने की रुख़सत

باب : (١٠٤)
الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ

(1366) हज़रत उक़्बा बिन हारिस (ﷺ) बयान करते हैं मैंने एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में नबी(ﷺ) के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ से फ़ारिग़ होते ही आप जल्दी से लोगों की गर्दनें फँलागते हुये घर चले गये यहाँ तक कि लोगों ने आपकी जल्दी पर ताज्जुब किया। कुछ सहाबा आपके पीछे गये। आप अपनी किसी बीवी के घर दाख़िल हुये, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मुझे अस्र की नमाज़ के दौरान में याद आया कि कुछ सोना हमारे घर पड़ा है। मैंने पसन्द

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ

فَقَالَ " إِنِّي ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " .

न किया कि वह रात को हमारे घर रहे, इसलिए मैंने वह तक़सीम करने का हुक्म दिया है।'

(1366) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 851, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1288.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह! अल्लाह नबी (ﷺ) की बेनफ़्सी कि अल्लाह के माल को एक रात के लिए भी अपने घर रखने को तैयार नहीं। (ﷺ) फ़जज़ाहुल्लाहु अन्ना ख़ैरल जज़ा **(2)** मालूम हुआ कि नमाज़ के अन्दर इत्तेफ़ाक़न किसी ख़याल का आ जाना नमाज़ को ख़त्म नहीं करता। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारका नमाज़ के बाद कुछ देर बैठने ही की थी वरना सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) को ताज्जुब न होता, और किसी उ़ज्र की बिना पर ऐसे कर सकते हैं, इसे आदत नहीं बनाना चहिये। **(4)** इमाम जब कोई ख़िलाफ़े मामूल काम करे तो उसे अपने साथियों के सामने उसकी वज़ाहत कर देनी चाहिए ताकि उनके दिलों में शुकूक व शुब्हात जन्म न लें।

باب : (١٠٥)
إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُولُ لاَ

बाब : (105)
जब किसी आदमी से पूछा जाये: तूने नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह कह सकता है: नहीं?

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ -، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

(1367) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) जंगे ख़न्दक़ के दिन सूरज गुरूब होने के बाद कुफ़्फ़ारे क़ुरैश को बुरा भला कहने लगे और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो बड़ी मुश्किल से ऐन गुरूबे शम्स के क़रीब नमाज़े अस्र पढ़ सका। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैंने तू अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी।' फिर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ वादी-ए बुतहान में गये आपने भी वुज़ू किया ओर हमने भी। फिर गुरूबे शम्स के बाद पहले अस्र की नमाज़ पढ़ी, फिर मग़रिब की।

فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا " . فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

(1367) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 596, व मुस्लिम, हदीस: 631, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1289.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद दरअसल कुछ फ़ुक़हा के इस ख़्याल की तर्दीद है कि अगर नमाज़ न पढ़ी हो तो यूँ न कहे: 'मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।' बल्कि यूँ कहे: 'अभी पढ़नी है।' क्योंकि पहले जुम्ले में कुछ बेन्याज़ी सी झलकती है, जब कि दूसरे जुम्ले में अपनी कोताही का ऐतराफ़ और तलाफ़ी का अज़्म है। इमाम साहिब का ख़्याल है कि इस तरह भी कह सकता है। ये हदीस दलील है। **(2)** फ़ौत शुदा नमाज़ों की जमाअत कराना मशरूअ है, और अगर फ़ौत शुदा नमाज़ें एक से ज़्यादा हों तो उन्हें तर्तीब के साथ पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

उम्मते मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल उम्मत है। इस पर अल्लाह तआला के बेशुमार इनाम व इकराम हैं। ये इनामाते रब्बानिया का ख़ुसूसी मेहवर है। जुम्अतुल मुबारक का दिन भी इन्हीं इनामाते जलीला में से एक है। जिस तरह तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक, तमाम दिनों में से यौमे अरफ़ा और यौमे नहर, तमाम रातों में से लैलतुल क़द्र और तमाम औक़ात में से रात का आख़री हिस्सा अफ़ज़ल है और इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी रहमत और बरकत बन्दों पर नाज़िल होती है, इसी तरह हफ़्ते के दिनों में से जुम्अतुल मुबारक का दिन अफ़ज़ल है। ये अल्लाह तआला की ख़ुसूसी इनायात और लुत्फ़ व करम का दिन है। यही वजह है कि इस दिन में अल्लाह तआला की तरफ़ से बड़े अहम वाक़िआत रू नुमा हुये और होने वाले हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'सबसे अच्छा दिन जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमे का दिन है, इस दिन आदम(عليه السلام) की तख़लीक़ हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाख़िल किया गया और इसी दिन वह जन्नत से निकाले गये और क़यामत भी जुमे के दिन ही आयेगी।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस:(18-854)

साबिक़ा उम्मतों (यहूद व नसारा) को भी इसका इख़्तियार दिया गया लेकिन उन्होंने इसकी बजाए हफ़्ते और इतवार का दिन मुन्तख़ब किया। ये सआदत इस आख़री उम्मत के हिस्से में आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उसने जुम्अतुल मुबारक के दिन का इन्तेख़ाब किया। नमाज़े जुमा की अदायगी फ़र्ज़ है। ये एक ऐसी इबादत है जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। ये अपनी मख़्सूस नोईयत और इम्तियाज़ी शान की वजह से इस उम्मत का शिआर है।

ज़ेल में (नीचे) जुमा से मुताल्लिक़ ज़रूरी अहकाम इख़्तिसारन एक ही जगह ज़िक्र किये जाते हैं ताकि इस्तेफ़ादे में आसानी रहे।

✧ **लुग़वी मानी:** ये जम्उन से मुशतक़ है। इज्तिमा के मानी में है। इसकी जमा जुमउन और जुमुआतुन आती है।

✧ **इस्तेलाही मानी :** नमाज़े जुमा की अदायगी के लिए एक जगह जमा होना।

✧ **वजहे तस्मिया :** इस बारे में मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं। राजेह तरीन क़ौल के मुताबिक़ इसका नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि हज़रत आदम (عليه السلام) की तख़लीक़ के अज्ज़ा (पार्टस्) इस दिन

जमा किये गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने फ़तहुलबारी में इसी क़ौल को असहहुल अक़्वाल (सबसे सही क़ौल) क़रार दिया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/353)

एक क़ौल ये है कि इसका नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि लोग इस दिन में नमाज़े (जुमा) की अदायगी के लिए जमा होते हैं। इमाम नववी (رحمه الله) ने शरह सहीह मुस्लिम (6/186) में यही वजह नक़ल की है।

✧ **जुमे के दिन की फ़ज़ीलत :**

- **सहीह मुस्लिम की हदीस:** (854) जो पीछे गुज़र चुकी है, इसकी फ़ज़ीलत पर दलालत करती है।

- **हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '(अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान में) यौमे मौऊद से मुराद क़यामत का दिन, मशहूद से मुराद अरफ़े का दिन और शाहिद से मुराद जुमे का दिन है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3339) इस हदीस से भी जुमे के दिन की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के दिन की क़सम खाई।

- **हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने जुमे के दिन दौराने वाज़ फ़रमाया: **'इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक उस घड़ी में बन्द-ए-मुस्लिम खड़ा होकर नमाज़ पढ़े और अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ ज़रूर अता करता है।'** और आप (ﷺ) ने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि वह घड़ी थोड़ी सी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 935, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 852)

  ये घड़ी कौन सी है? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तैंतालीस अक़्वाल नक़ल किये हैं। सही तरीन नीचे दिये क़ौल हैं: **(1)** ये घड़ी इमाम के मिम्बर पर जल्वा अफ़रोज़ होने से लेकर नमाज़ के इख़्तिताम तक है। हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुये सुना: **'हिया मा बैना अय्यज्लिसल इमामु इला अन तुक़्ज़स्सलात'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 853) **(2)** ये घड़ी अस्र के बाद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'इसे अस्र के बाद दिन की आख़री साअत (घड़ी) में तलाश करो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1048, व सुनन नसाई, हदीस: 1390)

इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ज़ादुल मआद में फ़रमाते हैं: ये क़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत अबू हुरैरह और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन का है। उन्होंने इस क़ौल को राजेह क़रार दिया है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगरचे क़बूलियत की ख़ास घड़ी अस्र के बाद है लेकिन मुसलमानों के इज्तिमा, उनके तज़र्रोअ और गिर्याज़ारी की, क़बूलियते दुआ में अपनी तासीर होती है, इसलिए मेरे नज़दीक दोनों घड़ियाँ ही क़बूलियत की हैं। नबी (ﷺ) ने दोनों घड़ियों में दुआ की तर्ग़ीब दी है। इस तरह दोनों क़िस्में की अहादीस में तत्बीक़ हो जाती है। तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ादुल मआद: 1/389-396)

- **हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ग़ुस्ल करके जुमे के लिये आये, फिर नमाज़ पढ़े जितनी उसके मुक़द्दर में हो, फिर ख़ामोशी से बैठा रहे यहाँ तक कि इमाम ख़ुत्ब-ए-जुमा से फ़ारिग़ हो जाये, फिर इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे तो उसके दो जुमों के दरम्यान के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं बल्कि मज़ीद तीन दिनों के भी।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस:857)

- **हज़रत औस बिन औस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने (अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया और ग़ुस्ल किया और अव्वल वक़्त मस्जिद में गया और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के क़रीब बैठा और कोई फ़ुज़ूल काम न किया तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व क़याम का सवाब मिलेगा।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 496, व सुनन नसाई, हदीस: 1382, व सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब लिल अल्बानी: 693)

- **हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने जुम्अतुल मुबारक के दिन ग़ुस्ले जनाबत की तरह (अच्छी तरह) ग़ुस्ल किया, फिर पहले वक़्त में (जुमे के लिए) चल पड़ा तो यूँ समझो कि उसने ऊँट सदक़ा किया और जो शख़्स दूसरी घड़ी में चला, गोया उसने गाय सदक़ा की और जो तीसरी घड़ी में चला, गोया उसने मैण्ढा सदक़ा किया। और जो आदमी चौथी घड़ी में चला, गोया उसने मुर्ग़ी सदक़ा की और जो पाँचवीं घड़ी में गया, गोया उसने अण्डा सदक़ा किया। फिर जब इमाम (ख़ुत्बे के लिए) निकलता है तो (ख़ुसूसी दर्जात लिखने वाले) फ़रिश्ते भी मस्जिद में आकर वाज़ सुनने लगते हैं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 881, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 850)

☙ **फ़र्ज़ीयत:** नमाज़े जुमा फ़र्ज़े ऐन है। फ़रमाने इलाही है: **'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।'** (अल जुमुआ: 62/9) इसमें (फ़स्औ) अम्र का सेग़ा है जो वजूब पर दलालत कर रहा है इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने बाबो फ़ज़िल जुमुआ के तहत इस आयत से फ़र्ज़ीयते जुमा का इस्तेदलाल किया है।

हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जुमा बा'जमाअत अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है ....'** (सुनन अबी दाऊद,, ह: 1067)

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'हम (ज़माने के लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस बात के कि इन (यहूद व नसारा) को हमसे पहले किताब दी गई। और ये दिन अल्लाह ने उन पर भी फ़र्ज़ किया था मगर उन्होंने इसमें इख़्तिलाफ़ किया (यहूद ने हफ्ते का और नसारा ने इतवार का दिन इख़्तियार किया। अल्लाह तआला ने इस (जुमे के) दिन के लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। अब वह लोग (इबादत वाले दिन के लिहाज़ से) हम से पीछे हैं। यहूदी हमसे अगले दिन और ईसाई उससे अगले दिन (ख़ुसूसी इबादत करते हैं)'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 876)

इमाम इब्ने कुदामा (ﷺ) ने इसके वजूब पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा नक़ल किया है। देखिये: (अल मुग़नी: 2/143)

☙ **तर्के जुमा पर वईद:** जिस काम की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा हो उसके तर्क पर वईद भी बहुत सख़्त होती है। यही मामला नमाज़े जुमा का भी है। ज़बाने नबूवत से इसके तारिकीन के लिये सख़्त वईद सादिर हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: **'लोग जुमे छोड़ने से बाज़ आ जायें वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहरें लगा देगा और वह यक़ीनी तौर पर ग़ाफ़िलीन में से हो जायेंगे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 865)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मैंने इरादा किया कि एक आदमी को हुक्म दूँ, वह लोगों को नमाज़ पढ़ाये और मैं उन लोगों पर उनके घरों को जला दूँ जो जुमे की नमाज़ में हाज़िर नहीं होते।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 652)

हज़रत अबू जाद ज़मरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स ग़फ़लत और सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1052, व सुनन नसाई, हदीस: 1370)

- **नमाज़े जुमा का आग़ाज़:** जुम्हूर के नज़दीक नमाज़े जुमा हिजरत के बाद फ़र्ज़ हूई। एक हदीस में है कि सबसे पहला जुमा हिजरत से पहले पढ़ाया गया जो सहाबी-ए-रसूल हज़रत अस्अद बिन ज़ुरारा (رضي الله عنه) ने मदीना मुनव्वरा से एक मील के फ़ासले पर 'हर्र-ए-बनी बयाज़ा' में पढ़ाया। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1082) इससे साबित हुआ कि अगरचे इसकी बा'क़ायदा फ़र्ज़ीयत हिजरत के बाद हूई लेकिन ये हिजरत से पहले मशरूअ हो चुका था। सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की रहनुमाई या अपने इज्तेहाद से इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे। इसके बाद हिजरत के दौर ही में इसे फ़र्ज़ क़रार दे दिया गया ... मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/355, 356)

- **फ़र्ज़ीयते जुमा की शराइत:** फ़र्ज़ीयते जुमा की पाँच शराइत हैं: **(1)** आज़ादी **(2)** बुलूग़त **(3)** ज़कूरियत (मर्द होना) **(4)** इक़ामत **(5)** अदायगी पर क़ुदरत। ग़ुलाम, बच्चे, औरत मुसाफ़िर और माज़ूर पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। उज़्र में बीमारी, शदीद बुढ़ापा, दुश्मन का ख़ौफ़, शदीद बारिश और जिस्म या मुँह से बू का आना वग़ैरह है। हज़रत तारिक़ बिन शिहाब(رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जुमा हर मुसलमान पर जमाअत के साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाये चार क़िस्म के लोगों, यानी ग़ुलाम, औरत, बच्चे और मरीज़ के।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1067) मुसाफ़िर पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दौराने हज जुमा अदा नहीं किया।

जुमे के दिन करने वाले काम

- **नमाज़े फ़ज्र में सूर-ए-सज्दा और सूर-ए-दहर की क़िराअत:** जुमे के दिन नमाज़े फ़ज्र की पहली रकअत में सूर-ए-सज्दा और दूसरी में सूर-ए-दहर पढ़ना मस्नून हैं हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) जुमे के दिन फ़ज्र की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील) और (हल अता अलल इन्सान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 891, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 880)

- **सूर-ए-कहफ़ की तिलावत करना:** जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ की तिलावत करना मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ की तिलावत**

की, उसके लिए अगले जुमे तक का वक़्फ़ा नूर से रोशन हो जाता है।' (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 2/368)

- **कस्रत से दरूद पढ़ना:** जुमे के दिन नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर कस्रत से दरूद पढ़ना मुस्तहब है। हज़रत औस बिन औस (رضی اللہ عنہ) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तहक़ीक़ तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है इसमें आदम (علیہ السلام) पैदा हुये, इसी दिन फ़ौत हुये और इसी दिन स़ूर फूँका जायेगा। इसी दिन बेहोशी होगी। इस दिन तुम मुझ पर कस्रत से दरूद पढ़ा करो, यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1047, व सुनन नसाई, हदीस़: 1375)

जुम्अतुल मुबारक के सुनन व आदाब

- **मिस्वाक करना:** हज़रत अबू सईद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ पर ज़रूरी है, इसी तरह मिस्वाक करना भी और जो ख़ूशबू उसे मिल सके लगाये, ख़्वाह वह ख़ूशबू औरत (उसकी बीवी) की हो।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 880, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (7)-846)

- **गुस्ल करना:** जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल वाजिब है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जुमा के रोज़ गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 879, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 846) एक हदीस़ में है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई जुमे के लिए आये तो वह गुस्ल करे।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 877, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 844) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (एहकामुल अहकाम शरह उ़म्दतुल अहकाम, मअ़ हाशिया: अल इद्दह, हदीस़: 131) जुम्हूर इसे मुस्तहब कहते हैं। उनके मिन जुम्ला दलाइल में से मज़बूत तरीन दलील ये है:

  सय्यदना समुरा (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने वुज़ू किया उसने अच्छा और बेहतर किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 354, व सुनन नसाई, हदीस़: 1381) उनके बक़ौल ये हदीस़ इस बात पर दलालत करती है कि गुस्ले जुमा का हुक्म इस्तेहबाबी है, और पहली हदीस़ में वजूब से मुराद ताकीद है, वजूब नहीं। जुम्हूर उ़लमा-ए-किराम का मज़्कूरा हदीस़ से इस्तेदलाल महल्ले नज़र है, क्योंकि 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' के अल्फ़ाज़ वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी

चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती क्योंकि हदीस के मानी जैसा कि बयान हुआ, ये हैं: 'जिसने वुज़ू किया उसने अच्छा और बेहतर काम किया और जिसने ग़ुस्ल किया तो अफ़ज़ल है।' इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों अमल ही अहमियत के हामिल हैं। आपने पहले वुज़ू के बारे में फ़रमाया कि वह अच्छा और बेहतर काम है, क्या इन अल्फ़ाज़ से वुज़ू की अदमे फ़र्ज़ीयत की दलील नहीं ली जा सकती है? जैसे उसकी फ़र्ज़ीयत बल्कि शरतीयत दीगर दलाइल से अख़ज़ की गई है, यही मामला ग़ुस्ल का है। दूसरे, अहले किताब के बारे में कहा गया है: 'अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके लिये बेहतर होता।' क्या अहले किताब ईमान लाने के पाबन्द और मुकल्लफ़ न थे, या सिर्फ़ उनके लिये क़बूले इस्लाम और ईमान लाना एक तर्जीहन या तर्ग़ीबी अम्र था जैसा कि (ल कान ख़ैरल लहुम) के अल्फ़ाज़ से मुतबादिर है? यक़ीनन उनके लिये क़बूले इस्लाम एक अम्रे लाबुद्दी था। याद रहे इस हदीस से हुक्मे इस्तेहबाबी या ताकीदी अम्र मुराद लेना महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 2/14, व सुनन नसाई, उर्दू, अल ग़ुस्ल वत्तयम्मुम: 1/392-393 तबअ दारुस्सलाम)

☙ **उम्दा लिबास पहनना और ख़ुशबू लगाना:** हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने जुमे के रोज़ ग़ुस्ल किया और बेहतरीन कपड़े ज़ैब तन किये और अगर मयस्सर हो तो ख़ुशबू भी लगाई, फिर जुमे के लिये आया और लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर नफ़ल नमाज़ पढ़ी जो उसके लिए मुक़द्दर की गई, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकला यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो ये उसके लिये इस जुमे और साबिक़ा जुमे के बीच (सादिर होने वाले गुनाहों) का कफ़्फ़ारा है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 343)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक ख़ास लिबास रखा हुआ था जो आप जुम्अतुल मुबारक के दिन और वफ़ूद की आमद के मौक़े पर पहनते थे। देखिये: (अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 348)

☙ **जल्द अज़ जल्द मस्जिद में जाना:** जुम्अतुल मुबारक के दिन मस्जिद में जल्दी जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान है: **'जब जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और यके बाद दीगरे (एक के बाद दूसरे) आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले दाख़िल होने वाले (के सवाब) की मिसाल उस शख़्स की सी है जिसने ऊँट की क़ुर्बानी दी, दूसरे**

की ऐसी जैसे किसी ने गाय की क़ुर्बानी दी, फिर मैण्ढा, फिर मुर्ग़ी और फिर अण्डा सदक़ा करने के बराबर। इसके बाद जब इमाम आ जाता है तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बन्द कर देते हैं और ख़ुत्बा सुनने लग जाते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 929, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (24)-850)

पैदल चल कर जाना: नमाज़े जुमा के लिये पैदल चल कर जाना निहायत फ़ज़ीलत वाला अमल है। अबाया बिन रिफ़ाअ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं जुमे के लिये जा रहा था कि (रास्ते में) मुझे अबू अब्स (ﷺ) मिले। उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: **'जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुये अल्लाह उसको आग पर हराम कर देगा।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 907)

हज़रत औस बिन औस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो आदमी जुमे के दिन ग़ुस्ल करे और अपने जिस्म वग़ैरह को अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त जाये, ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, इमाम के क़रीब बैठे, ख़ामोश रहे और फ़ुज़ूल बात न करे तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के अमल (सियाम व क़याम) का सवाब मिलेगा।'** (सुनन नसाई, हदीस: 1385)

हदीस में बयानकर्दा फ़ज़ीलत सिर्फ़ पैदल चल कर जाने की नहीं बल्कि उन तमाम कामों की है जिनका इस हदीस में ज़िक्र है। और उन कामों में एक पैदल चल कर जाना भी है, लिहाज़ा इसकी भी फ़ज़ीलत मालूम हूई।

जुमे के लिये दूर दराज़ से आना: अगर आदमी के क़ुर्बो-जवार में कोई मस्जिद न हो बल्कि काफ़ी दूर हो तो फिर भी जुमे की अदायगी के लिये हाज़िर होना चाहिए। अगर ज़्यादा सफ़र है तो अज्र भी ज़्यादा ही मिलेगा, सहाब-ए-किराम (ﷺ) दूर दराज़ से जुमे के लिये हाज़िर होते थे। ये बाइसे फ़ज़ीलत अमल है, लेकिन ऐसे शख़्स पर जुमे के लिये हाज़िर होना वजूब की हैसियत नहीं रखता। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1902 और उसका बाब)

इमाम के क़रीब बैठना: इमाम के क़रीब बैठना ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस है, देखिये: मज़्कूरा हदीस: और इमाम के क़रीब बैठने वाले शख़्स की तवज्जा वाज़ की तरफ़ ज़्यादा होगी और वह दूर बैठने वाले की निस्बत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। और ये जुमे का बुनियादी मक़सद भी है।

बैठने का अन्दाज़: मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। बिल्कुल सीधा

क़िब्ला रुख़ होकर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि सफ़ की दायें बायें जानिब वाले जो हज़रात इमाम से दूर हों वह इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठें, चाहे क़िब्ले से मुँह हट भी जाये। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं: **'नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर (वाज़ व नसीहत के लिये) बैठे तो हम आपके इर्द गिर्द बैठ गये।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 921)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने इस हदीस़ पर ये बाब बाँधा है: **'जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो लोग उसकी तरफ़ मुँह करके बैठें।'**

- **ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना:** ख़ुत्ब-ए-जुमा निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना चाहिए। किसी क़िस्म की नारवा हरकत नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी बोलता भी है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, पूरी तवज्जा ख़ुत्बे के मज़ामीन की तरफ़ होनी चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तूने अपने साथी से जुमे के दिन कहा कि चुप रह जबकि इमाम उस वक़्त ख़ुत्बा दे रहा हो तो तूने लग़्व काम किया।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 934, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 851)

चन्द अहम मसाइल

- **बारिश के दिन जुमे की रुख़्सत:** बारिश, तूफ़ान, आँधी या इसके अलावा किसी और उज़्र की वजह से जुमे के लिये हाज़िर होना निहायत मुश्किल हो तो नमाज़े जुमा की रुख़्सत है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने एक बारिश वाले दिन अपने मुअ़ज़्ज़िन से कहा: जब तू अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह ले तो उसके बाद हय्या अ़लस्सलाह न कहना बल्कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहना, लोगों ने इसे कुछ अ़जीब महसूस किया तो फ़रमाया: ये काम उस अ़ज़ीम हस्ती (रसूलुल्लाह (ﷺ)) ने भी किया जो मुझसे बेहतर थी। बिलाशुब्हा जुमा एक अ़ज़ीमुश्शान काम है लेकिन मैं नापसन्द समझता हूँ कि तुम को हर्ज में मुब्तला करूं और तुम मिट्टी और कीचड़ में चल कर जुमे के लिये आओ। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 901, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 699)
- **शदीद गर्मी में जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ना:** हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा होती तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) (जुमे की) नमाज़ जल्दी पढ़ते और जब गर्मी ज़्यादा होती तो आप नमाज़े जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ते। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 906)
- **नमाज़े जुमा से पहले सुन्नतें:** नमाज़े जुमा से पहले नवाफ़िल की तादाद मुतय्यन नहीं। जो चार रकआत वाली रिवायत है वह ज़ईफ़ है, इसलिए जितनी तौफ़ीक़ मिले उतने पढ़ लिये जायें। अगर वक़्त ज़्यादा हो तो ज़्यादा पढ़े जा सकते हैं। अगर वक़्त कम हो या इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो

तो कम अज़ कम दो रकअत पढ़ कर बैठे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 883, 1166, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 857, 875)

- **अज़ान का वक़्त:** जुमे के लिये अज़ान उस वक़्त दी जाती है जब ख़तीब साहिब मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हो जायें। हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) फ़रमाते हैं: जुमे के दिन अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 915) ये जुमे की वह अज़ान है जो दौरे नबवी में हुआ करती थी। एक अज़ान इससे पहले होती है जिसका आग़ाज़ दौरे उस्मानी में हुआ। उसका ज़िक्र आगे आयेगा।

- **दौराने ख़ुत्बा आने वाला क्या करे?:** जो शख़्स दौराने ख़ुत्बा आये वह दो रकअत पढ़े बग़ैर न बैठे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया और बैठ गया। आपने उससे पूछा: **'तूने (दो रकअत) नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'खड़ा हो और दो रकअतें पढ़।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 931, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875)

  साबित हुआ कि अगरचे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, दो रकअतें पढ़े बग़ैर नहीं बैठना चाहिए। उस वक़्त बैठ जाना और ख़ुत्बे के बाद सुन्नतों का वक़्फ़ा देना ख़िलाफ़े सुन्नत है।

- **दौराने ख़ुत्बा ऊँघ आये तो?:** अगर दौराने ख़ुत्बा ऊँघ आ जाये तो जगह बदल लेनी चाहिए, ख़ुत्बे को तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, वरना जुमे की रूह फ़ौत हो जाती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब किसी को जुमे के दिन (दौराने ख़ुत्बा) ऊँघ आने लगे तो अपनी जगह बदल ले।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1119, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 526)

- **ख़तीब से हम कलाम होना:** किसी ज़रूरत के पेशे नज़र सामेईन में से कोई भी इमाम से मुख़ातिब हो सकता है। ऐसे शख़्स पर उस वईद का इत्लाक़ नहीं होगा जो दौराने जुमा कलाम करने वाले के लिये है क्योंकि सही हदीस से साबित है कि दौराने जुमा एक शख़्स ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से कलाम किया था। उसने आप (ﷺ) से क़हत साली की शिकायत की थी तो आपने ख़ुत्बे के दौरान में दुआ की। देखिये: (सहीह बुख़ारी, ह: 932, व सहीह मुस्लिम, ह: 897)

- **रकआते जुमा की तादाद:** जुमे की नमाज़ दो रकअत है। हज़रत उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जुमे की रकआत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बानी दो हैं। (सुनन नसाई, हदीस: 1421)

- **नमाज़े जुमा में क़िराअत:** नमाज़े जुमा की पहली रकअत में सूर-ए-जुमा और दूसरी में सूर-

ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना मस्नून अमल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 879)

इसी तरह सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया की क़िराअत भी एक हदीस से साबित है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 1423), इस लिए दोनों अहादीस पर अमल किया जा सकता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: (67)-881)

- **जुमे के बाद सुन्नतें:** जुमे के बाद की सुन्नतों के बारे में दो अहादीस मरवी हैं। एक हदीस में चार और एक में दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) याद रहे! दोनों तरह दुरुस्त है और वक़्तन फ़वक़्तन दोनों पर अमल करना चाहिए। वल्लाहु आलम!

- **अगर नमाज़े जुमा की एक रकअत मिले तो?:** अगर कोई आदमी किसी वजह से देर से पहुँचा और उसे इमाम के साथ एक रकअत मिल गई तो उसकी वह नमाज़ जुमे की नमाज़ शुमार होगी, इसलिए उसे सिर्फ़ एक रकअत मज़ीद पढ़ कर सलाम फेर देना चाहिए। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने नमाज़े जुमा की एक रकअत पा ली तो उसने (नमाज़े जुमा) पा ली।'** (सुनन नसाई, हदीस:1426)

  सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: **'वह दूसरी रकअत साथ मिलाये।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1121) इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर उसे एक रकअत से कम जमाअत के साथ नमाज़ मिले तो उसकी नमाज़, नमाज़े जुमा शुमार नहीं होगी बल्कि उसे ज़ुहर की नमाज़ चार रकअत ही पढ़नी चाहिए।

- **अगर नमाज़े जुमा फ़ौत हो जाये तो?:** अगर किसी शरई उज़्र की बिना पर नमाज़े जुमा फ़ौत हो जाये तो फिर नमाज़े ज़ुहर अदा की जायेगी क्योंकि नमाज़े जुमा एक इज्तिमाई इबादत है, फ़र्दन-फ़र्दन अदा नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जिससे जुमे की दो रकअतें फ़ौत हो जायें तो वह चार रकअतें पढ़े। (मज्मउज़्ज़वाइद: 2/192, वल अज्विबतुन्नाफ़िआ लिल अल्बानी, सफ़ा: 83) किसी सहाबी से इसकी मुख़ालिफ़त साबित नहीं। गोया सहाब-ए-किराम (ﷺ) के नज़दीक ये इत्तेफ़ाक़ी मसला है।

- **नमाज़े जुमा का वक़्त:** नमाज़े जुमा नमाज़े ज़ुहर की क़ाइम मुक़ाम है, इसलिए इसका वक़्त भी नमाज़े ज़ुहर वाला, यानी ज़वाले शम्स ही है। जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अइम्म-ए किराम का यही मौक़िफ़ है। हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) उस वक़्त जुमा पढ़ाते थे जब सूरज ढल जाता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 904)

हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े जुमा अदा करते जब सूरज ढल जाता, फिर वापस होते तो बड़ी जुस्तजू से साया तलाश करते। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (31)-860)

कुछ के नज़दीक ज़वाले शम्स से पहले भी जुमा पढ़ा जा सकता है। ये राय इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) की है। (अल मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा: 2/209, 212, रक़म: 1380, व सुबुलुस्सलाम: 2/139, बतअ़्लीक़ अल्बानी) ताहम राजेह मौक़िफ़ यही है कि इसका वक़्त ज़वाले शम्स के बाद है। इस मौक़िफ़ के दलाइल वाज़ेह और बेग़ुबार हैं। वल्लाहु आलम!

☙ **जुमे की अज़ान:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) के दौर में, बाद अज़ाँ (उसके बाद) हज़रत अबू बक्र (ﷺ), हज़रत उमर (ﷺ) के दौर और हज़रत उस्मान (ﷺ) के इब्तेदाई दौर में नमाज़े जुमा के लिए एक ही अज़ान दी जाती थी। दौरे उस्मानी में अहले मदीना की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ख़रीद व फ़रोख़्त के सिलसिले में वह बाज़ारों में ज़्यादा मसरूफ़ हो गये और नमाज़े जुमा के वक़्त पर न पहुँच पाते तो हज़रत उस्मान (ﷺ) ने ख़ुत्ब-ए-जुमा वाली अज़ान से कुछ देर पहले एक अज़ान कहलवाना शुरू कर दी। इसका मक़सद ये था कि लोगों को पता चल जाये कि नमाज़े जुमा का वक़्त क़रीब आ गया है, लिहाज़ा वह जल्दी जल्दी अपने कारोबार समेट कर नमाज़ की तैयारी करें और बरवक़्त पहुँच सकें। ये अज़ान मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में वाक़ेअ़ एक मक़ाम, ज़ौरा पर दी जाती थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 912) उस वक़्त लाऊडस्पीकर वग़ैरह नहीं थे, बाज़ार में शोर गुल की वजह से मस्जिद में दी जाने वाली अज़ान सुनाई न देती थी, इसलिए ये अज़ान शुरू की गई। आज लाऊडस्पीकर की आवाज़ दूर दराज़ तक पहुँच जाती है, लिहाज़ा जिस ग़र्ज़ से हज़रत उस्मान ने इसका आग़ाज़ किया, वह ग़र्ज़ भी इससे पूरी हो जाती है, इसलिए आज कल इस अज़ान की ज़रूरत नहीं, इसलिए अफ़ज़ल यही है कि आज कल ख़ुत्बे वाली अज़ान ही पर इक्तेफ़ा किया जाये। अगर कहीं इस क़िस्म की ज़रूरत हो तो वहाँ ये अज़ान दी जा सकती है। वल्लाहु आलम!

☙ **नमाज़ियों की तादाद कितनी हो?:** नमाज़े जुमा के लिए नमाज़ियों की कोई मुतय्यन तादाद शर्त नहीं। बल्कि जितने लोगों की बा'जमाअ़त नमाज़ हो सकती है उतने लोगों पर जुमा की अदायगी भी ज़रूरी है। कुछ हज़रात ने चालीस अफ़राद की कैद लगाई है जो कि दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बारह अफ़राद को भी जुमा पढ़ाया। हज़रत जाबिर(ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) खड़े जुमे का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि शाम से एक तिजारती

क़ाफ़िला आ गया। सब लोग जल्दी से क़ाफ़िले की तरफ़ खिसक गये और सिर्फ़ बारह आदमी (ख़ुत्बा सुनने के लिये) बाक़ी रह गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 863), और सूर-ए-जुमा की आख़री आयत (व इज़ा रऔ तिजारतन-औ लह्वनिन फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमन) में भी इसी वाक़िये की तरफ़ इशारा है। साबित हुआ चालीस अफ़राद की क़ैद दुरुस्त नहीं।

देहात में जुमा: शरीयते मुहम्मदी में नमाज़े जुमा के लिए देहात और शहर का कोई फ़र्क़ नहीं। हदीस से बस्तियों में जुमा पढ़ाना साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में जुमे के बाद सबसे पहला जुमा बहरीन के इलाक़े में, क़बील-ए-अब्दुल क़ैस की मस्जिद में, उनकी बस्ती जुवासा में पढ़ाया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 892)

सुनन अबू दाऊद की रिवायत में वाज़ेह तौर पर (क़रिया) 'बस्ती' के अल्फ़ाज़ हैं। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा ख़ुद भी उस वक़्त एक बस्ती ही था। इससे साबित हुआ कि देहात में नमाज़े जुमा बिलाशुब्हा जायज़ है। कुछ हज़रात ने नमाज़े जुमा के लिए शहर, तिजारती मण्डी और शरई जज वग़ैरह की क़ुयूद लगाई हैं जिनका नमाज़े जुमा से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। ऐसी क़ुयूद ख़ुद साख़्ता और शरीयत में इज़ाफ़े की हैसियत रखती हैं।

एहतियाती ज़ुहर: जिन लोगों ने नमाज़े जुमा के लिए शहर की शर्त लगाई है वह देहात में जुमे के बाद एहतियाती ज़ुहर भी पढ़ते हैं कि जुमा तो हमारा हुआ नहीं, लिहाज़ा ज़ुहर पढ़ लेते हैं। ये मौक़िफ़ मुताख़्ख़िरीन अहनाफ़ का है। उनसे सवाल है कि अगर देहात में जुमा नहीं होता तो पढ़ाते क्यूँ हैं? और अगर हो जाता है तो एहतियाती ज़ुहर के क्या मानी? दरअसल ये तक़्लीदे शख़्सी का करिशमा है जिसकी वजह से इन्सान एक ख़ास और महदूद नज़र व फ़िक्र का पाबन्द होता है और बराहे रास्ते क़ुर्आन व हदीस पर ग़ौर नहीं करता, अगर ग़ौर व तहक़ीक़ करने से मसला इमाम व मुक़्तदी के ख़िलाफ़ ही जाता हो, तब भी इमाम के क़ौल पर चलना उसकी मजबूरी होती है जिसके नतीजे में इस तरह के अजीब व ग़रीब मसाइल जन्म लेते हैं। इस मज़्कूरा तरद्दुद व तअ़ज्जुब और तक़्लीद की रविश पर कफ़े अफ़सोस मलने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता।

तक़्लीद की रविश से बेहतर है ख़ुदकुशी!

रस्ता भी ढूँढ ख़िज़्र का सौदा भी छोड़ दे

नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो जायें तो?: अगर नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो जायें तो ईद पढ़ने के बाद नमाज़े जुमा की रुख़्सत है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, यानी जुमा पढ़ना

मुस्तहब होगा। और जो न पढ़े, वह ज़ुहर की नमाज़ अदा करे, ताहम इमाम को चाहिए कि वह रुख़्सत की बजाये अ़ज़ीमत पर अ़मल करे ताकि जुमा अदा करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनाब इयास बिन अबू रमला शामी कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) के यहाँ हाज़िर था और वह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से दरयाफ़्त कर रहे थे कि क्या तुम्हारे होते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में इकट्ठी हुई हैं? उन्होंने कहा हाँ, उसने पूछा तो तब आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर जुमे के बारे में रुख़्सत दे दी और फ़रमाया: **'जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1070, व सुनन नसाई, हदीस: 1592)

ख़तीब के लिए चन्द आदाब व अहकाम

- **ख़तीब की जगह:** ख़ुत्ब-ए-जुमा मिम्बर या किसी बलन्द जगह खड़े होकर देना चाहिए जैसा कि आज कल ख़तीब मसाजिद में मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) पहले मिम्बर के बग़ैर ही एक तने के साथ टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे। बाद में आपके हुक्म से आपके लिये मिम्बर बनवाया गया। इसकी तीन सीढ़ियाँ थीं। आप आख़री सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे।

- **मिम्बर पर चढ़ कर सलाम कहना:** हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा होते तो सलाम कहते। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1109 शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे हसन क़रार दिया है।)

  हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उ़मर फ़ारूक़, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) और हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله) का भी यही अ़मल था। देखिये: (शरहुस्सुन्ना: 4/242, 243)

- **अज़ान का जवाब देना:** इमाम को भी मिम्बर पर अज़ान का जवाब देना चाहिए। हज़रत मुआविया (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो मुअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू की। आपने अज़ान का जवाब दिया, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस जगह (मिम्बर पर) इसी तरह अज़ान का जवाब देते सुना। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 914)

- **खड़े होकर ख़ुत्बा देना:** ख़ुत्बा खड़े होकर देना मस्नून है। बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और (दूसरा) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। (फ़िर

फ़रमाते हैं) जिसने तुझे ये ख़बर दी कि नबी (ﷺ) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे उसने झूठ बोला। अल्लाह की क़सम! मैंने आप (ﷺ) के साथ दो हज़ार से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (35)-862) मज़ीद देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 920, व सुनन नसाई, हदीस: 1398)

असा का सहारा लेना: ख़तीब को चाहिए कि वह ख़ुत्बा देते वक़्त असा वग़ैरह का सहारा लेकर खड़ा हो। नबी (ﷺ) ख़ुत्बा देते वक़्त असा का सहारा लेते थे। देखिये:(सुनन अबी दाऊद : 1096)

ख़ुत्बे दो या तीन?: नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दो ख़ुत्बे ही साबित हैं। तीसरा ख़ुत्बा आपसे साबित नहीं। ये सरासर बिद्अत है। हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) दो ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाते थे और इन दोनों के दरम्यान कुछ देर बैठते थे, नीज़ और ख़ुत्बों में क़ुआन की तिलावत फ़रमाते और लोगों को वाज़ व नसीहत करते। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (34)-862)

ग़ैर अरबी में ख़ुत्बा जायज़ है?: तीसरे ख़ुत्बे के जवाज़ के लिये ये उज़्र बयान किया जाता है कि दो ख़ुत्बे अरबी में देना लाज़मी हैं, तीसरा ख़ुत्बा हम अवाम की ज़बान में मसाइल समझाने के लिये देते हैं। लेकिन ये उज़्र दुरुस्त नहीं क्योंकि अरबी में ख़ुत्बे देना ज़रूरी नहीं बल्कि दोनों ख़ुत्बे इसी ज़बान में दिये जायें जिसे अवाम समझते हों, वह ज़बान ख़्वाह उर्दू हो या हिन्दी, पशतू हो या पंजाबी और फ़ारसी हो या इंगलिश वग़ैरह। नबी-ए-अकरम (ﷺ) अरबी में ख़ुत्बे इसलिये देते थे कि अवाम की ज़बान अरबी थी। इस मसले की मज़ीद तफ़सील के लिये 'जुम्अतुल मुबारक के मसाइल' अज़ मुनीर क़मर देखी जा सकती है।

अज्ज़ा-ए-ख़ुत्बा: ख़ुत्ब-ए-जुमा उमूमन नीचे दिये गये अज्ज़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए: **(1)** हम्द व सना-ए-बारी तआला। **(2)** ज़िक्रे शहादतैन। **(3)** अम्मा बाद कहना। **(4)** क़ुर्आन करीम की कुछ आयात की तिलावत। **(5)** लोगों को वाज़ व नसीहत। **(6)** मुसलमानों के लिये दुआ। नबी-ए-अकरम (ﷺ) का ख़ुत्बा उमूमन इन्हीं उमूर पर मुश्तमिल होता था।

कैफ़ियते इशारा: ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में बात समझाने के लिये बा'मक़सद इशारा किया जा सकता है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) का इशारा करने का अन्दाज़ ये था कि आप सिर्फ़ अपने दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते थे। बिला ज़रूरत दोनों हाथ हवा में लहराते रहना मुनासिब नहीं। हज़रत उमारा बिन रुऐबा (رضی اللہ عنہ) ने बिश्र बिन मरवान को मिम्बर पर ख़ुत्बे के दौरान में दोनों हाथों से इशारा करते देखा तो फ़रमाया: अल्लाह तआला इन हाथों को भलाई से दूर करे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप सिर्फ़ शहादत की ऊँगली से इशारा करते थे। (सहीह मुस्लिम: (53)-874)

- **किसी आरज़े के बाइस ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना:** किसी शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से नीचे उतर जाना, मौज़ूअ से हट कर कोई और बात कर लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़ुत्बा शुरू कर लेना जायज़ है। कई एक अहादीस़ से ये मालूम होता है, जैसे: हज़रत बुरैदा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे कि हज़रत हसन व हुसैन (رضی اللہ عنہ) तशरीफ़ लाये। वह सुर्ख़ क़मीस़ पहने हुये थे और उसमें लड़खड़ाते हुये आ रहे थे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ख़ुत्बा रोक दिया, नीचे उतरे, उन्हें उठाया और फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हो गये और फ़रमाया: **'अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फ़ित्ना हैं।' मैंने उन्हें क़मीस़ों में लड़खड़ाते देखा तो स़ब्र न कर सका, यहाँ तक कि मैंने ख़ुत्बा रोका और उन्हें उठाया।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1109, व सुनन नसाई, हदीस़: 1414)

- **ख़ुत्बे का दौरानिया:** ख़ुत्बे का दौरानिया मुख़्तस़र होना चाहिए। लम्बा ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'नमाज़ का लम्बा होना और ख़ुत्बे का मुख़्तस़र होना आदमी की फ़ुक़ाहत (समझदारी) की अलामत है, लिहाज़ा नमाज़ लम्बी पढ़ो और ख़ुत्बा मुख़्तस़र दो।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़:(47)-869)

  इस बात का ख़्याल रहे कि यहाँ ख़ुत्बे और नमाज़ का आपस में तक़ाबुल नहीं बल्कि मुत्लक़ नमाज़ लम्बी और ख़ुत्बा मुख़्तस़र देने का हुक्म है।

- **दौराने ख़ुत्बा दुआ करना:** अगर कोई आदमी दौराने ख़ुत्बा दुआ की दरख़्वास्त कर दे तो दुआ की जा सकती है जैसा कि नबी (ﷺ) से एक आराबी ने दौराने ख़ुत्बा क़हत साली की शिकायत की तो आपने उसी वक़्त दुआ फ़रमाई। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, 932, 933, व स़हीह मुस्लिम: 897)

- **दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना:** दो ख़ुत्बों के दरम्यान कुछ देर के लिए बैठना सुन्नत है, यानी ख़तीब एक ख़ुत्बे के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाये, फिर उठ कर दूसरा ख़ुत्बा दे। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (35)-862)

ममनूआ आमाल व हरकात

- **गर्दनें फलाँग कर आगे जाना:** जब अगली स़फ़ों में जगह न हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर पहली स़फ़ों में आना ममनूअ (मना) है। जिसे पहली स़फ़ में और इमाम के क़रीब होने का ज़्यादा शौक़ हो वह जल्दी आये, वरना जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाये। देर से आना और पहले से बैठे हूये लोगों को परेशान करना ग़ैर मुहज़्ज़ब हरकत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (رضی اللہ عنہ) बयान

फ़रमाते हैं कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में) एक आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ओ! बैठ जाओ' तुमने लोगों को अज़ियत दी है।'** (सुनन नसाई, हदीस: 1400)

- **दो आदमियों के दरम्यान जुदाई डालना:** दो आदमी बैठे हैं। उनके दरम्यान तीसरे आदमी की जगह नहीं लेकिन बाद में कोई आदमी आये और उन दोनों के दरम्यान जगह बनाने की कोशिश करे। ये ममनूअ (मना) है और बदतहज़ीबी है क्योंकि इससे दोनों आदमियों को तकलीफ़ होगी। इबादत इस तरह करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ न हो। ऐसा न हो कि ज़्यादा सवाब की कोशिश में आदमी कम सवाब से भी महरूम हो जाये और उलटा गुनाह लेकर वापस लौटे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 910)

- **किसी को उठा कर उसकी जगह बैठना:** किसी को उठा कर उसकी जगह बैठ जाना दुरुस्त नहीं है, ख़ुत्ब-ए-जुमा हो या कोई और मज्लिस। अगर शागिर्द या कोई बच्चा, बुज़ुर्ग या उस्ताद को एहतिरामन अपनी जगह दे दे तो और बात है। लेकिन बुज़ुर्ग इस वजह से लेट आने को अपना शेवा न बना ले कि मुझे कोई न कोई आगे जगह दे ही देगा। हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि आदमी किसी को उठा कर उसकी जगह पर बैठ जाये। इब्ने जुरैज फ़रमाते हैं कि मैंने नाफ़ेअ (رحمه الله) से पूछा: जुमे के दिन (ख़ुत्बे के मौक़े पर?) तो उन्होंने कहा: जुमा और ग़ैर जुमा सब में। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 911, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (27)-2177)

- **नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना:** नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना मना है। हल्क़ों से मुराद या तो तालीमी व तब्लीग़ी हल्क़े हैं क्योंकि इससे ख़ुत्ब-ए-जुमा की अहमियत कम हो जाती है या बातें या इज्तिमाई ज़िक्र वग़ैरह के हल्क़े मुराद हो सकते हैं। या ये मुराद है कि जुमे से पहले ख़ुत्बा सुनने के लिये मुख़्तलिफ़ हल्क़ों में न बैठें बल्कि एक ही हल्क़ा इमाम के गिर्द बनायें। ये भी मुराद हो सकता है कि ख़ुत्बे के लिये हल्क़ा न बनाया जाये बल्कि सफ़ों में बैठ कर इमाम की तरफ़ मुँह किया जाये। बहरहाल जुमे से पहले हल्क़े बनाना दुरुस्त नहीं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 715)

- **गोठ मारकर बैठना:** ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में गोठ मारकर बैठना मना है। हज़रत मुआज़ बिन अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुमे के दिन, जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, गोठ मार कर बैठने से मना फ़रमाया है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1110) इसकी सूरत ये है कि आदमी घुटने खड़े करके सीने के क़रीब कर ले और हाथों से उनके गिर्द हल्क़ा बना ले। इस तरह

बैठना ग़फ़लत और बेपरवाही की अलामत है, और इस तरह नींद बहुत जल्द आती है नतीजतन ख़ुत्बा फ़ौत हो जाता है। अगर तहबन्द बाँधा हो तो सतर खुलने का भी अन्देशा रहता है।

- **लग़्व हरकातः** ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में किसी क़िस्म की बे'फ़ायदा हरकत, जैसेः दाढ़ी या कपड़ों के साथ खेलना, ऊँगलियाँ चटख़ना, तिन्कों से खेलते रहना, दुरुस्त नहीं है। ख़ुत्ब-ए-जुमा निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि बोलने वाले को चुप कराना भी दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः **'जब तू किसी (बोलने वाले) को कहे कि चुप हो जा! तो तूने लग़्व हरकत की।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 934, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 851) क्योंकि अगर तवज्जा ख़ुत्बे की तरफ़ नहीं होगी तो कुछ हासिल नहीं होगा और ख़ुत्ब-ए-जुमा का मक़सद फ़ौत हो जायेगा।
- **नमाज़े जुमा के मुत्तसिल बाद नवाफ़िल पढ़नाः** नमाज़े जुमा से फ़रागत के फ़ौरन बाद, उसी जगह, सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। जगह तब्दील कर ली जाये या किसी से बातचीत कर ली जाये, बाद में सुन्नतें अदा की जायें दीगर नमाज़ों का भी यही हुक्म है। देखियेः (सहीह मुस्लिम : 883)
- **ख़ास उस दिन का रोज़ा रखनाः** हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमायाः **'तुममें से कोई जुमे के दिन रोज़ा न रखे मगर ये कि वह उससे एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी साथ रखे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 1985, व सहीह मुस्लिम, हदीसः (147)-1144)
- **ख़रीद व फ़रोख़्तः** जुमे की अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त मना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान हैः **'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।'** (अल जुमुआः 62/9)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الجمعة

जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) जुमे का वाजिब होना

باب : (١) إِيجَابُ الْجُمُعَةِ

(1368) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम (ज़माने के लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस बात के कि उन (यहूद व नसारा) को हमसे पहले किताब दी गई और हमें उनके बाद दी गई। और ये (ख़ुसूसी इबादत वाला) दिन उन पर भी अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ किया था लेकिन उन्होंने इसमें इख़्तिलाफ़ किया (यहूद ने हफ़्ते का दिन तजवीज़ किया और नसारा ने इतवार का) चुनांचे अल्लाह तआला ने हमें इस दिन, यानी जुमे के दिन तक पहुँचाया। अब वह लोग (इबादत वाले दिन के लिहाज़ से) हमसे पीछे हैं। यहूदी हमसे (यानी जुमे के दिन से) अगले दिन और इसाई उससे अगले दिन (ख़ुसूसी इबादत करते हैं।)'

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ، طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ - يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ ".

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 855, बुख़ारी, हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1654.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्मते मुस्लिमा सबसे आख़री उम्मत है और इसके नबी आख़री नबी हैं। ज़माने के लिहाज़ से ताख़ीर इनके मर्तबे में कमी का सबब नहीं बल्कि आख़री होने के लिहाज़ से ये

अफ़ज़ल उम्मत है और इसके नबी (ﷺ), अफ़ज़ल नबी हैं। **(2)** 'सबसे आगे' मर्तबे के अलावा अफ़राद की तादाद, हश्र व नश्र, हिसाब व किताब, इलाही फ़ैसले और दुख़ूले जन्नत में भी सबसे आगे होगी। जन्नत में निस्फ़ तादाद उम्मते मुहमदिया की होगी और बाक़ी निस्फ़ तादाद दीगर तमाम उम्मतों की। शर्रफ़हल्लाहु तआला। देखिये: (फ़तहुलबारी: 11/387) **(3)** 'अलावा इस बात के' ये एक अलग फ़ज़ीलत है। चूंकि हमारी किताब उन किताबों के बाद नाज़िल हुई है, लिहाज़ा हमारी किताब और शरीयत उनकी किताबों और शरीयतों को मन्सूख़ करने वाली है। और नासिख़ अफ़ज़ल होता है। ज़ाहिरन इस जुम्ले का अन्दाज़ अहले किताब की फ़ज़ीलत बयान करने का है मगर जो कुछ बयान किया गया है, वह उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत है। ये भी किसी की तारीफ़ करने का एक बलीग़ अन्दाज़ है। बैदा के एक मानी 'नीज़' भी हैं। फिर मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। **(4)** ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने उन पर जुमे का दिन ख़ुसूसी इबादत के लिये मुक़र्रर किया था मगर उन्होंने इसे क़बूल न किया, इससे इख़्तिलाफ़ किया, और यहूद ने इस दिन के बजाये हफ़्ता और ईसाइयों ने इतवार का दिन मुन्तख़ब किया जब कि जुमे का दिन अफ़ज़ल है। लेकिन सही बात ये है कि अल्लाह तआला ने उन उम्मतों को इख़्तियार दिया कि हफ़्ते के दिनों में से कोई दिन ख़ुसूसी इबादत के लिये मुक़र्रर कर लें। यहूदियों ने हफ़्ता इख़्तियार किया कि अल्लाह तआला तख़्लीक़ से जुमे के दिन फ़ारिग़ हुआ और हफ़्ते को फ़ारिग़ रहा। हम भी हफ़्ते के दिन इबादत के लिये फ़ारिग़ रहेंगे। ईसाइयों ने इतवार को इख़्तियार किया कि इस दिन ख़ल्क़ की इब्तेदा हुई थी। बतौर तशक्कुर हम इस दिन इबादत करेंगे। ये वुजूहात ख़ुद साख़्ता थीं। इबादात से इन वुजूह का ताल्लुक़ न था जब कि जुमा बज़ाते ख़ुद अफ़ज़ल दिन है जिसे नबी (ﷺ) ने इख़्तियार फ़रमाया। **(5)** वैसे तो दिनों की तर्तीब किसी दिन से भी शुरू की जा सकती है, मगर इबादत का मुक़र्ररा दिन होने के लिहाज़ से जुम्अतुल मुबारक इन तीनों में तर्तीब के लिहाज़ से अव्वल है। हफ़्ता दौम और इतवार सौम। इस लिहाज़ से भी उम्मते मुहम्मदिया उनसे मुक़द्दम है। **(6)** जुम्अतुल मुबारक के दिन ज़ुहर की बजाये जुमा पढ़ना (ख़ुत्बा और नमाज़) फ़र्ज़ है। ये मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है, अलबत्ता अगर किसी से रह जाये या कोई शख़्स माज़ूर हो (जैसे मरीज़, मुसाफ़िर वग़ैरह) तो ज़ुहर पढ़े। औरतें अगर जुमा पढ़ने मस्जिद में जायें तो वह मर्दों की तरह उनके साथ जुमा पढ़ेंगी, वरना घरों में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें।

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ

(1369) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत हुज़ैफ़ा(रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने हमसे पहली उम्मतों (यहूद व नसारा) को जुमे का दिन

حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَضَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ " .

इख़्तियार करने से दूर रखा। यहूदियों के लिये हफ़्ते का दिन मुक़र्रर हुआ और ईसाइयों के लिये इतवार का दिन। फिर अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया तो उसने हमें जुमे का दिन इख़्तियार करने की तौफ़ीक़ दी। और इबादत के लिये जुमा, हफ़्ता और इतवार मुक़र्रर कर दिये (इस लिहाज़ से वह हमसे पीछे हैं) इसी तरह क़यामत के दिन भी वह (यहूद व नसारा) हम से पीछे होंगे। हम दुनिया में आने के लिहाज़ से तो सबसे बाद में हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे और पहले होंगे। तमाम लोगों से पहले हमारे लिये (जन्नत में जाने का) फ़ैसला किया जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 856, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1652.

फ़ायदा : 'दूर रखा' अल्लाह तआला ने उन्हें ज़बरदस्ती दूर नहीं रखा बल्कि उन्हें इस फ़ैसले की तौफ़ीक़ नहीं दी ..... और तौफ़ीक़ देना अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है, उस पर फ़र्ज़ नहीं ..... उसको 'दूर रखने' से बयान फ़रमाया, वरना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जुमे के ख़िलाफ़ और हफ़्ता या इतवार के हक़ में फ़ैसला किया था। हमें सही फ़ैसले की तौफ़ीक़ देना अल्लाह तआला का करम है। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ جُمُعَةٌ بِجُوَاثَا بِالْبَحْرَيْنِ قَرْيَةٌ لِعَبْدِ الْقَيْسِ .

(1369)(ब) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अदा किये जाने वाले मक्का मुकर्रमा के जुमे के बाद सबसे पहला जुमा जो पढ़ाया गया, वह बहरैन के इलाक़े में अब्दुल क़ैस की बस्ती जुवासा का जुमा था।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1655, बुख़ारी, हदीस: 892, अबी दाऊद, हदीस: 1068 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रिवायत में 'मक्का' की बजाये 'मदीना मुनव्वरा' होना चाहिए क्योंकि मुहक़्क़क़ क़ौल के मुताबिक़ जुमे की इब्तेदा मदीना मुनव्वरा में हूई। शरह नसाई अ़ल्लामा मुहम्मद अतयूबी ने 'मक्का' के ज़िक्र को बिला तरद्दुद ख़ता क़रार दिया है। देखिये: (शरह सुनन नसाई: 16/69) और क़बील-ए-अ़ब्दुल क़ैस का वफ़द नबी (ﷺ) के पास मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुआ था। ज़ाहिर है जुमा उसके बाद ही शुरू हुआ होगा और उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में जुमा होता था। मक्का में जुमा व जमाअ़त मुश्किल अम्र था। **(2)** जुवास़ा बहरैन की एक बस्ती थी। मालूम हुआ बस्ती में भी जुमा हो सकता है, ख़्वाह लोगों की तादाद कम हो या ज़्यादा। अहनाफ़ ने जो क़ुयूद लगाई हैं कि शहर हो, हुदूद का निफ़ाज़ होता हो, बा'क़ायदा हाकिम और क़ाज़ी हो वग़ैरह, उनकी कोई दलील नहीं। अगर कहीं 'मिस्र' का लफ़्ज़ आया है तो उससे मुराद भी आबादी ही है जहाँ लोग इकट्ठे रहते हों। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।

बाब : (2)
जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर तशदीद

باب : (٢)
اَلتَّشْدِيدُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

(1370) हज़रत अ़बू अल जअ़द ज़मरी से रिवायत है ... और उन्हें शर्फ़े स़हाबियत हास़िल था (ﷺ) ... कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने सुस्ती करते हुये और मामूली समझते हुये तीन जुमे छोड़ दिये तो अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर (निफ़ाक़ की) मुहर लगा देता है।'

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " .

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1052, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1656, तिर्मिज़ी, हदीस़: 500, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1807, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 65, 553, 554, वल हाकिम: 1/280.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुहर लगाना' एक मुहावरा है जिससे मुराद किसी चीज़ को यक़ीनी बनाना और नाक़ाबिले तंसीख़ कर देना है। हदीस़ का मतलब ये है कि बिला उ़ज़्रे शरई तीन जुमे छोड़ने वाला शख़्स क़तअ़न मुनाफ़िक़ है। इसमें कोई शक नहीं। (मगर ये कि तौबा कर ले।) **(2)** जुमा अदा करना वाजिब है क्योंकि इस क़िस्म की वईद तर्के वाजिब ही पर होती है। **(3)** वाजिब आ़माल की

अदायगी में सुस्ती बहुत बड़ा जुर्म है। तर्के वाजिब पर दवाम से नेकी की तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है, आदमी के दिल पर ग़फ़लत के पर्दे चढ़ जाते हैं और आदमी नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं समझता। अआज़नल्लाहु मिन्हा।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، -رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " .

(1370)(ब) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह(ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बग़ैर किसी मजबूरी (शरई उ़ज़्र) के तीन जुमे (मुसल्सल) छोड़ दे, तो अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।'

(1370)(ब) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1126, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1657.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لاَحِقٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ، عُمَرَ يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

(1371) हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: 'लोग जुमे छोड़ने से बाज़ आ जायें वरना अल्लाह तआ़ला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा और वह यक़ीनी तौर पर ग़ाफ़िलीन में से हो जायेंगे।'

(1371) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुसनद अहमद: 1/254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1658, मुस्लिम, हदीस़: 865.

फ़ायदा : जो शख़्स जुमे जैसी अहम इबादत को छोड़ता है और बार बार छोड़ता है, वह दूसरी इबादात को भी अहमियत न देगा और एक एक करके दीगर इबादात भी उससे छूट जायेंगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि वह शख़्स अमलन मुनाफ़िक़ बन जायेगा और उसके दिल पर ज़ंग लग जायेगा जिससे अल्लाह तआ़ला की मोहब्बत और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मोहब्बत मग़लूब हो जायेगी। मुहर लगने से मुराद भी यही कुछ है। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

(1372) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत हफ़्सा (ؓ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के लिये जाना हर बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है।'

(1372) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1660.

بَاب: (٣) كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

बाब : (3) जो शख़्स बिला उ़ज़्र जुमा छोड़ दे, उस पर क्या कफ़्फ़ारा है?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .

(1373) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ؓ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बिला उ़ज़्र जुमा छोड़ दे तो उसे चाहिए कि वह एक दीनार स़दक़ा करे। अगर उसके पास दीनार न हो तो निस्फ़ दीनार स़दक़ा करे।'

(1373) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1053, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1661, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1861, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 582, वल हाकिम: 1/180.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا نُوحٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " . وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ مُتَعَمِّدًا .

(1373)(ब) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ؓ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जान बूझ कर जुमा छोड़ दे तो उसके ज़िम्मे एक दीनार स़दक़ा करना है। अगर उसके पास न हो तो निस्फ़ दीनार स़दक़ा करे।'

(1373)(ब) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1128, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1662.

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, इसलिये जुमा छोड़ने की असल तलाफ़ी ख़ालिस तौबा ही है, ताहम सदक़ा ख़ैरात भी माफ़ी का ज़रिया है। लेकिन जुमा छोड़ने से वह कफ़्फ़ारा साबित नहीं होता जो इसमें बयान हुआ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (4)
जुमे के दिन की फ़ज़ीलत का तज़्किरा

باب : (۴)
ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(1374) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम (عليه السلام) पैदा हुये, इसी दिन जन्नत से निकाले गये।'

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا "

(1374) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 854, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1663.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ रिवायात में मज़ीद ज़िक्र है कि इसी दिन आदम (عليه السلام) फ़ौत हुये और इसी दिन क़यामत क़ाइम होगी। क्या इन वाक़ियात का ताल्लुक़ भी जुमे की फ़ज़ीलत से है या उन्हें वैसे ज़िक्र कर दिया गया है? उलमा ने दोनों पहलू इख़्तियार किये हैं। अगर ये वाक़ियात फ़ज़ीलत से मुताल्लिक़ हैं तो इख़राजे आदम इसलिये फ़ज़ीलत का सबब है कि उनका इख़राज अम्बिया व रुसुल (عليهم السلام) की बिअ़सत का सबब बना और उनका वजूद इन्सानी फ़ज़ीलत का बाइस है। इसी तरह वफ़ाते आदम और क़यामत का वाक़ेअ होना, अल्लाह तआला की मुलाक़ात, दुख़ूले जन्नत और हुसूले करामत का सबब हैं। **(2)** 'जुमे का दिन अफ़ज़ल है या अरफ़े का दिन?' उलमा-ए-किराम इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि हफ़्ते के दिनों में से जुमा अफ़ज़ल है और साल के दिनों में से अरफ़े का दिन अफ़ज़ल है। इस लिहाज़ से अरफ़ा जुमे से अफ़ज़ल है क्योंकि जुमा भी तो साल के दिनों में शामिल है, इसके अलावा अरफ़े का इज्तिमा जुमे के इज्तिमा से बहुत बड़ा होता है और मोमिनीन का इज्तिमा जितना बड़ा हो, सवाब और फ़ज़ीलत उसी क़द्र ज़्यादा होती है, अलबत्ता जुमे के दिन सब इज्तिमाआते जुमा को मिलाया जाये तो वह यक़ीनन अरफ़े से बहुत बढ़ जाते हैं। इस दिन में होने वाले अहम वाक़ियात, जैसे: ख़ल्क़े आदम वग़ैरह मज़ीद फ़ज़ीलत का तक़ाज़ा करते हैं, लिहाज़ा क़तइयत से कोई एक बात कहना मुश्किल है। वल्लाहु आलम!

बाब : (5) जुमे के दिन नबी (ﷺ) पर कस्रत से दरूद पढ़ना

باب : (٥)
إِكْثَارُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَىْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ " .

(1375) हज़रत औस बिन औस (رضي الله عنه) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है। इसमें आदम (عليه السلام) पैदा हुये। इसी दिन फ़ौत हुये और इसी दिन सूर फूँका जायेगा। इसी दिन बेहोशी होगी। पस इस दिन मुझ पर कस्रत से दरूद पढ़ा करो। यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (वफ़ात के बाद) आप पर दरूद कैसे पेश किया जायेगा जब कि आप बोसीदा हो चुके होंगे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अम्बिया (عليهم السلام) के जिस्मों को खाये।'

(1375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1047, 1531, व इब्ने माजा, हदीस़: 1636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1666.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सनदन सही क़रार दिया है। और दलाइल की रू से इन्हीं की राय अक़रब इलस्सवाब मालूम होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 26/84-86, व इर्वाउल ग़लील: 1/34, 35, रक़म अल हदीस़: 4) **(2)** चूंकि जुमा अफ़ज़ल दिन है, लिहाज़ा इस दिन की नेकी भी अफ़ज़ल है और दरूद जो कि क़ुर्बे इलाही का अज़ीम ज़रिया है, इस दिन मज़ीद अफ़ज़ल हो जायेगा, और दरूद रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये तोहफ़े की तरह है जो आपको पेश किया जाता है। तो उसकी फ़ज़ीलत के क्या कहने! **(3)** 'ज़मीन पर हराम कर दिया है' साइलीन का मतलब ये है कि वफ़ात के बाद तो जिस्म बाक़ी नहीं रहता, लिहाज़ा सलाम किस पर पेश किया जायेगा? आपके फ़रमान का मतलब ये है कि मेरे जिस्म पर पेश किया जायेगा क्योंकि

अम्बिया के जिस्म मिट्टी नहीं बनते। (ﷺ) (4) सलात व सलाम का आप पर पेश किया जाना बर्ज़ख़ी मामला है, न कि आप बराहे रास्ते सुनते या महसूस फ़रमाते हैं बल्कि फ़रिश्ते आप तक पहुँचाते हैं। क़रीब से सुनने की रिवायत सनदन सही नहीं। अम्बिया व शोहदा की माबादल मौत ज़िन्दगी भी बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी है। ओर उनकी बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी सबसे आला और बेहतर है। वैसे तो बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी हर मय्यत को हासिल होती है मगर 'चे निस्बत ख़ाक रा बा आलिम पाक' अम्बिया(ﷺ) के जिस्म भी सलामत रहते हैं और शोहदा को जन्नती जिस्म मिल जाते हैं लेकिन वह ज़िन्दगी बहर सूरत बर्ज़ख़ी होती है, न कि दुनियावी क्योंकि वह दुनिया में नहीं रहे।

باب: (٦)
الْأَمْرِ بِالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ " .

बाब : (6)
जुमे के दिन मिस्वाक करने का हुक्म

(1376) हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ पर ज़रूरी है। इसी तरह मिस्वाक करना भी। और जो ख़ूशबू उसे मिल सके, लगाये, ख़्वाह वह ख़ूशबू औरत (उसकी बीवी) की हो।'

(1376) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1667, बुख़ारी, हदीस: 880.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वाजिब है' इस रिवायत और हदीस नम्बर 1377, 1378 और 1379 के बमोजिब अहले इल्म का एक तबक़ा जुमे के दिन गुस्ल के वाजिब होने का क़ाइल है जब कि एक बड़ा तबक़ा उसके वजूब का क़ाइल नहीं लेकिन पहले तबक़े के अहले इल्म की राय नुसूसे सरीहा के क़रीबतर है। वल्लाहु आलम, जैसा कि तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। **(2)** मिस्वाक आम हालत में भी मुअक़्क़द चीज़ है, जुम्अतुल मुबारक के लिये तो ख़ुसूसन, ख़ूशबू लगाना तो मुअक़्क़द भी नहीं सिर्फ़ मुस्तहब है। **(3)** औरतों की ख़ूशबू (जिसमें रंग हो) मर्दों के लिये जायज़ नहीं मगर मजबूरी की हालत में गुंजाइश है, जेसे: शादी के मौक़े पर या जुम्अतुल मुबारक के लिये। **(4)** सफ़ाई ईमान

का हिस्सा है। इस्लाम ने नज़ाफ़त पर बहुत ज़ोर दिया है। एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वह अपना जिस्म, लिबास और मकान वग़ैरह साफ़ सुथरा रखे और अगर किसी ऐसी जगह जाये जहाँ लोग इकट्ठे हों तो बिल ख़ुसूस सफ़ाई का एहतिमाम करे और हस्बे इस्तेताअत ख़ूशबू वग़ैरह का इस्तेमाल करे ताकि लोग अज़ियत महसूस न करें।

बाब : (7)
जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल का हुक्म

باب : (٧)
الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1377) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आदमी जुमे के दिन (जुमा पढ़ने के लिये) आये तो वह गुस्ल करे।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "

(1377) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 877, व मुस्लिम, हदीस: 1/844, मौता: 1/102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1678.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुस्ल के वजूब की बहस साबिक़ा हदीस के तहत गुज़र चुकी है। **(2)** इस हदीस से मालूम होता है कि जुमे का गुस्ल जुम्अतुल मुबारक को आते वक़्त करना चाहिए, न कि बहुत पहले क्योंकि गुस्ल का मक़सद मैल-कुचेल और पसीने की सफ़ाई है, अगर बहुत पहले गुस्ल कर लिया जाये तो मैल-कुचेल फिर जमा हो सकता है और पसीना भी आ सकता है। इज्तिमा में बदबू फैलने का इम्कान है, लिहाज़ा गुस्ल जुम्अतुल मुबारक के लिये आते वक़्त करना चाहिए, यानी इस गुस्ल के साथ जुमा पढ़ना चाहिए। कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ये जुमे के दिन का गुस्ल है, इसलिये किसी वक़्त भी किया जा सकता है मगर जुमे से पहले पहले। अहले ज़ाहिर तो जुमे के बाद भी गुस्ल को काफ़ी समझते हैं। मगर इल्लत व सबब या दीगर अहादीस पर ग़ौर किया जाये तो ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र लगता है। वल्लाहु आलम **(3)** गुस्ले जुमा, गुस्ले जनाबत की तरह होना चाहिए। गुस्ले जनाबत की तफ़सील पीछे मुताल्लिक़ा बाब में गुज़र चुकी है।

बाब : (8)
जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल का वाजिब होना

باب : (٨)
إِيجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

(1378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन का ग़ुस्ल हर बालिग़ पर ज़रूरी है।'

(1378) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 879, व मुस्लिम, हदीस: 846, मौता: 1/102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1668.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " .

(1379) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान आदमी के लिये हर सात दिनों में एक दिन ग़ुस्ल करना ज़रूरी है और वह दिन जुम्अतुल मुबारक है।'

(1379) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1669, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1747, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 558, बुख़ारी, हदीस: 897, व मुस्लिम, हदीस: 849.

फ़ायदा : ग़ुस्ले जुमा की बहस के लिये देखिये हदीस नम्बर 1376 और 1377.

बाब : (9)
जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने की रुख़्सत

باب : (٩)
الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمْ

(1380) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बक्र (رحمه الله) से मरवी है कि लोगों ने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास ग़ुस्ले जुमा का ज़िक्र किया तो उन्होंने फ़रमाया: दरअसल कुछ

ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَوَلاَ يَغْتَسِلُونَ " .

लोग मदीना मुनव्वरा की बालाई बस्तियों में रहते थे (जो कई कई मील दूर थीं) वह जुमे के लिये (मस्जिदे नबवी में) आते थे। उन्हें मैल-कुचेल लगा होता। जब हवा चलती तो उनसे बदबू फैलती। दूसरे लोग इससे तकलीफ़ महसूस करते। इस बात का ज़िक्र अल्लाह के रसूल (ﷺ) से किया गया तो आपने फ़रमाया: 'तुम ग़ुस्ल करके नहीं आते?'

(1380) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 1/438, हदीस: 772, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1684, बुख़ारी, हदीस: 902, व मुस्लिम, हदीस: 847 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : बाब का मक़सद वाज़ेह है कि ग़ुस्ले जुमा ऊपर दी गई मजबूरी की बिना पर था। जुम्हूर की ये दूसरी दलील है कि अगर ऐसी सूरते हाल न हो तो ग़ुस्ल ज़रूरी नहीं क्योंकि वह लोग कई कई मील से आते थे। काम काज करने की वजह से जिस्म पर मैल-कुचेल होता था, आते हुये पसीना आ जाता था, कपड़े भी ऊन वग़ैरह के होते थे, रश हो जाता तो उससे नागवार बू फैल जाती, इसलिये ग़ुस्ल का हुक्म दिया गया, लेकिन दलाइल की रू से ये दलील भी ज़ेरे बहस मसले में फ़ैसलाकुन नहीं, इल्लत और सबब के ज़ाइल होने से असल हुक्म का ज़ाइल होना ज़रूरी नहीं और न ही कोई आम क़ायदा कुल्लिया है, अगरचे आग़ाज़ में यही वजह थी लेकिन बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इस पर बरक़रार रखा और इसके मुताल्लिक़ मज़ीद अहकाम सादिर फ़रमा कर इसे लाज़िमी क़रार दे दिया। तवाफ़े क़दूम के इब्तेदाई तीन चक्करों में रमल का भी तो आग़ाज़ में एक सबब और वजह थी लेकिन ज़वाले इल्लत के बावजूद ये अमल ताहाल मशरूअ मतलूब है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़सील के लिये किताबुल ग़ुस्ल का इब्तेदाइया देखिये।

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " .

(1381) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो ये काफ़ी है और अच्छी बात है और जो शख़्स ग़ुस्ल करे तो ग़ुस्ल अफ़ज़ल है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

करते हैं कि हसन बस़री, समुरा बिन जुन्दुब की किताब से बयान करते हैं और उन्होंने समुरा (ﷺ) से अक़ीक़े वाली हदीस़ के अलावा कोई रिवायत नहीं सुनी। वल्लाहु तआला आलम!

(1381) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1684, नैलुल मक़सूद, हदीस़: 354.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सूद ये है कि ये रिवायत हसन बस़री ने हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से बराहे रास्त नहीं सुनी बल्कि उनकी किताब से बयान की है, इसमें वह सिमाअ की तस़रीह नहीं करते। हसन की हज़रत समुरा से रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन की तीन राय हैं: ❍ हसन का समुरा से अलल इत्लाक़ सिमाअ साबित है। गोया इस तरह उनकी तमाम मर्वियात सिमाअ पर महमूल होंगी। ये मौक़िफ़ इमाम बुख़ारी (ﷺ) के उस्ताद अली बिन मदीनी(ﷺ) का है। इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने तारीख़े औसत में ज़िक्र किया है, और इमाम तिर्मिज़ी और इमाम हाकिम (ﷺ) का भी यही मौक़िफ़ है। ❍ हसन ने समुरा (ﷺ) से कुछ भी नहीं सुना, यानी सिरे से उनका हज़रत समुरा से सिमाअ ही साबित नहीं। ये राय इमाम इब्ने हिब्बान(ﷺ) की है। इमाम यहया बिन मईन और इमाम शोबा भी इसी के क़ाइल हैं, लेकिन इस दावे की कोई दलील नहीं। ❍ इमाम हसन का हज़रत समुरा से सिर्फ़ हदीसे अक़ीक़ा में सिमाअ साबित है और बस। ये मौक़िफ़ इमाम नसाई (ﷺ) का है। इमाम दारक़ुतनी (ﷺ) का भी अपनी सुनन में इसी तरफ़ रुज्हान है। इमाम अब्दुल हक़ और इमाम बज़्ज़ार वग़ैरह भी इसके क़ाइल हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ इमाम नसाई वग़ैरह ही का है, या जिस रिवायत में वह ख़ुद हज़रत समुरा से सिमाअ की तस़रीह फ़रमा दें, या शवाहिद की रोशनी में उसे तक़वियत मिलती हो तो वही रिवायत क़ाबिले हुज्जत होगी वरना नहीं। हदीसे अक़ीक़ा में इमाम हसन ने हज़रत समुरा (ﷺ) से ख़ुद सिमाअ की तस़रीह फ़रमाई है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/131, 132) **(2)** जुम्हूर उलमा इस हदीस़ के पेशे नज़र गुस्ले जुमा को मुस्तहक़ब क़रार देते हैं लेकिन उनकी राय महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस़ के अल्फ़ाज़: 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती। वल्लाहु आलम! इस हदीस़ के मफ़हूम को मज़ीद समझने के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये।

बाब : (10)
जुमे के दिन के गुस्ल की फ़ज़ीलत

باب : (١٠)
فَضْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا " .

(1382) हज़रत औस बिन औस (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने (अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया और गुस्ल किया और अव्वल वक़्त मस्जिद में गया। और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के क़रीब बैठा और कोई फ़ुज़ूल काम न किया, तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व क़याम का सवाब मिलेगा।'

(1382) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1685.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में बयान शुदा सवाब सिर्फ़ गुस्ल की बिना पर नहीं बल्कि बहुत से कामों पर है। मगर उन कामों में चूंकि गुस्ल भी शामिल है, लिहाज़ा इस फ़ज़ीलत में गुस्ल का भी दख़ल है। **(2)** 'सर या कपड़ों को धोया' ये अरबी लफ़्ज़ (गुस्ल) का तर्जुमा है। कुछ लोगों ने इसके मानी ये किये हैं कि अपनी बीवी को भी गुस्ल कराये, यानी उससे जिमाअ करे ताकि वह भी गुस्ल कर ले, ताहम हमारे नज़दीक पहला मानी राजेह है। वल्लाहु आलम! **(3)** 'फ़ुज़ूल काम 'जैसे: बातें करना, कपड़ों, सफ़ों के तिन्कों या दरियों वग़ैरह के धागों से खेलना।' **(4)** एक साल के सियाम व क़याम 'यानी दिन को रोज़ा और रात को मुसल्सल क़याम करना।' इनमें कभी नाग़ा हो, न सुस्ती। ये इस क़द्र मुश्किल काम है कि कोई इन्सान इसे नहीं कर सकता। लेकिन मज़्कूरा आमाल करने वाला इस अज़ीम अज्र का मुस्तहिक़ क़रार पायेगा।

बाब : (11)
जुमे के लिये अच्छी हालत इख़्तियार करना

باب : (١١)
الْحَيْأَةِ لِلْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

(1383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने एक (रेशमी) जोड़ा (फ़रोख़्त होते) देखा तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) अगर आप ये जोड़ा ख़रीद लें और जुमे के दिन पहना करें और जब वफ़द आयें, तब भी पहनें (तो क्या ही ख़ूब हो।) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे (यानी रेशमी कपड़े को) तो वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर (इसके बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी क़िस्म के जोड़े आये तो आपने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उमर (ﷺ) को दिया। हज़रत उमर(ﷺ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ये जोड़ा मुझे पहनाते हैं जब कि आपने उतारिद के लाये हुये जोड़े के बारे में जो अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे (वह तो इसके बरअक्स हुरमत पर दलालत करने वाले थे?) आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे पहनने के लिये नहीं दिया।' तो हज़रत उमर(ﷺ) ने वह जोड़ा मक्का मुकर्रमा में रहने वाले अपने एक मुशरिक भाई को दे दिया।

(1383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 886, व मुस्लिम, हदीस: 2068, मौता: 1/917, 918, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1686.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से बिल वास्ता ये पहलू निकलता है कि जुमे के दिन अच्छा लिबास (ताक़त के मुताबिक़) पहनना चाहिए, इसीलिये हज़रत उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) को मज़्कूरा

मशवरा दिया था, आपने इसकी नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि इस लिबास को न ख़रीदने की वजह ये बतलाई कि वह रेशमी है और रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम है। (2) 'जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' इसका मतलब ये है कि इस क़िस्म का लिबास काफ़िर लोग पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते, यानी मुसलमानों को ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उन्हें रेशमी लिबास आख़िरत में मिलेगा। (3) 'मुश्रिक भाई' ये हज़रत उमर (ﷺ) का माँ की तरफ़ से या रज़ाई भाई था। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " .

(1384) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ मर्द पर ज़रूरी है, और वह मिस्वाक करे और जो ख़ूशबू हासिल कर सके, लगाये।'

(1384) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1376, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1688.

باب : (١٢) فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

बाब : (12) जुमे के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَشْعَثِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ

(1385) रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक सहाबी हज़रत औस बिन औस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे और अपने जिस्म वग़ैरह को अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त जाये, ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, इमाम के क़रीब बैठे, ख़ामोश रहे और फ़ुज़ूल बात न करे, तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के अमल (सियाम व क़याम) का सवाब मिलेगा।'

لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ " .

(1385) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1691.

باب : (١٣) التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

बाब : (13) जुमे के लिये जल्दी जाना

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ " . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً " .

(1386) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और जुम्अतुल मुबारक के लिये आने वालों के नाम लिखते हैं। जब इमाम ख़ुत्बे के लिये निकलता है तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बन्द कर लेते हैं।' (रावी-ए-हदीस) हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) बयान करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के लिये सबसे पहले आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये ऊँट भेजने वाले की तरह हैं फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये गाय भेजने वाले की तरह है। फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये बकरी भेजने वाले की तरह है। फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये बत्तख़ भेजने वाले की तरह है। फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये मुर्ग़ी भेजने वाले की तरह है। फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये अण्डा भेजने वाले की तरह है।'

(1386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 929, व मुस्लिम, हदीस: 850/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1693, मुसनद अहमद: 259.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़रिश्ते' ये मख़्सूस फ़रिश्ते हैं जो सिर्फ़ जुमे से पहले आने वालों के नाम और सवाब लिखने के लिये मुक़र्रर हैं। (उमूमन) आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते तो हर वक़्त लिखते रहते हैं।) फिर ये ख़ुत्बा भी सुनते हैं। इससे जुम्अतुल मुबारक की अज़मत ज़ाहिर होती है, इसलिये इस दिन को कुर्आन मजीद में 'शाहिद' कहा गया है और अगर इससे आम 'किरामन क़ातिबीन' मुराद हों तो फिर जुम्अतुल मुबारक के लिये ख़ुत्बे से पहले आने वालों के लिये मख़्सूस रजिस्टर होंगे जिन्हें ख़ुत्बा शुरू होने से पहले बन्द कर दिया जाता है। इसमें पहले आने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि उनकी हाज़िरी के लिये फ़रिश्ते दरवाज़ों पर आकर बैठते हैं। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यूतिही मय्यशाउ (2) 'सबसे पहले आने वाला' कुछ उलमा का ख़्याल है कि फ़रिश्तों ने ख़ुत्बे से पहले कुछ औक़ात मुक़र्रर कर रखे होंगे। उन औक़ात के लिहाज़ से लोगों के दर्जात बनते होंगे वरना ज़ाहिरन तो ये मालूम होता है कि सबसे पहले आने वाले सिर्फ़ छ: सात अफ़राद के नाम लिखे जाते हैं मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि मुमकिन है एक साथ कई अफ़राद दाख़िल हों, लिहाज़ा औक़ात का तक़र्रुर होगा मगर उन औक़ात की तफ़्सील किसी हदीस़ में नहीं आई। यही वजह है कि उलमा के बीच इस बारे में इख़्तिलाफ़ है। जुमे के लिये जल्दी निकलना बिला इत्तेफ़ाक़ मुस्तहब है लेकिन इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ इस बात में है कि हदीस़ में वारिद पाँच घड़ियों से मुराद क्या है? क्या पाँच या छ: घड़ियों से मक़सूद सिर्फ़ वक़्त के चन्द अज्ज़ा हैं या वह मारूफ़ घड़ियाँ हैं जिनमें दिन रात 24 घण्टों में तक़सीम होते हैं? जुम्हूर उलमा व फ़ुक़हा इससे मुराद मारूफ़ ज़मानी व फ़लकी साआत (घण्टे) लेते हैं। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, सुफ़ियान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा (رحمهم الله) वग़ैरह की यही राय है। एक दिन में बारह घड़ियाँ होती हैं जैसा कि इसकी ताईद हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस़ से होती है कि जुमे के दिन की बारह घड़ियाँ होती हैं। इसकी सनद सही है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1048, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 963) इस लिहाज़ से उनके यहाँ सूरज के बलन्द होने से पहली घड़ी का आग़ाज़ हो जाता है। इस तरह ज़वाले शम्स तक, वक़्त के इस दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम कर लिया जाये, ख़्वाह पहली घड़ी घण्टे पर मुश्तमिल हो या सवा या डेढ़ घण्टे पर क्योंकि गर्मी सर्दी के ऐतबार से वक़्त के लिहाज़ से घड़ियों में कमी बेशी होती रहती है लेकिन दिन कभी बारह घड़ियों से कम नहीं होता। इस तरह पहली घड़ी में आने वाले अफ़राद, ख़्वाह तादाद में ज़्यादा ही हों, वह ऊँट की क़ुर्बानी का सवाब पायेंगे। इसी तरह तर्तीब वार दीगर घड़ियों में आने वाले हज़रात भी इसी हिसाब से सवाब में शरीक होंगे। 'अस्साआ' के उर्फ़ में भी यही मानी मुतबादिर हैं। दूसरा मौक़िफ़ इमाम मालिक (رحمه الله) और कुछ शवाफ़ेअ का है। उनके नज़दीक अहादीस़ में वारिद साआत से मुराद मारूफ़ घड़ियाँ नहीं बल्कि ज़वाल के बाद चन्द लहज़ात या लम्हात हैं, यानी ज़वाल के बाद छठी घड़ी के ये चन्द अज्ज़ा या लम्हात होते हैं जिनमें फ़रिश्ते आने वालों के तर्तीबवार नाम लिखते हैं। इस दावे की उनके पास चन्द दलीलें हैं:

❍ **पहली दलील :** हदीस़ में लफ़्ज़ (राहा) (फ़ेअल माज़ी) इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद अज़ ज़वाल जाने या रवाना होने के हैं। इससे मालूम हुआ कि बाद अज़ ज़वाल जल्दी निकलने की तर्ग़ीब है न कि दिन के आग़ाज़ में। इसका जवाब ये है कि लफ़्ज़ (राहा) सिर्फ़ बाद अज़ ज़वाल जाने पर नहीं बोला जाता, बल्कि मुत्लक़ जाने पर भी इसका इत्लाक़ होता है, ख़्वाह जाना किसी वक़्त भी हो, ये अहले हिजाज़ की लुग़त है, जैसा कि इमाम ज़ुहरी (رحمه الله) ने कहा है, लिहाज़ा सफ़र दिन के आग़ाज़ में या आख़िर में या रात के वक़्त हो, इस पर ये लफ़्ज़ बोला जाता है, इसकी बाद अज़ ज़वाल वक़्त के साथ तख़्सीस़ दुरुस्त नहीं।

❍ **दूसरी दलील :** हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) है, और इस हदीस़ में बजाये साअ़ात के लफ़्ज़ (सुम्मा) इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ये हैं कि लोग एक दूसरे के बाद आयें, और इसमें घड़ियों का ज़िक्र नहीं है। और (अल मुहज्जिर, तहजीर) से मुशतक़ है जिसके मानी ऐन दोपहर का वक़्त हैं जिसके अ़रबी में अल हाजिरा कहते हैं। इससे भी पता चला कि आग़ाज़े दिन मुराद नहीं। इसका जवाब ये है कि जिन रिवायात में साअ़ात का ज़िक्र है वह मुफ़स्सल हैं और लफ़्ज़ (सुम्मा) के साथ मन्क़ूल हदीस़ मुब्हम है। क़ायदे की रू से मुज्मल को मुफ़स्सल पर महमूल किया जाता है, यानी जो वज़ाहत मुफ़स्सल में होती है, उसे ही लेना ज़रूरी है, इसलिये अस्साअ़ात की तसरीह से मन्क़ूल रिवायात मुक़द्दम हैं, और सब तुरुक़ व रिवायात में सिर्फ़ लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) ही नहीं आता बल्कि इब्ने हजर (رحمه الله) बयान करते हैं कि कुछ में लफ़्ज़ (ग़दा) और कुछ में (अल मुतअज्जिल) 'जल्दी करने वाले' के अल्फ़ाज़ वग़ैरह भी हैं। इससे लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) के मानी मुतय्यन हो जाते हैं, और लुग़त में ये लफ़्ज़ तबकीर व ताजील के मानी में भी आता है जिससे पता चलता है कि अगरचे उसके मानी में ऐन दोपहर या शदीद धूप में निकलने के भी आते हैं लेकिन लुग़त की रोशनी में तबकीर व ताजील के मानी से भी मफ़र्र नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर देखा जाये तो यहाँ इसी मुअख़्ख़िरुज़्ज़िक्र मानी में इस्तेमाल हुआ है।

❍ **तीसरी दलील:** लफ़्ज़ (अस्सअ़ा) मारूफ़ घण्टे के मानी में नहीं बल्कि ज़माने या वक़्त के एक जुज़ या हिस़्से पर बोला जाता है। उर्दू में इसके मानी 'घड़ी' के किये जाते हैं, ये आ़म है, ख़्वाह थोड़े वक़्त को मुहीत हो या ज़्यादा को, इसीलिये इसके मानी लम्हे या लहज़ात किये जाते हैं। इसका जवाब तीन तरह दिया जा सकता है: ① शरअ़न एक दिन के बारह घड़ियों में तक़सीम होने का ज़िक्र मिलता है जैसा कि सुनन अबी दाऊद की हदीस़ में है। ज़ेरे बहस़ मसले में इससे ताईद ली जा सकती है। ② उर्फ़ में भी अस्साअ़ा के मुतबादिर मानी यही हैं जो जुम्हूर मुराद लेते हैं। ③ अगर अस्साअ़ा से मुराद छठी घड़ी के चन्द लम्हात या लहज़े ही होते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पाँच घड़ियों के ज़िक्र के क्या मानी हैं? इससे ज़ाहिर होता है कि इससे मुराद वही पाँच घड़ियाँ हैं जो बारह घड़ियों का हिस़्सा हैं। जिन पर, गर्मी हो या सर्दी, एक दिन मुहीत होता है।

○ **चौथी दलील:** अगर अहादीस़ में वारिद साअ़ात से मुराद चन्द लम्हे या लहज़ात मुराद न हों तो इससे उन घड़ियों की तवालत लाज़िम आती है, यानी इन घड़ियों का दौरानिया लम्बा ठहरता है जिससे, साबिक़ और लाहिक़, यानी पहले और बाद में आने वालों का फ़र्क़ ख़त्म हो जाता है, और घड़ियों में एक के बाद दूसरे आने वालों की फ़ज़ीलत में बराबरी और यकसानियत लाज़िम आती है, जैसे: पहली घड़ी अगर एक या सवा घण्टे पर मुश्तमिल हो तो मुमकिन है इस घड़ी में दो चार या आठ दस आदमी एक के बाद दूसरे आयें। इसी तरह बाक़ी घड़ियों में भी ये होता है या इसका क़वी इम्कान है। क्या इस घड़ी में आने वाले उन तमाम अफ़राद को ऊँट की क़ुर्बानी का स़वाब मिलता है या सिर्फ़ उनको जो उनमें से पहले आये और बस? इसी ऐतराज़ से बचने के लिये इमाम मालिक (ﷺ) वग़ैरह उनसे मुराद चन्द लम्हात या लहज़ात लेते हैं। इस इश्काल का जवाब ये दिया जाता है कि अगरचे पहली घड़ी में एक के बाद दूसरे आने वाले तमाम अफ़राद नफ़्से ऊँट की क़ुर्बानी का स़वाब तो पाते हैं जैसा कि हदीस़ में है, लेकिन इससे हर लिहाज़ से ऊँट की क़ुर्बानी में तमाम अफ़राद की बराबरी और यकसानियत लाज़िम नहीं आती, वह इस तरह कि जो सबसे पहले आये उसे ख़ूब मोटे ताज़े फ़र्बे ऊँट की क़ुर्बानी का स़वाब मिलता हो, जो उसके बाद आये उसे उससे कम तर और जो उसके बाद आये उसे उससे कमज़ोर या कम तर ऊँट की क़ुर्बानी का स़वाब मिलता हो, यानी मज़्कूरा तफ़ावुत और फ़र्क़ या इख़्तिलाफ़े मरातिब नफ़्से ऊँट वग़ैरह की ज़ात की बिना पर तो न हो बल्कि उनकी सिफ़ात में हो और बराबरी सिर्फ़ ऊँट वग़ैरह की ज़ात की हद तक हो जैसा कि ज़िक्र हुआ, और यही बात दुरुस्त है। हदीस़ को इस तरह समझने से इश्काल व ऐतराज़ रफ़ा हो जाता है। वल्लाहु आलम!

○ **पाँचवीं दलील:** अहले मदीना का अ़मल इसके बरअक्स था। वह आग़ाज़े दिन ही से नहीं आते थे बल्कि स़हाब-ए-किराम (ﷺ) का भी ये अ़मल न था, इसलिये अगर हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ अस्साआ़त से जुम्हूर वाली घड़ियाँ मुराद ली जायें तो स़हाब-ए-किराम (ﷺ) नेकी की शदीद रग़बत व हिर्स़ के बावजूद अव्वलुन्नहार हाज़िर न होते थे। जो इस बात की दलील है कि यहाँ साआ़त से मुराद ज़वाल के बाद छठी घड़ी के चन्द मुख़्तसर लम्हे या लहज़े ही हैं। इसका जवाब ये है कि अहले मदीना कुल उम्मत नहीं कि उनका इत्तेफ़ाक़ या अ़दमे अ़मल क़ाबिले हुज्जत और इज्मा की हैसियत का हामिल हो। फिर अव्वलुन्नहार मस्जिद की तरफ़ जाना भी तो कोई वाजिबी अ़मल नहीं, बल्कि कुछ दीगर उमूरे दीनी या। दीगर मसालेह इस अ़मल से कहीं ज़्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत के हामिल होते हैं, इसलिये इसे तर्क किया जा सकता है और ये जायज़ है। इससे ये नहीं निकलता कि इस दरज-ए ताजील उनके यहाँ मकरूह या नाजायज़ थी। यक़ीनन जो आदमी नमाज़े फ़ज्र पढ़ कर उसी जगह ज़िक्र अज़्कार में मशग़ूल रहे और सूरज तुलूअ होने के बाद दो रकअ़त पढ़ ले, वह उस आदमी से, जो सिर्फ़ इशराक़ ही पढ़ता है, कहीं

ज़्यादा फ़ज़ीलत और सवाब का हामिल है। इसी तरह वह आदमी, जो नमाज़े फ़ज्र की अदायगी के बाद गुस्ल वग़ैरह करे और तैयार हो, और इशराक़ पढ़ कर नमाज़े जुमा के इन्तेज़ार में बैठा रहे, यक़ीनन उस शख़्स की निस्बत ये कहीं ज़्यादा फ़ज़ीलत पाता है जो ख़तीब के आने से सिर्फ़ चन्द लम्हे पहले मस्जिद में पहुँचता है, जबकि अहादीस़ की रोशनी में इस तरह इन्तेज़ार करने वाले को बदस्तूर नमाज़ की हालत में शुमार किया गया है। बिलाशुब्हा ऐसे आदमी की फ़ज़ीलत का किसी को इन्कार नहीं और न होना चाहिए। इस क़िस्म के आमाल की मशरूइयत उ़मूमी दलाइल व अहादीस़ से अख़ज़ होती है। किसी सहाबी या ताबेई के अ़दमे अ़मल या उनके मुताल्लिक़ अ़दमे नक़ल की बिना पर उसे रद नहीं किया जा सकता। वल्लाहु आलम!

○ **छठी दलील:** अगर हदीस़ में मौजूद अस्साआत को फ़लकी साआत, यानी घड़ियों के मानी में लिया जाये तो इस सूरत में ख़तीब का ज़वाल से पहले निकलना लाज़िम आता है। वह इस तरह कि आफ़ताब के बलन्द होने से इमाम के ख़ुरूज से पहले तक, वक़्त के दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम किया जाये तो पाँचवीं घड़ी के बाद ख़ुरूजे इमाम का ज़िक्र है जैसा कि हदीस़ में आता है। ये छठी घड़ी का इब्तेदाई और ज़वाल से पहले का वक़्त होता है। और जुम्हूर के नज़दीक ज़वाल से पहले नमाज़े जुमा दुरुस्त नहीं। लेकिन जिनके नज़दीक ये जायज़ है उनके लिये ये हदीस़ क़ाबिले ऐतराज़ नहीं बल्कि उनके हक़ में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस ऐतराज़ का जवाब देते हुये लिखते हैं: इस हदीस़ के किसी तरीक़ में इमाम के अव्वलुन्नहार निकलने का ज़िक्र नहीं है हो सकता है पहली घड़ी नहाने और जुमे की तैयारी वग़ैरह के लिये हो। और मस्जिद में आना दूसरी घड़ी के आग़ाज़ में हो। इस तरह दिन के ऐतबार से ये दूसरी घड़ी होगी और जाने के ऐताबर से पहली। इस बिना पर पाँचवीं घड़ी के आख़िरी लहज़े ज़वाल के इब्तेदाई लम्हात होंगे। (फ़तहुलबारी: 3/368)

अल ग़र्ज़ मज़्कूरा मारूज़ात से वाज़ेह होता है कि इमाम मालिक (رحمه الله) का मौक़िफ़ मर्जूह है। जुम्हूर उ़लमा के दलाइल क़वी और क़रीने क़यास हैं। अगरचे क़ुर्आन व हदीस़ की रोशनी में हदीस़ में मन्क़ूल साआत की वाज़ेह तौर पर तहदीद मुश्किल है लेकिन फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के मुक़ाबले में जुम्हूर की राय ही मज़बूत है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ भी यही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (एहकामुल अहकाम शरह उ़म्दतुल अहकाम इब्ने दक़ीक़ अल ईद, मअ़ हाशिया अल इद्दा: 2/522-531, व ज़ादुलमआ़द: 1/399-407 बतहक़ीक़ शोएब अरनाउत, व फ़तहुलबारी: 2/366-370, रक़मुल हदीस़: 881, व मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/393-295, तबअ़ ऊला व मौसूआ फ़िक़्हिया अज़ हुसैन बिन ऊ़दा: 2/362)

(3) रजिस्टर बन्द होने के बाद आने वाले सबक़त के सवाब से महरूम रहते हैं मगर उन्हें जुमे की

हाज़िरी, ख़ुत्बे के सिमाअ, नमाज़ में शिर्कत और ज़िक्र व दुआ वग़ैरह का सवाब मिलता है लेकिन दर्जात में फ़र्क़ पड़ जाता है। (4) कुछ लोग इस हदीस से इस बात पर इस्तेदलाल करते हैं कि मुर्ग़ी की क़ुर्बानी भी जायज़ है लेकिन अगर इस इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाये तो फिर अण्डे की क़ुर्बानी का जवाज़ भी तस्लीम करना पड़ेगा, जिसे ये ख़ुद भी तस्लीम नहीं करते। याद रहे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। इस हदीस में मज़्कूरा चीज़ों की क़ुर्बानी से मुराद वह अज्र व सवाब है जो उन चीज़ों के सदक़ा करने से मिल सकता है, इसलिये कुछ लोग (मुहदी) के मानी ही 'सदक़ा करने वाला' करते हैं। बहरहाल जो मानी भी किये जायें, उससे मुर्ग़ी या अण्डे की क़ुर्बानी का जवाज़ कशीद करना यक्सर ग़लत है। (5) अदना सी चीज़ भी अल्लाह की राह में देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इख़्लास के साथ दी हुई मामूली सी चीज़ भी इन्दल्लाह बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस है। नबी-ए-अकरम ने फ़रमाया: 'आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े (के सदक़े) के साथ ही।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1417)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا " . حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ .

(1387) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है और वह उसे नबी (ﷺ) तक पहुँचाते हैं (यानी मरफ़ूअन बयान करते हैं:) 'जब जुमे का दिन होता है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते मुक़र्रर होते हैं जो लोगों के नाम उनके (जुम्अतुल मुबारक के लिये आने के लिहाज़ से) मरातिब के मुताबिक़ लिखते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले, फिर उनके बाद पहले आने वाले (का नाम लिखते हैं) फिर जब इमाम (ख़ुत्बा देने के लिये) निकलता है तो वह अपने रजिस्टर बन्द करके ख़ुत्ब-ए-जुमा सुनते हैं, लिहाज़ा सबसे पहले नमाज़े जुमा के लिये आने वाला (काबे की तरफ़) क़ुर्बानी के लिये ऊँट भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) क़ुर्बानी के लिये गाय भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) क़ुर्बानी के लिये मैण्ढा भेजने वाले की तरह है।' यहाँ तक कि आपने मुर्ग़ी और अण्डे का भी ज़िक्र फ़रमाया।

(1387) तख़रीज :,(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 850/24, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1694.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً " .

(1388) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुम्अतुल मुबारक के दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और लोगों के नाम उनके आने की तर्तीब के मुताबिक़ लिखते हैं। उनमें से कोई तो उस आदमी की तरह होंगे जिसने आला दर्जे का ऊँट सदक़ा किया। और कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे का ऊँट सदक़ा किया। कुछ उस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे की गाय सदक़ा की और कुछ उसकी तरह जिसने कम दर्जे की गाय सदक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे की बकरी सदक़ा की, कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की बकरी सदक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन मुर्ग़ी सदक़ा की और कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की मुर्ग़ी सदक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने क़ीमती चिड़ियाँ सदक़ा की और कुछ उस आदमी की तरह जिसने आम चिड़ियाँ सदक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन अण्डे सदक़ा किया और कुछ उस आदमी की तरह जिसने आम अण्डे सदक़ा किया।

(1388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1695, देखें, हदीस: 1271.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस का मक़सद ये है कि आने वालों के अज्रों में फ़र्क़ औक़ात व

साआत के लिहाज़ से है, यानी ऊँट के सवाब के लिये एक वक़्त मुक़र्रर है। इस दौरान में जितने लोग भी आयेंगे सबको ऊँट का सवाब मिलेगा, अलबत्ता ये हो सकता है कि उस वक़्त के दौरान में भी पहले आने वाले आला ऊँट के सदक़े के सवाब के मुस्तहिक़ क़रार पायें और आख़िर में आने वाले अदना ऊँट के। दरम्यान में आने वाले दरम्याने दर्जे के ऊँट का। इसी तरह बाक़ी जानवरों का हिसाब है। जूँ जूँ ताख़ीर होती जायेगी, सवाब कम होता जायेगा। वल्लाहु आलम! **(2)** मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन इसकी बाबत लिखते हैं कि इसमें (उस्फ़ूरुन) (चिड़ियाँ का ज़िक्र) मुन्कर है। महफ़ूज़ (दजाजा) (मुर्ग़ी) का लफ़्ज़ है। बाक़ी रिवायत क़ाबिले हुज्जत है। शैख़ अलबानी (رحمه الله) ने उस्फ़ूरुन को मुन्कर और दजाजा के लफ़्ज़ को महफ़ूज़ क़रर देते हुये बाक़ी रिवायत को हसन सही कहा है। याद रहे दलाइल की रू से यही बात राजेह मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 'सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 1386, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/162-164)

बाब : (14) जुमे का वक़्त

بَابٌ : (١٤) وَقْتُ الْجُمُعَةِ

(1389) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने जुम्अतुल मुबारक के दिन ग़ुस्ले जनाबत की तरह (अच्छी तरह) ग़ुस्ल किया, फिर पहले वक़्त में (जुमे के लिये) चल पड़ा तो यूँ समझो कि उसने ऊँट सदक़ा किया और जो शख़्स दूसरे वक़्त में चला, गोया उसने गाय सदक़ा की और जो तीसरे वक़्त में चला, गोया उसने मैण्ढा सदक़ा किया और जो आदमी चौथे वक़्त में चला, गोया उसने मुर्ग़ी सदक़ा की और जो पाँचवें वक़्त में गया, गोया उसने अण्डा सदक़ा किया। फिर जब इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकलता है तो (ख़ुसूसी दर्जात लिखने वाले) फ़रिश्ते भी मस्जिद में आकर ज़िक्र सुनने लगते हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

(1389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 850, बुख़ारी, हदीस: 881, मौता: 1/101, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1696.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन साआत या औक़ात से मुराद ज़वाल से पहले की वह घड़ियाँ हैं जिनका आग़ाज़ सूरज चढ़ने के बाद होता है जैसा कि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। और यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से दुरुस्त है। वल्लाहु आलम! जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता हदीस (1386) के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) बाब के उन्वान से लगता है कि इमाम साहिब (رحمه الله) का मौक़िफ़ मुमकिन है ये हो कि नमाज़े जुमा का वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) समेत अक्सर अहले इल्म का यही मज़हब है लेकिन अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की मज़्कूरा हदीस से इस मसले का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि इस हदीस में पाँच घड़ियों का ज़िक्र है, और पाँचवीं के इख़्तिताम और छठी घड़ी के आग़ाज़ में ख़ुरूजे इमाम का ज़िक्र है और ये ज़वाल से पहले का वक़्त है, इस तरह ये हदीस उन अहले इल्म की दलील बनती है जो ज़वाल से पहले भी नमाज़े जुमा के क़ाइल हैं। हाँ अगर इन पाँच घड़ियों का शुमार दूसरी घड़ी से हो और पहली घड़ी गुस्ल और जुमे की तैयारी के लिये हो, जैसा कि इब्ने हजर (رحمه الله) ने तौजीह की है तो फिर ये हदीस ज़वाल से पहले जुमा के मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील नहीं बनती। इमाम नसाई (رحمه الله) का मज़्कूरा हदीस से इस्तेदलाल तब महल्ले नज़र होगा जब अहादीस में (बत्ता) बत्तख़ और (उस्फ़ूर) 'चिड़ियाँ' का ज़िक्र शाज़ और ज़ईफ़ तसव्वुर किया जाये और हक़ भी यही है कि ये दोनों इज़ाफ़े ज़ईफ़ हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समझा जाये तो फिर मज़्कूरा इश्काल वारिद नहीं होता क्योंकि इस सूरत में कुल छ: घड़ियाँ बनती हैं जिससे खतीब का निकलना सातवीं घड़ी के आग़ाज़ में लाज़िम ठहरता है और ये वक़्त ज़वाल के बाद का होता है। इमाम नसाई (رحمه الله) का ये ज़हन हो सकता है क्योंकि उन्होंने मज़्कूरा इज़ाफ़ात वाली रिवायात के बाद ये उन्वान क़ाइम किया है। वल्लाहु आलम!

(1390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे का दिन बारह घण्टे है। (उनमें से एक वक़्त ऐसा है कि) उसमें जो शख़्स भी अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगता पाया जाये, अल्लाह तआला उसे ज़रूर वह चीज़ दे देता है। तो तुम उस वक़्त को अस्र के बाद आख़री घण्टे में तलाश करो।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلاَحِ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَوْمُ

الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " .

(1390) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1697, व सहीह अल हाकिम: 1/279.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में साआत से मुराद, मारूफ़ (साआते नुजूमिया) घण्टे हैं, यानी अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा चन्द घड़ियाँ हैं जो फ़ज़ीलत रखती हैं और इनमें से सबसे अफ़ज़ल वह घड़ी है जिसमें कोई दुआ रद नहीं होती। **(2)** मुहक़्क़क़ रिवायात के मुताबिक़ वह वक़्त या घड़ी अस्र के बाद किसी वक़्त है। अगरचे इस बारे में और अक़वाल भी हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا . قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ .

(1391) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ते, फिर वापस आकर अपने पानी ढोने वाले ऊँटों को आराम का मौक़ा देते। हज़रत मुहम्मद बाक़िर ने (हज़रत जाबिर (ﷺ) से) पूछा: किस वक़्त? उन्होंने फ़रमाया: ज़वाल के वक़्त।

(1391) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1699.

फ़ायदा : ये सवाल व जवाब नमाज़े जुमा पढ़ने के बारे में भी हो सकता है और वापस लौटने और ऊँटों को आराम देने के बारे में भी। गोया रिवायत मुबहम है, लिहाज़ा इससे ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं बल्कि उसे मशहूर रिवायात पर महमूल करना चाहिए। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَىْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ .

(1392) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ कर वापस लौटते थे तो दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे (अपने आपको) साया मुहैया किया जा सके।

(1392) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4168, व मुस्लिम, हदीस: 860, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1698.

फ़ायदा : इस रिवायत से भी ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने पर इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि इस रिवायत में कोई लफ़्ज़ इस मानी पर दलालत नहीं करता। सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि जुमा ख़त्म होने तक इतना साया नहीं होता था कि जिस्म धूप से बच सके। ज़ाहिर है ज़वाल के बाद जुमा पढ़ने से क़तअन इतना साया नहीं बनता जो जिस्म को धूप से बचाये, हाँ इससे ये समझ में आता है कि जुमा ज़वाल के बाद जल्दी पढ़ लिया जाये और ख़ुत्बा लम्बा न हो। सख़्त गर्मियों में कुछ ताख़ीर भी की जा सकती है जैसे कि पीछे गुज़रा।

बाब : (15) जुमे के लिये अज़ान

باب : (١٥) الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ، كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

(1393) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) के दौर में पहली अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता था, लेकिन जब हज़रत उस्मान (ﷺ) का दौरे ख़िलाफ़त आया और लोग ज़्यादा हो गये तो हज़रत उस्मान (ﷺ) ने जुमे के दिन तीसरी अज़ान का हुक्म दिया जो ज़ौराअ (मुक़ाम) पर कही जाती थी। फिर (जुमे की अज़ान का) मामला उसी के मुताबिक़ जारी हो गया।

(1393) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 916, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1700, अत्तबरानी फ़िल कबीर: 7/147, अबी दाऊद, हदीस: 1088.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में पहली अज़ान से मुराद वह अज़ान है जो ख़ुत्ब-ए-जुमा के आग़ाज़ में कही जाती है। आज कल इसे दूसरी अज़ान कहा जाता है। हदीस में मज़्कूर तीसरी अज़ान से मुराद वह अज़ान है जो ख़ुत्बे की अज़ान से कुछ देर पहले कही जाती है। ताकि लोग जुमे की तैयारी कर लें। आज कल इसे पहली अज़ान कहा जाता है। इस रिवायत में इक़ामत को भी अज़ान कहा गया है तभी ख़ुत्बे की अज़ान को पहली अज़ान कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी अज़ान थी। **(2)** 'लोग ज़्यादा हो गये' मदीना मुनव्वरा की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई और मुसलमानों की तादाद में भी इज़ाफ़ा

हो गया था जब कि ख़ुत्ब-ए-जुमा सिर्फ़ मस्जिदे नबवी ही में होता था। अगर एक ही अज़ान (अज़ाने ख़ुत्बा) होती तो शहर के अतराफ़ से आने वाले नमाज़ी ख़ुत्ब-ए-जुमा बल्कि नमाज़े जुमा से भी महरूम रह जाते। फिर जुमे के दिन बाज़ार लगता था, लोग ख़रीद व फ़रोख़्त में मशग़ूल होते। घड़ियाँ थी नहीं। जुमे के वक़्त का महज़ अन्दाज़ा करते थे, इसमें ग़लती और ताख़ीर के क़वी एहतिमालात थे, लिहाज़ा वहीं बाज़ार में ज़ौराअ पर वक़्त से इतनी देर पहले अज़ान कही जाती थी कि उसे सुन कर ख़रीदार जल्दी जल्दी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर और दुकानदार सामान समेट कर घर वापस जायें। फिर ग़ुस्ल और वुज़ू करें, कपड़े बदलें, ख़ुशबू लगायें और ख़ुत्बे से पहले पहले मस्जिदे नबवी में आकर हस्बे तौफ़ीक़ नमाज़ पढ़ें। इन तफ़्सीलात को सामने रखते हुये आज कल ख़ुत्बे की अज़ान से सिर्फ़ 15, 20 मिनट पहले, वह भी मस्जिद के अन्दर कही जाती है, इसके बारे में ग़ौर करें कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) की अज़ान से इसका क्या ताल्लुक़ है? और दोनों में कौनसी मुनासिबत है? मज़ीद ये कि आज कल घड़ियों वग़ैरह से ये ज़रूरत पूरी होती है। बहरहाल हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने मज़्कूरा ज़रूरत के तहत एक अज़ान का इज़ाफ़ा फ़रमाया और उनके पास इस अज़ान की नज़ीर मौजूद थी। रसूले अकरम (ﷺ) के दौरे मुबारक में सुबह की दो अज़ानें होती थीं। एक वक़्त पर और एक वक़्त से पहले ताकि ज़्यादा मसरूफ़ियत वाले लोग पहली अज़ान पर उठ खड़े हों और जमाअ़त के साथ मिल सकें। एक अज़ान की सूरत में बहुत से लोग जमाअ़त से रह जाते, लिहाज़ा एक अज़ान वक़्त से कुछ देर पहले कही जाती थी। हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने इसी को मद्दे नज़र रख कर ख़ुत्बे से पहले एक अज़ान का इज़ाफ़ा फ़रमाया जिसे सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने क़बूल फ़रमाया और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम आ़लमे इस्लाम में राइज हो गई। और ये सुन्नतुल मुस्लिमीन बन गई जिसे सहाब-ए-किराम (ﷺ) से लेकर हर दौर के मुज्तहिदीन और अइम्मा का इज्मा मयस्सर रहा है। गोया ये अज़ान ज़रूरत है, ख़लीफ़-ए-राशिद की सुन्नत है और इस पर सहाब-ए-किराम (ﷺ) से लेकर अब तक इज्मा है, लिहाज़ा मज़्कूरा बाला पसे मन्ज़र मद्दे नज़र रख कर इस पर अ़मल किया जा सकता है। (फ़ अ़लैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल ख़ुलफ़ाइर्राशिदीनल महदिय्यीन) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4607), अलबत्ता अगर कहीं ज़रूरत महसूस न हो तो एक ही अज़ान पर इक्तेफ़ा करना बेहतर है क्योंकि सुन्नते रसूल (ﷺ) और ख़लीफ़-ए-अव्वल व सानी, अबू बक्र और उ़मर फ़ारूक़(ﷺ) का अ़मल भी यही था। हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का इस (पहली अज़ान) को बिद्अ़त कहना लुग़वी मानी के लिहाज़ से है जैसे हज़रत उ़मर (ﷺ) ने तरावीह की जमाअ़त को बिदअ़त कहा था, हालांकि उन्होंने ख़ुद इसको मुस्तक़िल्लन राइज किया था। वल्लाहु आ़लम! (3) 'ज़ौराअ' बाज़ार में एक बलन्द मकान था। वहाँ ये अज़ान कही जाती थी ताकि बलन्दी की वजह से सारे मदीना मुनव्वरा में अज़ान सुनाई दे क्योंकि इस (जुमा) में सब अहले मदीना की शमूलियत ज़रूरी थी बख़िलाफ़ दीगर नमाज़ों के कि वह हर महल्ले की मक़ामी मसाजिद में भी बा'जमाअ़त पढ़ी जाती थीं। (4) 'जारी हो

गया' क्योंकि वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे, लिहाज़ा लोगों ने इसे क़बूल कर लिया। कुछ रिवायात के मुताबिक़ मक्का मुकर्रमा में हज्जाज के दौर में शुरू हुई और बसरा में ज़ियाद के दौर में। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ .

(1394) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि तीसरी अज़ान का हुक्म हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने उस वक़्त दिया जब मदीने वाले ज़्यादा हो गये थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक अज़ान ही थी (अज़ाने ख़ुत्बा) और जुमे के दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता था।

(1394) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1702.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما .

(1395) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) ने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के दिन मिम्बर पर बैठते थे तो हज़रत बिलाल (ﷺ) अज़ान कहते, फिर जब (दो ख़ुत्बों के बाद) आप मिम्बर से उतरते तो बिलाल इक़ामत कहते। हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) के ज़माने में भी ऐसे ही रहा।

(1395) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1701.

फ़ायदा : इन दोनों रिवायात में जुमे की सिर्फ़ एक ही अज़ान को अहदे रिसालत व शैख़ैन का मामूल बतलाया गया है, इसलिये जहाँ ज़रूरत न हो, और दर हक़ीक़त फ़ी ज़माना (इस ज़माने में) ग़ालिबन इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ इसके मुताबिक़ एक ही अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए, अलबत्ता जहाँ इसकी ज़रूरत हो, वहाँ जुमे की पहली अज़ान दी जा सकती है।

बाब : (16) जब कोई शख़्स जुमे के लिये आये और इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो तो भी वह दो रकअत नमाज़ पढ़े

باب : (١٦)
الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ

(1396) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स (जुमे के लिये) आये जब कि इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो तो वह (मुख़्तसर सी) दो रकअतें पढ़े।

(1396) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1166, व मुस्लिम, हदीस: 875/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1703.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दो रकअतों को तहियतुल मस्जिद कहा जाता है कुछ इसे सुन्नते जुमा से ताबीर करते हैं। **(2)** 'इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो।' यानी इमाम साहिब ख़ुत्बा शुरू कर चुके हों, तब भी ये दो रकअतें पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सी सही रिवायात में इनके पढ़ने का ख़ुसूसी हुक्म है, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि 'ख़ुत्बा शुरू होने के बाद नमाज़ शुरू नहीं की जा सकती' सही अहादीस के ख़िलाफ़ है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की हदीस में है कि एक शख़्स बग़ैर दो रकअत पढ़े बैठ गया तो आपने उसे उठने और दो रकअत पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 930, 931, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875) अलबत्ता दो रकअत हल्की पढ़नी चाहिए। **(3)** ख़तीब दौराने ख़ुत्बा मुक़्तदियों से कोई बात पूछ सकता है और वह उसका जवाब दे सकते हैं। इससे मुक़्तदियों के इस्तेमाअ पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मुक़्तदी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ये आदाबे ख़ुत्बा के मुनाफ़ी है।

बाब : (17)
ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह

باب : (١٧)
مَقَامُ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

(1397) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ख़ुत्बा देते थे तो मस्जिद के सुतूनों में से एक खजूर के

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ

أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ .

तने के साथ सहारा लिया करते थे। जब मिम्बर तैयार हुआ और आप (ख़ुत्बे के लिये) उस पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह सुतून बेचैन होकर ऊँटनी की तरह रोने लगा यहाँ तक कि सब मस्जिद वालों ने उसकी आवाज़ सुनी। रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर से उतर कर उसकी तरफ़ आये और उसे गले से लगाया, फिर वह (आहिस्ता आहिस्ता) चुप हो गया।

(1397) तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 3/295, 324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1710.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी के तमाम सुतून खजूर के तने के थे। मज़्कूरा तने पर नबी (ﷺ) टेक लगाते थे, इसलिये जब आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह ग़मे जुदाई में रोने लगा। **(2)** 'रोने लगा' ये नबी (ﷺ) का ज़ाहिरी मोजिज़ा था कि ख़ुश्क तने से क़रीबुल विलादत ऊँटनी की आवाज़ जैसी आवाज़ आने लगी। सब मौजूद लोगों ने सुना, फिर आपके उसके साथ प्यार करने पर उसका चुप होना दूसरा मोजिज़ा है। (ﷺ) दीगर रिवायात में सराहत है कि वह तना आपके फ़िराक़ में रोया था। **(3)** हदीस से मालूम हुआ कि इमाम को ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में मिम्बर पर खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपकी आख़री सुन्नत यही है। बाब का मक़सद भी यही है। **(4)** मिम्बर पर खड़ा होने में इमाम की फ़ज़ीलत है, नीज़ वह सबको नज़र आयेगा। सब उसकी आवाज़ सुनेंगे। दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठने में सहूलत होगी। **(5)** इमाम अपने पाँव मिम्बर पर रखे हज़रत उमर (ؓ) मिम्बर की पहली सीढ़ी पर, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ؓ) दूसरी पर और रसूलुल्लाह (ﷺ) तीसरी पर पाँव रखते थे। बाद में एहतिरामन तीसरी और दूसरी सीढ़ी को छोड़ दिया गया।

باب : (١٨)
قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

बाब : (18)
ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي

(1398) हज़रत कअब बिन उज्रा (ؓ) मस्जिद में दाख़िल हुये तो अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा था। वह फ़रमाने लगे: इसे देखो बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा है

عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } .

जब कि अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया है: 'व इज़ारऔ न तिजारतन .....' 'जब वह कोई तिजारत या कोई तमाशा देखते हैं तो उठ कर उस तरफ़ चले जाते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं।'

(1398) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1712.

फ़ायदा : ये सूर-ए-जुमा की आख़री आयत है। इसमें जुमे ही का ज़िक्र है। एक दफ़ा नबी (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे कि तिजारती क़ाफ़िले की घण्टियाँ बजने लगीं, लोग ग़ल्ला हासिल करने के लिये आहिस्ता आहिस्ता खिसक गये, चन्द एक बाक़ी रह गये थे। आप खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। इसी से इस्तेदलाल है, आपकी सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया करते थे।

باب : (١٩)
الْفَضْلِ فِي الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ

बाब : (19)
इमाम के क़रीब बैठने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا " .

(1399) हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने जिस्म और कपड़ों को धोये और ग़ुस्ल करे और अव्वल वक़्त (मस्जिद में) जाये और शुरू ख़ुत्बा को पाये, इमाम के क़रीब बैठे और ख़ामोश रहे, फिर कोई लग़्व बात या काम न करे, उसके लिये हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व क़याम का सवाब है।

(1399) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1707.

बाब : (20)
इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा दे रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर आगे जाने की मुमानिअ़त

باب : (٢٠)
اَلنَّهْيُ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيِ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ " .

(1400) हज़रत अबू ज़ाहिरिया बयान करते हैं कि मैं जुमे के दिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र(ﷺ) के पहलू में बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा: (रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में) एक आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया तो उससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ओ! बैठ जाओ। तुमने लोगों को तकलीफ़ दी है।'

(1400) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1118, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1706, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 181, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 572, वल हाकिम: 1/688.

फ़ायदा : ये तब है जब आगे सफ़ों में जगह ख़ाली न हो। अगर आगे जगह ख़ाली है मगर लोगों की गर्दनें फलाँगें बग़ैर वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता तो गर्दनें फलाँगना जायज़ है क्योंकि इसमें उन लोगों का कुसूर है कि ख़ाली जगह छोड़ कर पीछे बैठे। इसी तरह इमाम भी लोगों की गर्दनें फलाँग कर मिम्बर तक पहुँच सकता है क्योंकि उसके बग़ैर चारा नहीं।

बाब : (21)
जो शख़्स जुमे के दिन दौराने ख़ुत्बा आये, तब भी वह (दो रकअ़त) नमाज़ पढ़े

باب : (٢١)
الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،

(1401) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी आया जब कि नबी(ﷺ) जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा दे रहे) थे। आपने उससे फ़रमाया: 'तूने दो

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْكَعْ".

रकअतें पढ़ी हैं?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर पढ़।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875/56, बुख़ारी, हदीस: 930, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1704.

फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़ुत्बा दे रहे थे, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि अभी आपने ख़ुत्बा शुरू नहीं किया था, अहादीस से ऐराज़ की दलील है, और सहीह मुस्लिम की सरीह क़ौली रिवायत कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वह मुख़्तसर सी दो रकअत नमाज़ पढ़े।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 875), हर क़िस्म की तावील को रद करती है, लिहाज़ा आने वाले को बैठने से पहले दो रकअत पढ़ना लाज़िम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 1396)

بَابُ : (٢٢)
الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब : (22)
जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا " .

(1402) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने जुमे के दिन ख़ुत्बे की हालत में अपने साथी से कहा: 'चुप रह' उसने भी लग़्व बात की।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 851, बुख़ारी, हदीस: 934, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1728.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमे में कसीर तादाद होती है। अगर मामूली बात करने की भी इजाज़त होती तब भी शोर व शग़ब पड़ जाता, इसलिये मुत्लक़न कलाम से रोक दिया गया, यहाँ तक कि ज़बान से किसी को चुप भी न कराये क्योंकि बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बातें करने वालों से बढ़ जाता है और - यक न शुद दो शुद' वाला मामला बन जाता है। हाँ बअम्रे मजबूरी इशारे से चुप करा सकता है। (2) अहनाफ़ इससे इस्तेदलाल करते हैं कि अगर 'चुप रह' नहीं कह सकता तो दौराने ख़ुत्बा नमाज़ कैसे पढ़ सकता है? उसका जवाब ये है कि ये लग़्व काम है। क्या नमाज़ भी लग़्व है? (नऊज़ूबिल्लाह) फिर नमाज़ तो आहिस्ता पढ़ी जाती है, शोर नहीं होता। बात करने से शोर होता है, और नमाज़ की रिवायात सरीह हुक्म वाली हैं। क्या इन सरीह रिवायात को ऐसे उमूमी दलाइल से रद

किया जा सकता है? (3) 'लग़्व बात की' लिहाज़ा उसका अज्र ज़ाया हो गया, यानी फ़र्ज़ तो अदा हो गया, अलबत्ता जुमे की फ़ज़ीलत हासिल न हुई। गोया जुहर पढ़ ली। ये मतलब नहीं कि उसका फ़र्ज़ भी अदा न हुआ क्योंकि ख़ुत्बा ऐन नमाज़ नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .

(1403) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुये सुना: 'जब तूने जुमे के दिन, जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, अपने साथी से कहा: 'चुप हो जा' तो तूने लग़्व काम किया।'

(1403) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 851/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1727.

باب :(٢٣) فَضْلِ الإِنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब : (23)
जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फ़ुज़ूल काम न करने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ، - وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ - عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ " .

(1404) हज़रत सलमान (ﷺ) से रिवायत है कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी शख़्स जुमे के दिन उस तरह तहारत करे जिस तरह उसे हुक्म दिया गया है, फिर अपने घर से निकले यहाँ तक कि जुमे में हाज़िर हो और ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करे, तो ये गुज़िश्ता जुमे से अब तक होने वाले गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जायेगा।'

(1404) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1724, व सहीह अल हाकिम: 1/277, बुख़ारी, हदीस: 883, 910.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जिस तरह उसे हुक्म दिया गया है' से मुराद वुज़ू हो या ग़ुस्ल हर दो सूरत में मस्नून तरीक़े से ही मज़्कूरा फ़ज़ीलत का हामिल होगा। (2) ऊपर दी गई फ़ज़ीलत उन तमाम कामों की बिना पर है जिनका हदीस़ में ज़िक्र है। चूंकि इनमें ख़ामोश रहना भी दाख़िल है, लिहाज़ा फ़ज़ीलत की निस्बत उसकी तरफ़ भी की जा सकती है।

باب: (٢٤)
كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَةِ

बाब : (24)
ख़ुत्बे की कैफ़ियत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

(1405) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने हमें ज़रूरत के मौक़े पर (यूँ) ख़ुत्बा सिखाया: (अल हम्दुलिल्लाह ......) 'हर तारीफ़ अल्लाह तआ़ला के लिये है। हम उससे मदद तलब करते हैं और उससे बख़्शिश तलब करते हैं। और अपने नफ़्स की शरारतों और अपने आ़माल की ख़राबियों से अल्लाह तआ़ला की पनाह चाहते हैं। जिस शख़्स़ को अल्लाह तआ़ला हिदायत दे, कोई उसे गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वह गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।' फिर आप तीन आयात पढ़ते: (या अय्युहल .....) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और तुम्हें जब भी मौत आये, इस्लाम ही की हालत में आये।' (या अय्युहन्नासु .....) 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुमहें एक जान (हज़रत आदम(ﷺ)) से पैदा किया और उसी से उसकी

رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا } " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَلاَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

बीवी (हज़रत हव्वा (عليها السلام)) को पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिये। और अल्लाह तआला से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते तोड़ने से डरो। यक़ीनन अल्लाह तआला तुम पर निगरान है।' (या अय्युहल्लज़ीना .....) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और सीधी सच्ची बात करो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हज़रत उबैदा ने अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه)) से कोई रिवायत नहीं सुनी और इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने भी अपने वालिदे मोतरम से कोई रिवायत नहीं सुनी। इसी तरह अब्दुल जब्बार बिन वाइल ने भी अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه)) से कोई रिवायत नहीं सुनी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2118, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1709, देखें, ह: 96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत सनद के लिहाज़ से मुन्क़तअ है। मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। दलाइल की रू से राजेह और दुरुस्त बात यही है कि मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ख़ुत्बतुल हाजत लिश्शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/237, 238) **(2)** मुताल्लिक़ा हदीस में तो सिर्फ़ अबू उबैदा का ज़िक्र है। बाक़ी दो हज़रात का ज़िक्र बित्तबअ कर दिया गया है क्योंकि तीनों बुज़ुर्ग इस बात में शरीक हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कुछ नहीं सुना। तीनों के वालिद सहाबी हैं। 'ज़रूरत के मौक़े पर' यानी जब भी ख़ुत्बे की ज़रूरत हो, ख़्वाह वाज़ हो या निकाह या कुछ और। इसी वजह से इमाम नसाई (رحمه الله) इस रिवायत को ख़ुत्ब-ए-जुमा में लाये हैं क्योंकि ये भी एक हाजत और ज़रूरत है। कुछ हज़रात ने मज़्कूरा आयात की मुनासिबत से यहाँ हाजते निकाह

मुराद ली है। उस्तादे मोहतरम हज़रत अल हाफ़िज़ मुहम्मद गन्दलवी मुहद्दिस (ﷺ) दर्से बुख़ारी के आग़ाज़ में यही ख़ुत्बा पढ़ा करते थे। इन आयात में तक़्वे का हुक्म है और तक़्वा हर काम में ज़रूरी है, न कि सिर्फ़ निकाह में। वल्लाहु आलम! **(3)** 'जिसे वह गुमराह कर दे' अल्लाह तआला किसी को अपनी तरफ़ से गुमराह नहीं करता बल्कि अल्लाह तआला के गुमराह करने का मतलब ये है कि अल्लाह तआला गुमराह को गुमराही से ज़बरदस्ती नहीं रोकता बल्कि वह अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ़ जाता है, जाने देता है क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह तआला ही है, इसीलिये उसका इन्तेसाब भी उसी की तरफ़ कर दिया जाता है, वरना दर हक़ीक़त इसमें इन्सान के अपने उस इरादे व इख़्तियार का दख़ल होता है जिससे अल्लाह तआला ने बतौर इम्तेहान इन्सान को नवाज़ा है।

बाब : (25)
इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे के दिन गुस्ल करने की तर्ग़ीब देना

باب : (٢٥)
حَضِّ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ عَلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1406) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया, उसमें फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स जुमे के लिये जाये तो वह गुस्ल करे।'

(1406) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1677, बुख़ारी, हदीस: 877, व मुस्लिम, हदीस: 844.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " .

(1407) इब्राहीम बिन नशीत ने हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी से जुमे के दिन गुस्ल करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: सुन्नत है और मुझे ये बात हज़रत सालिम ने अपने वालिदे मोहतरम से बयान की कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ये बात मिम्बर पर इरशाद फ़रमाई।

(1407) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1677, बुख़ारी, हदीस: 877, व मुस्लिम, हदीस: 844.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ، سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ .

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

(1408) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिम्बर पर इरशाद फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स जुमे के दिन आये, वह ग़ुस्ल करे।'

इमाम अबी अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि हज़रत इब्ने जुरैज के अलावा किसी रावी ने इस सनद के बयान में हज़रत लैस़ की मुताबिअ़त (मुवाफ़िक़त) की हो। इमाम ज़ोहरी के दूसरे शागिर्द अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर की बजाये सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अ़न अबीह कहते हैं।

(1408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 2/844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1675.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले बहुत से रावी हैं, जैसे इब्राहीम बिन नशीत, मुहम्मद बिन वलीद जुबैदी, सुफ़ियान बिन उ़यय्ना और इब्ने जुरैज। ये सब इमाम ज़ोहरी का उस्ताद हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बताते हैं। सिर्फ़ हज़रत लैस़ और इब्ने जुरैज ने उनका उस्ताद अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बताया है। दीगर शागिर्दान की तरह इब्ने जुरैज इमाम ज़ोहरी का उस्ताद सालिम भी बताते हैं। इसी तरह वह जुम्हूर तलामिज़ा की मुवाफ़िक़त भी करते हैं। ग़र्ज ये कि मज़्कूरा कलाम से इमाम नसाई (رحمه الله) इमाम लैस़ की, जिन पर इब्ने जुरैज ने भी उनकी मुवाफ़िक़त की है, रिवायत की तज़ईफ़ नहीं फ़रमा रहे, बल्कि उनका मक़सद सिर्फ़ ज़िक्रे इख़्तिलाफ़ है क्योंकि इमाम लैस़ (رحمه الله) सिक़ा और सब्त (इन्तेहाई क़ाबिले ऐतमाद) हैं। गोया ये इख़्तिलाफ़ सिक़ा रावी की ज़्यादती के क़बील से है जो कि मुहद्दिस़ीन के नज़दीक सबबे ज़ईफ़ में से नहीं, इससे मालूम हुआ कि रिवायत में इमाम ज़ोहरी के दो शैख़ हैं, सालिम और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह। इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने भी अपनी सही में दोनों शुयूख़ के वास्ते से रिवायत नक़ल की हैं मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 16/242) अल हासिल: यहाँ कस़रते रुवात की बिना पर तर्जीह नहीं बल्कि तत्बीक़ ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

(2) जुमे के दिन ग़ुस्ल की बहस़ के लिये देखिये, हदीस़: 1376, 1377 और इसी किताब का इब्तेदाइया।

बाब : (26) जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में सदक़ा करने की रग़बत दिलाना

باب : (٢٦) حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصَلَّيْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ - قَالَ - فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا " . فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ " خُذْ ثَوْبَكَ " .

(1409) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि जुमे के दिन एक आदमी फ़क़ीराना हालत में आया जब कि नबी (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने उससे पूछा: 'तूने नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहा: नहीं, आपने फ़रयमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर आपने लोगों को सदक़ा करने की रग़बत दिलाई। लोगों ने (सदक़े में) कपड़े देने शुरू किये तो आपने उसे उनमें से दो कपड़े दिये। जब दूसरा जुमा हुआ तो वह फिर आया। उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फिर लोगों को सदक़े की तरफ़ रग़बत दिलाई तो उसने भी अपना एक कपड़ा उतार दिया। आपने फ़रमाया: 'ये पिछले जुमे को परागन्दा हालत में आया था तो मैंने लोगों को सदक़े का हुक्म दिया। लोगों ने अपने (ज़्यादा) कपड़े सदक़े में दिये। मैंने इसे दो कपड़े देने का हुक्म दिया। अब ये फिर आया तो मैंने लोगों को फिर सदक़े का हुक्म दिया तो इसने भी उन्हीं दो कपड़ों में से एक कपड़ा उतार कर दे दिया। फिर आपने उसे डाँटा और फ़रमाया: 'उठा ले अपना कपड़ा।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ह: 511, व इब्ने माजा, हदीस: 1113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1719.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपने ख़ुत्बे में सदक़े की रग़बत उस आने वाले शख़्स की वजह से नहीं दिलाई थी बल्कि ये तो आपके ख़ुत्बे का हिस्सा था। बाद में उसकी फ़क़ीराना हालत के पेशे नज़र

उसको भी दूसरे फ़ुक़रा के साथ दो कपड़े दे दिये गये। अहनाफ़ कहते हैं: 'आपने उसे दो रकअ़त पढ़ने का हुक्म इसलिये दिया था कि लोग उसकी ख़स्ता हालत देख कर उस पर सदक़ा करें, लिहाज़ा दो रकअ़त पढ़ने का हुक्म आम नहीं बल्कि उसके साथ ख़ास था, हालांकि अगर ऐसे होता तो फिर सब कपड़े और सदक़ा उसी को मिलना चाहिए था, नीज़ अलग से भी उन दो रकअ़तों का हुक्म आया है। (2) इमाम को अपने मुक़्तदियों के हाल अहवाल का ख़्याल रखना चाहिए। (3) जिस चीज़ की आदमी को ख़ुद शदीद ज़रूरत हो, उसका सदक़ा नहीं करना चाहिए।

باب : (٢٧) مُخَاطَبَةُ الإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

बाब : (27) (दौराने ख़ुत्बा) इमाम का मिम्बर पर अपने अ़वाम से ख़िताब करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّيْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " قُمْ فَارْكَعْ " .

(1410) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ؓ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी (ﷺ) जुमे के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी आया। नबी(ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तूने नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उठ और (दो रकअ़तें) पढ़।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875, बुख़ारी, हदीस: 930, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1717.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ، يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ " إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ " .

(1411) हज़रत अबू बक्रा (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर (ख़ुत्बा देते) देखा जब कि हज़रत हसन (ؓ) भी आपके साथ थे। आप कभी लोगों की तरफ़ मुतवज्जा होते और कभी उसकी तरफ़। आप फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन मेरा ये बेटा सरदार होगा, क़वी उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला इसके ज़रिये से मुसलमानों की दो बड़ी जमाअ़तों के दरम्यान सुलह करवायेगा।'

(1411) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2704, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1718.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ये पेशगोई हर्फ़ बहर्फ़ पूरी हुई। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक हज़रत हसन, हज़रत अली (رضي الله عنه) की शहादत के बाद ख़लीफ़ा (सरदार) बनाये गये। आप निस्फ़ इस्लामी मम्लकत के सरबराह थे। हज़ारों की तादाद में फ़ौज आपके साथ थी। चालीस हज़ार अफ़राद आपके हाथ पर मौत की बैत कर चुके थे। दूसरी तरफ़ हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) और उनकी फ़ौज थी। हज़रत हसन (رضي الله عنه) ने ख़ूनरेज़ी को अच्छा न समझा और सुलह का इन्दिया दिया। हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने भी सफ़ेद काग़ज़ भेज दिया कि जो शराइत आप तै फ़रमायें, लिख दें। मेरे दस्तख़त पहले ही हो चुके हैं। इस तरह हज़रत हसन (رضي الله عنه) ने हुकूमत की कुर्बानी देकर उम्मत के उन दो अज़ीम गिरोहों को लड़ाई से बचा लिया। (رضي الله عنه) वरना कश्तों के पुश्ते लग जाते और मामला फ़िर भी हल न होता। हज़रत हसन (رضي الله عنه) का उम्मत पर ये अज़ीम एहसान है जिसका बदला अल्लाह तआला ही उन्हें देगा कि वह जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। सहाबा के दरम्यान होने वाली लड़ाइयों के बारे में अहले इल्म ने ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई है कि हमें बुज़ुर्गों के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। किसी में ग़लती और नुक़्स निकाल कर अपनी ज़बानों को गुस्ताख़ी और गुनाह से आलूदा नहीं करना चाहिए। ये मग़फ़ूरुल लहूम लोग थे। इन्हें जन्नत की ख़ुशख़बरी सच्चे रसूल (ﷺ) की ज़बान से मिल चुकी है। हम कौन हैं उनकी ऐब जोई करने वाले। फिर उस दौर की सही तारीख़ का मिलना भी यक़ीनी नहीं, लिहाज़ा ये मामलात अल्लाह ख़बीर व बसीर पर छोड़ दिये जायें। यही बात बरहक़ है। (2) ख़वारिज का रद है जो कि दोनों गिरोहों को काफ़िर कहते हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दोनों गिराहों के मुसलमान होने की गवाही दी है। (3) लोगों के दरम्यान इस्लाह बहुत फ़ज़ीलत वाला काम है, ख़ुसूसन जब ख़ून ख़राबा होने का ख़तरा हो। (4) हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) रिआया पर बहुत शफ़ीक़ और मेहरबान थे, और उमूरे मम्लकत में बड़ी कड़ी नज़र रखते थे। आपका सुलह का ग़ैर मशरूत मुतालबा इस बात की बय्यन (साफ़) दलील है। (5) कम मर्तबे वाला शख़्स, ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले की मौजूदगी में हुक्मरान बन सकता है। हज़रत हसन और मुआविया (رضي الله عنه) हुक्मरान बने जबकि हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास और सईद बिन ज़ैद (رضي الله عنه) बदरी सहाबा मौजूद थे। (6) ख़लीफ़ा बज़ाते ख़ुद दस्तबरदार हो सकता है ख़ुसूसन जबकि ये इस्तेअफ़ा वसीअ तर क़ौमी व मिल्ली मफ़ाद में हो।

बाब : (28)
ख़ुत्बे में (क़ुर्आन मजीद की) क़िराअत

بَابٌ: (٢٨)
الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ

(1412) हज़रत हारिसा बिन नोमान (رضي الله عنه) की बेटी उम्मे हिशाम (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ

الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ حَفِظْتُ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

सूरह (क़ाफ़0 वल क़ुर्आनिल मजीद) जुमे के दिन मिम्बर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से सुन सुन कर याद की।'

(1412) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1720.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा या अक्सर जुमे के दिन ख़ुत्बे में ये सूरत मुकम्मल पढ़ते। इसकी वजह ये है कि इस सूरत में बअस बअदल मौत, ज़िक्रे मौत और वाज़ व ज़ज्र बड़े मुअस्सिर पैराए में बयान किये गये हैं सौती आहन्ग इस पर मुस्तज़ाद है। छोटी छोटी आयात हैं। तवज्जा से पढ़ी जायें तो दिल की दुनिया बदल जाती है। **(2)** इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) के नज़दीक जुमे के हर ख़ुत्बे में पाँच चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। हम्दे बारी तआला, नबी (ﷺ) पर दरूद, क़िराअते क़ुर्आन, वाज़ और दुआ, वरना ख़ुत्बा नाक़िस होगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) का अमल इसकी ताईद करता है।

باب : (٢٩)
الْإِشَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ

बाब : (29)
ख़ुत्बे में इशारा करना

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ .

(1413) हज़रत हुसैन से रिवायत है बिश्र बिन मरवान ने जुमे के दिन मिम्बर पर (जोशे ख़िताबत में) दोनों हाथ उठाये तो हज़रत उमारा बिन रुवैबा सक़फ़ी (رضي الله عنه) ने उसे डाँटा और फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) इससे ज़्यादा इशारा नहीं करते थे, फिर उन्होंने अपने दायें हाथ की अंगूशते शहादत से इशारा किया।

(1413) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 874, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1715, मुसनद अहमद: 4/136.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमे का ख़ुत्बा इबादत है, इसमें संजीदगी ज़रूरी है दोनों हाथों को उठाना संजीदगी के ख़िलाफ़ है, तक़रीर में एक हाथ या ऊँगली से इशारा काफ़ी हैं कुछ ने इससे दौराने ख़ुत्बा दुआ के लिये हाथ उठाना मुराद लिया है, हालांकि कुछ रिवायात में ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में बारिश की दुआ के लिये नबी (ﷺ) का हाथ उठाकर और आपके साथ सामेईन का हाथ उठाकर दुआ करना

मन्क़ूल है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1029), हाँ ये कहा जा सकता है कि मामूल न बनाया जाये। कभी कभार अहम मौक़े पर हाथ उठा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। (2) ख़िलाफ़े सुन्नत काम करने वाले को रोकना चाहिए अगरचे वह बड़ी वजाहत वाला और चोधरी या वडेरा आदमी हो। एक मुसलमान के औसाफ़ में से है कि वह अल्लाह के अहकाम के बारे में किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरता।

बाब : (30)
जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होने से पहले इमाम का मिम्बर से नीचे उतरना, अपना कलाम रोक लेना और फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ना और ख़ुत्बा मुकम्मल करना

باب : (٣٠)
نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَقَطْعِهِ كَلَامَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ " صَدَقَ اللَّهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلاَمِي فَحَمَلْتُهُمَا " .

(1414) हज़रत बुरैदा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी (ﷺ) (बरोज़ जुमा) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि हज़रत हसन व हुसैन(ﷺ) आ गये। उन्होंने सुर्ख़ रंग की (लम्बी) क़मीसें पहन रखी थीं। वह उनमें लड़खड़ा रहे थे। नबी (ﷺ) ने अपना ख़ुत्बा रोक दिया और मिम्बर से नीचे उतर कर उन दोनों को उठाया, फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हो गये और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया है: (इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ित्ना) 'बिलाशुब्हा तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद फ़ित्ना हैं।' मैंने उन्हें देखा कि क़मीसों में लड़खड़ाते (गिरते पड़ते) आ रहे हैं। मैं सब्र न कर सका यहाँ तक कि मैंने ख़ुत्बा रोका और उन्हें उठाया।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस:1109, तिर्मिज़ी, हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1731, व सहीह अत्तबरी फ़ी तफ़्सीर: 28/81.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सात का हुक्म मुक़्तदियों के लिये है। इमाम साहिब ख़ुत्ब-ए-जुमा के

दौरान में किसी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और कोई ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। अगर नबी(ﷺ) उन्हें न उठाते तो आपकी तवज्जा उन्हीं की तरफ़ मब्ज़ूल रहती। ख़ुत्बा तो फिर भी मुन्क़तअ होना ही था, इसलिये आपने मुनासिब न समझा कि वह बार बार गिरते उठते रहें। आपने नबवी शफ़क़त और अपनी शाने रहीमी को अमल में लाते हुये ख़ुत्बा मुन्क़तअ फ़रमाया, उन्हें उठाया और फिर ख़ुत्बा शुरू कर दिया। आपका इस आयते करीमा का तिलावत फ़रमाना ये मानी नहीं रखता कि मैंने जो बच्चों को उठाया है, वह ग़लत काम किया है क्योंकि ये काम तो ऐन तक़ाज़-ए-शफ़क़त व रहमत है। अगर न उठाते तो मुनासिब न होता, बल्कि इस आयते करीमा को तिलावत फ़रमाने का मक़सद ये है कि इन्सान इस आज़माइश में पूरा उतरे और उसके साथ साथ गुमराह भी न हो, हक़ूक़ुल्लाह में कोताही न करे और उनके हुक़ूक़ में भी सुस्ती न करे। जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस मौक़े पर बेहतरीन नमूना पेश फ़रमाया। (ﷺ) **(2)** किसी शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से उतरना, मौज़ूअ से हट कर कोई और बात कर लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़ुत्बा शुरू कर लेना जायज़ है।

बाब : (31)
ख़ुत्बा मुख़्तसर रखना चाहिए

باب : (٣١)
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلاَةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ .

(1415) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कस्रत से ज़िक्र करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा कलाम कम ही करते थे। नमाज़ लम्बी पढ़ते थे और ख़ुत्बा मुख़्तसर रखते थे। और इस बात में कोई बेइज़्ज़ती महसूस न फ़रमाते थे कि किसी बेसहारा और बेवा ख़ातून और मिस्कीन शख़्स के साथ जाकर उसका काम कर दें।

तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: 1/35, हदीस: 75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1716, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2130,2139, वल हाकिम: 2/614.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कम ही करते थे' कहा गया है कि इससे नफ़ी मुराद है, यानी आप बिला ज़रूरत कलाम नहीं करते थे। अरबी का लफ़्ज़ लग़्व इस्तेमाल हुआ है, लग़्व के कई मानी हैं: गुनाह वाले कलाम को लग़्व कहते हैं और बिला ज़रूरत कलाम को भी लग़्व कहते हैं। आख़री मानी हों तो

'कम' वाले मानी भी सही हैं। पहले मानी के लिहाज़ से नफ़ी वाले मानी ही सही हैं। (2) नमाज़ और ख़ुत्बे का आपस में तक़ाबुल नहीं बल्कि नमाज़ों से लम्बी नमाज़ और ख़ुत्बों में से मुख़्तसर ख़ुत्बा मुराद है। ख़ुत्बा ऐसा न हो जो सामेईन के लिये उकताहट और दिल की तंगी का सबब हो। (3) अर्मला मोहताज और बेसहारा बेवा ही को कहा जाता है। मालदार बेवा को अर्मला नहीं कहा जाता।

बाब : (32) इमाम कितने ख़ुत्बे दे?

باب :(٣٢) كَمْ يَخْطُبُ

(1416) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के साथ बैठता रहा हूँ। मैंने कभी आपको ख़ुत्बा देते नहीं देखा मगर खड़े होकर ही। आप दरम्यान में बैठते, फिर दोबारा खड़े होते और दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते।

(1416) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 34/862, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1730.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमे में दो ख़ुत्बे मस्नून हैं और ये मुत्तफ़क़ा बात है। कुछ ने ईदैन को भी जुमे पर क़यास किया है लेकिन राजेह बात यही है कि ईदैन का एक ही ख़ुत्बा है, आम रिवायात से इसी की ताईद होती है। दो ख़ुत्बों की रिवायात ज़ईफ़ हैं, और अहादीस़ के उ़मूम की रोशनी में ईदैन का जुमे पर क़यास दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! (2) साबित हुआ कि ख़ुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है। किसी शरई उ़ज्र के बग़ैर बैठ कर ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। (3) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना मस्नून है जैसा कि आइन्दा हदीस़ में आ रहा है। (4) ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए जैसे कि पीछे गुज़रा।

बाब : (33) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठ कर फ़स्ल करना

باب : (٣٣) الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ

(1417) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर दो ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाते थे और दरम्यान में बैठते थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 928, व मुस्लिम, ह: 861, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1722.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .

बाब : (34) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठने के दौरान में ख़ामोश रहना

باب : (٣٤) السُّكُوتِ فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ .

(1418) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। फिर कुछ देर के लिये बैठ जाते। इस दौरान में कलाम न फ़रमाते। फिर खड़े होकर दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। जो शख़्स तुम्हें ये बयान करे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठ कर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे वह क़तअन झूठा है।

(1418) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1416, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1723.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कलाम न फ़रमाते' यानी तक़रीर न फ़रमाते थे। इसमें आहिस्ता ज़िक्र की नफ़ी नहीं। हदीस शरीफ़ में है: 'नबी (ﷺ) हर वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते थे।' (सहीह बुख़ारी, अल हैज़, बाब: 7, व सहीह मुस्लिम, अल हैज़, हदीस: 373) लिहाज़ा इस दौरान में अगर कोई दिल में ज़िक्र करे तो कोई हर्ज नहीं। (2) दूसरा ख़ुत्बा अलग से शुरू करना चाहिए, यानी हम्द व सना, दरूद और क़िराअते क़ुर्आन से इब्तेदा की जाये, फिर ज़िक्र और दुआ।

बाब : (35) दूसरे ख़ुत्बे में क़ुर्आन पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना

باب : (٣٥) الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ

(1419) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते और क़ुर्आन मजीद की चन्द आयात तिलावत फ़रमाते और अल्लाह तआला का ज़िक्र करते। आपका ख़ुत्बा भी दरम्याना

آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا .

होता था और नमाज़ भी दरम्यानी।'

(1419) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1106, देखें हदीस: 1416.

फ़ायदा : दोनों (नमाज़ और ख़ुत्बे) के दरम्याने होने से ये लाज़िम नहीं आता कि दोनों बराबर होते थे बल्कि नमाज़, नमाज़ों के लिहाज़ से दरम्यानी होती और ख़ुत्बा, ख़ुत्बों के लिहाज़ से दरम्याना होता क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।

باب : (٣٦)
اَلْكَلَامُ وَالْقِيَامُ بَعْدَ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ

बाब : (36)
मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर बातें करना

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي.

(1420) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (दो ख़ुत्बों के बाद) मिम्बर से उतरते तो कभी कोई आदमी आपके सामने आकर आपसे बातें शुरू कर देता। नबी (ﷺ) उसके साथ खड़े रहते यहाँ तक कि वह बात चीत मुकम्मल करता। फिर आप अपनी मख़्सूस जाए नमाज़ की तरफ़ बढ़ते और नमाज़ पढ़ते, यानी पढ़ाते।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1120, तिर्मिज़ी, हदीस: 517, व इब्ने माजा, हदीस: 1117, बैहक़ी: 3/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1732.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस क़िस्म का एक वाक़िया सहीह मुस्लिम में है, जिसमें दौराने ख़ुत्बे में, ख़ुत्बा छोड़ कर साइल से गुफ़्तगू करने का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 876) इसके अलावा इस क़िस्म का वाक़िया किसी नमाज़ के मौक़े पर भी पेश आया था जैसा कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि नमाज़ की इक़ामत कह दी गई तो एक शख़्स ने नबी (ﷺ) का हाथ पकड़ लिया और आपसे बातें करने लगा यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 518), और मुहक़्क़िक़ीन उलमा के नज़दीक मज़्कूरा रिवायत में जुमे का ज़िक्र शाज़ है, यानी ये वाक़िया जुमे का नहीं बल्कि इशा की नमाज़ का है। याद रहे अगर कोई शख़्स या इमाम

कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं मगर दीगर लोगों की मसरूफ़ियत और अज़ियत का ख़्याल रखना चाहिए। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 1418, व ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/277)

बाब : (37)
नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद

باب : (٣٧)
عَدَدُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ .

(1421) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जुमा, ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा और सफ़र की (रुबाई) नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बानी दो दो रकअत है और ये मुकम्मल नमाज़ है। इसमें कोई कमी नहीं।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने हज़रत उमर(ﷺ) से कोई रिवायत नहीं सुनी। (लिहाज़ा इस रिवायत की सनद मुन्क़तअ है।)

(1421) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1733, इब्ने माजा, हदीस: 1064.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सफ़र की नमाज़ उन दूसरी नमाज़ों के साथ इसलिये शामिल है कि ये भी अगर रुबाई (चार रकअत वाली) हों तो दो रकअत है, सिवाये मग़रिब की नमाज़ के, मग़रिब की नमाज़ तीन रकअत ही है, चाहे सफ़र हो या हज़र, जबकि बाक़ी मज़्कूरा नमाज़ें हैं ही दो रकअत। **(2)** मज़्कूरा रिवायत की बाबत इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने हज़रत उमर (ﷺ) से यही नहीं बल्कि कोई रिवायत नहीं सुनी। उलमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन इसके बारे में लिखते हैं कि मज़्कूरा रिवायत दीगर इस्नाद और तुरुक़ से भी मरवी है और इन तुरुक़ को मुहक़्क़िक़ीन ने सही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत मुन्क़तअ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर सही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/280)

باب: (۳۸)
اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ { الم * تَنْزِيلُ } وَ{ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ } وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ .

बाब : (38)
जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना

(1422) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में सूरह (अलिफ़ लाम मीम० तन्ज़ील) और सूरह (हल अता अलल इन्सान) और जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 879.

باب: (۳۹)
اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ }

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .

बाब : (39)
जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और सूरह (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ना

(1423) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे की नमाज़ (की पहली रकअत) में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (दूसरी रकअत में) (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे।

(1423) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1145, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1739.

बाब : (40) नमाज़े जुमा की क़िराअत की बाबत हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) की रिवायात में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٤٠) ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

(1424) हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस ने हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से पुछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जुमे के दिन सूर-ए-जुमा के बाद (दूसरी रकअत में) कौन सी सूरत पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया)

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/63, मौता: 1/111, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1737.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعًا .

(1425) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और सूरह (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे। कभी ईद और जुमा एक दिन आ जाते तो यही दो सूरतें दोनों में पढ़ते।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/62.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे नमाज़े जुमा में कोई सी सूरत भी पढ़ी जा सकती है मगर ऊपर दी गई चार सूरतें मस्नून व मुस्तहब हैं। इमाम नसाई (رحمه الله) ने नमाज़े जुमा की क़िराअत के मुताल्लिक़ हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी रिवायात में रावियों के इख़्तिलाफ़ को ज़िक्र किया है कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए-जुमा और दूसरी में सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ा करते थे और हबीब बिन सालिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए-आला और दूसरी में सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ा करते थे।

लेकिन ये इख़्तिलाफ़ हदीस़ की सेहत पर अस़र अन्दाज़ नहीं होता क्योंकि ये इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ सूरतों की तअय्युन में है जिसकी बाबत उलमा ने लिखा है कि मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी नमाज़े जुमा में सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया और कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ते हों और कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-ग़ाशिया। याद रहे कभी सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ ली जायें और कभी जुमा और मुनाफ़िक़ून। इन्हें आपस में मिलाया भी जा सकता है, जैसे: सूर-ए-जुमा और सूर-ए-ग़ाशिया जैसा कि हदीस़ नम्बर: 1424 में बयान है। **(2)** इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि जुमे के दिन ईद आ जाये तो ईद भी पढ़ी जाये और जुमा भी, ख़तीब और कुर्ब व जवार के लोगों के लिये यही अफ़ज़ल है, अगर वह जुमे की बजाये ज़ुहर पढ़ लें तो भी जायज़ है। वल्लाहु आलम।

बाब : (41) जो शख़्स़ जुमे की नमाज़ से एक रकअत बा'जमाअत पा ले

باب: (۴۱) مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

(1426) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ जुमे की नमाज़ से एक रकअत (बा'जमाअत) पा ले तो उसे जुमा मिल गया।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ " .

(1426) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1121, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1741, दारकुतनी: 2/12, हदीस़: 1592, बैहक़ी: 3/204.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत के मफ़हूम से मालूम हुआ कि अगर किसी शख़्स़ को एक रकअत से कम मिले, यानी वह सज्दा और तशह्हुद में मिले तो वह जुमा की बजाये ज़ुहर की नमाज़ पढ़े। जुम्हूर अहले इल्म, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ यहाँ तक कि अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद (رحمه الله) इसके क़ाइल हैं। स़हाबा से भी यही मिलता है मगर इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) का ख़्याल है कि सलाम से पहले जब भी मिल जाये तो जुमा ही पढ़े क्योंकि एक हदीस़ है: (मा अदरक्तुम फ़स़ल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिम्मू), हालांकि ये हदीस़ ख़ास़ जुमे के बारे में नहीं जबकि बाब की रिवायत ख़ास़ जुमे के बारे में है। आम व ख़ास़ के तआरुज़ के वक़्त दलीले ख़ास़ को तर्जीह दी जाती है। **(2)** 'उसको जुमा मिल गया' यानी वह एक और रकअत मिला ले तो उसका जुमा हो गया। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में स़राहत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1121, व इर्वाउल ग़लील, हदीस़: 622)

बाब : (42) जुमे के बाद मस्जिद में कितनी सुन्नतें पढ़ी जायें?

باب : (٤٢) عَدَدُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا "

(1427) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स जुमा पढ़े तो उसके बाद चार रकअ़त (सुन्नत) पढ़े।'

(1427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 881/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1743.

फ़ायदा : हदीस में मस्जिद में पढ़ने का ज़िक्र नहीं। दरअसल इमाम नसाई (رحمه الله) अहादीस में तत्बीक़ दे रहे हैं क्योंकि एक रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो रकअ़त पढ़ने का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने चार रकअ़त वाली रिवायत को मस्जिद से ख़ास कर दिया और दो रकअ़त वाली को घर के साथ क्योंकि इसमें घर का ज़िक्र है, यानी घर में आकर पढ़े तो दो रकअ़तें और मस्जिद में पढ़े तो चार रकअ़तें लेकिन राजेह बात ये है कि दो रकअ़त भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी। वल्लाहु आलम! जबकि कुछ लोग क़ौली व फ़ेअ़ली दोनों रिवायात पर अ़मल के क़ाइल हैं, यानी चार भी पढ़ ले और दो भी, कुल छः हो गई, लेकिन ये बात बिला दलील है।

बाब : (43)जुमे के बाद इमाम कितनी रकअ़त (सुन्नत) पढ़े?

باب : (٤٣) صَلاَةُ الإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

(1428) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के बाद नमाज़ (नवाफ़िल) नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि घर तशरीफ़ ले जाते और दो रकअ़तें पढ़ते।

(1428) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 874, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1745.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

(1429) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के बाद अपने घर में

سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

दो रकअतें पढ़ते थे।

(1429) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1132, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, बुख़ारी, व मुस्लिम, ज़हबी.

फ़ायदा : ये एक और तत्बीक़ है जो इमाम नसाई (ﷺ) ने इन दो रिवायात (चार रकअत और दो रकअत वाली) में इख़्तियार की है कि चार पढ़ने का हुक्म मुक़्तदियों को है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 881) और दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र आपके साथ ख़ास है। गोया इमाम दो रकअत पढ़े और मुक़्तदी चार रकअत पढ़ें। लेकिन इमाम साहिब का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) का हर फ़रमान हमारे लिये उस्वा और नमूना है, इसलिये दो रकआत आप (ﷺ) के साथ ख़ास नहीं, लिहाज़ा दो भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी, किसी हदीस पर भी अमल कर लिया जाये। वल्लाहु आलम!.

باب : (٤٤)
إِطَالَةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

बाब : (44)
जुमे के बाद दो रकअतें लम्बी पढ़ी जायें

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ

(1430) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) जुमे के बाद दो रकअतें पढ़ते थे और उन्हें लम्बा करते थे, और वह फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे।

(1430) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1128, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1747.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमे से पहले कितनी रकआत पढ़ी जायें? नबी-ए-अकरम (ﷺ) से जुमे से पहले रकअतों की कोई तअय्युन किसी सही हदीस से साबित नहीं, न क़ौल से और न आपके अमल ही से बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मिम्बर पर रौनक़ अफ़रोज़ हो जाते तो अज़ान शुरू हो जाती और अज़ान के बाद आप किसी वक़्फ़े के बग़ैर ख़ुत्बा शुरू फ़रमा देते, लिहाज़ा जो शख़्स इमाम के ख़ुत्बा शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँच जाये तो वह बिला तअय्युन जितनी सुन्नतें और नवाफ़िल पढ़ना चाहे पढ़ ले और जूँ ही इमाम ख़ुत्बा शुरू करे, नवाफ़िल पढ़ना बन्द कर दे। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तावा, इब्ने तैमिया: 24/188-200, व ज़ादुलमआद: 1/432-420) इब्ने माजा की जिस रिवायत में जुमे से पहले चार रकअत पढ़ने का ज़िक्र है, वह सख़्त ज़ईफ़ है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा,

हदीस: 1129, व ज़ईफ़ सुनन इब्ने माजा लिल अल्बानी, रक़म: 1139) उमूमन इसके मुताबिक़ अमल होता है। लेकिन दुरुस्त बात वही है जो ज़िक्र हो चुकी है। (2) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने 'लम्बा करने' के अल्फ़ाज़ को शाज़ क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 3/89, 90)

بَاب: (٤٥) ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब: (45) जुमे के दिन वह कौन सी घड़ी है जिसमें दुआ ज़रूर क़बूल होती है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . فَقَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ . فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ

(1431) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं कोहे तूर पर गया। वहाँ मैंने कअ़ब अहबार को पाया। हम दोनों एक दिन इकट्ठे रहे। मैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीस बयान करता था और वह मुझे तौरात की बातें बताते थे। मैंने उनसे कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ़ हो, जुमे का दिन है। इस दिन हज़रत आदम (عليه السلام) पैदा हुये। इसी दिन वह ज़मीन पर उतारे गये। इसी दिन उनकी तौबा क़बूल हुई। इसी दिन फ़ौत हुये और इसी दिन क़यामत क़ाइम होगी। इब्ने आदम (इन्सान) के सिवा ज़मीन पर जो भी हरकत करने वाला जानवर है, वह जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज तुलूअ़ होने तक क़यामत के डर से चुप चाप कान लगाये रखता है (कि कहीं सूर न फूँक दिया जाये) मगर इन्सान (बेख़ौफ़ रहता है) और इस दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसे कोई मोमिन नमाज़ की हालत में पा ले, फिर वह अल्लाह तआ़ला से उस वक़्त कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआ़ला उसे वह चीज़ ज़रूर दे देता है।' कअ़ब कहने लगे: ऐसा दिन हर साल में एक होता है मैंने कहा: नहीं वह घड़ी हर जुमे में होती है। फिर कअ़ब ने तौरात पढ़ी तो कहने लगे: रसूलुल्लाह

(ﷺ) ने सच फ़रमाया है। ये हर जुमे के दिन होता है। मैं उनके पास से निकला तो मैं बस्रा बिन अबू बस्रा ग़िफ़ारी (ﷺ) को मिला। वह कहने लगे: कहाँ से आये हो? मैंने कहा: कोहे तूर से। वह कहने लगे: अगर तुम्हारे तूर पर जाने से पहले मेरी और तुम्हारी मुलाक़ात हो जाती तो तुम वहाँ न जाते। मैंने कहा: क्यों? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'सवारियों को काम में न लाया जाये मगर इन तीन मसाजिद की तरफ़ जाने के लिये: मस्जिदे हराम, मेरी ये मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और बैतुल मक़्दिस की मस्जिद।' फिर मैं अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) को मिला। मैंने उनसे कहा: अगर आप मेरे साथ गुज़रने वाला वाक़िया देखते (तो महज़ूज़ होते) मैं तूर पहाड़ की ज़ियारत के लिये गया। वहाँ मैं कअ़ब अहबार को मिला। मैं और वह एक दिन इकट्ठे रहे। मैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसें बयान करता था और वह मुझे तौरात से बयान करते थे। मैंने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुमे का दिन है। इस दिन आदम (ﷺ) पैदा हुये। इसी दिन जन्नत से निकाले गये। इसी दिन उनकी तौबा क़बूल हुई। इसी दिन फ़ौत हुये और इसी दिन क़यामत क़ाइम होगी। इन्सान के सिवा रू ए अर्ज़ पर जो भी हरकत करने वाला जानवर है, वह जुमे के दिन क़यामत के डर से सुबह से लेकर तुलूअे शम्स तक कान लगाये रखता है (कि कहीं सूर न फूँक दिया जाये), और इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जो भी मोमिन बन्दा उसे नमाज़ की हालत में पा ले, फिर वह

ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ‏.‏ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الطُّورِ ‏.‏ قَالَ لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ ‏.‏ قُلْتُ لَهُ وَلِمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ‏"‏ ‏.‏ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ ‏.‏ فَقَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ . قُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَدَقَ كَعْبٌ إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا . قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ " . وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلاَةٌ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي تُلاَقِيهَا " . قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَهُوَ كَذَلِكَ .

अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला वह चीज़ उसे ज़रूर दे देता है।' कअब कहने लगे: ऐसा तो साल में एक दिन होता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) कहने लगे: कअब ने ग़लत कहा मैंने कहा: फिर कअब ने तौरात पढ़ी और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सच फ़रमाया है। ये हर जुमे को होता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) कहने लगे: कअब ने सच कहा: मैं यक़ीनन उस घड़ी को जानता हूँ। मैंने कहा: बिरादरे मोहतरम! मुझे ज़रूर बताइये। उन्होंने कहा: ये जुमे के दिन गुरूबे शम्स से पहले आख़री घड़ी है। मैंने कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते नहीं सुना: 'मोमिन उसे नमाज़ की हालत में पाये।' जब कि ये घड़ी '(दिन की आख़री घड़ी) तो नमाज़ का वक़्त ही नहीं। वह कहने लगे: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते नहीं सुना: 'जो आदमी नमाज़ पढ़ कर अगली नमाज़ के इन्तेज़ार में बैठा रहे तो वह नमाज़ ही में होता है यहाँ तक कि बाद वाली नमाज़ का वक़्त हो जाये।' मैंने कहा: क्यों नहीं (बल्कि सुना है) उन्होंने कहा: यहाँ भी यही मुराद है। (यानी नमाज़ के इन्तेज़ार में हो)

(1431) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1754, तिर्मिज़ी, हदीस: 491, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1738, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1024, वल बग़वी फ़ी शरह अस्सुन्नह, वल हाकिम: 1/278, 279.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कोहे तूर' जहाँ हज़रत मूसा (ﷺ) अल्लाह तआला से हम कलाम हुये। क़ुर्आन में इसे 'वादी-ए-मुक़द्दस' कहा गया है। **(2)** 'कान लगाये रखता है' यानी तवज्जा रखता है और मुन्तज़िर रहता है। शायद जानवरों को जुमे के दिन का इल्म हो जाता होगा या उनमें ये चीज़ तबई होगी कि हर

जुमे के दिन वह ख़ौफ़ ज़दा रहते होंगे और यही बात ज़्यादा सही मालूम होती है क्योंकि जानवरों के सब काम तबअन और फ़ितरतन होते हैं जब कि इन्सान फ़ितरत के ख़िलाफ़ भी काम कर लेता है। **(3)** 'ऐसी घड़ी है' हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) की मरफ़ूअ रिवायत के मुताबिक़ अस्र के बाद आख़री घड़ी है। कुछ रिवायात के मुताबिक़ वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर चढ़ने से लेकर नमाज़ से फ़ारिग़ होने तक है। शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने यूँ तत्बीक़ दी है कि साअत यौमी तो अस्र के बाद ही है मगर जुमा में इज्तिमा-ए-मोमिनीन की बरकत से ख़ुत्बा व नमाज़ का वक़्त भी अफ़ज़ल हो जाता है, लिहाज़ा वह भी क़बूलियत का वक़्त बन जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि कभी ये घड़ी होती है कभी वह। अक्सर अहले इल्म ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) की रिवायत को तर्जीह दी है। **(4)** 'सवारियों को काम में न लाया जाये' यानी कुर्बत व सवाब के हुसूल के लिये लम्बा सफ़र न किया जाये ये समझ कर कि फुलां जगह मुक़द्दस है। वहाँ कुर्ब व सवाब ज़्यादा होगा, सिवाए इन तीन मसाजिद के। रावी-ए-हदीस हज़रत बस्रा ग़िफ़ारी (ﷺ) ने किसी भी मुक़द्दस मक़ाम (ख़्वाह वह मस्जिद हो या कोई और मक़ाम) की तरफ़ कुर्बत और सवाब की नियत से लम्बा सफ़र करना दुरुस्त नहीं समझा। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने भी यही मफ़हूम दुरुस्त समझा। तभी तो उनकी बात का इन्कार नहीं किया। और यही मफ़हूम दुरुस्त है। ये बहस तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस:701 **(5)** बैतुल मक़्दिस की मस्जिद से मुराद बैतुल मक़्दिस ही है क्योंकि जो जगह अल्लाह तआला की इबादत के लिये ख़ास की गई है, वह मस्जिद है। और बैतुल मक़्दिस भी अल्लाह तआला की इबादत के लिये बनाया गया था। **(6)** 'वह नमाज़ ही में है' हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) की ये तावील एक फ़क़ीह सहाबी की तावील है जो मोतबर है लेकिन नीचे दी गई रिवायत (1433) में ये अल्फ़ाज़ हैं: (क़ाइमुन युसल्ली) 'यानी वह खड़ा नमाज़ पढ़ता हो।' हालांकि नमाज़ का इन्तेज़ार उमूमन बैठ कर होता है।तो उलमा ने उनके दरम्यान यूँ तत्बीक़ दी है कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस में क़ाइम के मानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की हदीस की रोशनी में 'साबित' के हैं, यानी बैठ कर इन्तेज़ार करने के हैं क्योंकि उमूमन नमाज़ का इन्तेज़ार बैठ कर ही किया जाता है। या फिर यहाँ क़ाइम की क़ैद 'क़ैदे वस्फ़ी' है यानी ये क़ैद नमाज़ी की उमूमी हालत के पेशे नज़र है क्योंकि नमाज़ खड़े होकर ही अदा की जाती है, लिहाज़ा मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की रोशनी में नमाज़ का इन्तेज़ार खड़े होकर लाज़िमी क़रार नहीं पाता। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये: (अत्तअ्लीक़ातुस्सलफ़िया (तबअ जदीद) 2/333, 334)

(1432) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी (वक़्त) है जिसे कोई भी मुसलमान आदमी पा ले, फिर अल्लाह तआला

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

से उसमें कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ ज़रूर देगा।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम नहीं जानते कि हज़रत रबाह के अलावा किसी ने ये रिवायत अन मामर अन अज़्ज़ोहरी की सनद से इस तरह बयान की हो, अलबत्ता हज़रत अय्यूब बिन सुवैद ने ये रिवायत अन यूनुस अन अज़्ज़ोहरी अन सईद व अबी सलमा की सनद से बयान की है। लेकिन अय्यूब बिन सुवैद (की हदीस़ मोतबर नहीं, वह) मत्रूकुल हदीस़ है।

(1432) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1749.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا .

(1433) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि हज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन जुमे के दिन एक ऐसा मख़सूस़ वक़्त है जिसे जो भी मुसलमान शख़्स़ खड़ा नमाज़ पढ़ता हुआ पा ले और उसमें अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगता हो तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर वह चीज़ दे देता है।' आप (ﷺ) (हाथ के इशारे से) उस वक़्त को बहुत क़लील बताते थे।

तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी, ह: 6400, व मुस्लिम,ह: 852/14, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1750.

फ़ायदा : जो चीज़ जितनी ज़्यादा क़ीमती, बलन्द मर्तबा और अफ़ज़ल हो, उतनी ही कम होती है। ये फ़ितरी उसूल है। ये वक़्त भी बहुत फ़ज़ीलत वाला है, इसलिये क़लील है, और ऐसी चीज़ बड़ी छुपा कर रखी जाती है और उसके हुसूल में बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा उस वक़्त को मुब्हम रखा गया ताकि उसकी ख़ुसूसी शान ज़ाहिर हो। मुबारक हैं वह लोग जो ऐसी साआते लतीफ़ा से बहरावर होते हैं। लिमिस्लि हाजा फ़ल्यअ्मलिल आमिलून वफ़्फ़क्नल्लाहु लिमा युहिब्बुहू व यर्ज़ा

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب تقصير الصلاة فى السفر

सफ़र में नमाज़ क़स्र करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب: (۱)

....

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا، مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .

बाब : (1)

....

(1434) हज़रत यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) बिन ख़त्ताब(ﷺ) से पूछा कि (कुर्आन की आयत) (फ़लैसा अलैकुम ....) 'तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज़ क़स्र कर लो बशर्ते कि तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें नुक़सान पहुँचाएंगे।' (से मालूम होता है कि क़स्रे नमाज़ ख़ौफ़ ही की हालत के साथ ख़ास है) अब तो लोग अमन की हालत में हैं। (लिहाज़ा नमाज़ क़स्र नहीं करनी चाहिए) हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे भी इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुझे ताज्जुब हुआ है तो मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा। आपने फ़रमाया: 'ये सदक़ा है जो अल्लाह तआला ने तुम पर किया है, तो तुम अल्लाह तआला का सदक़ा क़बूल करो।'

(1434) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1891.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर ज़िक्र की गई आयत में बज़ाहिर सफ़र और ख़ौफ़ दोनों को क़स्र के लिये शर्त क़रार दिया गया है, लिहाज़ा ये सवाल बजा है लेकिन नबी (ﷺ) के जवाब से ये बात वाज़ेह होती है कि जब क़स्र का हुक्म नाज़िल हुआ, उस वक़्त तो वाक़ेअतन सफ़र भी था और ख़ौफ़ भी मगर बाद में ख़ौफ़ की शर्त साक़ित कर दी गई। लफ़्ज़ 'सदक़ा' भी इस सुक़ूत पर दलालत करता है। मगर इस सुक़ूत का ज़िक्र क़ुर्आन में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बानी मालूम हुआ। इस बात को यूँ भी बयान किया जा सकता है कि क़स्र के लिये सिर्फ़ सफ़र ही शर्त था, ख़ौफ़ का ज़िक्र दरपेश सूरते हाल के तौर पर था क्योंकि उस वक़्त ख़ौफ़ की हालत भी थी। बाद में वज़ाहत कर दी गई कि ख़ौफ़ क़स्र के लिये शर्त नहीं, लिहाज़ा 'सदक़ा' क़स्र के हुक्म को कहा जायेगा। ये भी कहा गया है कि क़ुर्आन मजीद में ज़िक्र क़स्रे ख़ौफ़ का है न कि क़स्रे सफ़र का। और क़स्रे ख़ौफ़ से मुराद तरीक़-ए जमाअत में सहूलत के मुताबिक़ तब्दीली है जैसा कि आयत के मा'बाद अल्फ़ाज़ और अहादीस में इसकी तफ़्सील वारिद है। गोया क़स्रे हैयत मुराद है। क़स्रे सफ़र का ज़िक्र सिर्फ़ अहादीस में है। कुछ हज़रात के नज़दीक (इन ख़िफ़्तुम) यानी ख़ौफ़ की क़ैद क़स्र की बजाये मा'बाद कलाम से मुताल्लिक़ है, यानी अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो तो नमाज़ की अदायगी के वक़्त दो ग्रुप बना लो। और (इन ख़िफ़्तुम) से पहले अलग जुम्ला है, यानी जब तुम सफ़र में हो तो क़स्र करने में कोई गुनाह नहीं। बहर सूरत सहाबा(رضي الله عنهم) से लेकर अब तक इत्तेफ़ाक़ है कि क़स्र के लिये ख़ौफ़ की शर्त नहीं। (2) 'क़स्र' से मुराद ये है कि रुबाई नमाज़ (यानी ज़ुहर, अस्र और इशा) को दो रकअत पढ़ लिया जाये। मग़रिब और फ़ज्र अपनी असली हालत पर रहेंगी। (3) 'क़बूल करो' इस लफ़्ज़ से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि क़स्र वाजिब है, हालांकि क़ुर्आन मजीद के सरीह अल्फ़ाज़ वजूब की नफ़ी करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी क़स्र के लिये 'सदक़ा' का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है जिससे वजूब साबित नहीं होता। सही बात यही है कि क़स्र रुख़्सत है और अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रुख़्सत को क़बूल किया जाये। इस बिना पर हमारे नज़दीक यही अफ़ज़ल है कि दौराने सफ़र नमाज़ क़स्र पढ़ी जाये, लेकिन अगर कोई रुख़्सत से फ़ायदा न उठाते हुये नमाज़ पूरी अदा करता है तो उसका जवाज़ है जैसा कि हज़रत आयशा और हज़रत उस्मान (رضي الله عنهما) से सराहतन मुकम्मल नमाज़ (यानी चार रकअत) पढ़ने की सही रिवायात मज़्कूर हैं। देखिये: (सही बुख़ारी, अत्तक़सीर, हदीस: 1090, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 685, 694) जबकि अहनाफ़ क़स्र को वाजिब और चार रकअत पढ़ने को ममनूअ समझते हैं, मगर इसकी कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। (4) मक़ाम व मर्तबे में कम शख़्स अपने से अफ़ज़ल शख़्सियत से क़ाबिले इश्काल चीज़ की वज़ाहत तलब कर सकता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

(1435) हज़रत उमैया बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ख़ालिद ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से कहा: हम क़ुर्आन मजीद में घर की नमाज़ और ख़ौफ़ की नमाज़ पाते हैं लेकिन सफ़र की नमाज़ क़ुर्आन मजीद में नहीं पाते। हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) ने उनसे कहा: ऐ मेरे भतीजे! तहक़ीक़ अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजा जबकि हम कुछ नहीं जानते थे। हम तो सिर्फ़ उस तरह करेंगे जिस तरह हमने मुहम्मद (ﷺ) को करते देखा है।

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद को भी हम रसूलुल्लाह (ﷺ) ही की तस्दीक़ से मानते हैं, लिहाज़ा अस़ल हैसियत तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की है। आप जो फ़रमायेंगे, वह हमारे लिये हुज्जत है, क़ुर्आन मजीद में हो या न हो। क़ुर्आन मजीद में तो नमाज़ का तरीक़ा भी ज़िक्र नहीं और न उनकी तादाद वग़ैरह ही का ज़िक्र है। जब इन बातों को हम क़ुर्आन मजीद में न होने के बावजूद मानते हैं तो क़स्रे सफ़र को भी मानना चाहिए क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से सराहतन साबित है। क़ौलन भी फ़ेअलन भी। मज़ीद तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

(1436) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का से मदीना की तरफ़ निकले (और चार रकअ़त वाली नमाज़ें) दो रकअ़त ही पढ़ते रहे, हालांकि रब्बुल आ़लमीन के सिवा आपको किसी का डर न था।

तख़रीज : **(सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1893, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का इशारा हज्जतुल विदा के सफ़र की तरफ़ था। उस वक़्त सब दुश्मन मग़लूब हो चुके थे बल्कि ख़त्म हो चुके थे। ख़ौफ़ का इम्कान भी नहीं था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لاَ نَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

(1437) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र कर रहे थे। हमें अल्लाह तआला के सिवा किसी का ख़ौफ़ न था मगर हम (रुबाई नमाज़) दो रकअत पढ़ते थे।

(1437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1794, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

(1438) हज़रत इब्ने सिम्त बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को ज़ुल हुलैफ़ा के मक़ाम पर (कोई रुबाई नमाज़) दो रकअत पढ़ते देखा। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मैं तो उसी तरह करता हूँ जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को करते देखा है।

(1438) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1895.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا .

(1439) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा गया। आप वापस मदीना मुनव्वरा आने तक नमाज़ क़स्र करते रहे। आप मक्के में दस दिन ठहरे थे।

(1439) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 693/15, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1896.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हज्जतुल विदा की बात है और ये दस दिन सिर्फ़ मक्के में नहीं ठहरे थे बल्कि मक़ामाते हज मिना, मुज़्दलिफ़ा और अरफ़ात भी इसी में शामिल हैं। चार ज़िल हिज्जा को आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। हज व उम्रा के तमाम अरकान अदा करने के बाद चौदह ज़िल हिज्जा को

आप वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हो गये। किसी भी जगह आपका क़याम चार दिन से ज़्यादा न था। और चौथा दिन भी दुख़ूल या ख़ुरूज को शामिल करके है, इसीलिए राजेह बात ये है कि अगर क़याम की नियत तीन (या चार) दिन की है तो फिर वह मुसाफ़िर क़स्र नमाज़ पढ़े, वरना शुरू दिन ही से पूरी नमाज़ पढ़े, वह अपने आपको मुसाफ़िर न समझे। **(2)** कम अज़ कम वह कितनी मसाफ़त है जिसका इरादा हो तो इन्सान इस दौरान में नमाज़ क़स्र कर सकता है? इस बारे में उलमा-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ है। मुख़्तलिफ़ आरा (राय) हैं। एक राय ये है कि अगर किसी का अड़तालीस मील सफ़र का क़स्द हो तो वह अपने शहर या बस्ती की हुदूद से निकलने के बाद क़स्र कर सकता है। बतौर दलील इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ पेश की जाती है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अहले मक्का! चार बरीद (अड़तालीस मील) से कम सफ़र में नमाज़ क़स्र न करो, जैसे मक्का से उस्फ़ान तक।' (सुनन दारकुतनी मअ तालीक़ अल मुग़नी: 2/387, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/137, 138) लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में एक तो इस्माईल बिन अयाश हैं, ग़ैर शामियों से उनकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। दूसरे अब्दुल वह्हाब बिन मुजाहिद हैं। ये भी ज़ईफ़ हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (इर्वाउल ग़लील, हदीस़: 565) लिहाज़ा क़स्र के लिये कम अज़ कम अड़तालीस मील की शर्त दुरुस्त नहीं, और किसी और मुस्तनद दलील से भी इसकी ताईद नहीं होती। इसके मुताल्लिक़ सही और स़रीह तरीन जो हदीस़ मन्क़ूल है वह हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस़ है। यहया बिन यज़ीद हनाई कहते हैं: मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से नमाज़ क़स्र करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तीन मील या तीन फ़र्सख़ की मसाफ़त पर जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे। ये शक शोबा को हुआ है। तीन मील की मसाफ़त को फ़र्सख़ (फ़ारसी में फ़र्संग) कहते हैं। इस तरह क़स्र के लिये कम अज़ कम मसाफ़त नौ मील हूई। तीन मील की बात चूंकि मशकूक है, इसलिये हुज्जत नहीं और तीन फ़र्सख़ की मसाफ़त एहतियात व यक़ीन पर मबनी है, इसलिये सफ़र की मसाफ़त (अपने शहर की हद छोड़ कर) कम अज़ कम नौ मील, यानी तक़रीबन 22 किलो मीटर होगी क्योंकि अरबी मील की मसाफ़त अंग्रेजी मील की बनिस्बत ज़्यादा है। और यही मौक़िफ़ राजेह है। वल्लाहु आलम!

(1440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में (चार रकअत वाली नमाज़) दो रकअत पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के साथ भी दो रकअत पढ़ी और हज़रत उमर (ﷺ) के साथ भी

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَبِي أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، - وَهُوَ السُّكَّرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رضى الله عنهما .

दो रकअत पढ़ी।

(1440) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1897, बुख़ारी, हदीस: 1084 वग़ैरहुम

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

(1441) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जुमे की नमाज़, ईदुल फ़ित्र की नमाज़, क़ुर्बानी (ईदुल अज़्हा) की नमाज़ और सफ़र की नमाज़ नबी (ﷺ) की ज़बानी दो दो रकअत है और ये मुकम्मल है। इसमें कोई नुक़्स और कमी नहीं।

(1441) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1421, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1898.

फ़ायदा : 'नुक़्स और कमी नहीं' का मतलब है कि ये नमाज़ें मुकम्मल हैं, इसलिये कि अल्लाह की तरफ़ से ये इतनी ही तादाद में मुक़र्रर हैं। इसी तरह सफ़र में दो रकअतें भी सवाब में चार रकअतों से कम नहीं, इसलिये कि ये रुख़्सत भी अल्लाह ही की तरफ़ से है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، - وَهُوَ ابْنُ عَائِذٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فُرِضَتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً .

(1442) हज़रत-इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि घर की नमाज़ तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़बानी चार रकअत, सफ़र की नमाज़ दो रकअत और ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ की गई है।

(1442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1899.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि सफ़र की नमाज़ है ही दो रकअत, चार नहीं पढ़ी जा सकतीं मगर ये मफ़हूम क़ुर्आन की आयते करीमा और दीगर अहादीस के सराहतन ख़िलाफ़ है। अगर ऐसे होता तो इसे क़स्र न कहा जाता, लिहाज़ा ये मफ़हूम ग़ैर मोतबर है। **(2)** 'ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअत' जुम्हूर अहले इल्म ने इस बात को क़बूल नहीं किया, वह इस हदीस की

तावील करते हैं कि एक रकअ़त से मुराद इमाम के साथ एक रकअ़त है न कि फ़िल वाक़ेअ़ एक रकअ़त कि दूसरी रकअ़त पढ़ी न जाये। बल्कि वह दूसरी रकअ़त अपने तौर पर पढ़े। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म का ये मौक़िफ़ दलाइल की रोशनी में महल्ले नज़र है। एक रकअ़त नमाज़े ख़ौफ़ भी मुतअ़द्दिद सही अहादीस़ से स़ाबित है, लिहाज़ा मौक़ा व महल की मुनासिबत से एक रकअ़त भी बिला ताम्मुल पढ़ी जा सकती है। नमाज़े ख़ौफ़ की तक़रीबन छः सात सूरतें अहादीस़ में वारिद हैं। तो ख़ौफ़ की सूरते हाल को मद्दे नज़र रख कर किसी भी सूरत पर अ़मल किया जा सकता है। इनमें कोई तआ़रुज़ नहीं। तमाम वाक़िआ़त और तरीक़ों को एक स़ाबित करने की कोशिश करना ग़ैर ज़रूरी तकलीफ़ है। मौक़ा व महल और ज़रूरत के मुताबिक़ किसी भी तरीक़े पर अ़मल किया जा सकता है। वल्लाहु आ़लम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई, किताबुल ख़ौफ़)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

(1443) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअ़त, सफ़र में दो रकअ़त और ख़ौफ़ की हालत में एक रकअ़त फ़र्ज़ की है।

(1443) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1899.

باب : (2) الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ

बाब : (2) मक्का मुकर्रमा में (मुसाफ़िर) नमाज़ (कैसे पढ़े?)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى، - وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

(1444) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से पूछा कि अगर मैं बा'जमाअ़त नमाज़ न पा सकूं तो मक्का मुकर्रमा में नमाज़ कैसे पढूँ? उन्होंने फ़रमाया: दो रकअ़तें। ये अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है।

(1444) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1901.

फ़ायदा : मतलब ये है कि मुसाफ़िर अगर बा'जमाअत नमाज़ पढ़े तो ज़ाहिर है इमाम के मुताबिक़ ही पढ़ेगा। इमामे हरम चूंकि मुक़ीम होते हैं, लिहाज़ा वह चार रकअतें ही पढ़ेंगे लेकिन अगर जमाअत छूट जाये तो मुसाफ़िर दो रकअत पढ़ेगा, बशर्ते कि वह मुद्दते इक़ामत से कम ठहरा हो। अगर उसे मुद्दते इक़ामत से ज़्यादा ठहरना है तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। इस हुक्म में मक्का और ग़ैर मक्का का कोई फ़र्क़ नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ تَفُوتُنِي الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ، مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ، قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

(1445) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से पूछा: मुझसे नमाज़ बा'जमाअत रह जाये, जब कि मैं वादी-ए-मक्का में हूँ, तो आपके ख़याल के मुताबिक़ मैं कितनी रकअत नमाज़ पढ़ूँ? उन्होंने फ़रमाया: दो रकअत। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है।

(1445) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1902, पिछली हदीस देखें।

बाब : (3)
मिना में नमाज़ (कैसे पढ़ी जाये?)

باب: (3)
الصَّلاَةِ بِمِنًى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ .

(1446) हज़रत हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं, हालांकि आप इन्तेहाई अमन की हालत में थे और आपके साथी भी बहुत ज़्यादा थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, बुख़ारी, हदीस: 1083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1903.

फ़ायदा : मिना में चूंकि सब हाजी मुसाफ़िर ही होते हैं, लिहाज़ा मिना में सब हाजी क़स्र करेंगे। इमाम अहमद (رحمه الله) के नज़दीक ये क़स्र हज की बिना पर है सफ़र की बिना पर नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक जो लोग मिना से मसाफ़ते क़स्र के अन्दर अन्दर रहते हैं, वह पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, मगर ये किसी हदीस से साबित नहीं और न किसी हदीस में ये ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज करने वालों में कोई

ऐसी तफ़रीक़ की गई हो, जैसे: ये नहीं कहा गया कि मक्का वाले क़स्र न करें वग़ैरह। सही बात यही है कि सब हाजी मिना में क़स्र करेंगे। (क़स्र के लिये ख़ौफ़ की बहस पीछे गुज़र चुकी है।)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

(1447) हज़रत हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मिना में दो रकअतें पढ़ाई हालांकि लोग बहुत ज़्यादा थे और इन्तेहाई अमन की हालत में थे।

(1447) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1904, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ .

(1448) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) फ़रमाते हैं कि मैंने मिना में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ, हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ؓ) के साथ दो रकअतें पढ़ी और हज़रत उस्मान (ؓ) के साथ भी उनकी इमारत के इब्तेदाई ज़माने में दो रकअतें ही पढ़ीं।

(1448) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/144, 145, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1905.

फ़ायदा : 'इब्तेदाई ज़माने में' यानी बाद में हज़रत उस्मान (ؓ) ने मिना में पूरी नमाज़ शुरू कर दी थी, क्यूँ? इसकी मुख़्तलिफ़ वजूहात बयान की जाती हैं। ○ एक ये कि पूरी पढ़ना भी जायज़ है। ○ लोगों को ग़लतफ़हमी होने लगी थी कि नमाज़ हर हाल में दो रकअत ही है क्योंकि ख़लीफ़ा जब भी आता है, दो रकअत पढ़ता है, हमारे अइम्मा ख़्वाहमख़्वाह चार पढ़ाते हैं। ये ग़लतफ़हमी दूर करने के लिये नमाज़ मुकम्मल पढ़ाई। ○ हज़रत उस्मान (ؓ) का ख़्याल था कि क़स्र सिर्फ़ सफ़र की हालत में होती है। जब आदमी किसी जगह ठहर जाये और उसे सफ़र की मुश्किलात दरपेश न हों तो क़स्र न करे, ख़्वाह थोड़े दिन ही ठहरे। चूंकि मिना में तीन दिन (यार चार दिन) आराम व सुकून से रिहाइश होती है, लिहाज़ा पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए। ○ आपने मक्का मुकर्रमा में शादी कर ली थी। इनके अलावा और भी वजूहात बयान की गई हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इन तमाम का रद्द करते हुये लिखा है ये वजूहात

दुरुस्त नहीं। याद रहे सुन्नत यही है कि सफ़र में दो रकअत नमाज़ अदा की जाये जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल से साबित है। व ख़ैरुल हद्ये हद्यु मुहम्मदिन (ﷺ). और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ؓ) का भी इसी पर अमल था। हज़रत उस्मान (ؓ) का पूरी नमाज़ पढ़ना उनका ज़ाती इज्तेहाद था, वह शायद इसलिये पढ़ते हों कि सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/354-358)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، ح وَأَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ .

(1449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) से मन्क़ूल है, फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1084, व मुस्लिम, 695, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1906.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ .

(1450) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से मरवी है कि हज़रत उस्मान (ؓ) ने मिना में चार रकअतें पढ़ीं यहाँ तक कि ये बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) को पहुँची तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ दो रकअतें ही पढ़ी हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 695, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1907.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضى

(1451) हज़रत इब्ने उमर (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (ؓ) के साथ दो रकअतें पढ़ीं और हज़रत उमर (ؓ) के साथ भी दो रकअतें पढ़ीं।

الله عنه - رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ.

(1451) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 694/17, बुख़ारी, हदीस: 1082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1908.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ .

(1452) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिना में दो रकअ़तें पढ़ीं। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने भी यहाँ दो रकअ़तें ही पढ़ीं। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने भी दो ही पढ़ीं। और हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने भी अपनी ख़िलाफ़त की इब्तेदा में दो रकअ़तें ही पढ़ीं।

(1452) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1909.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाद में किसी वजह से इज्तेहादी तौर पर हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने हज के मौक़े पर मिना में चार रकअ़तें शुरू कर दी थीं। और मुहद्दिसीन ने इसकी मुतअ़द्दिद वजहें बयान फ़रमाई हैं जिसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। और इसी तरह हज़रत आयशा (ﷺ) की बाबत भी मरवी है कि वह भी दौराने सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ लेती थीं। इन अहादीस के पेशे नज़र उ़लमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने ये मौक़िफ़ इख़्तियार किया है कि इन्सान को अल्लाह तआ़ला की दी हूई इस रुख़सत से फ़ायदा उठाना चाहिए, और फ़रमाने नबवी भी है कि अल्लाह तआ़ला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रुख़सत को क़बूल किया जाये। याद रहे हमारे नज़दीक अफ़ज़ल ये है कि दौराने सफ़र नमाज़ क़स्र पढ़ी जाये, लेकिन अगर कोई रुख़सत से फ़ायदा न उठाये और पूरी नमाज़ पढ़े तो उसकी भी गुंजाइश है इसे बिद्अ़त वग़ैरह नहीं कहना चाहिए। वल्लाहु आ़लम! **(2)** ऊपर दी गई तमाम रिवायात में दो रकअ़त से मुराद सिर्फ़ वह नमाज़ है जो दरअसल रुबाई, यानी चार रकअ़त वाली है, वरना मग़रिब हर हाल में तीन रकअ़त है और फ़ज्र हर हाल में दो रकअ़त। और ये मुत्तफ़क़ा बात है।

بَاب: (4) الْمَقَامِ الَّذِي يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلاَةُ

बाब : (4) कितनी देर तक ठहरे तो क़स्र कर सकता है?

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ

(1453) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा को

بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا . قُلْتُ هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

निकले। आप वापस मदीना तशरीफ़ लाने तक हमें दो रकअत ही पढ़ाते रहे। (शागिर्द अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि) मैंने कहा: क्या आप मक्का में ठहरे थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, हम मक्का में दस दिन ठहरे थे।

(1453) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1439, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1910.

फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा की बात है। लेकिन आप दस दिन सिर्फ़ मक्का में नहीं बल्कि मिना, मुज़्दलिफ़ा, अरफ़ात में मजमूई तौर पर दस दिन ठहरे थे। मक्का में आपकी मुसल्सल रिहाइश पूरे चार दिन रही है। चार ज़ुल हिज्जा की सुबह को मक्का में दाख़िल हुये और आठ की सुबह को मिना रवाना हो गये। इसी बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) का ये ख़्याल है कि इक्कीस नमाज़ें एक जगह ठहर कर पढ़नी हों तो क़स्र करे, ज़्यादा ठहरना हो तो शुरू से मुकम्मल पढ़े। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का ख़्याल है कि आने जाने का दिन निकाल कर तीन दिन ठहरना हो तो क़स्र करे और अगर उससे ज़्यादा ठहरना हो तो शुरू दिन से पूरी पढ़े। ये दोनों अक़्वाल मिलते जुलते हैं और इनका नतीजा एक ही है। और यही सही और राजेह मौक़िफ़ है। वल्लाहु आलम अहनाफ़ पन्द्रह दिन क़याम में क़स्र के क़ाइल हैं और ज़्यादा की सूरत में पूरी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

(1454) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में पन्द्रह दिन ठहरे। दो दो रकअत पढ़ते रहे।

(1454) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1911, अबू दाऊद, हदीस: 1231, व इब्ने माजा, हदीस: 1076.

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है जो सन 8 हिजरी में हुआ था। सहीह बुख़ारी में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से उन्नीस दिन ठहरने की रिवायत है। और उनका क़ौल भी यही है कि जब हम उन्नीस दिन से ज़्यादा ठहरेंगे तो नमाज़ पूरी पढ़ेंगे। कुछ रिवायात में मक्का में आपकी इक़ामत अठारह या सत्तरह दिन भी है, यानी आने जाने का दिन शामिल करके उन्नीस दिन, ख़ालिस इक़ामत सत्तरह दिन। किसी एक दिन को

निकाल लें तो अठारह दिन। गोया कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, अलबत्ता पन्द्रह दिन की रिवायत सही नहीं क्योंकि ये असहह (ज़्यादा सही) रिवायात के ख़िलाफ़ है बल्कि ये किसी रावी का तसर्रुफ़ है। मुहक़्क़िक़े अस्र शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने भी ख़मसा अश्र 'पन्द्रह दिन' के अल्फ़ाज़ को सही क़रार नहीं दिया। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रक़म: 1452) अहनाफ़ ने पन्द्रह दिन को 'अक़ल्ल' होने की वजह से तर्जीह दी है ताकि शक व शुब्हा न रहे। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (ﷺ) ने इस रिवायत को तरद्दुद पर महमूल किया है, यानी आप इतने दिन इसलिये क़स्र करते रहे कि आपका इरादा इतने दिन ठहरने का नहीं था, बल्कि आप मुतरद्दिद थे कि आज वापस जाऊं या कल या परसों, लेकिन हालात के तहत देर होती गई क्योंकि ख़तरा था कि कोई बग़ावत या शौरिश न खड़ी हो जाये, लिहाज़ा उनके नज़दीक मुतरद्दिद आदमी तीन दिन से ज़्यादा भी क़स्र कर सकता है मगर पुख़्ता नियत वाला अगर आने जाने का दिन निकाल कर तीन दिन ठहरने की नियत करे तो क़स्र करे और अगर ज़्यादा दिन ठहरने की नियत हो तो पूरी पढ़े। दलाइल की रू से यही मौक़िफ़ राजेह और दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا " .

(1455) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुहाजिर शख़्स अपना हज व उम्रा पूरा करने के बाद सिर्फ़ तीन दिन मक्के में रह सकता है।'

(1455) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1352/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1912, बुख़ारी, हदीस: 3933.

फ़ायदा : ये हदीस अइम्म-ए-सलासा (इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (ﷺ) की दलील है कि नबी (ﷺ) ने मुहाजिरीन को तीन दिन से ज़्यादा मक्का में ठहरने से इसीलिए रोका है कि अगर उनमें से कोई तीन दिन से ज़्यादा ठहरता तो वह मुक़ीम बन जाता और मुहाजिरीन को अपनी हिजरत वाली जगह में मुक़ीम होना जायज़ नहीं, वरना हिजरत ख़त्म हो जायेगी। इससे साबित हुआ कि किसी जगह में तीन दिन तक ठहरने वाला तो मुसाफ़िर है मगर ज़्यादा ठहरने वाला मुक़ीम है, लिहाज़ा वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक्का मुकर्रमा में फ़तह के मौक़े पर तीन दिन से ज़्यादा ठहरना, तो वह फ़तह की तक्मील के लिये था, न कि ज़्यादा अज़ शरई ज़रूरत या वह बिला क़सद, यानी तरद्दुद की सूरत में था।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلاَثًا " .

(1456) हज़रत अ़लाअ बिन हज़रमी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '(मक्का से) हिजरत करने वाला अपना हज व उ़म्रा पूरा करने के बाद तीन दिन (मक्के में) ठहर सकता है।'

(1456) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1913, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ . قَالَ " أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ " . وَمَا عَابَ عَلَىَّ .

(1457) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा उ़म्रा करने गई यहाँ तक कि जब मैं मक्का आई तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! आप नमाज़ क़स्र करते रहे, मैं पूरी पढ़ती रही। आप रोज़ा छोड़ते रहे, मैं रखती रही। आपने फ़रमाया: 'आ़यशा! तूने ठीक किया।' आपने मुझ पर इस बात का ऐ़ब नहीं लगाया।

(1457) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 2/187, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1914.

फ़ायदा : इस हदीस का बाब से ताल्लुक ये है कि सफ़र कितना भी लम्बा हो और उसमें कितना अ़र्सा भी लगे, नमाज़ क़स्र की जा सकती है। सफ़र के दौरान में कोई हद नहीं।

باب : (5) تَرْكِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

बाब : (5) सफ़र में नफ़ल न पढ़ना

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ

(1458) हज़रत वबरा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) सफ़र में दो रकअ़तों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, न (उन दो

يَرِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا . فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ .

रकअतों से) पहले कुछ पढ़ते न बाद में। उनसे कहा गया: ये क्या तरीक़ा है? तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही करते देखा है।

(1458) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1915.

फ़ायदा : फ़र्ज नमाज़ों की तमाम सुनने रवातिब के सिवा सफ़र में नफ़ल पढ़ना क़तअन मना नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़ना साबित है। रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) सफ़र में सवारी पर नफ़ल नमाज़ (वित्र वग़ैरह) पढ़ लिया करते थे। इसमें वह इस्तेक़बाले क़िब्ला (क़िब्ला रुख़ होने) का भी सिवाए वक़्ते आगाज़ के, कोई एहतिमाम नहीं करते थे, बल्कि सवारी का रुख़ और मुँह जिस तरफ़ भी होता उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ लेते। इस तरह सिर्फ़ नवाफ़िल में करते, फ़र्ज नमाज़ सवारी से उतर कर और क़िब्ला रूख़ होकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का सफ़र में ये आम मामूल था। सहीहैन की अहादीस में इसकी मुकम्मल सराहत मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1093-1100, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 700-702) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की सुन्नतों की बहुत ताकीद फ़रमाई है। आप (ﷺ) ख़ुद भी सुबह की सुन्नतों का ख़ास एहतिमाम व इल्तिज़ाम फ़रमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा ताहिरा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस क़द्र सुबह की सुन्नतों का इल्तेज़ाम व एहतिमाम और उन पर मुहाफ़िज़त व मुदावमत फ़रमाते थे, इस क़द्र किसी और नफ़ल नमाज़ पर नहीं फ़रमाते थे (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1129) नबी (ﷺ) ने सुबह की सुन्नतों की बाबत फ़रमाया है: 'फ़ज्र की दो रकअत (सुन्नतें) दुनिया व माफ़ीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है, इस सब से बेहतर हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 725) और ये सुन्नतें नबी (ﷺ) को अज़ हद महबूब और प्यारी थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की सुन्नतों का किस क़द्र इल्तेज़ाम फ़रमाते थे? इसका अन्दाज़ा इस बात से बख़ूबी होता है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर से वापस आते हुये रात के पिछले पहर सो गये और आप (ﷺ) समेत सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) में से कोई भी तुलूअे आफ़ताब से पहले न उठ सका तो आपने सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से फ़रमाया: 'अपनी सवारियाँ लेकर इस वादी से निकल चलो, इस जगह शैतान रहता है।' फिर आपने वुज़ू किया उसके बाद सुबह की दो सुन्नतें पढ़ीं और फिर सुबह के फ़र्ज़ बा'जमाअत अदा किये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680) अलबत्ता जो नमाज़ क़स्र की जाती है, यानी ज़ुहर, अस्र और इशा, इनमें आपसे सुन्नतें पढ़ने का ज़िक्र नहीं मिलता, लिहाज़ा क़स्र की जाये तो सुन्नतें न पढ़ी जायें क्योंकि क़स्र तो तख़्फ़ीफ़ के लिये है। सुन्नतें पढ़ने से तख़्फ़ीफ़ ख़त्म हो जाती है। मग़रिब व इशा को जमा

करते वक़्त मग़रिब की सुन्नतें नहीं पढ़ी जायेंगी। सफ़र के दौरान में तहज्जुद वग़ैरह भी पढ़ी जा सकती है। दलाइल के ऊमूम से इसकी ताईद होती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضى الله عنهم - كَذَلِكَ .

(1459) हज़रत हफ़्स बिन आसिम बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के साथ एक सफ़र में था। उन्होंने ज़ुहर और अस्र दो दो रकअत पढ़ीं। फिर अपनी बिछी हुई चटाई की तरफ़ गये। उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वह नफ़ल (सुन्नतें) पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा: ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया: नफ़ल पढ़ रहे हैं। उन्होंने फ़रमाया: अगर मैं फ़र्ज़ों से पहले या बाद में सुन्नतें पढ़ता तो मैं फ़र्ज़ ही मुकम्मल पढ़ लेता। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहा हूँ, आप तो सफ़र में दो रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के साथ रहा। यहाँ तक कि वह फ़ौत हो गये। इसी तरह हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) के साथ।

(1459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1102, व मुस्लिम, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1916.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने सुन्नतें पढ़ने पर इन्कार किया कि अगर सुन्नतें ही पढ़नी हैं तो इसकी बजाये बेहतर था कि फ़र्ज़ चार पढ़ लिये जाते क्योंकि फ़र्ज़ नवाफ़िल से ज़्यादा सवाब रखते हैं जब कि शरीयत का मक़सद मुसाफ़िर से तख़फ़ीफ़ करना है।

بسم الله الرحمن الرحيم

कुसूफ़ और नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

अल्लाह तआला ने अपनी क़ुदरते कामिला से कायनात के निज़ाम को बड़ा मुस्तहकम बनाया है। ज़मीन व आसमान इस वसीअ कायनात का एक अहम हिस्सा हैं। आलमे बाला, यानी आसमानों में फ़रिश्तों का तक़र्रुर हुआ जबकि दीगर तमाम मख़्लूक़ात ज़मीन में बसाई गईं। इसमें समन्दर और दरिया वग़ैरह हैं, और इनके अन्दर बहुत सी आबी मख़्लूक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के लिये उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी का बड़ा आला और बेमिसाल इन्तेज़ाम फ़रमाया है। यही हाल इन्सानों का है लेकिन इन्हें मज़ीद एहसानात से नवाज़ा गया है, जैसे रात कि ये उनके लिये बाइसे राहत व सुकून और नींद का सबब है तो उसके लिए मुनासिब अन्धेरा पैदा फ़रमाया और दिन कस्बे मआश का। और इसके लिये उजाला ज़रूरी है, लिहाज़ा सूरज पैदा फ़रमाया जो रोशनी का बहुत बड़ा मम्बअ है। इससे जहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के अश्जार व नबातात परवरिश पाते हैं वहाँ सैकड़ों इन्सानी आमाल व अफ़आल का ताल्लुक़ भी इसकी रोशनी से है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है: '**और वही है जिसने तुम्हारे लिये रात को लिबास बनाया, नींद को आराम और दिन को उठ खड़ा होने का वक़्त बनाया।**' (अल फ़ुरक़ान: 47) ग़र्ज़ आफ़ताब व माहताब की रोशनी में बहुत सी हिकमतें पिन्हाँ (पोशीदा) हैं जिनका इद्राक इन्सान के बस की बात नहीं। इनमें से चन्द एक अहम हिक्मतों का बयान क़ुर्आन मजीद में बईं अल्फ़ाज़ मिलता है: '**वही है (अल्लाह) जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर बनाया और उसकी मन्ज़िलें मुक़र्रर कीं ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये (सब कुछ) हक़ ही के साथ पैदा किया है। वह अपनी आयात को उन लोगों के लिये तफ़्सील से बयान करता है जो जानते हैं।**' (यूनुस: 10/5) और फ़रमाया: '**वह सुबह की सफेदी नमूदार करने वाला है और उसने रात को आराम का बाइस बनाया और सूरज और चाँद को हिसाब का ज़रिया बनाया। ये उस ज़बरदस्त ग़ालिब, सब कुछ जानने वाले का मुक़र्रर कर्दा अन्दाज़ा है।**' (अल अन्आम: 6/96)

इमाम इब्ने कसीर (رحمه الله) (वश्शम्स वल क़मर हुस्बानन) की तफ़्सीर में लिखते हैं: 'यानी वह दोनों एक तै शुदा और मुक़र्ररा हिसाब के मुताबिक़ चलते हैं और इसमें कोई तग़य्युर व तबद्दुल रू नुमा नहीं होता बल्कि इनमें से हर एक की मौसमे सर्मा और गर्मा में मन्ज़िलें मुक़र्रर हैं जिनके मुताबिक़ ये चलते हैं और इसी पर रात दिन का एक दूसरे के बाद आना जाना और रात दिन का छोटा बड़ा होना मौक़ूफ़ है।' (अलिमस्बाहुल मुनीर (मुतर्जम) तहज़ीब व तहक़ीक़ तफ़्सीर इब्ने कसीर: 2/498 तबअ दारुस्सलाम)

शैख़ अब्दुर्रहमान बिन नासिर (رحمه الله) अपनी तफ़्सीर अस्सअ़दी में इसकी शरह में फ़रमाते हैं: अल्लाह तआ़ला ने सूरज और चाँद बनाये जिनके ज़रिये से ज़मान व औक़ात की पहचान की जाती है, इनके ज़रिये से इबादात के औक़ात मुन्ज़बित होते हैं, मामलात की मुद्दत मुक़र्रर होती है, और सूरज और चाँद के वजूद ही से ये मालूम किया जाता है कि कितना वक़्त गुज़र गया है अगर सूरज और चाँद का वजूद और उनका बारी बारी एक दूसरे के पीछे आना न होता तो आ़म्मतुन्नास इन तमाम उमूर को मालूम करके इल्म में इश्तिराक न कर सकते बल्कि चन्द अफ़राद के सिवा कोई भी इन उमूर की मारिफ़त हासिल न कर पाता और वह भी निहायत कोशिश और इज्तेहाद के बाद, और इस तरह तमाम ज़रूरी मसालेह फ़ौत हो जाते। (तफ़्सीर अस्सअ़दी (उर्दू) मतबूआ दारुस्सलाम: 1/800-801)

फिर आफ़ताब व माहताब का ये निज़ाम बड़ा मुनज़्ज़म व मुरत्तब है। जिस ग़र्ज़ के लिये उनकी तख़्लीक़ हूई दोनों उसके लिए रवां दवां हैं और बिला तअत्तुल व तवक़्क़ुफ़ अल्लाह की मशियत के मुताबिक़ अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। इरशादे बारी है: **'न तो सूरज ही से हो सकता है कि वह चाँद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तेर रहे हैं।'** (यासीन: 36/40)

ये अल्लाह तआ़ला के इराद-ए-तकवीनी के पाबन्द हैं। इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी या मन्शा का कोई अमल दख़ल नहीं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है: **'और उसने सूरज, चाँद और सितारों को (पैदा किया) सब उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये हैं।'** (यासीन: 36/40) **'ये अल्लाह के इराद-ए-तक्वीनिया के पाबन्द हैं इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी या मन्शा का कोई अमल दख़ल नहीं अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है सूरज चाँद और सितारों को (पैदा किया) सब उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये है।'** (अल आराफ़: 7/54) मालूम हुआ आफ़ताब व माहताब की ये रोशनी और चमक दमक अल्लाह तआ़ला ही के हुक्म से है। जब उसका इरादा होगा तो उन्हें मुकम्मल बेनूर कर देगा। उसके बाद उनकी आफ़ताबी व माहताबी का सिलसिला मुन्क़तअ़ हो जायेगा लेकिन ये रोज़े क़यामत होगा। उसके बाद उन्हें लपेट कर जहन्नम की आग में फैंक दिया जायेगा। (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 1/242, रक़म: 124)

सूर-ए-क़ियामा में है: **'फिर जब आँख पत्थरा जायेगी। और चाँद गहना जायेगा। और सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिये जायेंगे।'** (अल क़ियाधा: 75/7-9) यानी उस वक़्त चाँद बे नूर हो जायेगा, फिर सूरज और चाँद जो कभी इकट्ठे न हुये थे, उन्हें इकट्ठा कर दिया जायेगा। ये अस़ल में दुनिया और उसके इख़्तिताम और तबाही का इशारा होगा। और ये मालिके कुल की क़ुदरते कामिला व शामिला का नतीजा होगा। इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) इसकी तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: **'चाँद की रोशनी**

ख़त्म हो जायेगी और सूरज और चाँद को, जो उससे पहले कभी इकट्ठे न हुये थे, इकट्ठा कर दिया जायेगा।' (अज़्ज़ौउल मुनीरः 6/237)

जूँ ही आफ़ताब व माहताब का निज़ाम मुन्अदिम होगा उसी वक़्त उनसे वाबस्ता तमाम दुनियावी मफ़ादात व अग़राज़ भी इख़्तिताम पज़ीर हो जायेंगे अगले जहाँ, यानी क़यामत की आमद और उसकी हौलनाकियों का आग़ाज़ और नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा। वल्लाहुल मुस्तआन! गोया शम्स व क़मर का बे नूर होना पैग़ामे अमन व अमान और राहत व तफ़रीह का सामान नहीं बल्कि एक दर्जा क़यामत की निशानी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे तख़्वीफ़े इबाद का एक सबब ठहराया है। आपके अहदे मुबारक में एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया। आप बहुत ख़ौफ़ ज़दा हुये, सख़्त घबराये और इतने डरे कि फ़ौरन नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी के लिये लपके। जल्दी में कंधे मुबारक से चादर गिर गई। ये सब उसी ख़ौफ़नाक मन्ज़र की हौलनाकी का नतीजा था।

लेकिन अफ़सोस! अक्सरियत इस फ़िक्र व तास्सुर से आरी है। उन्होंने इसे बजाये सबक़ आमूज़ी और इबरत व नसीहत के सैर व तफ़रीह का एक ज़रिया समझ लिया। मुख़्तलिफ़ पार्कों, सैरगाहों, होटलों और बलन्द व बाला इमारतों या पहाड़ों का रुख़ करते हैं और बज़्अमे ख़्वेश इस मन्ज़र से लुत्फ़ अन्दोज़ होते हैं। केमरे और दूरबीनें हमराह होती हैं। तस्वीरकशी के अलावा और कई क़बाहतों, ग़ैर शरई आमाल और नाज़ेबा हरकात के मुर्तकिब होते हैं। ये बस इस्लाम दुश्मनों की कारिस्तानियाँ हैं और दीन से दूरी, मुत्लक़ुल इनानी और शुत्र बेमहारी का नतीजा है। वलइयाज़ बिल्लाह!

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस हस्सास मौक़े पर भी कुछ नसीहतें फ़रमाई हैं, उम्मत की दुरुस्त सिम्त की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई है और जाहिलियत के तवहहुमात की बेख़ कनी की है। ये सब कुछ तफ़्सील के साथ मुताल्लिक़ा अबवाब में मौजूद है लेकिन इसे यक्जा करने का हमारा मक़सद अव्वलन मौज़ूअ की तस्हील, मसले का दुरुस्त फ़हम व इदराक और अव्वामुन्नास के लिये मुताल्लिक़ा मसाइल की तल्ख़ीस व तहक़ीक़ है ताकि हमारा ये अमल भी ऐन सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो। नीचे इसके कुछ मसाइल व अहकाम का बिल इख़्तेसार तज़्किरा किया जाता है।

✧ **कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ का लुग़वी मफ़हूमः** लफ़्ज़ कुसूफ़ या इन्किसाफ़ के लुग़वी मानी, आफ़ताब व माहताब का स्याह, यानी बे नूर और ग्रहण ज़दा होना है। ख़ुसूफ़ या इन्ख़िसाफ़ भी इसी मानी में मुस्तामल है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'कुसूफ़ के लुग़वी मानी किसी चीज़ के स्याही माइल होना है। इसी से (मुहावरा) 'उसका चेहरा स्याह और उसकी हालत परागन्दा हो गई' माख़ूज़ है। और कसफ़तिश् शम्सु तब इस्तेमाल होता है जब सूरज स्याह हो जाये और उसकी रोशनी ख़त्म हो जाये।'** (फ़तहुलबारीः 2/526)

जबकि फ़ुक़्हा के नज़दीक लफ़्ज़ कुसूफ़ 'सूरज ग्रहण' और ख़ूसूफ़ 'चाँद ग्रहण' के लिये ख़ास है। इमाम स़अलब का मुख़्तार मौक़िफ़ भी यही है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/535, हदीस़: 1047, वलफ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/395) ग़र्ज़ अगरचे कुसूफ़ व ख़ूसूफ़ अपनी वज़्अ और मद्लूल के ऐतबार से मुख़्तलिफ़ नज़र आते हैं लेकिन एक दूसरे पर इनका इत्लाक़ जायज़ और इस्तेमाल में इनकी हैसियत यक्सां मालूम होती है जैसा कि कुछ अहादीस़ में इसकी तस़रीह मिलती है, जैसे: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1047) में सूरज ग्रहण के लिये ख़सफ़तिश शम्सु लफ़्ज़े ख़ुसूफ़ इस्तेमाल हुआ है।

✧ **ग्रहण क्यूँ लगता है?:** हदीस़ में इसकी वजह मौजूद है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, ये दोनों किसी की मौत (या ज़िन्दगी) की वजह से बे नूर नहीं होते बल्कि अल्लाह तआला उनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता है।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1048)

✧ **साइंसी तौजीह व तहक़ीक़:** माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक सूरज या चाँद का ग्रहणा जाना एक तबई चीज़ और मामूल की बात है। जब चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरम्यान हाइल हो जाये तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म या कम हो जाती है, इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। और जब सूरज और चाँद के दरम्यान ज़मीन हाइल होती है तो चाँद बे नूर हो जाता है और इस मज़हर को चाँद ग्रहण कहा जाता है।

साइंसदानों का इसकी बाबत मज़ीद ये कहना है कि ज़मीन और चाँद ठोस चट्टानों से बने हुये हैं। रोशनी की शुआएँ उनके आर पार नहीं हो सकतीं। ये उस वक़्त रोशन होते हैं जब सूरज की शुआएँ उन पर पड़ती हैं कभी ऐसा होता है कि चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है। इसी तरह सूरज की शुआएँ ज़मीन पर नहीं पहुँच पातीं। ऐसी हालत को सूरज ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के दौरान सूरज का रंग ताँबे की मानिन्द नज़र आता है। उनके मुशाहिदे के मुताबिक़ देखा गया है कि सूरज ग्रहण सिर्फ़ उस दिन लगता है जिससे एक दिन बाद चाँद की पहली तारीख़ होने वाली हो, यानी चाँद नया हो। इसकी वजह ये है कि उस वक़्त चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन के उस निस्फ़ कुर्रे के सामने आ जाता है जिसका रुख़ सूरज की तरफ़ होता है। सूरज ग्रहण मुकम्मल भी होता है और जुज़्वी भी। अगर चाँद सूरज को मुकम्मल तौर पर छिपा ले तो ग्रहण मुकम्मल होगा। लेकिन चाँद हमेशा ज़मीन से यक्सां फ़ासिले पर नहीं रहता। अक्स़र ज़मीन से इतनी दूरी पर होता है कि पूरे सूरज को छिपा लेता है और यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाता है। कुछ औक़ात चाँद ज़मीन से इतनी दूरी पर नहीं होता कि पूरे सूरज को छिपा ले, इसलिये सूरज की कुछ शुआएँ ज़मीन तक पहुँचती रहती हैं और कुछ नहीं पहुँच पातीं। यूँ जुज़्वी सूरज ग्रहण लग जाता है।

चाँद ग्रहण उस वक़्त लगता है जब ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ चाँद उस फ़र्ज़ी ख़त पर आ जाये जो सूरज को ज़मीन से मिला रहा हो। इस सूरत में चाँद को ज़मीन के साये में से गुज़रना पड़ता है और इसे ग्रहण लग जाता है, कभी एक हिस्से को और कभी पूरे चाँद को। अगर चाँद अपनी हरकत के दौरान पूरे का पूरा साये में आ जाये तो मुकम्मल चाँद ग्रहण लगता है लेकिन अगर चाँद का कुछ हिस्सा साये में आये तो जुज़्वी चाँद ग्रहण लगता है। चाँद ग्रहण सिर्फ़ चौदवीं के चाँद या पूरे चाँद ही को लगता है क्योंकि उस वक़्त ये ज़मीन के उस रुख़ पर होता है जो सूरज की तरफ़ नहीं होता। (सवाल ये है, सफ़ा: 20, 21 उर्दू साइंस बोर्ड)

मज़्कूरा तफ़्सील से माहिरीने फ़लकियात की राय बिल्कुल वाज़ेह है। उनके यहाँ शम्स व क़मर का ग्रहणा जाना एक मामूल का कायनाती निज़ाम है जो वक़्तन फ़वक़्तन रू नुमा होता रहता है। ये एक ज़ाहिरी कैफ़ियत और सबब है जिस पर माहिरीने फ़लकियात ने रोशनी डाली है। ऐन मुमकिन है कि ज़ाहिरी सबब यही हो लेकिन इस्लाम ने इसका शरई सबब तख़्वीफ़े इबाद बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस क़िस्म के वाक़िआत को इन्सानों के लिये बाइसे इबरत और नसीहत बनाया है अगरचे इनके पीछे कुछ ज़ाहिरी अस्बाब ज़रूर कारफ़रमा होते हैं। और इन्सान इस क़िस्म के वाक़िआत से वाक़ेई ख़ौफ़ज़दा होता है। ख़ुसुसन वह मुसलमान जिनके अन्दर ईमान की रमक़ होती है ऐसे हालात में संभलने की कोशिश करते हैं, जैसे ज़लज़ला, अगरचे इसका वक़ूअ ज़ेरे ज़मीन किसी सबब या तब्दीली से होता है लेकिन इन्सान दहल जाता है। बारिश के वक़्त शदीद गरज चमक से इन्सान सख़्त ख़ौफ़ महसूस करता है, अगरचे गरज चमक के कुछ अस्बाब होंगे। इसी तरह शदीद आँधी या तूफ़ान के वक़्त भी ख़ौफ़ महसूस होता है, ये अस्बाब जो भी हों रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त ये दुआ फ़रमाया करते थे: **(अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैरहा व ख़ैर माफ़ीहा व ख़ैरमा उर्सिलत बिही, व अऊज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा फ़ीहा व शर्रिमा उर्सिलत बिही) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इसकी भलाई का सवाल करता हूँ और उस चीज़ की भलाई का जो इसमें है और उस चीज़ की भलाई का जिसके साथ इसे भेजा गया है। और मैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ और उस चीज़ के शर से जो इसमें है और उस चीज़ के शर से जिसके साथ इसे भेजा गया है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 899) और आप (ﷺ) से बारिश के नुज़ूल के वक़्त **(अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन) 'अल्लाह इसे नफ़ाबख़्श बारिश बना दे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1032) की दुआ मन्क़ूल है जिससे मालूम होता है कि इस क़िस्म के हालात में इन्सान तबअन घबरा जाता है, लिहाज़ा अस्बाब के इदराक या अदमे इदराक या उनके तअद्दुद से नफ़्से मसला की हैसियत में फ़र्क़ नहीं आता, इसीलिये कुछ उलमा ने कुसूफ़ के अस्बाब की दो क़िस्में बनाई हैं:

(1) हिस्सी (ज़ाहिरी) सबब जैसा कि साइंस दानों की राय है।

(2) शरई सबब, यानी तख़्वीफ़े इबाद (बन्दों को डराना) हदीस में ये वजह बिल वज़ाहत मौजूद है।

ग़र्ज़ माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ फ़िल वाक़ेअ दुरुस्त भी हो तो तख़्वीफ़, यानी डराने के मुनाफ़ी नहीं, अल्लाह वाले, जिनकी इस्लाम से सच्ची वाबस्तगी होती है, इस क़िस्म के मनाज़िर से दहल जाते हैं। उन्हें यक़ीन होता है कि अल्लाह तआला अपनी क़ुदरते कामिला का मुज़ाहिरा करते हुये उन्हें बिला अस्बाब भी बेनूर कर सकता है और उनका ये आरज़ी बे नूर होना मुस्तक़िल बे नूर होने में भी बदल सकता है। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़!

अज़ीम मुहक़्क़िक़ व मुहद्दिस, फ़क़ीह और उसूली इमाम इब्ने दक़ीक़ अलईद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर कोई ये अक़ीदा रखता है कि अहले हिसाब (माहिरीने फ़लकियात) जो (इस हवाले से) ज़िक्र करते हैं वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस फ़रमान: **'उनके ज़रिये से अल्लाह तआला अपने बन्दों को डराता है।'** के मुनाफ़ी है तो ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अल्लाह तआला की क़ुदरत के कुछ मज़ाहिर हस्बे आदत, यानी मामूल के मुताबिक़ होते हैं और कुछ इससे ख़ारिज, यानी ख़िलाफ़े आदत होते हैं और उसकी क़ुदरत हर सबब पर हाकिम (हावी) है, लिहाज़ा वह इख़्तियार रखता है कि हस्बे मन्शा कुछ अस्बाब को मुसब्बिबात (अश्या-चीजों) से जुदा करे, यानी बिला सबब कोई चीज़ वक़ूअ पज़ीर हो जाये, लिहाज़ा जब ये बात (दुरुस्त) साबित हुई तो वह उलमा जो अल्लाह तआला और उसके अफ़आल की मारिफ़त रखते हैं, जिनके दिलों में तौहीद रासिख़ है और उन्हें यक़ीने कामिल है कि ख़र्क़े आदत और बिला अस्बाब वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़िआत अल्लाह तआला की क़ुदरते मुत्लक़ा व कामिला के तहत हैं और वह जो चाहता है करता है, जब कोई अजीब व ग़रीब वाक़िया रू नुमा होता देखते हैं तो उन पर इस क़वी ऐतक़ाद की बिना पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है। और ये इस बात से मानेअ नहीं कि वहाँ कुछ अस्बाब हस्बे आदत कारफ़रमा हों, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़र्क़े आदत उनके वक़ूअ का इरादा करे। देखिये: (एहकामुल अहकाम मअ हाशिया 3/13, व फ़तहुलबारी: 2/537, शरह हदीस: 1048)

अल हासिल: अहले हिसाब जो कुछ (इस हवाले से) ज़िक्र करते हैं अगर फ़िल हक़ीक़त बरहक़ भी हो तो ये तख़्वीफ़े इबाद के मुनाफ़ी नहीं।

शैख़ इब्ने बाज़ (رحمه الله) उनकी इस तहक़ीक़ पर तालीक़ लगाते हुये लिखते हैं: इब्ने दक़ीक़ अल ईद ने यहाँ जो बात कही है उम्दा तहक़ीक है। बहुत से मुहक़्क़िक़ीन ने यही बात कही है जिससे उसकी मुवाफ़िक़त होती है, जैसे शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) और उनके शागिर्दे रशीद (رحمه الله) इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) वग़ैरह। अल्लाह तआला ने आफ़ताब व माहताब के ग्रहणाने को हस्बे मामूल

कुछ अस्बाब के साथ, जिन्हें माहिरीन फ़लकियात समझते हैं, मरबूत किया है। वाक़िआती सूरते हाल भी ऐसी ही है। लेकिन इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि अहले हिसाब अपनी हर बात में दुरुस्त हों बल्कि कभी कभार अपने हिसाब में वह ग़लती करते हैं, लिहाज़ा उनकी तस्दीक़ या तक्ज़ीब दुरुस्त नहीं। जबकि शम्स व क़मर के बे नूर होने से, अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखने वालों के लिये, तख़्वीफ़ हर सूरत में हासिल होती है। वल्लाहु आलम!

इस मौक़े पर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी और दीगर तम्बीहात के साथ साथ अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगने का हुक्म भी दिया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1050) ताकि फ़िक्रे आख़िरत दामनगीर हो कि जिसकी हौलनाकियाँ इस मन्ज़र से कहीं ज़्यादा डरावनी और भयानक होंगी। ग़र्ज़ इस क़िस्म के अहकाम व तर्ग़ीबात से मक़सूद सिर्फ़ रुजू इलल्लाह, गुनाहों से माफ़ी चाहना और इस तरह के मनाज़िर से सबक़ आमूज़ी है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़! अल्लाह तआला फ़रमाता है: **'और हम तो सिर्फ़ डराने के लिये निशानियाँ भेजते हैं।'** (बनी इस्राईल: 17/59)

✧ **नमाज़े कुसूफ़ का हुक्म:** नमाज़े कुसूफ़ की मशरूइयत में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। इख़्तिलाफ़ इसमें है कि आया ये वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर इसे सुन्नते मुअक्कदा क़रार देते हैं। (फ़तहुलबारी: 2/527, वल्फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लाः 2/396 मुअख़्ख़िरुज़्ज़िक्र किताब में इसी पर फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ मन्क़ूल है।)

इमाम नववी (رحمه الله) ने इसकी सुन्नियत पर इज्मा का दावा किया है। वह फ़रमाते हैं: **'उलमा का इस बात पर इज्मा है कि ये सुन्नत है।'** (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 6/282, हदीस: 901)

अल्लामा इब्ने रुश्द (رحمه الله) भी इसकी सुन्नियत पर इत्तेफ़ाक़ का दावा करते हैं, वह लिखते हैं: **'तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सलाते कुसूफ़ सुन्नत है।'** (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/381) और सय्यद साबिक़ (رحمه الله) ने फ़िक़्हुस्सुना में इसे सुन्नते मुअक्कदा क़रार दिया है। (फ़िक़्हुस्सुना: 1/278, तबआ दारूलफ़तह)

मज़्कूरा तसरीहात से यूँ मालूम होता है कि सलाते कुसूफ़ के सुन्नते मुअक्कदा होने पर इत्तेफ़ाक़ है। लेकिन हक़ीक़त ऐसे नहीं क्योंकि इमाम अबू अवाना (رحمه الله) ने अपनी मुसनद में इसके वजूब की तसरीह फ़रमाई है। लिखते हैं: **'नमाज़े कुसूफ़ के वजूब का बयान'** (मुसनद अबी अवाना: 2/92, तबआ दारुल मअरिफ़ा) इसके बाद इमाम अबू अवाना (رحمه الله) ने इसके तहत सेग़-ए-अम्र के साथ मरवी रिवायात दर्ज फ़रमाई हैं। ग़ालिबन यही वजह है कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसे जुम्हूर का मौक़िफ़ तो क़रार दिया है लेकिन मज़्कूरा इज्मा का दावा नहीं किया। वह लिखते हैं: 'जुम्हूर इसके सुन्नते

मुअक्क़दा होने के क़ाइल हैं जबकि इमाम अबू अवाना ने अपनी सही में इसके वजूब की सराहत की है। मेरी नज़र से किसी और की ये राय नहीं गुज़री, हाँ इमाम मालिक (رحمه الله) के हवाले से बयान किया गया है कि उन्होंने इसे जुमे के क़ाइम मक़ाम क़रार दिया है। ज़ैन बिन मुनीर ने इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से नक़ल किया है कि उन्होंने इसे वाजिब कहा है। इसी तरह अहनाफ़ के कुछ मुसन्निफ़ीन ने भी नक़ल किया है कि ये वाजिब है।' (फ़तहुलबारी: 2/527)

इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) की तबवीब (उन्वान) से भी बज़ाहिर लगता है कि वह इसके वजूब के क़ाइल हैं, वह लिखते हैं: **'सूरज और चाँद के ग्रहण ज़दा होने के वक़्त नमाज़ का हुक्म।'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/308, क़ब्ल हदीस: 1370)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने ख़ुज़ैमा का अपनी सहीह में ये उस्लूब मालूम है कि जब उनके यहाँ अम्र अदमे वजूब के लिये होता है तो अपनी किताब के अबवाब में ब्यान कर देते हैं। (तमामुल मिनह, सफ़ा 261)

इमाम नसाई (رحمه الله) ने भी अल्फ़ाज़े हदीस को सामने रखते हुये (बाबुल अम्रि बिस्सलात इन्दा कुसूफ़िश्शम्स) का उन्वान क़ाइम किया है। (सुनन नसाई, हदीस: 1462)

इमाम शौकानी (رحمه الله) का रुझान भी वजूब का है। दो टूक बात करते हुये लिखते हैं: 'फिर आप को ये भी जानना चाहिए कि यहाँ नमाज़े कुसूफ़ में (रसूलुल्लाह (ﷺ) का) फ़ेअल और क़ौल दोनों जमा हो गये हैं। (नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी भी है और हुक्म भी दिया है) इन अहकाम में से आपका ये क़ौल भी है: **'बेशक शम्स व क़मर अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी की मौत व हयात की वजह से बे नूर नहीं होते, लिहाज़ा तुम उन्हें जब इस हालत में देखो तो फ़ौरन मसाजिद की तरफ़ लपको।'** एक रिवायत में है: **'नमाज़ पढ़ो और दुआएँ करो।'** (इन दलाइल से) बज़ाहिर ये मालूम होता है कि नमाज़े कुसूफ़ वाजिब है लेकिन इसके अदमे वजूब पर जो इज्मा का दावा किया गया है अगर दुरुस्त है तो वजूब से ये क़रीन-ए-सारिफ़ा होगा,वरना नहीं। (अस्सैलुल जर्रार: 1/649, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही)

मुलाहिज़ा: याद रहे! इमाम शौकानी (رحمه الله) का शुरू में मौक़िफ़ इसकी सुन्नियत का था जैसा कि अद्दुररुल बहिय्या और इसकी शरह अद्दिरारिल मज़िय्या (सफ़ा: 97) में है।

अद्दिरारिल मज़िय्या में व हिया सुन्नतुन की वजह बयान करते हुये लिखते हैं: इस वजह से कि कोई ऐसी दलील मन्क़ूल नहीं जो वजूब का फ़ायदा देती हो, और मुजर्रद फ़ेअल किसी मफ़ऊल (अमल) के मस्नून होने के सिवा मज़ीद किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता। देखिये: (अरौज़तुन्नदिया: 1/410,

बतालीक़ अल्बानी, अद्दिरारिल मज़िय्या, स़फ़ा 97) जबकि बाद में इस मौक़िफ़ से रुजू कर लिया, इसलिये अपनी माया-ए-नाज़ किताब अस्सैलुल जर्रार अलाहदाइ-क़िल अज़्हार में नमाज़े कुसूफ़ के वजूब का रुझान ज़ाहिर करते हैं। वल्लाहु आलम!

मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (ﷺ) लिखते हैं: **'फ़क़त सुन्नियत के क़ौल से बहुत से ऐसे अवामिर का तर्क लाज़िम आता है जो रसूलुल्लाह ( ) से इस नमाज़ के मुताल्लिक़ वारिद हैं जबकि इन अवामिर की अस़ली दलालत, यानी वजूब से फिरने वाला कोई क़रीना भी मौजूद नहीं ....'** (तमामुलमिना, स़फ़्ा 262)

✧ **राजेह मौक़िफ़:** जहाँ तक तमाम अइम्मा व उलमा के इज्मा की बात है तो ये क़ौल महल्ले नज़र है, वरना उनसे इख़्तिलाफ़ किसी सूरत जायज़ न होता, लिहाज़ा फ़रीक़े स़ानी को दलाइल की रोशनी में इख़्तिलाफ़ का हक़ है जैसा कि गुज़िश्ता नुक़ूल से ज़ाहिर होता है। बहरहाल अगर उलमा की इस कस़ीर तादाद की राय के मुताबिक़ इसे वाजिब न भी कहा जाये तब भी इससे अमली बे ऐतनाई दुरुस्त नहीं, जैसा राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ नमाज़े वित्र और फ़ज्र की दो सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इसके बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िन्दगी भर उनका तर्क स़ाबित नहीं, सफ़र में, न हज़र में। और न उमूमन उलमा-ए-किराम इनके तर्क की इजाज़त ही देते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि सब सुनन की हैस़ियत यक्सां नहीं होती। इसी तरह नमाज़े कुसूफ़ को ये एहतिमाम देना चाहिए।

ग़ौर फ़रमायें! इस मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की शदीद घबराहट और ख़ौफ़, फिर ये मन्ज़र देखते ही फ़ौरन अस़्स़लातु जामिआ का ऐलान, फिर उसी लम्हे मस्जिद की तरफ़ जाना, बिला इम्तियाज़ हर मर्द औरत को इस नमाज़ का हुक्म देना, इस मौक़े पर ख़ुसूस़ियत के साथ तकबीर व तहलील, तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र अज़्कार, ग़ुलाम आज़ाद करने और स़दक़े का हुक्म देना, और नमाज़ में इतना तवील क़याम व सुजूद वग़ैरह कि कुछ का ग़शी खा कर गिर जाना, बाद में रिक़्क़त आमेज़ ख़ुत्बा और वाज़ व नस़ीहत, फिर नमाज़ में पेश आमदा जन्नत के पुर लुत्फ़ और दोज़ख़ के भयानक मनाज़िर का तज़्किरा और इस मौक़े पर तर्ग़ीब व तरहीब का ख़ास़ एहतिमाम, ग़र्ज़ ये सब क़राइन इस बात की ग़म्माज़ी करते हैं कि इस नमाज़ का हुक्म आम ताकीदी सुनन व नवाफ़िल का नहीं बल्कि इसे मज़ीद एहतिमाम हास़िल है। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा:** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ दो रकअत पढ़ी है। इस पर उलमा का इत्तेफ़ाक़ है। (स़हीह फ़िक़्हा अस्सुना अज़ अबू मालिक कमाल: 1/435) लेकिन कैफ़ियत में इख़्तिलाफ़ है इसके मुताल्लिक़ दो राय हैं। एक राय जुम्हूर उलमा की है और दलाइल की रोशनी में यही

राजेह है। दूसरी राय इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) वग़ैरह की है। सही अहादीस़ की रू से ये राय मर्जूह और नाक़ाबिले अ़मल है। इसकी क़द्रे तफ़्सील कुछ इस तरह है:

(1) हजरत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाते हैं, 'रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ (बा'जमाअ़त) पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़रा के बराबर लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर (अपना सर) उठाया और लम्बा क़याम जो पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। फिर आपने सज्दा किया, फिर लम्बा क़याम किया जो पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने अपना सर उठाया और पहले क़याम की निस्बत कम लेकिन लम्बा क़याम किया, फिर आपने लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने सज्दे किये और सलाम फेरा, जबकि सूरज साफ़ हो चुका था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 1052, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 907) 'फिर आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया जिसमें ज़िक्रे इलाही का हुक्म दिया, जन्नत व जहन्नम का तज़्किरा किया और उसके मनाज़िर बयान फ़रमाये।' (हवाला मज़्कूर)

(2) हज़रत आ़यशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: 'जिस रोज़ सूरज ग्रहण लगा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। आप खड़े हुये और तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने लम्बा क़िराअत की, फिर लम्बा रुकू किया, फिर आपने अपना सर उठाया और समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर पहले की तरह लम्बा क़याम किया और लम्बी क़िराअत की लेकिन पहली क़िराअत से कम थी, फिर लम्बा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कम था, फिर आपने लम्बे सज्दे किये, फिर आपने दूसरी रकअ़त में भी ऐसे ही किया, बाद में सलाम फेरा .....' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 1047, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 901)

(3) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) नमज़े कुसूफ़ का चश्मदीद वाक़िया बयान करते हुये फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में शदीद गर्मी के मौसम में सूरज ग्रहणा गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने सहाब-ए-किराम (ﷺ) को नमाज़ पढ़ाने का इरादा किया। आपने (तकबीरे तहरीमा के बाद) लम्बा क़याम किया यहाँ तक कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) (तवील क़याम और शदीद गर्मी की वजह से) गिरने लगे, फिर आपने लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर आपने दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और (इस दूसरी रकअ़त में भी) इसी तरह किया, लिहाज़ा इस तरह (दो रकअ़तों में) चार रुकू और चार सज्दे हुये ....' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 904)

ऊपर ज़िक्र की गई और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस़ की रोशनी में इस नमाज़ का ख़ुलासा

मन्दरजा ज़ेल है। (1) सबसे पहले तकबीरे तहरीमा कहना, फिर दुआ-ए-इस्तेफ़ताह, उसके बाद तअव्वुज़ व तस्मिया, सूर-ए-फ़ातिमा का पढ़ना और इसके बाद लम्बी जहरी क़िराअत। (2) फिर लम्बा रुकू करना। (3) बाद में रुकू से सर उठा कर समिअल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्दु कहना। (4) उसके बाद सज्दा नहीं बल्कि दोबारा हालते क़याम में जहरी क़िराअत करना लेकिन पहली क़िराअत से कम हो। (5) फिर दूसरा रुकू करना लेकिन पहले रुकू से कम हो। (6) उसके बाद रुकू से सर उठाना और समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु कहना (7) फिर सज्दा करना, और दो सज्दों के बीच एतदाल के बाद दूसरा सज्दा करना। (8) फिर दूसरी रकअत के लिये उठना और इसमें वही आमाल करना जो पहली रकअत के तहत बयान हुये। (मज़ीद तहक़ीक़ व तफ़्सील के लिये सिफ़तु सलातिन्नबी लिस़लातिल कुसूफ़ लिल अल्बानी, का मुताला अज़ हद मुनासिब है।)

तम्बीह: कुछ उलमा दूसरे क़याम में भी फ़ातिहा को लाज़मी क़रार देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसकी तस़रीह नहीं मिलती बल्कि सिर्फ़ क़िराअत ही का ज़िक्र मिलता है क्योंकि ये एक ही रकअत का तस्लसुल है, इसलिए दूसरे क़याम में क़िराअते कुर्आन ही काफ़ी है, अज़ सरे नौ फ़ातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु आलम!

नमाज़े कुसूफ़ का मज़्कूरा तरीक़ा (एक रकअत में दो रुकूओं के साथ) ही असह्ह (ज्यादा सही) है। इसे इब्ने अब्बास, आयशा और जाबिर (رضي الله عنه) के अलावा कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(رضي الله عنهم) भी नक़ल करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस भी हैं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये शैख़ अल्बानी(رحمه الله) की सिफ़तु सलातिन्नबी लिस़लातिल कुसूफ़ देख ली जाये।)

इमाम इब्ने अब्दुलबर्र (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इस मसले में ये तरीक़ा सही तरीन है।'** (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/283) मज़ीद लिखते हैं: **'और बाक़ी (तमाम) मुख़ालिफ़ रिवायात ज़ईफ़ और मालूल हैं।'** (हवाल-ए-मज़्कूर) इसकी मज़ीद वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आयेगी। व बिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ **दूसरी राय:** ये नमाज़ दो रकअत है और आम नवाफ़िल की तरह इसकी अदायगी होगी। ये राय इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) वग़ैरह की है। उनकी राय के मुताबिक़ हर रकअत में एक रुकू और आम मामूल की किराअत होगी। ये मौक़िफ़ मज़्कूरा और इस मफ़हूम की दीगर सही रिवायात के बरअक्स है। इस मौक़िफ़ के हामिलीन के दलाइल दर्ज ज़ेल हैं:

(1) नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सूरज ग्रहण लगा तो आप दो दो रकअतें पढ़ने लगे और सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ़्त फ़रमाते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो गया।

वज़ाहत: मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में अबू क़िलाबा हैं जिनका नौमान बिन बशीर (ﷺ) से सिमाअ नहीं है। इमाम बैहक़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'ये हदीस़ मुर्सल है। अबू क़िलाबा ने नौमान बिन बशीर (ﷺ) से ये हदीस़ नहीं सुनी। उन्होंने ये रिवायत किसी आदमी के वास्ते से हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से बयान की है।'** (अस्सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/333)

ये रिवायत सुनन नसाई वग़ैरह में भी आई है जिसके ये अल्फ़ाज़ हैं: **'जब तुम ये सूरते हाल देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने (अबसे पहले) पढ़ी है (यानी फ़ज्र की नमाज़)'** (सुनन नसाई, अल कुसूफ़, हदीस़: 1486, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1262) शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिफ़तु स़लातिन्नबी लिस़लातिल कुसूफ़, स़फ़ा: 76-86)

(2) दूसरी दलील अबू बक्रा (ﷺ) की हदीस़ है, फ़रमाते हैं: **'रसूलुल्लाह ( ) के अहदे मुबारक में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादरे मुबारक घसीटते हुये निकले, यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँच गये। लोग भी आपकी तरफ़ उमड़ आये और आपने उन्हें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई ......'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1063)

सुनन नसाई में मज़ीद ये इज़ाफ़ा है: **'तो आपने इस तरह दो रकअत अदा फ़रमाईं जैसे वह पढ़ते थे।'** (सुनन नसाई, हदीस़: 1503) उनका कहना है कि यहाँ मुत्लक़ नमाज़ का ज़िक्र है। इसमें दीगर रिवायात की तरह दो रुकूओं वग़ैरह का ज़िक्र नहीं। जिससे पता चला कि ये आम दो रकअत नमाज़ की तरह है। लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि हदीस़ मुज्मल है। बाक़ी कस़ीर रिवायात स़रीह हैं। उस़ूली तौर पर मुज्मल रिवायत को मुफ़स्स़ल पर महमूल किया जाता है न कि उसे दीगर अहादीस़े स़रीहा के मुआरिज़ बनाया जाता है। इमाम बैहक़ी (ﷺ) इसकी तौज़ीह यूँ करते हैं: **'यानी उनका मक़स़द दो ऐसी रकअतें हैं जिनमें हर रकअत में दो रुकू हैं।'** (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/332)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) लिखते हैं: इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम बैहक़ी ने इसे इस मानी पर महमूल किया है कि जैसे तुम नमाज़े कुसूफ़ पढ़ते हो क्योंकि अबू बक्रा (ﷺ) ने अपने इस कलाम से अहले बस़रा से ख़िताब किया है। जबकि पहले इब्ने अब्बास (ﷺ) उन्हें ये तालीम दे चुके थे इसकी दो रकअतें हैं और हर रकअत में दो रुकू होते हैं जैसा कि इमाम शाफ़ेई (ﷺ) और इमाम इब्ने अबी शैबा वग़ैरह ने ये नक़ल किया है। (फ़तहुलबारी: 2/527)

शैख़ अल्बानी (ﷺ) इसके मुतबादिर और सियाक़ के मुताबिक़ दुरुस्त मानी बयान करते हुये फ़रमाते हैं: **'क्योंकि इसके मानी ये हैं कि आप (ﷺ) ने इस तरह दो रकअतें अदा कीं जैसे तुम (अहले बस़रा) सूरज और चाँद ग्रहण में पढ़ते हो।'** (स़िफ़तु स़लातिल कुसूफ़, स़फ़ा:63)

ग़र्ज़ बिल्कुल वाज़ेह और स़रीह रिवायात की मौजूदगी में मुज्मल और ग़ैर स़रीह रिवायत को बुनियाद बनाना यक़ीनन क़यास और उसूल के ख़िलाफ़ है। इस तरह से तफ़्स़ीली अहादीस़ का तर्क लाज़िम आता है जिसका सबब कुछ मख़्सूस़ ख़ुद साख़्ता फ़िक्ही उसूल व ज़वाबित हैं। मज़ीद ये कि इसी हदीस़ में एक ऐसा इशारा भी मिलता है जिससे जुम्हूर के मौक़िफ़ की ताईद होती है। वह ये कि जिस ग्रहण का इस हदीस़ में ज़िक्र है, वह वही है जो आपके बेटे इब्राहीम (ﷺ) की वफ़ात पर लगा। हदीस़ में है: **'उसकी वजह ये थी कि नबी (ﷺ) का बेटा जिसे इब्राहीम कहा जाता था, वह फ़ौत हुआ था।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1063) और आपके बेटे की वफ़ात के वक़्त ग्रहण की जो नमाज़ अदा की गई, उसकी बाबत अक्स़र और अस़हह् (ज़्यादा स़ही) रिवायात में सिर्फ़ दो रुकूओं का ज़िक्र है। और इस हदीस़ में भी उसी नमाज़ का ज़िक्र है लेकिन यहाँ वह मुज्मल है जिससे मालूम होता है कि ये एक ही वाक़िये से मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ मुज्मल और मुख़्तस़र हैं जबकि अक्स़र मुफ़स़्स़ल और स़रीह।

(3) तीसरी दलील समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) की वह हदीस़ है जो स़अलबा बिन अब्बाद अल अब्दी के वास्ते से मरवी है। इसी में हर एक रकअत में एक रुकू का ज़िक्र है और ये कि क़िराअत भी सुनाई नहीं देती थी। तफ़्स़ील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1184) अगरचे कुछ ने इसकी सनद हसन क़रार दी है लेकिन ये ज़ईफ़ है। इसकी सनद में स़अलबा बिन अब्बाद मज्हूल रावी है। इससे सिर्फ़ अस्वद बिन क़ैस ही रिवायत करता है। अली बिन मदीनी के बक़ौल अस्वद, मजहूल रावियों से रिवायत करता है। इमाम इब्ने हज़्म (ﷺ) ने भी स़अ्लबा को मज्हूल कहा है। देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/371) शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने उसे स़अ्लबा की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स़्स़ल), हदीस़: 216, व सिफ़तु स़लातिन्नबी लिस़्स़लातिल कुसूफ़, स़फ़ा: 87-92, लिलअल्बानी, मज़ीद देखिये: अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/193)

बिलफ़र्ज़ अगर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत मान भी लिया जाये, तब भी फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के लिये क़ाबिले इस्तेनाद नहीं बनती क्योंकि दीगर अहादीस़ की रोशनी में इसकी दुरुस्त तौजीह मुमकिन है। वह इस तरह कि हज़रत समुरा (ﷺ) का ये फ़रमाना कि **'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे'** इसका ये मतलब नहीं कि आपने बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाअ की नफ़ी की है कि इज्तेमा इतना ज़यादा था और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई न देती थी, लिहाज़ा इससे

जहरी क़िराअत की नफ़ी नहीं होती बल्कि ग़ौर किया जाये तो जहरी क़िराअत का इस्बात होता है। सानियन: इस रिवायत में जो सिर्फ़ एक रुकू और एक सज्दे का ज़िक्र है, वह इसलिये कि ये रिवायत मुख़्तसर है। मक़सद रुकू और सज्दे की तवालत का इज़्हार है न कि तादाद का बयान, हक़ीक़तन दो रुकू और दो सज्दे थे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात में सराहतन ज़िक्र है। वरना एक सज्दे का तो कोई भी क़ाइल नहीं। वल्लाहु आलम! (मज़ीद देखिये: फ़वाइद सुनन नसाई, हदीस: 1485) बहरहाल इस मफ़हूम की दीगर रिवायात की भी यही तौजीह व तत्बीक़ होगी।

अल हासिल: असहह और अक्सर रिवायात की रोशनी में मज़्कूरा मौक़िफ़ के हामिलीन की बात मर्जूह है। नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा आम नमाज़ों का तरीक़ा नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा भी है। इसकी दो रकआत हैं। हर एक रकअत में दो रुकू और लम्बी क़िराअत है। दूसरी रकअत में भी दो रुकू लेकिन निस्बतन पहले रुकूओं से कम। और यही हाल दूसरी रकअत की क़िराअत का है। वल्लाहु आलम!

✧ **अहादीस में मज़्कूर नमाज़े कुसूफ़ की दीगर कैफ़ियात:** अहादीस में नमाज़े कुसूफ़ की मज़्कूरा दो कैफ़ियात के अलावा कुछ और कैफ़ियात भी मिलती हैं, नीचे उनका ज़िक्र किया जाता है। बाद में उन पर बहस करके राजेह पहलू की निशानदेही की जायेगी।

(1) हर रकअत में तीन रुकू और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत सहीह मुस्लिम (अल कुसूफ़, हदीस: 901) वग़ैरह में है। मज़ीद देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1177)

(2) हर एक रकअत में चार चार रुकू और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत भी सहीह मुस्लिम (अल कुसूफ़, हदीस: 908, 909) में है। सुनन अबू दाऊद में भी आती है। देखिये किताब अल कुसूफ़, हदीस: 1183.

(3) उबय बिन कअब (ﷺ) के हवाले से जो हदीस मरवी है, इसमें हर रकअत में पाँच पाँच रुकूओं का ज़िक्र है। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इसकी सनद में अबू जाफ़र, सीउल्हिज़ है। इमाम ज़हबी (رحمه الله) ने उसे 'मुन्कर ख़बर' क़रार दिया है, और इसकी सनद में मौजूद अबू जाफ़र को 'लीन' कहा है। (अल मुस्तदरक लिल हाकिम मअत्तल्ख़ीस: 1/481, व सुबुलुस्सलाम बितअ्लीक़िल अल्बानी: 2/233)

(4) ये भी है कि पहले दो रकअतें पढ़ी जायें, फिर सलाम फेर लिया जाये, फिर और दो रकअतें पढ़ी जायें यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो जाये। (मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/372, हदीस: 1496)

✧ **मसले का हल:** नमाज़े कुसूफ़ के मज़्कूरा तरीक़े जो अहादीस में मज़्कूर हैं उनकी बाबत पहली राय जमा व तत्बीक़ की है, यानी तअद्दुदे रिवायात को तअद्दुदे वाक़िया पर महमूल किया जाये। ख़ुसूसन तीन तीन और चार चार रुकू वाली रिवायात जो कि मुस्लिम वग़ैरह में हैं। उनके पेशे नज़र ये

मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ मुतअद्दिद बार पढ़ी हो। कभी दो, कभी तीन, कभी चार और कभी पाँच रुकूओं के साथ, लिहाज़ा हामिलीने मौक़िफ़े हाजा के नज़दीक तअद्दुदे कुसूफ़ की वजह से ये सब तरीक़े जायज़ हैं।

ये मौक़िफ़ मुहद्दिसीन वग़ैरह की एक जमाअत का है जिनमें इस्हाक़ बिन राहवे, मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन ख़ुज़ैमा, अबू बक्र बिन इस्हाक़ ज़बई, इमाम ख़त्ताबी, इब्ने जरीर और इब्ने मुन्ज़िर(رحمهم الله) वग़ैरह शामिल हैं। इमाम नववी ने इसी मौक़िफ़ को क़वी क़रार दिया है। (ज़ादुल मआद: 1/455, व फ़तहुलबारी: 2/532, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 901, व सुबुलुस्सलाम: 2/234) इब्ने रुश्द ने भी इसी मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/384) इमाम इब्ने हज़्म ने भी इसी का इस्बात किया है। (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/95-105, व मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/372)

✧ **दूसरी राय:** जुम्हूर अहले इल्म की राय तर्जीह की है क्योंकि बेश्तर और असहह रिवायात में नमाज़े कुसूफ़ की हर एक रकअत में दो रुकूओं का ज़िक्र है। गोया दो रकआत कुल चार रुकूओं के साथ अदा की जायेंगी क्योंकि इस मफ़हूम की रिवायात मुत्तफ़क़ अलैहि हैं। और जिन रिवायात में तीन और चार रुकूओं का ज़िक्र है, उनमें कुछ रुवात को वहम लाहिक़ हुआ है, लिहाज़ा ज़्यादा महफ़ूज़ दो रुकूओं वाली रिवायात ही हैं। और पाँच और एक रुकू वाली रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा नमाज़े कुसूफ़ की इन मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात को तअद्दुदे वाक़िया पर महमूल नहीं किया जायेगा क्योंकि इस मसले की बाबत मन्क़ूल अक्सर और असहह रिवायात में सराहत है कि आपने ये नमाज़ अपने लख़्ते जिगर इब्राहीम (ﷺ) की वफ़ात के मौक़े पर अदा फ़रमाई थी और इसी दिन सूरज को ग्रहण लगा था। जब ये तमाम रिवायात एक ही वाक़िये से मुताल्लिक़ हैं तो तअद्दुदे कुसूफ़ का वक़ूअ कैसे?

इमाम इब्ने अब्दुल बर्र जुम्हूर के मौक़िफ़ को तर्जीह देते हुये फ़रमाते हैं: '**इस मसले में सही तरीन हदीस इब्ने अब्बास और आयशा ( ) की है, जिसमें चार रुकूओं और चार सज्दों का ज़िक्र है।**' यानी हर रकअत में दो रुकूओं वाली अहादीस। (अत्तम्हीद: 3/314) इब्ने अब्दुलबर्र(رحمه الله) मज़ीद लिखते हैं कि दीगर मुख़ालिफ़ रिवायात मालूल और ज़ईफ़ हैं। (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, शरह हदीस: 901)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) तीन तीन और चार चार रुकूओं वाली रिवायात के मुताल्लिक़ लिखते हैं: '**इस क़िस्म की रिवायात को माहिरीने अहले इल्म ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। इनका कहना है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ी है और ये वह दिन था जब आप का लख़्ते जिगर इब्राहीम फ़ौत हुए। और नफ़्स उन्ही अहादीस में,**

जिनमें तीन और चार रुकूओं का ज़िक्र है, ये बात भी मौजूद है कि आपने ये नमाज़ उस दिन पढ़ी थी जिस दिन आपका बेटा इब्राहीम फ़ौत हूए। और ये मालूम है कि इब्राहीम को दो दफ़ा मौत नहीं आई और न आपके दो इब्राहीम थे (कि जिससे तअद्दुदे कुसूफ़ का इस्तेदलाल मुमकिन हो)' (मज्मूअ अल फ़तावा: 18/18, 19)

मज़ीद फ़रमाते हैं कि दो रुकूओं वाली अहादीस़ तवातुर से स़ाबित हैं। उनके बक़ौल इमाम शाफ़ेई वग़ैरह ने तीन और चार रुकूओं वाली रिवायात को ज़ईफ़ क़रार दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) का असहह क़ौल भी यही है। इमाम अहमद (رحمه الله) मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात वाली रिवायात के क़ाइल थे लेकिन जब उनका ज़ुअफ़ वाज़ेह हो गया तो साबिक़ा मौक़िफ़ से रुजूअ फ़रमा लिया। तफ़्स़ील के लिये देखिये: (मज्मूउल फ़तावा: 18/18)

इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी और इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) जैसे किबारे अइम्मा इन रिवायात की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज़्यादा रुकू करने का ज़िक्र है, तस्हीह नहीं करते और उसे (कुछ रावियों की) ग़लती क़रार देते हैं।' (ज़ादुल मआद: 1/453) मज़ीद देखिये: (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/327, 328)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: दो से ज़्यादा रुकूओं की रिवायात भी दूसरे तरीक़ से मन्क़ूल हैं। मुस्लिम में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से एक तरीक़ में और हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से एक दूसरे तरीक़ में मन्क़ूल है कि हर रकअत में तीन रुकू हैं। मुस्लिम ही में हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से एक तरीक़ में, हर रकअत में चार रुकूओं का ज़िक्र है। अबू दाऊद में उबय बिन कअब और मुसनद बज़्ज़ार में हज़रत अली (رضي الله عنه) की हदीस़ में हर रकअत में पाँच रुकूओं का ज़िक्र है लेकिन इनमें से कोई सनद भी इल्लत से ख़ाली नहीं। इमाम बैहक़ी और इब्ने अब्दुल बर्र ने इसकी तौज़ीह फ़रमाई है। इब्ने क़य्यिम ने इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम बुख़ारी (رحمه الله) से नक़ल किया है कि ये अइम्मा हर रकअत में दो रुकूओं वाली रिवायात पर इज़ाफ़े को कुछ रावियों की ग़लती तसव्वुर करते थे क्योंकि अक्सर तुरुके हदीस़ को एक दूसरे की तरफ़ लौटाना मुमकिन है। और ये सब तुरुक़ इस बात पर मुज्तमेअ हो सकते हैं कि ये वाक़िया उस दिन पेश आया जब आपके बेटे इब्राहीम की वफ़ात हूई, लिहाज़ा जब क़िस्सा एक है तो राजेह बात को इख़्तियार करना ज़रूरी है।' (फ़तहुल बारी: 2/532, शरह हदीस़: 1044)

साहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा सनआनी फ़रमाते हैं: 'लेकिन तहक़ीक़ ये है कि तमाम रिवायात एक ही वाक़िये की हिकायत करती है और वह नबी (ﷺ) का इब्राहीम के यौमे वफ़ात के मौक़े पर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ना है।' (सुबुलुस्सलाम बितअ्लीक़िल अल्बानी: 2/235)

अल्लामा शौकानी (رحمه الله) लिखते हैं: 'जब आपके लिये ये साबित हो चुका कि इन अहादीस का मख़रज मुत्तफ़िक़ है और क़िस्सा भी एक है तो आपको ये मालूम होना चाहिये कि यहाँ वह बात कहना दुरुस्त नहीं जो नमाज़े ख़ौफ़ के मुताल्लिक़ कही गई है कि नमाज़े ख़ौफ़ की मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात में से जिसे भी चाहे इख़्तियार कर ले। बल्कि यहाँ जो लायक़े अ़मल चीज़ है वह ये है कि जो सही तरीन हदीस वारिद है उसे इख़्तियार किया जाये, और वह हर रकअ़त में दो रुकूओं वाली हदीस है क्योंकि इस क़िस्म की रिवायात के बीच जमा व तत्बीक़ बेहद तकल्लुफ़ है।' (अस्सैलुल जर्रार: 1/648, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही)

अनवर शाह कशमीरी ने फ़ैज़ुल बारी में इस मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/372)

शैख़ अहमद शाकिर मिस्री (رحمه الله) की भी यही तहक़ीक़ है। यहाँ उनका कुछ कलाम नक़ल करना मौज़ूं मालूम होता है, वह मुहल्ली इब्ने हज़्म के हाशिये में लिखते हैं: मैंने बड़ी कोशिश की है कि माहिरीने फ़लकियात में से कोई हमारे सामने दक़ीक़ हिसाब व किताब से इन कुसूफ़ात को पेश करे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मदीने में मुद्दते क़याम के दौरान में पेश आये और मदीने में उनकी रूयत भी मुमकिन हो। मैंने कुछ हज़रात से इसका बार बार मुतालबा भी किया लेकिन इसमें, मैं कामयाब नहीं हो सका। हाँ मुझे मरहूम महमूद पाशा फ़लकी का एक छोटा सा रिसाला मिला जिसका नाम 'नताइजुल अहकाम फ़ी तक़वीमिल अ़रब क़ब्लल इस्लाम' था। उन्होंने ये फ़्राँसी ज़बान में तालीफ़ किया था। अ़ल्लामा अहमद ज़की पाशा ने इसका अ़रबी में तर्जुमा कर दिया जो 1305 हिजरी में बूलाक़ के तहत तबअ़ हुआ। उन्होंने इसमें इस सूरज ग्रहण का बड़ी बारीक बीनी से हिसाब लगाया जो 10 हिजरी में पेश आया। ये वही दिन है जिसमें आपके बेटे इब्राहीम (رضي الله عنه) वफ़ात पा गये थे।

इससे वाज़ेह हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बरोज़े सोमवार 29 शव्वाल सन 10 हिजरी बमुताबिक़ 27 जनवरी 632 ई. को सुबह साढ़े आठ बजे सूरज को ग्रहण लगा ..... शायद इस बहस व तहक़ीक़ से किसी माहिरे फ़लकियात को इस की रहनुमाई मिले कि इब्तेदाई दस सालों में, यानी 1 हिजरी से लेकर आपकी वफ़ात तक कितनी दफ़ा मदीना में कुसूफ़ पेश आया ....

जब हिसाब व किताब से इस मुद्दत के दौरान में वाक़ेअ़ होने वाले कुसूफ़ात की गिनती मालूम हो जायेगी तो दोनों मस्लकों में से किसी एक मस्लक की सेहत की तहक़ीक़ भी मुमकिन होगी कि रिवायात को तअ़द्दुदे वाक़ियात पर महमूल किया जाये या उस रिवायत को तर्जीह दी जाये जिसमें हर रकअ़त में दो रुकूओं का ज़िक्र है। जबकि मेरा इस तरफ़ शदीद रुझान है कि नमाज़े कुसूफ़ सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ी गई है। महमूद पाशा फ़लकी के रिसाले से हमें ये भी मालूम हुआ कि मदीने में बरोज़ बुध 14 जुमादिस्सानी 4 हिजरी बमुताबिक़ 20 नवम्बर 625 ई. को चाँद ग्रहण भी लगा है लेकिन कोई ऐसी दलील मन्क़ूल नहीं जिससे ये पता चलता हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिए जमा किया था।

इसकी मज़ीद ताईद इस बात से भी होती है कि जो अहादीस़ नमाज़े कुसूफ़ के बारे में मन्क़ूल हैं उनके सियाक़ से ज़ाहिर होता है कि ये नमाज़ पहली दफ़ा ही पढ़ी गई थी। सहाब-ए-किराम (ﷺ) को इस बात का इल्म नहीं था कि इस मौक़े पर आप (ﷺ) क्या करेंगे। उनका गुमान ये था कि ये इब्राहीम (ﷺ) की वफ़ात की वजह से हुआ। इब्राहीम और रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात का दौरानिया तक़रीबन साढ़े चार माह का दौरानिया है। अगर इसके बाद भी कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया होता और सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने वह नमाज़ पढ़ी होती तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये वाक़िया और ख़बर नक़ल होती क्योंकि नक़ल व रिवायत के अस्बाब भी बकस़रत थे जैसा कि उन्होंने इससे क़ब्ल इस वाक़िये को कसीर इस्नाद से नक़ल फ़रमाया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब! (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/104, 105 तबअ दारुल जैल) साहिबे मिर्आतुल मफ़ातीह ने भी इस मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/373)

मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) अपनी तहक़ीक़ का ख़ुलासा ज़िक्र करते हुये फ़रमाते हैं: 'नमाज़े कुसूफ़ का ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके मुताल्लिक़ सही और साबित सिर्फ़ हर रकअत में दो रुकू हैं। यही असहूह कुतुब, यानी सहीह बुख़ारी और सही तरीन तुरुक़ व रिवायात में सहाब-ए-किराम (ﷺ) की एक जमाअत से मन्क़ूल है। इसके सिवा जो कुछ मन्क़ूल है वह या तो ज़ईफ़ है या शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत।' (इर्वाउल ग़लील: 3/132) और अपनी किताब सिफ़तु सलातिन्नबी ..सलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 104 में लिखते हैं: '(कुसूफ़ की नमाज़ का वाक़िया एक ही है) मैं कहता हूँ इसी मौक़िफ़ को मुतक़द्दिमीन और दौरे हाज़िर के फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन ने इख़्तियार किया है ......'

✧ **ख़ुलास-ए-बहस:** इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ हस्बे इम्कान तमाम रिवायात का जायज़ा लेने से यही ज़ाहिर हुआ कि नमाज़े कुसूफ़ का वाक़िया एक ही दफ़ा पेश आया है। जिसकी तफ़्सील मुहद्दिसुल अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की किताब सिफ़तु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ़ में मुलाहिज़ा की जा सकती है जिसमें उन्होंने इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात जमा करके उन पर नाक़िदाना बहस की है। ये मुतअद्दिद रिवायात 21 सहाब-ए-किराम (ﷺ) से मरवी हैं। जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं:

(1) अबू बक्रा **(2)** अबू मसऊद अन्सारी **(3)** अबू मूसा अशअरी **(4)** अबू हुरैरह **(5)** उबय बिन कअब **(6)** अस्मा बिन्ते अबी बक्र **(7)** उम्मे सुफ़ियान **(8)** बिलाल **(9)** जाबिर बिन अब्दुल्लाह **(10)** हुज़ैफ़ा बिन यमान **(11)** समुरा बिन जुन्दुब **(12)** आयशा **(13)** अब्दुल्लाह बिन अब्बास **(14)** अब्दुल्लाह बिन उमर **(15)** अब्दुल्लाह बिन अम्र **(16)** अब्दुल्लाह बिन मसऊद **(17)** अब्दुर्रहमान बिन समुरा **(18)** अली बिन अबी तालिब **(19)** महमूद बिन लबीद **(20)** मुग़ीरा बिन शोबा **(21)** नौमान बिन बशीर ..... (ﷺ)...

✧ **इश्काल:** अगर तारीख़ी तौर पर अहदे नबवी में मुतअद्दिद बार कुसूफ़ का इस्बात होता जैसा कि बक़ौल महमूद पाशा फ़लकी मदीना में बरोज़ बुध 14 जुमादी सानिया 4 हिजरी बमुताबिक़ 20 नवम्बर 625 ई. को भी चाँद बेनूर हुआ और बरोज़ सोमवार 29 शव्वाल सन 4 हिजरी 27 जनवरी 632 को भी, और सय्यद सुलेमान मनसूरपूरी की तहक़ीक़ के पेशे नज़र अहदे नबुवत, यानी अर्सा 23 साल में 19 मर्तबा कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97), तो क्या ये तत्बीक़ देना मुनासिब नहीं कि तअद्दुदे कुसूफ़ की वजह से नमाज़े कुसूफ़ पढ़ने का वाक़िया भी बार बार पेश आया हो? ताकि तमाम रिवायात मामूल बिही रहें, यक़ीनन ब'निस्बत तर्जीह व तक़दीम के तमाम रिवायात को अमल में लाना ही औला है। बल्कि जहाँ तक हो सके तत्बीक़ ही की कोशिश की जानी चाहिए जैसा कि उसूल की किताबों में मज़्कूर है।

तहक़ीक़ की रू से अहदे नबवी में तअद्दुदे कुसूफ़ का वक़ूअ तो साबित हैं लेकिन सवाल ये है कि आया इन तमाम मौक़े पर आपका नमाज़ पढ़ना भी साबित है? क्या कोई मुस्तनद दलील मन्क़ूल है? क्योंकि ना'मुमकिन है कि मुतअद्दिद दफ़ा आप (ﷺ) ने कुसूफ़ के मौक़े पर नमाज़ पढ़ी हो, और एक जम्मे ग़फ़ीर ने आपकी इक़्तेदा की हो, फिर किसी रिवायत में इसका ज़िक्र तक न मिले। जबकि सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) आपकी हर नक़ल व हरकत का दिक़्क़त से जायज़ा लेते थे। मदीने में 28 या 29 शव्वाल सन 10 हिजरी में कुसूफ़ के मौक़े पर उन्होंने इससे मुताल्लिक़ा हर छोटी बड़ी बात नक़ल की है जिससे वाज़ेह होता है कि अगरचे माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ात के मुताबिक़ मुतअद्दिद बार कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया लेकिन क्या मक्का और मदीना में देखा भी गया? या बिलफ़र्ज़ आप (ﷺ) के देखने की तसरीह हो भी तो क्या उसके बाद आप (ﷺ) ने नमाज़ का एहतिमाम किया? अगर इसका सबूत मुहैया होता है तो यक़ीनन मुतअद्दिद रुकूआत वाली मुख़्तलिफ़ रिवायात को तअद्दुदे वाक़िये पर महमूल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सबूत मुश्किल है।

क़ाज़ी सुलैमान मनसूरपुरी (رحمه الله) ने 23 साला अर्से में कुसूफ़ के वक़ू की गिनती, तारीख़, महीने और साल तक का तो तअय्युन किया है लेकिन न तो उनके औक़ात का ज़िक्र फ़रमाया है और न उन जगहों और इलाक़ों को बयान किया जहाँ ये वाक़ियात हुये हैं ताकि मदीना मुनव्वरा में जो सूरज ग्रहण मुलाहिज़ा किया गया इस सूरज ग्रहण से मुमय्यिज़ हो जाता जो वहाँ मुलाहिज़ा नहीं किया गया। बहरहाल हिसाब व किताब से कुसूफ़ का पता तो लगाया जा सकता है लेकिन इससे आपकी रूयत और फिर नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने का इस्बात नहीं हो सकता। ग़र्ज़ तअद्दुदे कुसूफ़ से आपका मुतअद्दिद बार नमाज़ पढ़ना लाज़िम नहीं आता। मज़ीद तसल्ली के लिये कुसूफ़ का जद्वल मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाये। (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97, 98) इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा कुछ रिवायात

के सियाक़ से तो ये ज़ाहिर होता है कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) को इस मौक़े की मुनासिबत से कुछ मालूम न था बल्कि इस सांहे पर उनकी नज़रें नबी (ﷺ) पर लगी हूई थीं कि देखें आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं या क्या अमल बजा लाते हैं जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन समुरा(ﷺ) के क़ौल से वाज़ेह होता है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 913)

कुसूफ़ और नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल

✧ **ज़िक्र अज़्कार, तौबा व इस्तिग़फ़ार, सदक़ा और गुलाम आज़ाद करने का एहतिमाम करना:** सूरज या चाँद ग्रहण के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतौरे ख़ास तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, सदक़ा ख़ैरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम ये कुछ देखो तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और उसकी बख़्शिश तलब के लिये जल्दी करो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1059)

अगर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ लेने के बाद भी ग्रहण बदस्तूर लगा रहे या अभी बाक़ी हो तो दुआ, ज़िक्र अज़्कार और तौबा व इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहना चाहिए। हज़रत अबू बकरा (ﷺ) की हदीस में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब दोनों में से किसी एक का वक़ूअ हो जाये तो नमाज़ पढ़ो और उस वक़्त तक दुआएँ करते रहो जब तक कि तुमसे ये कैफ़ियत ख़त्म न हो जाये।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1063)

हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस में है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह तआला का ज़िक्र करो, उसकी किब्रियाई बयान करो, नमाज़ पढ़ो और सदक़ा व ख़ैरात करो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1044) हज़रत अस्मा (ﷺ) फ़रमाती हैं: (लक़द अमरन्नबिय्यु (ﷺ) बिल अताक़ति फ़ि कुसूफ़िश्शम्स) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1054, हदीस: 2519) इसी मुअख़्ख़िरुज़्ज़िक्र उन्वान के तहत ये अल्फ़ाज़ भी हैं: **'ख़ुसूफ़ व कुसूफ़ के मौक़े पर हमें गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता था।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2520) बहरहाल मज़्कूरा अहादीस से साबित हुआ कि ग्रहण के मौक़े पर ज़िक्र और दुआ वग़ैरह का ख़ास एहतिमाम होना चाहिए।

✧ **नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के लिये अज़ान व इक़ामत:** नमाज़े कुसूफ़ के लिये अज़ान व इक़ामत मशरूअ नहीं बल्कि सिर्फ़ इज्तेमा का ऐलान किया जाये। अहदे रिसालत में ऐसे मौक़े पर अस्सलातु जामिया के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1066, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (4)-901) अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की हदीस पर इमाम बुख़ारी(رحمه الله) बईं

अल्फ़ाज़ (इस अल्फ़ाज़ से) उन्वान तहरीर फ़रमाते हैं: बाबुन निदा 'अस्सलात जामिया' फ़िल कुसूफ़ (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1045, रक़मुत्तर्जुमा: 3)

✧ **नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत का बयान:** दिन हो या रात सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ में बसूरते जमाअत जहरी क़िराअत ही सुन्नत है। इसकी दलील हदीसे आयशा व अस्मा है ...(ﷺ) ... हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: **'नबी-ए-अकरम ( ) ने नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से क़िराअत फ़रमाई।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1065)

इस्माईली और मुसनद अहमद की रिवायत में मज़ीद तसरीह है। इसमें सूरज ग्रहण का ज़िक्र है और ये कि क़िराअत भी ऊँची आवाज़ से की गई। (मुसनद अहमद: 6/76, वल्मौसूअतुल हदीसीया, मुसनद इमाम अहमद: 41/22, व फ़तहुलबारी: 2/549) हदीसे आयशा में (सलातुल ख़ुसूफ़) से मुराद सूरज ग्रहण की नमाज़ ही है। इसकी मज़ीद वज़ाहत औज़ाई (ﷺ) के तरीक़ से मन्क़ूल रिवायत से भी होती है। इसमें (इन्नश्शम्स ख़सफ़त) के अल्फ़ाज़ आते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1066, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 901)

अइम्मा में से यही मौक़िफ़ इमाम अबू यूसुफ़, मुहम्मद, इमाम अहमद, इस्हाक़, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने मुन्ज़िर और इब्ने अलअरबी (ﷺ) का है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/550) इमाम बुख़ारी(ﷺ) का भी यही रुझान है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने इमाम मालिक का भी यही मौक़िफ़ ज़िक्र किया है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 560-563) याद रहे अहादीस व आसार की रोशनी में यही मौक़िफ़ राजेह है। दिन या रात के ऐतबार से कोई फ़र्क़ नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़े कुसूफ़ में सिर्री क़िराअत से मुताल्लिक़ दलाइल और उनकी हक़ीक़त:**

(1) अबू दाऊद वग़ैरह में हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) की रिवायत है जिससे अदमे जहर के क़ाइलीन इस्तेदलाल करते हैं। इसमें समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) की सराहत है कि हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1184, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 562)

ये इस्तेदलाल चन्द वजह से कमज़ोर है। **पहला:** ये रिवायत सअ्लबा बिन अब्बाद की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि ये मज्हूल है। देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/371)

दूसरा: इसमें नफ़ी है जबकि हज़रत आयशा व अस्मा (ﷺ) की अहादीस में इस्बात है, यानी जहरी क़िराअत का सबूत है। उसूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता है।

तीसरा: मुमकिन है समुरा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से दूर हों जिस वजह से आपकी क़िराअत न सुन सके, गोया इसमें अपने सिमाअ की नफ़ी की गई है न कि आप (ﷺ) के जहर की।

चौथा: जहरी क़िराअत का ज़िक्र सहीहैन में मिलता है जबकि नफ़ी वाली रिवायत दीगर कुतुब में है, इसलिये तआरुज़ के वक़्त सहीहैन की रिवायत को तक़दीम व तर्जीह हासिल होगी। मज़ीद तफ़सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/550, व नैलुल अवतार: 3/377, वस्सैलुल जर्रार: 1/650 मतबूआ, दार इब्ने कसीर, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 6/549)

(2) इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने इब्ने अब्बास (ﷺ) से तालीक़न रिवायत की है। वह फ़रमाते हैं: सूरज ग्रहण की नमाज़ में, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पहलू में खड़ा था लेकिन आप (ﷺ) से एक हर्फ़ भी न सुना। (किताब अल्उम्म लिश्शाफ़ेई: 2/75, तबअ दार इह्याउत्तुरास अल अरबी, व मुसनद अहमद: 1/293, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/192)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने ये असर फ़तहुलबारी में भी नक़्ल किया है। इसके बाद लिखते हैं: 'इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने इसे तीन तुरुक़ से मौसूलन ज़िक्र किया है, इन तुरुक़ की सनदें सख़्त ज़ईफ़ हैं बिल फ़र्ज़ अगर इन्हें सही भी तस्लीम कर लिया जाये तब भी जहर का इस्बात करने वाला एक ज़्यादा चीज़ बयान कर रहा है, लिहाज़ा इसे इख़्तियार करना औला है। और अगर तअद्दुदे वाक़िया साबित हो जाये तो इस सूरत में सिर्री और मख़फ़ी क़िराअत करना बयाने जवाज़ के लिये होगी।' (फ़तहुलबारी: 2/550)

(3) और इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने इब्ने अब्बास (ﷺ) के इस क़ौल: (नह्वम् मिन क़िराअति सूरतिल बक़रति) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1052) से भी सूरज ग्रहण के मौक़े पर मख़फ़ी क़िराअत का इस्तेदलाल किया है। वह इस तरह कि अगर इब्ने अब्बास (ﷺ) ने क़िराअत सुनी होती तो उन्हें मज़्कूरा अन्दाज़े की ज़रूरत न थी। इससे पता चलता है कि नबी (ﷺ) ने पोशीदा क़िराअत की थी। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (किताब उम्म: 2/75, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/335) लेकिन इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) वग़ैरह का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि भीड़ और रश की वजह से वह आपसे दूर होंगे जिससे उन्हें इस अन्दाज़े की ज़रूरत पड़ी, और ये तौजीह हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) से मन्क़ूल रिवायत कि मैं सूरज ग्रहण की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पहलू में खड़ा था, के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि वह रिवायत ज़ईफ़ है जैसा कि वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है। बिल फ़र्ज़ अगर इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाये कि इब्ने अब्बास (ﷺ) आपके क़रीब ही खड़े थे, फिर भी इसका एहतिमाल है कि जो तिलावत आप (ﷺ) ने फ़रमाई, वह उसे बिऐनिही (बिल्कुल वैसी ही) याद न रख सके हों और उसकी मिक़्दार को याद रख लिया

हो, इस वजह से उन्हें अन्दाज़े और तख़्मीने की ज़रूरत पेश आई और उन्होंने सूर-ए-बक़रा की क़िराअत का अन्दाज़ा लगाया। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/550)

इमाम इब्ने अल अरबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक जहरी क़िराअत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये नमाज़ बा'जमाअत अदा होती है, इसके लिये मुनादी की जाती है और ख़ुत्बा दिया जाता है, लिहाज़ा ये नमाज़े ईद और नमाज़े इस्तेसक़ा के मुशाबा है। (फ़तहुलबारी: 2/550)

अल हासिल: नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ दोनों में जहरी क़िराअत करना ही मस्नून है।

इमाम तहावी (رحمه الله) ने मज़्कूरतुस्सद्र समुरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की अहादीस़ से मख़्फ़ी क़िराअत का इस्तेदलाल किया है और इसे इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) का मुस्तदल्ल क़रार दिया है। (शरह मआनी अल आस़ार: 1/333) लेकिन मज़्कूरा बहस़ व तहक़ीक़ की रोशनी में उनसे इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम!

✧ **सूरज और चाँद ग्रहण के मौक़े पर ख़ुत्बा:** रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल था कि जब भी कोई हादसा या अहम वाक़िया रू नुमा होता तो आप मौक़े की मुनासिबत से ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। इसी तरह जब सूरज ग्रहण लगा तो आपने नमाज़ के बाद मौक़े की मुनासिबत से निहायत अहम ख़ुत्बा दिया। उसमें तर्ग़ीब व तर्हीब का पहलू ग़ालिब था जिसकी मज़ीद तफ्सील आगे आ रही है। याद रहे इस मौक़े पर ख़ुत्बा देना न सिर्फ़ मस्नून बल्कि मुस्तहब है। वल्लाहु आलम! इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक़ और अक्सर अस़हाबुल हदीस़ इसे मुस्तहब कहते हैं। (फ़तहुलबारी: 2/534)

कुछ अहले इल्म इसकी सुन्नियत के क़ाइल नहीं हैं। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो ख़ुत्बा दिया था ये उस वक़्त के हालात का तक़ाज़ा था क्योंकि कुछ लोगों का ख़्याल था कि सूरज और चाँद किसी अज़ीमुश्शान की पैदाइश या वफ़ात पर बेनूर होते हैं। आप (ﷺ) ने ख़ुत्बे में इस ऐतक़ादे बातिल की नफ़ी फ़रमा दी और बस। लेकिन ये तौजीह महल्ले नज़र है।

पहला: इसलिये कि यहाँ सिर्फ़ उसी बात का ज़िक्र या उसकी तर्दीद मक़सूद नहीं थी बल्कि कुछ और उमूर भी मज़्कूर हैं जिनका ज़िक्र वाक़ेई उस मौक़े की मुनासिबत से पुरतास़ीर था।

दूसरा: इत्तेबा का तक़ाज़ा यही है कि जब नबी (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया है तो बाद वाले भी ख़ुत्बा दें। 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) (की ज़ाते गिरामी) में बेहतरीन नमूना है' का भी यही तक़ाज़ा है, मगर ये कि तख़्सीस़ की कोई वाज़ेह दलील या क़रीना हो।

तीसरा: लोग दीन से दूर हैं। ख़ुसूसन आज कल बद अक़ीदगी इस क़द्र आम है कि कसीर दीनी और दावती सरगर्मियों के बावजूद लोग उमूमन दीनी तालीमात से यक्सर आरी हैं। वाज़ व नसीहत, फ़िक्रे आख़िरत और इस्लाहे अहवाल के ये लोग सहाब-ए-किराम (ﷺ) की निस्बत कहीं ज़्यादा मुस्तहिक़ और ज़रूरतमन्द हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/534) रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ुत्बे का लब्बे लुबाब भी यही था। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है।

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) इसकी मशरूइयत की बाबत हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा(ﷺ) की अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं। उनकी अहादीस में इस मौक़े पर ख़ुत्बे की सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1044, 184)

मल्हूज़: बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है कि अहनाफ़ में से साहिबे हिदाया नमाज़े कुसूफ़ के बाद ख़ुत्बे की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इस बारे में कुछ भी मन्क़ूल नहीं। सुब्हानल्लाह!

हालांकि इस बारे में कई अहादीस मन्क़ूल हैं। ये सब कुछ अहादीस से अदमे शग़फ़ की वजह से है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल हिदाया, सफ़ा: 134, दर्सी नुस्ख़ा, व फ़तहुलबारी: 2/534)

✧ ख़ुत्बे के अहम नुकात:

(1) सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की अजीम निशानियाँ हैं, किसी की मौत व हयात का उनके बेनूर होने में क़तअन कोई दख़ल नहीं।

(2) उनके बेनूर होना बन्दों के लिये बाइसे इबरत व नसीहत है। उनके ज़रिये से अल्लाह तआला बन्दों को डराता है। गोया जब इतनी बड़ी मख़्लूक़ात उसके क़ब्ज़-ए-कुदरत और तसर्रुफ़ में हैं तो इन्सान की क्या हैसियत?

(3) नबी (ﷺ) ने इस मौक़े पर बतौर ख़ास अज़ाबे क़ब्र से डराया, फ़रमाया: 'मुझे वह्य की गई है कि तुम्हें क़ब्रों में आज़माया जाता है।' यानी तुम्हारा इम्तेहान होता है, फिर आप (ﷺ) ने क़ब्र में सवाल व जवाब का ज़िक्र फ़रमाया।

(4) इस मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़िक्र अज़्कार, तकबीर व तहलील, तौबा व इस्तेग़फ़ार, सदक़ा व ख़ैरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया।

(5) लोगों को मुतन्नबा किया कि अल्लाह तआला से बढ़ कर कोई ग़ैरतमन्द नहीं वह किसी सूरत भी बरदाश्त नहीं करता कि उसका बन्दा या बन्दी बदकारी का इरतेकाब करें।

(6) मज़ीद फ़रमाया: 'जिस हक़ीक़त से मैं आगाह हूँ अगर तुम्हें भी उसका यक़ीन हो जाये तो तुम कम हँसो और ज़्यादा रोओ।' मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस: 116, 526)

ख़ुत्ब-ए-नबवी का मज़्कूरा ख़ुलासा वाज़ेह है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने शम्स व क़मर के मुताल्लिक़ मज़्ऊमा अक़ीदे ही की तर्दीद नहीं फ़रमाई बल्कि मौक़े व महल के मुताबिक़ और भी उम्दा नसीहतें और तम्बीहात फ़रमाईं और चन्द मुशाहिदात का तज़्किरा भी किया। ग़र्ज़ इस्लाहे अहवाल और फ़िक्रे आख़िरत के लिये उनकी अफ़ादियत से कोई मफ़र नहीं। इन तम्बीहात की ज़रूरत थी, फ़िलहाल है और रहेगी।

✧ **औरतों की नमाज़े कुसूफ़ में शिर्कत:** नमाज़े कुसूफ़ में औरतें भी शरीक हो सकती हैं बशर्ते कि मुनासिब इन्तेज़ाम हो और किसी क़िस्म का इख़्तिलात न हो जैसा कि हज़रत आयशा और अस्मा(ﷺ) दीगर ख़्वातीन के साथ नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इक़्तेदा में थीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 903) इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने भी इसकी मशरूइयत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है : तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं: बाब सलातुन्निसा मअर्रिजाल फ़िल कुसूफ़ 'नमाज़े कुसूफ़ में मर्दों के साथ औरतों की नमाज़ की मशरूइयत।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1053) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/543)

चूंकि ये मौक़ा इज्तेमाइयत का होता है, इसमें इज्तेमाइयत मुस्तहब है, इसलिये इस इज्तेमाए आम में औरतों की शिर्कत भी मतलूब व मन्दूब है ताकि हर कसो-नाक़स अल्लाह की बारगाह में ताइब हो, गुनाहों की बख़्शिश माँगे, सदक़ा व ख़ैरात करे और बा'जमाअत लम्बी नमाज़े कुसूफ़ अदा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़ुश करने की कोशिश करे ताकि ये परेशानकुन कैफ़ियत ज़ाइल हो जाये।

✧ **नमाज़े कुसूफ़ की मस्जिद में अदायगी:** सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ इज्तेमाई तौर पर मस्जिद में मस्नून है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का यही अमल था। हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस में इसकी सराहत मौजूद है। फ़रमाती हैं: '**तो मैं कुछ औरतों के साथ हुज्रों के दरम्यान से होती हुई मस्जिद की तरफ़ निकली। (इस दौरान) रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी से उतर कर सीधे उस तरफ़ गये जहाँ आप आम तौर पर नमाज़ पढ़ाया करते थे।**' (सहीह मुस्लिम, 903) ग़र्ज़ मस्जिद ही में नमाज़े कुसूफ़ सुन्नत है। मज़ीद देखिये (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/292, व फ़तहुलबारी: 2/544) वल्लाहु आलम!

✧ **औक़ाते मक्रूहा में अदायगी?:** नमाज़े कुसूफ़ ममनूअ औक़ात में (सूरज चढ़ते या ऐन ज़वाल के वक़्त या ग़ुरूब होते हुये) पढ़नी जायज़ है या नहीं? इससे क़ब्ल ये समझना ज़रूरी है कि अहादीस़ में इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना ममनूअ क़रार दिया गया है? इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के नज़दीक सिर्फ़ उसी दिन की नमाज़े अस्र अदा की जा सकती है कि अगर कोई भूल गया है और उस वक़्त याद आया जब सूरज ग़ुरूब हो रहा था तो वह उस वक़्त उसे अदा कर सकता है, बाक़ी कोई नमाज़ इन औक़ात में जायज़ नहीं। इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) इस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ौतशुदा कोई भी फ़र्ज़ नमाज़ मम्नूअ औक़ात में अदा की जा सकती है। मज़ीद ये कि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) के नज़दीक इन औक़ाते मक्रूहा में मुत्लक़ नवाफ़िल जायज़ नहीं, स-बबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/191) स-बबी नमाज़ों या नवाफ़िल से मुराद वह नमाज़ें हैं जिनकी अदायगी के लिये ख़ास़ अस्बाब या मौक़े का तअय्युन हो, जैसे तहिय्यतुल मस्जिद कि अगर मस्जिद में पहुँच कर बैठना हो तो तब उनकी अदायगी मतलूब है, सजद-ए-तिलावत कि ये तिलावत से मुताल्लिक़ है, और फ़ज्र की सुन्नतें कि जब किसी वजह से फ़र्ज़ नमाज़ से पहले अदा न की जा सकें तो बाद में पढ़ी जा सकती हैं बल्कि आप (ﷺ) ने ख़ुद भी एक दफ़ा ज़ुहर की दो रकअतें, जो मस़रूफ़ियत की वजह से रह गई थी, अस्र के बाद अदा फ़रमाईं। इसी तरह फ़ज्र और अस्र के बाद नमाज़े जनाज़ा बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। ये इमाम इब्ने मुन्ज़िर की राय है। देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 23/191)

जब इस क़िस्म की सूरतों को दीगर दलाइल या इज़्तेरार की वजह से मुस्तस़ना कर लिया गया है और आम मुमानिअत की अहादीस़ उन्हें शामिल नहीं तो ममनूअ औक़ात में नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी भी दुरुस्त बल्कि मतलूब है। नमाज़े कुसूफ़ के लिये किसी वक़्त का तअय्युन दुरुस्त नहीं क्योंकि इसका दारोमदार ग्रहण लगने पर है। और जूँ ही ग्रहण देखा जाये या उसकी इत्तिला मौसूल हो तो फ़ौरन नमाज़ की तरफ़ रूजू करना ज़रूरी है। सूरज के मुकम्मल तुलूअ या ग़ुरूब होने से सबब ज़ाइल भी हो सकता है। तब उसकी अदायगी न मतलूब है न मुमकिन, इसलिये आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुम जब भी इन्हें ग्रहणज़दा देखो तो नमाज़ पढ़ो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 1040)

यक़ीनन आप (ﷺ) का ये हुक्म आम है किसी वक़्त से नहीं बल्कि सबब और इल्लत से मुताल्लिक़ है। इसका उमूम मुमानिअत वाली अहादीस़ के उमूम से अक़्वा, महफ़ूज़ और ग़ैर मख़सूस है जबकि उनका उमूम इस पाए का नहीं बल्कि इसमें मानिइन के नज़दीक भी कुछ तख़सीस़ात हुई हैं जैसा कि मज़्कूरा मिसालों से वाज़ेह है। ग़र्ज़ उसूलन, अगरचे दोनों क़िस्म के उमूम आपस में मुतआरिज़ हैं, ग़ैर मख़सूस उमूम को तक़दीम व तर्जीह होगी। जिससे पता चलता है कि नमाज़े कुसूफ़ की हैसियत आम मुत्लक़ नवाफ़िल वग़ैरह की नहीं बल्कि इसे एक दर्जा तख़सीस़ हासिल है, इसलिए बिल फ़र्ज़ अगर

सूरज चढ़ते ही ग्रहणज़दा हो तो ताख़ीर की ज़रूरत नहीं जैसा कि नह्य की अहादीस़ का तक़ाज़ा है बल्कि इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा रिवायात की रोशनी में वजूदे सबब की बिना पर फ़ौरन नमाज़ का एहतिमाम करना चाहिए। जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) ने औक़ाते कराहत के मुताल्लिक़ सेयर हासिल बहस़ की है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मज्मूउल फ़तावा: 23/178-199)

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जब सूरज ग्रहणज़दा हो, ख़्वाह निस्फ़ुन्नहार हो या बादल अस्र या उससे पहले, इमाम लोगों को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाये क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नमाज़ का हुक्म सूरज ग्रहण की वजह से दिया है, लिहाज़ा जिस वक़्त में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ का हुक्म दिया है उस वक़्त में नमाज़ हराम नहीं हो सकती, जैसा फ़ौतशुदा नमाज़ का वक़्त, नमाज़े जनाज़ा और इसी तरह अगर कोई इन्सान किसी नमाज़ को अपने ऊपर पुख़्ता कर ले, यानी उसकी नज़र मान ले, फिर मसरूफ़ हो जाये या उसे भूल जाये (तो यक़ीनन जब भी फ़ुर्सत मिले या याद आये उसी वक़्त पढ़ना ज़रूरी है) (किताब अल उम्म: 2/75, 76)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) (फ़इज़ा रऐतुमूहा फ़क़ूमू फ़सल्लु) की शरह में लिखते हैं: इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ का वक़्त मुअय्यन नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ कुसूफ़ से है और ये दिन में किसी भी वक़्त मुमकिन है। इमाम शाफ़ेई और उनके मुत्तबिईन इसी के क़ाइल हैं। अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि जिन औक़ात में नवाफ़िल पढ़ना मकरूह हैं उनमें नमाज़े कुसूफ़ पढ़ना भी मकरूह है। इमाम अहमद (رحمه الله) का मशहूर मौक़िफ़ भी यही है। मालकिया के नज़दीक इस नमाज़ का वक़्त चाश्त से शुरू होकर ज़वाले आफ़ताब या एक रिवायत के मुताबिक़ अस्र तक हैं ताहम इमाम शाफ़ेई का मौक़िफ़ ही राजेह है क्योंकि मक़सूद ये है कि ये नमाज़ ग्रहण ख़त्म होने से पहले ही अदा की जाये। ग्रहण ज़ाइल होने के बाद बिल इत्तेफ़ाक़ इसकी अदायगी की ज़रूरत नहीं। अगर नमाज़े कुसूफ़ किसी वक़्त में मुन्हस़िर हो तो इससे पहले भी ग्रहण का ख़त्म होना मुमकिन है जिससे नमाज़ का मक़सूद फ़ौत हो जाता है। और जहाँ तक चाश्त के वक़्त आप (ﷺ) के नमाज़ अदा करने का ताल्लुक़ है तो कस़रते तुरुक़ के बावजूद मैं किसी ऐसे तरीक़ पर मुत्तलअ नहीं हुआ कि आप(ﷺ) ने क़सदन चाश्त के वक़्त ये नमाज़ पढ़ी हो और (जो इस बारे में मन्क़ूल है) वह इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया है जो इस वक़्त के अलावा किसी और वक़्त में अदायगी की मुमानिअत पर दलालत नहीं करता। तमाम तुरुक़ में यही है कि आपने कुसूफ़ का इल्म होने के बाद फ़ौरन इस नमाज़ का एहतिमाम किया है। (फ़तहुलबारी: 2/528, व नैलुल अवतार: 3/371, 372 व मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/380)

इमाम सनआनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात की दलील है कि इसकी अदायगी हुसूले सबब के साथ मुक़य्यद है। ये जिस वक़्त भी हो। जुम्हूर ने यही राय इख़्तियार की है।' मालूम हुआ ये नमाज़ भी दीगर मख़्सूसात की तरह है और आम अहादीस नह्य के उमूम से ख़ारिज है। वल्लाहुल मुस्तआन!

✧ **चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का तरीक़ा:** चाँद ग्रहण के वक़्त भी नमाज़ का वही तरीक़ा है जो सूरज ग्रहण के वक़्त इख़्तियार किया जाता है, यानी इसमें भी नमाज़ बा'जमाअत ही मुस्तहब है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म दोनों मौक़े पर यक्साँ है। फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये दोनों किसी की मौत (और ज़िन्दगी) की वजह से बेनूर नहीं होते। जब इस तरह हो (किसी एक को ग्रहण लग जाये) तो तुम नमाज़ पढ़ो ....' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1063) एक दूसरे तरीक़ से इब्ने हिब्बान में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जब इनमें से किसी एक को कुछ होता देखो .....' (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2835, बतहक़ीक़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस में 'जब ये दोनों बेनूर हों' के अल्फ़ाज़ हैं। (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2838, तफ़्सील के लिये देखिये: फ़तहुलबारी: 2/548)

रसूलुल्लाह (ﷺ) से अगरचे बसनदे सही चाँद ग्रहण की नमाज़ का इस्बात मुश्किल है लेकिन आप (ﷺ) के क़ौल से इसकी बा'जमाअत अदायगी की मशरूइयत साबित है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) से चाँद ग्रहण के वक़्त बा'जमाअत नमाज़ पढ़ना मन्क़ूल नहीं, लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब अस्सीरत में बयान किया है कि 5 हिजरी को चाँद ग्रहणा गया। नबी (ﷺ) ने अपने सहाबा (رضي الله عنهم) को नमाज़ पढ़ाई। इस्लाम में ये पहली नमाज़े कुसूफ़ थी।' लेकिन ये सनदन कमज़ोर है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इशारा फ़रमाया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/548)

ऊपर दी गई रिवायात व तुरुक़ की रोशनी में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इन रिवायात से उस शख़्स की तर्दीद होती है जो ये कहता है कि चाँद ग्रहण की नमाज़ में जमाअत मुस्तहब नहीं।' (फ़तहुलबारी: 2/548)

मल्हूज़: सही इब्ने हिब्बान में हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँद ग्रहण की नमाज़ भी पढ़ी है, वह फ़रमाते हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज और चाँद के ग्रहण के वक़्त तुम्हारी नमाज़ जैसी नमाज़ पढ़ाई।'** (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2837, व फ़तहुलबारी: 2/548) शैख़ शुऐब (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इसके रिजाल सिक़ात हैं सिवाए अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह सकरी के कि मुझे उसके हालात नहीं मिले। (इब्ने हिब्बान बतहक़ीक़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत: 7/79)

मालूम हुआ ये रिवायत इस इज़ाफ़े से ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस रिवायत की बाबत मुफ़स्सल तहक़ीक़ की है। उनके नज़दीक वल क़मर का इज़ाफ़ा शाज़ (ज़ईफ़) है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ) लिसलातिल कुसूफ़: 62-67)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) का रुझान भी यही लगता है कि वह चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत की मशरूइयत के क़ाइल हैं क्योंकि उनके सामने अबू बक्रा की हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ हैं: (इज़ा काना ज़ालिक फ़सल्लू) इस हदीस़ पर उन्होंने बईं अल्फ़ाज़ (इस अल्फ़ाज़ से) उन्वान क़ाइम किया है: बाबुस्सलाति फ़ी कुसूफ़िल क़मर 'चाँद ग्रहण के मौक़े पर नमाज़ (की मशरूइयत)' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 1063, रक़्मुत्तर्जुमा: 17)

अइम्म-ए-सलासा (इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله)) भी इसके क़ाइल हैं। उनके नज़दीक इसकी जमाअत मस्नून है। अहनाफ़ इसकी नमाज़ के तो क़ाइल हैं लेकिन अकेले अकेले, बा'जमाअत नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलफ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/409) अहनाफ़ का मौक़िफ़ दलाइल की रू से मर्जूह है। वल्लाहु आलम!

मज़ीद बरां ये कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (رحمه الله) के नज़दीक सूरज और चाँद ग्रहण के वक़्त जमाअत शर्त है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नैलुल अवतार: 32379)

तम्बीह: चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत के लिये इस मौक़िफ़ के कुछ हामिलीन बतौर हुज्जत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का असर भी पेश करते हैं लेकिन सनदन ज़ईफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी तफ़्सील यूँ है कि चाँद ग्रहणा गया। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) उस वक़्त बस़रा में थे। हसन बस़री फ़रमाते हैं: वह वहाँ से निकले और हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। हर रकअत में दो रुकू थे, फिर सवार हुये और हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: मैंने उसी तरह नमाज़ पढ़ी है जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) को पढ़ते हुये देखा है। (किताब अल उम्म, रक़्म अलअसर: 505, मतबूआ दार इह्रायउत्तुरास अल अरबी, व मुसनद अश्शाफ़ेई, मुल्हक़ा किताब अल उम्म: 10/365, रक़्म अलअसर: 348) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तल्ख़ीस़ में इसे इब्राहीम बिन मुहम्मद वग़ैरह की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/191, मतबूआ, मुअस्ससा क़ुर्तुबा) याद रहे इस बहस व तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से चाँद ग्रहण की नमाज़ फ़ेअलन साबित नहीं, ताहम आपके क़ौल से नमाज़ बा'जमाअत की ताईद होती है। वल्लाहु आलम!

वल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअ्मतिही ततिम्मुस्सालिहात!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الكسوف

ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) सूरज और चाँद ग्रहण

باب : (١) كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ " .

(1460) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत और पैदाइश की वजह से ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1840.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दो निशानियाँ' यानी बज़ाते ख़ुद सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ हैं। जिनसे अल्लाह तआला की अज़ीम कुदरत का पता चलता है। या इन्हें ग्रहण लगना अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। जब ये दोनों अल्लाह तआला के क़ब्ज़ा व कुदरत और तसर्रुफ़ में हैं तो किसी की मौत और पैदाइश इनमें क्या असर कर सकती है? **(2)** उस दौर के लोग ऐतक़ाद रखते थे कि कोई बड़ा शख़्स फ़ौत या पैदा हो तो सूरज या चाँद को ग्रहण लगता है। मज़्कूरा ग्रहण नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़रज़न्द हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की वफ़ात पर लगा था। लोगों ने इसे उनकी वफ़ात से मुताल्लिक़ किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तर्दीद फ़रमाई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1043, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 915) **(3)** माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक चाँद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने से ये रोशन नज़र आता है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो ये नज़र नहीं आता, लिहाज़ा जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरम्यान में आ जाये तो ज़मीन की रुकावट की वजह से चाँद पर रोशनी नहीं पड़ती। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। और ये क़मरी महीने की तेरह या चौदह तारीख़ को हो सकता है, आगे पीछे नहीं। और जब ज़मीन और सूरज के दरम्यान चाँद आ जाये तो सूरज के जितने हिस्से के सामने चाँद

आ जायेगा, वह ज़मीन पर नज़र नहीं आयेगा। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं और ये क़मरी महीने के आख़री एक दो दिनों में हो सकता है, आगे पीछे नहीं। सूरज और चाँद का ग्रहणाना ज़मीन और चाँद की रफ़्तार के हिसाब से है, लिहाज़ा वक़्त से पहले इनका ठीक ठीक हिसाब लगा कर बताया जा सकता है। **(4)** 'डराता है' वैसे सूरज का गुरूब होना और महीने के शुरू और आख़िर में पूरे चाँद का नज़र न आना भी ग्रहण के मिस्ल ही है मगर चूंकि ये रोज़मर्रा हैं, इसलिये इन पर कोई हैरत या अचम्भा नहीं होता मगर ग्रहण कभी कभार होता है, इसलिये इस पर हैरत होती है और इन्सान ख़ौफ़ज़दा हो जाता है और अल्लाह तआला की निशानियों से नसीहत हासिल करने के ज़्यादा क़रीब हो जाता है। और ऐसे मौक़े पर हुक्म भी यही है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ़ रूजू किया जाये।

बाब : (2)
सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व तकबीरात कहना और दुआ माँगना

باب: (٢) التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

(1461) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में तीर अन्दाज़ी कर रहा था कि सूरज को ग्रहण लग गया। मैंने अपने तीर इकट्ठे किये और दिल में अज़्म किया कि मैं ज़रूर जाकर देखूंगा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) इस मौक़े पर क्या तरीक़ा इख़्तियार फ़रमाते हैं। मैं आपकी पिछली जानिब से आपके क़रीब आया। उस वक़्त आप मस्जिद में थे। आप तस्बीह व तकबीर पढ़ने लगे और दुआ करने लगे यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो गया, फिर आप उठे और आपने दो रकअतें पढ़ीं और चार सज्दे किये।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 613, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1841.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ- قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَتَرَامَى، بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا - قَالَ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज या चाँद ग्रहण लगने से पहले दो रकअतें पढ़ी जायेंगी, जिस क़द्र लम्बी पढ़ी जा सकें। फिर तस्बीहात, तकबीरात पढ़ी और दुआएँ माँगी जायेंगी ताकि ग्रहण ख़त्म हो

जाये। **(2)** मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता है कि शायद तस्बीहात, तकबीरात और दुआएँ पहले हैं और नमाज़ बाद में। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम रिवायात इसके ख़िलाफ़ हैं बल्कि सहीह मुस्लिम में अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) ही से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैं जब मस्जिद में पहुँचा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 912) याद रहे अगरचे कुछ अइम्मा व मुहक़्क़िक़ीन ने इसकी मुख़्तलिफ़ तावीलें की हैं लेकिन दलाइल की रू से और जमीअ रिवायात को जमा करने से यही मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत में नमाज़ से पहले तस्बीह व तकबीर और दुआ का ज़िक्र करना किसी रावी की ग़लती और वहम है। वल्लाहु आलम! और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) भी इस हदीस़ की तहक़ीक़ में यही कुछ लिखते हैं, फ़रमाते हैं: (अम्मा नह्नु फ़नराहा ख़तअम् मिम बअ्ज़िर्रुवाति अनिल हरीरी, वल्लाहु आलम) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ) लिस़लातिल कुसूफ़, सफ़ा: 68-74,, रक़मुल हदीस़: 14, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 16/389-391) **(3)** ग्रहण के मौक़े पर नमाज़, तौबा और तस्बीहात का हुक्म है। गोया मज़ाहिरे कुदरत में किसी क़िस्म की तब्दीली से हममें भी इबरत पज़ीरी आनी चाहिए और दुनिया से मुँह मोड़ कर अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जा होना चाहिए।

बाब : (3)
सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म

باب : (٣)
الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا " .

(1462) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात की वजह से बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब तुम उन्हें ग्रहण की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1042, व मुस्लिम, हदीस़: 914, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1844.

باب : (٤)
الْأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا".

बाब : (4)
चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म

(1463) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत की बिना पर बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। जब तुम इन्हें (इस हाल में) देखो तो नमाज़ पढ़ो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 1057, व मुस्लिम, हदीस: 911, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1845.

باب: (٥) الْأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ " .

बाब : (5)
ग्रहण के मौक़े पर सूरज और चाँद के रोशन होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म

(1464) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें ग्रहण की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि ये हालत ख़त्म हो जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1846.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ

(1465) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के पास बैठे थे कि सूरज को ग्रहण लग गया। आप अपना कपड़ा घसीटते हुये उठे, फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ .

कि सूरज साफ़ रोशन हो गया।

(1465) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1847.

بَاب : (٦)
الأَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ

बाब : (6) ग्रहण की नमाज़ के लिये ऐलान करने का हुक्म

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا وَاصْطَفُّوا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(1466) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया। तो आपने एक ऐलान करने वाले को हुक्म दिया कि वह ये ऐलान करे कि नमाज़ (नमाज़े कुसूफ़) के लिये जमा हो जायें। लोग जमा हो गये और उन्होंने सफ़बन्दी की तो आपने उन्हें दो रकअतें चार रुकू और चार सज्दों के साथ पढ़ाई।

(1466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1065, 1066, व मुस्लिम, हदीस: 901/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1849.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज़ान के राइज होने से पहले फ़र्ज़ नमाज़ के लिये इन्हीं लफ़्ज़ों (अस्सलातु जामिअतुन) से बुलाया जाता था। अब अगर किसी नफ़ल नमाज़ के लिये बुलाना हो तो इन लफ़्ज़ों से ऐलान किया जा सकता है। अज़ान सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये है। **(2)** 'चार रुकू' नमाज़े कुसूफ़ के बारे में ज़्यादा मोतबर और औसक़ रिवायात एक रकअत के अन्दर दो रुकू की हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने तीन, चार और पाँच रुकू की रिवायात को भी सही मान कर ये मौक़िफ़ इख़्तियार किया है कि कुसूफ़ के वक़्त के हिसाब से रुकू कम व बेश किये जा सकते हैं। दो से पाँच तक। लेकिन हक़ीक़त ये है कि अहादीस में सिर्फ़ एक कुसूफ़ का ज़िक्र है और वह कुसूफ़ 28 शव्वाल 10 हिजरी का है जिस दिन आपके फ़रज़न्द अर्जमन्द इब्राहीम (ﷺ) फ़ौत हुये थे क्योंकि हर रिवायत में मौत व हयात का ज़िक्र है। और ज़ाहिर है कि एक नमाज़े कुसूफ़ में आप (ﷺ) एक ही तरीक़ा इख़्तियार फ़रमा सकते थे और वह मोतबर रिवायात के मुताबिक़ दो रुकू वाला है। इस मसले की तफ़्सील पीछे इब्तेदाइये में गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। **(3)** अहनाफ़ आम नमाज़ की तरह

नमाज़े कुसूफ़ में भी हर रकअत में एक ही रुकू के क़ाइल हैं मगर इस तरह सही और सरीह कसीर रिवायात, यानी बुख़ारी व मुस्लिम की आला पाये की रिवायात अमल से रह जायेंगी और नमाज़े कुसूफ़ की ख़ुसूसी अलामत ख़त्म हो जायेगी। अगर ईदैन में ज़्यादा तकबीरात, जनाज़े में क़याम की ज़्यादा तकबीरात और नमाज़े वित्र में दुआ-ए-कुनूत का इज़ाफ़ा अहादीस की बिना पर हो सकता है तो सलाते कुसूफ़ में इन्तेहाई मोतबर और सही रिवायात की बिना पर एक रुकू का इज़ाफ़ा क्यूँ क़ाबिले तस्लीम नहीं? सोचिये! हर सही हदीस वाजिबुल अमल है।

बाब : (7) नमाज़े कुसूफ़ में सफ़बन्दी का एहतिमाम करना

باب : (٧)
الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

(1467) नबी (ﷺ) की ज़ौजे-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी में सूरज को ग्रहण लग गया। आप (ﷺ) मस्जिद की तरफ़ निकले। खड़े हुये और अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बाँधी। इस तरह आपने (दो रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे मुकम्मल किये। और पलटने (फ़ारिग़ होने) से पहले सूरज रोशन हो गया (ग्रहण ख़त्म हो गया)

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 1046, व मुस्लिम, ह: 901/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1850.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

बाब : (8)
नमाज़े कुसूफ़ कैसे पढ़ी जाये?

باب : (٨)
كَيْفَ صَلاَةُ الْكُسُوفِ

(1468) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण के वक़्त आठ रुकू और चार सज्दे किये। (यानी हर

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ .

रकअत में चार रुकू किये)

हज़रत अ़ता से भी इसी क़िस्म की रिवायत आती है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 908, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1851.

फ़ायदा : इस (मज़्कूरा) रिवायत में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के शागिर्द ताऊस हैं। इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि यही रिवायत हज़रत अ़ता भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास से बयान करते हैं। निचली सनद वही है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

(1469) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ग्रहण के वक़्त नमाज़ पढ़ी। पहले क़िराअत की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत की, फिर रुकू किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत भी इसी तरह पढ़ी। (यानी हर रकअत में चार रुकू किये।)

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1852.

باب: (٩) نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

बाब : (9) इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، -وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ

(1470) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण के दिन दो रकअतों में चार रुकू और चार सज्दे किये। (यानी हर रकअत में दो रुकू किये)

(1470) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 902, बुख़ारी, हदीस: 1046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1853.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

बाब : (10)
नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत

باب : (١٠)
نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ يُغْشَى عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ

(1471) हज़रत अ़ता बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उ़बैद बिन उ़मैर को कहते सुना कि मुझे उस शख़्सियत ने बयान किया जिन्हें मैं क़तअ़न सच्चा समझता हूँ। मेरा ख़्याल है उनका इशारा हज़रत आ़यशा (﵂) की तरफ़ था। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया। आपने लोगों को बड़ा लम्बा क़याम करवाया। क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, फिर क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, फिर क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू फ़रमाते थे। आपने दो रकअ़तें पढ़ीं। हर रकअ़त में तीन रुकू थे। तीसरा रुकू करने के बाद सज्दा किया यहाँ तक कि इतने लम्बे क़याम की वजह से उस दिन कुछ लोगों पर ग़शी की हालत तारी हो गई और उन पर पानी के डोल बहाये गये। जब आप रुकू को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर उठाते तो समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा कहते। आप नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ हुये जब सूरज बिल्कुल रोशन हो गया। आप (तक़रीर के लिये) खड़े हुये। अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना की और फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत व

أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا فَإِذَا كَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَا".

हयात की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि वह तो अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला तुम्हें उनके ज़रिये से डराता है, लिहाज़ा जब वह बेनूर हो जायें तो ख़ौफ़ज़दा होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र शुरू कर दो यहाँ तक कि वह रोशन हो जायें।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 901/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1854.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي صَلاَةِ الآيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ شَكَّ وَلاَ مِرْيَةَ .

(1472) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने चार सज्दों में (यानी दो रकअतों में) छः रुकू किये। (रावी-ए-हदीस इस्हाक़ कहते हैं कि) मैंने मुआज़ (इब्ने हिशाम) से कहा: ये नबी(ﷺ) से है? उन्होंने कहा: कोई शक व शुब्हा नहीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 901/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1855.

फ़ायदा : हदीस नम्बर 1468 से यहाँ तक हर रकअत के रुकूओं की तादाद में इख़्तिलाफ़ है। दो, तीन और चार। तीन और चार रुकू की रिवायात क़लील हैं। कसीर रिवायात (साबिक़ा और आइन्दा) दो रुकू के बारे में हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने ये मौक़िफ़ इख़्तियार फ़रमाया है कि कुसूफ़ के मुख़्तलिफ़ वाक़िआत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़्तलिफ़ रुकू फ़रमाये। ये तत्बीक़ बहुत मुनासिब थी अगर वाक़िअतन अहादीस में मुख़्तलिफ़ कुसूफ़ों का ज़िक्र होता मगर तहक़ीक़ से मालूम होता है कि अहादीस में सिर्फ़ एक सूरज ग्रहण का ज़िक्र है। अगरचे आपकी ज़िन्दगी में बहुत सी दफ़ा ग्रहण लगा होगा। (इसकी तफ़्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 1466 और इब्तेदाइये में गुज़र चुकी है) इसी तरह आपकी ज़िन्दगी में कई दफ़ा चाँद ग्रहण का वक़ूअ हुआ होगा मगर अहादीस में किसी भी चाँद ग्रहण का ज़िक्र नहीं आया, लिहाज़ा सही बात यही है कि अहादीस में से दो रुकू वाली अहादीस असह्ह व अक्सर हैं। इन्हीं को तर्जीह होगी। बाक़ी में वहम है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

बाब : (11)
सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (ﷺ) से मरवी नमाज़े कुसूफ की एक और सूरत

بَاب : (١١)
نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ

(1473) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते तय्यबा में सूरज को ग्रहण लग गया। आप (नमाज़ के लिये) उठे। अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने भी आपके पीछे सफ़ें बाँधी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लम्बी क़िराअत फ़रमाई, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू किया, फिर अपना सर उठाया और समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहा, फिर क़याम शुरू कर दिया और लम्बी क़िराअत की जो कि पहली क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहा, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया। और चार रुकू और चार सज्दे मुकम्मल किये। आपके (नमाज़ से) फ़ारिग़ होने से पहले सूरज मुकम्मल रोशन हो चुका था, फिर आप खड़े हुये और लोगों को ख़ुत्बा दिया। अल्लाह तआला की हम्द व सना की जिसका वह अहल है, फिर फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें (ग्रहण लगा हुआ) देखो तो नमाज़े कुसूफ शुरू कर दो यहाँ तक कि ग्रहण की हालत ख़त्म हो

لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ " .

जाये।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने इस (नमाज़ के) क़याम के दौरान में हर चीज़ देख ली जिसका तुमसे वादा किया गया है। जब तुमने मुझे आगे बढ़ते हुये देखा था तो दरअस़ल मैंने जन्नत से एक ख़ोशा तोड़ने का इरादा किया था। और जब तुमने मुझे पीछे हटते हुये देखा था तो दरअस़ल मैंने जहन्नम को देखा था कि उसके मुख़्तलिफ़ हिस़्से एक दूसरे को तोड़ रहे थे, और मैंने जहन्नम में अ़म्र बिन लुहय को देखा और ये वह शख़्स़ है जिसने बुतों के नाम पर जानवर खुले छोड़ने की रस्म डाली।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, ह: 901/3, बुख़ारी, हदीस़: 1046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1857.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में नमाज़े कुसूफ़ के दौरान जन्नत व जहन्नम और दूसरी पोशीदा चीज़ें देखने का भी ज़िक्र है। आपका ये देखना बेदारी में था। और सिर्फ़ आपके साथ ख़ास़ था, यानी स़हाबा को वह चीज़ें नज़र न आती थीं। इस क़िस्म के देखने को तस़व्वुफ़ की इस़्तेलाह में कश्फ़ कहा जाता है। अम्बिया (عليهم السلام) को ये अक्स़र होता था। कभी कभार ग़ैर अम्बिया के साथ भी ऐसे वाक़िआत हुये हैं। मोतबर रिवायत की सूरत में ऐसा वाक़िया तस्लीम किया जायेगा। ये उनकी करामत और उसका शुमार अल्लाह तआला की निशानियों में होगा। इस सूरत में स़ाहिबे कश्फ़ के अलावा बाक़ी लोगों को वह चीज़ें नज़र नहीं आ रही होतीं, इसलिये उन्हें ताज्जुब होता है, जैसे स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को आपके आगे बढ़ने और पीछे हटने पर ताज्जुब हुआ। उनके लिये आपने वज़ाहत फ़रमाई। **(2)** 'हर चीज़' यानी शारेहीन ने इसमें अल्लाह तआला को भी दाख़िल समझा है, मगर स़राहत के बग़ैर इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी जसारत है। जबकि क़ुर्आन मजीद में है: (लन तरानी) (अल आराफ़ 7/143) और (ला तुदरि कुहुल अब्सारू) (अल अन्आम: 6/103) यानी अल्लाह तआला को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ अगले जहाँ (आख़िरत में) मोमिनीन को अल्लाह तआला का दीदार नस़ीब होगा। अल्लाह तआला हमें भी उनमें शामिल फ़रमाये।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ

(1474) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُودِيَ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

लग गया तो ऐलान किया गया: नमाज़ की जमाअत होनी है। लोग इकट्ठे हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। और (दो रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे किये।

(1474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1858.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا " . ثُمَّ قَالَ " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

(1475) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई। आपने क़याम फ़रमाया और बहुत लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया और बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर क़याम फ़रमाया और लम्बा क़याम फ़रमाया लेकिन ये पहले क़याम से कम था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया लेकिन ये पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया, फिर फ़ारिग़ हुये तो सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था, फिर आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया। अल्लाह की हम्द व सना की, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ये सूरते हाल देखो तो अललाह तआला से दुआएँ करो और अल्लाह तआला की बुज़ुर्गी बयान करो और सदक़ात करो।' फिर फ़रमाया: 'ऐ उम्मते मुहम्मद! कोई शख़्स अल्लाह तआला से बढ़ कर इस बात पर ग़ैरत नहीं करता कि उसका कोई

وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " .

गुलाम या लौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! अगर तुम वह चीज़ें जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हँसो और बहुत ज़्यादा रोओ।'

तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम: 901, बुख़ारी:1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,ह: 1859, मौता: 1/186

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَيُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا

(1476) हज़रत आयशा (ﵭ) फ़रमाती हैं कि एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी: अल्लाह तआला तुझे क़ब्र के अज़ाब से बचाये। हज़रत आयशा (ﵭ) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) क्या लोगों को क़ब्रों में अज़ाब होगा? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ।' हज़रत आयशा(ﵭ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) एक दफ़ा निकले। इतने में सूरज को ग्रहण लग गया। हम सब हुज्रे में चले आये। हमारे पास बहुत सी औरतें इकट्ठी हो गईं। अल्लाह के रसूल (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये। ये चाश्त (दिन चढ़ने) के वक़्त की बात है, फिर आपने लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर उठाकर दोबारा क़याम किया लेकिन ये पहले क़याम से कम था, फिर पहले रुकू से कम रुकू किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत के लिये खड़े हुये और इसमें भी उसी तरह किया मगर इस रकअत के क़याम व रुकू पहली रकअत के मुक़ाबले में कम थे, फिर सज्दे किये और सूरज भी पूरा रोशन हो गया। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मिम्बर पर बैठ गये और (तक़रीर

يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

के दौरान में) फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा लोगों को क़ब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह आज़माया जायेगा।' हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि इसके बाद हम आपको अक्सर अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुनते थे।

(1476) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1049, 1050, व मुस्लिम, 903, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1860.

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र के बारे में हज़रत आयशा (ﵞ) के सवाल का जवाब मुब्हम है। मुमकिन है उस वक़्त तक रसूलुल्लाह (ﷺ) को अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील न बतलाई गई हो और नमाज़े कुसूफ़ के दौरान में दूसरे इन्किशाफ़ात की तरह अज़ाबे क़ब्र का भी इन्किशाफ़ किया गया हो। फ़ित्न-ए-दज्जाल चूंकि बहुत बड़ी आज़माइश है, इसलिये अज़ाबे क़ब्र, यानी क़ब्र के सवाल व जवाब को इससे तश्बीह दी गई। वल्लाहु आलम!

باب : (١٢) نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (12) नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - هُوَ الأَنْصَارِيُّ - قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِي فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ فَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا - يَعْنِي - وَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ

(1477) हज़रत आयशा (ﵞ) से रिवायत है कि एक यहूदी औरत मेरे पास कुछ माँगने आई। वह कहने लगी अल्लाह तआला तुझे अज़ाबे क़ब्र से बचाये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या लोगों को क़ब्रों में अज़ाब दिया जायेगा? आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' फिर आप सवारी पर सवार होकर कहीं गये। इधर सूरज को ग्रहण लग गया। मैं दूसरी औरतों के साथ हुज्रों के दरम्यान खड़ी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सवारी से उतर कर तशरीफ़ लाये अपनी नमाज़ की जगह में पहुँचे, फिर

लोगों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की, चुनांचे आपने क़याम किया और बहुत लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर अपना सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर अपना सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर (दूसरे सज्दे के बाद) खड़े हुये और पहले क़याम से हल्का क़याम किया, फिर पहले रुकू से हल्का रुकू किया, फिर अपना सर उठाया और पहले क़याम से हल्का क़याम किया, फिर अपने पहले रुकू से हल्का रुकू किया, फिर सर उठाया और पहले से कुछ कम देर खड़े रहे इस तरह चार रुकू और चार सज्दे हुये। इधर सूरज भी रोशन हो गया, फिर आपने (ख़ुत्बे के दौरान में) फ़रमाया: 'तुम्हें क़ब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह आज़माया जायेगा।' हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं: इसके बाद मैंने आप (ﷺ) को अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना।

(1477) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1861.

بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(1478) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण के मौक़े पर ज़म ज़म के चबूतरे पर नमाज़ पढ़ी, इसमें चार रुकू किये और चार सज्दे किये।

(1478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 903, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1862.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

फ़ायदा : इस हदीस में 'ज़मज़म' का ज़िक्र किसी रावी का वहम है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़े

कुसूफ़ मदीना मुनव्वरा ही में साबित है और मुहक़्क़क़ क़ौल के मुताबिक़ वह भी सिर्फ़ एक दफ़ा, लिहाज़ा ये लफ़्ज़ लाज़िमन रावी का वहम है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/424, 425, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 1476)

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

(1479) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक सख़्त गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई। आपने बहुत लम्बा क़याम फ़रमाया यहाँ तक कि लोग गिरने लगे, फिर आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर आपने सर उठाया तो लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर उठाया तो काफ़ी देर खड़े रहे, फिर दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और दूसरी रकअत भी उसी तरह पढ़ी। (क़याम के दौरान में) आप आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हटते थे। तो इस तरह ये चार रुकू और चार सज्दे हुये। लोग कहा करते थे कि सूरज और चाँद को किसी अज़ीम सरदार की वफ़ात पर ही ग्रहण लगता है। (आपने फ़रमाया:) 'ये दोनों अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जो अल्लाह तआला तुम्हें दिखाता है। तो जब उनमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1863.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये रिवायत: 1473.

बाब : (13)
नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत

باب : (١٣)
نَوْعٌ آخَرُ

(1480) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया। आपके हुक्म से ऐलान किया गया कि नमाज़ की जमाअत होनी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को दो रुकू के साथ एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े हुये और दो रुकू के साथ एक और रकअत पढ़ी। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि इससे ज़्यादा लम्बा रुकू और सज्दा मैंने कभी नहीं किया।

मुहम्मद बिन हिम्यर ने (इस रिवायत के बयान में) मरवान की मुख़ालिफ़त की है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1045, व मुस्लिम, ह: 910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1864.

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ فَنُودِيَ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً . قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ .

फ़ायदा : ये मुख़ालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा हदीस से वाज़ेह हो रहा है। सनद में मुख़ालिफ़त ये है कि मरवान ने यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद अबू सलमा बताया है जबकि इब्ने हिम्यर ने अबू तुअ्मा। और मतन में मरवान ने सज्दा कहा है जब कि मुहम्मद बिन हिम्यर ने सज्दतैन (दो सज्दे) कहा है।

(1481) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (पहली रकअत में) दो रुकू और दो सज्दे फ़रमाये, फिर आप खड़े हुये और (दूसरी रकअत में भी) दो रुकू और दो सज्दे फ़रमाये। इतने में सूरज रोशन हो गया।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ

وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ . وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ مَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُجُودًا وَلاَ رَكَعَ رُكُوعًا أَطْوَلَ مِنْهُ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ .

हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाया करती थीं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इससे लम्बा रुकू और सज्दा कभी नहीं किया।

अली बिन मुबारक ने मुआविया बिन सलाम की मुख़ालिफ़त की है।

(1481) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1865.

फ़ायदा : इस मुख़ालिफ़ात की वज़ाहत आइन्दा हदीस में हो रही है कि अली बिन मुबारक ने ये रिवायत हज़रत आयशा (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब की है जबकि मुआविया बिन सलाम ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصَةَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ، لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلاَتِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ.

(1482) हज़रत आयशा (ﷺ) बताती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लगा तो आपने वुज़ू फ़रमाया और हुक्म दिया तो ऐलान किया गया कि नमाज़ की जमाअत होनी है, फिर आपने क़याम शुरू फ़रमाया और नमाज़ में बहुत लम्बा क़याम फ़रमाया। हज़रत आयशा(ﷺ) ने फ़रमाया: मेरा अन्दाज़ा है कि आपने सूरह बक़रः पढ़ी, फिर आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर फ़रमाया: समिअल्लाहुलिमन हमिदा, फिर क़याम किया जिस तरह पहला क़याम फ़रमाया था। सज्दा नहीं किया, फिर रुकू में गये, फिर सज्दा किया, फिर खड़े हुये और इस रकअत में भी पहली रकअत की तरह दो रुकू और दो सज्दे किये, फिर (तशहहुद में) बैठे। इतने में सूरज भी रोशन हो गया।

(1482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/98, 158, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मेरा अन्दाज़ा है' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत आहिस्ता होनी चाहिए। अगर आप जहर फ़रमाते तो अन्दाज़ा लगाने की क्या ज़रूरत थी? हालांकि आगे स़रीह रिवायत (1495) आ रही है कि आपने बलन्द आवाज़ से क़िराअत की और वह रिवायत भी हज़रत आयशा (ﷺ) ही से है। और वह स़हीहैन की रिवायत है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1065, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (5)-901) स़रीह रिवायत के मुक़ाबले में जो अस़हह भी है, एक मुब्हम रिवायत को तर्जीह नहीं दी जा सकती। बल्कि स़रीह रिवायत को तर्जीह होगी या तत्बीक़ दी जायेगी कि आपने क़िराअत जहरन की थी मगर मज्मअ़ ज़्यादा दूर होने की वजह से क़िराअत सुनाई नहीं दे सकी थी। या दूर वालों को आवाज़ तो सुनाई देती थी मगर समझ में नहीं आती थी कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तभी तो हज़रत आयशा (ﷺ) जहर की रिवायत भी बयान फ़रमाती हैं और अन्दाज़ा भी लगा रही हैं। कुछ अहले इल्म ने ये तत्बीक़ बयान की है कि तवील ज़माना की वजह से आपको याद न रहा कि नबी (ﷺ) ने क्या क़िराअत की थी, इसलिये तख़्मीना बयान किया लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। **(2)** इस रिवायत और रिवायत नम्बर 1480 में इख़्तिस़ार है कि दो सज्दों की तफ़्स़ील नहीं सिर्फ़ सज्दे का ज़िक्र है क्योंकि नमाज़े कुसूफ़ आम नमाज़ से सिर्फ़ रुकू में मुख़्तलिफ़ है, इसलिये रुकू की तफ़्स़ील बयान कर दी कि वह एक रकअ़त में दो थे मगर सज्दे तो इत्तेफ़ाक़न हर नमाज़ में एक रकअ़त में दो ही हैं, लिहाज़ा इसे मुब्हम ज़िक्र कर दिया। कोई शख़्स़ भी एक सज्दे का क़ाइल नहीं। इमाम स़ाहिब ने शायद ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के पेशे नज़र इसे 'एक और सूरत' बना दिया, वरना ये कोई सूरत नहीं, और एक क़ौल ये भी है कि यहाँ तस़हीफ़ वाक़ेअ़ हुई है। अस़ल में फ़ी सज्दतिन था, ग़लती से व सज्दतिन हो गया या व सज्दतैन से व सज्दतन हो गया जो यक़ीनन ग़लती है। तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 16/233)

बाब : (14)
एक और सूरत

باب : (١٤)
نَوْعٌ آخَرُ

(1483) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये उठे। जो लोग आपके साथ थे, वह भी उठे। आपने क़याम फ़रमाया और बड़ा लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया तो

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي السَّائِبُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ قَالَ انْكَسَفَتِ

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ " لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ أُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّى لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَلَقَدْ أُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ حَتَّى

बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर अपना सर उठाया और सज्दा फ़रमाया और बहुत लम्बा सज्दा फ़रमाया, फिर सर उठाया और बैठ गये। बहुत देर बैठे रहे, फिर दूसरा सज्दा किया और बहुत लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और खड़े हो गये, फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह क़याम, रुकू, सज्दा और जल्सा किया जिस तरह पहली रकअत में किया था। दूसरी रकअत के आख़री सज्दे में आप आहें भरने और रोने लगे। आप फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक तू इनके अन्दर मौजूद है, मैं अज़ाब नहीं भेजूंगा। ऐ अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक हम तुझसे बख़्शिश तलब करते रहेंगे, तू अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा।' फिर आपने सर उठाया तो सूरज रोशन हो गया था, फिर अल्लाह के रसूल(ﷺ) उठे और लोगों से ख़िताब फ़रमाया। पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद अल्लाह (عزوجل) की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब तुम उनमें से किसी का ग्रहण देखो तो जल्दी से अल्लाह तआला के ज़िक्र की तरफ़ चलो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! जन्नत मेरे इतनी क़रीब की गई कि अगर मैं अपना हाथ बढ़ाता तो उसके (फलों के) कुछ ख़ोशे तोड़ लेता। और आग मेरे इस क़द्र क़रीब की गई कि मैं उससे बचने लगा। मुझे ख़तरा महसूस होने लगा था कि कहीं वह तुम पर न छा जाये, और मैंने उसमें बनू हिम्यर की एक औरत देखी जिसे एक बिल्ली की वजह से

رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ سَقَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ وَإِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ أَلْيَتَهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَخَا بَنِي الدَّعْدَاعِ يُدْفَعُ بِعَصًا ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ " .

अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने बाँधे रखा। न तो उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाती और न उसे ख़ुद खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि वह (बिल्ली भूख प्यास से) मर गई। वल्लाह! मैंने उसे (बिल्ली को) देखा कि वह औरत जब उसकी तरफ़ मुँह करती थी तो वह उसे नोचती थी और जब वह पीठ करती थी तो उसके सुरीन को काटती थी। और यहाँ तक कि मैंने आग में बनू दअ्दअ के एक जूता चोर को देखा जिसे एक, दो शाख़ा लकड़ी के साथ आग में धकेला जा रहा था। और मैंने आग में उस छड़ी वाले को देखा जो अपनी छड़ी से हाजियों का सामान चुराया करता था। वह आग में अपनी छड़ी के सहारे खड़ा कह रहा था। (ऐ लोगो!) मैं हूँ छड़ी से चोरी करने वाला।'

(1483) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1194, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1867.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत भी मुख़्तसर है। इसमें दो रुकू की तफ़्सील नहीं। रावी-ए-हदीस़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) ही से हदीस़ नम्बर 1480 में स़राहतन मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ में हर रकअत में दो रुकू किये, लिहाज़ा यही मोतबर है। इमाम स़ाहब (ﷺ) ने शायद ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को मद्दे नज़र रखते हुये इसे भी 'एक और सूरत' बना दिया। हक़ीक़तन ये कोई अलग सूरत नहीं। या सूरत से मुराद नमाज़े कुसूफ़ की और सूरत नहीं है बल्कि मुराद ये है इस वाक़िये की तफ़्सील एक और अन्दाज़ में मज़्कूर है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'तेरा मुझसे वादा है।' इस जुम्ले से क़ुर्आनी आयत: 'जब तक तू इनमें मौजूद है, अल्लाह तआला इन्हें अ़ज़ाब नहीं देगा।' (अल अन्फ़ाल: 8/33) की तरफ़ इशारा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ में जहन्नम की आमद को अ़ज़ाब की तमहीद ख़्याल फ़रमाया होगा, वरना कुसूफ़ बज़ाते ख़ुद अ़ज़ाब नहीं। **(3)** 'ख़ोशे तोड़ लेता' मालूम हुआ हक़ीक़ी जन्नत आपको दिखलाई गई, इसी तरह जहन्नम भी। **(4)** 'छड़ी वाला, असल लफ़्ज़ मिहजन है। व अ़सा जो आगे से मुड़ा हुआ हो।

(1484) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहणा गया। आप उठे और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर खड़े हुये और लम्बा क़याम किया लेकिन ये पहले क़याम से कम था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम था, फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर दूसरा सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया लेकिन ये पहले सज्दे से कम था, फिर दो सज्दे किये। दोनों में ऐसे ही किया, यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये, फिर फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और ये किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम इनकी ये हालत देखो तो फ़ौरन अल्लाह तआला का ज़िक्र और नमाज़ शुरू कर दो।'

(1484) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल-कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1868.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، سَبَلاَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفَعَلَ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلاَةِ " .

बाब : (15) एक और सूरत

باب: (١٥) نَوْعٌ آخَرُ

(1485) हज़रत सअ़लबा बिन अब्बाद अ़ब्दी से रिवायत है ..... वह बस्रा के रहने वाले थे .... उन्होंने एक दफ़ा हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से ख़ुत्बा सुना। उन्होंने अपने ख़ुत्बे में

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ

حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا - قَالَ - فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ - قَالَ - فَوَافَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ - قَالَ - فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ كَأَطْوَلِ قِيَامٍ قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ رُكُوعٍ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ سُجُودٍ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي

रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक हदीस बयान फ़रमाई। फ़रमाया: एक दिन मैं और अन्सार का एक लड़का रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में (अपने मुक़र्रर कर्दा निशानों पर) तीर अन्दाज़ी कर रहे थे। जब सूरज देखने वाले की नज़र में उफ़ुक़ से दो-तीन नेज़े ऊँचा आ गया तो बेनूर हो गया। हममें से एक ने दूसरे से कहा: आओ मस्जिद चलें। अल्लाह की क़सम! सूरज की ये हालत रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये आपकी उम्मत में किसी नये हुक्म का सबब बनेगी। हम मस्जिद की तरफ़ चले तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें लोगों की तरफ़ निकलते हुये मिले। आप आगे बढ़े और नमाज़ शुरू कर दी। आपने इतना लम्बा क़याम फ़रमाया कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा क़याम नहीं फ़रमाया। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ रुकू किया और इतना लम्बा रुकू कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा रुकू नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ सज्दा किया। इतना लम्बा सज्दा कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा सज्दा नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया। जब आप दूसरी रकअत के आख़िर में बैठे तो सूरज रोशन हो चुका था। आपने सलाम फेरा, फिर अल्लाह की हम्द व सना की और इस बात की शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई (हक़ीक़ी और सच्चा) माबूद नहीं और इस बात की शहादत दी कि वह

الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . مُخْتَصَرٌ .

(आप) अल्लाह के बन्दे और उसके भेजे हुये (रसूल) हैं। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(1485) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1184, तिर्मिज़ी, हदीस: 562, हसन सहीह ग़रीब, वहु-व फ़ी सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1869, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1397, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 597, 598, वल हाकिम: 1/329-331.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे।' इसका ये मतलब नहीं कि आपने बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाअ की नफ़ी की है कि इज्तेमा इतना ज़्यादा था और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ आपके जहर पर दलालत करते हैं कि आपकी आवाज़ तो थी मगर हमें सुनाई नहीं देती थी। **(2)** इस रिवायत में सिर्फ़ एक रुकू और एक सज्दे का ज़िक्र है। दरअसल ये रिवायत मुख़्तसर है। मक़सद रुकू और सज्दे की तवालत का इज़्हार है न कि तादाद का बयान। हक़ीक़तन दो रुकू थे और दो सज्दे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात में सराहतन ज़िक्र है, वरना एक सज्दे का तो कोई भी क़ाइल नहीं, और कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। इस सूरत में मज़्कूरा बाला तत्बीक़ की ज़रूरत नहीं रहती। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 17/5-9, व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 1483, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1264)

बाब : (16)
एक और सूरत

بَاب : (١٦)
نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ " إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ

(1486) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना कपड़ा (बालाई चादर) घसीटते हुये घर से निकले यहाँ तक कि मस्जिद में आये और हमें नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। जब सूरज साफ़ हो गया तो फ़रमाया: 'लोग कहते हैं कि सूरज और चाँद किसी बड़े सरदार की मौत ही पर ग्रहणाते हैं, हालांकि ये हक़ीक़त

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ "

नहीं। सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं ग्रहणाते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की (अज़मत व तौहीद की) निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब अल्लाह (عزوجل) अपनी किसी मख़लूक़ पर तजल्ली फ़रमाता है तो वह मख़लूक़ फ़ौरन उसकी इताअत करती है। जब तुम ये सूरते हाल देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने (अबसे पहले) पढ़ी है, (यानी फ़ज्र की तरह।)'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ह: 1262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1870, अलबैहक़ी: 3/333.

फ़ायदा : 'क़रीब तरीन नमाज़ की तरह' अहनाफ़ ने इन अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल किया है कि नमाज़े कुसूफ़ में एक रुकू ही करना चाहिए, हालांकि दो रुकू वाली रिवायात अक़्वा और बिल्कुल सरीह हैं जबकि इस रिवायत में रुकू का ज़िक्र ही नहीं। बाक़ी रही तश्बीह तो वह तो रकआत की तादाद में भी हो सकती है, यानी दो रकआत पढ़ो। क्या मुब्हम रिवायत की वजह से बहुत सी सरीह और क़वी रिवायात को छोड़ा जा सकता है? फिर लतीफ़ा ये है कि सुबह की नमाज़ तो जहरन होती है। इस तश्बीह के मुताबिक़ तो नमाज़े कुसूफ़ जहरन होनी चाहिए, मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं जबकि जहर का ज़िक्र सही हदीस में है। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि सही हदीस के मुवाफ़िक़ तो इस्तेदलाल न किया जाये लेकिन दूसरी सही अहादीस के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? इसके अलावा मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़ीन ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम हदीस के पहले हिस्से (इन्नश्शम्स वल्क़मर .... वला लिहयातिहि) को तो सही क़रार दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मज्मूई मज़मून दीगर सही अहादीस से साबित है, अलबत्ता इससे अगला हिस्सा मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 17/9-14, व ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 1484)

وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ جَدَّهُ، عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَازِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ

(1487) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मदीने में थे कि सूरज ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना कपड़ा घसीटते हुये निकले, फिर आपने दो रकअतें

الْهِلاَلِيِّ، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلاَءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا " .

पढ़ीं और ख़ूब लम्बी पढ़ीं। इधर आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये, उधर सूरज भी रोशन हो गया। आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और उन्हें किसी की मौत व हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इस क़िस्म की कोई चीज़ देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 1185, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1871, अल बैहक़ी: 3/334.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيِّ، أَنَّ الشَّمْسَ، انْخَسَفَتْ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَأَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا " .

(1488) हज़रत क़बीसा हिलाली (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक कि सूरज रोशन हो गया, फिर आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद किसी की मौत की बिना पर नहीं ग्रहणाते बल्कि वह अल्लाह तआला की मख़्लूक़ात में से दो मख़्लूक़ हैं और अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ में जो चाहे तब्दीली लाता है और अल्लाह तआला जब अपनी किसी मख़्लूक़ पर तजल्ली फ़रमाता है तो वह फ़ौरन उसकी इताअत करती है। तो जब उन दोनों में से किसी में कोई तब्दीली वाक़ेअ हो (सूरज या चाँद को ग्रहण लगे) तो तुम नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह तआला कोई और अम्र सादिर फ़रमा दे।'

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा: 1402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, :1872, व सहीह अल हाकिम: 1/333.

(1489) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब सूरज या चाँद को ग्रहण लग जाये तो उस क़रीब तरीन नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है, (यानी फ़ज्र की नमाज़)'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** देखें, हदीस: 1486, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1873.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا " .

(1490) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी है कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ी। आप रुकू और सज्दा करते थे।

(1490) तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** देखें, हदीस: 1486, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1874.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلاَتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

फ़ायदा : हमारी आम नमाज़ की तरह इसमें भी रुकू सज्दे थे। वह सिर्फ़ क़याम ही पर मुश्तमिल न थी, या जिस तरह हम नमाज़े कुसूफ़ पढ़ते हैं, इसी तरह आप (ﷺ) ने पढ़ी थी। इस रिवायत में रुकू की तादाद की बहस नहीं।

(1491) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक दिन नबी (ﷺ) मस्जिद की तरफ़ तेज़ी से निकले क्योंकि सूरज को ग्रहण लग गया था। आप नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि सूरज रोशन हो गया। फिर आपने फ़रमाया: 'जाहिलियत वाले लोग कहते थे कि सूरज और चाँद को किसी बड़े ज़मीनी सरदार की मौत की वजह से ग्रहण लगता है, जबकि हक़ीक़त ये है कि सूरज और चाँद को किसी की मौत व हयात

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلاً إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا " .

की वजह से ग्रहण नहीं लगता बल्कि ये दोनों तो अल्लाह तआला की मख़्लूक़ात में से दो मख़्लूकें हैं। अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ में जो चाहे तब्दीली ला सकता है, लिहाज़ा इसमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह तआला कोई नया अम्र जारी फ़रमा दे।'

(1491) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1875.

फ़ायदा : 1485 से 1491 तक तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा इनसे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। कुसूफ़ का असहह तरीक़ा और तफ़्सील गुज़िश्ता सही अहादीस में गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ "

(1492) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास थे कि सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बालाई चादर को घसीटते हुये निकले यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँचे। लोग भी आपके पास जमा हो गये। आपने हमें दो रकअतें पढ़ाईं। जब ग्रहण ख़त्म हो गया तो आपने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला उन (के ग्रहण) के ज़रिये से अपने बन्दों को डराता है। उन्हें किसी की मौत व हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता, चुनांचे जब तुम ऐसी सूरते हाल देखो तो नमाज़ शुरू कर दो यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' ये आपने, इसलिये इरशाद फ़रमाया कि उस दिन आपका बेटा (हज़रत इब्राहीम (ﷺ)) फ़ौत हो गया था तो लोगों ने इस बारे में ये कहना शुरू

. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ لَهُ نَاسٌ فِي ذَلِكَ .

कर दिया था (कि ग्रहण उनकी वफ़ात की वजह से लगा है।)

(1492) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1876.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ هَذِهِ وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ .

(1493) हज़रत अबू बकरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हारी इस नमाज़ (नमाज़े कुसूफ़) की तरह दो रकअतें पढ़ी थीं और उन्होंने सूरज ग्रहण का ज़िक्र किया था।

(1493) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1877.

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने 'इस नमाज़' से मुराद आम नमाज़ ली है और फिर नमाज़े कुसूफ़ में एक रुकू पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये इस्तेदलाल सरीह और अक़्वा रिवायात के ख़िलाफ़ है। अमल सरीह पर होता है न कि इस क़िस्म के मुब्हम अल्फ़ाज़ पर।

باب : (١٧)
قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

बाब : (17) नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत की मिक़्दार?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ - قَالَ - ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ

(1494) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी जबकि लोग भी आपके साथ (नमाज़ में शामिल) थे। आपने लम्बा क़याम फ़रमाया और सूर-ए-बक़र: के बराबर क़िराअत की, फिर आपने लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया जबकि ये पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया और ये पहले रुकू से कम था, फिर सज्दे किये, फिर लम्बा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था,

الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ . قَالَ " إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " . قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُفْرِهِنَّ " . قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

फिर लम्बा रुकू फ़रमाया और ये पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम फ़रमाया मगर ये पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम था, फिर सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। उस वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था, फिर आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। उन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, लिहाज़ा जब तुम ये सूरते हाल देखो तो अल्लाह (عزوجل) को याद किया करो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आपको देखा था कि आपने अपने क़याम के दौरान में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे? आपने फ़रमाया: 'मैंने जन्नत देखी' या फ़रमाया: 'मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने उससे एक ख़ोशा लेने की कोशिश की थी और अगर मैं उसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते, और मैंने आग देखी। मैंने उस जैसा ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को देखा।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने फ़रमाया: 'अपने कुफ़्र की वजह से।' कहा गया: वह अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, वह ख़ाविन्द की नाशुक्री करती हैं और एहसान फ़रामोश हैं। अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी ज़िन्दगी हुस्ने सुलूक करे, फिर वह तुझसे कोई नागवार

चीज़ देखे तो कहेगी: मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सुलूक नहीं देखा।'

(1494) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1052, व मुस्लिम, हदीस: 907, मौता: 1/186, 187, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1878.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़े कुसूफ़ में लम्बा क़याम वग़ैरह सूरज को रोशन करने के लिये नहीं, उसे अपने मामूल के मुताबिक़ रोशन हो ही जाना होता है, कोई नमाज़ पढ़े या न पढ़े या गालियाँ दे क्योंकि वह तक्वीनी चीज़ है। ये तो सिर्फ़ वक़्ती फ़रीज़ा अदा करने के लिये है, जैसे सुबह की नमाज़ लम्बी पढ़ी जाती है। उ़मूमन कुसूफ़ का वक़्त तवील होता है। ख़ुसूसन आपके दौर का कुसूफ़ मुकम्मल सूरज ग्रहण था और मुकम्मल सूरज ग्रहण ख़त्म होने में काफ़ी वक़्त लगता है, लिहाज़ा इस नमाज़ में तवालत मुस्तहब और वक़्ती तक़ाज़ा है। **(2)** कुफ़्र के मानी इन्कार करना भी हैं, नाशुक्री करना भी। यहाँ दूसरे मानी मुराद हैं। और जहन्नम में ये दुख़ूल आ़रज़ी है क्योंकि गुनाहगार मोमिनों का अस़ल और मुस्तक़िल ठिकाना जन्नत है, हाँ हक़ीक़ी काफ़िर दाइमी जहन्नमी हैं और जहन्नम उनका मुस्तक़िल ठिकाना है।

बाब : (18) नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से क़िराअत करना

باب : (١٨) الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

(1495) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार सज्दों (यानी दो रकअ़तों) में चार रुकू किये। और नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से क़िराअत फ़रमाई। जब भी रुकू से सर उठाते थे तो कहते: (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द)

(1495) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1065, व मुस्लिम, हदीस: 901/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1879.

फ़ायदा : गोया दोनों रुकूओं से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदा .... ही कहना है। इमाम शाफ़ेई से पहले रुकू के बाद अल्लाहु अकबर मन्कूल है मगर ये दुरुस्त नहीं। सरीह रिवायत के मुक़ाबले में क़यास मोतबर नहीं।

बाब : (19) नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से किराअत न करना

باب : (١٩) تَرْكِ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ - عَنْ سَمُرَةَ، . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

(1496) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (﵁) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हमें नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे।

(1496) **तख़रीज : (सनद हसन)** देखें, हदीस: 1485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1882.

फ़ायदा:इस मसले की तफ़्सीली बहस के लिये हदीस न. 1482 व 1485 के फ़वाइद व मसाइल देखिये।

बाब : (20) नमाज़े कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा जाये?

باب : (٢٠) الْقَوْلِ فِي السُّجُودِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ

(1497) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। क़याम बहुत लम्बा किया, फिर रुकू किया तो लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया तो बहुत देर खड़े रहे। इसी तरह सज्दा भी ख़ूब लम्बा किया। आप (ﷺ) सज्दे में रोते थे, आहें भरते थे और फ़रमाते थे: 'ऐ मेरे रब! तूने मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया था जबकि मैं तो तुझसे बख़्शिश तलब कर रहा हूँ।

قَالَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ " رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ " . فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ سَارِقَ الْحَجِيجِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا - أَوْ قَالَ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ - فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

तूने मुझसे इस (अ़ज़ाब) का वादा नहीं किया था जबकि मैं इनमें मौजूद हूँ।' जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: 'मुझ पर जन्नत पेश की गई, यहाँ तक कि अगर मैं अपना हाथ बढ़ाता तो मैं उसके कुछ ख़ोशे ले लेता, और मुझ पर आग पेश की गई तो मैं उसमें फूंकें मारने लगा कि कहीं तुम्हें उसकी तपिश न आ ले। और मैंने उसमें अपनी दो ऊँटनियों का चोर भी देखा, और मैंने उसमें बनू दुअ़्दुअ़ का वह शख़्स देखा जो हाजियों की चीज़ें चुराया करता था। और अगर पता चल जाता तो वह कहता कि ये छड़ी की कारिस्तानी है। और मैंने उसमें एक लम्बी काली औ़रत देखी जिसे एक बिल्ली के बारे में अ़ज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने बाँध दिया था। न तो उसे खिलाया पिलाया और न उसे छोड़ा कि वह ख़ुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती यहाँ तक कि वह मर गई। (याद रखो!) सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं ग्रहणाते, बल्कि ये अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब उनमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो।'

(1497) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 1483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1883.

फ़ायदा : ये हदीस़ तफ़्सील के साथ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस़ नम्बर 1483, लिहाज़ा इसे इसकी रोशनी में समझा जाये, अलबत्ता इसमें बनू दुअ़्दुअ़ के शख़्स को जूता चोर कहा गया था और यहाँ ये बताया गया है कि वह हाजियों की चीज़ें चुराया करता था। गोया वह हाजियों के जूते छड़ी में फँसा कर ले भागता था। (मज़ीद तफ़्सीलात के लिये हदीस़ नम्बर 1483 के फ़वाइद देखिये)

बाब : (21)
नमाज़े कुसूफ़ में तशहहुद पढ़ना और सलाम फेरना

(1498) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को हुक्म दिया तो उसने ऐलान किया कि नमाज़ की जमाअत होने वाली है। लोग इकट्ठे हो गये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। आपने अल्लाहु अकबर कहा, फिर लम्बी क़िराअत की, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू किया, अपने क़याम जितना या उससे भी लम्बा, फिर अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर तवील क़िराअत की जो पहली क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। फिर सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा सज्दा किया, रुकू जितना या उससे भी लम्बा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाया और फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा किया, फिर अल्लाहु अकबर कह कर उठे और लम्बी क़िराअत की जो पहली क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा और फिर लम्बी क़िराअत की जो दूसरे क़याम की पहली क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा

بَاب : (٢١)
التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ، صَلاَةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ

الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَأَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلاَةِ " .

और लम्बा लेकिन पहले रुकू से कम लम्बा रुकू किया, फिर उठाया और समिअ़ अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर पहले सज्दों से कम लम्बे सज्दे किये। फिर तशह्हुद पढ़ा, फिर सलाम फेरा। फिर आप (तक़रीर के लिये) खड़े हुये। अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना की, फिर फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात की बिना पर बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें से जिसे ग्रहण लग जाये तो घबरा कर (फ़ौरन) नमाज़ की सूरत में अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दो।'

(1498) तख़रीज : (सनद सह़ी) अबू दाऊद, हदीस़: 1190, देखें हदीस़: 1495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1884.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ

(1499) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में नमाज़ पढ़ी। क़याम किया और बहुत लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और बहुत लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर खड़े हुये और लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा

فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ .

सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया (और तशह्हुद व दरूद वग़ैरह पढ़ा) फिर सलाम फेरा।

(1499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, बाब: (90), हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1885.

باب : (٢٢)
الْقُعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ

बाब : (22)
नमाज़े कुसूफ़ के बाद मिम्बर पर बैठना (यानी ख़िताब करना)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مَخْرَجًا فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . مُخْتَصَرٌ .

(1500) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) किसी काम से निकले थे कि सूरज बेनूर हो गया। हम हुज्रे की तरफ़ चले आये। दूसरी औरतें भी हमारे पास इकट्ठी हो गईं। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी हमारी तरफ़ तशरीफ़ ले आये। ये चाश्त का वक़्त था। आपने लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर उठाकर पहले क़याम से कम लम्बा क़याम किया, फिर पहले रुकू से कम लम्बा रुकू किया, फिर सज्दे किये, फिर दूसरी रकअत के लिये खड़े हुये और इसी तरह किया, मगर आपके क़याम व रुकू पहली रकअत से कम लम्बे थे, फिर आपने सज्दे किये। इधर सूरज भी रोशन हो गया। जब सलाम फेरा तो मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये (और बहुत सी बातें इरशाद फ़रमाईं।) इनमें ये भी फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा लोग क़ब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह आज़माये जायेंगे।' ये रिवायत मुख़्तसर है।

(1500) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1886.

फ़ायदा : क़ब्रों में आज़माइश से मुराद फ़रिश्तों का सवाल व जवाब है जो एक बहुत मुश्किल मरहला है और इसी पर निजात का दारोमदार है। हश्र के बाद तो इसी की तफ़्सील होगी। अल्लाह तआला हमें कामयाब फ़रमाये। आमीन!

बाब : (23) ग्रहण के मौक़े पर (नमाज़ के बाद) ख़ुत्बा कैसे होगा?

باب : (٢٣) كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِي الْكُسُوفِ

(1501) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया। आप खड़े हुये और नमाज़ शुरू कर दी तो बहुत ही लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया तो बहुत ही लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर उठाया तो बहुत लम्बा क़याम फ़रमाया मगर ये पहले क़याम से कम लम्बा था, फिर दूसरा रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सज्दा फ़रमाया (दो दफ़ा), फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया जो पहले क़याम से कम लम्बा था और फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया जो पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम फ़रमाया जो पहले क़याम से कम लम्बा था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया जो पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सज्दे फ़रमाये और नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो ग्रहण ख़त्म हो चुका था, फिर आपने लोगों से ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह तआला की अज़मत की दो

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ

فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " . وَقَالَ " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " .

निशानियाँ हैं। ये किसी की मौत व हयात की बिना पर बेनूर नहीं होते, लिहाज़ा जब तुम ये हालत देखो तो नमाज़ पढ़ो, सदक़ात करो और अल्लाह तआला को याद करो।' और फ़रमाया: 'ऐ उम्मते मुहम्मद! किसी को अल्लाह तआला से बढ़ कर ग़ैरत नहीं आती इस बात पर कि उसका ग़ुलाम या लौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! अगर तुम वह बातें जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम कम हँसो और ज़्यादा रोओ।'

(1501) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6631, 1044 वग़ैरह, व मुस्लिम, हदीस: 901, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1887.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ " .

(1502) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि जब सूरज को ग्रहण लगा था तो नबी (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया था और फ़रमाया था: अम्मा बाद!

(1502) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1888.

फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद कहा जाता है: अम्मा बाद! हम्द व सलात के बाद मेरा मक़सूद ये है। और इसके बाद मक़सद बयान किया जाता है। ये हदीस गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 1485.

باب : (٢٤) الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ

बाब : (24) ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का हुक्म

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ

(1503) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ थे कि सूरज को ग्रहण लग गया। आप जल्दी से अपनी बालाई चादर घसीटते हुये मस्जिद की तरफ़ चले। लोग

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا فَقَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ " .

भी आपके पास आ गये। आपने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई जैसे वह (अहले मदीना नमाज़े कुसूफ़) पढ़ते थे। जब सूरज रोशन हो गया तो आपने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'बिलाशुबहा सूरज और चाँद अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह तआ़ला उनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता है और उन्हें किसी की मौत की बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम उनमें से किसी को ग्रहण लगता देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआएँ करो यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।'

(1503) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1889.

फ़ायदा : दुआ नमाज़े कुसूफ़ के अन्दर भी हो सकती है, आगे पीछे भी, इन्फ़िरादी भी और इज्तेमाई भी।

باب : (٢٥)
الأَمْرِ بِالاِسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ

बाब : (25)
ग्रहण के मौक़े पर बख़्शिश तलब करने का हुक्म

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَتِهِ قَطُّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ

(1504) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी (ﷺ) घबरा कर उठे। आप को ख़तरा हुआ कि क़यामत न आ जाये। आप उठे यहाँ तक कि मस्जिद में आये और खड़े होकर इतने लम्बे क़याम, रुकू और सज्दे के साथ नमाज़ पढ़ी कि मैंने कभी आपको किसी नमाज़ में इतने लम्बे क़याम, रुकू और सज्दे करते नहीं देखा, फिर आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ ये निशानियाँ जो अल्लाह तआ़ला ज़ाहिर फ़रमाता है, किसी की

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ" .

मौत व हयात की बिना पर नहीं होतीं बल्कि अल्लाह तआला उन्हें, इसलिये ज़ाहिर फ़रमाता है कि अपने बन्दों के दिलों में उनकी बिना पर अपना ख़ौफ़ पैदा फ़रमाये। जब तुम कोई ऐसी चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करो, दुआएँ करो और उससे अपने गुनाहों की बख़्शिश तलब करो।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, ह: 1059, व मुस्लिम, ह 912, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1890.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावी-ए-हदीस ने नबी (ﷺ) की घबराहट और जल्दी से अन्दाज़ा लगाया कि शायद आपको क़यामत का ख़तरा महसूस हुआ है, ये नहीं कि आपको वाक़ेई क़यामत का ख़तरा पैदा हो गया था क्योंकि क़यामत की बहुत सी निशानियाँ आपने बयान फ़रमाई हैं जिनमें से सिवाए आपकी बिअ़सत के और कोई निशानी भी पूरी न हुई थी। ये भी कहा गया है कि मुमकिन है घबराहट की बिना पर आपका ज़हन उन निशानियों की तरफ़ मुतवज्जा न हो सका या उस वक़्त तक अभी आपको दूसरी निशानियाँ बतलाई ही न गई थीं, हालांकि ये वाक़िया आपकी वफ़ात से सिर्फ़ चार, साढ़े चार माह पहले हुआ है। आख़री दोनों वजहें कमज़ोर हैं। **(2)** चाँद ग्रहण का कोई वाक़िया अहादीस में मन्क़ूल नहीं मगर तमाम अहादीस में सूरज और चाँद को इकट्ठा ही ज़िक्र किया गया है और अहकाम भी मुश्तरका ही दिये गये हैं, लिहाज़ा चाँद ग्रहण के मौक़े पर भी नमाज़े कुसूफ़ इसी तरह पढ़ी जायेगी और दीगर अहकाम भी लागू होंगे। अहनाफ़ ने कुछ मसालेह की बिना पर चाँद ग्रहण में जमाअत को मुनासिब नहीं समझा मगर रिवायात सराहतन उनके ख़िलाफ़ हैं। **(3)** नमाज़े कुसूफ़ के बारे में पैंतालीस (45) रिवायात ज़िक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही वाक़िये से है। कुछ मुफ़स्सल हैं कुछ मुज्मल, फिर कुछ में वहम और ग़लत फ़हमी भी है, लिहाज़ा तमाम रिवायात को मिलाकर मज्मूई तौर पर जो वाक़िये की कैफ़ियत समझ में आती है, वह मोतबर होगी, और इक्का-दुक्का रिवायात में अगर कोई बात कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ आ गई है तो उसका ऐतबार नहीं किया जायेगा, बल्कि उसे वहम क़रार दिया जायेगा, ख़्वाह रावी सिक़ा ही हों क्योंकि किसी वाक़िये की तहक़ीक़ का यही तरीक़ा है। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الاستسقاء

बारिश की दुआ करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (١)
مَتَى يَسْتَسْقِي الإِمَامُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي . فَقَالَ " اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " . فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

बाब : (1)
इमाम बारिश की दुआ कब करे?

(1505) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! जानवर (क़हतसाली की बिना पर) हलाक हो गये और रास्ते मुन्क़तअ हो गये, अल्लाह तआला से (बारिश की) दुआ कीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई तो उस जुमे से अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश होती रही। तो (वही) आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़्यादा बारिश की वजह से) घर गिर गये और रास्ते मुन्क़तअ हो गये और जानवर मरने लगे हैं। तो आपने दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! पहाड़ों की चोटियों पर, टीलों पर, वादियों के नशेब (नालों) और जंगलात में बारिश बरसा।' तो बादल मदीना मुनव्वरा से इस तरह छट गये जिस तरह दरम्यान से कपड़ा फट जाता है।

तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1077, व मुस्लिम, हदीस: 897, मौता: 1/191, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1805.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़हतसाली की बिना पर जानवरों को चारा न मिलने से उनकी हलाकत वाज़ेह है। रास्ते मुन्क़तअ होने की वजह या तो घास वग़ैरह का ख़त्म होना है कि जब घास न होगी तो जानवरों का गुज़ारा कैसे होगा? और सफ़र जानवरों के बग़ैर मुमकिन नहीं था। या जब कुछ है ही नहीं तो सफ़र किस लिये करना है? तिजारती मण्डियाँ भी तभी चलेंगी जब कोई फ़सल हो, क़हतसाली की वजह से फ़सलें न रहीं तो तिजारत भी ख़त्म। (2) बारिश के बाद भी जानवरों की हलाकत या तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से थी या इसलिये कि बारिश ख़त्म हो तो कुछ उगे। हलाकत से मुराद इन्तेहाई कमज़ोरी भी हो सकती है, यानी हलाकत के क़रीब हो गये। रास्ते मुन्क़तअ होना तो वाज़ेह है कि पानी की कस्रत की बिना पर चलना मुमकिन नहीं रहा, और साबिक़ा वजूहात भी क़ाइम हैं। बारिश रुके तो वह वजूहात ख़त्म हों। (3) 'जिस तरह कपड़ा फट जाता है' यानी मदीना मुनव्वरा के ऊपर से बादल हट गये और इर्द गिर्द बादल ही बादल थे तो देखने से ऐसे लगता था जैसे दरम्यान से कपड़ा फट गया है और जगह ख़ाली हो गई है। बादल को कपड़े से तश्बीह दी गई है। (4) दोनों दुआओं की फ़ौरी क़बूलियत अलामाते नबूवत से है ..... (ﷺ) (5) बाब का मक़सद ये है कि बारिश की दुआ उस वक़्त की जाये जब बारिश न होने से नुक़सान हो, वरना हर वक़्त तो बारिश नहीं होती और न हर वक़्त दुआ ही की जाती है। (6) क़हतसाली के मौक़े पर लोग इमाम से बारिश की दुआ के लिये दरख़्वास्त कर सकते हैं। (7) एक आदमी पूरी जमाअत की तरफ़ से नुमाइन्दगी कर सकता है। (8) नेक बुज़ुर्गों से दुआ करवानी चाहिए। (9) दुआ में तमाम लोगों के अहवाल को मद्दे नज़र रखना चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुत्लक़ बारिश रुकने की दुआ नहीं की बल्कि सिर्फ़ मदीने में बारिश रुकने की दुआ की। इस ग़र्ज़ से कि मुमकिन है दूसरे इलाक़ों में अभी बारिश की ज़रूरत हो। (10) किसी मुसीबत और आज़माइश के ख़ात्मे की दुआ करना तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है। (11) इस हदीस से नमाज़े इस्तिस्क़ा की नफ़ी नहीं होती बल्कि वह सही अहादीस से साबित है, लिहाज़ा इस हदीस में इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के लिये इस बात की कोई दलील नहीं कि नमाज़े इस्तिस्क़ा ग़ैर मशरूअ है।

बाब : (2)
(नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का ईदगाह की तरफ़ निकलना

باب : (٢)
خُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاِسْتِسْقَاءِ

(1506) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه).... जिन्हें ख़्वाब में अज़ान सिखाई गई थी .... बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बारिश की

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي

بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، - قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ، عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي، أُرِيَ النِّدَاءَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ .

दुआ करने के लिये ईदगाह की तरफ़ निकले। आप क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जा हुये और अपनी चादर उल्टा ली और दो रकअ़तें पढ़ीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये इब्ने उयय्ना की ग़लती है क्योंकि जिस अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख़्वाब में अज़ान दिखाई गई थी वह अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बेह हैं जब कि मज़्कूरा हदीस़ बयान करने वाले अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम माज़नी हैं।

(1506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1012, व मुस्लिम, हदीस़: 2/894, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1806.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद नामी दो सहाबी हैं। एक अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम माज़नी और दूसरे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बेह। सिर्फ़ अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहा जाये तो शुब्हा हो सकता है कि कौन से मुराद हैं? जैसा कि हज़रत सुफ़ियान बिन उ़यय्ना को ग़लती लगी, इसलिये इमाम साहिब ने वज़ाहत फ़रमाई कि रावी-ए-हदीस़ अज़ान वाले अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बेह नहीं बल्कि ये अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम माज़नी हैं। **(2)** बारिश की दुआ, यानी सलाते इस्तिस्क़ा के लिये बस्ती से बाहर निकलना सुन्नत है, ताहम बअम्रे मजबूरी मस्जिद में भी अदा की जा सकती है। वल्लाहु आ़लम! **(3)** 'चादर उल्टाना' ये अ़मल भी मस्नून है। दरअस़ल फ़ेअ़ली दुआ है कि या अल्लाह! जिस तरह हमने अपनी चादरों को पलट लिया है, तू भी मौजूदा सूरत को इसी तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हतसाली ख़त्म कर दे और तंगी को ख़ुशहाली में बदल दे। चादर का दायाँ किनारा बायीं जानिब और बायाँ किनारा दायीं जानिब डाल लिया जाये, और निचला किनारा ऊपर और ऊपर वाला किनारा नीचे कर लिया जाये।

बाब : (3)
इमाम दुआ के लिये बाहर जाये तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए?

باب : (٣) الْحَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ

(1507) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन किनाना (رحمه الله) से रिवायत है कि मुझे फुलां शख़्स ने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के पास भेजा कि मैं उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े इस्तिस्क़ा के बारे में पूछूँ तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) गिड़गिड़ाते हुये; आजिज़ी के साथ सादा कपड़ों में (आराइश और ज़ीनत के बग़ैर) निकले। आपने तुम्हारे इस खुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया, फिर दो रकआत पढ़ीं।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1266, अबू दाऊद, हदीस: 1165, तिर्मिज़ी, हदीस: 558, 559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1808, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1405, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 603 वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَرْسَلَنِي فُلاَنٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह तआला से दुआ के वक़्त आजिज़ी, ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ और सादगी बड़ी मुअस्सिर चीज़ है। **(2)** 'तुम्हारे इस ख़ुत्बे की तरह' यानी आपने ख़ुत्बा तो दिया था मगर वह तुम्हारे ख़ुत्बों की तरह नहीं था बल्कि उसमें दुआए इस्तेग़फ़ार और आजिज़ी का इज़्हार था, कोई तक़रीर न थी। **(3)** जुम्हूर उलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम क़ब्ल अज़ नमाज़ भी जायज़ है। वल्लाहु आलम!

(1508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ाई तो आप पर स्याह ऊनी चादर थी।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 1164, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1809, व सहीह इब्ने अल्मलक्क़ीन तोहफ़तुल मोहताज, ह: 734, वल हाकिम: 1/327.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ

फ़ायदा : स्याह ऊनी चादर भी सादगी के ज़ेल में आती है। ये क़ीमत में भी मामूली होती है।

बाब : (4) दुआए इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का मिम्बर पर बैठना

باب : (۴) جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلاِسْتِسْقَاءِ

(1509) हज़रत इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन किनाना (رَحِمَهُ اللهُ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े इस्तिस्क़ा के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सादा कपड़ों में, आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाते हुये निकले, फिर आप मिम्बर पर बैठे लेकिन तुम्हारे ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया बल्कि आप दुआ करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह तआ़ला की बुज़ुर्गी बयान करते रहे, फिर आपने ईदैन की नमाज़ की तरह दो रकआ़त पढ़ीं।

तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1807.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ.

फ़ायदा : ईदैन की नमाज़ के साथ मुशाबिहत रकआ़त की तादाद, वक़्त, यानी इसका वक़्त भी सूरज निकलने के बाद का है, और जगह, यानी ये नमाज़ भी बाहर खुले मैदान में अदा की जाती है और जमाअ़त में है, मुकम्मल तौर पर मुशाबिहत नहीं क्योंकि इसमें ईदैन की नमाज़ की तरह ज़्यादा तकबीरात नहीं हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (5) दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना

باب : (۵) تَحْوِيلِ الإِمَامِ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

(1510) हज़रत अ़ब्बाद बिन तमीम के चचा (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम(ﷺ)) बयान करते हैं कि मैं भी दुआए

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ

بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ .

इस्तिस्क़ा के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ गया था। आपने अपनी चादर उल्टाई और लोगों की तरफ़ पुश्त कर ली और दुआ करने लगे, फिर दो रकअतें पढ़ाईं और उनमें बलन्द आवाज़ से क़िराअत की।

(1510) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1024, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1812.

फ़ायदा : दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम को भी क़िब्ला रुख़ होना चाहिए। बाक़ी लोग तो आम दुआ में भी क़िब्ला रुख़ होते हैं, ताकि एक दूसरे की तरफ़ मुँह न हो। इस तरह ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ आला दर्जे का होगा। एक दूसरे की तरफ़ देखने से ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ में फ़र्क़ आ सकता है।

بَاب : (٦) تَقْلِيبِ الْإِمَامِ الرِّدَاءَ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ

बाब : (6) दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त इमाम का चादर उल्टाना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

(1511) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने बारिश की दुआ फ़रमाई और दो रकअतें पढ़ीं और अपनी चादर उल्टाई।

(1511) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 1506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1813.

بَاب : (٧) مَتَى يُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ

बाब : (7) इमाम अपनी चादर कब उल्टाये?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ

(1512) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा से) बाहर निकले और बारिश की दुआ की और जब (दुआ के लिये) क़िब्ला रुख़ हुये

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

तो आपने अपनी चादर उल्टाई।

(1512) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1506, मौता: 1/190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1815.

بَاب : (٨)
رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ

बाब : (8)
इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ उठाना

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

(1513) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दुआए इस्तिस्क़ा में देखा। आपने क़िब्ले की तरफ़ मुँह फ़रमाया, चादर को उल्टाया और (दुआ के लिये) अपने हाथ उठाये।

(1513) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1023, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1816.

بَاب : (٩)
كَيْفَ يَرْفَعُ

बाब : (9)
(इमाम) हाथ कैसे उठाये?

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

(1514) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी भी दुआ में इतने बलन्द हाथ नहीं उठाते थे जितने दुआए इस्तिस्क़ा में। आप इसमें हाथ इतने बलन्द उठाते कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी नज़र आती।

(1514) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1031, व मुस्लिम, हदीस: 7/896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1817.

फ़ायदा : आम दुआ में सीने या चेहरे के बराबर हाथ उठाते थे। दुआए इस्तिस्क़ा में कस़रते तज़रोंअ व तख़श्शोअ की बिना पर हाथ मज़ीद ऊँचा फ़रमाते।

(1515) हज़रत आबी अल लहम (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने नबी (ﷺ) को अह्जारुज़्ज़ैत के मक़ाम पर बारिश की दुआ करते देखा। आप अपने हाथ उठाये हुये थे और दुआ फ़रमा रहे थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ عَنْ آبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو .

(1515) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1820, व सहीह हाकिम: 1/535, अबी दाऊद, हदीस: 1168, 1172, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 601, 602 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आबी अल लहम नाम नहीं लक़ब है क्योंकि ये जाहिलियत में बुतों के नाम पर ज़बह किये गये जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। इनके नाम की बाबत इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक, कुछ ने ख़ल्फ़ और हुवैरिस बताया है। जंगे हुनैन में शहीद हुये। (ﷺ) (2) अह्जारुज़्ज़ैत मदीना मुनव्वरा के क़रीब एक जगह का नाम है क्योंकि वहाँ के पत्थर स्याह चमकदार थे जैसे उन्हें तेल मला गया हो।

(1516) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम जुमे के दिन मस्जिद में थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते मुन्क़तअ हो गये और जानवर हलाक होने लगे और शहरों में क़हत पड़ गया। अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाइये, हमें बारिश अता फ़रमाये। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चेहर-ए-मुबारक के बराबर अपने हाथ उठाये और फ़रमाया: (अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश नाज़िल फ़रमा।' अल्लाह की क़सम! अभी अल्लाह के रसूल (ﷺ) मिम्बर से नहीं उतरे थे कि हम पर ख़ूब ज़ोर से बारिश बरसने लगी बल्कि उस दिन से अगले जुमे तक बारिश बरसती रही। तो एक आदमी खड़ा हुआ .... मैं नहीं जानता ये

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، - وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَأَجْدَبَ الْبِلاَدُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا " . فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِنْبَرِ

حَتَّى أُوسِعْنَا مَطَرًا وَأُمْطِرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ رَجُلٌ - لاَ أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لاَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " . قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا .

वही शख़्स था जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बारिश की दुआ करने को कहा था या कोई और ..... उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! पानी की ज़्यादती की वजह से रास्ते मुन्क़तअ़ हो गये और जानवर मरने लगे। अल्लाह तआ़ला से दुआ फ़रमाइये कि अल्लाह तआ़ला हम से बारिश रोक ले। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई: (अल्लाहुम्मा! हवालैना ....) 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न फ़रमा बल्कि पहाड़ों और जंगलात पर बारिश फ़रमा।' अल्लाह की क़सम! जूँ ही रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये कलिमात कहे, बादल छटने लगे यहाँ तक कि हमें एक टुकड़ा भी नज़र न आता था।

(1516) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1505, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1818.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'चेहर-ए-मुबारक के बराबर' ये मस्जिदे नबवी के अन्दर की बात है और हज़रत अनस (رضي الله عنه) ही की रिवायत: (1514) शहर से बाहर के बारे में थी, लिहाज़ा कोई तआरुज़ नहीं। आम दुआ में हाथ सीने या चेहरे के बराबर ही उठाये जाते हैं। **(2)** इमाम साहिब ने हाथ उठाने की कैफ़ियत का बाब नहीं बाँधा। सहीह मुस्लिम में हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि दुआए इस्तिस्क़ा में आपके हाथों की पुश्त आसमान की तरफ़ थी और हथेलियाँ ज़मीन के रुख़ थीं। इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि अगर किसी वाक़ेअ़ मुसीबत के रफ़ा की दुआ हो तो शायद दुआए इस्तिस्क़ा में हाथों को उलटना, चादर उल्टाने की तरह बतौरे फ़ाल हो कि अल्लाह तआ़ला हमारी हालत बदल दे। **(3)** आपकी दोनों दुआओं की फ़ौरी क़बूलियत अलामाते नबूवत में से है।

बाब : (10)
(नमाज़ की बजाये सिर्फ़) दुआ का ज़िक्र

باب: (١٠) ذِكْرِ الدُّعَاءِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي

(1517) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया:

وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا " .

(अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश अता फ़रमा।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, ह: 1417, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1823, बुख़ारी, ह: 1029 वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، - وَهُوَ الْعُمَرِيُّ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قُحِطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا . قَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا " . قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ -قَالَ - فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ إِنَّهَا أُمْطِرَتْ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَانْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ

(1518) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुमे के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि लोग खड़े होकर बलन्द आवाज़ से कहने लगे: ऐ अल्लाह के नबी! बारिश (अर्से-ए-दराज़ से) रुकी हुई है और जानवर मर रहे हैं। अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाइये कि बारिश नाज़िल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहुम्मस्क़िना, अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला। ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला।' अल्लाह की क़सम! हम आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे, फिर एक छोटा सा बादल पैदा हुआ, फिर उसने फैलना शुरू किया, फिर वह बरसने लगा और अल्लाह के रसूल (ﷺ) मिम्बर से उतरे और नमाज़ पढ़ाई। लोग (बारिश में) घरों को गये। अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश होती रही। तो जब अल्लाह के रसूल (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये तो लोगों ने फिर बलन्द आवाज़ से कहा: ऐ अल्लाह के नबी! घर गिर गये और रास्ते मुन्क़तअ हो गये। अल्लाह तआला से दुआ कीजिये, अल्लाह तआला बारिश रोक ले। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुस्कराये और फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न फ़रमा।' बादल मदीना मुनव्वरा से छट गये। मदीने के इर्द गिर्द बारिश होती थी और मदीने में एक

بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ .

क़तरा भी नहीं बरसता था। मैंने मदीना मुनव्वरा को देखा, ऐसे लगता था जैसे उस पर ताज हो।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 1021, व मुस्लिम, ह: 10/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1822.

फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के ऊपर बिल्कुल बादल नहीं थे, इर्द गिर्द बादल थे। दरम्यान में गोलाई की सूरत में नीलगूं आसमान नज़र आता था। ताज भी ऐसा ही होता है, गोल और सर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ। ये एक बेहतरीन शायराना तख़य्युल है जिससे हज़रत अनस (ﷺ) की मदीना मुनव्वरा से अक़ीदत और मोहब्बत झलकती है। उन्होंने इस सूरते हाल को ऐसे प्यारे अल्फ़ाज़ से बयान फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا " . قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَأَمْطَرَتْ . قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا .

(1519) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! जानवर मर गये और रास्ते मुन्क़तअ हो गये, अल्लाह तआला से दुआ कीजिये कि अल्लाह तआला हम पर बारिश बरसाये। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने हाथ उठाये, फिर फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा। ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा।' हज़रत अनस(ﷺ) बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! हम आसमान में बादल क्या बादल का टुकड़ा भी न देखते थे, और हमारे और सलअ पहाड़ के दरम्यान कोई मकान या घर भी हाइल न था। अचानक ढाल जितना छोटा सा बादल का टुकड़ा (पहाड़ के पीछे से) ज़ाहिर हुआ, जब वह आसमान के दरम्यान में (यानी हमारे सरों पर) आया तो फैल गया और बरसने लगा। हज़रत अनस बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! फिर

قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " . قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ . قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ قَالَ لاَ .

हमने पूरा हफ़्ता (सात दिन) सूरज नहीं देखा, फिर आइन्दा जुमे उसी दरवाज़े से एक आदमी दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला आप पर (बेशुमार) रहमतें फ़रमाये। (पानी की कस्रत की बिना पर) जानवर मरने लगे हैं और रास्ते भी मुन्क़तअ हैं। अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाइये कि हमसे बारिश रोक ले। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हाथ उठाये और फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! टीलों पर, तोदों पर, वादियों के नशेब और जंगलात में बारिश बरसा।' हज़रत अनस (ؓ) बयान करते हैं कि (ये कहना था कि) बारिश फ़ौरन रुक गई और हम मस्जिद से निकले तो धूप में चलते थे। शरीक (रावी) ने कहा: मैंने हज़रत अनस (ؓ) से पूछा: क्या ये पहला आदमी ही था? उन्होंने फ़रमाया: नहीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 897, बुख़ारी, हदीस: 1014, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1824.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अरबी इबारत में सिर्फ़ लफ़्ज़ ला है जिसके मानी होते हैं 'नहीं' यानी ये वह आदमी नहीं था। मगर ये मानी हदीस नम्बर (1516) की सराहत के ख़िलाफ़ है, वहाँ सराहत है कि मैं नहीं जानता कि ये वही शख़्स था या और, लिहाज़ा यहाँ ये मानी मुराद हैं कि मैं नहीं जानता। वल्लाहु आलम! (2) मज़्कूरा चारों रिवायात में नमाज़े इस्तिस्क़ा के बग़ैर सिर्फ़ दुआ का ज़िक्र है, गोया नमाज़ ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ दुआ भी काफ़ी है, मगर ये कि कहा जाये कि जुमे की दो रकआत नमाज़े इस्तिस्क़ा की जगह किफ़ायत करती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) सिरे से नमाज़े इस्तिस्क़ा ही के क़ाइल नहीं, यानी उनके नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़ा मस्नून नहीं। मगर ये मौक़िफ़ उन सही और सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है

जिनमें दुआए इस्तिस्क़ा के लिये नबी (ﷺ) का शहर से बाहर जाना बल्कि मिम्बर साथ ले जाना और दुआ के बाद दो रकआत पढ़ाने का सराहतन ज़िक्र है, लिहाज़ा ये इमाम साहिब की इज्तेहादी ग़लती है जिसे ग़लती ही मानना चाहिए न कि उनके क़ौल की वजह से सही और सरीह रिवायात की दूर अज़्कार तावीलात करनी चाहिए कि ये दरअसल जुमे ही की नमाज़ थी सिर्फ़ मस्जिद मुसक़्क़फ़ (छत वाली) से बाहर मस्जिद के सहन में आये और मिम्बर भी वहीं लाया गया था। ऐसी बचगाना तावीलें अहले इल्म के शायाने शान नहीं। कोई शख़्स भी ग़लती से पाक और मासूम नहीं है, लिहाज़ा ये तकल्लुफ़ बेजा है।

बाब : (11)
दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो रकअत) पढ़ी जायेगी

باب : (١١)
الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

(1520) हज़रत अब्बाद बिन तमीम ने अपने चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम(رضی اللہ عنہ)) से सुना जो कि अस्हाबे रसूल(ﷺ) में से थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन बारिश की दुआ करने निकले। आपने दुआ के वक़्त लोगों की तरफ़ पीठ कर ली (यानी आपका रुख़े मुबारक क़िब्ले की तरफ़ था।) और आपने अपनी चादर भी उल्टाई थी, फिर (दुआ के बाद) आपने दो रकअतें पढ़ीं और इन दोनों में क़िराअत भी की।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 4/894, बुख़ारी, ह: 1024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1810.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَرَأَ فِيهِمَا.

बाब : (12)
नमाज़े इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है?

باب : (١٢)
كَمْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ

(1521) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) बारिश की दुआ करने के लिये (शहर से) बाहर निकले, फिर आपने

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

क़िब्ला रुख़ होकर (दुआ की और) दो रकअतें पढ़ीं।

(1521) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1825.

باب : (١٣)
كَيْفَ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ

बाब : (13)
नमाज़े इस्तिस्क़ा कैसे पढ़ी जाये?

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ .

(1522) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन किनाना (रहमतुल्लाह अलैह) बयान करते हैं कि मुझे किसी अमीर (हाकिम) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास भेजा कि मैं उनसे दुआ-ए-इस्तिस्क़ा के बारे में पूछूँ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया: उसे कौनसी चीज़ ख़ुद मुझसे सवाल करने से मानेअ है? रसूलुल्लाह (ﷺ) आजिज़ी की हालत में सादा कपड़े पहन कर ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ के साथ गिड़गिड़ाते हुये (मदीना मुनव्वरा से) बाहर निकले और ईदैन की नमाज़ की तरह दो रकअतें पढ़ीं और तुम्हारे ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया।

(1522) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1507, 1509, इब्ने माजा, हदीस: 1266, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1826.

باب : (١٤)
الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

बाब : (14)
नमाज़े इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से क़िराअत करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

(1523) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा से) बाहर निकले, बारिश की दुआ की, फिर दो

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

रकअतें पढ़ीं और उनमें बलन्द आवाज़ से क़िराअत की।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1024.

फ़ायदा : मख़्सूस नमाज़ें (फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा) जो बा'जमाअत पढ़ी जाती हैं, ख़्वाह दिन के वक़्त हों, उनमें क़िराअत जहरन ही होती है, जैसे: जुमा, ईदैन, नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा और यही अन्सब ज़्यादा मुनासिब है।

بَاب : (١٥)
الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَطَرِ

बाब : (15)
बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُمْطِرَ قَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا " .

(1524) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि बारिश बरसने लगती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! ज़ोर से बरसा और इसे मुफ़ीद बारिश बना।'

(1524) तख़रीज : (सनद सही) हुमैदी, हदीस: 71, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1828, अबू दाऊद, हदीस: 5099, इब्ने माजा, हदीस: 3889.

بَاب : (١٦)
كَرَاهِيَةِ الاِسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

बाब : (16)
बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ करना मना है

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1525) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जब भी मैं अपने बन्दों पर कोई नेमत (जैसे: बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो उनमें से एक गिरोह उसकी वजह से कुफ़्र का इरतेकाब करता है। कहता है: हम पर फ़ुलां सितारे ने बारिश बरसाई है या हम फ़ुलां सितारे

से सैराब हुये।'

" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ".

(1525) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1835.

फ़ायदा : मज़्कूरा तरीक़े पर बारिश की निस्बत सितारे की तरफ़ करना (यानी उसने बरसाई) कुफ्रिया अल्फ़ाज़ हैं। एक मुवह्हिद इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहने से गुरेज़ करता है क्योंकि उसका अक़ीदा ये नहीं होता, मगर काफ़िर तो इस अक़ीदे के भी क़ाइल थे। बहर सूरत ये अल्फ़ाज़ कुफ्रिया है, अलबत्ता अगर सितारे के तुलूअ वग़ैरह को बारिश बरसने की अलामत या वक़्त कहा जाये तो फिर ये कुफ्रिया अल्फ़ाज़ नहीं मगर एक बे तहक़ीक़ और ग़लत बात ज़रूर है, हाँ अगर बादलों और हवाओं की तरफ़ बारिश की निस्बत बतौर अलामत करे तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस और कलामे अरब इस पर दाल्ल हैं, नीज़ ये चीज़ें बारिश का ज़ाहिरी सबब हैं बख़िलाफ़ सितारों के कि उनका ज़ाहिरन बारिश से कोई ताल्लुक़ नहीं और इसमें सितारा परस्तों से मुशाबिहत है, लिहाज़ा मना है। दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि उनमें से एक गिरोह उसकी नाशुक्री करता है या उसके नेमते इलाहिया होने का इन्कार करता है। यहाँ से ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि अक़ाइद में मजाज़ात और इस्तेआरात का इस्तेमाल दुरूस्त नहीं, ख़ुसूसन तौहीद जैसे मसले में।

(1526) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के दौरे मसऊद में एक दफ़ा आम बारिश हुई तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे रब तआला ने रात क्या कहा? अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जब मैं अपने बन्दों पर कोई नेमत (ख़ुसूसन बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो उनमें से कुछ लोग उसके साथ कुफ्र करते हैं। कहते हैं: हम पर फ़ुलां सितारे की वजह से बारिश हुई, अलबत्ता जो शख़्स मुझ पर ईमान रखता है और मेरे बारिश बरसने पर मेरी तारीफ़ करता है, वह हक़ीक़तन मोमिन है और सितारों का काफ़िर है (यानी सितारों की ताक़त व इख़्तियार का मुन्किर है)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَاىَ فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ وَمَنْ

और जिस शख़्स ने कहा: हमें फुलां सितारे से बारिश हुई। वह मेरे साथ कुफ़्र करता है और सितारों पर ईमान रखता है।'

قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ " .

(1526) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 846, व मुस्लिम, हदीस: 71, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1834, मुसनद अहमद: 4/116.

फ़ायदा : हर नेमत के मुहैया होने और मिलने पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेमत का हक़ भी अदा होगा और ईमान भी पुख़्ता होगा।

(1527) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर अल्लाह तआला पाँच साल तक अपने बन्दों से बारिश रोक रखे, फिर भेजे, तब भी कुछ लोग ज़रूर कुफ़्र करेंगे। वह कहेंगे: 'हमें मिज्दह सितारे से बारिश मिली है।'

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ " .

(1527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 3/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1836, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 606.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) अमलुल यौम वल्लैला में लिखते हैं कि मिज्दह से मुराद शअरी सितारा है जबकि इमाम सिन्धी (رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये सितारों में से सितारा है। इसे दबरान कहते हैं। तीन सितारों के मज्मूए को भी मिज्दह कहा जाता है। जो अरबों के ख़्याल में बारिश बरसाता था, मगर ये ख़्याल ग़लत है। बात सिर्फ़ इतनी थी कि इन तारों के तुलूअ के ज़माने में बारिश होती थी। 92) 'मिज्दह' मीम की ज़ेर और पेश दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है।

बाब : (17)
जब बारिश से नुक़सान का ख़तरा हो तो इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना

باب : (١٧) مَسْأَلَةِ الإِمَامِ رَفْعَ الْمَطَرِ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

(1528) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक साल तक बारिश रुकी रही तो एक

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،

قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قُحِطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ‏.‏ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ - فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ ‏.‏ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ ‏"‏ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ ‏.‏

मुसलमान जुम्अतुल मुबारक के दिन (ख़ुत्बे के दौरान में) नबी (ﷺ) के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! बारिश (साल भर से) रुकी हुई है, ज़मीन बन्जर हो गई है और जानवर मर रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपने हाथ उठाये जब कि हम आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे। आपने अपने दोनों हाथ इस क़द्र उठाये कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आप अल्लाह (عزوجل) से बारिश की दुआ करने लगे। हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि अभी हम जुमा पढ़ कर फ़ारिग़ न हुये थे (यानी अभी जुमे में मस्रूफ़ थे, इतनी बारिश बरसी) कि हममें क़रीब घर वाले नौजवान शख़्स को भी फ़िक्र लाहिक़ हो गई कि घर कैसे पहुँचेगा? (दूर वाले और बूढ़ों की तो बात ही क्या) फिर पूरा हफ़्ता बारिश बरसती रही। जब अगला जुमा आया तो लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कस्रते बारिश की बिना पर) घर गिर गये और क़ाफ़िले रुक गये। आप इन्सान के जल्दी उकता जाने पर मुस्कुराये, फिर हाथ उठा कर फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा।' फ़ौरन बादल मदीने से छट गये।

(1528) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1838.

फ़ायदा : 'बग़लों की सफ़ेदी' कुछ लोगों ने समझा है कि शायद आपकी बग़लों में बाल न थे मगर ये बात ग़लत और बिला दलील है। आप को इन्सानी अवारिज़ से मुबर्रा क़रार देने की कोशिश करना कोई अक़्लमन्दी की बात नहीं और न ये चीज़ फ़ज़ीलत का मोजिब है, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुकम्मल इन्सान थे।

बाब : (18)
बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त इमाम का अपने हाथ उठाना

باب : (١٨)
رَفْعِ الإِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ إِمْسَاكِ الْمَطَرِ

(1529) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोगों पर एक साल तक क़हत पड़ गया। एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अतुल मुबारक के दिन मिम्बर पर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आराबी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! जानवर मरने लगे हैं और बाल बच्चे भूखे हैं, अल्लाह तआला से हमारे लिये बारिश की दुआ कीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने दोनों मुबारक हाथ उठा दिये। हम आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अभी आपने हाथ नीचे न फ़रमाये थे कि पहाड़ों जैसे बादल उठे, फिर अभी अपने मिम्बर से नीचे नहीं उतरे थे कि मैंने बारिश के क़तरे आपकी दाढ़ी मुबारक पर बरसते देखे। वह दिन, अगला दिन, उससे अगला दिन यहाँ तक कि अगले जुमे तक बारिश बरसती रही, फिर वही आराबी या कोई और उठा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अब तो इमारतें ढह गईं, (घर गिर पड़े) जानवर डूबने लगे, अल्लाह तआला से हमारे लिये बारिश के बन्द होने की दुआ फ़रमायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर अपने दोनों हाथ मुबारक उठा लिये और फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ .

फ़रमा, हम पर न बरसा।' आप जिस तरफ़ के बादल की तरफ़ भी दस्ते मुबारक से इशारा फ़रमाते, वह छट जाता, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा हौज़ की तरह हो गया। वादी (क़नात एक माह तक) बहती रही और जो शख़्स भी किसी इलाक़े से आया, उसने ख़ूब बारिश बतलाई।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 933, व मुस्लिम, हदीस: 9/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1839.

फ़ायदा : इस वाक़िये में चन्द बातें क़ाबिले ग़ौर हैं। **(1)** एक साल तक नबी (ﷺ) और आपके सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) क़हत की तकलीफ़ बरदाश्त करते रहे मगर उफ़ तक न की। बड़े लोगों के ज़र्फ़ भी बड़े होते हैं और वह हर वक़्त अल्लाह तआला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। शिक्वे का लफ्ज़ तो दूर की बात है, वह तसव्वुर भी दिल व दिमाग़ में नहीं पाते। **(2)** आराबी सादा और बेसाख़्ता होते थे उन्होंने आपको लोगों की ख़ुसूसन बेज़बान जानवरों की तकलीफ़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई तो आप ने लिहाज़ रखते हुये दुआ फ़रमा दी। **(3)** हफ़्ता भर की बारिश की मशक़्क़त भी रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ख़न्दा पेशानी से बरदाश्त फ़रमाते रहे। शिक्वा तो कुजा हर्फ़े दुआ भी ज़बान पर न लाये, यहाँ तक कि आपने बारिश की बन्दिश की दुआ फ़रमाई। सब लोगों के ज़र्फ़ तो एक जैसे नहीं। ये कायनात सब क़िस्म के लोगों के लिये है। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की शाने उबूदियत मुलाहिज़ा कीजिये कि हाथ उठाते हैं तो ख़ाली आसमान बादलों से भर जाता है। हाथ गिराते हैं तो बादल बरसने लगते हैं और जब तक वही मुक़द्दस हाथ नहीं उठते, बादल बरसना बन्द नहीं होते अगरचे सात दिन गुज़र गये फिर वह पाक हाथ उठते हैं तो बादल अचानक बरसने से रुक जाते हैं। हाथों का इशारा होता है तो बादल छटने लगते हैं और लोग धूप में चलने लगते हैं। ये मर्तबा है अब्दुहू व रसूलुहू का, न अपने लिये बारिश माँगी, न ख़ुद बन्दिश की दुआ की, फिर फ़ख़्र है न तआला: फ़िदाहु अबी व उम्मी व रूही व नफ्सी व वलदी ...... (ﷺ).

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

كتاب صلاة الخوف

नमाज़े ख़ौफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب: (۱)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفٌّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً .

बाब : (1)

(1530) हज़रत स़अ़्लबा बिन ज़ह्दम से रिवायत है कि हम तबरिस्तान में हज़रत सईद बिन आ़स़ (ﷺ) के साथ थे और हमारे साथ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (ﷺ) भी थे। हज़रत सईद बिन आ़स़ (ﷺ) ने कहा: तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ स़लाते ख़ौफ़ (ख़ौफ़ की नमाज़) पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने, फिर उन्होंने आपकी नमाज़ का तरीक़ा बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े ख़ौफ़ एक गिरोह को, जिसने आपके पीछे स़फ़ बाँधी थी, एक रकअ़त पढ़ाई और दूसरा गिरोह आपके और दुश्मन के दरम्यान था (ताकि दुश्मन नमाज़ की हालत में हमला न कर सके।) तो आपने उस गिरोह को जो आपके पीछे था, एक रकअ़त पढ़ाई, फिर ये गिरोह दूसरे गिरोह की लड़ाई की जगह में पहुँच गया और वह गिरोह उनकी जगह आ गया। आपने उनको भी एक रकअ़त पढ़ाई।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** अबू दाऊद, हदीस़: 1246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1917, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1343, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 586, वल हाकिम: 1/335.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا . فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

(1531) हज़रत स़अ़्लबा बिन ज़हदम बयान करते हैं कि हम सईद बिन आ़स़ के साथ तबरिस्तान में (जिहाद कर रहे) थे। उन्होंने कहा: तुममें से किस ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैंने, फिर हज़रत हुज़ैफ़ा उठे और लोगों की दो स़फ़ें बनाईं। एक स़फ़ अपने पीछे और दूसरी स़फ़ दुश्मन के मुक़ाबिल। अपने पीछे वाली स़फ़ को आपने एक रकअ़त पढ़ाई, फिर ये उनकी जगह चले गये और वह (आपके पीछे) आ गये। आपने उनको भी एक रकअ़त पढ़ाई, फिर उन्होंने दूसरी रकअ़त नहीं पढ़ी।

(1531) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 1246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1918.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़े ख़ौफ़ की मशरूइयत क़ुर्आन मजीद से स़ाबित है बल्कि ये वाहिद नमाज़ है जिसका तरीक़ा भी इज्माली तौर पर क़ुर्आने करीम में बतलाया गया है। रसूले अकरम(ﷺ) ने मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर ये नमाज़ पढ़ी है। मगर हनफ़िया में से इमाम अबू यूसुफ़(رحمه الله) और शवाफ़ेअ़ में से इमाम मुज़नी (رحمه الله) नबी (ﷺ) के बाद उसे क़ुर्आन या अहादीस़ में मज़्कूर तरीक़ों से पढ़ना जायज़ नहीं समझते। उनका ख़्याल है कि नमाज़े ख़ौफ़ नबी(ﷺ) के साथ ख़ास़ थी क्योंकि हर शख़्स़ आपके पीछे नमाज़ पढ़ने का ख़्वाहां था। जंग और ख़ौफ़ की वजह से मजबूरी थी कि सब इकट्ठे नहीं पढ़ सकते थे। दो दफ़ा एक ही नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना दुरूस्त नहीं, लिहाज़ा मजबूरन ये तरीक़ा इख़्तियार किया गया ताकि हर शख़्स़ आपके पीछे नमाज़ पढ़ सके। रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद कोई शख़्स़ ऐसा नहीं जिसके पीछे नमाज़ पढ़ने की ख़ुसूसी फ़ज़ीलत हो या सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ने की ख़्वाहिश रखें। क़ुर्आन मजीद में भी नमाज़े ख़ौफ़ के बयान में ख़ुसूसन आपसे ख़िताब किया गया है: 'जब आप उनमें हों तो आप उन्हें नमाज़ पढ़ायें' (अन्निसा: 4/102) लिहाज़ा अब अगर ख़ौफ़ का मसला हो तो दो गिरोह कर लिये जायें और हर गिरोह को उनके अलग अलग इमाम नमाज़ पढ़ायें। मज़्कूरा बात अ़क़्ल को बहुत जचती है मगर स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का तर्ज़े अ़मल इसके मुताबिक़ नहीं। बहुत से स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से स़ाबित है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद भी नमाज़े ख़ौफ़ मख़्सूस़ तरीक़ों से पढ़ी है, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये नमाज़ अब भी मशरूअ़ है।

और यही बात सही है। वल्लाहू आलम! (2) अहादीस में नमाज़े ख़ौफ़ के छः सात तरीक़े मन्क़ूल हैं क्योंकि ख़ौफ़ की मुख़्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, लिहाज़ा हर जगह एक ही तरीक़े से नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं जैसा कि आइन्दा अहादीस से वज़ाहत होगी। ये सब अहादीस सही हैं। मौक़ा महल के मुताबिक़ उनमें से कोई सा भी तरीक़ा इख़्तियार किया जा सकता है जिन हज़रात ने एक तरीक़ा मुअय्यन करने की कोशिश की है, उन्होंने ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ बरता है। हस्बे हालात तमाम अहादीस पर अमल किया जा सकता है। वल्लाहू आलम! (3) ऊपर मज़्कूरा दो अहादीस में एक ही वाक़िये का बयान है। नमाज़े ख़ौफ़ की मख़्सूस मुख़्तलिफ़ सूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ौफ़ में एक रकअत भी पढ़ी जा सकती है। मज़ीद देखिये, हदीस: 1533.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلاَةِ حُذَيْفَةَ .

(1532) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ؓ) ने भी नबी (ﷺ) से हज़रत हुज़ैफ़ा (ؓ) की नमाज़ जैसी रिवायत बयान की है।

(1532) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 5/183, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1919, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/294, हदीस: 1345, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 590.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

(1533) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअत, सफ़र की नमाज़ दो रकअत और ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ की है।

(1533) तख़रीज : (सनद सही) तक़द्दम, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1920.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ وَصَفَّ النَّاسُ

(1534) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़ामे ज़ू क़रद में नमाज़े (ख़ौफ़) पढ़ी। लोगों ने आपके पीछे दो सफ़ें बनाई। एक सफ़ आपके पीछे और एक सफ़ दुश्मन के मुक़ाबिल, फिर आपने अपने पीछे वाली सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये उनकी

خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

जगह चले गये और वह आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई। लोगों ने फिर दूसरी रकअत नहीं पढ़ी।

(1534) तख़रीज : (सनद सही)-मुसनद अहमद, हदीस: 5/183, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1921, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1344.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

(1535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (नमाज़ के लिये) खड़े हुये और लोग भी आपके साथ खड़े हुये। आपने अल्लाहु अकबर कहा और लोगों ने भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर आपने रुकू फ़रमाया और उनमें से कुछ लोगों (पहली सफ़) ने साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा किया और उन्होंने भी सज्दा किया, फिर आप दूसरी रकअत के लिये खड़े हुये तो जिन्होंने आपके साथ सज्दा किया था, वह पीछे हट कर अपने साथियों की हिफ़ाज़त करने लगे और दूसरा गिरोह आ गया (पिछली सफ़ आगे आ गई) अब उन्होंने नबी(ﷺ) के साथ (दूसरी रकअत का) रुकू और सज्दे किये और सब लोग नमाज़ में थे और तकबीरें कहते थे लेकिन एक दूसरे की हिफ़ाज़त भी करते थे।

(1535) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1922.

फ़ायदा : इसकी सूरत इस तरह बनेगी कि मुक़्तदी दो सफ़ों में खड़े हो जायें और एक साथ इमाम के पीछे नमाज़ शुरू कर दें, मगर जब इमाम रुकू और सज्दा करे तो सिर्फ़ अगली सफ़ वाले इमाम के साथ रुकू व सुजूद करें, पिछली सफ़ वाले खड़े रहें और दुश्मन पर नज़र रखें। मुसल्लह हालत में दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिये तैयार रहें। जब पहली सफ़ वाले पहली रकअत के रुकू व सुजूद से फ़ारिग़ हो जायें तो वह पीछे चले जायें और पिछली सफ़ वाले आगे आ जायें। अब ये इमाम साहिब के साथ

दूसरी रकअत में रुकू सज्दा करेंगे और पिछली सफ़ वाले खड़े रहेंगे और हिफ़ाज़त करेंगे, फिर इमाम साहिब के साथ दोनों सफ़ें सलाम फेर देंगी। इस सूरत में दोनों गिरोहों ने नमाज़ एक साथ पढ़ ली और एक दूसरे की हिफ़ाज़त भी करते रहे।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا كَانَتْ صَلاَةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ كَصَلاَةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلاَءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلاَءِ إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّسْلِيمِ .

(1536) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नमाज़े ख़ौफ़ सिर्फ़ दो रकअतें हैं जैसे आज कल तुमहारे (हुक्काम के) मुहाफ़िज़ तुम्हारे इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मगर वह बारी बारी सज्दे करते थे। (इस तरह कि) उनमें से एक गिरोह खड़ा रहता, हालांकि वह सब रसूलुल्लाह(ﷺ) ही के साथ खड़े होते थे और एक गिरोह के लोग (अगली सफ़ वाले) आपके साथ सज्दे करते थे, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होते और वह सब आपके साथ खड़े हो जाते, फिर आप रुकू फ़रमाते और वह सब आपके साथ रुकू में जाते, फिर आप सज्दा करते तो आपके साथ वह लोग सज्दा करते जो पहली रकअत में खड़े रहे थे, फिर जब रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपके साथ सज्दा करने वाले नमाज़ के आख़िर में बैठते तो जो लोग खड़े रहे थे, उन्होंने अपने तौर पर सज्दे किये, फिर वह भी बैठ गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक साथ) उन सब के साथ सलाम फेरा।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 1/265, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1923, अबी दाऊद, हदीस: 1242, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1363, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 589, वल हाकिम: 1/336.

फ़ायदा : ये भी नमाज़े ख़ौफ़ के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(1537) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़े

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُّو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً .

ख़ौफ़ (इस तरह) पढ़ाई (कि) आपने एक सफ़ अपने पीछे खड़ी कर ली और दूसरी सफ़ दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ी रही। आपने अपने पीछे वाली सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये (दुश्मन के मुक़ाबले में) चले गये और वह दूसरे आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह उठे और उन सब (दोनों गिरोहों) ने एक एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ली।

(1537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4131, व मुस्लिम, हदीस: 841, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1924.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस नम्बर: 1535 और 1536 वाली सूरत उस वक़्त होगी जब दुश्मन क़िब्ले की जानिब हो। उस वक़्त इमाम के पीछे खड़े होकर भी दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, मगर ज़्यादा ख़ौफ़ हो तो हदीस: 1535 और ख़ौफ़ कम हो तो हदीस नम्बर: 1536 पर अमल किया जा सकता है। मज़्कूरा हदीस: 1537 उस वक़्त क़ाबिले अमल होगी जब दुश्मन क़िब्ले की बजाये किसी और जानिब हो और इमाम के पीछे खड़े होकर उस पर नज़र न रखी जा सकती हो। उस वक़्त दो हिस्से कर लिये जायेंगे। एक हिस्सा इमाम के पीछे और दूसरा दुश्मन के मुक़ाबले खड़ा होगा और मज़्कूरा तरीक़े के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ेंगे। **(2)** इस हदीस में अपने तौर पर एक एक रकअत अदा करने की तफ़्सील बयान नहीं की गई। एक तरीक़ा तो ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के सलाम फेरने के बाद अपने तौर पर एक रकअत पढ़ ले और सलाम फेरे, फिर वह दुश्मन के मुक़ाबिल चला जाये और ये पहला गिरोह वापस आकर अपनी एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ले और ये ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि इस तरह दूसरे गिरोह की दोनों रकअतें इकट्ठी हो जायेंगी। दूसरा तरीक़ा ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के साथ एक रकअत पढ़ कर चला जाये और पहला गिरोह आकर एक रकअत अपने तौर पर पढ़े, फिर ये चले जायें और दूसरा गिरोह आकर पढ़ ले। ये तरीक़ा भी कुछ अहादीस में आया है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ

(1538) हज़रत सालेह बिन ख़व्वात ने उस सहाबी (ﷺ) से बयान किया जिसने ग़ज़्व-ए-ज़ातुर रिक़ाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी कि एक गिरोह ने

आप(ﷺ) के पीछे सफ़ बन्दी की और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में रहा। आपने अपने साथ वाले लोगों को एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रकअत पढ़ ली, फिर वह चले गये और दुश्मन के मुक़ाबले में सफ़ बन्दी कर ली और दूसरा गिरोह आपके पीछे आ गया। आपने उन्हें बाक़ी मान्दा (दूसरी) रकअत पढ़ा दी, फिर आप बैठे रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रकअत मुकम्मल कर ली, फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा।

ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

(1538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4129, व मुस्लिम, हदीस: 842, मौता: 1/183, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1925.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जिसमें हर गिरोह की दो रकअतें इकट्ठी पढ़ी गईं। एक आपके साथ और एक अलग अलग। ये सूरत इस लिहाज़ से बेहतर है कि इसमें दौराने नमाज़ में आना जाना न होगा बल्कि दोनों रकअतें मुत्तसिल पढ़ी जायेंगी। **(2)** 'ज़ातुर रिक़ाअ' रिक़ाअ जमा है 'रक़अ' की, इसके मानी हैं: टुकड़ा। इस जंग को ग़ज़्व-ए-ज़ातुर रिक़ाअ या तो इसलिये कहते हैं कि इस ग़ज़्वे में जाते हुये पत्थरों की वजह से मुसलमानों के पाँव ज़ख़्मी हो गये और उन्हें पाँव पर कपड़ों के टुकड़े बाँधने पड़े, या इसलिये कि इस इलाक़े की ज़मीन के टुकड़े मुख़्तलिफ़ रंगों वाले थे, यानी कुछ पहाड़ियाँ सुर्ख़ थीं, कुछ सफ़ेद और कुछ स्याह। वल्लाहू आलम!

(1539) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ)) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के बिल मुक़ाबिल था, फिर ये (पहला गिरोह) उनकी जगह चला गया और वह आ गये। आपने उनको दूसरी रकअत पढ़ा दी, फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर ये खड़े हुये और अपनी दूसरी

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى

بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

रकअ़त पढ़ी, फिर वह खड़े हुये और उन्होंने अपनी दूसरी रकअ़त अपने तौर पर पढ़ ली।

(1539) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4133, व मुस्लिम, हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1928.

फ़ायदा : इस रिवायत में रिवायत नम्बर 1537 वाली सूरत ही है और अपनी अपनी एक एक रकअ़त पढ़ने में मज़्कूरा दोनों तरीक़े मुमकिन हैं।

أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ .

(1540) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नज्द की तरफ़ जंग के लिये गया। वहाँ हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो हमने उनके मुक़ाबले में सफ़ें बाँध लीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे खड़ा हो गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने पीछे खड़े होने वाले गिरोह के साथ एक रुकू और दो सज्दे किये, फिर वह उन लोगों (दूसरे गिरोह) की जगह जाकर खड़े हो गये जिन्होंने नमाज़ न पढ़ी थी और वह गिरोह आ गया जिन्होंने नमाज़ न पढ़ी थी। आपने उनके साथ भी एक रुकू और दो सज्दे किये (यानी उनके साथ भी एक रकअ़त अदा की।), फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेर दिया, फिर मुसलमानों में से हर आदमी उठा और उसने अपने तौर पर एक रुकू और दो सज्दे कर लिये। (यानी एक एक रकअ़त पढ़ ली)

(1540) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 942, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1929.

फ़ायदा : ये हदीस भी हदीस नम्बर: 1537 और 1539 के मुताबिक़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ .

(1541) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी। नबी (ﷺ) ने अल्लाहु अकबर कहा। हममें से एक गिरोह ने आपके पीछे सफ़ बन्दी की और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल रहा। नबी (ﷺ) ने पहले गिरोह के साथ एक रुकू और दो सज्दे किये (यानी एक रकअत पढ़ाई), फिर वह चले गये और दुश्मन के मुक़ाबिल सफ़ आरा हो गये और दूसरा गिरोह आपके पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ शुरू कर दी। आपने इसी तरह किया (यानी उनको भी एक रकअत पढ़ाई।), फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर दोनों गिरोहों में से हर शख़्स उठा और उसने अपने तौर पर एक रुकू और दो सज्दे कर लिये। (यानी एक रकअत पढ़ ली)

(...) **तख़रीज :** (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1926. पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَأَبِي، أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ

(1542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। आप खड़े हुये और अल्लाहु अकबर कहा तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे नमाज़ पढ़ने लगा और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके साथ एक रुकू और दो सज्दे किये, फिर वह सलाम फेरे बग़ैर चले गये और, दूसरों की जगह दुश्मन के सामने खड़े हो गये, फिर दूसरे गिरोह ने आकर आपके पीछे सफ़ बन्दी की। आपने उनके साथ

انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ .

भी एक रुकू और दो सज्दे किये, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सलाम फेर दिया जबकि आप दो रुकू और चार सज्दे (यानी दो रकअतें) मुकम्मल फ़रमा चुके थे, फिर दोनों गिरोह उठे और उनमें से हर शख़्स ने अपने अपने तौर पर एक रुकू और दो सज्दे कर लिये।

(इमाम नसाई (رحمه الله) के शागिर्द) अबू बक्र बिन सुन्नी बयान करते हैं कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से सिर्फ़ दो हदीसें सुनी हैं लेकिन ये रिवायत उनमें शामिल नहीं। (गोया इस रिवायत की सनद में इन्क़िताअ है।)

(1542) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1927.

फ़ायदा : ये हज़रत अबू बक्र बिन सुन्नी का ख़्याल है। हज़रत अली बिन मदीनी ने भी यही क़ौल बयान किया है मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत यहया बिन मईन के नज़दीक इमाम ज़ोहरी ने कोई रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से नहीं सुनी और यही मौक़िफ़ दुरुस्त और राजेह है, लिहाज़ा मज़्कूरा सनद मुन्क़तअ है लेकिन ये मुन्क़तअ साबिक़ा दोनों रिवायतों से रफ़ा हो जाता है क्योंकि उन दो रिवायात में सालिम का वास्ता मज़्कूर है। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 17/126, 127)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا

(1543) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी जंग के दिनों में नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई तो एक गिरोह आपके पीछे खड़ा हो गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ा रहा। आपने अपने साथ वालों को एक रकअत पढ़ा दी, फिर वह चले गये और दूसरे आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ा दी, फिर दोनों गिरोहों ने एक एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ली।

وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.

(1543) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 839/306, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस़: 1930.

फ़ायदा : इन अहादीस़ में नमाज़ के दौरान में आना जाना, दुश्मन के मुक़ाबले खड़ा होना, ख़्वाह मुँह किसी तरफ़ भी करना पड़े, इसी तरह इमाम का ठहरना और आने जाने वालों का इन्तेज़ार करना ये सब नमाज़े ख़ौफ़ की ख़ुसूस़ियात हैं। ये अल्लाह तआला की मेहरबानी और करम नवाज़ी है, इनसे नमाज़ की हैसियत और स़वाब में कोई कमी नहीं आयेगी बल्कि मुमकिन है नमाज़ की शान बढ़ जाये।

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ . قَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي

(1544) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से पूछाः क्या आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमायाः हाँ। उसने कहाः कब? आपने फ़रमायाः ग़ज़्व-ए-नज्द के साल। रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ के लिये उठे और एक गिरोह भी आपके साथ खड़ा हुआ जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल था और उनकी पुश्त क़िब्ले की तरफ़ थी। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अल्लाहु अकबर कहा तो सब मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर कहा (यानी नमाज़ शुरू कर ली) आपके साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो दुश्मन के मुक़ाबिल थे, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकू फ़रमाया तो आपके साथ वाले गिरोह ने भी रुकू किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो आपके साथ वाले गिरोह ने भी सज्दा किया जब कि दूसरे गिरोह वाले दुश्मन के मुक़ाबले खड़े रहे, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) उठ खड़े हुये तो आपके साथ वाले भी उठ खड़े हुये और वह दुश्मन की तरफ़ जाकर उनके मुक़ाबिल खड़े हो गये और जो पहले दुश्मन के मुक़ाबिल थे उन्होंने आपके पीछे आकर अपना रुकू और सुजूद किया (यानी एक रकअत

تَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

अपने तौर पर पढ़ ली) इस दौरान में रसूलुल्लाह (ﷺ) उसी तरह खड़े रहे (जिस तरह आप खड़े थे।), फिर वह खड़े हुये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूसरी रकअत का रुकू फ़रमाया उन्होंने भी आपके साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो उन्होंने भी आपके साथ सज्दे किये, फिर वह गिरोह भी आ गया जो दुश्मन के मुक़ाबिल था। उन्होंने (अपने तौर पर) रुकू और सुजूद किये। (यानी अपनी बक़िया रकअत पढ़ ली) रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ वाले इस दौरान में बैठे रहे। फिर सलाम का वक़्त आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेर दिया और सब (दोनों गिरोहों) ने सलाम फेर दिया, इस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) की दो रकअतें हो गईं और दोनों गिरोहों में से हर एक की भी दो रकअतें हो गईं।

(1544) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1931, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1361, 1362, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 585, वल हाकिम: 1/338, 339.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है। ये उस वक़्त क़ाबिले अमल होगी जब ख़ौफ़ ज़्यादा न हो क्योंकि शुरू नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे और आख़िर नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे, बल्कि आख़िर में तो दुश्मन के मुक़ाबिल कोई भी न रहा। सब आपके पीछे थे। एक गिरोह अपनी नमाज़ की बाक़ी रकअत पढ़ रहे थे और दूसरे वैसे आपके पीछे बैठे थे। सलाम सबने एक साथ फेरा। **(2)** नज्द ऊँचे इलाक़े को कहते हैं और ये कई इलाक़ों में था, जैसे: नज्दे हिजाज़, नज्दे इराक़ और नज्दे यमन। मन्दरजा बाला हदीस में नज्द से नज्दे हिजाज़ मुराद है। और बद दुआ वाली हदीस में नज्दे इराक़। इसका पता क़राइन और दीगर अहादीस से चलता है।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ

(1545) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोहे ज़ज्नान और

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهَؤُلاَءِ صَلاَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلاَءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ .

इस्फ़ान के दरम्यान क़याम फ़रमा थे और मुश्रिकीन का मुहासिरा किये हुये थे। मुश्रिकों ने कहा (प्रोग्राम बनाया) कि इन मुसलमानों की एक नमाज़ ऐसी है (नमाज़े अस्र) जो इन्हें अपने नौजवान बेटों और बेटियों से भी ज़्यादा प्यारी है तो तुम बात तै कर लो (पुख़्ता प्रोग्राम बना लो) और (उस नमाज़ के दौरान में) उन पर एक साथ हमला कर दो। उधर से हज़रत जिब्रील (ﷺ) तशरीफ़ लाये और आपको हुक्म दिया कि आप अपने सहाबा के दो गिरोह बना दें। आप उनमें से एक गिरोह को नमाज़ पढ़ायें और दूसरा गिरोह दुशमन की तरफ़ मुतवज्जा रहे। वह मोहतात रहें और अपना अस्लहा पहने रहें। आप पहले गिरोह को एक रकअत पढ़ा दें, फिर वह पीछे हट जायें (और दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें) और दूसरे आ जायें फिर एक रकअत आप उनको पढ़ा दें तो इस तरह उनकी नबी (ﷺ) के साथ एक एक रकअत हो जायेगी और नबी (ﷺ) की दो रकअतें हो जायेंगी।

(1545) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1932, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 584.

फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यही मालूम होता है कि दोनों गिरोहों ने एक एक रकअत ही पर इक्तेफ़ा किया, अलबत्ता इस बात का भी एहतिमाल है कि उहोंने दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़ी हो क्योंकि अल्फ़ाज़े हदीस: 'नबी (ﷺ) के साथ' से इसका इशारा मिलता है। सुनन नसाई के शारेह शैख़ अतयूबी (ﷴ) ने अपनी शरह ज़ख़ीरतुल उक़्बा में पहली बात को ज़्यादा क़वी क़रार दिया है। वल्लाहु आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 17/134)

(1546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। एक सफ़ आपके आगे (दुश्मन के मुक़ाबिल) खड़ी हो गई और दूसरी आपके पीछे। आपने अपने पीछे खड़े होने वालों को एक रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर ये आगे चले गये और अपने साथियों की जगह खड़े हो गये और वह आ गये और (आपके पीछे) उनकी जगह खड़े हो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें भी एक रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेर दिया। इस तरह नबी (ﷺ) की दो रकअतें हो गईं और उनकी एक एक।

(1546) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 3/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1933, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1347, 1348.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ صَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاَءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلاَءِ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ .

(1547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (एक जंग में) थे। नमाज़ की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये और मुसलमानों का एक गिरोह भी आपके पीछे खड़ा हो गया जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल रहा। आपने अपने पीछे खड़े होने वालों को एक रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह चले गये और उन लोगों की जगह खड़े हो गये जो दुश्मन के मुक़ाबले में थे और वह दूसरा गिरोह आ गया। आपने उन्हें भी एक रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर रसूलुल्लाह

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ

تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ .

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْكِنَتِهِمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ فَقَامَ فِي مَقَامِهِمْ وَقَامَ هَؤُلاَءِ فِي مَقَامِ الآخَرِينَ قِيَامًا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ

(ﷺ) ने सलाम फेरा, आप के पीछे वाले लोगों ने भी और दूसरों ने भी सलाम फेर दिया।

(1547) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1364, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1934.

(1548) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ में हाज़िर हुये। हम आपके पीछे दो सफ़ों में खड़े हो गये। दुश्मन हमारे और क़िब्ले के दरम्यान था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाहु अकबर कहा, हम सबने भी अल्लाहु अकबर कहा फिर आपने रुकू किया तो हमने भी रुकू किया, फिर आपने सर उठाया तो हमने भी (रुकू से) सर उठाया, फिर जब आप सज्दे के लिये झुके तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सज्दा किया और उन लोगों ने भी जो आपके साथ क़रीबी (पहली) सफ़ में थे जबकि दूसरी सफ़ वाले खड़े रहे, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सज्दे से) सर उठाया और उस सफ़ वालों ने जो आपके क़रीब थी तो दूसरी सफ़ ने अपनी जगह ही अपने सज्दे अदा किये, फिर नबी (ﷺ) के साथ वाली सफ़ वाले पीछे हट गये और दूसरी सफ़ वाले आगे होकर पहली सफ़ वालों की जगह खड़े हो गये और वह उनकी जगह ख़ड़े हो गये, फिर (दूसरी रकअ़त में) नबी (ﷺ) ने रुकू फ़रमाया तो हमने भी आपके साथ रुकू किया, फिर आपने (रुकू से) सर उठाया तो हम सबने भी (रुकू से) सर उठाया। जब आप सज्दे के लिये ज़मीन की तरफ़ झुके तो आपके साथ वाली सफ़ ने सज्दे किये और दूसरी सफ़ वाले खड़े रहे, फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ वालों ने दोनों

قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ.

सज्दों से सर उठाये तो पिछली स़फ़ वालों ने अपने तौर पर सज्दे कर लिये, फिर आपने (सब के साथ एक वक़्त में) सलाम फेर दिया।

(1548) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 840, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस़: 1935.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَخْلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِيهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاَءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ .

(1549) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम **मुक़ामे नख़्ल (मदीने से दो रात के फ़ास़ले पर) में नबी (ﷺ) के साथ थे जबकि दुश्मन हमारे और क़िब्ले के दरम्यान था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तकबीरे तहरीमा कही तो सब मुसलमानों ने तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने रुकू फ़रमाया तो उन सब ने भी रुकू किया, फिर नबी (ﷺ) और आपके साथ वाली स़फ़ ने सज्दा किया जबकि दूसरी स़फ़ वाले खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, फिर जब वह सज्दों के बाद उठे तो पिछली स़फ़ वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे (मुकम्मल) कर लिये, फिर ये उनकी जगह चले गये (और वह आ गये) फिर आपने (दूसरी रकअत का) रुकू किया तो सब ने रुकू किया। फिर आपने सर उठाया तो उन सब ने भी अपने सर उठाये, फिर नबी (ﷺ) और आपके साथ वाली स़फ़ ने सज्दा किया और दूसरे खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे। जब वह सज्दों से फ़ारिग़ होकर बैठ गये तो पिछली स़फ़ वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे कर लिये, फिर आपने सलाम फेरा।**

हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जैसे तुम्हारे उमरा (अमीरों) (के पहरेदार) करते हैं।

(1549) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 840/308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1936.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ

(1550) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) उस्फ़ान के इलाक़े में दुश्मन के साथ जंग की हालत में थे। मुशिरकीन के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। (जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुये थे।) नबी (ﷺ) ने मुसलमानों को ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई तो मुशिरकीन ने कहा: इस नमाज़ के बाद एक ऐसी नमाज़ है (नमाज़े अस्र) जो इन मुसलमानों को अपने माल व मनाल और औलाद से भी ज़्यादा प्यारी है। (लिहाज़ा इस नमाज़ में उन पर हमला कर दो।) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों को अस्र की नमाज़ इस तरह पढ़ाई कि अपने पीछे उनकी दो सफ़ें बना लीं, फिर आपने उन सब के साथ रुकू किया, फिर जब उन्होंने रुकू से सर उठाया (और आप सज्दे में गये) तो आप के साथ वाली (यानी पहली) सफ़ ही ने सज्दे किये और दूसरी सफ़ वाले खड़े रहे। जब उन्होंने सज्दों से सर उठाये तो दूसरी सफ़ ने सज्दे किये जबकि रुकू तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कर चुके थे, फिर अगली सफ़ पीछे हो गई और पिछली आगे और वह एक दूसरे की जगह में ख़ड़े हो गये, फिर अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उन सब के साथ रुकू किया। जब उन्होंने रुकू से सर उठाये तो आपके साथ सिर्फ़ आपके साथ वाली सफ़ ने सज्दे किये जबकि दूसरे खड़े रहे, फिर जब वह अपने सज्दों से फ़ारिग़ हुये तो पिछली सफ़ वालों ने (अपने) सज्दे अदा किये, फिर नबी (ﷺ) ने उन सबके साथ एक साथ सलाम फेरा।

مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ .

(1550) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1937, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 587, 588, वल बैहक़ी: 3/257, वल बग़वी फ़ी शरह अस्सुन्ना, हदीस: 1096, वल हाकिम: 1/337, 338.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً . فَنَزَلَتْ - يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِرْقَةٌ يَحْرُسُونَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هَؤُلاَءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَأَخَّرَ هَؤُلاَءِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَقَامُوا فِي مَصَافِّ

(1551) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उस्फ़ान के मक़ाम पर थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन दिनों मुश्रिकीन के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। मुश्रिकीन ने कहा: अफसोस! हमने उन्हें ग़ाफ़िल पाया था। (काश हम हमला कर देते) तो ज़ुहर और अस्र के दरम्यान नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म उतरा। हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरह अस्र की नमाज़ पढ़ाई कि हमारे दो गिरोह बना दिये। एक गिरोह नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरा गिरोह उनकी हिफ़ाज़त करता था। आपने सब के साथ तकबीर कही, जो आपके साथ थे और जो उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने रुकू फ़रमाया तो दोनों गिरोहों ने रुकू किया, फिर आपके साथ वाले गिरोह ने सज्दे किये, फिर साथ वाले पीछे हट आये और दूसरे आगे बढ़े और उन्होंने अपने सज्दे मुकम्मल किये, फिर आप (दूसरी रकअत के लिये) उठे और सबके साथ रुकू किया, जो आपके साथ थे और जो उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने अपने साथ वालों के साथ सज्दे किये, फिर वह पीछे हट गये और अपने दूसरे साथियों की जगह में खड़े हो गये और दूसरे आगे बढ़े और उन्होंने

أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ .

अपने सज्दे पूरे किये, फिर आपने सबके साथ सलाम फेरा। इस तरह उनमें से हर एक की अपने इमाम के साथ दो दो रकअतें हो गईं, और एक दफ़ा आपने बनू सुलैम के इलाक़े में भी नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी।

(1551) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1938.

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत से ये रिवायत इस बात में मुख़्तलिफ़ है कि उनमें पिछली सफ़ वाले अपनी जगह में सज्दे अदा करके फिर अगली सफ़ में आते थे मगर इस रिवायत में पिछली सफ़ वालों ने अगली सफ़ में आकर अपने सज्दे पूरे किये। अगर ये रावी की ग़लत फ़हमी नहीं तो ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत बन जायेगी। वल्लाहू आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا .

(1552) हज़रत अबू बकरा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गिरोह को नमाज़े ख़ौफ़ दो रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिया, फिर दूसरे गिरोह को दो रकअतें पढ़ाईं और फिर सलाम फेर दिया। इस तरह नबी (ﷺ) ने चार रकआत पढ़ीं।

(1552) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1939.

फ़ायदा : ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जो सादा और आसान है मगर अहनाफ़ के नज़दीक ये सूरत जायज़ नहीं है क्योंकि बाद वाली दो रकअतें इमाम साहिब की नफ़ल होंगी और दूसरे गिरोह की फ़र्ज़। और अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ जायज़ नहीं। ख़ैर! अहनाफ़ के नज़दीक, ख़्वाह ये सूरत दुरूस्त न हो मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो पढ़ाई है और अमल आपकी सुन्नत पर है। इससे ये भी मालूम होता है कि अगर इमाम को दोबारा नमाज़ पढ़ानी पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं, सबकी नमाज़ दुरूस्त होगी।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

(1553) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने अपने सहाबा में से एक गिरोह को दो रकअतें पढ़ाईं, फिर सलाम

سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

फेरा, फिर दूसरे गिरोह को भी दो रकअतें पढ़ाईं, फिर सलाम फेरा।

(1553) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1940, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ .

(1554) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) से नमाज़े ख़ौफ़ के बारे में रिवायत है कि इमाम क़िब्ला रुख़ खड़ा हो, और मुक़्तदियों में से एक गिरोह उसके साथ खड़ा हो जाये और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले उनकी तरफ़ मुँह कर के खड़ा रहे। तो इमाम पहले गिरोह को एक रकअत पढ़ा दे, फिर वह अपनी जगह खड़े होकर दूसरी रकअत के रुकू सज्दे अदा कर लें। और दूसरों की जगह चले जायें और वह आ जायें तो इमाम उन्हें भी रुकू और दो सज्दे पढ़ा दे। इस तरह इमाम की दो रकअतें हो जायेंगी और उनकी एक रकअत, फिर वह ख़ुद दूसरी रकअत के रुकू और दो सज्दे अदा कर लें।

(1554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1941.

फ़ायदा : ये सूरत इज्मालन और सराहतन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर: 1537 और 1538.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ

(1555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। उनमें से एक गिरोह ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी और दूसरे गिरोह के चेहरे दुश्मन की तरफ़ थे। तो आपने एक गिरोह को दो रकअत पढ़ा दीं, फिर वह दूसरे गिरोह की जगह चले गये और दूसरे आ गये।

وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخَرِينَ وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

आपने उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाईं और सलाम फेर दिया।

(1555) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1942, मुस्लिम, हदीस: 843/312 वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِهَؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

(1556) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अपने पीछे खड़े लोगों को दो रकअतें पढ़ाईं, फिर जो उनके बाद आये, उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाईं। तो नबी (ﷺ) की चार रकअतें हो गईं और उनकी दो दो।

(1556) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, 1552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1943.

फ़ायदा : इन दो रिवायात में पहली दो रकआत के बाद सलाम फेरने का ज़िक्र नहीं जबकि अहादीस: 1552 और 1553 में अलग अलग सलाम का ज़िक्र है और वह रिवायात भी उन्हीं बुज़ुर्गों से हैं, लिहाज़ा यहाँ भी हर दो के बाद सलाम माना जायेगा गोया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की चार रकआत दो सलाम के साथ थीं। कहा जा सकता है कि ये भी एक सूरत है कि इमाम एक सलाम के साथ चार रकआत पढ़ाये मगर ये मर्जूह बात है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ईदैन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

ईद, औद से माख़ूज़ है जिसके मानी लौटने और बार बार आने के हैं। ईद को ईद इसीलिए कहते हैं कि ये बार बार लौट कर आती है या इसके आने से मसर्रत व सुरूर और ख़ुशियाँ लौट आती हैं।

अरबों के यहाँ इज़्हारे मसर्रत के लिये मुन्अक़िद होने वाले हर मौसमी इज्तेमा को ईद कहा जाता है। अरबी में ईद की जमा आयाद है। ईदैन इसका तसनिया है। ईदैन से मुराद ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा हैं। ये उम्मते मुस्लिमा के ख़ूशी के दिन हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो अरब लोग उस वक़्त दो दिन खेल कूद कर ख़ूशी मनाया करते थे। ये दो दिन नेरोज़ और महरजान थे। ये दोनों कलिमे फ़ारसी से मुअ़रब हैं। 'नेरोज़' अ़सल में नो रोज़ (नया दिन) था। अहले हैयत के नज़दीक ये शम्सी साल का पहला दिन होता है। इस दिन सूरज बुर्जे हमल की तरफ़ मुन्तक़िल होता है। महरजान अ़सल में महरगान है। इससे मुराद वह दिन है जब सूरज बुर्जे मीज़ान में मुन्तक़िल होता है। ये मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता है। ये दोनों दिन निहायत मोतदिल और ख़ुशगवार होते हैं। ये अहले फ़ारस (ईरानियों) के ईद के दिन हैं। अरब, फ़ारसियों की नक़्क़ाली और तक़्लीद में इन्हें मनाते थे।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इन दिनों के मनाने से मना फ़रमाया और उनकी बजाये दो अच्छे दिन, यानी ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा मनाने का हुक्म दिया क्योंकि इन दिनों का ताल्लुक़ मौसम की ख़ुशगवारी के बजाये दो अ़ज़ीम इबादात की अदायगी से है। ईदुल फ़ित्र से मुराद वह दिन है जिसमें लोग रोज़े रखना छोड़ देते हैं, यानी यकुम शव्वाल और ईदुल अज़्हा वह दिन है जिसमें लोग क़ुर्बानियाँ करते हैं, यानी 10 ज़ुलहिज्जा का दिन। ईदैन का आग़ाज़ दो हिजरी में हुआ।

ईदैन से मुताल्लिक़ मसाइल और इनकी तफ़्सील अहादीस़ के ज़िम्न में आ रही है। नमाज़ का तरीक़ा और कुछ दीगर अहकाम यहाँ इख़्तिसारन ज़िक्र किये जाते हैं:

✧ **ज़ैब व ज़ीनत इख़्तियार करना:** ईद के दिन ग़ुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, ख़ुश्बू लगाना और ज़ैब व ज़ीनत की दीगर चीज़ें इख़्तियार करना मुस्तहब है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों के लिये जुमे के दिन को ईद बनाया है, चुनांचे जो शख़्स जुमे के लिये आये तो उसे चाहिए कि**

गुस्ल करे और अगर ख़ुशबू हो तो उसे लगाये और मिस्वाक का भी ज़रूर एहतिमाम करे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1098) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जब जुमे के दिन गुस्ल करने, ख़ुशबू लगाने और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया गया है कि जुमे को अल्लाह तआला ने अहले इस्लाम के लिये ईद बनाया है तो ईद के दिन इन तीनों कामों का करना और ज़्यादा महबूब और पसन्दीदा होगा। गुस्ल के इस्तेहबाब के मज़ीद दलाइल के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1316, व सुनन नसाई, हदीस़: 1561 और उनके फ़वाइद व मसाइल)

✧ **नमाज़े ईदुल फ़ित्र के लिये कुछ खा कर जाना:** नमाज़े ईदुल फ़ित्र के लिये जाने से पहले ताक़ अदद में खजूरें खाना मस्नून अमल है। हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं कि **रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन (नमाज़ के लिये) उस वक़्त तक नहीं निकलते थे जब तक (ताक़ अदद में) चन्द खजूरें तनावुल न फ़रमा लेते।** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 953) अगर खजूरें दस्तयाब न हों तो फिर कोई भी चीज़ खाई जा सकती है।

✧ **नमाज़े ईदुल अज़्हा अदा करके खाना पीना:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) ईदुल अज़्हा के दिन नमाज़े ईद से पहले कुछ नहीं खाते थे, इसलिये सुन्नत यही है कि ईदुल अज़्हा की अदायगी के बाद खाया पिया जाये। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि **रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ईदुल फ़ित्र के लिये कुछ खाये बग़ैर न निकलते थे, अलबत्ता ईदे क़ुर्बान के दिन जब तक नमाज़ अदा न फ़रमा लेते कुछ तनावुल न फ़रमाते।** (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 542)

इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने ये इज़ाफ़ा भी नक़ल किया है कि नमाज़ से फ़राग़त के बाद वापसी पर, आप अपनी क़ुर्बानी की कलेजी और जिगर वग़ैरह तनावुल फ़रमाते। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/283)

✧ **ईदगाह की तरफ़ पैदल व सवार जाना:** ईदगाह की तरफ़ पैदल भी जाया जा सकता है और ज़रूरत के पेशे नज़र सवार होकर जाना भी जायज़ है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इस मसले की बाबत लिखते हैं कि इस मसले में तमाम रिवायात इन्फ़िरादी तौर पर ज़ईफ़ हैं लेकिन मज्मूई तौर पर देखा जाये तो मालूम होता है कि मसले की कोई न कोई अस़ल ज़रूर है और फिर इस मसले की ताईद व तौस़ीक़ में एक मुर्सल रिवायत पेश की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़े में शिर्कत और ईदुल अज़्हा और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ की अदायगी के लिये पैदल तशरीफ़ ले जाते थे, और सईद बिन मुसय्यब का क़ौल है कि ईदुल फ़ित्र की तीन सुन्नतें हैं: 'ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना, नमाज़े ईद की अदायगी के लिये जाने से पहले कोई चीज़ खाना और नमाज़े ईद के लिये गुस्ल करना नीज़ इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अली (ﷺ) से मरवी रिवायत कि ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना सुन्नत है, को हसन क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है

कि इस हदीस़ पर अक्सर अहले इल्म का अमल है। याद रहे मालूम हुआ कि ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना कम अज़ कम मुस्तहब ज़रूर है, ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी पर सवार होकर भी जाया जा सकता है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 3/103, 104)

✧ **ख़्वातीन का ईदगाह में जाना:** ईद के मौक़े पर ख़्वातीने इस्लाम को भी अहले इस्लाम की दुआ में शिर्कत की ताकीद की गई है। जो औरतें नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं उन्हें भी हाज़िरी का हुक्म दिया गया है। मज़ीद यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी औरत के पास औढ़नी नहीं है तो वह किसी और औरत की औढ़नी में लिपट जाये और इस तरह दो औरतें एक चादर में लिपट कर ईदगाह पहुँचें। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 980) मज़ीद देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 1559 और इसके फ़वाइद)

✧ **ईदगाह या खुले मेदान में ईद पढ़ना:** नमाज़े ईद का एहतिमाम ईदगाह में होना चाहिए, अगर ईदगाह न हो तो खुले मैदान में ईद का इन्तेज़ाम करना चाहिए। बिला उ़ज्र मस्जिद में नमाज़े ईद अदा करना दुरूस्त नहीं, अलबत्ता बारिश, तेज़ आँधी या इस क़िस्म के शरई उ़ज्र की सूरत में नमाज़े ईद मस्जिद में अदा की जा सकती है।

✧ **नमाज़े ईद का वक़्त:** नमाज़े ईद सूरज तुलूअ होने के बाद जल्द अज़ जल्द अदा करनी चाहिए। दीगर उमूर की निस्बत नबी-ए-अकरम (ﷺ) नमाज़े ईद सबसे पहले अदा करते थे। हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यौमे नहर के दिन हमें ख़िताब फ़रमाया कि हम आज के दिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि नमाज़ पढ़ेंगे, फिर (नमाज़ से) फ़ारिग़ होकर क़ुर्बानी करेंगे। जिसने इसी तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 968)

जनाब यज़ीद बिन ख़ुमैर अर्रजी बयान करते हैं कि स़हाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (رضي الله عنه) तशरीफ़ लाये और इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने नापसन्द किया और कहा: हम तो इस वक़्त फ़ारिग़ हो चुके होते थे, यानी इशराक़ के वक़्त। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1135) इसलिये ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं।

✧ **तरीक़-ए-नमाज़:** तरीक़-ए-नमाज़ में दर्ज ज़ेल उमूर पर बहस़ होगी: **(1)** अज़ान व इक़ामत, **(2)** तादादे रकआत, **(3)** सूरतों का तअय्युन, **(4)** ज़ाइद तकबीरात।

(1) अज़ान व इक़ामत का हुक्म : नमाज़े ईद के लिये अज़ान और इक़ामत नहीं कही जाती। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ ईद की नमाज़ में हाज़िर हुआ, आपने नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के पढ़ाई ..... (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (4)-885) मालूम हुआ नमाज़े ईद के लिये अज़ान व इक़ामत स़ाबित नहीं।

(2) तादादे रकआतः ईदैन की नमाज़ दो दो रकअत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर की नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ भी दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़बानी मुकम्मल हैं। उनमें कोई कमी और नुक़्स नहीं। (सुनन नसाई, हदीस: 1567)

(3) सूरतों का तअय्युनः हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने अबू वाक़िद लैसी (ﷺ) से सवाल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ते थे? उन्होंने कहा: सूरह (क़ॉफ़ वल क़ुर्आनिल मजीद) और (इक़्तरबतिस्साअतुवन्शक़्क़ल क़ मर.....) (सहीह मुस्लिम, हदीस: (14)-891) जबकि एक रिवायत में सूरह आला और सूरह ग़ाशिया पढ़ने का ज़िक्र मिलता है, याद रहे ईदैन में मुक़्तदियों या मौक़ा महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीसों में से किसी एक पर भी अमल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम!

(4) ज़ाइद तकबीरातः नमाज़े ईद में बारह तकबीरें ज़्यादा हैं। सात पहली रकअत में और पाँच दूसरी में। दोनों रकअतों में क़िराअत, तकबीरात के बाद होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईदुल फ़ित्र की नमाज़ की पहली रकअत में सात और दूसरी में पाँच तकबीरें हैं और दोनों रकअतों में क़िराअत तकबीरात के बाद है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1151) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा में पहली रकअत में सात और दूसरी रकअत में पाँच तकबीरें कहा करते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1149)

(5) ज़ाइद तकबीरात के साथ रफ़उल यदैनः तकबीराते ईदैन के साथ रफ़उल यदैन करने की बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) से कोई सरीह दलील नहीं है। इमाम इब्ने हज़्म इसकी बाबत लिखते हैं: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) से क़तअन ये साबित नहीं कि आपने इन तकबीरों में रफ़उल यदैन किया है।' मुहक़्क़िकुल अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये मस्नून नहीं है। (इर्वाउल ग़लील: 3/112), ताहम तकबीराते ईदैन के साथ रफ़उल यदैन करने की बाबत अइम्मा के अक़वाल ज़रूर मिलते हैं। अता बिन अबी रबाह से पूछा गया: क्या इमाम नमाज़े ईदैन में हर तकबीर के साथ रफ़उल यदैन करे? उन्होंने जवाब दिया: हाँ, वह रफ़उल यदैन करे और लोग भी उसके साथ हाथ उठायें। (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/297) और इमाम मालिक (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि तकबीराते ईदैन के मौक़े पर हाथ उठाने चाहिए अगरचे मैंने इसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना। (अल्फ़र्याबी बहवाला इर्वाउल ग़लील: 3/113) और इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद बिन हम्बल(رحمه الله) का भी यही मौक़िफ़ है कि तकबीराते ईदैन में हाथ उठाने चाहिए। (अल उम्म: 1/237), लिहाज़ा इन अक़वाल की रोशनी में अगर कोई तकबीराते ईदैन में रफ़उल यदैन करता है तो उसकी भी गुंजाइश है और कोई नहीं करता तो उसका भी जवाज़ है। इस मसले में तशद्दुद मुनासिब नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **ईद का ख़ुत्बा:** रसूलुल्लाह (ﷺ) और दीगर सहाबा के बारे में मरवी है कि वह ईद का ख़ुत्बा नमाज़े ईद के बाद दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि मैं ईद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ। आपने पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (4)-885) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه), हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) और हज़रत उ़स्मान(رضي الله عنه) के साथ ईद की नमाज़ों में हाज़िर हुआ। वह सब नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 962)

✧ **मिम्बर के बग़ैर ख़ुत्बा देना:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ईदगाह में मिम्बर ले जाना साबित नहीं। सब से पहले मरवान अपने अ़हद में ईदगाह में मिम्बर ले गया तो एक सहाबी (رضي الله عنه) ने उन्हें कहा: **'ऐ मरवान! तूने सुन्नत की मुख़ालिफ़त की है। तुमने ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया है जबकि इस दिन ये न निकाला जाता था।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1140) मालूम हुआ ईदगाह में मिम्बर ले जाना महज़ तकल्लुफ़ और सुन्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी या किसी ऊँची जगह पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया जा सकता है।

✧ **ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने का इख़्तियार:** हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साइब(رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: **'जो आदमी जाना चाहे वह जा सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरना चाहता है वह ठहरे।'** (सुनन नसाई, हदीस: 1572) इस हदीस से पता चलता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनना वाजिब नहीं, ताहम सहाब-ए-किराम(رضي الله عنهم) के अ़मल और नबी-ए-अकरम (ﷺ) का हुक्म कि हाइज़ा और पर्दानशीन औ़रतें भी ईदगाह में हाज़िर हों, से यही मालूम होता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने का एहतिमाम करना चाहिए, बिला वजह इसमें बेपरवाही न की जाये। वल्लाहु आ़लम!

✧ **रास्ता बदलना:** ईद के दिन नमाज़े ईद के लिये एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरे रास्ते से आना मस्नून अ़मल है। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ईद के रोज़ (ईदगाह आते जाते हुये) रास्ता तब्दील फ़रमाते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 986)

✧ **नमाज़े ईद से पहले और बाद में नवाफ़िल पढ़ने का हुक्म:** हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने ईद के रोज़ दो ही रकअ़तें अदा फ़रमाईं, इससे पहले नमाज़ पढ़ी न बाद में। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 964, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 884) सुनन इब्ने माजा की एक हदीस में है कि नबी (ﷺ) ने वापस घर आकर दो रकअ़तें पढ़ीं। देखिये: (सुनन इब्ने माजा,

हदीस: 1293) इनमें हल और तत्बीक़ की सूरत ये है कि बिल ख़ुसूस ईदगाह में नमाज़े ईद से क़ब्ल कुछ पढ़ा जा सकता है न बाद में, अलबत्ता घर में मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ नमाज़े ईद से नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **ईद के बाद जुमे की रूख़सत:** अगर ईद जुमे के रोज़ हो तो नमाज़े ईद अदा करने के बाद लोगों को रूख़सत है कि वह जुमा अदा करने के बजाये अपने डेरों वग़ैरह ही में नमाज़े ज़ुहर अदा कर लें, जुमे के लिये हाज़िर न हो, अलबत्ता ख़तीब के लिये मुस्तहब यही है कि वह जुमा पढ़ाये। हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से पूछा: क्या आप ईदैन में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हाज़िर हुये थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, आपने दिन के आग़ाज़ में ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की रूख़सत दे दी। (सुनन नसाई, हदीस: 1592)

✧ **खेल कूद:** ईद के दिन ख़ुशी का इज़्हार करना, छोटे बच्चे बच्चियों के लिये, दुफ़ वग़ैरह बजा कर मिल्ली नग़मे और ऐसे अश्आर पढ़ना जो इस्लामी रूह के मुनाफ़ी न हों और शिर्क की आमेज़िश से पाक हों, जायज़ है। इसी तरह ऐसी खेल कूद जो जंगी तर्बीयत या जिस्मानी सेहत के लिये मुफ़ीद हो, खेलना दुरुस्त है, तफ़्सील आगे अहादीस में आ रही है।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

كتاب صلاة العيدين

नमाज़े ईदैन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب: (١)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ " كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى " .

बाब : (1)

(1557) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि दौरे जाहिलियत के लोगों के लिये साल में दो दिन थे जिनमें वह खेलते कूदते थे। जब नबी (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे लिये दो दिन थे जिनमें तुम खेला कूदा करते थे। अब अल्लाह तआला ने तुम्हें उनके बजाये दो अच्छे दिन दे दिये हैं। एक ईदुल फ़ित्र का दिन और एक ईदुल अज़्हा का दिन।'

(1557) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1134, मुसनद अहमद: 3/250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1755, व सहीह हाकिम: 1/294.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दो दिन' से नौ रोज़ और महरजान मुराद हैं। नौ रोज़ तो नये साल का पहला दिन होता था और महरजान मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता था। ये दोनों ईरानियों की ईदें थीं। अरब सिर्फ़ नक़्क़ाली के तौर पर उन्हें मनाते थे। **(2)** 'दो अच्छे दिन' क्योंकि इनका ताल्लुक़ न तो मौसम की ख़ुशगवारी से है, न किसी बादशाह की ताजपोशी से, बल्कि इनका ताल्लुक़ दो अज़ीम इबादात की अदायगी से है, लिहाज़ा इसमें बजाये लहो-लइब के इबादत, तशक्कुर और दुआ की हुक्मरानी होगी। बाक़ी रही ख़ुशी तो ये एक ज़हनी चीज़ है। एक खिलाड़ी शख़्स जिस तरह खेल कूद में ख़ुश होता है, मोमिन उसी तरह बल्कि उससे बढ़ कर इबादत में लज़्ज़त महसूस करता है, फिर लहो-लइब की ख़ुशी तो सिर्फ़ उमरा के साथ ख़ास है मगर इबादत की ख़ुशी में अमीर ग़रीब सब शरीक हो सकते हैं। इबादात की अदायगी के बाद मुनासिब खेल कूद में भी कोई हर्ज नहीं, जैसे बच्चियों का दुफ़

बजाना और हब्शियों का जंगी खेल खेलना अहादीस़ से स़ाबित है। मगर ऐसी ख़ूशी जिसकी बुनियाद फ़ख्र व गुरूर और दौलत की नुमाइश व इस्राफ़ पर हो एक फ़ितरी दीन के सरासर ख़िलाफ़ है। (3) 'ईद' औ़द से है, यानी बार बार पलट के आने वाली चीज़, ज़ाहिर है ईद बार बार आती है, और हर आदमी उनसे बार बार लुत्फ़ अन्दोज़ होने की ख़्वाहिश रखता है और एक दूसरे को 'कई ईदों' की दुआ भी दी जाती है। (4) इस हदीस़ से ये भी वाज़ेह हुआ कि मुसलमानों की सिर्फ़ दो ही ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं, इसलिए 'ईद मीलाद' की कोई शरई हैस़ियत नहीं, ये बिद्अत और ख़ाना साज़ है। इसके जवाज़ के लिये जो 'दलाइल' दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ (ﷺ) की तालीफ़ 'जश्ने ईद मीलाद और मुजव्विज़ीन के दलाइल का जायज़ा'.

बाब : (2)
ईदैन के लिये अगले (दूसरे) दिन निकलना

باب : (٢)
الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

(1558) हज़रत अबू उ़मैर बिन अनस अपने चचाओं से बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ईद का चाँद देखा (मगर नबी (ﷺ) को बर वक़्त इत्तिला न मिल सकी और आ़म लोगों ने रोज़ा रख लिया), फिर वह नबी (ﷺ) के पास आये (और इत्तिला की) तो आपने लोगों को दिन चढ़ आने के बाद रोज़ा खोलने का और अगले दिन नमाज़े (ईद) के लिये निकलने का हुक्म दिया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ، لَهُ أَنَّ قَوْمًا، رَأَوُا الْهِلاَلَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ .

(1558) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1756, व स़हीह बैहक़ी: 3/316, व इब्ने हज़्म (अल मुहल्ली: 5/92), व इब्ने हिब्बान, नववी, दारकुतनी: 2/170.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रोज़ा खोल देने का हुक्म दिया' गोया ज़रूरी नहीं कि सब लोग या हर शहर और बस्ती वाले चाँद देखें बल्कि कुछ लोग चाँद देख लें तो वह दूसरे लोगों और शहरों के लिये भी काफ़ी होगा। ज़ाहिर यही है कि चाँद देखने वाले मज़्कूरा लोग मदीना से बाहर के होंगे वरना वह रात के वक़्त ही आपको इत्तिला कर देते। अगर मदीने से बाहर वाले लोगों का चाँद देखना मदीना मुनव्वरा वालों के लिये काफ़ी है तो दीगर शहरों के लिये भी यही हुक्म होगा, मगर ये कि मत्लअ़ में इतना फ़र्क़ हो कि चाँद नज़र

आने में एक दिन या ज़्यादा का फ़र्क़ मुमकिन हो। इस सूरत में उनका हिसाब अलग होगा। ये भी मालूम हुआ कि चाँद की इत्तिला जब भी मिले, उस पर अमल करना वाजिब है। रोज़ा रखने की सूरत में उसे खोलना वाजिब होगा। अगर उसी दिन ईद पढ़ना मुमकिन हो तो उसी दिन ज़वाल से क़ब्ल ईद पढ़ी जायेगी और अगर ज़वाल से पहले ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी। चूंकि चाँद की रूइयत में उमूमन एक ही दिन का फ़र्क़ मुमकिन है, लिहाज़ा एक दिन से ज़्यादा नमाज़े ईद मुअख़्ख़र न की जाये। अहादीस़ में भी एक ही दिन का ज़िक्र है। इस मसले में दोनों ईदें बराबर हैं। (2) अगर बारिश या अंधेरी वग़ैरह की वजह से अस़ल दिन ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो भी यही हुक्म है। (3) 'नमाज़े ईद के लिये निकलने का' अस़ल यही है कि नमाज़े ईद आबादी से बाहर खुले मैदान में पढ़ी जाये कि इसमें शानो शौकत का ज़्यादा इज़्हार है। और ये भी ईद का एक मक़स़द है। कुछ हज़रात ने इस हुक्म की इल्लत ये क़रार दी है कि चूंकि मस्जिद में पूरी आबादी के लोग समा नहीं सकते, इसलिये जगह की तंगी के पेशे नज़र बाहर निकलने का हुक्म दिया। गोया अगर कहीं मस्जिद और उसके साथ इतनी जगह ख़ाली हो कि तमाम लोग उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकें तो नमाज़े ईद मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है जैसा कि हरमैन (बैतुल्लाह शरीफ़ और मस्जिदे नबवी शरीफ़) में होता है। मगर ज़रूरी नहीं कि मज़्कूरा हुक्म की इल्लत यही हो, लिहाज़ा सुन्नते नबवी पर अमल ही औला है। वल्लाहु आलम!

बाब : (3)
ईदैन में बालिग़ और पर्दा नशीन औरतों का (बाहर) निकलना

باب : (٣) خُرُوجِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ

(1559) हज़रत हफ़्स़ा (बिन्ते सीरीन) से रिवायत है कि हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करती थीं तो (बि अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये' ज़रूर कहती थीं। (एक दफ़ा) मैंने उनसे कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ऐसे (यानी ईदैन में औरतों के बाहर जाने के बारे में) फ़रमाते सुना है? तो उन्होंने कहा: हाँ, (बि अबा) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बालिग़ और पर्दा नशीन यहाँ तक कि हैज़ वाली औरतें भी बाहर ईद के लिये जायें और नमाज़े ईद और मुसलमानों की दुआ में

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَتْ بِأَبَا . فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ " لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلِ

الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " .

शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ वाली जगह से अलग बैठी रहें।'

(1559) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1757.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तमाम सहाबा व सहाबियात (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और अपनी हर चीज़ आप पर फ़िदा करने के लिये तैयार रहते थे। मगर मज़्कूरा सहाबिया का ये ख़ुसूसी इज़्हारे अक़ीदत था कि आप के ग़ाइबाना ज़िक्र पर भी (बि अबा) जैसा प्यारा लफ़्ज़ बोलती थीं। वैसे सहाबा उमूमन नबी (ﷺ) से ख़िताब के वक़्त (बि अबी अन्त व उम्मी या रसूल्लाह) 'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जायें' के अल्फ़ाज़ से इज़्हारे मोहब्बत फ़रमाया करते थे। (ﷺ) **(2)** ईद ख़ूशी और शान व शौकत, और तशक्कुर व दुआ का ख़ास मौक़ा है, इसलिए इसमें मर्दों और औरतों सबको हाज़िरी का हुक्म दिया यहाँ तक कि नमाज़ न पढ़ने वाली औरतों को भी हाज़िरी की ताकीद की गई ताकि ईद के दीगर मक़ासिद पूरे हो सकें। मालूम हुआ ईद मुसलमानों का शेआर (ख़ुसूसी निशान) है। अवामुन्नास के नज़दीक भी ईद में बिला वजह शरीक न होने वाला अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। **(3)** 'अलग बैठी रहें' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि यहाँ नमाज़ वाली जगह को मस्जिद का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा हैज़ वाली औरत नमाज़ की जगह से अलग बैठे या; इसलिए अलग बैठे कि सफ़ों में रख़ना (ख़लल) न पड़े या दूसरी औरतों को उसके हैज़ से तक्लीफ़ न हो, अल्बत्ता इस क़िस्म की औरतें वाज़ और दुआ में शरीक होंगी। **(4)** ईद के मक़ासिद में से एक अहम मक़सद दुआ भी है, लिहाज़ा ईद के ख़ुत्बे में दुआ का ख़ुसूसी एहतिमाम किया जाये जिसमें न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि जमीअ मुसलमानों के लिए दुआएँ की जायें।

باب : (٤)
اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

बाब : (4) हैज़ वाली औरतों का ईदगाह से अलग रहना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ بِأَبَا قَالَ " أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ

(1560) हज़रत मुहम्मद (बिन सीरीन) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) से मिला और उनसे पूछा: क्या आपने नबी (ﷺ) से (नमाज़े ईद में औरतों की शिर्कत के बारे में) कुछ सुना है? और वह जब भी आप (ﷺ) का ज़िक्र करती थीं तो वह कहती थीं:

الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ " .

(बि अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये।' आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बालिग़ और पर्दा नशीन औरतों को भी (ईद में) साथ लेकर जाओ ताकि वह भी इस नेकी और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें लोगों की नमाज़ वाली जगह (ईदगाह) से अलग रहें।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 974, मुस्लिम, हदीस: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1758.

फ़ायदा : नौजवान औरतों को ईद के लिये जाने के हुक्म से साफ़ समझ आता है कि दूसरी औरतें तो बदर्ज-ए-औला जायेंगी।

باب : (٥) الزِّينَةِ لِلْعِيدَيْنِ

बाब : (5) ईदैन में ज़ीनत इख़्तियार करना (बन संवर कर जाना)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله تعالى عنه - حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ

(1561) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने बाज़ार में रेशम का एक जोड़ा (बराए फ़रोख़्त) देखा। वह उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुये और गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! इसे ख़रीद लें और ईद और वफ़ूद से मुलाक़ात के मौक़े पर ज़ैब तन फ़रमाया करें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये (रेशम) तो उन लोगों का लिबास है जिनका (आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं।' या (फ़रमाया:) 'ये तो वह लोग पहनते हैं जिनको (आख़िरत में) कुछ नहीं मिलेगा।' कुछ अर्सा, जितना कि अल्लाह तआला ने चाहा, हज़रत उमर (رضي الله عنه) ठहरे रहे, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِعْهَا وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ " .

उमर (ﷺ) के पास रेशम का एक जुब्बा भेजा। हज़रत उमर (ﷺ) इस जुब्बे को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो फ़रमाया था: 'ये उनका लिबास है जिनका (आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं।' फिर आपने ये जुब्बा मुझे भेज दिया? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी करो।'

(1561) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 8/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1760, बुख़ारी, हदीस: 948, 3054.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह जुब्बा नहीं ख़रीदा इसकी वजह उसका रेशमी होना था, न कि जैब व ज़ीनत होना, लिहाज़ा मुसन्निफ़ (رحمه الله) का बाब पर इस रिवायत से इस्तेदलाल सही है। **(2)** जिस चीज़ का इस्तेमाल कुछ अफ़राद के लिये जायज़ हो और कुछ के लिये नाजायज़, उसे किसी को भी बतौर तोहफ़ा दिया जा सकता है क्योंकि वह ख़ुद इस्तेमाल न करेगा तो दूसरे को दे देगा या बेच डालेगा। ऐसी चीज़ की तिजारत भी जायज़ है, जैसे रेशम वग़ैरह, अलबत्ता जो चीज़ मुत्लक़न हराम है वह न किसी को तोहफ़े में दी जा सकती है और न उसकी तिजारत जायज़ है, जैसे शराब और ख़िन्ज़ीर वग़ैरह। **(3)** 'ये उनका लिबास है .... अलख़' इसका मतलब ये है कि काफ़िर लोग रेशम पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते बल्कि उन्हें आख़िरत में बतौर इकराम मिलेगा। **(4)** 'जो रेशम पहने' उसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं' इसका मतलब ये नहीं कि वह काफ़िर है क्योंकि रेशम पहनना गुनाह है, कुफ़्र नहीं बल्कि मतलब ये है कि इस पर मुआख़िज़ा हो सकता है अगर उसने तौबा न की। वल्लाहु आलम!

باب: (٦)
الصَّلاَةُ قَبْلَ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

बाब : (6)
ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَنَّ

(1562) हज़रत सअलबा बिन ज़हदम से मरवी है कि हज़रत अली (ﷺ) ने हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) को (एक दफ़ा) लोगों पर अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमाया। वह ईद के दिन (ईद के

عَلِيًّا، اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإِمَامِ .

लिये) बाहर निकले तो फ़रमाया: ऐ लोगो! ये नबी (ﷺ) का तरीक़ा नहीं कि इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से पहले कोई नफ़ल नमाज़ पढ़ी जाये।

(1562) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1761, देखें, हदीस: 1531, अल कबीर: 17/238, हदीस: 692.

फ़ायदा : सहाबी के ऐसे अल्फ़ाज़ रिवायत को मर्फ़ूअ़ (नबी (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअ़ल) के हुक्म में माना जाता है। नमाज़े ईद से पहले नवाफ़िल पढ़ना मना हैं क्योंकि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा के मामूल के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता नमाज़े ईद के बाद वापस आकर घर में नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से, नमाज़े ईद के बाद घर में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना मन्क़ूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 17/162, 163)

باب: (٧) تَرْكِ الأَذَانِ لِلْعِيدَيْنِ

बाब : (7) ईदैन के लिये अज़ान न कहना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

(1563) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़े ईद, ख़ुत्बे से पहले अज़ान और इक़ामत के बग़ैर पढ़ाई।

(1563) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1762.

फ़ायदा : सुन्नत यही है क्योंकि अज़ान व इक़ामत पाँच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों और जुम्अतुल मुबारक के लिये है जैसा कि मुतअ़द्दिद अहादीस से पता चलता है। ग़र्ज़ ईदैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये अमल न था, इसलिये इसका न करना ही सुन्नत है। वल्लाहु आलम!

باب: (٨) الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

बाब : (8) ईद के दिन ख़ुत्बा देना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ

(1564) हज़रत शअ़बी बयान करते हैं कि हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) ने हमें मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून के पास बयान किया कि नबी (ﷺ) ने हमें ईदुल अज़्हा के दिन ख़ुत्बा

عَازِبٍ، عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ " . فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . قَالَ " اذْبَحْهَا وَلَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

देते हुये फ़रमायाः 'आज के दिन हम सबसे पहले जिस चीज़ की इब्तिदा करेंगे वह ये है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर (क़ुर्बानी) ज़बह करेंगे। जो शख़्स ऐसा करेगा, वह हमारी सुन्नत पर अमल करेगा और जो इस (नमाज़ पढ़ने) से पहले ज़बह करेगा तो (ये क़ुर्बानी नहीं बल्कि) उसने अपने घर वालों के लिये गोश्त तैयार किया है।' इत्तेफ़ाक़न हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार ने (नमाज़े ईद से पहले) क़ुर्बानी ज़बह कर दी थी। वह कहने लगे। ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक जज़अ (नौजवान बकरा) है जो दो दाँते से (जिस्मानी तौर पर) बेहतर है। आपने फ़रमायाः 'चलो उसे ज़बह कर दो लेकिन ऐसा जानवर तेरे अलावा किसी से किफ़ायत न करेगा।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीसः 951, मुस्लिम, 7/1961, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1764.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किफ़ायत न करेगा' क्योंकि क़ुर्बानी के लिये बकरे, गाय और ऊँट का दो दाँता (जिसके सामने के दो दाँत गिर चुके हों) होना ज़रूरी है। हदीस में मज़्कूरा जज़अ (बकरा) दो दाँता, यानी मुसन्ना नहीं होता बल्कि उससे कम उम्र होता है, लिहाज़ा ये किफ़ायत नहीं करेगा। बकरे के जज़अे की रुख़्सत ख़ास अबू बुर्दा (ﷺ) के लिये थी जैसा कि हदीस में है। जबकि दुंबे और छितरे का जज़अ जायज़ है, किसी फ़र्द से इसकी तख़्सीस नहीं। इस बिना पर जिस जानवर की क़ुर्बानी करना बाद वालों के लिये जायज़ नहीं, ख़्वाह मजबूर ही क्यूँ न हों, वह बकरे के जज़अे की क़ुर्बानी है। अहादीस के मज्मूअे से यही साबित होता है। वल्लाहु आलम! **(2)** हदीस में जज़अ से मुराद बकरे का जज़अ है। भेड़ का जज़अ उमूमन एक साल का होता है, जुम्हूर की यही राय है। कुछ ने छः माह के भेड़ के बच्चे को भी जज़अ कहा है मगर जुम्हूर की राय के मुक़ाबले में ये मौक़िफ़ मर्जूह है। वल्लाहु आलम! इस मसले की तफ़्सील के लिये इसी किताब की किताबुज़ ज़हाया को देखिये।

बाब : (9)
ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना

باب : (۹)
صَلاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

(1565) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) ईदैन में नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 888, बुख़ारी, हदीस: 963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1767.

फ़ायदा : ये बात मुत्तफ़क़ अलैहि है। बनू उमैया ने अपने दौर में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले कर दिया था मगर ये शाही हुक्म उनकी हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया। बक़ा सुन्नत ही को है।

बाब : (10)
ईदैन की नमाज़ में सामने बरछा, या नेज़ा वग़ैरह गाड़ना

باب : (۱۰)
صَلاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يَرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

(1566) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन छोटा नेज़ा साथ ले जाया करते थे, फिर उसे गाड़ लेते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते।

(1566) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1769, बुख़ारी, हदीस: 494, 498, 972, 973, मुस्लिम, हदीस: 501.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मफ़हूम ये है कि खुली जगह में इमाम के आगे सुत्रा होना चाहिए ताकि किसी के गुज़रने से नमाज़ न टूट जाये। **(2)** सुत्रे की ग़र्ज़ से नेज़ा वग़ैरह ले जाया जा सकता है अगरचे आपने भीड़ के मौक़े पर अस्लहा ले जाने से रोका है क्योंकि किसी को इत्तेफ़ाक़न भी ज़ख़्म लग सकता है, अलबत्ता सिर्फ़ इमाम के साथ नेज़ा हो तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं, लिहाज़ा जायज़ है।

باب : (١١) عَدَدِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

बाब : (11) नमाज़े ईदैन की रकअतें

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ

(1567) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर की नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ भी दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी (ﷺ) की ज़बानी मुकम्मल हैं, इनमें कोई कमी और नुक़्स नहीं।

(1567) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1421, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1771.

फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफ़क़ अलैहि है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, अलबत्ता जुम्हूर उलमा आसारे सहाबा की रोशनी में फ़रमाते हैं कि मुसाफ़िर चाहे तो पूरी नमाज़, यानी चार रकअत पढ़ सकता है। ताहम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र की नमाज़ हमेशा दो रकअत ही पढ़ी है, इसलिए अफ़ज़ल क़स्र ही है।

باب : (١٢) الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ { ق } وَ{ اقْتَرَبَتْ }

बाब : (12) नमाज़े ईदैन में सूरह (क़ॉफ़) और (इक़्तरबतिस्साआ) का पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجَ عُمَرُ - رضى الله عنه - يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِـ{ ق } وَ{ اقْتَرَبَتْ}.

(1568) हज़रत उमर (ﷺ) ईद के दिन निकले तो आप ने हज़रत अबू वाक़िद लैसी (ﷺ) से पूछा कि नबी (ﷺ) इस दिन कौन सी सूरतें (नमाज़े ईद में) पढ़ा करते थे? (उन्होंने कहा: सूरह (क़ॉफ़) और सूरह (इक़्तरबतिस्साआ)

(1568) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 891, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1773.

باب: (١٣)
الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ }

बाब : (13) ईदैन की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) का पढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا .

(1569) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदैन और जुमे के दिन सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे। कभी जुमा और ईद एक दिन में इकट्ठे हो जाते तो भी आप यही दोनों सूरतें पढ़ते।

(1569) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1738.

फ़ायदा : ईदैन में मुक़्तदियों या मौक़ा व महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीसों में से किसी हदीस पर भी अमल किया जा सकता है और ये औला है।

باب: (١٤)
الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

बाब : (14) ईदैन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ .

(1570) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैं गवाही देता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद के मौक़े पर हाज़िर हुआ। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा दिया।

(1570) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2/884, बुख़ारी, हदीस: 1449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1778.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

(1571) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईदे क़ुर्बान के

عَازِبٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया।

(1571) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1777.

بَاب : (١٥) التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

बाब : (15) ईदैन का ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठने या न बैठने का इख़्तियार है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ " .

(1572) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'जो आदमी जाना चाहे वह जा सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरना चाहता है, वह ठहरे।'

(1572) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1155, व इब्ने माजा, हदीस: 1290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 179, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1462, वल हाकिम: 1/295.

फ़ायदा : ईद का ख़ुत्बा सुनना फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है, शायद इसीलिए नमाज़ पहले कर दी गई है ताकि जो शख़्स नमाज़ के बाद जाना चाहे जा सके, बख़िलाफ़ जुमे के ख़ुत्बे के कि जो शख़्स नमाज़ से पहले आ जाये, वह ख़ुत्बा ज़रूर सुनेगा।

بَاب : (١٦) الزِّينَةِ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

बाब : (16) (ईदैन में) ख़ुत्बे के लिये ज़ीनत इख़्तियार करना (अच्छा लिबास पहनना)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

(1573) हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते सुना जबकि आप दो सब्ज़ चादरें ओढ़े हुये थे।

(1573) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2812, तिर्मिज़ी, हदीस: 1781, व सहीह इब्ने हिब्बान, ह: 1522, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/70, वल हाकिम: 2/426, नैलुल मक़सूद, ह: 4065, 4206, 4207, 4495.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बुर्द धारीदार चादर को कहा जाता था। ये आम तौर पर यमन में बुनी जाती थीं। गोया वह चादरें ख़ालिस सब्ज़ न थीं बल्कि इनमें सब्ज़ धारियाँ थीं। ज़ाहिर है इस क़िस्म का कपड़ा ज़ीनत के लिये पहना जाता है। (2) इमाम को चाहिए कि वह अच्छा लिबास ज़ैब तन करे ताकि उसकी शख़्सियत के बारे में अच्छा तास्सुर क़ाइम हो। बातिनी तहारत के साथ ज़ाहिरी तहम्मुल (ख़ुबसूरती) सोने पर सुहागा है, अलबत्ता बातिनी ख़बासत पर ख़ूबसूरत लिबास ऐसे है जैसे ख़िन्ज़ीर के गले में मोती।

बाब : (17) ऊँट पर ख़ुत्बा देना

باب : (١٧) الْخُطْبَةِ عَلَى الْبَعِيرِ

(1574) हज़रत अबू काहिल अहमसी (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँटनी पर सवार ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा जबकि एक हब्शी (सय्यदना हज़रत बिलाल(ﷺ)) ने ऊँटनी की महार थाम रखी थी।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الأَحْمَسِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ .

(1574) **तख़रीज : (सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस: 1284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1782.

फ़ायदा : इस रिवायत में ईद का ज़िक्र नहीं जबकि मुसनद अहमद: (4/306) में सराहत है कि आप लोगों से ईद का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। ये भी मुमकिन है कि इमाम साहिब का इस्तेदलाल उमूम से हो। याद रहे लोग ज़्यादा हों और आवाज़ सब तक न पहुँचती हो या इमाम व ख़तीब नज़र न आता हो तो जानवर पर सवार होकर भी ख़ुत्बा दिया जा सकता है। या किसी और ऊँची चीज़ पर, अलबत्ता क़सदन मिम्बर ईदगाह में ले जाना दुरूस्त नहीं कि ये तकल्लुफ़ में शुमार होगा।

बाब : (18) ख़ुत्बे के वक़्त इमाम को खड़ा होना चाहिए

باب : (١٨) قِيَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

(1575) हज़रत सिमाक ने कहा कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर कुछ देर बैठते, फिर खड़े हो जाते।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ .

(1575) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1783.

फ़ायदा : इस रिवायत में भी ईद का ज़िक्र नहीं है मगर मालूम होता है कि मुसन्निफ़ (رحمه الله) ईद के ख़ुत्बे को जुमे के ख़ुत्बे की तरह समझते हैं, यानी इसके भी दो ख़ुत्बे होंगे। दरम्यान में इमाम बैठेगा। जुम्हूर अहले इल्म इसी बात के क़ाइल हैं, अलबता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि दरम्यान में बैठना ख़ुत्बे की तवालत और इमाम की सहूलत और आराम के लिये है या इख़्तितामे ख़ुत्बा का क़ुर्ब ज़ाहिर करने के लिये? दूसरी वजह हो तो दूसरा ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए और यही दुरुस्त है। पहली वजह हो तो दोनों ख़ुत्बे बराबर होने चाहिए मगर ये मामूल नहीं। कुछ मुहक़्क़िक़ीन उलमा ने एक ख़ुत्बा ही दुरुस्त समझा है क्योंकि किसी सही रिवायत में सराहतन ईद के दो ख़ुत्बों का ज़िक्र नहीं। सुनन इब्ने माजा की जिस रिवायत में दो ख़ुत्बों का ज़िक्र है, वह रिवायत अबू बहर अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन उमैया और उसके शैख़ इस्माईल बिन मुस्लिम अल ख़ौलानी की वजह से ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है क्योंकि ये दोनों रावी ज़ईफ़ हैं। वल्लाहु आलम! (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1289) याद रहे ये कैफ़ियत, यानी दरम्यान में बैठना, सिर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा में साबित है। राजेह और दुरुस्त मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि ईद में एक ही ख़ुत्बा है। वल्लाहु आलम!

बाब : (19) इमाम का दौराने ख़ुत्बा में किसी इन्सान का सहारा लेना

باب: (١٩) قِيَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ

(1576) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद की नमाज़ में हाज़िर हुआ। आपने बग़ैर अज़ान और इक़ामत के ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद पढ़ाई। जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो बिलाल के कंधे पर हाथ रख कर खड़े हो गये। अल्लाह तआला की हम्द व सना की, लोगों को वाज़ व नसीहत करते हुये उन्हें (अल्लाह और रसूल की) इताअत की तल्क़ीन फ़रमाई, फिर आप एक तरफ़ से होकर औरतों की तरफ़ गये, बिलाल (رضي الله عنه) बदस्तूर आपके साथ थे। आपने उन (औरतों) को अल्लाह तआला से डरने का हुक्म दिया और उन्हें वाज़ व नसीहत फ़रमाई। अल्लाह तआला की हम्द व सना की और उन्हें अल्लाह (और

وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ " تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ " . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " . فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلاَئِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ .

रसूल) की इताअत की रग़बत दिलाई, फिर फ़रमाया: '(ऐ औरतो!) सदक़ा करो क्योंकि अक्सर औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी।' तो एक स्याह मटियाले रुख़सारों वाली आम सी औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने फ़रमाया: 'तुम शिक्वे शिकायत ज़्यादा करती हो और ख़ाविन्द की नाशुक्री करती हो।' औरतें अपने हार, बालियाँ और अंगूठियाँ उतार कर बतौर सदक़ा हज़रत बिलाल (ﷺ) के कपड़े में डालने लगीं (ताकि वह बैतुलमाल में जमा करवा दें।)

(1576) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1784.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़िताब अगरचे सहाबियात से था मगर मुराद आम औरतें हैं। ये दो वस्फ़ अगरचे मर्दों में भी मुमकिन हैं मगर औरतों में तक़रीबन ये लाज़िमा हैं, इसलिये उन्हें ख़ुसूसन तम्बीह फ़रमाई। **(2)** जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक औरतों से अलग ख़िताब करना रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ास्सा है क्योंकि आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने ऐसा नहीं किया, हालांकि वह सुन्नतों के शैदाई थे, और इसमें ख़ुत्बों की कस्रत या क़तअे ख़ुत्बा लाज़िम है। दोनों उमूर दुरुस्त नहीं। कुछ का कहना है कि इमाम के लिये ज़रूरी है कि वह औरतों को भी अलग तौर पर वाज़ व नसीहत करे लेकिन ये सही नहीं क्योंकि ये क़ौल शाज़ है, ताहम अगर कहीं इसकी ज़रूरत हो तो और बात है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक़ अमल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम! **(3)** ईदैन की नमाज़ अज़ान व इक़ामत के बग़ैर होती है। **(4)** ईदैन की नमाज़ पहले होती है और ख़ुत्बा बाद में होता है। **(5)** औरतें भी नमाज़े ईद के लिये ईदगाह में जायेंगी। उनके लिये ईदगाह में माकूल और महफ़ूज़ इन्तिज़ाम होना चाहिए। **(6)** औरत अपने माल से ख़ाविन्द को बताये बग़ैर सदक़ा कर सकती है। **(7)** सदक़ा रद्दे बला है। **(8)** फ़ुक़रा व मसाकीन पर ख़र्च करने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिये मालदार हज़रात से सदक़ा व ख़ैरात का मुतालबा जायज़ है।

बाब : (20) ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का लोगों की तरफ़ मुँह करना

باب : (٢٠) اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَإِلاَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ " تَصَدَّقُوا " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ .

(1577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा में ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते। जब दूसरी रकअत के बाद बैठ कर सलाम फेरते तो लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़े हो जाते। सब लोग (अपनी अपनी जगहों पर) बैठे रहते। अगर आप लश्कर भेजने की ज़रूरत महसूस फ़रमाते तो लोगों के सामने ज़िक्र फ़रमाते, वरना लोगों को सदक़ा वग़ैरह करने का हुक्म देते। तीन दफ़ा फ़रमाते: 'सदक़ा करो।' तो सदक़ा करने वाली अक्सर औरतें ही होतीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9/889, बुख़ारी, ह: 956, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1785.

बाब : (21) ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना

باب : (٢١) الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .

(1578) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तूने इमाम साहिब के ख़ुत्बे के दौरान में अपने साथी को ज़बान से कहा: चुप रह तो तूने भी फ़ुज़ूल काम किया।'

(1578) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1112, मौता: 13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1780, बुख़ारी, हदीस: 934, व मुस्लिम, हदीस: 851.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ ख़ुत्ब-ए-जुमा के बारे में है जैसा कि कुछ रिवायात में यौमुल जुमा की स़राहत है। जबकि यहाँ इमाम स़ाहिब (ﷀ) का इस्तेदलाल 'और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो' के उ़मूम से है। लगता है उनके नज़दीक नमाज़े ईद का ख़ुत्बा, ख़ुत्ब-ए-जुमा की मिस़्ल है, जिससे इसका सुनना भी ज़रूरी ठहरता है, हालांकि हदीस़: 1572 में ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने की इजाज़त मरवी है। याद रहे ख़ुत्ब-ए-ईद को ख़ुत्ब-ए-जुम्अतुल मुबारक पर क़यास करना या उसकी मिस़्ल ठहराना क़यास मअ़ल फ़ारिक़ है क्योंकि ख़ुत्ब-ए-जुमा सुनना वाजिब है, और वाजिब पर ग़ैर वाजिब का क़यास दुरुस्त नहीं। अ़ल्लामा सिन्धी (ﷀ) ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। जिसका माहस़ल ये है कि जो जाना चाहे जा सकता है लेकिन जो बैठ रहे उसके लिए ख़ुत्ब-ए-ईद सुनना ज़रूरी है और अस़्ना-ए-ख़ुत्बा कलाम दुरुस्त नहीं, लेकिन ये तत्बीक़ महल्ले नज़र है क्योंकि उस़ूल है कि अगर नस़ मुत्लक़ हो तो उसे मुक़य्यद पर महमूल करते हैं और यहाँ यही स़ूरत हास़िल है क्योंकि इसी हदीस़ के एक तरीक़ में यौमुल जुमा की क़ैद भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि स़िर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा ही में ख़ामोशी ज़रूरी होगी और हदीस़ में वारिद वईद भी स़िर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा से मुताल्लिक़ है, यहाँ इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि ख़ुत्ब-ए-ईद भी तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना मुस्तहब है। वल्लाहु आलम! तफ़्स़ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 17/205) **(2)** ज़बान से रोकना इसलिये मना है कि बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बोलने वाले से बढ़ जाता है, लिहाज़ा इशारे से काम लिया जाये ताकि ख़ुत्बे में सुकून रहे। **(3)** 'फ़ुज़ूल काम किया' यानी तूने अपने जुमे का स़वाब ज़ाया कर लिया क्योंकि दौराने जुमा में फ़ुज़ूल काम करना स़वाब को बातिल कर देता है।

बाब : (22)
ख़ुत्बा कैसे शुरू किया जाये?

باب : (٢٢)
كَيْفَ الْخُطْبَةُ

(1579) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना ख़ुत्बा यूँ शुरू फ़रमाते कि पहले अल्लाह तआला की हम्द व स़ना बयान फ़रमाते जो अल्लाह तआला की शाने गिरामी के लायक़ है, फिर फ़रमाते: 'जिसे अल्लाह तआला राहे रास्त पर ले आये, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे, उसे कोई राहे रास्त पर लाने वाला नहीं। बिलाशुब्हा सबसे ज़्यादा सच्ची

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ " مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ

لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ " . ثُمَّ يَقُولُ " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ " . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ " صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ " .

बात अल्लाह तआला की किताब है और बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद (ﷺ) का तरीक़ा है। और बदतरीन काम वह है जिन्हें (शरीयत में) अपनी तरफ़ से जारी किया गया। हर ऐसा काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जायेगी।' फिर आप फ़रमाते: 'मुझे और क़यामत को इन दो ऊँगलियों (अंगुश्ते शहादत और साथ वाली) की तरह (मिलाकर) भेजा गया है। आप जब क़यामत का ज़िक्र फ़रमाते तो आपके रुख़सार मुबारक सुर्ख़ हो जाते, आवाज़ बलन्द हो जाती और गुस्से के आसार चेहरे पर नुमायाँ हो जाते। यूँ लगता जैसे आप किसी लश्कर से डरा रहे हैं (यानी उसके हमले की ख़बर दे रहे हैं) कि तुम पर सुबह हमला कर देगा या शाम को। (फिर फ़रमाते:) 'जो शख़्स माल छोड़ जाये, वह तो उसके रिश्तेदारों को मिलेगा और जो आदमी क़र्ज़ या छोटे छोटे बच्चे (जिनके ज़ाया होने का ख़तरा है) छोड़ जाये तो वह मेरे सुपुर्द होंगे और उनके अख़राजात और क़र्ज़ वग़ैरह की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी क्योंकि मोमिनीन से मेरा ताल्लुक़ और रिश्ता तमाम रिश्तों से क़वी और मज़बूत है।'

(1579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 45/867, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1786.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़रूरी नहीं कि हर ख़ुत्बे में यही अल्फ़ाज़ और मज़्मून हो और न ये मुमकिन और मुनासिब है, बल्कि मक़सद ये है कि ख़ुत्बा इस क़िस्म का होना चाहिए, यानी इसकी इब्तिदा अल्लाह तआला की हम्द व सना से हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) का तज़्किरा भी ख़ुत्बे का लाज़िमी जुज़ है। लोगों को शरीयते हक़्क़ा की पाबन्दी और बिदआत से एहतिराज़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई जाये। उनको अल्लाह तआला और क़यामत से डराया जाये और ज़रूरी मसाइल बयान किये जायें। उन्वान और मज़्मून कोई भी

हो सकता है। (2) 'बिद्अत' से मुराद हर वह काम है जिसकी सिरे से कोई अस़ल शरीयते इस्लामिया में न हो और उसे अपनी तरफ़ से या किसी दूसरे मज़हब वालों की नक़्क़ाली में इस्लाम में दाख़िल किया जाये और उसे दीने इस्लाम का जुज़ या कारे स़वाब ख़्याल किया जाये। या उसकी अस़ल तो मौजूद हो लेकिन उसके लिये ऐसी कैफ़ियत, कोई वक़्त या सूरत इख़्तेराअ़ कर ली जाये कि जिसकी शरअ़ में दलील न हो तो वह भी बिद्अत ही होगी। दुनियावी उमूर में कोई नई चीज़ इख़्तियार करना बिद्अत नहीं। हज़रत उमर (ﷺ) का तरावीह की जमाअ़त को (निअ़मतिल बिद्आ) (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2010) कहना लुगत के लिहाज़ से है न कि शरअ़न। इसी तरह बिद्अत की तक़सीमे हस्ना और सय्या भी ग़लत है क्योंकि हर शरई बिद्अत गुमराही है, इसका मुस्तहसन होना मुमकिन नहीं, ताहम अगर कोई काम अस़लन शरअ़ में स़ाबित हो मगर वस़फ़न स़ाबित न हो, जैसे: जमाअ़त के बाद शरई हुक्म न समझ कर महज़ इत्तेफ़ाक़िया तौर पर इमाम स़ाहिब से मुस़ाफ़ा करना या ईद के बाद गले मिलना वग़ैरह, तो ऐसे कामों को बिद्अत नहीं कहा जायेगा क्योंकि उन्हें सुन्नत समझ कर नहीं किया जाता बल्कि एक क़ौमी रिवाज के तौर पर किया जाता है जिसमें शरअ़न कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग तशद्दुद करते हुये ये फ़र्क़ नहीं करते। (3) 'इन दो ऊँगलियों की तरह' मुराद ये है कि मेरी नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी। अब न कोई नबी आयेगा और न कोई और शरीयत। मैं पहले आ गया हूँ। क़यामत मेरे बाद आ रही है। दरम्यान में किसी और नबी का फ़ासिला नहीं। अगरचे इसमें हज़ारों साल लग जायें। (4) रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोमिनीन से ताल्लुक़ तमाम रिश्तों से क़वी और मज़बूत है। हर रिश्ता आप पर फ़िदा है। आप से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। ये अटूट रिश्ता है। दुनिया के बाद आख़िरत में भी और हर ख़ौफ़नाक मौक़े पर भी क़ाइम रहेगा। रसूल और नबी होने के अलावा आप हाकिम और अमीर भी थे और हाकिम व अमीर अपनी रिआया का ज़िम्मेदार होता है। हदीस़ में मज़्कूरा अख़राजात बैतुलमाल से पूरे किये जायेंगे।

बाब : (23)
ख़ुत्बे में इमाम का स़दक़े की रग़बत दिलाना

باب : (٢٣)
حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ

(1580) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ईद के दिन बाहर तशरीफ़ ले जाते, दो रकअ़तें पढ़ते, फिर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते और स़दक़े का हुक्म देते। अक्स़र औरतें ही स़दक़ा करतीं। अगर कोई ज़रूरत पेश होती या लश्कर भेजना मक़सूद होता तो उससे

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ

بِالصَّدَقَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَإِلاَّ رَجَعَ .

मुताल्लिक़ कलाम फ़रमाते, वरना वापस तशरीफ़ ले आते।

(1580) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1577, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1772, 1801.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .

(1581) हज़रत हसन बस़री से मन्क़ूल है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बस़रा में ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: अपने रोज़ों की ज़कात अदा करो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आपने फ़रमाया: यहाँ अहले मदीना में से कौन लोग हैं? (ऐ अहले मदीना!) उठो और अपने (इन बस़री) भाइयों को तालीम दो (बतलाओ) क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम और मुज़क्कर व मुअन्नस पर स़दक़-ए-फ़ित्र निस़्फ़ स़ाअ़ गन्दुम या एक स़ाअ़ खजूर या जौ मुक़र्रर फ़रमाया है।

(1581) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1802.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि हसन बस़री (رحمه الله) का हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से सिमाअ़ स़ाबित नहीं है, ताहम रिवायत में बयान कर्दा मसला स़दक़तुल फ़ित्र दीगर स़ही अहादीस़ से स़ाबित है। ग़ालिबन इसी वजह से मुहक़्क़िक़ीन ने रिवायत के पहले हिस़्से (अन्नब्नल अ़ब्बास ....) को ज़ईफ़ क़रार दिया है और दूसरे हिस़्से (अन्ना रसूलल्लाहि (ﷺ) ....) को दीगर शवाहिद की बिना पर स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स़्स़ल) लिल अल्बानी: 2/121-122, रक़म: 288, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 22/280-286) इस बिना पर यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से स़ही है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम और मुज़क्कर व मुअन्नस पर निस़्फ़ स़ाअ़ गन्दुम या एक स़ाअ़ खजूर या एक स़ाअ़ जो स़दक़तुल फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाया, अलबत्ता स़दक़तुल फ़ित्र में गन्दुम के निस़्फ़ स़ाअ़ देने में इख़्तिलाफ़ है। लेकिन इसमें राजेह मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि अगर कोई शख़्स़ एक स़ाअ़ की बजाये आधा स़ाअ़ गन्दुम भी फ़ितराने में दे देता है तो इन्शाअल्लाह ये भी जायज़ होगा। इसे सिर्फ़ किसी स़हाबी की राय और इज्तेहाद

क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि ये मरफ़ूअन भी साबित है, अलबत्ता पूरा साअ देना अफ़ज़ल और औला है जैसा कि उमूमी अहादीस से इसकी ताईद होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए सुनन नसाई की किताबुज़्ज़कात, बाब मक़ीलतु ज़कातिल फ़ित्र देखिये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي قَالَ " نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

(1582) हज़रत बराअ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानियों वाले दिन नमाज़े ईद के बाद ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने हमारी (नमाज़ की तरह) नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह (नमाज़ के बाद) क़ुर्बानी की, उसकी क़ुर्बानी सही है, लेकिन जिसने नमाज़े ईद से पहले क़ुर्बानी ज़बह कर दी तो ये गोश्त खाने के लिये बकरी ज़बह की गई है (क़ुर्बानी नहीं)' हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (ﷺ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! वल्लाह! मैंने तो नमाज़े ईद के लिये आने से पहले ही क़ुर्बानी ज़बह कर दी है। मैंने सोचा कि आज खाने पीने का दिन है, इसलिए मैंने जल्दी की। ख़ुद भी गोश्त खाया, अहल व अयाल और पड़ोसियों को भी खिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो गोश्त के लिये बकरी ज़बह की गई है।' उन्होंने कहा: मेरे पास एक (बकरी की क़िस्म से) मोटा ताज़ा जज़अ है जो गोश्त के लिहाज़ से दो बकरियों से बेहतर है (मगर वह दो दाँता नहीं, छोटा है) तो क्या वह मेरी तरफ़ से किफ़ायत कर जायेगा (अगर मैं उसे ज़बह कर दूँ?) आपने फ़रमाया: 'हाँ' लेकिन ये तेरे अलावा किसी से किफ़ायत नहीं करेगा।'

(1582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1803.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 1564.

बाब : (24)
ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए

باب : (۲۴)
الْقَصْدِ فِي الْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

(1583) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷻ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करता था। आपकी नमाज़ भी दरम्यानी होती थी और ख़ुत्बा भी दरम्याना होता था।

(1583) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 866, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1787.

फ़ायदा : नमाज़ न बहुत तवील होती कि लोग उकता जायें और न बहुत मुख़्तसर कि लोग साथ न मिल सकें। ये मतलब नहीं कि नमाज़ और ख़ुत्बा बराबर होते थे क्योंकि दोनों अपनी हक़ीक़त और हैयत में एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा इनके पैमाने अलग अलग हैं।

बाब : (25)
दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से बैठना

باب : (۲۵)
الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوتِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ.

(1584) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷻ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप (पहले) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते, फिर (थोड़ी देर के लिए) बैठ जाते और इस दौरान में (कोई तक़रीर या) बात चीत न करते, फिर खड़े हो जाते और दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते, लिहाज़ा जो शख़्स तुझे बताये कि नबी (ﷺ) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसकी तस्दीक़ न कर।

(1584) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1788.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठे हुये ख़ामोश रहने का मतलब ये है कि इस दौरान में ख़ुत्बा रोक देना चाहिए। ये मतलब नहीं कि वह ज़िक्र अज़्कार भी नहीं कर सकता। हदीस में

कलाम की नफ़ी है। उर्फ़े आम में ज़िक्र को कलाम नहीं कहा जाता, लिहाज़ा ज़िक्र जायज़ है। (2) ख़ुत्ब-ए-जुमा या ख़ुत्ब-ए-ईद खड़े होकर ही देना चाहिए मगर ये कि कोई माक़ूल उज़्र हो, जैसे: बीमारी, माज़ूरी वग़ैरह। लेकिन बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देने को मामूल बना लेना ख़िलाफ़े सुन्नत है।

बाब : (26) दूसरे ख़ुत्बे में क़ुर्आन पढ़ना और वाज़ व नसीहत (या अल्लाह का ज़िक्र) करना

باب : (٢٦) الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلاَتُهُ قَصْدًا .

(1585) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते और चन्द आयात तिलावत फ़रमाते और अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते। आपका ख़ुत्बा भी दरम्याना होता और नमाज़ भी।

(1585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1419, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1789.

फ़ायदा : 'अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते।' दूसरे मानी ये हैं कि 'अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते।' (और देखिये, हदीस: 1583)

बाब : (27) ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होने से पहले इमाम का मिम्बर से उतरना

باب : (٢٧) نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَيْهِمَا

(1586) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि हसन व हुसैन (ﷺ) सामने आ गये। उन्होंने सुर्ख़ क़मीसें पहन रखी थी। वह चलते थे तो (क़मीसों की वजह से) लड़-खड़ाते थे। (यानी गिरते पड़ते आ रहे थे) आप मिम्बर से उतरे, उन्हें उठाया और फ़रमाया: 'अल्लाह

قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ " صَدَقَ اللَّهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا " .

तआला ने सच फ़रमाया: 'तुम्हारे माल व औलाद तुम्हारे लिये आज़माइश हैं।' मैंने उन्हें देखा कि अपनी क़मीसों में गिरते पड़ते आ रहे हैं तो मैं सब्र न कर सका यहाँ तक कि मैं मिम्बर से उतरा और उन्हें उठाया।'

(1586) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1414, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1790.

फ़ायदा : बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त इन्सानी तक़ाज़ा है, लिहाज़ा उन्हें प्यार करने और तक्लीफ़ से बचाने के लिये ख़ुत्बा रोकना, मिम्बर से उतरना और उन्हें उठा लेना ऐन फ़ितरते इंसानिया का तक़ाज़ा है, अगरचे इसमें वक़्ती तौर पर इबादत से तवज्जोह हट जायेगी मगर इन्सान इबादत के अलावा और अहकाम का भी मुकल्लफ़ है। और उनसे सर्फ़े नज़र मुमकिन नहीं। बाक़ी रही आज़माइश तो इन्सान और उसकी हर चीज़ आज़माइश है। इससे मज़म्मत साबित नहीं होती मगर ये कि इन्सान उन चीज़ों की वजह से गुमराह हो जाये। अआज़नल्लाह! और रसूलुल्लाह (ﷺ) तमाम इन्सानों के लिये उस्व-ए-हस्ना थे, इसलिए आप अपने ज़ाहिरी अफ़आल में आम इन्सानी जज़्बात मल्हूज़ रखते थे, अपने रूहानी दर्जे और रुत्बे को लोगों के लिए तक्लीफ़ का ज़रिया नहीं बनाते थे।

باب : (٢٨)
مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

बाब : (28)
ख़ुत्बे से फ़राग़त के बाद इमाम का औरतों को वाज़ व नसीहत करना और उन्हें सदक़े की तर्ग़ीब दिलाना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ

(1587) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आबिस से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से कहा: क्या आप कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद के लिए बाहर गये थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ और अगर आपसे मुझे क़ुर्बत न होती तो मैं ऐसे मौक़े पर आपके साथ न होता क्योंकि वह उस वक़्त बच्चे थे आप उस निशान के पास आये जो कसीर बिन सल्त के घर के पास है और वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया,

ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ .

फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ ले गये। उन्हें वाज़ व नसीहत फ़रमाई और सदक़े का हुक्म दिया। औरतें अपने हाथ अपने हलक़ की तरफ़ बढ़ा कर ज़ेवर उतारने लगीं और हज़रत बिलाल के कपड़े में डालने लगीं।

(1587) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 863, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1776.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सवाल इसलिए किया गया कि वह उस वक़्त बालिग़ नहीं थे और बच्चे आम तौर पर इस उम्र में इबादात के बजाये खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और अगर इबादात में शामिल भी हों तो इमाम साहिब से पिछली सफ़ों ही में रहते हैं मगर इब्ने अब्बास (ﷺ) की तो बात ही और थी। **(2)** 'निशान' सवाल व जवाब के वक़्त ये जगह मुसल्ला न रही थी बल्कि वहाँ हज़रत कसीर बिन सल्त ताबेई का घर बन चुका था, अलबत्ता बतौरे यादगार वहाँ निशान था। आपके दौर में वहाँ खुला मैदान था जहाँ ईद व जनाज़ा वग़ैरह पढ़े जाते थे। **(3)** औरतों से अलग ख़िताब के सिलसिले में देखिये, हदीस नम्बर: 1576 का फ़ायदा नम्बर 2.

باب : (٢٩)
الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا

बाब : (29)
ईदैन से पहले और बाद नफ़ल नमाज़?

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

(1588) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ईद के दिन बाहर निकले और दो रकअतें पढ़ीं। इन (दो रकअत) से पहले या उनके बाद कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं पढ़ी।

(1588) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 884, बाद हदीस: 890, बुख़ारी, हदीस: 964, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1792.

फ़ायदा : दो रकअतों से मुराद ईद की दो रकअतें हैं नमाज़े ईद से पहले और बाद में नफ़ल नमाज़ पढ़ने या न पढ़ने से मुताल्लिक़ बहस पीछे गुज़र चुकी है, ताहम नमाज़े ईद के बाद वापस घर आकर नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ईद की नमाज़ के बाद घर में दो रकअत पढ़ना साबित है। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये, हदीस: 1562 के फ़वाइद व मसाइल और इसी किताब का इब्तिदाइया।

बाब : (30) इमाम ईद के दिन (लोगों के सामने) कुर्बानी करे और कितने जानवर क़ुर्बान करे?

باب : (٣٠)

ذَبْحِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَدَدِ مَا يَذْبَحُ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

(1589) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर अपने दो सफ़ेद व स्याह रंग के (अब्लक़) मैंढों की तरफ़ मुतवज्जा हुये और उन्हें ज़बह फ़रमाया।

(1589) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 12/1962, बुख़ारी, हदीस: 5549, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4478.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

(1590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदगाह में क़ुर्बानी किया करते थे।

(1590) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 4456.

फ़ायदा : लोगों के सामने या ईदगाह में क़ुर्बानी ज़बह करने का मक़सद लोगों को क़ुर्बानी पर उभारना है। क़ौल के बाद अमलन भी, लिहाज़ा ये मुस्तहब है मगर लाज़िम नहीं। इसी तरह दो जानवर ज़बह करना भी ज़रूरी नहीं, एक भी काफ़ी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) एक जानवर अपनी और अपने आल की तरफ़ से और एक अपनी उम्मत की तरफ़ से ज़बह फ़रमाया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1967) उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी की बाबत कुछ उलमा यूँ फ़रमाते हैं कि वह आपका ख़ास्सा है जिसमें उम्मत के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 4/354) इमाम पर क़ुर्बानी तभी है अगर वह क़ुर्बानी की ताक़त रखता हो। इमाम मालिक (رحمه الله) के नज़दीक ऐसे इमाम के पीछे नमाज़े ईद नहीं पढ़नी चाहिए जो क़ुर्बानी नहीं कर सकता या नहीं करता मगर जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं क्योंकि इमामत के लिये तक़्वा और इल्म शर्त हैं, न कि मालदार होना। बहर सूरत इमाम क़ुर्बानी करने वाला हो और ऐलानिया लोगों के सामने क़ुर्बानी करे तो अच्छी बात है। वल्लाहु आलम!

बाब : (31) अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो दोनों में हाज़िर होना चाहिए

باب : (٣١) اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودِهِمَا

(1591) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे और ईद की नमाज़ों में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ते थे। जब जुमा और ईद एक दिन इकट्ठे हो जाते तो फिर भी आप यही दोनों सूरतें पढ़ते।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قُلْتُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا

(1591) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1775.

फ़ायदा : गोया नबी (ﷺ) दोनों नमाज़ें पढ़ाते थे और सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी आपके पीछे दोनों नमाज़ें पढ़ते थे क्योंकि दोनों मुख़्तलिफ़ नमाज़ें हैं। औक़ात मुख़्तलिफ़ हैं। हैयत में भी फ़र्क़ है। एक नफ़्ल है दूसरी फ़र्ज़। कुछ हज़रात का ख़याल है कि ईद का ख़ुत्बा जुमे के ख़ुत्बे से किफ़ायत कर जायेगा और जुमे की जगह असल नमाज़, यानी ज़ुहर पढ़ी जा सकती है, गोया ईद वाले दिन जुमे के बजाये ज़ुहर पढ़ ली जाये तो दुरूस्त है मगर ये इन्फ़िरादी तौर पर हो सकता है, इज्तेमाई तौर पर जुमा ही पढ़ा जायेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) की यही सुन्नत है। आइन्दा हदीस में रुख़सत को इन्फ़िराद पर महमूल किया जायेगा, और ये रुख़सत क़ुर्ब व जवार में रहने वाले या दूर से आने वाले सब लोगों के लिये यकसां है। दोनों क़िस्म के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं क्योंकि हदीस आम है। किसी फ़र्द की तख़सीस नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (32) जो शख़्स ईद पढ़ ले, उसे जुमे में हाज़िर न होने की रुख़सत है।

باب : (٣٢) الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ

(1592) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से पूछा: क्या आप ईदैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हाज़िर हुये थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ आपने दिन के आग़ाज़ में ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की रुख़सत दे दी।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ

أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ .

(1592) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1070, इब्ने माजा, हदीस़: 1310, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1893, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1464, वल हाकिम: 1/288, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/88.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ .

(1593) हज़रत वहब बिन कैसान ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) के दौरे (ख़िलाफ़त) में जुमा और ईद इकट्ठे हो गये तो उन्होंने ईद के लिये निकलने में देर कर दी यहाँ तक कि दिन (काफ़ी) ऊँचा हो गया, फिर वह निकले और ख़ुत्बा दिया और बहुत लम्बा ख़ुत्बा दिया, फिर उतरे और ईद की नमाज़ पढ़ाई और उस दिन लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया। ये बात हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: उन्होंने सुन्नत पर अमल किया।

(1593) तख़रीज : (सनद सहीह) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1465, इब्ने अबी शैबा: 2/186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1794, व सहीह अल हाकिम: 1/296, अबी दाऊद, हदीस़: 1071, 1072.

फ़ायदा : यहाँ सुन्नत से मुराद रुख़्सत है। चूंकि रूख़्सत नबी (ﷺ) के क़ौल से साबित है, लिहाज़ा इसे सुन्नत कहा। वरना आपकी सुन्नत, यानी अमल तो ईद के बाद जुमा पढ़ना और पढ़ाना है। अमल भी आपकी सुन्नत ही पर करना चाहिए। अगरचे रुख़्सत की गुंजाइश है मगर फ़र्दन न कि इज्तेमाअन सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा की रिवायत में सराहत है कि हम जुमा क़ाइम करेंगे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1073, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1311), लिहाज़ा जुमा क़ाइम होना चाहिए।

बाब : (33) ईद के दिन दुफ़ बजाना

باب : (٣٣) ضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(1594) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (ईद के दिन) उनके पास तशरीफ़ ले गये और उनके यहाँ (घर में) दो बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं। (आपने उन्हें न

الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا " .

रोका, फिर अबू बक्र दाख़िल हुये तो) अबू बक्र (ﷺ) ने उन्हें डाँटा। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रहने दो! हर क़ौम की ईद होती है (जिसमें वह खेल कूद भी लेते हैं।)'

(1594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 987, 3529, व मुस्लिम, हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1795.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुफ़ बजाना ग़ैर ज़रूरी काम तो है मगर हराम नहीं, लिहाज़ा ख़ुशी के मौक़े पर नाबालिग़ व ग़ैर मुकल्लफ़ बच्चियाँ अगर ये काम कर लें तो ईद की वुस्अत चश्म पोशी का तक़ाज़ा करती है। अगरचे इसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जायेगी मगर रोका भी नहीं जायेगा, अलबत्ता हराम काम, जैसे: मौसीक़ी या ढोल वग़ैरह, को रोका जायेगा। हौसला अफ़ज़ाई तो किसी सूरत भी न की जायेगी। जबकि दीगर अहादीस में है कि आप चेहर-ए-अनवर ढाँप कर लेटे हुये थे। देखिये: (हदीस: 1598 और उसके फ़वाइद मुलाहिज़ा फ़रमाइये) गोया न उनकी तरफ़ तवज्जा की, न देखा, न उनसे प्यार किया, न शाबाशी दी बल्कि ऐराज़ किया और चश्मपोशी फ़रमाई। (2) ईद और शादी वग़ैरह के मौक़े पर अगर छोटी बच्चियाँ अपने तौर पर दुफ़ बजा लें और पाकीज़ा गाने गा लें तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इस काम का एहतिमाम न किया जाये। (3) दुफ़ निस्फ़ ढोल को कह सकते हैं, यानी एक तरफ़ से बन्द और दूसरी तरफ़ से खुला। इसे बजाने से ज़्यादा आवाज़ नहीं पैदा होती। घड़ा या परात वग़ैरह बजाना भी दुफ़ की ज़ेल में आ सकता है लेकिन शर्त ये है कि बजाने वाले नाबालिग़ बच्चियाँ हों, अलबत्ता ढोल की आवाज़ बहुत बलन्द और मकरूह होती है, लिहाज़ा वह मना है।

بَاب : (٣٤) اللَّعِبِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

बाब : (34) ईद के दिन इमाम के सामने खेल कूद का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ فَدَعَانِي فَكُنْتُ أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ

(1595) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि ईद के दिन हब्शी आये और नबी (ﷺ) के सामने खेलने लगे। आपने मुझे बुलाया। मैं (आपकी ओट में खड़ी होकर) आपके कंधे के ऊपर से उन्हें खेलते देखने लगी। मैं देखती रही यहाँ तक कि मैं ख़ुद ही हट गई।

إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ .

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 892, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1798.

फ़ायदा : खेलना ख़ुसूसन जंगी तर्बीयत वाले खेल खेलना तो क़तअन मकरूह नहीं। ईद के दिन बदर्जए-औला जायज़ हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) उनके सामने नहीं थीं बल्कि अपने हुज्रे में थीं और आपकी औट में थीं। उनको नज़र न आती थीं, और हज़रत आयशा (ﷺ) उन हब्शियों को नहीं बल्कि उनका खेल देख रही थीं। औरतों के लिये मर्दों को क़सदन देखना मना है बित्तबअ देखना मना नहीं। यहाँ मक़सूद खेल देखना था, न कि मर्द। अगरचे बित्तबअ वह भी नज़र आते थे। जैसे रास्ते पर चलते वक़्त बावजूद पर्दे के औरत को मर्द नज़र आते हैं।

باب : (٣٥)
اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ وَنَظَرِ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ

बाब : (35)
ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल खेलना और औरतों का उनको देखना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ .

(1596) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को देखा, आपने मुझे अपनी चादर से छुपाया हुआ था और मैं हब्शियों को मस्जिद में खेलते हुये देख रही थी यहाँ तक कि मैं ही उकता गई। ज़रा अन्दाज़ा लगाओ एक नौ उम्र लड़की खेल की बहुत शाइक़ हो, कितनी देर तक खड़ी देखती रही होगी। (आप उतनी देर तक उसके लिए खड़े रहे।)

(1596) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 5236, मुस्लिम, हदीस: 17/892, देखें पिछली हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1800.

फ़ायदा : मस्जिद में खेलने और औरत का उसे देखने की तफ़्सील साबिक़ा हदीस के हाशिये में गुज़र चुकी है। इस वाक़िये से रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ल्क़े अज़ीम और बीवी से हुस्ने सुलूक का पता चलता है कि आपने अपनी बीवी के जज़्बात का किस क़द्र ख़याल रखा, अच्छा इन्सान वही है जो दूसरों के जायज़ जज़्बात का ख़याल रखे। अपने जज़्बात का तो हर कोई ख़याल रखता है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رضى الله عنه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ " .

(1597) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुये तो हब्शी मस्जिद में (जंगी खेल) खेल रहे थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें डाँटा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उमर! रहने दो। ये बनू अरफ़िदा (हब्शी लोग) हैं (और जंगी खेल खेलना इनकी फ़ितरत में दाख़िल है।)'

(1597) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 2901, मुस्लिम, हदीस: 22/893, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1799.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद खेल कूद के लिये नहीं होती मगर चूंकि ये खेल फ़ुज़ूल न था बल्कि नेज़ों और बर्छियों से खेल रहे थे जो कि मुसलमानों की जिहादी कुव्वत का ज़रिया है, लिहाज़ा इसे मस्जिद में गवारा फ़रमाया। वरना फ़ुटबाल और क्रिकेट वग़ैरह मस्जिद में नहीं खेले जा सकते कि वह सिर्फ़ लहो-लइब हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी वर्ज़िश के लिए हैं। उनको खेलने वाले की नियत 'जिहादी' नहीं होती। **(2)** 'बनू अरफ़िदा' हब्शियों का लक़ब है या उनके जद्दे अमजद की तरफ़ निस्बत है।

باب : (٣٦)
الرُّخْصَةِ فِي الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

बाब : (36)
ईद के दिन दुफ़ बजाने और (पाकीज़ा) नग़मे सुनने की इजाज़त है

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ -

(1598) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे पास दो बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं और (जंगी) नग़मे गा रही थीं जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) कपड़ा औढ़े लेटे हुये थे। (हज़रत अबू बक्र ने उन्हें झिड़का तो) आप (ﷺ) ने अपने चेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाया और फ़रमाया: 'अबू बक्र! इन्हें रहने दो। ये ईद के दिन हैं।' ये वह दिन थे जिनमें हाजी मिना में होते हैं।

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ " دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ " . وَهُنَّ أَيَّامُ مِنًى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ .

(यानी अय्यामे तशरीक़) और अल्लाह के रसूल (ﷺ) इन दिनों मदीना मुनव्वरा में थे।

तख़रीज : (सनद सही) ज़हबी, देखें, हदीस: 1594.

फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस नम्बर: 1594 ताज्जुब है कुछ लोगों ने इससे मौसीक़ी और सिमाअ के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है और, फिर इस बुनियाद पर मजालिसे सिमाअ व वज्द मुन्अक़िद की जाती हैं जिनमें क़व्वाल ग़लत सलत अशआर, जिनसे तौहीद के बजाये शिर्क पर ज़्यादा दलालत होती है, आलाते मौसीक़ी समेत अलापते हैं और सामेईन न सिर्फ़ सिर धुनते हैं बल्कि वज्द में आकर बेहूदा हरकात करते हैं। इस लहो-लइब में मशग़ूलियत की बिना पर नमाज़ और क़ुर्आन से भी बेन्याज़ी बरती जाती है। ज़रा सोचिये! क्या ये इत्तेफ़ाक़ी और सादा वाक़िया इतनी बड़ी वाहियात इमारत की बुनियाद बन सकता है? एक बुज़ुर्ग ने क्या ख़ूब कहा है कि अगर इस वाक़िये से इस्तेदलाल करना है तो तमाम जुज़ियात समेत किया जाये। नाबालिग़ बच्चियाँ सिर्फ़ दुफ़ पर जंगी अशआर पढ़ें। दाख़िल होने वाला इसमें दिलचस्पी न ले बल्कि उनसे मुँह मोड़ कर एक तरफ़ लेट जाये, फिर कोई आने वाला उन्हें झिड़के और डाँटे मगर उसे मारने से रोक दिया जाये, फिर वह बच्चियाँ भी ख़ौफ़ज़दा होकर चुप हो जायें, फिर इशारे से उन्हें भगा दिया जाये। अगर इसे आप महफ़िले सिमाअ या बज़्मे ग़िना का नाम दे सकें तो बड़े शौक़ से ऐसी मज्लिस मुन्अक़िद फ़रमायें। वरना हदीस का नाम लेकर दीन को बदनाम न करें। मौत को याद रखें और तमाम क़ुदरतों के मालिक अल्लाह तआला से डरें।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

كتاب قيام الليل وتطوع النهار

रात की (नफ़ल) नमाज़ और दिन के नवाफ़िल से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (١) الْحَثِّ عَلَى الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ وَالْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

बाब : (1) नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ने की तर्ग़ीब और उसकी फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

(1599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने घरों में भी नमाज़ (नफ़ल) पढ़ा करो। उन्हें क़ब्रिस्तान न बना लो।'

(1599) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 432, 1187, व मुस्लिम, हदीस: 777, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1290.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उज़्र के सिवा फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में बा'जमाअत पढ़नी चाहिए, अलबत्ता नफ़ल घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। मस्जिद फ़र्ज़ नमाज़ों से आबाद हो जायेगी। घरों को नफ़ल नमाज़ ही से आबाद किया जा सकता है, लिहाज़ा नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है। औरतों के लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी घर ही में पढ़ना अफ़ज़ल है अगरचे मस्जिद में भी वह फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकती हैं। इस तरह घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया जा सकता है। घर और दिल वही आबाद और ज़िन्दा हैं जिनमें अल्लाह का ज़िक्र हो वरना वीरान और मुर्दा हैं। इस लिहाज़ से नबी (ﷺ) ने उन घरों को क़ब्रिस्तान से तश्बीह दी है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता और जहाँ नमाज़ पढ़नी क़तअन मना है। और अल्लाह के ज़िक्र की असल और आला सूरत नमाज़ ही है। **(2)** इस रिवायत से ज़िम्नन ये भी मालूम होता है कि क़ब्रिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती सिवाये नमाज़े जनाज़ा के कि उसमें रुकू और सज्दा नहीं है। कुछ शारेहीन ने इस रिवायत के ये मानी भी किये हैं कि घरों में क़ब्रें न बनाओ वरना क़ब्रों की वजह से घरों में नमाज़ न पढ़ सकोगे। ये मसला तो सही है

मगर इस मानी में ज़रा तकल्लुफ़ है। (3) इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि मस्जिद में नफ़ल और सुन्नत पढ़े नहीं जा सकते बल्कि मतलब ये है कि घरों में भी नवाफ़िल पढ़ा करो।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ " مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ " .

(1600) हज़रत ज़ैद बिन साबित (﵁) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद में खजूर की चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बना लिया (ताकि सुकून से रात की नमाज़ पढ़ सकें) अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने कई रातें इसमें नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि लोग भी आपके क़रीब जमा होने लग गये (और आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे) फिर एक रात उन्होंने आपकी आवाज़ महसूस न की। उन्होंने समझा कि आप सोये हुये हैं। उनमें से कुछ खंखारने लगे ताकि आप (जाग कर) उनकी तरफ़ तशरीफ़ ले आयें। (मगर आप न निकले, फिर सुबह के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'जो कुछ तुम करते रहे हो मैं देखता रहा हूँ (मगर, इसलिए नहीं निकला कि) मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं (तुम्हारे ज़ौक़ शौक़ की वजह से) तुम पर रात की नमाज़ फ़र्ज़ ही न कर दी जाये। और अगर तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाती तो तुम इसे अदा न कर पाते, लिहाज़ा ऐ लोगो! रात की नमाज़ अपने घरों में पढ़ लिया करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा इन्सान की अफ़ज़ल नमाज़ वह है जो घर में पढ़े।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 729, मुस्लिम, ह: 781/214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1291, 1292.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दूसरी रिवायात में सराहत है कि ये रमज़ानुल मुबारक की बात है और यहाँ रात की नमाज़ से मुराद तरावीह है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुज्रा सा बनाने से मालूम होता है कि आप मोतकिफ़ होंगे वरना आप रात की नमाज़ घर में पढ़ा करते थे। या मुमकिन है कि घर में किसी

वजह से तंगी हो और आपने अलैहिदगी में नमाज़ पढ़ने के लिये चटाई खड़ी की हो। (2) 'फ़र्ज़ न कर दी जाये' रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का फ़र्ज़ हो जाना पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़े के मुतरादिफ़ नहीं कि ऐतराज़ पैदा हो कि (ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्या) के अल्फ़ाज़ (जो अल्लाह तआला ने लैलतुल इस्राअ में पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत के वक़्त फ़रमाये थे) के बाद तो फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नहीं था क्योंकि इस क़ौल में सिर्फ़ रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा या कमी की नफ़ी की गई है और तरावीह की, बिल फ़र्ज़, फ़र्ज़ीयत से यौमिया नमाज़ों में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नापैद हो गया, लिहाज़ा नमाज़े तरावीह को मस्जिद में मुस्तक़िल बा'जमाअत जारी कर दिया गया जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर से लेकर अब तक बिला निज़ाअ उम्मत में जारी व सारी है और इज्माई मसला है और सुन्नतुल मुस्लिमीन बन चुका है। अब किसी मस्जिद को इस सआदत से महरूम नहीं रखा जायेगा, अलबत्ता अगर कोई शख़्स इन्फ़िरादी तौर पर घर में अदा करना चाहे तो भी जायज़ है मगर ज़रूरी है कि वह नमाज़े तरावीह में क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने के क़ाबिल हो ताकि असल मक़सद पूरा हो, न कि सिर्फ़ रकआत की गिनती पूरी करे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ " .

(1601) हज़रत कअब बिन उज्रा (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक दफ़ा) मग़रिब की नमाज़ बनू अब्दुल अश्हल की मस्जिद में पढ़ी। जब आप नमाज़ (फ़र्ज़) से फ़ारिग़ हुये तो कुछ लोग उठ कर नवाफ़िल (मग़रिब की सुन्नतें) पढ़ने लगे। आपने फ़रमाया: 'ये नमाज़ घरों में पढ़ा करो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 604, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1201, अन्नैल, हदीस: 1300.

फ़ायदा : ये 'नमाज़' यानी मग़रिब की सुन्नतें या मुत्लक़न सुन्नतें और नवाफ़िल। ये अम्र इस्तेहबाब के लिये है, न कि वजूब के लिये क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से मग़रिब के बाद नवाफ़िल मस्जिद में पढ़ना साबित है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1301) आज कल ज़िन्दगी इस क़द्र तेज़ और मसरूफ़ हो गई है कि फ़र्ज़ों के बाद वाली सुन्नतें रह जाने का ख़तरा है जो एक क़बीह बात है अगर ऐसी बात हो तो सुनने रवातिब फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मस्जिद ही में अदा कर लेनी चाहिए।

बाब : (2) रात की नमाज़

باب: (٢) قِيَامِ اللَّيْلِ

(1602) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत है कि मै हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मिला और उनसे नमाज़े वित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: क्या मैं तुझे उस शख़्सियत के बारे में न बताऊँ जो रूए ज़मीन पर बसने वाले इन्सानों में से सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े वित्र को जानती हो? सअद ने कहा: हाँ, ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया: वह हज़रत आयशा (ﷺ) हैं। उनसे जाकर पूछो, फिर वापस आकर मुझे भी बताओ कि उन्होंने क्या जवाब दिया, चुनांचे मैं हज़रत हकीम बिन अफ़लह के पास आया और उन्हें भी साथ चलने के लिये कहा। वह कहने लगे: मैं तो उनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि आप उन दो लड़ने वाले गिरोहों (उस्मानी व अल्वी) के बारे में कुछ भी न कहें मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी मर्ज़ी की। मैंने उन्हें क़सम दी (कि वह ज़रूर चलें) तो वह मेरे साथ चल पड़े और हज़रत आयशा (ﷺ) के पास पहुँचे। हज़रत आयशा(ﷺ) ने उनसे कहा: ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा: सअद बिन हिशाम। उन्होंने फ़रमाया: कौन सा हिशाम? मैंने कहा: हिशाम बिन आमिर। तो आपने उनके लिये रहमत की दुआ की और फ़रमाया: आमिर बहुत अच्छे इन्सान थे। मेरे साथी ने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! आप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के अख़्लाक़े आलिया के बारे में बताइये। तो फ़रमाने लगीं: क्या तुम क़ुर्आन नहीं पढ़ते? मैंने कहा: क्यूँ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ، فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ . قَالَ عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهَا إِلاَّ مُضِيًّا . فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ مَنْ هَذَا مَعَكَ قُلْتُ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ . فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا . قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ . فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم . قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } قُلْتُ بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا

नहीं (पढ़ता हूँ) उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) के अख़्लाक़े आलिया ऐन क़ुर्आन के मुताबिक़ थे। मैंने उठने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़यामुल लैल (रात की इबादत) का ख़्याल आया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे नबी (ﷺ) के क़यामुल लैल के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: क्या तुम ये सूरत (या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल) नहीं पढ़ते? मैंने कहा: क्यूँ नहीं (पढ़ता हूँ) फ़रमाने लगीं: अल्लाह तआला ने इस सूरत के शुरू में रात का क़याम फ़र्ज़ किया था। तो नबी (ﷺ) और आपके सहाबा एक साल तक क़याम करते रहे यहाँ तक कि उनके पाँव सूज गये। अल्लाह तआला ने इस सूरत की आख़री आयतें (दूसरा रुकू) बारह महीने रोक रखीं, फिर इन आयात में तख़्फ़ीफ़ नाज़िल फ़रमाई तो क़यामुल लैल नफ़्ल बन गया जबकि पहले फ़र्ज़ था। मैंने, फिर उठने का इरादा किया कि अचानक मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े वित्र का ख़्याल आ गया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े वित्र के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: हम रात को आपकी मिस्वाक और तहारत का पानी तैयार करके रख देते थे, फिर अल्लाह तआला जब पसन्द फ़रमाता आप को जगा देता। आप (उठ कर) मिस्वाक फ़रमाते और वुज़ू करते, फिर आठ रकआत इस तरह पढ़ते कि उनमें से किसी रकअत के बाद नहीं बैठते थे मगर आठवीं रकअत के बाद बैठते, अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते

بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِي وَلاَ أَدْرِي مِمَّنِ الْخَطَأُ فِي مَوْضِعِ وِتْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअत पढ़ते, फिर एक रकअत पढ़ते। बेटा! इस तरह ये ग्यारह रकअतें बन गयीं, फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की उम्र ज़्यादा हो गई और बोझल हो गये तो सात रकआत पढ़ते और सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअतें पढ़ते। बेटा! इस तरह ये नौ रकअतें बन गईं। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कोई नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो मुनासिब समझते थे कि उसे हमेशा पढ़ा करें और अगर कभी नींद या बीमारी या कोई तक्लीफ़ रात की नमाज़ से रुकावट बन जाती तो दिन को (बजाये ग्यारह के) बारह रकआत पढ़ लेते। और मुझे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कभी एक रात में पूरा क़ुरआन पढ़ा हो या कभी सुबह तक सारी रात नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी पूरा महीना रोज़े रखे हों, फिर मैं हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के पास आया और उनके सामने ये पूरी हदीस़ बयान की। आप फ़रमाने लगे: सच कहा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने। वल्लाह! अगर मैं उनके पास जाता होता तो ज़रूर जाता कि वह मुझे बराहे रास्त ये हदीस़ बयान फ़रमातीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस़ मेरी किताब में ऐसे ही है। मैं नहीं जानता आप (ﷺ) के वित्र के बारे में किसी से ग़लती हो गई?

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, ह: 746, अबू दाऊद, ह: 1343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1294.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) के इस फ़रमान में इशारा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ग्यारह रकअ़त वित्र के बयान में किसी रावी से ख़ता हो गई है क्योंकि यहाँ दो रकअ़तों को एक रकअ़त से

मुक़द्दम बयान किया गया है, हालांकि सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक़ सही ये है कि आप नौ रकअतें इस तरह पढ़ते कि सिर्फ़ आठवीं रकअत पर बैठते, फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ करते, फिर सलाम फेरे बग़ैर खड़े हो जाते और नौवीं रकअत पढ़ कर बैठ जाते और ज़िक्र व दुआ वग़ैरह के बाद आवाज़ के साथ सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअतें पढ़ते। इस तरह ये ग्यारह रकअतें हो गईं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 746) किसी रावी से तक़दीम व ताख़ीर हो गई। आगे नौ रकअत वित्र के बयान से भी इस ग़लती की निशानदेही होती है क्योंकि वहाँ मुस्लिम की रिवायत की तरह दो रकअतों को एक रकअत से मुअख़्ख़र बताया गया है और यही सही है। **(2)** 'ऐन क़ुर्आन के मुताबिक़ थे।' यानी क़ुर्आन मजीद में जो अख़्लाक़े आलिया फ़ाज़िला तमाम अम्बिया व सुलहा के बयान किये गये हैं, नबी (ﷺ) में वह सब बदर्ज-ए-अतम्म पाये जाते थे और जिन चीज़ों से क़ुर्आन मजीद में रोका गया है, उनकी गर्द भी आपको नहीं पहुँचती थी। **(3)** हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के बयान के मुताबिक़ एक साल के बाद नबी(ﷺ) से भी क़यामुल लैल की फ़र्ज़ीयत साक़ित हो गई थी, मगर क़ुर्आन मजीद के अल्फ़ाज़ में दो इम्कान हैं, एक ये कि क़यामुल लैल सिर्फ़ सहाबा से साक़ित किया गया था, आप (ﷺ) पर बदस्तूर फ़र्ज़ रहा लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ सफ़रों में तहज्जुद पढ़ना साबित नहीं जैसा कि एक दफ़ा सफ़र में सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) भी सोये रहे और रसूलुल्लाह(ﷺ) भी, किसी को जाग न आई, तहज्जुद बरवक़्त पढ़ना तो जा, नमाज़े फ़ज्र भी आप (ﷺ) ने सूरज चढ़े पढ़ी, इसी तरह मुज़्दलिफ़ा की रात भी आप (ﷺ) से तहज्जुद पढ़ना मन्क़ूल नहीं। इससे तहज्जुद की फ़र्ज़ीयत के क़ाइलीन का मौक़िफ़ महल्ले नज़र ठहरता है। दूसरे ये कि फ़र्ज़ीयत नबी (ﷺ) से भी साक़ित कर दी गई, जैसा कि सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) का बयान है। वल्लाहु आलम! **(4)** क़यामुल लैल और नमाज़े वित्र कोई अलग अलग नमाज़ें नहीं बल्कि एक ही नमाज़ को वक़्त की निस्बत से क़यामुल लैल कहा गया और रकआत की तादाद की निस्बत से वित्र कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह और आम दिनों में इसी को तहज्जुद कह दिया जाता है क्योंकि आम दिनों में ये नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है और तहज्जुद के मानी भी नींद से उठना हैं। तरावीह उसको पढ़ने की कैफ़ियत के लिहाज़ से कहा जाता है, यानी वक़्फ़े से आराम करके पढ़ना। तरावीह में हर चार रकअत के बाद काफ़ी वक़्फ़ा किया जाता है। अगरचे आज कल ये वक़्फ़ा तक़रीबन मतरुक हो चुका है और ये ज़रूरी भी नहीं। **(5)** रात को जो नफ़ल नमाज़ भी पढ़ी जायेगी, उसकी तादाद ताक़ होनी चाहिए, फिर उन सब को वित्र ही कहा जायेगा, अलबत्ता अगर दिन को क़ज़ा करनी हो तो ताक़ के बजाये जुफ़्त पढ़ी जायेगी क्योंकि ताक़ नफ़ल नमाज़ रात के साथ ख़ास है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का दिन को ग्यारह के बजाये बारह रकअत पढ़ना सरीह दलील है। ये भी मालूम हुआ कि वित्र नफ़ल हैं, फ़र्ज़ नहीं, और नफ़ल की भी क़ज़ा दी जा सकती है। **(6)** 'मुझे इल्म नहीं' मक़सूद

ये है कि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और उसके आराम व सेहत का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है, वरना जिस्म आजिज़ आ जायेगा, फिर नफ़ल तो एक तरफ़ रहे फ़र्ज़ रह जाने की नौबत भी आ सकती है। **(7)** 'अगर मैं उनके पास जाता होता' दरअसल उस वक़्त ग़लत फ़हमी की वजह से कुछ सहाब-ए-किराम (ﷺ) में सियासी इख़्तिलाफ़ात पैदा हो चुके थे जिसने उनको एक दूसरे से दूर कर दिया था। जंगे जमल और जंगे सिफ़्फ़ीन उसी दौर की तल्ख़ यादें हैं। हज़रत आयशा, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) के दरम्यान भी इन इख़्तिलाफ़ात की वजह से बाहम शकर रंजी थी, अलबत्ता वह सब नेक नियत थे। (ﷺ) **(8)** सलफ़ सालेहीन हर काम में उस्व-ए-रसूल तलाश करते थे कि उनकी इक़्तेदा करें। इस मक़सद के लिये वह वक़्त भी देते थे और उलमा से इस्तेफ़सार भी करते और अगर सफ़र की ज़रूरत पेश आती तो सफ़र भी करते। (ﷺ) **(9)** जिससे सवाल पूछा जा रहा है अगर उससे बड़ा आलिम मौजूद है तो उसे चाहिए कि साइल की उसकी तरफ़ रहनुमाई करे क्योंकि दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है। **(10)** हज़रत आयशा (ﷺ) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इबादत के बारे में ज़्यादा जानती थीं। **(11)** महबूब तरीन अमल वह है जिस पर आदमी हमेशगी करे अगरचे वह कम ही हो। (12) सारी सारी रात इबादत में गुज़ार देना रसूलुल्लाह (ﷺ) का तरीक़ा नहीं बल्कि अपनी आँखों, जिस्म और अहलो-अयाल का भी इन्सान पर हक़ है, अलबत्ता कभी कभार ये जायज़ है।

बाब : (3) जो शख़्स ईमान की बिना पर सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम करे, उसे क्या सवाब मिलेगा?

باب : (٣)
ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

(1603) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान की बिना पर सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम करे (नमाज़े तरावीह पढ़े) तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(1603) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2009, 37, मुस्लिम, हदीस: 759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1295, मोता: 1/109, हदीस: 278.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(1604) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ईमान के तक़ाज़े से और सिर्फ़ सवाब हासिल करने के लिये रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम किया, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(1604) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/529, मोता: 1/113, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2202, बुख़ारी, हदीस: 2008, व मुस्लिम, हदीस: 759.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ईमान की बिना पर' मुराद अल्लाह तआला पर ईमान है या रोज़े के मज़्कूरा सवाब पर ईमान है अगर ईमान की बजाये रस्म समझ कर मज़्कूरा नमाज़ पढ़ी तो उस पर सवाब का वादा नहीं है। **(2)** 'सवाब की नियत से' यानी नियत सवाब हासिल करने की हो, रियाकारी, हुसूले तारीफ़ या दुनियावी मक़सद (जेसे सेहत वग़ैरह) पेशे नज़र न हो। गोया ईमान रोज़े की बुनियाद हो और सवाब मक़सद। **(3)** 'पहले सब गुनाह' इसमें अल्लाह तआला की बेपायाँ रहमत व शफ़क़त का इज़्हार है। वह माफ़ करने पर आये तो सिर्फ़ रास्ते से टहनी हटाने वाले को पानी पिलाने वाली बदकार औरत को भी माफ़ फ़रमा दे। वल्लाहु ग़फ़ूर्रुरहीम!

بَاب : (٤)
قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब : (4)
माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) नमाज़ (तरावीह)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ

(1605) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात मस्जिद में नमाज़ (तरावीह) पढ़ी। कुछ लोग भी आपकी इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ने लगे, फिर अगली रात आपने (मस्जिद में) नमाज़ पढ़ी तो लोग पहले से ज़्यादा हो गये, फिर तीसरी या चौथी रात तो सब लोग ही जमा हो गये लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ न लाये। जब सुबह हुई तो आपने

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

फ़रमायाः 'रात जो तुमने किया मैं देख रहा था (यानी तुम्हारा इज्तेमा और ज़ौक़ व शौक़) मगर मुझे आने से ये चीज़ मानेअ (रुकावट) थी कि मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ ही न कर दी जाये।' और ये रमज़ानुल मुबारक की बात है।

(1605) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 1129, व मुस्लिम, हदीसः 761, मोताः 1/113, वल कुब्रा, हदीसः 1297.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस नम्बरः 1600 **(2)** मज़्कूरा रिवायत में ये है कि तीसरी या चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये जबकि एक सही रिवायत में सराहत है कि तीन रातें लोगों ने आपकी इक़्तेदा में नमाज़े तरावीह पढ़ी और आपने उन्हें तीनों रातें आठ रकअत और वित्र पढ़ाये थे। चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये। देखियेः (मुसनद अबी यअ्ला, बरक़मः 1796, व मीज़ानुल ऐतदालः 3/311, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, रक़मः 1070, व सहीह इब्ने हिब्बान, रक़मः 2451) **(3)** मालूम हुआ कि लोगों का ज़ौक़ शौक़ और नफ़ल काम पर इसरार भी फ़र्ज़ीयत का एक सबब है जिस तरह और भी बहुत से अस्बाब हैं। अगर अल्लाह तआला का अम्र भी हो गया तो वह फ़र्ज़ हो जायेगा वरना बावजूद मुदावमत और इसरार के नफ़ल ही रहेगा। इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि नफ़ल पर मुदावमत नहीं करनी चाहिए। ख़ुसूसन अब जबकि फ़र्ज़ीयत का इम्कान ही नहीं तो किसी भी नफ़ल पर मुदावमत, इसरार और पाबन्दी में कोई हर्ज नहीं।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي

(1606) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रोज़े रखे। आपने हमें रात की नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के सात दिन बाक़ी रह गये। आपने हमें रात की नमाज़ (तरावीह) पढ़ाई यहाँ तक कि रात का तिहाई हिस्सा गुज़र गया, फिर अगले दिन हमें नमाज़ नहीं पढ़ाई, फिर पच्चीसवीं रात हमें नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि निस्फ़ रात गुज़र गई। मैंने कहाः ऐ

السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ . قَالَ " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ " . ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ . قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ .

अल्लाह के रसूल! क्या ही ख़ूब होता अगर आप बाक़ी रात भी नमाज़ पढ़ाते। आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने इमाम के साथ उसके फ़ारिग़ होने तक नमाज़ पढ़ी, उसके लिये पूरी रात के क़याम का सवाब लिखा जाता है (ख़्वाह उसके बाद वह सो ही जाये)' फिर आपने अगली रात नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के तीन दिन बाक़ी रह गये तो आपने हमें सत्ताईसवीं रात नमाज़ पढ़ाई और अपने घर वालों और बीवियों को भी जमा फ़रमाया (और इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ाई) यहाँ तक कि हमें ख़तरा हुआ कि हमसे फ़लाह रह जायेगी। (ज़ुबैर कहते हैं) मैंने (हज़रत अबू ज़र से) पूछा: फ़लाह से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: सहरी।

(1606) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1365, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1298.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर तो यही है कि ये हदीस मा'क़ब्ल हदीस ही की तफ़सील है, लिहाज़ा रकआत तो तीनों रातों में ग्यारह ही थीं मगर दूसरी रात में पहली रात से और तीसरी रात में दूसरी रात से क़िराअत तवील कर के रकआत को लम्बा कर दिया गया। **(2)** 'इमाम के साथ ....' मालूम हुआ इमाम के साथ तरावीह या क़यामुल लैल करना अकेले पढ़ने से बहुत अफ़ज़ल है। आपके दौर में मजबूरी थी।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ

(1607) हज़रत नुऐम बिन ज़ियाद से रिवायत है कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) को हिम्स (शहर) के मिम्बर पर फ़रमाते सुना कि हमने रमज़ानुल मुबारक की तईसवीं रात में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ तिहाई रात तक क़याम किया, फिर पच्चीसवीं रात में आपके साथ निस्फ़ रात तक क़याम किया, फिर सताईसवीं रात आपके साथ इतनी देर तक क़याम किया कि हमने

خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لاَ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ .

समझा: हम फ़लाह (सहरी) नहीं खा सकेंगे।

(1607) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1299, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2204, पिछली हदीस देखें।

بَاب : (٥)
التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

बाब : (5)
रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्ग़ीब

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلاً طَوِيلاً أَىِ ارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ " .

(1608) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स सोता है तो शैतान उसके सर पर तीन गिरहें लगा देता है। और हर गिरह देते वक़्त ये पढ़ता है: लम्बी रात है, सो जा, फिर अगर वह जाग कर अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरह खुल जाती है अगर वह वुज़ू करे तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है और अगर वह नमाज़ शुरू कर दे तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है और वह ख़ुश दिल और चुस्त व चालाक हो जाता है वरना बद दिल और सुस्त रहता है।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 776, बुख़ारी, हदीस: 1142, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1301.

फ़ायदा : 'तीन गिरहें' जब इन्सान सोता है तो वह अपने जिस्म, तहारत और अल्लाह तआला की याद से ग़ाफ़िल हो जाता है। शैतान की कोशिश ये होती है कि इन्सान ग़ाफ़िल ही रहे अगर उसे जाग आ भी जाये तो शैतान वस्वसों के ज़रिये से उठने नहीं देता बल्कि दोबारा सुला देता है। अगर इन्सान अल्लाह का नाम लेकर (हिम्मत से) उठ बैठे तो जिस्म में ग़फ़लत न रही, वुज़ू करे तो तहारत हासिल हो गई और नमाज़ शुरू कर दे तो ज़िक्रे इलाही के आला दर्जे में मशग़ूल हो गया, लिहाज़ा हर क़िस्म की ग़फ़लत दूर हो गई और वह कामिल इन्सान बन गया। जिस्म में चुस्ती भी आ गई और रूह में ताज़गी भी और अगर वह सोया रहे या बिस्तर में कस्मसाता रहे, उठने की हिम्मत न करे तो जिस्म में चुस्ती आती है न रूह में ताज़गी। इस बात को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शैतान के गिरहें लगाने और उनके

खुलने से ताबीर फ़रमाया है। क़ुर्बान जायें आपकी फ़साहत व बलाग़त पर। क्या ही ख़ूब अन्दाज़ इख़्तियार फ़रमाया। कुछ अहले इल्म ने इस कलाम को ज़ाहिर मानी पर महमूल किया है कि वाक़िअतन शैतान गिरहें लगाता है और उन पर पढ़ कर फूँकता है, फिर ये खुलती भी हैं मगर ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आता। कुछ अहले इल्म ने इसे इस्तेआरे और तश्बीह से ताबीर किया है। बहरहाल अगर शैतान हक़ीक़तन गिरहें लगाये और वह खुलें तो ये मुहाल भी नहीं, इसलिये हक़ ये है कि किसी क़िस्म की तावील के बग़ैर हदीस शरीफ़ के सरीह अल्फ़ाज़ के मफ़हूम ही को तस्लीम किया जाये, यही ईमान बिल ग़ैब का तक़ाज़ा और सलफ़ अहले इल्म का शेवा है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ " .

(1609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक आदमी का ज़िक्र किया गया जो सारी रात सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। आपने फ़रमाया: 'उस शख़्स के कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया था।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 774, बुख़ारी, हदीस: 3270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1302.

फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि वह आदमी फ़र्ज़ नमाज़ों इशा व फ़ज्र से भी सोता रहा था। तभी आपने मलामत फ़रमाई, वरना अगर वह इशा पढ़ कर सोया और फ़ज्र उठ कर पढ़ ली तो मज़म्मत की कोई वजह नहीं मगर इमाम नसाई (رحمه الله) इस रिवायत को क़यामुल लैल के तहत लाये हैं गोया कि वह शख़्स क़यामुल लैल से सोया रहा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ الْبَارِحَةَ حَتَّى أَصْبَحَ . قَالَ " ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ " .

(1610) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ुलां शख़्स इस रात नमाज़ से सोया रहा यहाँ तक कि रोशनी हो गई। आपने फ़रमाया: 'उसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया था।'

(1610) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " .

(1611) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उस आदमी पर रहम फ़रमाये जो रात को उठा और उसने नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी, फिर उसने अपनी बीवी को जगाया, उसने भी नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी और अगर वह (उठने से) इन्कार करे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसी तरह अल्लाह तआला रहम फ़रमाये उस औरत पर जो रात को उठी और नमाज़ पढ़ी, फिर अपने ख़ाविन्द को जगाया और उसने भी नमाज़ पढ़ी और अगर उसने इन्कार किया तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1308, व इब्ने माजा, हदीस: 1336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1300, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1148, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 646, वल हाकिम: 1/309.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये एक आध रात की बात नहीं बल्कि आदत की बात है कि वह ऐसे करते हैं। क्या ही ख़ूब हैं ये मियाँ बीवी! रसूलुल्लाह (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ में इनके लिए दुआ भी है, तारीफ़ भी और तर्ग़ीब भी, और ये हक़ीक़त भी कि वह अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ हैं। वफ़्फ़क़नल्लाहु इय्याहु! (2) जिस तरह मय्यत के लिये रहमत की दुआ की जाती है, उसी तरह ज़िन्दा के लिये भी दुआए रहमत करना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ " أَلاَ تُصَلُّونَ " . قُلْتُ

(1612) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक दफ़ा नबी (ﷺ) रात के वक़्त उनके और सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) के पास आये और फ़रमाया: 'तुम रात की नमाज़ नहीं पढ़ते?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी रूहें अल्लाह तआला के हाथ में हैं। जब अल्लाह तआला चाहेगा हमें जगा देगा। जब मैंने ये बात

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ " { وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً } " .

कही तो रसूलुल्लाह (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले गये। मैंने सुना, आप अपनी राने मुबारक पर (अफ़सोस व नाराज़ी से) हाथ मारते जा रहे थे और कह रहे थे: 'इन्सान सबसे बढ़ कर कट हुज्जत है।'

तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 775, बुख़ारी, हदीस: 1127, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1311.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हमारी रूहें' इन अल्फ़ाज़ की बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि नींद में रूह कामिल तौर पर इन्सान से निकल कर अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में चली जाती है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है: (अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फ़ुस ....) (अज़्ज़ुमर: 39/42) लिहाज़ा रूह की वापसी ही पर जाग आयेगी। **(2)** हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) अभी नौजवान थे। इस उम्र में रात को नमाज़े तहज्जुद के लिये जागना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी उनसे सुस्ती हो जाती होगी। मालूम होता है ये उनकी शादी के इब्तेदाई दौर की बात है। **(3)** 'कट हुज्जत है' क्योंकि इख़्तियारी मसले में तक़दीर को पेश करना कट हुज्जती है। तक़दीर का हवाला वहाँ दिया जायेगा जहाँ इख़्तियार न हो, जैसे: ज़िन्दगी और मौत, सेहत और बीमारी वग़ैरह। नमाज़ पढ़ना तो इख़्तियारी मसला है। इसमें तक़दीर को उज़्र के तौर पर पेश करना सही नहीं क्योंकि इन मामलात में अम्र व नही मदार है, न कि तक़दीर।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا فَقَالَ "

(1613) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के वक़्त मेरे और फ़ातिमा (ﷺ) के पास तशरीफ़ लाये और हमें नमाज़ (तहज्जुद) के लिये जगाया, फिर अपने घर तशरीफ़ ले गये और काफ़ी देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। आपने हमारी तरफ़ से कोई आवाज़ या आहट न सुनी तो दोबारा तशरीफ़ लाये और हमें फिर जगाया और फ़रमाया: 'उठो और नमाज़ पढ़ो।' मैं आँखें मलता हुआ उठा और कह रहा था: अल्लाह की क़सम! हम तो वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी क़िस्मत में लिखी है। हमारी रूहें अल्लाह तआला के हाथ में हैं अगर वह चाहेगा तो हमें उठा देगा।

قُومَا فَصَلِّيَا " . قَالَ فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ . فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا -- قَالَ - فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ " مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا { وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}"

रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी राने मुबारक पर हाथ मारते वापस तशरीफ़ ले गये और फ़रमा रहे थे: 'हम वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी क़िस्मत में लिखी है और हक़ीक़त ये है कि इन्सान सबसे ज़्यादा कट हुज्जत है।'

(1613) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस साबिक़ा हदीस ही की तफ़्सील है। **(2)** हज़रत अली (ؓ) के ये अल्फ़ाज़ कोई गुस्ताख़ी या नाफ़रमानी नहीं बल्कि नींद से जगाये जाने पर फ़ितरी इज़्हार है जो ग़ैर इख़्तियारी के क़रीब है। **(3)** 'गोया तौबीख़ के तौर पर हज़रत अली के अल्फ़ाज़ ही को उनसे मुख़्तलिफ़ लहजे में दोहरा रहे थे। आम तौर पर नापसन्दीदगी के वक़्त ऐसे किया जाता है।

باب : (٦)
فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ

बाब : (6)
रात की नमाज़ (तहज्जुद) की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، -هُوَ ابْنُ عَوْفٍ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ " .

(1614) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ानुल मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह तआला के महीने मुहर्रम के हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है।'

(1614) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1163, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1312.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहर्रमुल हराम की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़, इसलिए है कि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और हुरमत वाला महीना है। कुछ ने इसके रोज़े से मुराद आशुरा का रोज़ा लिया है। कुछ ने माहे मुहर्रम के तमाम रोज़े मुराद लिये हैं, यही मौक़िफ़ दुरुस्त है। अल्फ़ाज़ के ज़ाहिर से इसकी ताईद होती है। **(2)** जो लोग फ़र्ज़ नमाज़ की सुन्नतों को तहज्जुद से अफ़ज़ल समझते

हैं, वह इन सुन्नतों को फ़र्ज़ों के ताबेअ होने की वजह से फ़र्ज़ों ही में शुमार करते हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं। तहज्जुद की नमाज़ ही अफ़ज़ल है।

(1615) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है और रमज़ानुल मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं।

शोबा बिन हज्जाज ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है।

(1615) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1313.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ " . أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.

फ़ायदा : हदीस नम्बर: 1614 और 1615 एक ही हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि हदीस नम्बर 1614 में सनद मुत्तसिल है जबकि हदीस नम्बर 1615 में सहाबी (हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ)) का ज़िक्र नहीं है। उसूले हदीस में ऐसी रिवायत को मुर्सल कहते हैं। इस हदीस के रावी हज़रत शोबा बिन हज्जाज हैं।

बाब : (7)
दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب : (٧)
فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ

(1616) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन (क़िस्म के) आदमी वह हैं जिनसे अल्लाह तआला को मोहब्बत है: एक वह आदमी जो किसी क़ौम के पास आया और उनसे अल्लाह तआला के नाम पर सवाल किया। अपनी किसी रिश्तेदारी की बिना पर सवाल नहीं किया लेकिन किसी ने उसे कुछ न दिया मगर एक आदमी उन सब लोगों को पीछे छोड़ कर आगे चला गया और इस (साइल) को पोशीदा तौर पर माल दिया। उसके इस अतिये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ " .

का किसी को इल्म न हुआ, सिवाए अल्लाह तआला के और उस शख़्स के जिस को उसने दिया। ओर एक वह शख़्स कि कुछ लोग सारी रात चलते रहे यहाँ तक कि जब नींद उनको हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी लगने लगी तो वह उतरे और सो गये मगर वह शख़्स खड़ा होकर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा और (नमाज़ में) मेरी आयात पढ़ने लगा और एक वह शख़्स जो एक लश्कर में शामिल था। उस लश्कर का दुश्मन से मुक़ाबला हुआ। सब शिकस्त खा गये मगर वह सीना तान कर आगे बढ़ा यहाँ तक कि वह मारा गया या उसे फ़तह मिल गई।'

(1616) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2568, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1314, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 813, 1602, 1603, वल हाकिम: 2/113, अहमद: 5/153.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तीन आदमी, यानी तीन क़िस्म के आदमी, ख़्वाह वह हज़ारों लाखों हो। **(2)** 'पहला वह आदमी' यानी अतिया देने वाला, न कि माँगने वाला। **(3)** मख़्फ़ी सदक़ा करने की फ़ज़ीलत मालूम हुई। **(4)** अल्लाह तआला की सिफ़त मोहब्बत साबित हुई, जैसे उसकी शान के लायक़ है।

بَابٌ : (٨)
وَقْتُ الْقِيَامِ

बाब : (8)
क़यामुल लैल (तहज्जुद) का वक़्त

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بِشْرٍ، - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ الأَعْمَالِ

(1617) हज़रत मसरूक़ से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (﵂) से पूछा: रसूलुल्लाह (ﷺ) को कौन सा अमल ज़्यादा पसन्द था? उन्होंने फ़रमाया: जो हमेशा किया जाये (ख़्वाह कम ही हो) मैंने कहा: आप रात को किस वक़्त तहज्जुद

أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الدَّائِمُ . قُلْتُ فَأَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

के लिये उठते थे? उन्होंने फ़रमाया: जब मुर्ग़ की (पहली) आवाज़ सुनते।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1132, मुस्लिम, हदीस: 741, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुर्ग़ उमूमन आधी रात के बाद आवाज़ निकालता है। कुछ दूसरी रिवायात में है कि नबी (ﷺ) निस्फ़ रात तक सोते, फिर तिहाई रात जागते (नमाज़ पढ़ते) और, फिर आख़री सुदुस (छठा हिस्सा) सोते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1131, व सहीह मुस्लिम: हदीस: 1159) ये तक़सीम इशा के बाद से फ़ज्र की अज़ान तक की है क्योंकि मुसलमानों की यही रात है। बाक़ी तो जागने, यानी नमाज़ों के औक़ात हैं। **(2)** चूंकि मुर्ग़ की आवाज़ सुन कर नेक लोग नमाज़ के लिये जागते हैं, लिहाज़ा उसकी आवाज़ को लोग अज़ान कह देते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी फ़रमाया: मुर्ग़ फ़रिश्ते देख कर आवाज़ निकालता है, लिहाज़ा तुम मुर्ग़ की आवाज़ सुन कर ये कहा करो: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन फ़ज़्लिक) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3303, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2729) वाह रे मुर्ग़ तेरी क़िस्मत! नफ़ली इबादत में म्याना रवी इख़्तियार करनी चाहिए, तअम्मुक़ से काम नहीं लेना चाहिए। वरना आदमी उकता जाता है और उस अमल को जारी नहीं रख सकता।

باب : (٩)
ذِكْرِ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

बाब : (9)
क़यामुल लैल के आग़ाज़ की दुआएँ

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ

(1618) हज़रत आसिम बिन हुमैद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ؓ) से पूछा: नबी(ﷺ) किन अल्फ़ाज़ से क़यामुल लैल का इफ़्तेताह किया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: तुमने मुझसे वह चीज़ पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी। रसूलुल्लाह (ﷺ) दस दफ़ा अल्लाहु अकबर दस दफ़ा अलहम्दुलिल्लाहि दस दफ़ा सुब्हानल्लाहि दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) और दस दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते थे, फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा

عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

और मुझे आफ़ियत व सेहत दे। और मैं क़यामत के दिन अल्लाह तआला के सामने खड़ा होने की तंगी से अल्लाह तआला की पनाह चाहता हूँ।'

(1618) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 766, व इब्ने माजा, हदीस: 1356, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1317.

फ़ायदा : क़यामुल लैल के आग़ाज़ से मुराद ये है कि जब नबी (ﷺ) तहज्जुद के लिये उठते तो नमाज़े तहज्जुद से पहले ये दुआएँ पढ़ा करते थे। इन (गुज़िश्ता और आइन्दा) दुआओं में बहुत सी ऐसी दुआएँ हैं जिनकी ज़ाहिरन आपको ज़रूरत नहीं मगर आपने अपनी उम्मत की तालीम के लिये वह दुआएँ पढ़ीं क्योंकि उम्मतियों को तो बहर सूरत उनकी ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि आपकी दुआएँ दरअसल आपकी उम्मत के लिये हैं। (अलावा उन दुआओं के जो आपके साथ मख़सूस हैं।)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ " سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " . الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُولُ " سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ " . الْهَوِيَّ .

(1619) हज़रत रबीआ बिन कअब असलमी(ؓ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के हुजरे के क़रीब सोता था। जब आप रात को (तहज्जुद के लिये) उठते तो मैं सुनता कि आप देर तक (सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन) 'पाक है अल्लाह जो जहानों का रब है।' पढ़ते रहते, फिर देर तक (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही) 'अल्लाह तआला तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक है और तमाम तारीफ़ों वाला है।' पढ़ते।

(1619) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1318, मुस्लिम, हदीस: 489/226, अबी दाऊद, हदीस: 1320, तिर्मिज़ी, हदीस: 3416.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَحْوَلِ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ

(1620) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब रात को तहज्जुद के लिये उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा लकलहम्दु .... वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाहि) 'ऐ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ " . ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " .

अल्लाह! तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों और ज़मीनों का नूर है। और उन लोगों का नूर है जो उनमें हैं, और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों व ज़मीन और उनके बीच तमाम लोगों को क़ाइम रखने वाला है। और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों, ज़मीनों और उनमें रहने वालों का बादशाह है और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू बरहक़ है। तेरे वादे बरहक़ हैं। जन्नत हक़ है और जहन्नम हक़ है, और क़यामत हक़ है, और तमाम नबी हक़ हैं और मुहम्मद (ﷺ) भी हक़ हैं। मैं तेरा ही मुतीअ व फ़रमाबरदार हुआ और तुझी पर मैंने भरोसा किया और तुझी पर मैं ईमान लाया और तेरी ही मदद से मैं (कुफ़्फ़ार से) झगड़ता हूँ और तेरे हुज़ूर ही फ़ैसला पेश करता हूँ। मुझे माफ़ फ़रमा, वह गुनाह जो मैंने कर लिए हैं और जो अभी नहीं किये और जो मैंने ख़ुफ़िया किये हैं और जो ऐलानिया किये हैं। तू ही किसी को आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह तआला की मदद के बग़ैर न नुक़सान से बचने का हीला है और न फ़ायदा हासिल करने की ताक़त।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 769, बुख़ारी, हदीस: 1120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1319.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** 'नूर है' यानी आसमानों और ज़मीनों में नूर पैदा करने वाला है। या तू बे ऐब है या तू आसमानों और ज़मीनों की ज़ीनत है। **(2)** 'तू बर हक़ है' यानी सिर्फ़ तेरा वजूद हक़ीक़ी है, बाक़ी तो कल्अदम (बुत) हैं या तेरा वजूद और तौहीद हक़ीक़त है। **(3)** 'जो अभी नहीं किये' मगर बाद में होंगे, बाद में होने वाले गुनाहों की माफ़ी माँगने में कोई इस्तेहाला नहीं क्योंकि उनका होना

तबई बात है। (4) 'न फ़ायदा हासिल करने की ताक़त' इसमें हर नुक़सान और फ़ायदा दाख़िल है, जैसे: गुनाह, नेकी और दीगर दुनियावी व उख़रवी नुक़सानात व फ़वाइद। (5) 'आगे पीछे करने वाला' यानी मर्तबे और शान बढ़ाने और घटाने वाला है या मौत व हयात के लिहाज़ से या इज़्ज़त व ज़िल्लत के लिहाज़ से या हिदायत और गुमराही के लिहाज़ से। ये मानी भी किये गये हैं कि तू सबसे अव्वल और सबसे आख़िर है। (6) अल्लाह तआला की सिफ़ात के बारे में ये हदीस़ इन्तेहाई जामेअ है कि अल्लाह तआला का कोई वस्फ़ भी इन औसाफ़ से ख़ारिज नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ قَلِيلاً أَوْ بَعْدَهُ قَلِيلاً اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى

(1621) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने बताया कि एक रात मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) के यहाँ सोया जो मेरी ख़ाला थीं। मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा बिस्तर के तूल में लेट गये। रसूलुल्लाह(ﷺ) सो गये यहाँ तक कि जब रात निस़्फ़ हो गई या मामूली कम व बेश, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) जाग उठे। आप अपने हाथों से अपना चेहरा मलते हुये उठ बैठे, फिर आपने सूरह आले इमरान की आख़री दस आयात तिलावत फ़रमाईं, फिर एक लटके हुए मशकीज़े की तरफ़ उठे और उससे वुज़ू फ़रमाया और बेहतरीन वुज़ू फ़रमाया, फिर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं भी उठा और मैंने उसी तरह किया जिस तरह आपने किया था, फिर मैं गया और आपके पहलू में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायाँ कान पकड़ कर मरोड़ा। आपने दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर एक रकअत पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक

رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

कि मुअज़्ज़िन आपको जमाअत की इत्तिला देने आया तो आपने दो हल्की रकअतें पढ़ीं।

(1621) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 183, व मुस्लिम, हदीस: 763/182, मोता: 1/121, 122.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) के तवस्सुत से रसूलुल्लाह (ﷺ) से बाक़ायदा रात गुज़ारने की इजाज़त ली थी। हज़रत मैमूना (ﷺ) इन दिनों हैज़ की हालत में थीं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का मक़सद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहज्जुद की कैफ़ियत को जानना था। **(2)** 'कान मरोड़ा' हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के बायीं जानिब खड़े हो गये थे। उनको अपनी दायीं जानिब खड़ा करने के लिए उनके कान से पकड़ कर अपनी दायीं जानिब खड़ा किया। **(3)** आप कभी कभार तेरह रकअत भी पढ़ लेते थे अगरचे अक्सर मामूल ग्यारह का था। कुछ ने पहली दो रकअतों को तहिय्यतुल वुज़ू या इफ़्तिताहे तहज्जुद समझा है। गोया असल तहज्जुद ग्यारह रकअत ही थीं। **(4)** 'दो हल्की रकअतें' मुराद फ़ज्र की सुन्नतें हैं। **(5)** अहले ख़ाना से हुस्ने मुआशिरत और छोटे बच्चों पर शफ़क़त और नर्मी से पेश आना चाहिए। **(6)** छोटे बच्चे की नमाज़ सही है। **(7)** वुज़ू अच्छे तरीक़े से करना चाहिए लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। **(8)** एक बा'क़ायदा मुअज़्ज़िन मस्जिद में मुक़र्रर करना चाहिए। **(9)** नफ़ली नमाज़ की जमाअत मशरूअ है। **(10)** जिस आदमी ने शुरू नमाज़ में इमामत की नियत न की हो उसकी इक़्तेदा में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है।

باب : (١٠)
مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السِّوَاكِ

बाब : (10)
जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो मिस्वाक करे

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

(1622) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब रात को उठते थे तो अपने मुँह को मिस्वाक के साथ साफ़ करते थे।

(1622) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1321.

(1623) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को तहज्जुद पढ़ने उठते तो अपने दहने मुबारक को मिस्वाक के साथ साफ़ फ़रमाते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

(1623) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2, पिछली हदीस देखें.

बाब : (11)
इस हदीस (की सनद के बयान) में अबू हुसैन उस्मान बिन आसिम पर (उनके शागिर्दों के) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (١١)
ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي حَصِينٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि इस हदीस के बयान में अबू हुसैन के शागिर्द मुख़्तलिफ़ हैं। रिवायत नम्बर 1624 में सहाबी (हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ)) का ज़िक्र है जबकि रिवायत नम्बर 1625 में अबू हुसैन के शागिर्द इस्राईल ने सहाबी का ज़िक्र नहीं किया।

(1624) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को उठें तो मिस्वाक करें।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ .

तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) देखें, हदीस: 2, पिछली हदीस देखें.

(1625) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को उठें तो अपने मुँह मिस्वाक से साफ़ करें।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ .

तख़रीज : (सनद सही मक़्तूअ) देखें, हदीस: 2.

फ़ायदा : इमाम साहिब (رحمہ اللہ) का मक़सद ये बताना है कि मिस्वाक करना नबी (ﷺ) का फ़ेअल भी है और हुक्म भी, फिर ये रिवायत मरफ़ूअ भी है, मौक़ूफ़ और मक़्तूअ भी।

باب: (١٢)
بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلاَةُ اللَّيْلِ

बाब : (12)
रात की नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ से शुरू करे?

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " .

(1626) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि नबी (ﷺ) किस दुआ से अपनी नमाज़ (तहज्जुद) शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप जब रात को नमाज़ के लिये उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील.....) 'ऐ अल्लाह! जिब्राईल, मीकाईल और इस्राफ़ील के रब! आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाले! हर ग़ैब व हाज़िर को जानने वाले! तू अपने बन्दों में उन चीज़ों का फ़ैसला करेगा जिनमें वह इख़्तिलाफ़ करते हैं। ऐ अल्लाह! मुझे उस हक़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा जिसमें इख़्तिलाफ़ किया गया है। यक़ीनन तू जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1322.

...أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لأَرْقُبَنَّ رَسُولَ

(1627) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से रिवायत है कि अस्हाबे नबी (ﷺ) में से एक सहाबी (ﷺ) ने कहा: मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। मैंने (दिल में) कहा: अल्लाह की क़सम! मैं (रात की) नमाज़ के वक़्त बग़ौर रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखूँगा ताकि मुझे पता चले कि आप क्या करते हैं। जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली तो आप काफ़ी

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الْعَتَمَةُ - اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الأُفُقِ فَقَالَ { رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً } حَتَّى بَلَغَ { إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ } . ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ .

रात तक लेटे रहे, फिर आप जागे और उफ़ुक़ में देखा, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन) यहाँ तक कि आपने (इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मीआद) तक पढ़ा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने बिस्तर की तरफ़ झुके और उसमें से मिस्वाक निकाली, फिर आपने अपने पास पड़े हुये चमड़े के बर्तन से एक प्याले में कुछ पानी डाला और मिस्वाक फ़रमाई। (और वुज़ू किया) फिर आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई। मेरा ख़याल है आप जितनी देर सोये थे, उतनी देर आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेट गये यहाँ तक कि मेरा ख़याल है कि आप उतनी देर सोये जितनी देर नमाज़ पढ़ी थी, फिर जागे और उसी तरह किया जिस तरह पहले किया था। और वही कुछ पढ़ा जो पहली दफ़ा पढ़ा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र से पहले तीन बार ऐसे किया।

(1627) तख़रीज : (सनद सही) अबुश्शैख़ फ़ी अख़्लाक़िन्नबी (ﷺ), सफ़ा: 174, 175, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1320.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस तर्ज़ का बाब पहले भी गुज़र चुका है वहाँ भी कुछ दुआएँ बयान हुई हैं। कोई भी दुआ पढ़ ली जाये, काफ़ी व वाफ़ी है। **(2)** सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) इबादात में और ग़ैर इबादात में भी नबी (ﷺ) के अफ़आल की पेरवी में बहुत हरीस थे।

باب : (١٣) ذِكْرِ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

बाब : (13) रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَا كُنَّا

(1628) हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि अगर हम चाहते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को रात में नमाज़ पढ़ते हुये देखें तो देख लेते। और अगर हम

نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ .

चाहते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सोया हुआ देखें तो ये भी देख लेते।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1141, 1972, 1973, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1323.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلاَتُهُ تِلْكَ الآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ .

(1629) इब्ने अबी मुलैका बयान करते हैं कि हज़रत यअ्ला बिन मम्लक ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया: आप इशा की नमाज़ पढ़ते थे फिर सुन्नतें पढ़ते थे, फिर उसके बाद जितनी रात तक अल्लाह चाहता आप नमाज़ पढ़ा करते, फिर सोये रहते उतनी देर तक जितनी देर नमाज़ पढ़ी थी। फिर जागते और नमाज़ पढ़ते उतनी देर तक जितनी देर तक सोये और ये आख़ीर की नमाज़ फ़ज्र तक होती।

(1629) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : यानी आप रात को सोते भी और नमाज़ भी पढ़ते। न सारी रात जागते न सारी रात सोते।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى

(1630) हज़रत यअ्ला बिन मम्लक बयान करते हैं कि उन्होंने उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत के बारे में पूछा (यानी आप कलामुल्लाह क्यूँ कर पढ़ते थे) और आप की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार (यानी तुम्हारा पूछना बे'फ़ायदा है क्योंकि तुम वैसी नमाज़ नहीं पढ़ सकते) आप नमाज़ पढ़ते थे फिर सोये रहते जितनी देर नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ते जितनी देर सोये थे फिर सोते जितनी देर नमाज़

يُصْبِحَ . ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

पढ़ी होती यहाँ तक कि सुबह हो जाती, फिर उन्होंने (उम्मे सलमा) ने आपकी क़िराअत बयान फ़रमाई तो ऐसी क़िराअत बयान फ़रमाई जिसका हर हर हर्फ़ अलग अलग समझ में आता था।

(1630) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1466, व तिर्मिज़ी, हदीस: 2924.

फ़ायदा : बार बार उठना और नमाज़ पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम है जबकि नमाज़ और नींद का अ़र्सा भी बराबर हो, इसलिए फ़रमाया कि तुम नबी-ए-अकरम (ﷺ) जैसी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। (ﷺ)

بَاب : (۱۴) ذِكْرِ صَلَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّيْلِ

बाब : (14) अल्लाह तआला के नबी हज़रत दाऊद (عليه السلام) की रात की नमाज़ का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ".

(1631) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस़ (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (عزوجل) को सबसे प्यारा रोज़ा दाऊद (عليه السلام) का रोज़ा है। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। और अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज़ दाऊद (عليه السلام) की नमाज़ है। वह निस्फ़ रात सोते थे, तिहाई रात नमाज़ पढ़ते थे और फिर रात को छठा हिस्सा सोते थे।'

(1631) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3420, मुस्लिम, हदीस: 189/1159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1327.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस नम्बर 1617 का फ़ायदा नम्बर 1 देखिये। (2) क़यामुल लैल पर दवाम मुस्तहब अम्र है। (3) अफ़ज़ल तरीक़ा नबी-ए-अकरम (ﷺ) का तरीक़ा है। इससे अफ़ज़ल कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता अगरचे वह मिक़्दार में मस्नून तरीक़े से ज़्यादा और मशक़्क़त में इससे गिरां ही क्यूँ न हो।

बाब : (15) अल्लाह तआला के नबी हज़रत मूसा (عليه السلام) की नमाज़ का बयान और इस हदीस़ के बयान में सुलैमान तैमी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (١٥) ذِكْرِ صَلَاةِ نَبِيِّ اللّٰهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِيهِ

वज़ाहत : सनद में इख़्तिलाफ़ आइन्दा अहादीस़ की सनदों से वाज़ेह हो रहा है कि किसी रिवायत में सुलैमान तैमी को स़ाबित का शागिर्द बतलाया जा रहा है और कहीं साथी कि वह दोनों हज़रत अनस (رضي الله عنه) से बयान कर रहे हैं फिर बाज़ रिवायात में हज़रत अनस (رضي الله عنه) और रसूले अकरम (ﷺ) के दरम्यान किसी और स़हाबी का वास्ता भी बयान किया गया है। जहाँ तक सुलैमान और हज़रत अनस (رضي الله عنه) के दरम्यान स़ाबित के वास्ते का मसला है तो ये मुआज़ बिन ख़ालिद का वहम है क्योंकि इसके अलावा दीगर तमाम हुफ़्फ़ाज़े हदीस़ जो हम्माद बिन सलमा के शागिर्द हैं, ये वास्ता ज़िक्र नहीं करते, जैसे यूनुस बिन मुहम्मद और हिब्बान बिन हिलाल मुसन्निफ़ के यहाँ, हसन बिन मूसा और अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम मुसनद अहमद में, हदबा बिन ख़ालिद और शैबान बिन फ़र्रुख़ मुस्लिम में। ये सब जब हम्माद बिन सलमा से रिवायत करते हैं तो वह सुलैमान अत्तैमी अन अनस कहते हैं, दरम्यान में स़ाबित का ज़िक्र नहीं करते, और स़ाबित के अदमे ज़िक्र पर सुफ़ियान स़ौरी, ईसा बिन यूनुस, जरीर बिन अब्दुल हमीद और मोतमिर बिन सुलैमान, ये सब हम्माद की मुवाफ़िक़त करते हुये अन सुलैमान अन अनस ही कहते हैं। ग़र्ज़ इन अइम्म-ए-किबार और जलीलुल क़द्र मज़्कूरा मुहद्दिस़ीन की मुवाफ़िक़त भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि सनद में मुआज़ बिन ख़ालिद को वहम हुआ है। दुरुस्त यही है कि सुलैमान और अनस (رضي الله عنه) के दरम्यान स़ाबित का वास्ता ख़ता है जैसा कि इमाम नसाई (رحمه الله) भी इसकी वज़ाहत फ़रमाई है दूसरा मसला ये है कि आया सनद में अन अनस अनिन्नबी (ﷺ) दुरुस्त है या सय्यदना अनस और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के दरम्यान किसी और स़हाबी का वास्ता, जैसा कि हदीस़: 1638, 1637 में है। ये इख़्तिलाफ़ ज़रर रसाँ नहीं क्योंकि स़हाबी की मुर्सल हुज्जत है जैसा कि इस बाब की पहली और माबाद की अहादीस़ हैं। इनमें अनस (رضي الله عنه) नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बराहे रास्त रिवायत करते हैं। इस क़िस्म का इर्साल इत्तेस़ाल पर महमूल होता है जैसा कि जुम्हूर मुहद्दिस़ीन का मौक़िफ़ है। जबकि हदीस़ की क़यामुल लैल के अबवाब से मुनासिबत ये है कि मूसा (عليه السلام) भी क़यामुल लैल करने वालों में से थे। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 17/351, 352)

(1632) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस रात मुझे मेराज़ करवाई गई, मैं एक सुर्ख़ टीले के

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

क़रीब मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रा। वह खड़े अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(1632) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1328.

फ़ायदा : एक और रिवायत है कि हज़रत मूसा (ﷺ) की क़ब्र सुर्ख़ टीले के क़रीब है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1339, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2372) हज़रत मूसा (ﷺ) का अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ना आलमे बर्ज़ख़ की चीज़ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) पर मुन्कशिफ़ की गई। अगर ये रूह के अलावा जिस्म के साथ भी हो तो वह जिस्म भी बर्ज़ख़ी ही होगा, लिहाज़ा इससे अम्बिया (ﷺ) की दुनियावी ज़िन्दगी साबित नहीं हो सकती। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का इन्कार नहीं।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1633) हज़रत अनस (رضی الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं सुर्ख़ टीले के क़रीब मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत मुआज़ बिन ख़ालिद की रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु तआला आलमु!

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2375.

फ़ायदा : मुआज़ बिन ख़ालिद की रिवायत में हज़रत सुलैमान तैमी को हज़रत साबित के शागिर्द ज़ाहिर किया गया है जबकि दुरुस्त, बात ये है कि ये दोनों साथी हैं और दोनों हज़रत अनस (رضی الله عنه) से ये हदीस बयान कर रहे हैं जैसा कि हदीस नम्बर 1633 से वाज़ेह हो रहा है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

(1634) हज़रत अनस (رضی الله عنه) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं मूसा (ﷺ) की क़ब्र के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(1634) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1329.

قَالَ " مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ".

(1635) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैं मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(1635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुस्लिम, हदीस: 165/2375.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " .

(1636) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक सहाबी ने ख़बर दी कि जिस रात नबी (ﷺ) को मेराज करवाई गई, आप मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रे थे जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।

(1636) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1633.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

(1637) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक सहाबी ने ख़बर दी कि जिस रात नबी (ﷺ) को मेराज करवाई गई, आप मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रे थे जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।

(1637) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1330.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

(1638) हज़रत अनस (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के किसी सहाबी से रिवायत की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, मैं मूसा (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى

الله عليه وسلم قَالَ " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ "

क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(1638) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1331.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) ने एक ही रिवायत को मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों से बयान किया है। दरअसल उनका मक़सद हज़रत अनस (ﷺ) के शागिर्द सुलैमान तैमी (जिन पर इस रिवायत का मदार है) के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह करना है कि किसी ने ये रिवायत मरफ़ूअ मुत्तसिल और किसी ने मुर्सल बयान की है। किसी ने हज़रत अनस (ﷺ) और रसूलुल्लाह (ﷺ) के दरम्यान किसी और सहाबी का वास्ता बयान किया है लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ की वजह से रिवायत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर दी गई सूरतों में से कोई सूरत भी ऐब वाली नहीं। मज़ीद मज़्कूरा बाब के तहत मुन्दरज वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाई जाये।

بَاب : (١٦)
إِحْيَاءِ اللَّيْلِ

बाब : (16)
सारी रात जागने (इबादत करने) का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ

(1639) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (ﷺ) से रिवायत है, ये सहाबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जंगे बद्र में शरीक हुये थे, उन्होंने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बग़ौर देखा कि आप सारी रात नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फ़ज्र हो गई। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी नमाज़ से सलाम फेरा। (फ़ारिग़ हुये) तो ख़ब्बाब आपके पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! आज रात आपने इतनी नमाज़ पढ़ी है कि मैंने आपको इतनी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' ये रग़बत और रहबत (ख़ौफ़े इलाही) वाली नमाज़ थी। मैंने इसमें अपने रब तआला से तीन चीज़ों का सवाल किया था। अल्लाह तआला ने दो चीज़ें दे दीं, एक नहीं दी।

صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا

मैंने अपने रब (ﷻ) से सवाल किया था कि हमें उन अ़ज़ाबों से हलाक न करे जिनके साथ पहली उम्मतों को हलाक किया था। अल्लाह तआ़ला ने मेरी ये बात मान ली। दूसरा सवाल ये था कि हम पर हमारे काफ़िर दुश्मनों को मुकम्मल ग़लबा न दे। अल्लाह तआ़ला ने मेरी ये बात भी मान ली, फिर मैंने अपने रब से ये सवाल किया कि हमें गिरोहों और फ़िर्क़ों में न बाँट देना। अल्लाह तआ़ला ने ये बात नहीं मानी।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/108, 109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1332, तिर्मिज़ी, ह: 2175, व सहीह इब्ने हिब्बान, ह: 1830, तिर्मिज़ी, ह: 2176.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उमूमन सारी रात नहीं जागना चाहिए क्योंकि इससे जिस्मानी कमज़ोरी पैदा होगी। हो सकता है फिर फ़राइज़ अदा करने के भी क़ाबिल न रहे, अलबत्ता कभी कभार या मख़्सूस रातों में सारी रात जागा जा सकता है। ग़ालिबन तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (رحمه الله) की यही ग़र्ज़ मालूम होती है। **(2)** अल्लाह तआ़ला की हिकमत है कि उसने आख़री दुआ क़बूल नहीं फ़रमाई। जिस तरह कुफ़्र व बातिल को किसी दौर में भी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह इख़्तिलाफ़ और फ़िर्क़ाबन्दी भी कुल्लियतन ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इख़्तिलाफ़ ख़त्म होना मुमकिन होता तो सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) जैसी मुक़द्दस और बेग़र्ज़ जमाअ़त में इख़्तिलाफ़ न होता, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इख़्तिलाफ़ को मुख़ालिफ़त न बनाया जाये, बल्कि इख़्तिलाफ़ को, अगर वह नेक नियती के साथ है, गवारा किया जाये। वैसे भी हर शख़्स को इस जहान में रहने का हक़ है, लिहाज़ा तशद्दुद न किया जाये। इख़्तिलाफ़ात अगर इफ़्हाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जायें तो बहुत अच्छी बात है वरना उन्हें अल्लाह तआ़ला के फ़ैसले पर छोड़ दिया जाये। ज़रूरी नहीं कि उनकी बिना पर लड़ाई की जाये या कुफ़्र के फ़तवे लगाये जायें या क़त्ल व क़िताल का रास्ता इख़्तियार किया जाये। ये चीज़ें उनके लिये हैं जो सिरे से अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का कलिमा नहीं पढ़ते। अजब बात है कि काफ़िरों के बजाये इस्लामी फ़िर्क़ों से जंग की जाये। (अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे) **(3)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) अपनी उम्मत पर इन्तेहाई शफ़ीक़ और मेहरबान थे।

बाब : (17)
रात जागने वाली रिवायत में हज़रत आयशा (ﷺ) के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़

باب : (۱۷)
الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَائِشَةَ فِي إِحْيَاءِ اللَّيْلِ . أ {

वज़ाहत : ज़ेल में (नीचे) आने वाली अहादीस़ में हज़रत आयशा (ﷺ) से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मन्क़ूल हैं, किसी में है कि आप आख़री अश्रे में सारी रात जागते। किसी रिवायत में सारी रात जागने की नफ़ी है, बल्कि एक रिवायत (1643) में मज़म्मत की गई है। अगर हदीस़: 1640 में वारिद अल्फ़ाज़ (अह्या रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लैल) को रात के बेश्तर हिस्से पर महमूल कर लिया जाये तो अहादीस़ का बाहमी तआरुज़ रफ़ा हो जाता है जैसा कि दूसरी और तीसरी हदीस़ से पता चलता है। रिवायत में तत्बीक़ के लिये देखिये: फ़ायदा हदीस़: 1642.

(1640) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का आख़री दहाका (दस दिन) शुरू होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सारी रात जागते (इबादत करते) और अपने घर वालों को भी जगाते और अपना तहबन्द कस लेते।

(1640) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2024, मुस्लिम, हदीस़: 1174.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तहबन्द कस लेते' ये किनाया है। मक़सद ये है कि इबादत की पूरी तैयारी फ़रमा लेते क्योंकि लम्बा और सख़्त काम करने वाला शख़्स अपने तहबन्द को अच्छी तरह कस लेता है ताकि दरम्यान में ये ढीला न हो। (2) अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप (ﷺ) के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये थे, उसके बावजूद आप (ﷺ) नफ़ली नमाज़ में इस क़द्र मेहनत व मशक़्क़त से काम लेते थे। हमें भी नफ़ली इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। (3) रमज़ानुल मुबारक की आख़री दस रातें बाक़ी रातों से ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। (4) इबादत के लिये घर वालों को भी जगाना मुस्तहब अम्र है।

(1641) हज़रत अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि मैं हज़रत अस्वद बिन यज़ीद के पास आया और अर्ज़ किया ...... वह मेरे भाई और दोस्त थे...:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، قَالَ أَتَيْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخًا صَدِيقًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ .

ऐ अबू अम्र! मुझे वह हदीस़ बयान कीजिये जो आपको उम्मुल मोमिनीन (हज़रत आयशा(ؓ)) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की (रात की) नमाज़ के बारे में बयान की है। उन्होंने कहा: हज़रत आयशा(ؓ) ने फ़रमाया था कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात के शुरू में (इशा की नमाज़ के बाद) सो जाते थे और रात का आख़री हिस़्सा जागते (इबादत करते) थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 739, बुख़ारी, हदीस़: 1146, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1309.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

(1642) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि मैं नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी एक रात में सारा क़ुर्आन पढ़ा हो या सुबह तक सारी रात नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी पूरे महीने के रोज़े रखे हों।

(1642) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1348, हदीस़ देखें, हदीस़: 2350.

फ़ायदा : 'सारी रात नमाज़ पढ़ी हो' ऊपर गुज़रा है कि रमज़ानुल मुबारक के आख़री अशरे में सारी सारी रात नमाज़ पढ़ते थे। गोया ये रिवायत आख़री अशरे के अलावा बाक़ी महीनों और दिनों की है, लिहाज़ा इनमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं क्योंकि आम मामूल यही था कि सोते भी थे और नमाज़ भी पढ़ते थे। आख़री अशरे में भी मुमकिन है कुछ सोते रहे हों और बेश्तर रात को पूरी रात कह दिया गया हो। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ " مَنْ هَذِهِ " . قَالَتْ

(1643) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि एक दफ़ा नबी (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाये जबकि उनके पास एक औरत बैठी थी। आपने फ़रमाया: 'ये कौन है?' मैंने अर्ज़ किया: फ़ुलां औरत है जो रात को सोती नहीं। मैंने उसकी नमाज़

فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ . فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ " مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَلَكِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ " .

का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'रहने दो। इतना काम इख़्तियार करो जिसकी तुम (हमेशा) ताक़त रख सकती हो। अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआ़ला (स़वाब देने से) नहीं उक्तायेगा। तुम ही (नेकी करने से) उक्ता जाओगे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) को वह दीनी काम ज़्यादा अच्छा लगता था जिस पर उस काम वाला हमेशगी करे।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 43, व मुस्लिम, ह: 221/785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1307.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रहने दो' मुमकिन है ख़िताब हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को हो, यानी ज़्यादा तारीफ़ न करो क्योंकि हमेशा सारी रात जागना अफ़ज़ल नहीं और मुमकिन है ख़िताब उस औरत को हो कि इतनी इबादत न किया करो। ऐसा न हो कि तबीअ़त थक कर, फिर इबादत से उक्ता जाये। **(2)** 'हमेशगी करे' किसी नफ़ल काम पर दवाम हो सकता है, अलबत्ता उसे फ़र्ज़ समझते हुये नहीं, मुस्तहब समझते हुये दवाम करे तो कोई हर्ज नहीं। **(3)** अल्लाह तआ़ला बन्दे से वही मामला करता है जो बन्दा अल्लाह से करता है। अगर बन्दा अल्लाह की तरफ़ हमेशा मुतवज्जा रहे तो अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त भी बन्दे पर मुसल्सल नज़रे रहमत रखता है और अगर बन्दा ऐराज़ करे तो अल्लाह तआ़ला भी ऐराज़ फ़रमाता है।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا الْحَبْلُ " . فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ " .

(1644) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुये तो एक रस्सी दो सुतूनों के दरम्यान बँधी हुई देखी। आपने पूछा: 'ये रस्सी कैसी है?' लोगों ने कहा: (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) की है। वह नमाज़ पढ़ती हैं। जब थक जाती हैं तो इसका सहारा लेती हैं। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे खोल दो। तुममें से हर शख़्स़ उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े जब तक उसमें चुस्ती बाक़ी रहे। जब वह सुस्त पड़ जाये तो नमाज़ छोड़ कर बैठा रहे।'

(1644) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1150, मुस्लिम, हदीस़: 784.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुस्ती की हालत में नमाज़ के दौरान में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ बाक़ी नहीं रहता। और नमाज़ नाम ही ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का है, इसलिए मना फ़रमाया, और मुमकिन है सुस्ती और थकावट की हालत में नमाज़ी कहना कुछ चाहे, ज़बान से निकल कुछ जाये। इसके अलावा ऐसी हालत में उक्ताहट भी पैदा हो सकती है जो तर्क को मुस्तलज़िम है, लिहाज़ा सुस्ती, थकावट और नींद की हालत में नमाज़ छोड़ कर आराम करना चाहिए ताकि दोबारा चुस्ती पैदा हो। (2) मुन्कर का इज़ाला करना चाहिए, हाथ से ज़बान से या जैसे भी मुमकिन हो। (3) औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकती है, इसमें कोई कराहत नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ -عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ " أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " .

(1645) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) (नफ़ल) नमाज़ इतनी लम्बी पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक सूज जाते थे। आपसे गुज़ारिश की गई कि अल्लाह तआला ने तो आपके अगले पिछले सब क़ुसूर माफ़ फ़रमा दिये हैं (फिर आप इतनी इबादत क्यूँ करते हैं?) आपने फ़रमायाः 'क्या मैं अल्लाह तआला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4836, मुस्लिम, हदीस: 2819, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1325.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़दमों का सूज जाना सुस्ती को मुस्तलज़िम नहीं क्योंकि सुस्ती और चुस्ती का ताल्लुक़ दिल और दिमाग़ के साथ है। (2) 'अगले पिछले गुनाह' ये एक फ़र्ज़ी चीज़ है। कहा गया है नबूवत से पहले अगर कोई कोताही हुई हो। कुछ ने इससे तर्के औला मुराद लिया है जो आप अपनी उम्मत की मसलिहत की ख़ातिर किया करते थे, जैसे: जंगे बद्र के क़ैदियों को फ़िद्या लेकर छोड़ देना या अब्दुल्लाह बिन उबय का जनाज़ा पढ़ाना वग़ैरह। इसे इज्तेहादी ख़ता से भी ताबीर किया गया है। (3) 'शुक्रगुज़ार बन्दा' यानी अगर अल्लाह तआला ने मुझसे पूछगछ मौक़ूफ़ कर दी है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं हर दम उसी को याद करूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) की इन्हीं अदाओं ने आपको सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन बनाया है। अल्लाह तआला की हम्द ही की वजह से आप मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ होंगे। (फ़िदाहु नफ़्सी व रूही (ﷺ)) (4) शुक्र जैसे ज़बान से अदा होता है अमल से भी होता है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ، - وَكَانَ ثِقَةً - قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَتَّى تَزْلَعَ يَعْنِي تَشَقَّقُ قَدَمَاهُ .

(1646) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़द्र लम्बी नमाज़ पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक फट जाते थे।

(1646) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1326, 1/200.

फ़ायदा : सूजने के बाद फटने का मक़ाम, यानी आख़िर आना ही था, मगर नबी (ﷺ) में सुस्ती का एहसास राह नहीं पाता था।

باب : (١٨) كَيْفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

बाब : (18) जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े होकर शुरू करे तो किस तरह करे? और हज़रत आयशा (ﷺ) से ये रिवायत नक़ल करने वालों में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

(1647) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को बहुत देर तक नमाज़ पढ़ते रहते। जब आप खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी खड़े होकर ही फ़रमाते और जब बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी बैठ कर ही फ़रमाते।

(1647) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 106/730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1355.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1648) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी खड़े होकर नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे और कभी बैठ कर। जब खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी खड़े होकर फ़रमाते और जब बैठ कर नमाज़ शुरू

عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

फ़रमाते तो रुकू भी बैठ कर फ़रमाते।

(1648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 110/730, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

(1649) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो बैठे बैठे ही क़िराअत फ़रमाते। जब आपकी क़िराअत से तीस या चालीस आयात बाक़ी रह जातीं तो आप खड़े हो जाते और वह आयात खड़े होकर तिलावत फ़रमाते, फिर रुकू फ़रमाते, फिर सज्दा फ़रमाते, फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते।

(1649) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1119, मुस्लिम, हदीस: 112/731, मोता: 1/138.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ .

(1650) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को बैठ कर नमाज़ पढते नहीं देखा यहाँ तक कि आप बुढ़ापे में दाख़िल हो गये, फिर आप बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते और क़िराअत करते। जब उस सूरत की तीस चालीस आयात रह जातीं तो खड़े होकर उन्हें पढ़ते, फिर रुकू फ़रमाते।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1118, मुस्लिम, हदीस: 731, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1356.

फ़ायदा : कुछ का क़ौल है कि इन दो रिवायात में जो तरीक़ा बयान किया गया है, वह बुढ़ापे के दौर का है जैसा कि दूसरी हदीस में सराहत है। पहली दो अहादीस में बुढ़ापे से पहले का तरीक़ा बयान किया गया है, लिहाज़ा ये हक़ीक़तन इख़्तिलाफ़ नहीं अगरचे ज़ाहिरन इख़्तिलाफ़ है, और इसे तअद्दुदे अहवाल पर भी महमूल किया जा सकता है, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी खड़े होकर और कभी बैठ कर नमाज़ पढ़ लेते थे। इस तरह दोनों क़िस्म की अहादीस में ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा हो जाता है।

(1651) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (कभी) क़िराअत बैठ कर करते। जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो इतनी देर पहले खड़े हो जाते जितनी देर में इन्सान चालीस आयात पढ़ सकता है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 113/731.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً .

(1652) हज़रत सअद बिन हिशाम बिन आमिर(ﷺ) से रिवायत है कि मैं मदीना मुनव्वरा आया और हज़रत आयशा (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने पूछा: 'कौन है? मैंने कहा: हिशाम बिन आमिर का बेटा सअद हूँ। फ़रमाने लगीं: अल्लाह तआला तेरे बाप पर रहम फ़रमाये। मैंने अर्ज़ किया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की (रात की नफ़ल) नमाज़ के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) तो बहुत बलन्द व बाला शख़्सियत थे। मैंने कहा: यक़ीनन ऐसा ही है। फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर लेट कर सो जाते। जब आधी रात गुज़र जाती तो उठ कर क़ज़ा-ए-हाजत करते और पानी लेकर वुज़ू करते, फिर (अपने घर की) मस्जिद में दाख़िल हो जाते और आठ रकआत पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था कि आप उनमें क़िराअत, रुकू और सज्दे बराबर करते थे, फिर एक रकअत पढ़ते और उसके बाद बैठ कर दो रकअत पढ़ते, फिर लेट जाते, फिर कभी तो बिलाल (ﷺ) आपके सोने से पहले ही

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ . قَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ . قُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَكَانَ . قُلْتُ أَجَلْ . قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ - فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ - قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ وَإِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا أَغْفَى وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَمْ لاَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ قَالَتْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

आकर नमाज़ की इत्तिला करते और कभी आप हल्की सी नींद ले लेते थे और कभी मुझे शक सा होता कि आप सोये हुये हैं या नहीं यहाँ तक कि बिलाल आकर आपको नमाज़ की इत्तिला करते। तो ये थी रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ यहाँ तक कि आपकी उम्र बढ़ गई और आप फ़र्बा हो गये। हज़रत आयशा (ؓ) ने आपके मोटापे के बारे में चन्द बातें ज़िक्र कीं, फिर उन्होंने फ़रमाया: (इस उम्र में) नबी (ﷺ) लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर अपने बिस्तर पर लेट जाते। जब निस्फ़ रात गुज़र जाती तो उठते और क़ज़ा-ए-हाजत करते और वुज़ू का पानी लेकर वुज़ू फ़रमाते, फिर मस्जिद (घर में नमाज़ के लिये मख़्सूस जगह) में दाख़िल हो जाते और छः रकआत पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था कि आप उनमें क़िराअत, रुकू और सज्दा एक जैसा करते थे, फिर एक रकअत पढ़ते, फिर बैठ कर दो रकआत पढ़ते, फिर लेट जाते। कभी तो बिलाल आपके सोने से पहले ही आकर नमाज़ की इत्तिला करते। कभी आप हल्की सी नींद ले लेते थे और कभी मुझे शक रहता कि आप सो गये हैं या नहीं, यहाँ तक कि बिलाल आकर आपको नमाज़ की इत्तिला करते। (वफ़ात तक) रसूलुल्लाह (ﷺ) की (रात की) नमाज़ यही रही।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 1352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 1416, बैहक़ी: 2/501, 502.

फ़ायदा : वित्र के बाद बैठ कर दो रकआत पढ़ना नबी (ﷺ) का दाइमी मामूल न था। बहुत सी रिवायात में उनका ज़िक्र नहीं। मालूम होता है कि आप कभी ये रकआत पढ़ते, कभी नहीं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि

उनको बैठ कर ही पढ़ा जाये। मुमकिन है आप तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकआत में थक जाने की वजह से ये दो रकआत बैठ कर पढ़ते हों। वैसे भी आपको बैठ कर नवाफ़िल पढ़ने का सवाब, खड़े होकर पढ़ने के बराबर मिलता था। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 735) हमें पूरे सवाब के लिए नवाफ़िल खड़े होकर पढ़ने चाहिए, अगरचे बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है। इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) के नज़दीक ये दो रकआत वित्र का ततिम्मा हैं, मग़रिब की दो सुन्नतों की तरह। वरना आपने वित्र को आख़िर में पढ़ने का हुक्म दिया है। गोया उनके बावजूद वित्र आख़िर ही में रहते हैं क्योंकि ये वित्र ताबेअ हैं। या अम्र इस्तेहबाब के लिए है और फ़ेअल जवाज़ पर दलालत करता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (19) नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती है, और अबू इस्हाक़ के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (١٩) صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

(1653) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में मेरे चेहरे (के बोसे) से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे और जब आप क़रीबुल वफ़ात थे तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा आपकी अक्सर नमाज़ बैठ कर होती थी। और आप (ﷺ) के नज़दीक ज़्यादा पसन्दीदा अमल वह होता था जिस पर इन्सान हमेशगी करे चाहे वह थोड़ा ही हो।

यूनुस ने इस रिवायत को अबू इस्हाक़ से बयान करते हुये उमर बिन अबी ज़ाइदा की मुख़ालिफ़त की है और ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अस्वद अन उम्मे सलमा की सनद से बयान की है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1357, देखें हदीस: 1655.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا . خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ से आगे चन्द रिवायात में इमाम नसाई (رحمه الله) अबू इस्हाक़ के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ बयान कर रहे हैं। अबू इस्हाक़ के शागिर्दों में से उमर बिन अबी ज़ाइदा के

नज़दीक ये रिवायत हज़रत आयशा (ﷺ) की है जबकि यूनुस के नज़दीक ये रिवायत हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की है। **(2)** नफ़ल नमाज़ बैठ कर भी पढ़ी जा सकती है अगर बिला उज़्र हो तो निस्फ़ सवाब होगा। और अगर कोई उज़्र (मर्ज़, बुढ़ापा वग़ैरह) हो तो पूरा सवाब मिलेगा बशर्ते कि वह सेहत और जवानी में खड़ा होकर पढ़ता रहा हो, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ उज़्र के बग़ैर बैठ कर नहीं पढ़ी जा सकती। उज़्र के साथ बैठ कर जायज़ है। सवाब भी पूरा होगा। **(3)** रोज़े की हालत में जिमा मना है। मुत्लक़ शहवत और बोसा वग़ैरह (जिमा व इन्ज़ाल के बग़ैर) रोज़े के मुनाफ़ी नहीं। इससे सवाब में भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता मगर ये कि उनसे जिमा का ख़तरा हो या इन्ज़ाल का, फिर मना हैं, इसलिए नबी(ﷺ) ने एक नौजवान को बोसे की इजाज़त नहीं दी थी और एक बूढ़े को इजाज़त दे दी थी क्योंकि उससे जिमा का ख़तरा नहीं था बख़िलाफ़ नौजवान के।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ . خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالاَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

(1654) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नमाज़ अक्सर बैठ कर पढ़ा करते थे।

शोबा और सुफ़ियान ने यूनुस की मुख़ालिफ़त की है, उन्होंने ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अबी सलमा अन उम्मे सलमा की सनद से बयान की है।

(1654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1358.

फ़ायदा : उमर बिन अबी ज़ाइदा और युनूस ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अस्वद बताया था जबकि शोबा और सुफ़ियान ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अबू सलमा बताया है, अलबत्ता ये रिवायत उम्मे सलमा (ﷺ) ही की बताई हुई है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْفَرِيضَةَ وَكَانَ أَحَبُّ

(1655) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बैठ कर पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा पसन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की जाये अगरचे वह कम हो।

الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ .

(1655) तख़रीज : **(सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 1225, --37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1359.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ . خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

(1656) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बैठ कर पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा पसन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की जाये अगरचे वह कम हो उ़स्मान बिन अबू सुलैमान ने उनकी मुख़ालिफ़त की है उन्होंने ये रिवायत अन अबी सलमा अन आयशा की सनद से बयान की है।

(1656) तख़रीज : **(सनद सही)**

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

(1657) उ़स्मान बिन अबू सुलैमान से मरवी है कि अबू सलमा ने उनसे कहा कि आयशा (ﷺ) ने उनसे बयान फ़रमाया कि वफ़ात से पहले नबी(ﷺ) अपनी अक्सर नमाज़ों को बैठ कर पढ़ते थे।

(1657) तख़रीज : **(सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 266.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

(1658) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से मरवी है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) (नफ़ल) नमाज़ बैठ कर पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जब लोगों (की फ़िक्र और उनके कामों के बोझ) ने आपको बूढ़ा कर दिया था।

(1658) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 732/115, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) का इस रिवायत को बार बार (छ: बार) ज़िक्र करने से मक़सूद ये बताना है कि कुछ रावियों ने ये रिवायत हज़रत आयशा (ﷺ) के नाम से बयान की है और कुछ ने हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से। बादिउन्नज़र में ये किसी रावी की ग़लती लगती है और ये भी मुमकिन है कि ये रिवायत दोनों से मन्क़ूल हो और मुअख़िख़रुज़्ज़िक्र यही बात ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम! नीचे सनद में भी इख़्तिलाफ़ है जो सनद को बग़ौर देखने से समझ में आ सकता है और हल भी हो सकता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

(1659) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं: मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को बैठ कर नफ़ल नमाज़ पढ़ते नहीं देखा था यहाँ तक कि आपकी वफ़ात से एक साल पहले ऐसा हुआ कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगे; मगर आप सूरत को इतना ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ते थे कि वह अपने से लम्बी सूरत से भी लम्बी बन जाती थी।

(1659) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 733, पिछली हदीस देखें, मोता: 1/137, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1376.

باب : (٢٠)
فَضْلِ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ

बाब : (20)
खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने वाले की बैठ कर पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ " إِنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ

(1660) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को बैठ कर नमाज़ पढ़ते देखा तो मैंने कहा: मुझसे तो ये बयान किया गया है कि आपने फ़रमाया है: 'बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले से निस्फ़ सवाब मिलता है।' अब आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'बात सही है, मगर मैं तुम जैसा नहीं।'

صَلاَةِ الْقَائِمِ " . وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا . قَالَ " أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ " .

(1660) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 120/735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1361.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मैं तुम जैसा नहीं' यानी मुझे बैठ कर भी पूरा सवाब ही मिलता है और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसी शान है। ये मफ़हूम भी मुराद हो सकता है कि मैं उज़्र की बिना पर बैठ कर पढ़ता हूँ और निस्फ़ सवाब उसको है जो बिला उज़्र बैठ कर नवाफ़िल पढ़े, और आप जवानी में खड़े होकर ही नवाफ़िल पढ़ा करते थे। जो शख़्स जवानी में एक नेकी करता था मगर बुढ़ापे की बिना पर उसे न कर सका तो उसे अल्लाह तआला अपनी रहमत की वजह से पूरा अज्र देता है। **(2)** खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की क़ुदरत होने के बावजूद नफ़ली नमाज़ बैठ कर पढ़ना जायज़ है लेकिन याद रहे सवाब निस्फ़ मिलेगा।

बाब : (21)
बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत

باب : (٢١)
فَضْلِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى صَلاَةِ النَّائِمِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ " مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ " .

(1661) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से बैठ कर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने वाले के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जो खड़ा होकर नफ़ल नमाज़ पढ़े तो वह अफ़ज़ल (ज़्यादा सवाब वाला) है और जो बैठ कर पढ़े, उसको खड़े होकर पढ़ने वाले से निस्फ़ सवाब मिलेगा और जो लेट कर पढ़े, उसे बैठ कर पढ़ने वाले से भी निस्फ़ सवाब मिलेगा।'

(1661) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1362.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है कि नफ़ल नमाज़ बैठ कर और लेट कर बिला उज़्र पढ़ी जा सकती है। लेकिन जो बैठ कर पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले से निस्फ़ सवाब होगा और जो लेट कर पढ़े उसे बैठ कर पढ़ने वाले से भी निस्फ़ सवाब मिलेगा, ताहम उज़्र की बिना पर पूरा सवाब मिलेगा।

बाब : (22) नमाज़ बैठ कर किस तरह पढ़ी जाये?

باب : (۲۲) كَيْفَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلاَ أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1662) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं: मैंने नबी (ﷺ) को चार ज़ानू बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुये देखा।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस हदीस़ को अबू दाऊद (हफ़री) मशहूर मुहद्दिस़ नहीं) के अ़लावा किसी और ने बयान किया है। वह अगरचे सि़क़ा रावी है मगर मैं समझता हूँ, ये हदीस़ ख़ता है। वल्लाहु तआ़ला आ़लम!

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 978, 1238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1363, व स़हीह अल हाकिम: 1/258, 275, 276, बुख़ारी, हदीस़: 827.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) ने मज़्कूरा हदीस़ को अबू दाऊद हफ़री की ग़लती क़रार दिया है लेकिन सि़क़ा रावी को सि़र्फ़ गुमान की बुनियाद पर ख़ता कार क़रार नहीं दिया जा सकता जैसा कि शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने फ़रमाया है। ये हदीस़ उनके नज़दीक स़ही है, और हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने भी इमाम नसाई के कलाम को महल्ले नज़र समझा है और उसे अबू दाऊद हफ़री की ख़ता नहीं कहा। ग़र्ज़ ये हदीस़ स़ही है और उ़ज़्र पर महमूल होगी जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इस तरफ़ इशारा किया है कि अगर उसे स़ही समझा जाये तो ये उ़ज़्र पर महमूल होगी। वल्लाहु आ़लम! तफ़्स़ील के लिए देखिये: (अस़्ल सि़फ़तु स़लातिन्नबी: 1/106, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 18/5-7) **(2)** किस तरह बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाये? इस मसले में इख़्तिलाफ़ है, अगरचे जवाज़ में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि जिस तरह चाहे बैठ जाये मगर अफ़ज़लियत के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद (ﷺ) और एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम शाफ़ेई (ﷺ) भी चार ज़ानू बैठ कर नमाज़ पढ़ने को अफ़ज़ल समझते हैं क्योंकि इसमें सहूलत है। इमाम शाफ़ेई (ﷺ) का दूसरा क़ौल ये है कि जिस तरह दो सज्दों के दरम्यान बैठा जाता है उसी तरह बैठा जाये क्योंकि नमाज़ में इस तरह बैठना क़तअ़न स़ही है और तवातुर से मन्क़ूल है। कुछ से तवर्रुक भी मन्क़ूल है। मज़ीद देखिये: (अस़्ल सि़फ़तु स़लातिन्नबी लिल अल्बानी: 1/107)

बाब : (23)
रात की नमाज़ में क़िराअत कैसे की जाये?

باب : (٢٣)
كَيْفَ الْقِرَاءَةُ بِاللَّيْلِ

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ .

(1663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि रात की नफ़ल नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत कैसे होती थी? बलन्द आवाज़ से या आहिस्ता? हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि आप दोनों तरह क़िराअत फ़रमाया करते थे, कभी बलन्द आवाज़ से और कभी आहिस्ता।

(1663) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1437, तिर्मिज़ी, हदीस: 449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1373, मुस्लिम, हदीस: 26/307.

बाब : (24)
(रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता पढ़ने वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत

باب : (٢٤)
فَضْلِ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ " .

(1664) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) अपने शागिर्दों को बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ता है, वह उस शख़्स की तरह है जो ऐलानिया सदक़ा करता है और जो शख़्स आहिस्ता क़ुर्आन पढ़ता है वह उस शख़्स की तरह है जो छुपा कर सदक़ा करता है।'

(1664) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1377.

फ़ायदा : ज़ाहिरन हदीस से मालूम होता है कि क़ुर्आन मजीद आहिस्ता पढ़ना अफ़ज़ल है क्योंकि

छुपा कर सदक़ा करना क़तअन अफ़ज़ल है। (व इन् तुख़फ़ूहा ....) (अलबक़र: 2/271) मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ؓ) को तहज्जुद में आहिस्ता क़िराअत करते हुये देखा तो हुक्म दिया था कि 'कुछ ऊँचा पढ़ा करो' और हज़रत उमर (ؓ) को बहुत ऊँचा पढ़ते हुये सुना तो फ़रमाया था: 'कुछ आहिस्ता पढ़ा करो।' और अल्लाह तआला ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को नमाज़ में क़िराअत के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'अपनी नमाज़ की क़िराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की राह इख़्तियार करें।' इससे मालूम होता है कि दरमयानी आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है और यही बात दुरुस्त है। बाब वाली हदीस में बलन्द आवाज़ से मुराद बहुत ज़्यादा बलन्द आवाज़ होगी जिसमें रियाकारी का भी एहतिमाल है और वह दूसरे नमाज़ियों, आराम करने वालों और मरीज़ों के लिये भी तक्लीफ़ व तशवीश का बाइस होगी या जब जहर (ज़ोर से पढ़ने) में रिया का ख़तरा हो तो उस वक़्त आहिस्ता अफ़ज़ल है।

बाब : (25)
रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़याम, रुकू, रुकू के बाद क़ौमा, सज्दा और दो सज्दों के दरम्यान बैठना, सब का बराबर होना

باب : (٢٥)
تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

(1665) हज़रत हुज़ैफ़ा (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने एक रात नबी (ﷺ) के साथ (रात की नफ़ल) नमाज़ पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़र: शुरू की। मैंने सोचा कि आप सौ आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे लेकिन आप आगे बढ़ गये। मैंने सोचा कि आप दो सौ आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे लेकिन आप आगे गुज़र गये। मैंने सोचा, पूरी सूरत एक रकअत में पढ़ेंगे लेकिन आप पढ़ते गये और सूर-ए-निसा शुरू कर दी और पूरी पढ़ डाली, फिर आले इमरान शुरू कर दी और ख़त्म कर डाली। पढ़ते भी ठहर ठहर कर थे। जब किसी ऐसी आयत पर आते जिसमें तस्बीह का ज़िक्र होता तो तस्बीह

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ

فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ .

पढ़ते और जब कोई सवाल वाली आयत पढ़ते तो रुक कर अल्लाह तआला से वह चीज़ माँगते और जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें पनाह वाली चीज़ का ज़िक्र होता तो उस चीज़ से अल्लाह तआला की पनाह तलब करते, फिर रुकू फ़रमाया और (सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम) पढ़ते रहे। आपका रुकू तक़रीबन आपके क़याम के बराबर था, फिर सर उठाया और कहा: (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) आपका ये क़ौमा भी तक़रीबन रुकू के बराबर था, फिर सज्दा फ़रमाया और (सुब्हान रब्बियल आला) पढ़ते रहे तो आपका सज्दा आपके रुकू के क़रीब था।

(1665) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1377.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " . مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ

(1666) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी। आपने रुकू फ़रमाया और रुकू में इतनी देर (सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम) पढ़ते रहे जितनी देर क़याम फ़रमाया था, फिर (सज्दे के बाद) बैठे, इतनी देर (रब्बिग़फ़िरली! रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' कहते रहे, जितनी देर क़याम फ़रमाया था, फिर सज्दा फ़रमाया तो इतनी देर (सुब्हान रब्बियल आला) कहते रहे, जितनी देर खड़े रहे थे। इस तरह आपने सिर्फ़ चार रकआत पढ़ीं कि हज़रत बिलाल (ﷺ) सुबह की नमाज़ की इत्तिला देने आ गये।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान

إِلَى الْغَدَاةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ لاَ أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ .

करते हैं कि ये हदीस़ मेरे नज़दीक मुर्सल है। मैं नहीं जानता कि तल्हा बिन यज़ीद ने हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से कोई रिवायत सुनी हो। अ़लाअ बिन मुसय्यब के अ़लावा दूसरे राविय़ों ने तल्हा और हज़रत हुज़ैफ़ा के दरम्यान एक आदमी का वास्ता ज़िक्र किया है।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1378, पिछली हदीस़ देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ मुर्सल से मुन्क़तअ मुराद है। इस्तेलाही माना मुराद नहीं। इल्मे हदीस़ में मुर्सल के इस्तेलाही माना ये है कि ताबेई बराहेरास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ौल व फ़ेअ़ल बयान करे मज़्कूरा रिवायत में तो वह बराहे रास्त बयान नहीं कर रहे बल्कि सहाबी का ज़िक्र मौजूद है। **(2)** मालूम हुआ नमाज़ में दौराने क़िराअत, दुआ व इस्तेग़फ़ार वग़ैरह किया जा सकता है बल्कि करना चाहिए, न कि ख़ाली क़िराअत करता रहे। जिस तरह सज्दे की आयत पढ़ कर सज्दा करना मुस्तहब है ऐसे ही मौक़े महल के लिहाज़ से तस्बीह, दुआ और तअव्वुज़ भी होना चाहिए, और एक ही आयत या तस्बीह या दुआ को नमाज़ में बार बार दोहराया जा सकता है। इसके लिए किसी ख़ुसूसी नक़ल की ज़रूरत नहीं है। नबी (ﷺ) ने एक रात क़याम में सिर्फ़ एक आयत (इन् तुअ़ज़्ज़िब्हुम फ़इन्नहुम इबादुक......) पर इक्तेफ़ा किया और उसे ही बार बार दोहराते रहे।

بَاب : (٢٦) كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ

बाब : (26) रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1667) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दिन और रात की (नफ़ल) नमाज़ दो दो रकअ़त करके पढ़नी चाहिए।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं मेरे नज़दीक ये हदीस़ ख़ता है। वल्लाहु आलम!

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 597, व इब्ने माजा, हदीस़: 1322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 472, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1201, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 636, नैलुल मक़सूद: 1295.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) का इन्दी ख़ता के साथ लफ़्ज़ 'दिन' की तरफ़ इशारा है। कसीर रिवायात में सिर्फ़ रात की नमाज़ का ज़िक्र है, और कुछ उलमा के नज़दीक इब्ने उमर (ﷺ) का सिर्फ़ एक शागिर्द 'दिन और रात' दोनों का ज़िक्र करता है जिस का नाम अली अल अज़दी है और ये सिक़ा है, इसलिये ये कहना कि दिन की नमाज़ भी दो रकअत पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है, दुरुस्त नहीं लेकिन अक्सर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक रिवायत में मज़्कूर 'दिन' का इज़ाफ़ा भी सही है क्योंकि हदीस के रावी इब्ने उमर (ﷺ) से दीगर तुरुक़ भी मन्क़ूल हैं जिनमें मज़्कूरा इज़ाफ़े का ज़िक्र मिलता है, और कुछ शवाहिद से भी इसकी ताईद होती है, इसलिये ये हदीस लफ़्ज़ (अन्नहार) के इज़ाफ़े के साथ सही है, इसे इमाम बुख़ारी, अहमद, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, बैहक़ी और अल्लामा ख़त्ताबी (ﷺ) ने सही क़रार दिया है, इसलिये इमाम नसाई (ﷺ) का लफ़्ज़ नहार को ख़ता कहना महल्ले नज़र है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म अल हदीस: 1172, व जामेअ तिर्मिज़ी बतहक़ीक़ अश्शैख़ अहमद शाकिर: 2/492, हदीस: 597) याद रहे मालूम हुआ कि दिन के वक़्त भी नफ़ल नमाज़ दो दो करके पढ़ना अफ़ज़ल है, अगरचे इकट्ठी चार पढ़ना भी जायज़ है। या उन सुनन और नवाफ़िल को चार पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दिन के वक़्त चार पढ़े हैं बाक़ी को दो दो करके या इकट्ठे चार पढ़ना भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/14-20)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ " .

(1668) हज़रत ताऊस हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ का तरीक़ा पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके पढ़ते जाओ। जब तुझे सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो।'

(1668) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 749/146, मुसनद अहमद: 2/141.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मशहूर रिवायत है जिसमें सिर्फ़ रात की नमाज़ का ज़िक्र है। **(2)** 'दो दो करके' मगर इस तरह वाजिब नहीं अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इकट्ठे तीन या इकट्ठे पाँच या इकट्ठे सात और इकट्ठे नौ वित्र (क़यामुल लैल) का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 737, 746) **(3)** 'एक रकअत पढ़ लो' गोया एक रकअत अलग पढ़ी जा सकती है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 752) और इसे मामूल बनाया जा सकता है लेकिन तनव्वोअ अफ़ज़ल है। **(4)**

रसूलुल्लाह (ﷺ) का अक्सर व बेश्तर मामूल ग्यारह रकअत ही था। अगर वक़्त कम हो तो कम भी पढ़े जा सकते हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस से साबित है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .

(1669) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने उमर (رضي الله عنه)) से बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह के तुलूअ होने का ख़तरा हो तो (सुबह तुलूअ होने से पहले) एक रकअत पढ़ ले।'

(1669) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1137, मुस्लिम, हदीस: 749/146, देखें हदीस: 1673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 473.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يُسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ " .

(1670) हज़रत अबू सलमा हज़रत इब्ने उमर(رضي الله عنه) से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मिम्बर पर ये फ़रमाते सुना जबकि आपसे रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया था। (आपने फ़रमाया:) 'दो दो करके पढ़ो। जब सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1320.

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

(1671) हज़रत नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने हमको बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके पढ़ी जाये। जब किसी को सुबह के तुलूअ होने का डर हो तो एक रकअत पढ़ ले।'

(1671) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 472, मुस्लिम, हदीस: 751.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

(1672) हज़रत नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह का ख़दशा हो तो एक रकअत पढ़ ले।'

(1672) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 472, 990, मुस्लिम, हदीस: 751/150, तिर्मिज़ी, हदीस: 427.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

(1673) हज़रत सालिम हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान करते हैं कि मुसलमानों में से एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: रात की नमाज़ कैसे पढ़ी जाये? तो आपने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअत पढ़ी जाये। जब तुझे सुबह के तुलूअ का क़ुर्ब महसूस हो तो एक रकअत पढ़ ले।'

(1673) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1137, मुस्लिम, हदीस: 749/146, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

(1674) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ (तहज्जुद) के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह तुलूअ होने का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ ले।'

(1674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 749/146, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1381, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

(1675) हज़रत सालिम और हुमैद दोनों ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान किया कि एक

الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

आदमी ने उठ कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! रात की नमाज़ (पढ़ने का तरीक़ा) क्या है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो करके पढ़ो। जब सुबह का डर हो तो एक रकअत पढ़ लो।'

(1675) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 749/147, पिछली हदीस: 1673 देखें.

फ़ायदा : इतनी कसीर सनदों से इस मशहूर हदीस के होते हुये अहनाफ़ का आख़िर में एक रकअत पढ़ने को जायज़ न समझना, या बिला दलील मन्सूख़ कहना दलाइल से इन्हिराफ़ के मुतरादिफ़ है जबकि इसके अलावा भी कई रिवायात में ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) का तर्ज़े अमल यही बयान किया गया है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है, हाँ! एक सलाम के साथ, दरम्यान में तशह्हुद के बग़ैर, तीन इकट्ठे पढ़ना भी जायज़ है ख़ुसूसन जब वह इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद हों तो बेहतर है कि तीन इकट्ठे पढ़े जायें, अलबत्ता तरावीह या तहज्जुद में एक रकअत को अलग पढ़ा जाये, नबी (ﷺ) का उमूमी अमल यही था, और दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक़ की ये भी एक सूरत है।

باب : (٢٧)
الأَمْرِ بِالْوِتْرِ

बाब : (27)
नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، - وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ - عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " .

(1676) हज़रत अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े वित्र पढ़ी, फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ क़ुरआन वालो! वित्र पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह तआला वित्र (अकेला) है और वित्र को पसन्द फ़रमाता है।'

(1676) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 453, व इब्ने माजा, हदीस: 1169, अबू दाऊद, हदीस: 1416, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1384.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है और यही राय सबसे सही मालूम होती है कि

मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 2/413, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 5/159, रक़म अलहदीस: 1274, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/28-33) **(2)** वित्र अरबी में ताक़ अदद को कहते हैं जो दो पर तक़्सीम न हो। इस्तेलाह में रात की नमाज़ को कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में हुक्म है कि इसे मज्मूई तौर पर ताक़ अदद में पढ़ा जाये। तीन या पाँच या सात या नौ या ग्यारह। **(3)** रात की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफ़ल है, इसलिये वित्र फ़र्ज़ है न वाजिब बल्कि नफ़ले मुअक्क़द है, और रसूलुल्लाह (ﷺ) सवारी पर भी वित्र पढ़ लिया करते थे जबकि फ़राइज़ या वाजिबात की अदायगी के लिये नीचे उतर जाते, इससे भी मालूम हुआ कि वित्र वाजिब नहीं। बाक़ी रहा हुक्म तो हुक्म हर जगह वजूब के लिये नहीं होता। कुछ जगह ताकीद या इस्तेहबाब के लिये भी होता है बल्कि जवाज़ के लिये भी आ जाता है, जैसे: 'जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा: 5/2) यानी शिकार कर सकते हो। क्योंकि किसी फ़क़ीह और मुहद्दिस के नज़दीक भी एहराम के बाद शिकार करना ज़रूरी बल्कि मुस्तहब भी नहीं, और इसी हदीस के आख़िरी अल्फ़ाज़ 'पसन्द फ़रमाता है' भी वित्र के इस्तेहबाब व ताकीद पर दलालत करते हैं। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। **(4)** 'ऐ क़ुर्आन वालो!' मुराद मुसलमान हैं कि इनकी किताब क़ुर्आन है। या क़ुर्आन के हुफ़्फ़ाज़ मुराद हैं, यानी हुफ़्फ़ाज़ को रात की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिफ़्ज़े क़ुर्आन का हक़ है, वरना हिफ़्ज़ का और क्या फ़ायदा है? और इस तरह हिफ़्ज़ क़ाइम रहेगा वरना भूल जाने का ख़दशा है। इस सूरत में वित्र से मुराद नमाज़े तहज्जुद होगी जो तादाद में ज़्यादा और क़िराअत में तवील होती है और ये हुफ़्फ़ाज़ के लायक़ है। बाक़ी रहे कम अज़ कम वित्र तो वह सब मुसलमानों के लिये मुअक्क़द हैं। उनकी तादाद तीन या एक है। **(5)** 'अल्लाह तआला वित्र (एक) है' यानी यक्ता है जिसमें किसी भी लिहाज़ से तजज़्ज़ी, दोई या शराकत नहीं, न वह क़ाबिले तक़्सीम है, इसलिए रात की नमाज़ को ज़्यादा महबूब रखता है क्योंकि वह भी तो दोई को क़बूल नहीं करती। **(6)** अल्लाह तआला की मोहब्बत को कुछ लोगों ने सवाब के मानी में लिया है मगर इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। मोहब्बत अल्लाह तआला की एक सिफ़त है लेकिन अल्लाह तआला की सिफ़ात इन्सानों या किसी भी मख़लूक़ की सिफ़ात जैसी नहीं कि उनके मुशाबा क़रार दिया जा सके, बल्कि वह अल्लाह तआला की तरह बेमिसाल है। **(7)** वित्र पढ़ने वाले से अल्लाह तआला ख़ुसूसी मोहब्बत फ़रमाता है।

(1677) हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि वित्र की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब नहीं बल्कि ये सुन्नते (मुअक्क़दा) है जिसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुम्हारे लिये जारी फ़रमाया है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ،

رضی الله عنه قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(1677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/107, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1385.

फ़ायदा : चूंकि वित्र रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है जिसे आपने कभी तर्क नहीं किया, लिहाज़ा इसे बिला उज़्र तर्क करना दुरुस्त नहीं।

بَاب : (٢٨) الْحَثُّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

बाब : (28) सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى .

(1678) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से मन्क़ूल है कि मेरे दिली महबूब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे तीन बातों की नसीहत ताकीद के साथ की है: मैं वित्र पढ़ कर सोऊँ, हर महीने में तीन रोज़े रखूँ और फ़ज्र (या ज़ुहा) की दो रकअतों की पाबन्दी करूँ।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 721, बुख़ारी, हदीस: 1178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1386.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़लीली, ख़लील वह होता है जिसके साथ दिली लगाव और मोहब्बत सबसे बढ़ कर हो। सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर किस से मोहब्बत हो सकती है? लिहाज़ा मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) ही हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अल्लाह तआला के सिवा किसी को ख़लील नहीं बनाया मगर अल्लाह के रसूल को सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) तो ख़लील बना सकते हैं। (2) 'वित्र पढ़ कर' क्योंकि अबू हुरैरह (رضی الله عنه) तालिबे इल्म थे। तालिबे इल्मों की, शग़ले इल्म वग़ैरह की बिना पर, सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, लिहाज़ा वह वित्र पढ़ कर सोयें ताकि वित्र ज़ाया न हो जायें, अलबत्ता जो शख़्स तहज्जुद का आदी है और उसे फ़ज्र से पहले जागने में कोई दिक़्क़त नहीं, उसके लिए वित्र आख़री रात ही में मुनासिब है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ

(1679) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि मुझे मेरे दिली महबूब (ﷺ) ने तीन बातों की ताकीद फ़रमाई कि शुरू रात में वित्र पढ़ लिया

عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

करूँ, फ़ज्र की सुन्नतों की पाबन्दी करूँ और हर महीने में तीन नफ़ली रोज़े रखूँ।

(1679) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 721, बुख़ारी, हदीस: 1178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1387.

باب : (٢٩)
نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوِتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ

बाब : (29)
नबी (ﷺ) ने एक रात में दो दफ़ा वित्र पढ़ने से मना फ़रमाया है

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ أَوْتِرْ بِهِمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " .

(1680) हज़रत क़ैस बिन तल्क़ से रिवायत है कि मेरे वालिदे मोहतरम हज़रत तल्क़ बिन अली(ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में एक दिन हम से मिलने के लिए तशरीफ़ लाये। उन्हें शाम हो गई। उस रात उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई और वित्र पढ़ाये, फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और अपने दूसरे साथियों को नमाज़ पढ़ाई, यहाँ तक कि जब वित्र बाक़ी रह गये तो एक आदमी को अपनी जगह आगे किया और फ़रमाया: तुम इन्हें वित्र पढ़ा दो (क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ) मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना है कि एक रात में दो दफ़ा वित्र नहीं पढ़े जा सकते।

(1680) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 470, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1388, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1101, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 671, अल हाफ़िज़ फ़िल्फ़तह: 2/481.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक यही बात सही है कि अगर शुरू रात में वित्र पढ़ चुका हो और दोबारा मौक़ा मिल जाये तो दो दो रकअत पढ़ता रहे, दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से हसन सनद के साथ मन्क़ूल है कि इस सूरत में तहज्जुद शुरू करने से

पहले एक रकअत पढ़ कर रात की ताक़ नमाज़ को जुफ़्त कर ले, फिर आख़िर में एक रकअत पढ़ ले। इस तरह नमाज़ मज्मूई तौर पर ताक़ बन जायेगी और वित्र भी आख़िर में हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का अपना अमल इसी तरह था। देखिये: (मुसनद अहमद: 2/135) ये इब्ने उमर (ﷺ) की राय और ज़ाती अमल है लेकिन इस तरह बाब की हदीस में ज़िक्र कर्दा तरीक़े से वित्र दरम्यान में आ जायेगा जबकि आपने वित्र रात की नमाज़ के आख़िर में पढ़ने का हुक्म दिया है। जुम्हूर ने ये जवाब दिया है कि वित्र आख़िर में पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से वित्र के बाद भी दो रकअतें पढ़ना साबित है, और अव्वल रात तो वित्र आख़िर ही में पढ़ा गया था अगर सुबह के वक़्त पढ़ा जाता तो आख़िर ही में पढ़ा जाता। जुम्हूर अहले इल्म की बात ज़्यादा क़वी है वरना वित्र तीन दफ़ा पढ़ा जायेगा और आपने तो दो दफ़ा वित्र पढ़ने से भी रोका है, तीन दफ़ा कैसे जायज़ होगा? मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/39-42)

बाब : (30)
वित्र नमाज़ का वक़्त

باب: (٣٠)
وَقْتِ الْوِتْرِ

(1681) हज़रत अस्वद बिन यज़ीद से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की (रात की) नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप शुरू रात (यानी नमाज़े इशा के बाद) सो जाते थे, फिर जागते (और नमाज़ पढ़ते), फिर सुबह क़रीब होती तो वित्र पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती तो अपनी बीवी से जिमा करते, फिर जब अज़ान सुनते तो फ़ौरन उठ खड़े होते। अगर जुन्बी होते तो गुस्ल फ़रमाते वरना वुज़ू करते। (सुन्नतें पढ़ते) और नमाज़ के लिए मस्जिद में चले आते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

(1681) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1146, मुस्लिम, हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1389.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

(1682) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वित्र अव्वल रात में भी पढ़े, दरम्यान रात में भी और आख़िर रात में भी। आख़री उम्र में आपके वित्र आख़िर रात में (फ़ज्र से पहले) होते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, ह: 745/137, बुख़ारी, हदीस़: 996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1390.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

(1683) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जो शख़्स़ रात को नफ़ल नमाज़ पढ़े तो वह वित्र आख़िर में पढ़े क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसका हुक्म देते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 751, बुख़ारी, हदीस़: 998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1391.

फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम हुआ कि वित्र इशा की नमाज़ के बाद तुलूअे फ़ज्र तक पढ़े जा सकते हैं, अलबत्ता जिसे तरावीह व तहज्जुद पढ़नी हो तो वह वित्र को अपनी नफ़ल नमाज़ के आख़िर में पढ़े, इब्तेदा या दरम्यान में न पढ़े। वल्लाहु आलम!

باب : (٣١) الأَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

बाब : (31) सुबह तुलूअ होने से पहले पहले वित्र पढ़ लिये जायें

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، -وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ " أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ " .

(1684) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से वित्र के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'सुबह से पहले वित्र पढ़ लो।'

(1684) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 754/161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1392.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ " .

(1685) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ज्र तुलूअ होने से पहले वित्र पढ़ लिया करो।'

(1685) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1392.

بَاب : (٣٢) الْوِتْرِ بَعْدَ الأَذَانِ

बाब : (32) सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ . قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الأَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ . وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى .

(1686) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से मरवी है कि मैं हज़रत अम्र बिन शुरहबील की मस्जिद में था, नमाज़ की तकबीर हो गई (मगर वह न आये) लोग उनका इन्तेज़ार करने लगे, फिर वह आये तो उन्होंने कहा: मैं वित्र पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) से पूछा गया: क्या सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़े जा सकते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, बल्कि इक़ामत के बाद भी, फिर उन्होंने नबी(ﷺ) का वाक़िया बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़े फ़ज्र सोते में रह गई थी यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो आपने उस वक़्त नमाज़ पढ़ी।

(1686) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 613, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1393.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) का मक़सद ये है कि फ़ौतशुदा नमाज़ वक़्त के बाद भी पढ़ी जायेगी। इसी तरह वित्र रह जायें तो वह भी पढ़े जायेंगे, वक़्त कोई भी हो। यही बात दुरुस्त है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की दीगर अहादीस से भी, जो वित्र से मुताल्लिक़ हैं, इसकी ताईद होती

है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अपने वित्र से सोया रह गया (और न पढ़ सका) या उसे भूल गया तो जब भी याद आये (या जाग आये) पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1431) इससे वित्र के वजूब और फ़र्ज़ीयत पर इस्तेदलाल नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी होती है ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुअक्कद अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की सुन्नतों की क़ज़ा अस्र के बाद अदा की। सुबह की सुन्नतें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। ज़ाहिर है ज़ुहर और फ़ज्र की सुन्नतें वाजिब नहीं मुअक्कद ही हैं। इसी तरह वित्र बावजूद वाजिब न होने के इसकी क़ज़ा दी जा सकती है। (2) कुछ उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ़्त की शक्ल में दें, यानी एक वित्र की जगह दो रकअत, तीन वित्र की जगह चार रकआत पढ़े लेकिन हमारे ख़याल में ऐसा उस शख़्स के लिये ज़रूरी होगा जो क़यामुल लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी हो, आम शख़्स के लिये वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में मुनासिब मालूम होती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (33) सवारी पर वित्र पढ़ना

باب: (٣٣) الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

(1687) हज़रत इब्ने उमर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सवारी पर वित्र पढ़ लिया करते थे।

(1687) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1095, 1000, मुस्लिम, हदीस: 700.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

फ़ायदा : सवारी पर क़याम, रुकू और सज्दा असल तरीक़े पर नहीं होते, लिहाज़ा फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर पढ़ने की इजाज़त नहीं मगर ये कि कोई शरई उज़्र हो, मगर नफ़ल नमाज़ में वुस्अत है, वह सवारी पर पढ़ी जा सकती है। वित्र भी नफ़ल है, लिहाज़ा सवारी पर पढ़े जा सकते हैं।

(1688) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ؓ) अपने ऊँट पर वित्र पढ़ लिया करते थे और वह बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी ऐसे क्या करते थे।

(1688) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

(1689) हज़रत सईद बिन यसार ने कहा कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ऊँट पर वित्र पढ़ लिया करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 999, मुस्लिम, 700/36, मोता: 1/124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1395.

फ़ायदा : अहनाफ़ वित्र को वाजिब समझते हैं, लिहाज़ा उसे सवारी पर पढ़ने के क़ाइल नहीं मगर ये सही और सरीह अहादीस की खुली मुख़ालिफ़त है।

باب : (٣٤)
كَمِ الْوِتْرُ

बाब : (34)
वित्र कितने हैं?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

(1690) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वित्र आख़िर रात में एक रकअत है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1396.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا ثُمَّ، ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

(1691) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वित्र आख़िर रात में एक रकअत पढ़ा जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/154, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1397.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَفَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ

(1692) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक बदवी शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो

الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

दो रकअ़त करके पढ़ते जाओ और आख़िर रात में एक रकअ़त वित्र पढ़ लो।'

(1692) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 749/148, पिछली हदीस़ देखें, अबू दाऊद, हदीस़: 1421, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1398.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अस़ल वित्र एक रकअ़त है मगर इससे पहले कुछ न कुछ नवाफ़िल पढ़ने चाहिए ये एक रकअ़त उन सब को वित्र (ताक़) बना देगी। बाब की पहली दो रिवायात मुज्मल हैं। तीसरी रिवायत उनका मतलब वाज़ेह करती है कि बेहतर ये है कि एक रकअ़त पढ़ने से पहले कम अज़ कम दो रकअ़त ज़रूर पढ़े। अगर सिर्फ़ एक रकअ़त ही पर इक्तेफ़ा करता है तो ये भी जायज़ है क्योंकि स़ही अहादीस़ से ये भी स़ाबित है। **(2)** अहनाफ़ ने वित्र को तीन रकअ़त ही मुक़र्रर कर लिया है। न कम, न ज़्यादा मगर इसकी कोई दलील नहीं बल्कि ये तहदीद स़रीह रिवायात के ख़िलाफ़ है, फिर उनके नज़दीक चूंकि ये वाजिब हैं, लिहाज़ा तीन रकआत एक ही सलाम से होंगी, हालांकि स़रीह रिवायात एक रकअ़त अलग पढ़ने को जायज़ बल्कि मुस्तहब क़रार देती हैं। ये बहस़ पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٣٥)
كَيْفَ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ

बाब : (35)
एक वित्र कैसे पढ़ा जाये?

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ " .

(1693) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷻ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअ़त करके पढ़ो। जब तुम्हारा इरादा नमाज़ ख़त्म करने का हो तो एक रकअ़त पढ़ लो। ये रकअ़त तुम्हारी पढ़ी हूई पुरी नमाज़ को वित्र बना देगी।'

(1693) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 993, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 444.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى

(1694) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷻ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअ़त है। और वित्र (आख़िर

में) एक रकअ़त है।'

مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ " .

(1694) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 474.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .

(1695) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअ़त है। जब तुममें से किसी को सुबह के तुलूअ होने का ख़दशा हो तो एक रकअ़त पढ़ ले। ये उसकी सारी नमाज़ को वित्र बना देगी।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 990, मुस्लिम, हदीस़: 749, मोता: 1/123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1399.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، -وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ " صَلاَةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ " .

(1696) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने नबी (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'रात की नमाज़ दो दो रकअ़त है। जब तुम्हें तुलूअ़े सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअ़त वित्र पढ़ लो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1670.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(1697) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) रात को ग्यारह रकआ़त पढ़ते थे। उनमें से एक रकअ़त अलग वित्र पढ़ते, फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते।

عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

(1697) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736, मोता: 1/120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 445, बुख़ारी, हदीस: 994.

फ़ायदा : मज़्कूरा और आइन्दा आने वाली रिवायात से साफ़ मालूम होता है कि रात की नमाज़ ही को वित्र कहा जाता है, वह जितनी भी हो। जब आख़िर में एक रकअत पढ़ी जायेगी तो सारी नमाज़ ही वित्र (ताक़) बन जायेगी।

باب : (٣٦)
كَيْفَ الْوَتْرُ بِثَلاَثٍ

बाब : (36)
तीन वित्र कैसे पढ़े जायें?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

(1698) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से मन्क़ूल है, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (ﷺ) की (रात की) नमाज़ कैसे होती थी? तो उन्होंने फ़रमाया: आप रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में (उमूमन) ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। चार रकआत पढ़ते ऐसी ख़ूबसूरत और तवील कि कुछ न पूछ, फिर चार पढ़ते ऐसी ख़ूबसूरत और तवील कि कुछ न पूछ, फिर तीन रकआत पढ़ते। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्र (तीन रकआत) पढ़ने से पहले सो जाते हैं? आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोती हैं, दिल नहीं सोता।'

(1698) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1147, मुस्लिम, हदीस: 738, पिछली हदीस देखें, मोता: 1/120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 393.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चार रकअ़ात एक सलाम से पढ़ते थे, फिर चार एक सलाम से, फिर तीन एक सलाम से। ये तरीक़ा भी दुरुस्त है, इसी लिए मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने तीन वित्र का बाब बाँधा है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़े तहज्जुद के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ तरीक़े मन्क़ूल हैं। सही अहादीस़ की रोशनी में उनमें से कोई सा तरीक़ा भी इख़्तियार किया जा सकता है। अफ़ज़ल ये है कि अ़मल में तनव्वोअ़ हो, कभी ये, कभी वह, अस़ल इत्तेबा-ए-सुन्नत यही है। उमूमन रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़े तहज्जुद ग्यारह रकअ़ात, दो दो करके और आख़िर में वित्र एक रकअ़त की सूरत में मन्क़ूल है, और ये तरीक़ा अफ़ज़ल है। लेकिन कभी आप(ﷺ) ने नौ रकअ़ात इकट्ठी और बाद में दो रकअ़ात, कभी सात और कभी तेरह रकअ़ात, आठ दो दो करके और पाँच वित्र इकट्ठे भी पढ़े हैं, लिहाज़ा दो दो रकअ़ात वाली अ़ाम रिवायात की रोशनी में इनमें तावील की गुंजाइश नहीं। इसी तरह चार चार रकअ़ात नमाज़े तहज्जुद में भी कोई हर्ज नहीं, न ये ममनूअ़ हैं बल्कि मज़्कूरा बाला हदीस़ इसकी मशरूइयत के लिये काफ़ी है। कुछ का ये कहना कि चार चार से इकट्ठी चार चार मुराद नहीं बल्कि दीगर अहादीस़ की रोशनी में दो दो रकअ़ात ही मुराद हैं लेकिन ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है क्योंकि जब अहादीस़ में एक ही नहीं बल्कि कुछ और तरीक़े भी मन्क़ूल हैं तो उन्हें तस्लीम करने से इस तरीक़े को भी मानने या अ़मल में लाने में कौन सी चीज़ मानेअ़ है? नमाज़े तहज्जुद के मुतअ़द्दिद तरीक़ों के लिये देखिये: (स़लातुत्तरावीह, लिल अल्बानी, स़फ़ा: 86-93) **(2)** 'ज़ाइद नहीं पढ़ते थे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) का अ़ाम मामूल ग्यारह रकअ़ात ही था। ग्यारह से कम भी पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि कम पढ़ना भी स़ही अहादीस़ से स़ाबित है। **(3)** 'दिल नहीं सोता' और ये तमाम अम्बिया व रुसुल (عليهم السلام) की ख़ुसूस़ियत है। यही वजह है कि अम्बिया(عليهم السلام) के ख़्वाब सच्चे और वह्य होते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का दिल हालते नींद में भी चूंकि बेदार होता था, इसलिए आपको हदस़ (बेवुज़ू होना) वग़ैरह का पता चल जाता था। गोया नींद सिर्फ़ ख़ुरूजे रीह के ख़तरे की बिना पर नाक़िज़े वुज़ू है।

(1699) हज़रत अ़ायशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की दो रकअ़तों के बाद सलाम नहीं फेरते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ .

(1699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1400, व स़हीह इब्ने तोहफ़तुल मोहताज: 1/405, हदीस़: 447, देखें, हदीस़: 34.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे शाज़ क़रार दिया है जबकि अल्लामा अतयूबी (رحمه الله) (शारेह सुनन नसाई) ने इमाम मुहम्मद बिन नस्र (رحمه الله) से दर्ज ज़ेल मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। वह फ़रमाते हैं: इसका मतलब ये है कि आप दो रकअतों के बाद सलाम नहीं फेरते बल्कि सात या नौ रकआत के बाद सलाम फेरते थे क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ये तरीक़ा भी साबित है। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दो रकअतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे, तीन रकआत के बाद फेरते थे, ये साबित नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ साबित है। शारेह नसाई अल्लामा अतयूबी (رحمه الله) ने इमाम मुहम्मद बिन नस्र मर्वज़ी से ये मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 18/63, 64, इर्वाउल ग़लील, रक़म: 421)

बाब : (37) वित्र के बारे में हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) की रिवायत में रावियों का (लफ़्ज़ी) इख़्तिलाफ़

باب : (٣٧) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ . أ }

(1700) हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तीन रकआत वित्र पढ़ते। पहली रकअत में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे। और रुकू से पहले कुनूत पढ़ते थे, फिर जब फ़ारिग़ होते तो फ़राग़त के वक़्त तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) 'पाक है बादशाह निहायत' पढ़ते। आख़री मर्तबा लम्बा करके पढ़ते थे।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ .

(1700) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1432, दारक़ुतनी: 2/31, हदीस: 1644.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْوَتْرِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

(1701) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की पहली रकअ़त में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا

(1702) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र (की पहली रकअ़त) में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे और सलाम आख़िर ही में फेरते थे। और सलाम के बाद तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) पढ़ते।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर सही रिवायात से हदीस में मज़्कूर मफ़हूम की ताईद होती है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को सही भी क़रार दिया है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ और मअ़नन सही और क़ाबिले अ़मल है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रक़म: 1700, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 18/72) वित्र पढ़ने का एक तरीक़ा ये भी है कि तीन वित्र एक सलाम से पढ़े जायें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 1699)

बाब : (38)
वित्र के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ)' की हदीस और इसमें अबू इस्हाक़ के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب : (٣٨)
ذِكْرِ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ . ب }

(1703) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तीन वित्र पढ़ते थे। पहली रकअ़त में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला) दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।

जुहैर (बिन मुआविया) ने इसे मौक़ूफ़ बयान किया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 462, इब्ने माजा, हदीस़: 1172, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1427, देखें, हदीस़: 1700.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } أَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ .

(1704) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) तीन वित्र पढ़ा करते थे और उनमें (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1428.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

फ़ायदा : दोनों में इख़्तिलाफ़ ये है कि पहली रिवायत में तीन वित्र अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़ेअ़ल बतलाया गया है और दूसरी हदीस़ में इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का अपना फ़ेअ़ल। इख़्तिलाफ़ से मुसन्निफ़ (رحمه الله) की मुराद यही है। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (39)
विर्त्र के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) की एक और रिवायत और इसमें हबीब बिन अबी साबित के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب : (٣٩)
ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوَتْرِ . ج

(1705) मुहम्मद बिन अली अपने बाप अली से और वह अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रात को (तहज्जुद के लिये) उठे और मिस्वाक की, फिर (वुज़ू के बाद) दो रकअतें पढ़ीं, फिर सो गये, फिर उठे, मिस्वाक की, वुज़ू फ़रमाया और दो रकअतें पढ़ीं, यहाँ तक कि (इस तरह) छः रकअतें पढ़ीं, फिर तीन वित्र पढ़े और फिर दो रकअतें पढ़ीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 763/191, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1344.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(1706) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं (एक रात) नबी (ﷺ) के यहाँ ठहरा हुआ था। आप उठे, वुज़ू किया और मिस्वाक फ़रमाई और आप ये आयत पढ़ रहे थे: (इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्अर्ज़ि ....) 'यक़ीनन आसमानों और ज़मीन की तख़लीक़ और रात और दिन के अदल बदल में अक़्लमन्द लोगों के लिये निशानियाँ हैं।' यहाँ तक कि आप इन आयात से फ़ारिग़ हुये, फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं, फिर दोबारा सो गये, यहाँ तक कि मैंने आपके ख़र्राटे सुने, फिर उठे और मिस्वाक व वुज़ू फ़रमाया, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर सो

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ } ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ

نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلاَثٍ .

गये, फिर उठे। वुज़ू किया, मिस्वाक फ़रमाई और दो रकअतें पढ़ीं, फिर तीन वित्र पढ़े।

(1706) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 403.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ، - ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(1707) मुहम्मद बिन अ़ली हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जागे और मिस्वाक की, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 404, हदीस: 1705.

फ़ायदा : इस रिवायत में मुहम्मद बिन अ़ली अपने बाप के वास्ते के बग़ैर इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं जबकि पहली रिवायात में वास्ता था और इख़्तिलाफ़ हबीब बिन अबी साबित के शागिर्दों में है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1708) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को आठ रकअ़तें पढ़ते और तीन वित्र पढ़ते, फिर फ़ज्र की नमाज़ से पहले (फ़ज्र की सुन्नतें) दो रकअ़त पढ़ते।

अ़म्र बिन मुर्रा ने हबीब बिन अबी साबित की मुख़ालिफ़त की है और अ़न यहया बिन अलजज़्ज़ार अ़न उम्मे सलमा (ﷺ) कहा है। (जबकि हबीब बिन अबी साबित ने अ़न उम्मे सलमा के बजाये अ़न इब्ने अ़ब्बास कहा था।)

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/426.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ . خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ .

(1709) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तेरह रकअत पढ़ते थे, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो नौ पढ़ने लगे।

उ़मारा बिन उ़मैर ने (अ़म्र बिन मुर्रा की) मुख़ालिफ़त की है और ये रिवायत अ़न यहया बिन अल जज़्ज़ार अ़न आयशा की सनद से बयान की है। (जबकि अ़म्र बिन मुर्रा ने अ़न आयशा के बजाये अ़न उम्मे सलमा कहा था।

तख़रीज: (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 457, पिछली हदीस़ देखें।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا .

(1710) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नौ रकअत पढ़ते थे। जब आप बूढ़े और बोझल हो गये तो सात पढ़ने लगे।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/32, 225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1348.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का अक्सर मामूल ग्यारह का था। जिन रिवायात में तेरह रकआत का ज़िक्र है उनमें इशा या फ़ज्र की दो सुन्नतें या क़यामुल लैल से पहले की इफ़्तेताही दो रकअतें शामिल हैं। जब आप कुछ बूढ़े हुये तो नौ शुरू कर दीं। मज़ीद बूढ़े हुये तो सात पढ़ने लगे। इस तरह कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। **(2)** इन तीनों रिवायतों (1708, 1709, 1710) का रावी एक है यहया बिन जज़्ज़ार। इनके किसी शागिर्द ने इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ज़िक्र किया, किसी ने उम्मे सलमा का और किसी ने आयशा का। ये इख़्तिलाफ़ बताना मक़सूद है।

باب : (٤٠)

ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوَتْرِ . د }

बाब : (40)

वित्र के बारे में हज़रत अबू अय्यूब(ﷺ) की हदीस़ और इसमें ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ

(1711) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वित्र हक़ है जो चाहे सात पढ़ ले, जो चाहे पाँच पढ़ ले, जो चाहे तीन पढ़ ले और जो चाहे एक पढ़ ले।'

(1711) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 1422, इब्ने माजा, हदीस़: 1190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 442, व स़हीह इब्ने हिब्बान.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .

(1712) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वित्र हक़ है जो शख़्स़ पाँच वित्र पढ़ना चाहे, पाँच पढ़ ले, जो तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले और जो एक पढ़ना चाहे एक पढ़ ले।'

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ

(1713) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) बयान करते हैं कि वित्र हक़ है। जो शख़्स़ पाँच वित्र पढ़ना चाहे, पाँच पढ़ ले, जो तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले और जो एक पढ़ना चाहे एक पढ़ ले।

तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस़: 443, पिछली हदीस़ देखें।

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ـ

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً .

(1714) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जो शख़्स चाहे सात वित्र पढ़ ले, जो शख़्स चाहे पाँच वित्र पढ़ ले, जो शख़्स चाहे तीन वित्र पढ़ ले और जो शख़्स चाहे एक वित्र पढ़ ले। और जो शख़्स चाहे (यानी मजबूर हो) वह इशारे से पढ़ ले।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1402.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इख़्तिलाफ़ ये है कि पहली दो रिवायात में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब हैं और आख़री दो रिवायात में हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) की तरफ़। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) ने इसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) से रिवायत किया और फिर साइलीन को हदीस के मुताबिक़ फ़तवा दिया, लिहाज़ा इनमें कोई तआरुज़ नहीं। इस तरह हदीस मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह सही है। **(2)** 'वित्र हक़ है' अहनाफ़ इस लफ़्ज़ से वित्र के वजूब पर इस्तेदलाल करते हैं जबकि हक़ के मानी मुअक्कद भी होते हैं और यहाँ यही मानी मुनासिब हैं ताकि दूसरी अहादीस के ख़िलाफ़ न पड़ें जो पीछे गुज़र चुकी हैं, और लतीफ़ा ये है कि इसी रिवायत में वित्र के एक होने का भी सरीह जवाज़ है मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं। मुहतमिल अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल और सरीह अल्फ़ाज़ से ऐराज़ हक़ पसन्दी नहीं। **(3)** 'इशारे से पढ़ ले' एक नुस्ख़े में (मन शाअ) के-बजाये (मन ग़ुलिब) के लफ़्ज़ हैं, यानी जो क़याम व क़ुऊद से मग़लूब हो, वह इशारे से पढ़ ले। जुम्हूर उलमा इसे मरीज़ पर महमूल करते हैं कि जो खड़ा होने और बैठने की ताक़त न रखता हो। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन साई: 18/86)

बाब : (41) पाँच वित्र कैसे पढ़े जायें? और हदीसे वित्र में हकम के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (۴۱)
كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ .

(1715) हज़रत उम्मे सलमा (﵂) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) पाँच या सात वित्र पढ़ते तो दरम्यान में न सलाम फेरते थे और न कलाम फ़रमाते थे।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1192, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1403, नसाई: 7/74.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .

(1716) हज़रत उम्मे सलमा (﵂) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) सात या पाँच वित्र पढ़ते तो दरम्यान में सलाम नहीं फेरते थे।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1404, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَ أَدْرِي . قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ .

(1717) हज़रत हकम हज़रत मिक़्सम से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: वित्र सात हैं और पाँच से कम तो क़तअन नहीं। मैंने ये बात हज़रत इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा: मिक़्सम ने ये बात किसी से नक़्ल की है? मैंने कहा: मुझे तो इल्म नहीं। हकम कहते हैं: मैं हज के लिये गया तो मिक़्सम से मिला और उनसे पूछा कि वह रिवायत आप किससे बयान करते हैं? वह कहने लगे: सिक़ा और मोतबर अश्ख़ास से। हज़रत आयशा और हज़रत मैमूना (ﵥ) से।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1404, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : हज़रत मिक़्सम ने दरअसल हज़रत आयशा और हज़रत मैमूना (ﷺ) की रिवायात से ये मसला इस्तेम्बात किया है न कि ये उनसे सराहतन मन्क़ूल है। हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायात तीन और एक वित्र की पीछे गुज़र चुकी हैं, और ये किसी भी फ़क़ीह या मुहद्दिस का मस्लक नहीं। इसके अलावा ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ भी है। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/88-91)

(1718) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) पाँच वित्र पढ़ते थे और सिर्फ़ आख़री रकअत में (तशहहुद के लिये) बैठते थे।

(1718) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 737/123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1407.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ .

फ़ायदा : बाब की रिवायात से मालूम हुआ कि अगर पाँच रकअत वित्र इकट्ठे पढ़े जायें तो आख़री रकअत के सिवा किसी में तशहहुद के लिये न बैठे।

बाब : (42) सात वित्र कैसे पढ़ें?

باب : (٤٢) كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ

(1719) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बूढ़े और फ़र्बा हो गये तो आप सात वित्र पढ़ते थे। आख़िर के सिवा किसी रकअत में (तशहहुद के लिये) न बैठते थे। और सलाम फेरने के बाद बैठ कर दो रकआत पढ़ते थे। तो ये नौ रकआत हो गईं ऐ बेटा! और रसूलुल्लाह(ﷺ) जब कोई नफ़ल नमाज़ शुरू कर लेते थे तो उस पर हमेशगी को पसन्द फ़रमाते थे। ये रिवायत मुख़्तसर है।

हिशाम दस्तवाई ने इस रिवायत में शोबा की मुख़ालिफ़त की है।

(1719) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1408, नसाई, हदीस: 1408, व तोहफ़ा अलअशराफ़: 11/407.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا . مُخْتَصَرٌ . خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ .

फ़ायदा : मतन में मुख़ालिफ़त मुराद है। शोबा की रिवायत (नम्बर 1719) में सात वित्र की अदायगी के वक़्त सिर्फ़ आख़री रकअत में बैठने का ज़िक्र है जबकि हिशाम दस्तवाई ने छठी रकअत में भी बैठने का ज़िक्र किया है। तत्बीक़ नीचे फ़ायदे में है।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

(1720) हज़रत आयशा (ﵲ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नौ रकअत वित्र पढ़ते तो (तशहहुद के लिये) आठवीं रकअत से पहले किसी रकअत में न बैठते थे। आठवीं में बैठ कर अल्लाह तआला की हम्द और उसका ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ करते (यानी तशहहुद पढ़ते) फिर सलाम फ़ेरे बग़ैर उठ खड़े होते, फिर नवीं रकअत पढ़ कर बैठते और अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता था, फिर बैठ कर दो रकआत पढ़ते, फिर जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो सात रकआत पढ़ते थे और छठी के सिवा किसी रकअत में (तशहहुद के लिये) न बैठते, फिर (छठी में बैठ कर) उठ खड़े होते और सलाम न फेरते, फिर सातवीं पढ़ कर बेठते, फिर सलाम फेरते, फिर बैठ कर दो रकअत पढ़ते।

तख़रीज : **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1409, अगली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** मालूम हुआ सात वित्र पढ़ने के दो तरीक़े हैं। हर रकअत के बाद बग़ैर बैठे खड़ा होता रहे, सिर्फ़ सातवीं में बैठे या छठी और सातवीं दोनों में बैठे मगर सलाम सातवीं ही पर फेरे। दोनों तरीक़े जायज़ हैं और यही इन दो रिवायतों में तत्बीक़ है कि कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) पहला तरीक़ा इख़्तियार फ़रमाते, कभी दूसरा। **(2)** वित्र के बाद दो रकअत का मसला देखिये हदीस नम्बर: 1652 और उसका फ़ायदा।

बाब : (43)
नौ वित्र कैसे पढ़ें?

باب : (۴۳)
كَيْفَ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ

(1721) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार रखते थे, फिर जब अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाता, रात में आपको उठा देता। आप (उठ कर) मिस्वाक और वुज़ू फ़रमाते और नौ रकआत इस तरह पढ़ते कि उनमें से किसी के आख़िर में न बैठते मगर आठवीं रकअत पर बैठते। अल्लाह की हम्द और नबी(ﷺ) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते मगर सलाम न फेरते, फिर नवीं (रकअत) पढ़ कर बैठते और अल्लाह की हम्द व सना फ़रमाते और नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते कि हमें सुनाई देता, फिर बैठ कर दो रकअतें पढ़ते।

तख़रीज : (सनद सहीह) इब्ने माजा, हदीस: 1191, देखें, हदीस: 1316

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلاَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

फ़ायदा : इसमें पहले तशह्हुद में भी दरूद शरीफ़ पढ़ने का ज़िक्र है, ये अगरचे नफ़ली नमाज़ का वाक़िया है लेकिन इसे फ़र्ज़ों में भी पढ़ा जा सकता है बल्कि मुस्तहब है जैसा कि पहले भी इसकी तफ़्सील गुज़र चुकी है।

(1722) हज़रत ज़ुरारा बिन औफ़ा से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: जब हज़रत सअद बिन हिशाम बिन आमिर हमारे पास आये तो उन्होंने हमें बताया: मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهما) के पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا أَنْ قَدِمَ، عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا

أَنَّهُ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ أَلاَ أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ . فَأَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا أَىْ بُنَىَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا .

की वित्र नमाज़ के बारे में पूछा। वह फ़रमाने लगे: क्या मैं तुम्हें ऐसी शख़्सियत न बताऊं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की वित्र नमाज़ को रूए अर्ज़ पर बसने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा जानती है? मैंने कहा: कौन? फ़रमाया: हज़रत आयशा (رضي الله عنها) (क्योंकि वह आपकी बीवी थीं और आपकी ख़ल्वत की साथी थीं।) हम वहाँ गये, उन्हें सलाम कहा, उन (हज़रत आयशा (رضي الله عنها)) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और उनसे सवाल किया। मैंने कहा: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की वित्र नमाज़ के बारे में बताइये। फ़रमाने लगीं: हम नबी (ﷺ) के लिये आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार रखते थे। रात को जिस वक़्त अल्लाह तआला चाहता, आपको जगा देता। आप मिस्वाक और वुज़ू फ़रमाते, फिर नौ रकअतें इस तरह पढ़ते कि आठवीं रकअत के अलावा किसी रकअत में तशह्हुद के लिए न बैठते। (आठवीं रकअत में बैठ कर) अल्लाह तआला की हम्द व ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते, फिर बग़ैर सलाम के उठ खड़े होते और नवीं रकअत पढ़ कर बैठते और अल्लाह तआला की हम्द व ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता, फिर बैठ कर दो रकअत पढ़ते। तो ये ग्यारह रकआत हो गईं, ऐ बेटे! फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बूढ़े हो गये और आपको गोश्त ने पकड़ लिया (आप फ़र्बा हो गये) तो सात रकआत पढ़ कर सलाम फेरते और बैठ कर दो रकआत पढ़ते।

तो ऐ बेटा! ये नौ हो गईं। और नबी (ﷺ) जब कोई नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो उस पर हमेशगी और पाबन्दी को पसन्द फ़रमाते थे।

(1722) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 448, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/39-41, हदीस: 4714.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ नौ रकअत वित्र इकट्ठे पढ़ने का एक ही तरीक़ा है कि तशह्हुद सिर्फ़ आठवीं में बैठे, फिर उठ कर नवीं रकअत पढ़े, फिर बैठ कर सलाम फेर दे। **(2)** पिछली हदीस में आठवीं रकअत वाले तशह्हुद में दरूद का भी ज़िक्र है। गोया नफ़्ल नमाज़ में दरम्यानी तशह्हुद में भी दरूद पढ़ा जा सकता है और फ़र्ज़ों में भी। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

(1723) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को फ़रमाते सुना: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) नौ रकआत वित्र पढ़ कर, फिर बैठे बैठे दो रकअत पढ़ते। और जब कमज़ोर हो गये तो सात रकआत वित्र पढ़ते, फिर बेठे बैठे दो रकअत पढ़ते।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 449, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/39, हदीस: 4713.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . .

(1724) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) नौ रकआत वित्र पढ़ते, फिर बैठ कर दो रकअत पढ़ते।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1410.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، - يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . مُخْتَصَرٌ .

(1725) हज़रत सअ़द बिन हिशाम से मन्क़ूल है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) के पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप रात को आठ रकआ़त पढ़ते, फिर नवीं रकअ़त वित्र पढ़ते और बैठ कर दो रकअ़तें पढ़ते। ये रिवायत मुख़्तसर है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1652.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، أُرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

(1726) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को (नफ़ल नमाज़) नौ रकअ़त पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 443, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 427, मुस्लिम, 730.

बाब : (44)
ग्यारह रकअ़त वित्र (तहज्जुद मअ़ वित्र) कैसे पढ़ें?

باب : (٤٤)
كَيْفَ الْوِتْرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ

(1727) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात को ग्यारह रकअ़त पढ़ते थे और उनमें से एक रकअ़त (अलग) वित्र पढ़ते, फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1697.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग्यारह वित्र (नमाज़े तहज्जुद मअ़ वित्र) पढ़ने का तरीक़ा ये है कि दो दो करके पढ़ते जायें। आख़िर में एक रकअ़त पढ़ लें। सब वित्र बन जायेगी। **(2)** 'फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते।' शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि वित्र के बाद लेटने का ज़िक्र शाज़ है।

सही बात ये है कि ये लेटना फ़ज्र की दो सुन्नतों के बाद था। सही रिवायात से यही साबित है। (जिसकी तफ़्सील हदीस: 1763 के फ़वाइद में देखी जा सकती है) इस लेटने की बाबत अहले इल्म में इख़्तिलाफ़ है। अहले इल्म की एक जमाअत ने फ़ज्र की दो सुन्नतों के बाद इसको जायज़ और दुरुस्त क़रार दिया है जबकि कुछ अहले इल्म इसको दुरूस्त नहीं समझते और इसकी मुख़्तलिफ़ तावीलें करते हैं। दलाइल की रू से सबसे सही राय यही मालूम होती है कि सुन्नतों के बाद लेटना मुस्तहब और अफ़ज़ल है क्योंकि इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म भी है और आपका अपना ज़ाती अमल भी। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की दो रकअत पढ़ कर अपने दायें पहलू पर लेटा करते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 226, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) और सही अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़े सुबह से पहले दो रकअत (सुन्नत) पढ़ ले तो वह अपने दायें पहलू पर लेट जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1261) कुछ अहले इल्म कहते हैं: अगर कोई शख़्स घर में सुन्नतें पढ़े तो लेट जाये। अगर मस्जिद में पढ़े तो न लेटे। ये बात महल्ले नज़र है। इस मसले के बारे में फ़ज़ीलतुश्शैख़ सफ़ीउर्रहमान मुबारकपूरी(رحمه الله) सहीह मुस्लिम की शरह मिन्नतुल मुन्इम में रक़मतराज़ हैं कि फ़ज्र की सुन्नतों के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) का दायें पहलू पर लेटना उसके मुस्तहब होने की दलील है। सुन्नतें घर में पढ़ी जायें या मस्जिद में, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। आगे फ़रमाते हैं: फ़ज्र की सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटने का हुक्म मुत्लक़ है, जहाँ सुन्नतें पढ़े, घर में हो या मस्जिद में, वहीं लेटे क्योंकि इस (हुक्मे इज़्तिजाअ) के मुत्लक़ होने की वजह से घर और मस्जिद हर दो जगह में लेटना मुस्तहब है। देखिये: (मिन्नतुल मुन्इम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन: 1/464, शरह हदीस: (122)-734)

बाब : (45) तेरह रकआत वित्र (नमाज़े तहज्जुद मअ वित्र) पढ़ना

(1728) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तेरह रकअत वित्र पढ़ते थे। जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो नौ रकआत वित्र पढ़ने लगे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1709.

باب : (۴۵) الْوِتْرِ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर 1709, 1710.

बाब : (46)
वित्र की नमाज़ में क़िराअत

باب : (۴۶)
الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَمَيْهِ وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1729) हज़रत अबू मिज्लज़ से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) (सफ़र के दौरान में) मक्का और मदीना के दरम्यान थे तो उन्होंने इशा की नमाज़ दो रकअत पढ़ी, फिर खड़े हुये और एक रकअत वित्र पढ़ा और उसमें सूर-ए-निसा की सो आयात पढ़ीं, फिर फ़रमाया: मैंने इस बात में ज़रा भी कोताही नहीं की कि वहाँ पाँव रखूँ जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने क़दम मुबारक रखे और वही कुछ पढ़ूँ जो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पढ़ा।

(1729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/419, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1424.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है। मुहक़्क़िक़ीन की तफ़्सीली बहस से तस्हीहे हदीस वाली राय ही दुरुस्त मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/98-100)

बाब : (47)
वित्र में एक और क़िस्म की क़िराअत

باب : (۴۷)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1730) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे और जब सलाम फेरते थे तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) पढ़ते।

بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(1730) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1429, नसाई.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(1731) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्रों में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) (सूरतें) पढ़ा करते थे।

हुसैन ने ज़ुबैद और तल्हा की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को (अन ज़र्रिन अन इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अन अबीहि अनिन नबी (ﷺ)) की सनद से बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1700.

फ़ायदा : मुख़ालिफ़त सनद में है और वह इस तरह कि हुसैन ने सनद में हज़रत उबय बिन क़अ़ब का ज़िक्र नहीं किया जबकि ज़ुबैद और तल्हा ने उनका ज़िक्र किया है, यानी ज़ुबैद और तल्हा इसे हज़रत उबय बिन कअ़ब की सनद से बनाते हैं जबकि हुसैन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा की। लेकिन ये कोई तआरुज़ नहीं, मुमकिन है अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) ने पहले उबय बिन कअ़ब (ﷺ) के वास्ते से हदीस ली हो, फिर बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी सुन ली हो, और दोनों तरीक़ों से बयान कर दी, ग़र्ज़ इस क़िस्म के ज़ाहिरी इख़्तिलाफ़ से सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

(1732) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 3/406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1430.

باب : (٤٨)
ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى شُعْبَةَ فِيهِ . أ }

बाब : (48)
क़िराअते वित्र की रिवायत में शोबा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

(1733) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) (सूरतें) पढ़ा करते थे। और जब सलाम फेरते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) कहते और तीसरी दफ़ा अपनी आवाज़ को मज़ीद ऊँचा कर देते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 3/406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1435.

फ़ायदा : वेसे तो तीनों दफ़ा ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे तभी तो सहाबा को पता चलता था कि तीन दफ़ा पढ़ा है मगर तीसरी दफ़ा अपनी सदा-ए-हयात बख़्श को मज़ीद ऊँचा और लम्बा फ़रमा देते थे। (देखिये हदीस नम्बर: 1700, 1715)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ، وَزُبَيْدٌ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . وَيَرْفَعُ بِـ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ . رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

(1734) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्रों में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे, फिर जब सलाम फेरते तो (तीन दफ़ा) (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) फ़रमाते और तीसरी दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) मज़ीद बलन्द आवाज़ से अदा फ़रमाते। इस रिवायत को मन्सूर ने सलमा बिन कुहैल से बयान किया है और (रावी-ए-हदीस़) ज़र्र का ज़िक्र नहीं किया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا طَوَّلَ فِي الثَّالِثَةِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

(1735) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे और जब सलाम फेर कर फ़ारिग़ होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) फ़रमाते और तीसरी दफ़ा आवाज़ लम्बी कर देते।

इस रिवायत को अब्दुल मलिक बिन अबू सुलैमान ने ज़ुबैद से बयान किया है। उन्होंने भी (रावी-ए-हदीस़) ज़र्र का ज़िक्र नहीं किया।

(1735) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

(1736) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे।

इस रिवायत को मुहम्मद बिन जुहादा ने भी ज़ुबैद से बयान किया है। उन्होंने भी (रावी-ए-हदीस) ज़र्र का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 1732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1433.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

(1737) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्रों में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे और जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 1732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1434.

वज़ाहत : मालिक बिन मिग़्वल से इस रिवायत को बयान करने वाले शुऐब बिन हर्ब और यहया बिन आदम हैं। यहया बिन आदम ने ज़ुबैद और इब्ने अब्ज़ा के दरम्यान ज़र्र का वास्ता ज़िक्र किया है जबकि शुऐब बिन हर्ब ने ये वास्ता ज़िक्र नहीं किया, और यहया बिन आदम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है, यानी सहाबी अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया जबकि शुऐब ने इनका ज़िक्र किया है।

बाब : (49)
क़िराअते वित्र की रिवायत में मालिक बिन मिग़्वल के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٤٩)
ذِكْرِ الاخْتِلافِ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيهِ.ب }

(1738) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1732.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى] وَ [قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ] وَ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] .

(1739) ये रिवायत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा के बेटे से उनके वास्ते के बग़ैर, यानी मुर्सल भी आई है। और अता बिन साइब ने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से और उन्होंने अपने बाप (अब्दुर्रहमान) से ये रिवायत बयान की है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1732.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، مُرْسَلٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، .

(1740) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) वित्र में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1446.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى] وَ [قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ] وَ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ]

बाब : (50)
क़िराअते वित्र की हदीस़ में क़तादा के शागिर्द शोबा पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (٥٠)
ذِكْرِ الاخْتِلافِ عَلَى شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ. ج }

वज़ाहत : रिवायत नम्बर: 1741 में शोबा के शागिर्द अबू दाऊद तयालिसी ने क़तादा का उस्ताद अ़ज़्रा बिन अ़ब्दुर्रहमान बताया है जबकि रिवायत नम्बर 1742 में क़तादा का उस्ताद ज़ुरारा बिन औफ़ा ज़िक्र किया गया है। तीसरी रिवायत 1743 में भी, ज़ुरारा ही का ज़िक्र है। एक और फ़र्क़ है कि पहली रिवायत में सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान का वास्ता ज़िक्र है जबकि आख़री दो रिवायात में ये वास्ता नहीं है।

(1741) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) के साथ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब फ़ारिग़ होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) पढ़ते।

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1446.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَزْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا.

(1742) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि आप (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) के साथ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब फ़ारिग़ होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) पढ़ते और तीसरी दफ़ा आवाज़ खींचते (लम्बी करते) थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1447.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا وَيَمُدُّ فِي الثَّالِثَةِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } خَالَفَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

(1743) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र में सूर-ए (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला) पढ़ते थे।

(शोबा के शागिर्द) शबाबा ने दोनों (अबू दाऊद और मुहम्मद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को शोबा अ़न क़तादा अ़न ज़ुरारा बिन औफ़ा अ़न इमरान बिन हुसैन की सनद से ज़िक्र किया है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1732.

फ़ायदा : शबाबा ने सहाबी का नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा के बजाये इमरान बिन हुसैन कहा है, लेकिन इमाम नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया कि ये शबाबा की ग़लती है।

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شَبَابَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ . خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .

(1744) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने सूर-ए (सब्बिहिस्म रब्बिकल आ़ला) के साथ वित्र पढ़ा।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि किसी रावी ने इस रिवायत में शबाबा की मुवाफ़िक़त की हो। यहया बिन सईद ने शबाबा की मुख़ालिफ़त की है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें: 1732.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहया और शबाबा का इख़्तिलाफ़ मतन के अल्फ़ाज़ में है। शबाबा ने इस रिवायत में वित्र का ज़िक्र किया है जबकि दरहक़ीक़त इमरान बिन हुसैन (ﷺ) की रिवायत ज़ुहर के बारे में है न कि वित्र के बारे में जैसा कि यहया बिन सईद ने आइन्दा हदीस में बयान किया है। इसकी तफ़सील इस तरह है कि शबाबा को दो वहम हुये हैं: एक ये कि उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा की रिवायत को इमरान बिन हुसैन की रिवायत क़रार दिया है और दूसरा ये कि इमरान बिन हुसैन की रिवायत को सही बयान किया है। इमरान बिन हुसैन की रिवायत वित्र के बारे में नहीं बल्कि ज़ुहर के बारे में है जेसा कि यहया बिन सईद ने बयान किया है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** मुअ़ल्लिफ़ (رحمه الله) इस रिवायत को बार बार (15 बार) सनद के मामूली इख़्तिलाफ़ात बयान करने के लिये लाये हैं। इन रिवायात की असानीद को बग़ौर देखने से वह इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो जाता है, जैसे: ये रिवायत कुछ

रावियों ने उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से, कुछ ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से और कुछ ने इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से बयान की है। वक़िस अ़ला हाज़ा मतन में भी इख़्तिलाफ़ है। आख़री दो रिवायतों में सिर्फ़ एक वित्र का ज़िक्र है जबकि बाक़ी तमाम में तीन वित्र का। (3) कुछ रिवायात में तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) कहने के बाद (रब्बुल मलाइकतिवर्रूह) का इज़ाफ़ा भी मन्क़ूल है। देखिये: (सुनन दारक़ुतनी, हदीस: 1644)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " مَنْ قَرَأَ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } " . قَالَ رَجُلٌ أَنَا . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا " .

(1745) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। (आप के पीछे) एक आदमी ने सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) (हल्की आवाज़ के साथ) पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: 'सूर-ए (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) किस ने पढ़ी?' एक आदमी ने कहा: मैंने आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हो रहा था कि कोई शख़्स मुझे इश्तेबाह में डाल रहा है।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 918.

फ़ायदा : जहरी नमाज़ में अस्ना-ए-क़िराअत इमाम के पीछे फ़ातिहा के सिवा क़िराअत करना मना है। सिर्री नमाज़ में ज़ाइद क़िराअत की जा सकती है मगर वह किसी को सुनाई न दे वरना शोर हो सकता है, और एक आदमी के ऊँचा पढ़ने से इमाम या साथियों को ख़ल्जान व इश्तेबाह हो सकता है और दूसरों को परेशान करना क़तअन जायज़ नहीं। क़िराअत के अलावा दीगर औराद व तस्बीहात भी दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए, अलबत्ता नमाज़ी अकेला हो तो मुनासिब आवाज़ से पढ़ सकता है। फ़र्ज़ हों या नफ़ल, नमाज़ सिर्री हो या जहरी और क़िराअत हो या तस्बीहात व औराद। वल्लाहु आलम!

باب:(٥١) الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ

बाब : (51) वित्र में दुआए क़ुनूत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ

(1746) हज़रत हसन (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ कलिमात सिखाये जिन्हें मैं क़ुनूते वित्र में पढ़ा करता हूँ: (अल्लाहुम्मह्दिनी फ़ीमन हदैत .... तबारक्ता रब्बना व तआलैत) 'ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दे उन लोगों

فِي الْقُنُوتِ " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " .

में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने हिदायत दी। और मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने आफ़ियत दी है। मेरा वली बन जा उन लोगों में शामिल फ़रमाकर जिनका तू वली बना। और मेरे लिये उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो तूने अता फ़रमाईं। और मुझे उस फ़ैसले के शर से बचा जो तूने फ़रमा रखा है। यक़ीनन तू फ़ैसले करता है और तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और यक़ीनन वह शख़्स ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू वली हो। ऐ हमारे रब! तू बड़ा बा'बरकत और बलन्द व बाला है।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 1465, तिर्मिज़ी, हदीस: 464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1442, तिर्मिज़ी, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, वन्नववी फ़िल्अज़्कार.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ قَالَ " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ " .

(1747) हज़रत हसन बिन अली (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये कलिमात वित्र में पढ़ने के लिए सिखाये। फ़रमाया: कहा (अल्लाहुम्मह् दिनी फ़ीमन हदैत .... व सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिन) ऐ अल्लाह! मुझे राहे रास्त पर चला उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने राहे रास्त पर चलाया और रखा। और मुझे आफ़ियत अता फ़रमा उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने आफ़ियत दी। और मेरा वली हो उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनका तू वली हुआ। और मेरे लिए उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो तूने अता फ़रमाईं। और मुझे उस फ़ैसले के शर और नुक़सान से बचा जो तूने फ़रमाया क्योंकि तू (जो चाहे)

फ़ैसले फ़रमाता है लेकिन तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और बिलाशुब्हा वह शख़्स ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू वली हो। ऐ हमारे रब! तू बा'बरकत और बलन्द व बाला है। और अल्लाह तआला नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर रहमतें फ़रमाये।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1443, अत्तहज़ीब: 5/284, इब्ने ख़ुज़ैमा: 1100.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये दो रिवायतें एक ही हदीस हैं, लिहाज़ा अल्फ़ाज़ की कमी बेशी का तदारुक एक दूसरे से हो सकता है। इसी तरह इस रिवायत की और असानीद भी हैं जिनमें कुछ मज़ीद अल्फ़ाज़ भी हैं, लिहाज़ा उनमें से जो अल्फ़ाज़ सही सनद के साथ मरवी हैं वह भी क़बूल किये जायेंगे। **(2)** मुस्तदरक हाकिम में सराहत है कि आपने फ़रमाया कि मैं वित्र की आख़री रकअत में रूकू से सर उठाने के बाद ये दुआ पढ़ूँ। देखिये: (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 3/172) लेकिन इन अल्फ़ाज़ के साथ ये रिवायत ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (असल सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ) लिल अल्बानी: 3/971, 972) इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा कुनूते वित्र को रुकू के बाद पढ़ना राजेह समझते हैं जबकि सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत में सराहत है कि आपने सिर्फ़ कुनूते नाज़िला रुकू के बाद पढ़ी है और कुनूते वित्र रुकू से पहले, इसलिये दूसरों के नज़दीक कुनूते वित्र का रुकू से पहले पढ़ना राजेह है। यही बात ज़्यादा सही है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1002, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 677) **(3)** दुआए कुनूत में नस्तग़फ़िरुका व नुतूबु इलैक के अल्फ़ाज़ भी मशहूर हैं, लेकिन ये अल्फ़ाज़ हदीस की किसी किताब में नहीं मिलते। तफ़्सील के लिए देखिये: (अल क़ौल अल मक़बूल फ़ी शरह व तालीक़ सलातुर्रसुल (ﷺ), हदीस: 586) इसलिए इनका पढ़ना सही नहीं। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ 'हिस्न हुसैन' में हैं जो हदीस की किताब नहीं है। **(4)** वसल्लल्लाहु अलन्नबी (ﷺ) मुहम्मद के अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी तमाम अल्फ़ाज़ ऊपर वाली रिवायत (1746) में भी मौजूद हैं जो कि सनदन सही है। ये अल्फ़ाज़ मरफ़ूअन ज़ईफ़ हैं, अलबत्ता उबय बिन कअब (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न कुनूते वित्र में इनका पढ़ना सही सनद से साबित है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1100) और दूसरे सहाबी-ए-रसूल अबू हलीमा अन्सारी (رضي الله عنه) से भी मौक़ूफ़न इनका सबूत मिलता है। (फ़ज़लुस् सलात अलन्नबी(ﷺ), रक़म: 107) लिहाज़ा इन अल्फ़ाज़ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये:(सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ) लिल अल्बानी, सफ़ा: 180)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

(1748) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी वित्र नमाज़ के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिरिज़ाक मिन सख़तिक ......) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे ग़ुस्से से बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ और तेरी सज़ा से बचने के लिये तेरी माफ़ी और आफ़ियत की पनाह चाहता हूँ और मैं तुझसे डरते हुये तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी मुकम्मल तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1427, , तिर्मिज़ी, हदीस: 3566, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1444, व सहीह हाकिम: 1/306.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा हदीस में ये सराहत नहीं कि इस दुआ का मक़ाम क्या है? तशह्हुद के आख़िर में या सलाम के बाद। मुअख़्ख़िरुज़्ज़िक्र मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। एक रिवायत में आपसे ये अल्फ़ाज़ बिस्तर पर लेटते वक़्त पढ़ने भी मन्क़ूल हैं। पीछे हदीस नम्बर 1101 में ये अल्फ़ाज़ तहज्जुद के सज्दे के दौरान में भी आपसे पढ़ने मन्क़ूल हैं। इमाम नसाई (ﷺ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह इस दुआ को क़ुनूते वित्र में समझते हैं। (अख़िरि वित्रिही) के ये माना भी मुमकिन है। लेकिन इब्ने क़य्यिम (ﷺ) की तहक़ीक़ में फ़ी आख़िरि वित्रिही से मुराद सलाम के बाद इन कलिमात का पढ़ना है। इनके बक़ौल सुनन नसाई की एक रिवायत में नमाज़ से फ़राग़त की तसरीह मिलती है। देखिये: (ज़ादुल मआद: 1/336) **(2)** क़ुनूते वित्र सारा साल ही जायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा आम रिवायात में दुआ-ए-वित्र का ज़िक्र नहीं मिलता। अगर आपसे इस दुआ के पढ़ने का बदस्तूर सबूत मिलता होता तो यक़ीनन मन्क़ूल भी होता, इससे पता चलता है कि दुआ-ए-वित्र कभी रह जाये या उसे छोड़ भी दिया जाये तो जायज़ है सज्द-ए-सहव की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस दुआ की हैसियत वजूब की नहीं। शैख़ अल्बानी (ﷺ) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से क़ुनूते वित्र का सबूत कभी कभार मिलता है। तफ़्सीली बहस के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (असल सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ): 3/968)

बाब : (52)
कुनूते वित्र में हाथ न उठाना

باب : (٥٢)
تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ . قُلْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ.

(1749) हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) इस्तेस्क़ाअ (बारिश की दुआ) के अलावा किसी भी दुआ में हाथ नहीं उठाते थे। (रावी-ए-हदीस़) शोबा ने कहा कि मैंने (अपने उस्ताद) स़ाबित (बुनानी) से कहा: क्या आपने ये रिवायत ख़ुद हज़रत अनस (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने कहा: सुब्हानल्लाह! मैंने फिर कहा: आपने उनसे सुनी है? उन्होंने फिर कहा: सुब्हानल्लाह (यानी क्या बग़ैर सुने बयान कर रहा हूँ?)

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 895, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1436.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा बाला हदीस़ से इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि इस हदीस़ का स़ही मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी और दुआ में इतने बलन्द हाथ नहीं उठाते थे जितने इस्तेस्क़ाअ में उठाते थे। इसमें आपने हाथ सर से भी ऊँचे कर लिये थे जबकि आम दुआ में हाथ सीने के बराबर होते हैं। अहादीस़ में आपका आम दुआओं में भी हाथ उठाना स़ाबित है। (2) कुनूते वित्र में हाथ उठाना नबी-ए-अकरम (ﷺ) से स़ाबित नहीं, इसलिए अफ़ज़ल और औला यही है कि कुनूते वित्र बग़ैर हाथ उठाये रुकू से पहले की जाये जैसा कि सुनन नसाई की हदीस़ (1700) में है, ताहम कुछ उ़लमा कुछ आस़ार के पेशे नज़र और कुनूते नाज़िला पर क़यास करते हुये कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने के जवाज़ के क़ाइल हैं क्योंकि कुनूते नाज़िला में नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दुआ के लिये हाथ उठाना स़ाबित हैं। वल्लाहु आलम! (3) यहाँ हाथ उठाने से मुराद दुआ के लिये हाथ उठाना है न कि मारूफ़ रफ़उल यदैन जो नमाज़ के शुरू में किया जाता है, मगर अहनाफ़ इसी रफ़उल यदैन के क़ाइल हैं। और कुनूते वित्र में अ़मलन रफ़उल यदैन करते भी हैं। ताज्जुब की बात है कि अहनाफ़ रुकू जाते और उठते वक़्त तो रफ़उल यदैन के क़ाइल नहीं (बल्कि इससे मना करते और नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी ख़याल करते हैं) हालांकि वह स़ही तरीन कस़ीर अहादीस़ से स़ाबित है और वित्र की दुआ के आग़ाज़ में रफ़उल यदैन के क़ाइल हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से स़ाबित नहीं। क्या ये रफ़उल यदैन नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी नहीं?

बाब : (53)
नमाज़े वित्र के बाद सज्दे की मिक़्दार?

باب : (۵۳)
قَدْرِ السَّجْدَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

(1750) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़ज्र तक रात में, फ़ज्र की दो सुन्नतों के अलावा, ग्यारह रकअ़त पढ़ा करते थे और आप इतना लम्बा सज्दा करते थे कि तुममें से एक शख़्स पचास आयात पढ़ सकता था।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 1123, व मुस्लिम, हदीस: 736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1445.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً .

फ़ायदा : हदीस में ये सराहत नहीं कि ये सज्दा वित्र से फ़राग़त के बाद होता था जैसा कि मुसन्निफ़(رحمه الله) ने समझा है बल्कि हक़ीक़त ये है कि ये रात की नमाज़ में किये जाने वाले सज्दों की तवालत का ज़िक्र है। सहीह बुख़ारी में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। उसमें ये वज़ाहत है कि ये क़यामुल लैल के सज्दों की बात है न कि वित्र के बाद की। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं: 'नबी-ए-अकरम(ﷺ) (रात के वक़्त) ग्यारह रकअ़तें पढ़ते थे। आपकी (रात की) नमाज़ यही थी। आप इस नमाज़ में सज्दा इतना (तवील) करते कि आपके सर मुबारक उठाने से पहले तुममें से कोई पचास आयात पढ़ ले।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1123) इसीलिए इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने इस हदीस पर बाबो तुलिस्सुजूदि फ़ी क़यामिल लैल) के नाम से उन्वान क़ाइम किया है।

बाब : (54) वित्र से फ़ारिग़ होने के बाद तस्बीह और इस हदीस में सुफ़ियान पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (۵۴)
التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوِتْرِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ فِيهِ.

(1751) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) वित्र की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

अहद) पढ़ा करते थे और सलाम फेरने के बाद तीन दफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1732, 33.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . خَالَفَهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدٍ .

(1752) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) के साथ वित्र पढ़ते थे और सलाम के बाद तीन दफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) फ़रमाते थे।

अबू नुऐम ने इन दोनों (क़ासिम और मुहम्मद बिन उबैद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को अन सुफ़ियान अन ज़ैद अन ज़र्र अन सईद की सनद से बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों अहादीस (1751 और 1752) में सुफ़ियान सौरी के शागिर्द बित्तर्तीब क़ासिम और मुहम्मद बिन उबैद हैं। इन दोनों ने ज़ुबैद और सईद के दरम्यान ज़र्र का वास्ता ज़िक्र नहीं किया, मगर आइन्दा हदीस में अबू नुऐम ने ये वास्ता ज़िक्र किया है। अबू नुऐम भी सुफ़ियान के शागिर्द हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(1753) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्रों में सूर-ए (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), सूरह (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे, फिर जब सलाम फेरने के बाद

उठने का इरादा फ़रमाते तो तीन दफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि हमारे नज़दीक अबू नुऐम, मुहम्मद बिन उ़बैद और इमाम क़ासिम बिन यज़ीद से ज़्यादा सिक़ा और मोतबर हैं। हमारे नज़दीक सुफ़ियान सौरी के शागिर्द इस हदीस़ में सक़ाहत के लिहाज़ से ये तर्तीब रखते हैं। यहया बिन सईद क़त्तान, अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ़ बिन जर्राह, अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी, अबू नुऐम और अस्वद। वल्लाहु आलम!

जरीर बिन हाज़िम ने भी इस हदीस़ को ज़ुबैद से बयान किया है। उन्होंने यूँ कहा है: तीसरी दफ़ा आप (ﷺ) ने अपनी आवाज़ को लम्बा भी किया और बलन्द भी।

(1753) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نُعَيْمٍ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ وَأَثْبَتُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ ثُمَّ الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَقَالَ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ .

(1754) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे। और जब सलाम फेरते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) फ़रमाते और तीसरी दफ़ा अपनी आवाज़ को खींचते थे और मज़ीद बलन्द फ़रमाते थे।

(1754) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1751, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1448.

أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ سَمِعْتُ زُبَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ.

(1755) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे और जब फ़ारिग़ होते तो (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) कहते। (क़तादा के शागिर्द) हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है। (यानी बराहेरास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत किया है। इसमें सहाबी अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा का ज़िक्र नहीं किया।)

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1751, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . أَرْسَلَهُ هِشَامٌ .

(1756) हज़रत सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) वित्र (में ये तीन सूरतें) पढ़ते थे ...... फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1751.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने सनदों का इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर करने के लिये इस हदीस को छ: दफ़ा ज़िक्र किया जिसकी तफ़्सील सनदें देख कर ही मालूम हो सकती है, जैसे: आख़री सनद में सहाबी का वास्ता नहीं जबकि बाक़ी सनदों में सहाबी का वास्ता है, वग़ैरह।

बाब : (55) वित्र और फ़ज्र की सुन्नतों के दरम्यान और नमाज़ भी जायज़ है

باب: (٥٥) إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(1757) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप कुल तेरह

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ

سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

रकआत पढ़ते थे। नौ रकअतें खड़े होकर जिनमें एक रकअत वित्र होती थी। दो रकअतें बैठ कर। जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े हो जाते और रुकू और सज्दे करते। ऐसा आप वित्र के बाद करते थे, फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो उठते और दो हल्की रकअतें पढ़ते।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 738/126, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1449, बुख़ारी: 619.

फ़ायदा: वित्र के बाद दो रकआत का मसला पीछे गुज़र चुका है। तफ़सील के लिये देखिये, हदीस: 1652.

باب : (٥٦)
الْمُحَافَظَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

बाब : (56)
नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअत सुन्नत पर पाबन्दी करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . خَالَفَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا .

(1758) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ज़ुहर से क़ब्ल चार रकअत (सुन्नते मुअक्कदा) और फ़ज्र से पहले दो रकअत सुन्नत नहीं छोड़ते थे।

ये हदीस बयान करने वाले शोबा के दूसरे शागिर्दों ने उस्मान बिन उमर की मुख़ालिफ़त की है, यानी उन्होंने (मुहम्मद बिन मुन्तशिर और हज़रत आयशा (﵂) के दरम्यान) मस्रूक़ का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज: **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1450

फ़ायदा : इमाम अबू जाफ़र तबरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का अक्सर अमल ज़ुहर से पहले चार रकअत का था। कभी कभार आप दो रकअत भी पढ़ लते थे। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, तहत शरह अल हदीस: 1182)

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1759) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर से पहले चार रकअत और फ़ज्र से पहले दो रकअत (सुन्नत) नहीं छोड़ते थे।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत दुरुस्त है और उस्मान बिन उमर की रिवायत ग़लत है। वल्लाहु आलम! (इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि इस रिवायत में मस्रूक़ का ज़िक्र दुरुस्त नहीं।)

(1759) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1451.

फ़ायदा : इस इख़्तिलाफ़ की मज़ीद तफ़्सील के लिये फ़तहुलबारी: 3/59, हदीस: 1182 मुलाहिज़ा की जा सकती है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

(1760) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ज्र की दो सुन्नतें दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 725, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1452.

फ़ायदा : दुनिया फ़ानी है और आख़िरत का सवाब बाक़ी, लिहाज़ा उनका कोई मुक़ाबला ही नहीं, यानी फ़ज्र की दो सुन्नतों का सवाब इस बात से बेहतर है कि उसे सारी दुनिया दे दी जाये, लिहाज़ा उन्हें सफ़र में भी न छोड़ा जाये।

بَاب : (٥٧) وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

बाब : (57) फ़ज्र की दो सुन्नतों का (मस्नून) वक़्त

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ

(1761) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से रिवायत है कि जब सुबह की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ के लिये जाने से पहले दो हल्की

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ .

रकअतें पढ़ा करते थे।

(1761) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

फ़ायदा : असल वक़्त यही है, अलबत्ता अगर किसी वजह से रह जायें तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(1762) हज़रत हफ़्सा (ﵞ) से मन्क़ूल है कि जब फ़ज्र अच्छी तरह रोशन हो जाती तो नबी(ﷺ) दो रकअतें पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

بَاب: (٥٨) الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

बाब : (58) फ़ज्र की दो सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

(1763) हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि जब मुअज़्ज़िन फ़ज्र की नमाज़ की अज़ान से फ़ारिग़ होता तो फ़ज्र वाज़ेह और रोशन होने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) उठते और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते, फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 626, मुस्लिम, हदीस: 736/122, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 1455.

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ कर लेटना नबी (ﷺ) का मामूल था। उसे बुढ़ापे की वजह से महज़ आराम कर लेना, क़रार नहीं दिया जा सकता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। उसकी तफ़्सील हदीस: 1727 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है।

बाब : (59)
जो शख़्स क़यामुल लैल (जिसकी उसे आदत थी) छोड़ दे, उसकी मज़म्मत

باب : (٥٩)
ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " .

(1764) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'तू फ़ुलां शख़्स की तरह न हो जाना जो पहले रात को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करता था, फिर उसने उसे छोड़ दिया।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1152, मुस्लिम, हदीस: 1159/182.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) सारी सारी रात क़याम करते थे। इसमें ख़तरा था कि जिस्म कमज़ोर हो जायेगा और वह सिरे से इबादत ख़ुसूसन रात की नमाज़ के क़ाबिल न रहेगा, इसलिए फ़रमाया कि रात को सोने के बाद कुछ देर के लिये तहज्जुद पढ़ा करो ताकि जिस्म कमज़ोर न पड़े। इस तरह रात का क़याम जारी रहेगा और तर्क की नौबत न आयेगी। नेकी शुरू करके फिर छोड़ देना नापसन्दीदा बात है। इससे बेहतर है कि नफ़ल नेकी थोड़ी मिक़्दार में की जाये जिस पर पाबन्दी और हमेशगी आसान हो। **(2)** लोगों को किसी ऐ़ब या कमज़ोरी से बचने का दर्स देने के लिये किसी मुअ़य्यन शख़्स का ज़िक्र न किया जाये जिसमें वह ऐ़ब पाया जाता हो। **(3)** नेकी के काम को छोड़ देना मुनासिब नहीं, अगरचे वह वजूब का दर्जा न भी रखता हो।

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " .

(1765) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्दुल्लाह! फ़ुलां शख़्स की तरह न हो जाना जो रात का क़याम (नफ़ल नमाज़) पढ़ा करता था, फिर उसने क़यामुल लैल छोड़ दिया।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1159/185, पिछली हदीस देखें।

बाब : (60) फ़ज्र की दो रकअ़त (सुन्नत) का (मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में नाफ़ेअ़ से इख़्तिलाफ़

باب: (٦٠) وَقْتِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1766) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की दो हल्की रकअ़तें पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 618, मुस्लिम, हदीस: 723/87.

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1767) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअ़तें पढ़ते थे।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि हमारे नज़दीक ये दोनों रिवायतें ग़लत हैं। वल्लाहु आलम!

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

फ़ायदा : दोनों रिवायतों से मुराद रिवायत 1766 और 1767 हैं। पहली रिवायत में ग़लती ये है कि नाफ़ेअ़ और हफ़्सा (ﷺ) के दरम्यान सफ़िया की बजाये हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का वास्ता चाहिये जैसा कि रिवायत नम्बर 1767 और माबाद रिवायात में है, यानी नाफ़ेअ़ के शागिर्द उनमें से सिर्फ़ अब्दुल हमीद बिन जाफ़र, नाफ़ेअ़ अ़न सफ़िया अ़न हफ़्सा के तरीक़ से रिवायत करता है। बाक़ी तमाम तलामिज़ा, जिनकी तादाद तक़रीबन नौ है, ये सब नाफ़ेअ़ और हफ़्सा (ﷺ) के दरम्यान इब्ने उ़मर(ﷺ) का वास्ता ज़िक्र करते हैं, हाँ अ़न सफ़िया अ़न हफ़्सा के बयान में हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह नाफ़ेअ़ की मुताबिअ़त करते हैं। वल्लाहु आलम! (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 18/154) और दूसरी रिवायत: 1767 में गलती ये है कि इसमें औज़ाई के शागिर्द शुऐब के बजाये यहया (बिन हम्ज़ा) दुरुस्त हैं जैसा कि आइन्दा रिवायत में मज़्कूर है। वल्लाहु आलम, ताहम जहाँ तक मसले का ताल्लुक़ है, वह सही है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1768) हज़रत हफ़्सा (﵂) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की अज़ान और नमाज़ के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।'

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ هُوَ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ .

(1769) हज़रत हफ़्सा (﵂) से मरवी है कि नबी (ﷺ) अज़ान और इक़ामत के दरम्यान फ़ज्र की दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

(1770) हज़रत हफ़्सा (﵂) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .

(1771) हज़रत हफ़्सा (﵂) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह (की नमाज़) से पहले दो रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

(1772) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) बताती हैं कि जब सुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह(ﷺ) सुबह की नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1773) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (ﷺ) बयान करती हैं कि जब मुअज़्ज़िन (अज़ान कह कर) ख़ामोश होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

(1774) मोमिनों की माँ हज़रत हफ़्सा (ﷺ) ने बतलाया: जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान कह कर ख़ामोश होता और सुबह ज़ाहिर हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ की इक़ामत से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1454.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ،

(1775) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझसे मेरी बहन हज़रत हफ़्सा(ﷺ)

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

ने बयान किया कि आप (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ा करते थे।

(1775) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

(1776) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से रिवायत है कि जब फ़ज्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1777) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जब फ़ज्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

फ़ायदा : फ़ज्र तुलूअ होने के बाद आम नवाफ़िल सूरज बलन्द होने तक मना हैं। सिर्फ़ सुबह की दो सुन्नतें ही मशरूअ हैं। फ़र्ज़ नमाज़ से पहले, वह अगर रह जायें तो नमाज़ के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं और कोई नफ़ल नमाज़ जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ . وَرَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ .

(1778) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मरवी है कि जब सुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़ज्र नमाज़ को जाने से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

ये रिवायत हज़रत सालिम ने भी (हज़रत नाफ़ेअ के बजाये) इब्ने उमर अन हफ़्सा की सनद से बयान की है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584.

फ़ायदा : अब तक ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ के वास्ते से ज़िक्र की गई है, लेकिन ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ के साथी हज़रत सालिम भी इसी सनद से बयान करते हैं अब उनकी रिवायत ज़िक्र की जा रही है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.

(1779) हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ा करते थे। और ये (फ़ेअल) फ़ज्र तुलूअ होने के बाद होता था। (यानी दो रकअतों की अदायगी)

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(1780) हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) ने बताया कि जब फ़ज्र रोशन हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअतें पढ़ते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 584.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) की रिवायत का ये सब्र आज़मा तकरार (15 दफ़ा) सनद के कुछ इख़्तिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। मुहद्दिसीन के लिये ये चीज़ बहुत अहम और मालूमात अफ़ज़ा होती है अगरचे आम आदमी इसे बेफ़ायदा समझता है। सनद के इख़्तिलाफ़ात सनदें देख कर मालूम हो सकते हैं। याद रहे इस इख़्तिलाफ़ से हदीस की हैसियत मजरूह नहीं होती क्योंकि हदीस सही सनद से महफ़ूज़ होती है। तकरार का मक़सद ये होता है कि कुछ दूसरे ज़ईफ़ रावियों ने सनद के बयान में जो ग़लतियाँ की हैं, वह वाज़ेह हो जायें। उनकी ग़लती से असल और सही सनद मजरूह नहीं होती, लिहाज़ा अवामुन्नास को ये इख़्तिलाफ़ देख कर परेशान नहीं होना चाहिए। हर तकरार में ये चीज़ मद्दे नज़र रहे। **(2)** ये बाब और मसला चन्द अबवाब पहले गुज़र चुका है। यहाँ दोबारा इस बाब का ज़िक्र सिर्फ़ मज़्कूरा हदीस की सनद का इख़्तिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(1781) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ा करते थे।

الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ .

(1781) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1757.

फ़ायदा : तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकअतों के बाद तो ये रकअतें वाक़िअतन हल्की ही मालूम होती हैं। अगरचे रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें भी सुकून व इत्मिनान से ठहर ठहर कर ही पढ़ते थे मगर आप क़िराअत हल्की करते थे, जैसे: (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ .

(1782) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है, उन्होंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप (ﷺ) तेरह रकआत पढ़ते थे। पहले आठ रकआत पढ़ते, फिर वित्र (एक रकअत) पढ़ते, फिर बैठ कर दो पढ़ते लेकिन जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े होकर रुकू फ़रमाते। और दो रकअतें सुबह की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान पढ़ते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 1757.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

(1783) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) जब सुबह की अज़ान सुनते तो फ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ते और उन्हें हल्का पढ़ते थे।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस मुन्कर है।

तख़रीज : **(सनद सही)** वलिल हदीस शवाहिद इन्द मुस्लिम, हदीस: 723/87 वग़ैरह

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये है कि ये हदीस इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से दुरुस्त नहीं बल्कि ये हज़रत आयशा (رضي الله عنها) और हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) से मरवी है चूंकि इसकी सनद में हबीब बिन अबी साबित मुदल्लिस हैं और मज़्कूरा रिवायत अन से बयान करते हैं। इस वजह से ये क़वी अन्देशा है

कि सनद में कोई गड़ बड़ हूई है। या इस सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से ये हदीस़ नहीं आती, कोई और आती है। (दोनों तौजीहात के फ़र्क़ को ग़ौर से समझा जाये।)

(1784) हज़रत साइब बिन यज़ीद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हज़रत शुरैह हज़रमी(ﷺ) का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया: 'वह क़ुर्आन को सिरहाना नहीं बनाता।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1305.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ، ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ رَجُلٌ لاَ يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये अल्फ़ाज़ मदह भी बन सकते हैं और मज़म्मत भी। मदह इस तरह कि वह क़ुर्आन की तौहीन नहीं करता कि उसे सिरहाने की तरह नीचे फैंक दे या उस पर सर रख ले बल्कि वह उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करता है और मज़म्मत इस तरह कि वह क़ुर्आन को सिरहाने की तरह लाज़िम नहीं पकड़ता, यानी पाबन्दी और हमेशगी से उसकी दिलजोई से तिलावत नहीं करता। (2) (ला यतसव्वदुल क़ुर्आन) का एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि क़ुर्आन उसके साथ सिरहाना नहीं बनता। (इस सूरत में क़ुर्आन फ़ाइल होगा) इस माना को भी तारीफ़ और मज़म्मत दोनों पर महमूल किया जा सकता है। तारीफ़ और मदह इस तरह कि क़ुर्आन हिफ्ज़ करने के बाद वह सोया नहीं रहता कि क़ुर्आन सिरहाना, यानी नींद का ज़रिया बन जाये बल्कि वह क़ुर्आन के साथ जागता है, यानी उसे पढ़ता है और उसे याद रखता है। और मज़म्मत इस तरह कि उसे क़ुर्आन हिफ़्ज़ नहीं और वह उसे पढ़ता नहीं कि जब वह सोये तो सिरहाने की तरह क़ुर्आन भी उसके साथ हो। (3) इस रिवायत का बाब, यानी फ़ज्र की सुन्नतों के वक़्त से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता रात की नमाज़ से ताल्लुक़ है कि वह क़ाबिले तारीफ़ चीज़ है और रात की नमाज़ से सोये रहना क़ाबिले मज़म्मत है। रात की नमाज़ तमाम गुज़िश्ता नेक लोगों का दस्तूर और मामूल रहा है।

बाब : (61)
जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो, कभी उस पर नींद ग़ालिब आ जाये और वह न पढ़ सके तो?

باب : (٦١)
مَنْ كَانَ لَهُ صَلاَةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عِنْدَهُ رِضًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ " .

(1785) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि उन्हें उनके नज़दीक पसन्दीदा शख़्स ने बताया कि उनको हज़रत आयशा (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को रात को नफ़ल नमाज़ पढ़ने की आदत हो, फिर किसी दिन उस पर नींद ग़ालिब आ जाये (और वह नफ़ल नमाज़ न पढ़ सके) तो अल्लाह तआला (उस दिन भी) (मामूल की) नमाज़ का अज्र उसके लिये लिख देता है और उसकी नींद उसके लिये (अल्लाह तआला की तरफ़ से) सदक़ा बन जाती है।'

तख़रीज: **(सनद सही)** अबू दाऊद: 1314, मोता: 1/117 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1457, अगली हदीस देखें।

फ़ायदा : सनद में मज़्कूर 'पसन्दीदा शख़्स' हज़रत अस्वद बिन यज़ीद हैं। आइन्दा हदीस की सनद में इसकी सराहत है।

बाब : (62)
पसन्दीदा शख़्स का नाम

باب : (٦٢)
اسْمِ الرَّجُلِ الرِّضَا

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

(1786) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी की कोई मुक़र्रर शुदा नमाज़ हो जिसे वह लाज़िमन रात को पढ़ता हो लेकिन किसी दिन (इत्तेफ़ाक़न) वह सोया रहा (और उसे न पढ़

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلاَةٌ صَلاَّهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ " .

सका) तो नींद उसके लिये सदक़ा होगी जो अल्लाह तआला ने उस पर किया है और वह उसके लिये उसकी (मुक़र्ररा) नमाज़ का सवाब लिखेगा।'

(1786) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1458.

फ़ायदा : साबिक़ा हदीस की सनद में हज़रत सईद बिन जुबैर और हज़रत आयशा (ﷺ) के दरम्यान एक शख़्स का वास्ता था जिसका नाम ज़िक्र करने के बजाये सिर्फ़ 'पसन्दीदा शख़्स' कहा गया, मज़्कूरा हदीस में उसका नाम मज़्कूर है, और वह है अस्वद बिन यज़ीद, लिहाज़ा ये उन्वान क़ाइम किया।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ

(1787) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फिर उसी तरह बयान किया जैसे पहले बयान हुआ है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं इस हदीस की सनद में एक रावी अबू जाफ़र राज़ी है जो इल्मे हदीस में क़वी और मोतबर नहीं।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) गोया अबू जाफ़र राज़ी के वास्ते से मन्क़ूल इस तरीक़ की तज़्ईफ़ फ़रमा रहे हैं, लेकिन इससे सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती क्योंकि इसके शवाहिद मिलते हैं। वल्लाहु आलम!

باب : (٦٣) مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ فَنَامَ

बाब : (63) जो आदमी सोते वक़्त क़ियामुल लैल की नियत रखता हो मगर वह (गहरी नींद) सोया रहा

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي

(1788) हज़रत अबू दर्दा (ﷺ) से रिवायत है और वह उसे नबी (ﷺ) तक पहुँचाते थे, आपने फ़रमाया: 'जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक़्त नियत रखता हो कि रात को (नमाज़े तहज्जुद के लिये) उठेगा लेकिन उसे गहरी नींद आ गई और

الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ." مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . خَالَفَهُ سُفْيَانُ .

वह सुबह तक सोया रहा तो उसके लिये उस नमाज़ का सवाब लिखा जायेगा जिसकी उसने नियत की और उसकी नींद उसके रब (ﷻ) की तरफ़ से उस पर नवाज़िश होगी।'

सुफ़ियान ने इस रिवायत में हबीब बिन अबी साबित की मुख़ालिफ़त की है।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1459.

फ़ायदा : हबीब ने ये रिवायत मरफ़ूअ (फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ)) बयान की थी जबकि सुफ़ियान उसे मौक़ूफ़ (सहाबी का फ़रमान) बयान करते हैं। दूसरे सुफ़ियान ये रिवायत शक के साथ बयान करते हैं, और सुनन नसाई के तमाम नुस्ख़ों में अन अबी ज़र्र अबी अद्दर्दा है ये सनद में तस्हीफ़ है। दुरुस्त बजाये वाव के अव है, यानी शक के साथ, जैसा कि अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई में है: (1/457) सुनन कुब्रा में सुफ़ियान सौरी के साथ सुफ़ियान बिन उयय्ना भी हैं, गोया दोनों ही हबीब बिन अबी साबित की मज़्कूरा मुख़ालिफ़ात में शरीक हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/171, 172) ये वज़ाहत तो सनदी इख़्तिलाफ़ की थी। रही सेहते हदीस तो बिला शक मतने हदीस क़ाबिले हुज्जत है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ये रिवायत मौक़ूफ़न असहह (ज़्यादा सही) है, लेकिन चूंकि इसमें रावी के इज्तेहाद और राय का दुख़ूल नहीं, इसलिए हुक्मन मरफ़ूअ है, और उसके शवाहिद भी मिलते हैं। इसकी तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल ग़लील लिल अल्बानी, रक़्म अल हदीस: 454)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، مَوْقُوفًا.

(1789) सुफ़ियान सौरी ने इस रिवायत को हज़रत अबू ज़र्र और हज़रत अबू दर्दा (رضي الله عنه) का अपना क़ौल (यानी मौक़ूफ़) बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1470, पिछली हदीस देखें।

बाब : (64) जो शख़्स रात की मामूल की नमाज़ से सोया रहा या किसी तक्लीफ़ की वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को कितनी रकआत पढ़े?

باب: (٦٤) كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(1790) हज़रत आयशा (﵂) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को नफ़्ल न पढ़ सकते, यानी नींद या तक्लीफ़ का ग़ल्बा हो जाता तो दिन को बारह रकआत पढ़ते।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 746/140, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1461.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन ग्यारह रकआत पढ़ते थे, लेकिन जब कभी मज़्कूरा वजूहात की बिना पर रात को ये नमाज़ न पढ़ सकते तो दिन के वक़्त ग्यारह की बजाये एक रकअत का इज़ाफ़ा फ़रमा कर उनको जुफ़्त बना लेते और बारह रकआत पढ़ लेते। अगर ग्यारह की बजाये दस पढ़ते तो नवाफ़िल में कमी रह जाती लेकिन आपने कमी को पसन्द नहीं फ़रमाया।

बाब : (65) जो शख़्स रात को अपनी मुक़र्ररा नफ़्ल नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा तो वह कब उसकी अदायगी करे?

باب: (٦٥) مَتَى يَقْضِي مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، مِنَ اللَّيْلِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ

(1791) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात को अपनी मुक़र्रर शुदा मुकम्मल या कुछ नमाज़ से सोया रहा (न पढ़ सका) फिर वह उसे फ़ज्र की नमाज़ (तुलूए शम्स) से नमाज़े ज़ुहर तक पढ़ ले तो उसका सवाब यूँ लिखा जायेगा गोया उसने रात को पढ़ी।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 747, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1462.

مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ
الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

फ़ायदा : अलबत्ता दो चीज़ें मल्हूज़ रखे। वक़्त नफ़ल नमाज़ के लिये मक्रूह न हो और ताक़ की बजाये एक रकअत ज़ाइद करके जुफ़्त पढ़े। ये तब है जब रात के नवाफ़िल की अदायगी करनी हो, लेकिन अगर सिर्फ़ वित्र की अदायगी ही मक़सूद है तो ताक़ वित्र पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أَوْ قَالَ جُزْئِهِ - مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

(1792) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात को अपनी मामूल की मुकम्मल या कुछ नफ़ल नमाज़ से सोया रहा, फिर उसने उसे सुबह की नमाज़ (का वक़्त ख़त्म होने और मकरूह वक़्त गुज़रने के बाद) से ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ लिया तो यूँ समझो, उसने रात ही को पढ़ी।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1464.

फ़ायदा : यानी सवाब के लिहाज़ से । और ये अल्लाह तआला की करम नवाज़ी है, और मालूम हुआ कि रात को नमाज़ (नफ़ल) पढ़ने का सवाब दिन को पढ़ने से बहुत ज़्यादा है अलावा माज़ूर शख़्स के।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ . رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوفًا .

(1793) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स से रात की मुक़र्ररा (नफ़ल) नमाज़ रह गई और उसने ज़वाले शम्स से लेकर ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ ली तो यूँ समझो कि वह नमाज़ उससे नहीं रही बल्कि गोया उसने बरवक़्त पढ़ ली।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) के बेटे हुमैद ने इसे मौक़ूफ़ बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मोता: 1/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1465.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सूद ये है कि आइन्दा रिवायत में यही अल्फ़ाज़ हुमैद की तरफ़ मन्सूब हैं। हुमैद ताबेई हैं और ताबेई के क़ौल व फ़ेअ़ल को मक़्तूअ़ कहा जाता है, गोया यहाँ मौक़ूफ़ से मक़्तूअ़ मुराद है। (2) हमारे नुस्ख़े के मुताबिक़ इबारत का बज़ाहिर वही मफ़हूम है जो ज़िक्र हुआ। ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नासाई: (18/178) के नुस्ख़े में हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान हज़रत उ़मर(ﷺ) से बयान करते हैं, अगर ये इज़ाफ़ा दुरुस्त है तो फिर मौक़ूफ़ अपने इस्तेलाही माना में मुस्तामल है। वल्लाहु आ़लम! (3) ज़रूरी नहीं नमाज़ ही मुराद हो बल्कि क़ुर्आन मजीद या ज़िक्र व दरूद भी मुराद हो सकता है और उसका हुक्म भी यही है। (4) इस रिवायत में ज़वाले शम्स का लफ़्ज़ किसी रावी की ग़लती है, तुलूअ़े शम्स चाहिये जैसे पहली रिवायात में है। (5) बाब के तहत इन तीन रिवायात में फ़र्क़ ये है कि पहली और दूसरी रिवायत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब है और आख़री हज़रत उ़मर (ﷺ) की तरफ़ और आइन्दा रिवायत सहाबी की बजाये ताबेई (हुमैद) की तरफ़ मन्सूब है। पहली को मरफ़ूअ़ दूसरी को मौक़ूफ़ और तीसरी को मक़्तूअ़ कहते हैं।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلاَةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ .

(1794) हज़रत हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि जिस आदमी का रात का मुक़र्ररा विर्द (ज़िक्र, क़ुर्आन या नमाज़) रह जाये तो वह उसे ज़ुहर की नमाज़ से पहले किसी (नफ़ल) नमाज़ में पढ़ ले तो ये नमाज़ भी रात की नमाज़ के बराबर ही मुतसव्विर होगी। (मानी जायेगी)

तख़रीज : (सनद सही) मक़्तूअ़, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1466, पिछली हदीस देखें: 1791.

بَاب: (٦٦) ثَوَابِ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي ذَلِكَ وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ

बाब : (66) जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अ़लावा बारह रकआ़त (सुन्नत) पढ़े, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इस बारे में हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) की रिवायत नक़ल करने वालों का इख़्तिलाफ़, और हज़रत अ़ता के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

फ़ायदा : हज़रत अ़ता ने इस रिवायत को कहीं हज़रत आयशा (ﷺ) से बयान फ़रमाया है और कहीं हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से। कभी अपने और उम्मे हबीबा के दरम्यान वास्ते का ज़िक्र मज्हूल किया है और कहीं नाम लिया है। ये इख़्तिलाफ़ दरअसल उनके शागिर्दों में है। किसी ने एक तरह बयान किया किसी ने दूसरी तरह

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .

(1795) हज़रत आयशा (﵂) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दिन और रात में बारह रकआत (सुन्नत) पर पाबन्दी करेगा, वह जन्नत में दाख़िल होगा। (उनकी तर्तीब यूँ है:) ज़ुहर से पहले चार और बाद में दो, मग़रिब के बाद दो, इशा के बाद दो और फ़ज्र (की नमाज) से पहले दो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 414, व इब्ने माजा, हदीस: 1140, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1467.

फ़ायदा : उन्हें सुनने मुअक्कदा कहा जाता है क्योंकि नबी (ﷺ) ने उन्हें पाबन्दी से पढ़ा है। अगर कभी कुछ रह गईं तो उनकी क़ज़ा दी है, लिहाज़ा उनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सुन्नते मुअक्क़दा को बिला उज़्र छोड़ देना क़ाबिले मलामत है। उज़्र से मुराद सफ़र, मर्ज़ या शदीद मसरूफ़ियत वग़ैरह है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .

(1796) हज़रत आयशा (﵂) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बारह रकआत पर पाबन्दी और हमेशगी करेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा। (उनकी तर्तीब यूँ है:) ज़ुहर से पहले चार और बाद में दो, मग़रिब की नमाज़ के बाद दो, इशा के बाद दो और फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो।'

तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

(1797) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना है: 'जो शख़्स दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1802.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَكَعَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "

(1798) हज़रत इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अता से कहा: मुझे ये बात पहुँची है कि आप जुमे से पहले बारह रकआत पढ़ते हैं। इस सिलसिले में आपको कौन सी रिवायत पहुँची है? उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया है कि हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) ने हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान को कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह(عزوجل) उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1468, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ أُخْبِرْتُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ رَكَعَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

फ़ायदा : इन बारह रकआत से रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुराद गुज़िश्ता अहादीस में गुज़र चुकी है। हज़रत अता ने इसे आम समझा मगर ये दुरुस्त नहीं।

(1799) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स एक दिन में बारह रकआत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह (عزوجل) उसके

أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي

سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَنْبَسَةَ .

लिये जन्नत में घर बनायेगा।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رَحِمَهُ اللهُ) फ़रमाते हैं कि हज़रत अ़ता ने अ़म्बसा से नहीं सुना। (जैसा कि आइन्दा रिवायत से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि दरम्यान में हज़रत यअ़्ला बिन उमैया का वास्ता है।)

(1799) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1469.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . خَالَفَهُمْ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ .

(1800) हज़रत यअ़्ला बिन उमैया फ़रमाते हैं कि मैं ताइफ़ में आया तो हज़रत अ़म्बसा बिन अबू सुफ़ियान के पास गया जबकि वह क़रीबुल मौत थे। मैंने उनमें घबराहट महसूस की तो मैंने कहा: (मत घबराइये) आप नेकी पर क़ाइम हैं (या इन्शाअल्लाह आपसे अच्छा सुलूक होगा) उन्होंने फ़रमाया: मुझे मेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दिन रात में बारह रकआ़त (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा।'

अबू यूनुस क़ुशैरी ने इन सबकी मुख़ालिफ़त की है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1470, अगली हदीस देखें: 1802.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अबू यूनुस क़ुशैरी हज़रत अ़ता के शागिर्द हैं। उन्होंने हज़रत अ़ता बिन अबी रबाह का उस्ताद शहर बिन हौशब ज़िक्र करके हज़रत अ़ता के दूसरे शागिर्दों की मुख़ालिफ़त की है जिनकी रिवायात अभी गुज़री हैं। दूसरा फ़र्क़ ये है कि अबू यूनुस ने रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। गोया रिवायत मरफ़ूअ़ के बजाये मौक़ूफ़ ज़िक्र की जबकि दूसरे शागिर्द इसे मरफ़ूअ़ बयान करते हैं। **(2)** यानी वह जन्नत में दाख़िल होगा वरना घर का क्या फ़ायदा? और उम्मीद है कि अव्वलीन तौर पर दाख़िल होगा वरना मुत्लक़ दुख़ूल तो महज़ ईमान की बिना पर भी है। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، قَالاَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(1801) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जो आदमी एक दिन में बारह रकआत पढ़े। ज़ुहर से पहले (चार, बाद में दो, मग़रिब के बाद दो, इशा के बाद दो और फ़ज्र से पहले दो) तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में एक घर बनायेगा।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1471.

फ़ायदा : 'ज़ुहर से पहले' ये माना इस हदीस को दूसरी हदीस के मुताबिक़ करने के लिए किया गया है।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلاَّهُنَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ " .

(1802) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बारह रकआत ऐसी हैं कि जो शख़्स इन्हें (पाबन्दी से) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बना देगा। चार रकआत ज़ुहर से पहले और दो बाद में, मग़रिब की नमाज़ के बाद दो रकआत, इशा की नमाज़ के बाद दो रकआत और फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो रकआत।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1472.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ

(1803) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा। ज़ुहर से पहले चार, बाद में दो, अस्र से पहले दो, मग़रिब के बाद दो और सुबह की नमाज़ से पहले दो।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (सनद में मज़्कूर रावी) फुलैह बिन सुलैमान क़वी नहीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 415, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1479, इब्ने माजा, हदीस: 1142, देखें हदीस: 96.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इस रिवायत में इशा के बाद दो की बजाये अस्र से पहले दो का ज़िक्र रावी की ग़लती है और वह फुलैह बिन सुलैमान है जो ज़ईफ़ है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने इसे 'वह क़वी नहीं' कहा है, इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी सही में इसे मुताबिआत में क़बूल किया है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، أَخِي أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(1804) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि जो शख़्स दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा बारह रकआत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जायेगा: ज़ुहर से पहले चार, बाद में दो, अस्र से पहले दो, मग़रिब के बाद दो और सुबह से पहले दो।'

(1804) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1473.

بَابٌ : (٦٧)
الِاخْتِلَافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

बाब : (67)
इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي

(1805) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दिन और रात में बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत

سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

में घर बनाया जायेगा।'

(1805) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1141, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1474, मुस्लिम, हदीस: 728.

फ़ायदा : इस्माईल के शागिर्द यज़ीद बिन हारून ने इस रिवायत को मरफ़ूअ बयान किया है जबकि यअ्ला और अब्दुल्लाह ने इसे मौक़ूफ़ बयान किया है जैसा कि आइन्दा तीन रिवायात से साफ़ ज़ाहिर है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(1806) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जो शख़्स रात और दिन में फ़र्ज़ों के अलावा बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1475.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، وَحِبَّانُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . لَمْ يَرْفَعْهُ حُصَيْنٌ وَأَدْخَلَ بَيْنَ عَنْبَسَةَ وَبَيْنَ الْمُسَيَّبِ ذَكْوَانَ .

(1807) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जो शख़्स दिन और रात में फ़र्ज़ों के अलावा बारह रकआत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह(ﷻ) उसके लिये जन्नत के अन्दर घर बनायेगा। हुसैन ने इस हदीस को मरफ़ूअ बयान नहीं किया, और उसने अम्बसा और मुसय्यब के दरम्यान ज़कवान का वास्ता बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُمَّ

(1808) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) बयान करती हैं कि जो शख़्स एक दिन में बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1476.

حَبِيبَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ، مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

(1809) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी एक दिन में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' या (फ़रमाया:) 'उसके लिये जन्नत में घर बना दिया जायेगा।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 6/326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1477.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

(1810) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स एक दिन रात में बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।'

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

(1811) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जो आदमी दिन में बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें।

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

(1812) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दिन में फ़र्ज़ों के अलावा बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह तअला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।'

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ سِوَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं (यानी इसमें हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का ज़िक्र सही नहीं है बल्कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा (ﷺ) का ज़िक्र सही है। और इस हदीस का एक रावी) मुहम्मद बिन सुलैमान ज़ईफ़ है। वह इब्ने अल अस्बहानी है। ये रिवायत इस सनदे (मज़्कूरा) के अलावा कई सनदों से बयान की गई है मगर उनमें मज़्कूरा अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

(1812) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1142, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1478.

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ " . فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ .

(1813) हज़रत हस्सान बिन अ़तिया से मन्क़ूल है कि जब हज़रत अ़म्बसा बिन अबू सुफ़ियान की वफ़ात क़रीब हुई तो वह तड़पने लगे। उनसे कहा गया (यानी उनको तस्कीन दी गई) तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) को नबी (ﷺ) से ये बयान फ़रमाते हुये सुना है: 'जिस शख़्स ने ज़ुहर से पहले चार रकआ़त और ज़ुहर के बाद चार रकआ़त पढ़ीं, अल्लाह तआ़ला उसका गोश्त आग पर हराम कर देगा।' जबसे मैंने ये रिवायत सुनी है, मैंने ये रकआ़त नहीं छोड़ीं।

(1813) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1480.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

(1814) हज़रत अ़म्बसा बिन अबू सुफ़ियान बयान करते हैं कि मुझे नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा और मेरी हमशीरा हज़रत उम्मे हबीबा(ﷺ) ने बयान किया कि मेरे महबूब

الشَّام - عَنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَبِيبَهَا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ أَخْبَرَهَا قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

अबुल क़ासिम (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जो भी मोमिन शख़्स ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़ता है तो इन्शाअल्लाह कभी भी उसके चेहरे को आग नहीं छूएगी।'

(1814) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 428.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ" .

(1815) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार रकआत (पाबन्दी से) पढ़ेगा तो अल्लाह तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1269.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، - قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ - قَالَتْ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ

(1816) हज़रत मरवान ने कहा कि जब ये रिवायत (अम्बसा अन उम्मे हबीबा अनिन नबी(ﷺ)) हमारे उस्ताद सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ पर पढ़ी जाती थी तो वह इसका इन्कार नहीं करते थे बल्कि इसे बरक़रार रखते थे। लेकिन जब वह ख़ुद ये रिवायत बयान फ़रमाते थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र नहीं फ़रमाते थे बल्कि कहते थे कि हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़े, अल्लाह तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा।

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا .

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हज़रत मक्हूल ने हज़रत अम्बसा से कुछ नहीं सुना। (यानी ये रिवायत मुन्क़तअ है।)

(1816) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1481.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَخَذَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ " .

(1817) हज़रत सुलैमान बिन मूसा बयान करते हैं कि जब हज़रत मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान को मौत आने लगी तो उन्हें बड़ी घबराहट और बेक़रारी लाहिक़ हो गई। उन्होंने फ़रमाया: मुझे मेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान (رضي الله عنها) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार रकआत पर पाबन्दी करे, अल्लाह तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देता है।'

(1817) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1482.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1818) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार और ज़ुहर के बाद चार रकआत (पाबन्दी से) पढ़ेगा, उसे आग न छूएगी।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस ग़लत है। सहीह हदीस मरवान की है जो वह सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान करते हैं।

(1818) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 427, इब्ने माजा, हदीस: 1160.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने कहा है कि ये अल्फ़ाज़ हदीस नम्बर 1817 के बाद होने चाहिए, यानी हदीस नम्बर 1817 में मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान का ज़िक्र दुरुस्त नहीं है, उनके बजाये अम्बसा

बिन अबी सुफ़ियान दुरुस्त है जैसा कि मरवान की हदीस़ (नम्बर 1815, 1816) में है। अगर ये अलफ़ाज़ यहीं दुरुस्त हों (यानी हदीस़ नम्बर 1818 के बाद) तो, फिर ये मतलब हो सकता है कि इस हदीस़ की मज़्कूरा सनद (अ़ब्दुल्लाह शुऐशी अ़न अम्बसा) के बजाये मरवान वाली हदीस़ की सनद (मक्हूल अ़न अम्बसा) ज़िक्र होनी चाहिए। वल्लाहु आलम! **(2)** इमाम नसाई(رحمه الله) ने हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) की रिवायत की मुख़्तलिफ़ (24) सनदें ज़िक्र की हैं। कुछ रावियों की ग़लतियाँ ज़ाहिर करने के लिये उनको ये तवील तकरार करनी पड़ी, जैसे: कुछ रावियों ने इसे बजाये हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से बयान कर दिया, कुछ ने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का ज़िक्र कर दिया। लेकिन ये उनकी ग़लती है। ये रिवायत हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से है। इसी तरह सही ये है कि ये रिवायत मरफ़ूअ है, यानी नबी (ﷺ) का फ़रमान है। कुछ रावियों ने इसे हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) का अपना क़ौल बयान कर दिया। इसके अलावा भी सनदों में कुछ इख़्तिलाफ़ात हैं जो तमाम असानीद को बग़ौर देखने से समझ में आ सकते हैं। इस सिलसिले में फ़ायद-ए-हदीस़ नम्बर 1780 मद्दे नज़र रखा जाये ताकि कुछ ग़लत फ़हमियों से बचाव हो सके। **(3)** सुनने मुअक्कदा की पाबन्दी के साथ अदायगी से जन्नत का दुख़ूले अव्वलीन या आग की हुरमत मशरूत है कि उसने कोई ऐसा गुनाह न किया हो जो नाक़ाबिले माफ़ी हो, जैसे: शिर्क, इसी तरह हुक़ूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी इतनी नेकियाँ बच जायें जो अव्वलीन तौर पर जन्नत में ले जायें, और ये सवाब उस काम का इन्फ़िरादी सवाब है, जब साथ गुनाह भी हों तो ज़ाहिर है उनकी मुक़र्ररा सज़ा से भी मफ़र नहीं। मज्मूई तौर पर सवाब ग़ालिब आ जाये या अज़ाब, ये अलग बात होगी। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला ने क़सम खा रखी है कि ज़रूर जहन्नम में ले जायेंगे, लिहाज़ा आख़री फ़ैसला तमाम नेकियों और बुराईयों की जज़ा व सज़ा को मिलाने ही से होगा, और किसी एक हदीस़ को बाक़ी अहादीस़ पर ग़ालिब नहीं किया जा सकता बल्कि तमाम अहादीस़ को मिला कर ही नतीजा अख़्ज़ किया जा सकता है। **(4)** आख़री अहादीस़ में सिर्फ़ ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार रकआत ही का ज़िक्र किया गया है। गोया ये हदीस़ पहली अहादीस़ से मुख़्तलिफ़ है जिनमें बारह रकआत का ज़िक्र है। बारह रकआत सुनन पढ़ने पर दुख़ूले जन्नत की ज़मानत दी गई है और ज़ुहर की नमाज़ से पहले और बाद चार चार रकआत पढ़ने पर आग की हुरमत का ज़िक्र किया गया है और ये दोनों अलग अलग मानी हैं। **(5)** इशा और अ़स्र की नमाज़ों से पहले चार, चार रकआत का ज़िक्र कभी कुछ रिवायात में है और उनकी फ़ज़ीलत भी वारिद है जबकि इशा से पहले चार रकआत सुन्नत की रिवायत ज़ईफ़ है। अ़स्र से पहले चार रकआत की अदायगी पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसी दुआ है। ग़र्ज़ ये चार रकआत ज़रूरी या मुअक्कदा नहीं सिर्फ़ मुस्तहब हैं। वल्लाहु आलम! **(6)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने तो बारह रकआत वाली रिवायात ही ज़िक्र फ़रमाई हैं। कुछ रिवायात में बारह के बजाये दस रकआत पर यही सवाब बयान किया गया है। इनमें ज़ुहर से पहले चार के बजाये दो रकआत का ज़िक्र है। गोया कभी कभार अगर दो ही पर इक्तेफ़ा कर लिया जाये तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर मामूल चार रकआत ही होना चाहिए।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इस्लाम एक आलमगीर मज़हब और मुकम्मल ज़ाब्त-ए-हयात है जिस तरह इसने ज़िन्दगी गुज़ारने के तौर तरीक़े समझाये हैं, उसी तरह मरने के बाद के अहकाम भी सिखाये हैं। हर शोब-ए ज़िन्दगी में मुकम्मल रहनुमाई और हर मसले का जामेअ और अहसन हल इसकी आलमगीरियत की बय्यन दलील है। ये किताब आदमी के फ़ौत होने के बाद पेश आने वाले मसाइल पर मुश्तमिल है। इसमें इमाम नसाई (رحمه الله) ने जनाज़े के मसाइल तफ़्सील से बयान किये हैं। तफ़हीमे मसाइल और सहूलते इस्तेफ़ादा के लिये चन्द बुनियादी अहकाम इज्मालन इब्तेदा में पेश किये जा रहे हैं।

✧ **एयादत:** बीमारपुर्सी एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ है। ये बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये जाता है तो वह वापस लौटने तक जन्नत के बाग़ों में रहता है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2568)

हज़रत अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की दिन के अव्वल हिस्से में एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये शाम तक रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जो मुसलमान दिन के आख़री हिस्से में एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये सुबह तक रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसके लिये बहिश्त में बाग़ है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 969) मज़्कूरा अहादीस से और इस मौज़ूअ की दीगर अहादीस से मालूम होता है कि मरीज़ की एयादत करनी चाहिए क्योंकि ये बाइसे अज्र है, और इससे मरीज़ को तसल्ली मिलती है। एयादत के मौक़े पर मस्नून दुआएँ पढ़नी चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) से तीमारदारी के मौक़े पर मुख़्तलिफ़ दुआएँ मन्क़ूल हैं, उनमें से कोई भी पढ़ी जा सकती है। चन्द दुआएँ पेशे ख़िदमत हैं:

(1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये जाता है और उसके सर के पास बैठ कर सात मर्तबा ये कलिमात पढ़ता है तो वह शिफ़ायाब हो जाता है मगर ये कि उसकी मौत का वक़्त आ चुका हो। (अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अंय्यशफ़ियक) 'मैं बुज़ुर्ग व बर्तर अल्लाह, अर्शे अज़ीम के रब से सवाल करता हूँ कि वह तुझे शिफ़ा से नवाज़े।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3106)

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: **रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी मरीज़ की एयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: (ला बास तहूरुन इन्शाअल्लाहु तआला) 'कोई हर्ज नहीं (ग़म न कर) अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो (यही बीमारी तुझे गुनाहों से) पाक करने वाली है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5656)

(3) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि **नबी-ए-अकरम (ﷺ) मरीज़ (के जिस्म) पर अपना दायाँ हाथ फेरते और ये दुआ पढ़ते थे: (अज़्हिबिल्बास रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़्मा) 'ऐ इन्सानों के रब! बीमारी को दूर कर और शिफ़ा दे। तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा (दे) जो किसी बीमारी को नहीं छोड़ती।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5750, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2191)

✧ **मौत की आरज़ू करना:** मौत की आरज़ू करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मौत की तमन्ना न करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 7235)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मौत की आमद से पहले मौत की तमन्ना करो न मौत की दुआ करो क्योंकि जब कोई शख़्स मर जाता है तो उसकी (नेकी करने की) उम्मीद ख़त्म हो जाती है और मोमिन की लम्बी उम्र उसे नेकियों ही में आगे बढ़ाती है।'** (सहीह मुस्लिम 2682)

हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुममें से किसी को उस मुसीबत व तक्लीफ़ की वजह से जो उस पर नाज़िल हुई हो, मौत की तमन्ना हरगिज़ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर उसकी तमन्ना ज़रूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिए: (अल्लाहुम्मा! अह्यिनी मा कानतिल हयातु ख़ैरन ली, व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु ख़ैरन ली) 'ऐ अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख जब तक मेरी ज़िन्दगी मेरे लिये ख़ैर का बाइस हो और जब मेरे लिये वफ़ात बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे।'**

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 5671, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2680)

✧ **ख़ुदकुशी:** ख़ुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स अपने आपको गला घोंट कर मारता है, वह जहन्नम में अपना गला घोंटता रहेगा और जो शख़्स नेज़ा चुभोकर अपनी जान देता है वह जहन्नम में अपने आपको नेज़ा मारता रहेगा।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1365) यानी उसे उसी सूरत में अज़ाब होता रहेगा। हज़रत जुन्दुब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'एक आदमी ज़ख़्मी था, उसने ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह**

(ﷻ) ने फ़रमाया: मेरे बन्दे ने अपनी जान ख़ुद ली, इसलिये मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1364)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 978)

✧ **तल्क़ीन:** क़रीबुल मौत शख़्स को 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की तल्क़ीन करनी चाहिए, यानी उसे मुनासिब तरीक़े से कलिमा पढ़ने की तर्ग़ीब दी जाये, या उसके पास बैठ कर बलन्द आवाज़ से कलिमा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़ ले। ग़र्ज़ जो तरीक़ा भी अपनाया जाये अस़ल मक़सूद हासिल होना चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'उन लोगों को जो मरने के क़रीब हों, ला इलाहा इल्लल्लाह की तल्क़ीन करो।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 916) और नबी-ए-अकरम(ﷺ) का फ़रमान है: **'जिस शख़्स का आख़री कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वह जन्नत में दाख़िल होगा।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3116)

✧ **गुस्ल देने का तरीक़ा:** फ़ौत होने के बाद सबसे पहला मरहला गुस्ल का होता है। गुस्ल देने वाला नियत करे और बिस्मिल्लाह पढ़ ले। कफ़न के साथ दो दस्ताने नुमा लिफ़ाफ़े बनाये जाते हैं, उनमें से एक को अपने बायें हाथ पर चढ़ाये और मय्यत को सर की जानिब से थोड़ा सा ऊपर उठा कर उसके पेट पर (नाफ़ से नीचे की तरफ़) दबा कर हाथ फेरे ताकि फ़ुज़ला वग़ैरह ख़ारिज होना हो तो हो जाये बाद में कफ़न की तल्वीस का सबब न बने, फिर उसे इस्तेन्जा कराया जाये, बाद में उस दस्ताने को उतार दे दूसरा दस्ताना बाक़ी बदन के लिये इस्तेमाल करे, फिर उसे गुस्ल देना शुरू करे और पहले उसे वुज़ू कराये, सर का मसह और पाँव रहने दिये जायें। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना चूंकि मुमकिन नहीं होता, इसलिये रूई वग़ैरह से हस्बे इम्कान होंट, दाँत और नाक पानी लगा कर साफ़ कर लिये जायें, ये कुल्ली और इस्तेन्शाक़ ही तसव्वुर होगा। इसके बाद पूरे जिस्म को ऐसे पानी से धोया जाये जिसमें बेरी के पत्ते मिले हुये हों। उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले उसका सर धोया जाये, फिर दाढ़ी, फिर पूरा दायाँ पहलू, उसके बाद पूरा बायाँ पहलू धोया जाये, फिर दायें पहलू को उठाकर पीछे से धोया जाये और फ़िर इसी तरह बायीं तरफ़ से उठाकर। ग़र्ज़ मय्यत को उलटा करने की ज़रूरत नहीं। बाद में पाँव धो लिये जायें। आख़री बार पानी बहाते हुये उसमें काफ़ूर भी शामिल कर लिया जाये जो कि एक मारूफ़ ख़ूशबू है। उलमा-ए-किराम इसका फ़ायदा ये बताते हैं कि इससे जिस्म सख़्त हो जाता है और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर मय्यत के जिस्म पर मैल-कुचेल ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा गुस्ल दिया जा सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन ख़्वातीन से फ़रमाया था जो आपकी साहबज़ादी को गुस्ल दे रही थीं कि इसे तीन बार या पाँच बार या सात बार गुस्ल दो और अगर ज़रूरत महसूस करो तो इससे ज़्यादा भी गुस्ल दे सकती हो। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1259) गुस्ल के बाद मय्यत के जिस्म से पानी साफ़ कर दिया जाये और उसे कफ़न पहना

दिया जाये। ये गुस्ल का मस्नून तरीक़ा है। जुम्हूर का मौक़िफ़ भी यही है तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मुग़नी: 2/318-320, व किताब अल्मज्मूअ शरह अल्मुहज़्ज़ब: 5/130-132)

✧ **तक्फ़ीन:** कफ़न तीन कपड़ों में देना मस्नून है। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सहूलिया बस्ती के साख़्ता सफ़ेद रंग के तीन ऐसे कपड़ों में कफ़न दिया गया जो सूती थे और उनमें क़मीस़ और पगड़ी नहीं थी। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1264, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 941) तीन यक्सां चादरें मय्यत के नीचे बिछा कर उन्हें सादा अन्दाज़ में लपेट लिया जाये। आज कल हमारे यहाँ जो तरीक़ा राइज है उसमें ऊपर वाली चादर को सर वाली जगह से चीर कर सर को उसके अन्दर से गुज़ार कर बाहर निकाल देते हैं और चादर का बाक़ी हिस्सा सीने पर डाल देते हैं, फिर दायें जानिब को मोड़ कर मय्यत पर डाल लेते हैं और फिर बायें जानिब को, फिर दूसरी चादर को लपेट लेते हैं और फिर तीसरी को। बाद में सर की तरफ़ बढ़े हुये किनारे पर एक बन्द लगा लेते हैं। इसी तरह एक बन्द पाँव वाली तरफ़ और एक बन्द सीने पर लगा लेते हैं। ये भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मक़सद तीन अन सिली चादरों में कफ़न देना है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मुग़नी: 2/333-337, व किताबुल मजमूअ शरह अल्मुहज़्ज़ब: 5/153, 154) मुस्तहब है कि कफ़न सफ़ेद रंग का हो।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**अपने कपड़ों में से सफ़ेद लिबास ज़ैब तन किया करो क्योंकि ये तुम्हारे सब मल्बूसात में से बेहतरीन और उम्दा लिबास है और अपने मरने वालों को भी इसी में कफ़न दिया करो।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3878, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 994)

कफ़न साफ़ सुथरा और उम्दा होना चाहिए, घटिया और बोसीदा कपड़ा न हो और न बहुत ज़्यादा मंहगा हो। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब तुममें से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे अच्छा कफ़न देना चाहिए।**' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 943)

✧ **तज्हीज़ व तक्फ़ीन करना:** मौत के वक़ूअ के यक़ीनी होने के बाद मय्यत की तज्हीज़ व तक्फ़ीन में जल्दी करनी चाहिए, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया करो, इसलिए कि अगर वह नेक है तो फिर वह भलाई ही है जिसकी तरफ़ तुम उसे ले जा रहे हो और अगर वह नेक नहीं है तो फिर शर है जिसे तुम अपनी गर्दन से उतार रहे हो।**' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1315, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 944)

इस हदीस़ में मज़्कूर लफ़्ज़ (अस्रिऊ) से कुछ उलमा ने इसका एक मफ़हूम ये भी बयान किया है कि जनाज़ा उठा कर चलने में जल्दी करो, यानी तेज़ तेज़ चलो। याद रहे दोनों मफ़हूम ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

✧ **सवार होकर जाना जायज़ है?:** जनाज़े के साथ पैदल भी जाया जा सकता है और सवार होकर भी। सवार होकर जाने की सूरत में आगे चलने से एहतियात की जाये। मज़ीद देखिये अहादीस़: 1944, 2028 और उनके फ़वाइद।

✧ **मस्जिद में जनाज़ा पढ़ना:** जनाज़ागाह या खुले मैदान में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना अफ़ज़ल है लेकिन मस्जिद में पढ़ना भी बिला कराहत जायज़ है। जब हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) फ़ौत हुये तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने हुक्म दिया कि उनका जनाज़ा मस्जिद में पढ़ा जाये ताकि वह भी शिर्कत कर सकें। लोगों ने कुछ अ़जीब महसूस किया तो हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने फ़रमाया: लोग किस क़द्र जल्दी भूल गये हैं! हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के दोनों बेटों का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 973) फिर हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने उनका जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। (अल मुस़न्नफ़ लिअ़ब्दिर्रज़्ज़ाक़: 3/526, 527) ख़लीफ़-ए-अव्वल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) का जनाज़ा हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) ने मस्जिद में ही पढ़ाया थ। (अत्तबक़ातुल कुब्रा इब्ने सअ़द: 3/206) और हज़रत उ़मर (ﷺ) का जनाज़ा भी हज़रत सुहैब(ﷺ) ने मस्जिद ही में पढ़ाया था। (अल मुस़न्नफ़ लिअ़ब्दिर्रज़्ज़ाक़: 3/526, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 4/52) अ़ला कुल्लि हाल अगर ये नाजायज़ और मकरूह होता तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन इस पर अ़मल न करते।

✧ **नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा:** नमाज़े जनाज़ा रूकू सुजूद के बग़ैर खड़े खड़े ही अदा की जाती है। सुन्नत ये है कि इमाम, मर्द के सर के पास और औ़रत के दरम्यान में खड़ा हो। नमाज़े जनाज़ा में चार से नो तक तकबीरें जायज़ हैं। लेकिन अक्स़र अ़मल चार तकबीरों ही पर है क्योंकि कस़ीर रिवायात में चार तकबीरात ही का ज़िक्र है। पहली तकबीर के बाद तअ़व्वुज़, सूर-ए-फ़ातिहा और साथ कोई और सूरत पढ़ी जायेगी, स़ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नमाज़े जनाज़ा में इसका स़बूत नहीं मिलता। उस़ूली बात है कि इबादात में दलील ज़रूरी है, यहाँ सिर्फ़ क़यासात व राय से काम नहीं चलता कि आ़म नमाज़ों में तो पढ़ते हैं तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते जबकि मामलात में अस़ल इबाहत है मगर किसी नोअ़ के मामले की शरीयत में नफ़ी या हुरमत स़ाबित होती हो तो वह क़ाबिले तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़े जनाज़ा में, किसी स़ही स़रीह हदीस़ या किसी स़हाबी के अस़र और अ़मल से, दुआए इस्तेफ़ताह की मशरूइयत स़ाबित नहीं होती, कुछ मुह्मल और बेजान सी दलीलें हैं, अगर तालिबे हक़ कुछ ग़ौर और तहक़ीक़ से काम ले तो उनकी कमज़ोरी और उनसे वजहे इस्तेदलाल की क़लई खुल जाती है। उ़लमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इसकी बाबत सियर हासिल और नाक़िदाना बहस़ व तहक़ीक़ से काम लिया है लेकिन राजेह और दुरुस्त मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि नमाज़े जनाज़ में दुआए इस्तेफ़ताह का पढ़ना स़ाबित नहीं। वल्लाहु आ़लम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, स़फ़ा: 151)

दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी, तीसरी तकबीर के बाद दुआएँ और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है। अगर ज़ाइद तकबीरें कहनी हों तो उनमें भी दुआएँ ही पढ़नी हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिदउहा लिल अल्बानी, सफ़ा: 141-146)

तकबीराते जनाज़ा के साथ रफ़उल यदैन रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं, अलबत्ता इब्ने उमर (ﷺ) का अमल साबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1322, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 4/44) लिहाज़ा अफ़ज़ल ये है कि जनाज़े की तकबीरात के साथ रफ़उल यदैन न किया जाये, सिवाए पहली तकबीर के और अगर कोई करता है तो उसकी भी गुंजाइश है। इस मामले में तशदीद मुनासिब नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़े जनाज़ा की दुआएँ:** तीसरी तक्बीर के बाद मन्दरजा ज़ेल दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। सब दुआएँ पढ़ना भी जायज़ है।

(1) 'अल्लाहुम्मग़् फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, व सग़ीरिना व कबीरिना, व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा! मन अहयय्तहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, व मन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़तवफ़्फ़हू अलल ईमान, अल्लाहुम्मा! ला तहरिम्ना अज्रहु वला तुज़िल्लना बअदहु' **'ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दा और मुर्दा को, हाज़िर और ग़ाइब को, छोटे और बड़े को, मर्द और औरत को, बख़्श दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू ज़िन्दा रखे, उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हममें से जिसे तू फ़ौत करे, उसे ईमान पर फ़ौत कर। ऐ अल्लाह! हमें इस (मय्यत) के अज्र से महरूम न रख और इसके बाद हमें किसी गुमराही (आज़माइश) में न डाल।'** (सुनन अबी दाऊद: 3201, व सुनन इब्ने माजा : 1498)

(2) 'अल्लाहुम्मग़् फिर लहू वर्हम्हू व आफ़िही वअ्फ़ु अन्हु व अक्रिम नुज़ूलहू व वस्सिअ् मद्ख़लहू वग़्सिल्हू बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरदि व नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौबल अब्यज़ मिनद्दनसि व अब्दिलहु दारन ख़ैरम् मिन दारिही व अह्लन ख़ैरम मिन अह्लिही व ज़ौजन ख़ैरम मिन ज़ौजिही व अद्ख़िल्हुल जन्नता व अइज़्हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबन्नार' **'इलाही! इसे माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा, इसे आफ़ियत में रख, इससे दरगुज़र फ़रमा, इसकी बेहतरीन मेहमानी फ़रमा, इसकी क़ब्र फ़राख़ फ़रमा, इसे (इसके गुनाह) पानी, बर्फ़ और औलों से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ़ किया है। इसे इसके (दुनिया वाले) घर से बेहतर घर, (दुनिया के) लोगों से बेहतर घर वाले और इसे रफ़ीक़े हयात से बेहतर रफ़ीक़ अता फ़रमा, इसे**

बहिश्त में दाख़िल फ़रमा और (फ़ित्न-ए-क़ब्र) अज़ाबे क़ब्र और अज़ाबे जहन्नम से बचा।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 963)

(3) 'अल्लाहुम्मा! इन्ना फुलानब्न फुलानिन फ़ी ज़िम्मतिक व हब्लि जवारिक फ़क़िहि मिन फ़ित्नतिल क़ब्रि व अज़ाबिन्नारि व अन्त अहलुल वफ़ाइ वलहक़्क़ि, फ़ग़्फ़िर लहू व र्हम्हू, इन्नक अन्तल ग़फ़ुर्रहीम' **'इलाही! फुलां का बेटा फुलां तेरे सुपुर्द और तेरी हिफ़ाज़त में है। इसे फ़ित्न-ए-क़ब्र और आग के अज़ाब से बचा, तू (अपने वादे) वफ़ा करने वाला और हक़ वाला है। (इलाही!) इसे माफ़ कर दे और इस पर रहम फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बख़्शने और रहम करने वाला है।'** (सुनन अबी दाऊद: 3202, व सुनन इब्ने माजा: 1499)

✧ **जनाज़े के बाद दुआ:** नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बाद वहाँ खड़े खड़े या बैठ कर दुआ करना बिद्अत है। क़ुर्आन व सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं, ताहम मिट्टी डालने के बाद मय्यत की साबित क़दमी के लिये दुआ करना साबित है। हज़रत उस्मान (ؓ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब मय्यत की तद्फ़ीन से फ़ारिग़ होते तो क़ब्र के पास खड़े हो जाते और फ़रमाते: **'अपने भाई के लिये इस्तेग़फ़ार करो और साबित क़दम रहने की दुआ करो क्योंकि अब उससे बाज़पुर्स की जायेगी।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3221)

✧ **क़ब्र की बनावट:** क़ब्र दो क़िस्म की होती है: एक लहद, यानी बग़ली क़ब्र और दूसरी शक़, जिसमें मय्यत रखने की जगह क़ब्र के दरम्यान में छोटा गढ़ा खोद कर बनाई जाती है। दोनों तरीक़े जायज़ हैं, अलबत्ता लहद अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की क़ब्र लहद वाली बनाई गई थी। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1557)

क़ब्र गहरी और वसीअ होनी चाहिए क्योंकि गहरी क़ब्र में मय्यत ज़्यादा महफ़ूज़ रहती है, और वसीअ क़ब्र में दफ़न करना भी आसान होता है।

पक्की क़ब्र बनाना हराम है। हज़रत जाबिर (ؓ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्र को पुख़्ता बनाने, उस पर बैठने और उस पर इमारत बनाने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970)

✧ **तरीक़-ए-तद्फ़ीन:** मय्यत को क़ब्र की पाँव वाली जानिब से क़ब्र में दाख़िल किया जाये। सय्यदना हारिस (ؓ) ने वसीयत की थी कि मेरा जनाज़ा अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (ؓ) पढ़ायें। उन्होंने उनका जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्हें क़ब्र की पाईन्ती की तरफ़ से क़ब्र में उतारा और कहा कि सुन्नत तरीक़ा यही है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3211)

क़ब्र में उतारते वक़्त ये दुआ पढ़ी जाये: 'बिस्मिल्लाहि वअ़ला सुन्नति रसूलिल्लाहि' 'अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के मुताबिक़ (तुम्हें दफ़न करते हैं)' (सुनन अबी दाऊद: 3213)

मय्यत को क़ब्र में लिटाते वक़्त उसका मुँह क़िब्ले की तरफ़ करना चाहिए। इसकी दो सूरतें हैं: चित लिटा कर सिर्फ़ क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दिया जाये, या दायीं जानिब लिटा कर पूरा पहलू क़िब्ला रुख़ कर दिया जाये। बेहतर है कि दूसरी सूरत को इख़्तियार किया जाये क्योंकि सोने के वक़्त इसी हालत को पसन्द किया गया है और इस हालत पर मौत आने को फ़ितरत के मुताबिक़ क़रार दिया गया है।

इसके बाद क़ब्र को बन्द किया जायेगा जिसके लिये कच्ची ईंटें इस्तेमाल करना बेहतर है, फिर क़ब्र से निकाली हूई मिट्टी क़ब्र में डाली जाये और क़ब्र को एक बालिश्त से ऊँचा न किया जाये अगरचे क़ब्र से निकाली हूई मिट्टी बच जाये। नबी-ए-अकरम (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक सिर्फ़ एक बालिश्त ऊँची बनाई गई थी। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/410)

✧ **सोग:** मौत की मुसीबत ही चूंकि ऐसी अन्दोहनाक है कि इससे मुसीबतज़दा को ग़म व हुज़्न का लाहिक़ होना एक तबई अम्र है, लिहाज़ा अल्लाह तआला ने हमें थोड़े से सोग की इजाज़त दी है, यानी सिर्फ़ तीन दिन तक और इस मुद्दत में आदमी अपने ग़म व हुज़्न का इज़्हार करके राहत हासिल कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा मुद्दत तक सोग का इज़्हार किया जाये तो फिर उसमें ख़राबी का पहलू राजेह होगा, लिहाज़ा इससे शरीयत ने मना कर दिया है। हाँ, अलबत्ता तीन दिन तक, मुर्दों पर सोग की इजाज़त है लेकिन बीवी अपने शौहर की वफ़ात की वजह से इद्दत का सारा अर्सा सोग में गुज़ारेगी। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, सिवाए ख़ाविन्द के कि उस पर चार माह दस दिन सोग मनाये। (सोग की मुद्दत में) रंगदार लिबास न पहने लेकिन (रंगे हुये सूत का) धारीदार कपड़ा पहन सकती है न सुरमा लगाये, न ख़ूशबू को छूए मगर जब अय्यामे हैज़ से पाक हो तो थोड़ी सी ऊदे हिन्दी या अज़्फ़ार (ख़ूशबू) इस्तेमाल कर सकती है।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 541, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 938, 1491) इसी तरह ज़ीनत और बनाव सिंगार की कोई और चीज़ भी इस्तेमाल न करे, जैसे: ज़ेवर वग़ैरह, घर से बाहर न निकले मगर ये कि अशद्द (सख़्त) मजबूरी हो, और इद्दत के अय्याम ख़ाविन्द के घर ही में गुज़ारे।

सय्यदा ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) का भाई फ़ौत हो गया, तीन दिन के बाद उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई और उसे मला, फिर कहा: मुझे ख़ूशबू की ज़रूरत न थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना: '**जो औरत अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती है, उसके लिये हलाल नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्यत पर सोग करे, सिवाए शौहर के कि उसका सोग चार माह दस दिन है।**'

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 1282)

सय्यदा उम्मे अ़तिया (ﷺ) का बेटा फ़ौत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने ज़र्दी मंगवा कर बदन पर मली और कहा: हमारे लिये शौहर के अलावा किसी और की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करना ममनूअ़ है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1279)

ताज़ियत: मौत की वजह से मुसीबतज़दा से ताज़ियत करना शरअ़न जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं लेकिन ताज़ियत करने के लिये कोई वक़्त या अय्याम मख़सूस नहीं। तीन दिन या चार माह और दस दिन सोग के लिये हैं न कि ताज़ियत के लिये। याद रहे ताज़ियत दफ़न से पहले भी की जा सकती है और बाद में भी इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन मुसीबत के बाद जिस क़द्र जल्दी और क़रीबी वक़्त में ताज़ियत होगी उसी क़द्र मुसीबत की तख़फ़ीफ़ का ज़रिया साबित होगी। ताज़ियत से मुराद अहले मय्यत को सब्र की तल्क़ीन, उनके लिये दुआए ख़ैर और मय्यत के लिये दुआए मग़फ़िरत करना है। ताज़ियत के मस्नून अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: (इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इन्दहु बिअजलिम् मुसम्मन, फ़ल्तस्बिर वल्तह्तसिब) 'यक़ीनन अल्लाह का (माल) है जो उसने लिया है और उसी का है जो उसने दे रखा है, उसके यहाँ हर चीज़ का वक़्त मुक़र्रर है, लिहाज़ा सब्र करके उसका अज्र व सवाब हासिल करना चाहिए। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1284, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 923) ग़र्ज़ तीन दिन तक चटाइयाँ बिछा कर बैठना ख़िलाफ़े सुन्नत है। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الجنائز

जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

जनाइज़ : जनाज़ा की जमा है। जनाज़ा लुग़त के लिहाज़ से हर ढाँपी हुई चीज़ को कह सकते हैं मगर उर्फ़ में चारपाई पर पड़ी हुई ऐसी मय्यत को कहते हैं जिसे कफ़न से ढाँप दिया गया हो। ऐसी हालत में चारपाई को भी जनाज़ा कहते हैं। जनाज़े की जीम पर कसरा (ज़ेर) और फ़तह (ज़बर) दोनों जायज़ है। मुसन्निफ़(رحمه الله) का मक़्सद मय्यत के मसाइल बयान करना है। चूंकि मौत का सबब आम तौर पर मर्ज़ होता है, इसलिये इमाम नसाई (رحمه الله) आग़ाज़ में मर्ज़ और मौत से मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल ज़िक्र फ़रमाते हैं।

बाब : (1)
मौत की तमन्ना करना (कैसा है?)

باب : (١)
تَمَنِّي الْمَوْتِ

(1819) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स मौत की तमन्ना न करे (क्योंकि) अगर वह नेक है तो हो सकता है वह और नेकियाँ करे और अगर वह गुनाहगार है तो शायद वह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 2/263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1944, व इब्ने हिब्बान.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ " .

(1820) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स मौत की ख़्वाहिश न करे। अगर वह नेक है तो शायद मज़ीद ज़िन्दा रह कर और नेकियाँ करे और ये उसके लिये बेहतर है। और अगर वह बुरा है तो शायद वह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 5673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1945.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ

يَزْدَادُ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ " .

फ़ायदा : मौत अल्लाह तआला के इख़्तियार में है। किसी के माँगने या रोकने से मौत आगे पीछे नहीं हो सकती तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ माँगने का जो माँगने से मिल नहीं सकती बल्कि उसका वक़्त मुक़र्रर है। इसके बजाये वह मयस्सर ज़िन्दगी को नेकी के इज़ाफ़े और तौबा व मग़फ़िरत के लिये इस्तेमाल करे क्योंकि ये चीज़ें उसके इख़्तियार में हैं। इन्सान अपनी इख़्तियारी चीज़ों की फ़िक्र करे, ग़ैर इख़्तियारी चीज़ों को अल्लाह तआला पर छोड़ दे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " .

(1821) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई शख़्स दुनिया में पेश आने वाली किसी मुसीबत और तक्लीफ़ की बिना पर मौत की तमन्ना और दुआ न करे बल्कि यूँ कहेः (अल्लाहुम्मा! अहयीनी ......) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब मेरे लिये मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।'

(1821) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/104, इब्ने हिब्बान, हदीसः 2462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1946.

फ़ायदा : इस हदीस से कुछ ने ये इस्तेम्बात किया है कि किसी दीनी मुसीबत या दीन के नुक़सान के ख़दशे के पेशे नज़र मौत की दुआ की जा सकती है (क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुनिया की क़ैद लगाई है) जैसे हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) ख़लीफ़-ए-सानी और हज़रत इमाम बुख़ारी (ﷺ) से मौत की दुआ मन्क़ूल है क्योंकि उन्हें दीन का ख़तरा था। देखियेः (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाईः 18/211-213)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَأَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،

(1822) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ख़बरदार! तुममें से कोई शख़्स पेश आने वाली तक्लीफ़ की बिना पर मौत की ख़्वाहिश न करे। अगर उसे

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " .

लाज़िमन मौत की ख़्वाहिश करनी है तो यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा अह्यीनी ......) 'ऐ अल्लाह! जब तक ज़िन्दा रहना मेरे लिये बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।'

(1822) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6351, मुस्लिम, हदीस़: 2680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1947.

باب : (٢)
الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ

बाब : (2)
मौत की दुआ करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - وَهُوَ الْبَصْرِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لاَ بُدَّ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي "

(1823) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मौत की न दुआ करो और न उसकी ख़्वाहिश ही करो। जिस शख़्स को लाज़िमन (इस क़िस्म की) दुआ करनी ही हो तो वह यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा! ....) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब वफ़ात मेरे लिये बेहतर हो तो मुझे फ़ौत कर दे।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5671, 6351, मुस्लिम, हदीस़: 2680/10, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1948.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ

(1824) हज़रत क़ैस बयान करते हैं कि मैं हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) के पास गया (तो देखा कि) उन्होंने अपना पेट सात जगह से आग से दाग़ा हुआ है। उन्होंने फ़रमाया: अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मौत की दुआ करने से रोका न होता तो मैं ज़रूर मौत की दुआ करता।

بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ .

तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी: 6349, मुस्लिम: 2681, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1949.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस दौर में आग के साथ दाग़ना भी कुछ बीमारियों का इलाज समझा जाता था मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे अच्छा नहीं समझा क्योंकि ये इन्तेहाई अज़ियतनाक है। इन्तेहाई मजबूरी के वक़्त ही जायज़ है। **(2)** जिस तरह मौत की ख़्वाहिश, तमन्ना और दुआ जायज़ नहीं, उसी तरह मौत की कोशिश, यानी ख़ुदकुशी भी जायज़ नहीं है, इसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है क्योंकि इन्सान अपनी ज़िन्दगी या जिस्म व रूह का मालिक नहीं बल्कि ये तो उसके पास अमानत है और अमानत की हिफ़ाज़त की जाती है, उसे ज़ाया नहीं किया जाता।

باب : (٣)
كَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ

बाब : (3)
मौत को कस़रत से याद करना

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

(1825) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली (मौत) को ख़ूब याद किया करो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं: (सनद में मज़्कूर) मुहम्मद बिन इब्राहीम अबू बक्र बिन अबी शैबा के वालिद हैं।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2307, इब्ने माजा, हदीस: 4258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1950, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2559-2562.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ

(1826) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम मय्यत के यहाँ जाओ तो अच्छी बातें करो क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं।' जब (मेरे पहले ख़ाविन्द) हज़रत अबू सलमा(رضي الله عنه) फ़ौत हो गये तो मैंने कहा: ऐ

فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " . فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ " قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً " . فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم .

अल्लाह के रसूल! मैं कैसे दुआ करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू कह (अल्लाहुम्मा! ....) 'ऐ **अल्लाह! हमें और इसे माफ़ फ़रमा और मुझे इसका अच्छा बदल अता फ़रमा।' तो अल्लाह तआला ने मुझे उनके बाद हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अता फ़रमा दिये।**

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 916, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1952.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ हक़ीक़तन मय्यत मुराद है, यानी जब तुम किसी फ़ौत शुदा शख़्स के यहाँ जाओ तो नौहा वग़ैरह न करो और अपने आपको बद दुआएँ न दो बल्कि उसके लिये अच्छी दुआएँ करो। **(2)** किसी मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ना भी मस्नून है: (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा! अजुर्नी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली ख़ैरम् मिन्हा) 'हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुझे मुसीबत में अज्र अता फ़रमा और उसकी जगह बेहतर बदल अता फ़रमा' हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने हज़रत अबू सलमा (رضي الله عنه) की वफ़ात पर ये दुआ भी पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 918)

باب : (٤)
تَلْقِينِ الْمَيِّتِ

बाब : (4)
क़रीबुल वफ़ात शख़्स को कलिम-ए-तय्यबा की तल्क़ीन करनी चाहिए

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

(1827) हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने क़रीबुल मौत अश्ख़ास को (ला इलाहा इल्लल्लाह) पढ़ने की तल्क़ीन करो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 916, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1952.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तल्क़ीन से मुराद ये है कि उसे कलिम-ए-तय्यबा पढ़ने का कहा जाये, धीमे

लब व लहजे में उसकी तर्ग़ीब दी जाये, या सूरते हाल की संगीनी के पेशे नज़र कम अज़ कम उसके पास बैठ कर कलिम-ए-तय्यबा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़े लेकिन उसे इस्रार के साथ कलिमा पढ़ने को न कहा जाये कि कहीं वह उकताहट और तक्लीफ़ व घबराहट की बिना पर इंकार न कर दे और जब वह एक दफ़ा कलिमा तय्यबा पढ़ ले तो फिर तल्क़ीन न की जाये, हाँ, अगर बाद में वह कोई दुनियावी कलाम करे तो फिर तल्क़ीन की जाये। मक़सद ये है कि मौत से पहले आख़री बात कलिम-ए-तय्यबा हो। **(2)** कुछ लोग मय्यत को दफ़नाने के बाद क़ब्र पर उसे तल्क़ीन करते हैं ताकि वह फ़रिश्तों को कलिम-ए-तय्यबा के साथ जवाब दे सके मगर ये मानी दुरुस्त नहीं, न ये सहाबा का मामूल था। इस बारे में एक ज़ईफ़ रिवायत भी वारिद है। सलफ़ के अमल के ख़िलाफ़ ज़ईफ़ रिवायत पर अमल जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا هَلْكَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

(1828) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने क़रीबुल मर्ग अश्ख़ास को (ला इलाहा इल्लल्लाह) की तल्क़ीन करो।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1953.

बाब : (5) मोमिन की मौत की निशानी

باب : (٥) عَلَامَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ " .

(1829) हज़रत बुरैदा (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन की मौत पेशानी के पसीने के साथ होती है।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, हाकिम: 1/361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1954.

फ़ायदा : 'पेशानी का पसीना' जबीन अरबी ज़बान में पेशानी के अतराफ़ को कहते हैं मगर यहाँ पूरी पेशानी मुराद है क्योंकि पसीना पेशानी पर ज़्यादा आता है। इस हदीस में मोमिन की मौत की निशानी पेशानी का पसीना बतलाया गया है। या तो ये पसीना नज़अ रूह की शिद्दत की बिना पर होता है ताकि उसके बाक़ी गुनाह भी इस शिद्दत के बदले में माफ़ हो जायें और वह पाक साफ़ होकर फ़ौत हो। या ये पसीना उस शर्मिन्दगी का नतीजा है जो मोमिन को अल्लाह की मुलाक़ात के तसव्वुर से लाहिक़ होती है कि मैं गुनाहों के साथ अल्लाह तआला को कैसे मिलूँगा? ज़ाहिर है ऐसा तसव्वुर मोमिन ही कर सकता

है। मुनाफ़िक़ तो उस वक़्त भी दुनिया की फ़िक्र व ग़म में मदहोश होता है। पसीने की कोई और वजह भी हो सकती है जिसे हम नहीं समझ सकते। बहर सूरत ये मोमिन की निशानी है। कुछ हज़रात ने इसे शिद्दत से इस्तेआरा क़रार दिया है, यानी मोमिन मशक़्क़त व मेहनत करता करता फ़ौत होता है। या नेकी के लिये या रिज़्क़ के लिये, यानी मोमिन आराम व राहत से ज़िन्दगी नहीं गुज़ारता बल्कि काम करता रहता है। कभी दीन का, कभी दुनिया का। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ "

(1830) हज़रत बुरैदा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'मोमिन माथे के पसीने के साथ मरता है।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, इब्ने माजा, हदीस: 1452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1955, आगे हदीस देखें: 1937.

باب: (٦)
شِدَّةِ الْمَوْتِ

बाब : (6)
मौत की सख़्ती

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(1831) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी आग़ोश में फ़ौत हुये और रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात देखने के बाद मैं किसी के लिये मौत की सख़्ती को ना पसन्द नहीं करती।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1956.

फ़ायदा : मौत बज़ाते ख़ुद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है। इसके मुक़ाबले में दीगर तकालीफ़ हेच हैं। मोमिन को इस तक्लीफ़ का भी सवाब मिलता है और इससे गुनाह माफ़ होते हैं, लिहाज़ा इसके लिये मौत की सख़्ती रहमत बन जाती है जबकि वह काफ़िर व मुनाफ़िक़ के लिये अज़ाब है, लिहाज़ा मौत की सख़्ती या नर्मी किसी के ईमान व कुफ़्र या निफ़ाक़ व फ़िस्क़ की निशानी नहीं, मौत की सख़्ती या तक्लीफ़ सिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख़्स ही जानता है, देखने वाला सही अन्दाज़ा नहीं लगा सकता। जब मौत

का अमल (फ़रिश्तों वाला) शुरू हो जाता है तो फिर उस शख़्स को होश नहीं रहता कि वह मौत की सख़्ती बयान कर सके। (अस्तग़फ़िरुल्लाह)

बाब : (7)
पीर के दिन की मौत

باب: (٧)
الْمَوْتِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ

(1832) हज़रत अनस (ﷺ) (ख़ादिमे ख़ास) बयान करते हैं कि आख़री निगाह जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर डाली यूँ थी कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (दरवाज़े का) पर्दा हटाया जबकि लोग (सुबह की नमाज़ में) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पीछे सफ़ों में खड़े थे। हज़रत अबू बक्र ने पीछे हटने का इरादा किया (कि शायद आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं) तो आपने सब को इशारा किया कि अपनी अपनी जगह नमाज़ पढ़ते रहो (क्योंकि सब आपकी तरफ़ देखने लगे थे) और आपने पर्दा गिरा दिया और फिर आप उसी दिन के आख़िर में फ़ौत हो गये। ये पीर के दिन की बात है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا وَأَلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَذَلِكَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ .

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 419/99, बुख़ारी, हदीस: 754, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 1957.

फ़वाइद व मसाइल : (1) महबूबे रब्बे करीम के चेहर-ए-अनवर की (हालते ज़िन्दगी में) आख़री ज़ियारत सहाब-ए-किराम (ﷺ) के लिये यादगार बन गई जिसे वह मोहब्बत और अफ़सोस के मिले जुले जज़्बात से याद करते रहे। किस क़द्र सआदत से बहरावर थे वह लोग जिन्हें ये नादिर मौक़ा नसीब हुआ। **(2)** मोमिन के लिये सोमवार की वफ़ात की ख़्वाहिश उसकी नबी (ﷺ) से अक़ीदत व मोहब्बत की निशानी है। **(3)** ज़रूरत के तहत दरवाज़ों पर पर्दे लटकाये जा सकते हैं। **(4)** हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) का इमामत के लिये तक़र्रुर आपकी फ़ज़ीलत पर दलालत करता है, और रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की ख़िलाफ़त की तरफ़ इशारा था।

बाब : (8)
अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत होना

باب : (٨)
الْمَوْتِ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ

(1833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक आदमी फ़ौत हो गया जो पैदा भी वहीं हुआ था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका जनाज़ा पढ़ा, फिर फ़रमाया: 'काश कि ये अपनी पैदाइश वाली जगह से बाहर फ़ौत होता।' सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने फ़रमाया: 'आदमी जब अपनी पैदाइश की जगह से दूर फ़ौत होता है तो जन्नत में उसे उसकी पैदाइशगाह से मौत की जगह तक का फ़ासिला माप कर जन्नत दी जाती है।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1614, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1958, व सहीह इब्ने हिब्बान (अलमवारिद), हदीस: 729.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ " . قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ " .

फ़ायदा : ये आम बात है। बाक़ी रहा मदीना मुनव्वरा में फ़ौत होना तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो इस बयान शुदा फ़ज़ीलत से कहीं बढ़ कर है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये मतलब नहीं कि ये शख़्स मदीना मुनव्वरा से बाहर फ़ौत होता बल्कि उसका मतलब ये है कि काश ये मदीना का पैदाइशी न होता। किसी और जगह पैदा होकर यहाँ हिजरत करता और फिर मदीना मुनव्वरा में फ़ौत होता क्योंकि मदीने में वफ़ात की फ़ज़ीलत तो अहादीस में वारिद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3112, व मुसनद अहमद: 2/74) और ये मोमिन के लिये बड़ी सआदत है। याद रहे कि हर सआदत के हुसूल के लिये सही ईमान शर्त है वरना हर चीज़ बेकार है।

बाब : (9)
मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते वक़्त इज़्ज़त अफ़्ज़ा सुलूक किया जाता है

باب: (٩) مَا يُلْقَى بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ . فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الأَرْضِ . فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ

(1834) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मोमिन को मौत आने लगती है तो रहमत के फ़रिश्ते सफ़ेद रेशमी लिबास लेकर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं: ऐ मोमिन रूह! निकल आ। तू अल्लाह तआला से राज़ी, अल्लाह तआला तुझसे राज़ी। और चल अल्लाह की रहमत व मेहरबानी की तरफ़ और पहुँच ऐसे रब के पास जो तुझ पर क़तअन नाराज़ नहीं है। तो वह इन्तेहाई ख़ुशबूदार, पाकीज़ा कस्तूरी जैसी महक के साथ निकल आती है यहाँ तक कि फ़रिश्ते (ख़ुशी और सुरूर से) उसे एक दूसरे को पकड़ाते (हाथों हाथ लेते) हैं और उसी तरह वह उसे आसमान के दरवाज़े तक ले जाते हैं। आसमान वाले फ़रिश्ते कहते हैं: किस क़द्र ख़ुशबूदार है ये रूह जो तुम ज़मीन से लाये हो! फिर वह उसे (पहले से फ़ौतशुदा) मोमिनीन की रूहों के पास ले आते हैं। अल्लाह की क़सम! वह उसके आने पर इस क़द्र ख़ुश होते हैं कि तुम अपने किसी ग़ाइब शख़्स के आने पर इतने खुश नहीं होते, फिर वह (पहले मोमिन) उससे पूछते हैं: फ़ुलां का क्या हाल है? फ़ुलां का क्या हाल है? फिर वह (आपस में) कहते हैं: छोड़ो उसे वह तो दुनिया के ग़म व फ़िक्र में था। जब वह रूह कहती है कि क्या वह तुमहारे पास नहीं आया? (यानी वह तो कब का मर चुका है) तो वह कहते हैं: ओ

بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ .

हो! उसे उसके जहन्नमी ठिकाने की जानिब ले जाया गया है। (उसके मुक़ाबले में) जब काफ़िर को मौत आती है तो अ़ज़ाब के फ़रिश्ते गन्दा बदबुदार टाट लेकर उसके पास आ जाते हैं और (ग़ुस्से से) कहते हैं: निकल इधर, तू भी नाराज़ और तेरा अल्लाह भी तुझ पर नाराज़। चल अल्लाह (عزوجل) के अ़ज़ाब की तरफ़। तो वह इन्तेहाई बदबूदार मुरदार लाश के भबोके के साथ निकलती है यहाँ तक कि वह उसे ज़मीन के दरवाज़े पर ले जाते हैं और कहते हैं: किस क़द्र बदबूदार है ये! यहाँ तक कि वह उसे (पहले से मरे हुये) काफ़िरों की रूहों में ले जाते हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1959, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 733, वल हाकिम: 1/352, 353, मुस्लिम, हदीस: 2872/75, वल बैहक़ी, हदीस: 19, 33 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एक दूसरे को पकड़ाते हैं' जिस तरह नौ मौलूद बच्चे को उसके रिश्तेदार बड़ी ख़ुशी के साथ पकड़ पकड़ कर देखते हैं। मालूम हुआ रूह एक हक़ीक़त है और जिस्म से अलग एक चीज़ है। इसका अपना वजूद है। ये अलग बात है कि वह नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत लतीफ़ है। अगर हवा, बावजूद इस जहान की चीज़ होने के नज़र नहीं आती मगर एक हक़ीक़त है तो रूह के नज़र न आने पर क्या ताज्जुब है? **(2)** 'छोड़ो उसको' इससे मुराद नई रूह भी हो सकती है कि तुम इसे ज़्यादा सवाल व जवाब से परेशान न करो। अभी वह दुनिया के ग़म में है। **(3)** मोमिन आदमी की मौत के वक़्त रहमत के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उसे बशारतें सुनाते हैं।

बाब : (10) जो शख़्स अपने रब की मुलाक़ात का ख़्वाहिशमन्द हो

بَابٌ : (١٠) فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ، - وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ

(1835) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता

है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द करता है और जो शख़्स अल्लाह तआला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को नापसन्द फ़रमाता है।' (हज़रत अबू हुरैरह के शागिर्द) हज़रत शुरैह ने कहा: मैं हज़रत आयशा (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक ऐसी हदीस़ बयान करते सुना है अगर वह स़ही है तो हम तो मारे गये। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: वह कौन सी हदीस़ है? (मैंने कहा:) वह कहते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता है, अल्लाह तआला उससे मुलाक़ात को पसन्द फ़रमाता है और जो अल्लाह तआला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला उससे मिलना पसन्द नहीं फ़रमाता।' जबकि हममें से हर एक मौत को नापसन्द करता है? (और मौत के बग़ैर अल्लाह तआला से मुलाक़ात मुमकिन नहीं?) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाये हैं, लेकिन इसका वह मतलब नहीं जो तुमने समझा है बल्कि ये उस वक़्त है जब नज़र ऊपर उठ जाये और साँस सीने में अटकने लगे और जिस्म के रौंगटे खड़े हो जायें और वह काँपने लगे। (यानी नज़ओ रूह का अमल शुरू हो जाये) उस वक़्त जो शख़्स अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द

شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " . قَالَ شُرَيْحٌ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا . قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " . وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

फ़रमाता है और जो शख़्स उस वक़्त अल्लाह तआला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला भी उससे मिलना पसन्द नहीं फ़रमाता।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2685, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1960

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब मौत का वक़्त क़रीब आ जाये, फ़रिश्ते नज़र आने लगें और अपना काम शुरू कर दें तो उस वक़्त मोमिन ख़ुश होता है कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात होगी (अल्लाहुम्मर रफ़ीक़ल आला) और काफ़िर, मुनाफ़िक़ उस वक़्त अपनी साबिक़ा कारगुज़ारी की वजह से अल्लाह तआला की मुलाक़ात से घबराता है क्योंकि उस वक़्त मौत का यक़ीन हो जाता है। वरना ज़िन्दगी में तो हर शख़्स ही मौत को नापसन्द करता है। **(2)** अल्लाह तआला से मुलाक़ात की मोहब्बत का मतलब मौत की तमन्ना करना नहीं। मौत की तमन्ना के बग़ैर भी अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत मुमकिन है। मौत की तमन्ना का ताल्लुक़ मामूल की ज़िन्दगी से है। और अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत का ताल्लुक़ मौत के वक़्त से है।

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ "

(1836) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है: जब मेरा बन्दा मेरी मुलाक़ात को पसन्द करता है तो मैं भी उससे मुलाक़ात को पसन्द करता हूँ और जब वह मेरी मुलाक़ात को नापसन्द करता है तो मैं भी उससे मुलाक़ात को नापसन्द करता हूँ।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7504, मोता: 1/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 15....

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ

(1837) हज़रत उबादा (बिन सामित) (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलने की ख़्वाहिश करता है, अल्लाह तआला उससे मिलने की ख़्वाहिश करता है और जो शख़्स अल्लाह तआला से

मिलने को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला उससे मिलने को नापसन्द करता है।'

اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " .

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2683, बुख़ारी, हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1962.

(1838) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलना चाहता है, अल्लाह तआला भी उसे मिलना चाहता है और जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलना नहीं चाहता अल्लाह तआला भी उससे मिलना नहीं चाहता।'

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " .

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1963, तिर्मिज़ी, हदीस: 1066.

(1839) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स (नज़अ के वक़्त) अल्लाह तआला से मिलना अच्छा समझता है, अल्लाह तआला भी उससे मिलना अच्छा समझता है और जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलना बुरा समझता है, अल्लाह तआला भी उससे मिलना बुरा समझता है।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला से मिलने को नापसन्द करने का मतलब मौत को नापसन्द करना है? हममें से तो हर शख़्स मौत को नापसन्द करता है? आपने फ़रमाया: 'ये मौत के वक़्त की बात है कि जब मोमिन को अल्लाह तआला की रहमत व बख़्शिश की ख़ुशख़बरी दी जाती है तो वह फ़ौरन अल्लाह तआला से मिलना चाहता है और

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " . زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ " ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ

لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ " .

अल्लाह तआला उससे मिलना चाहता है और जब काफ़िर को अल्लाह के अज़ाब की इत्तिला दी जाती है तो वह अल्लाह तआला से मिलना नापसन्द करता है और अल्लाह तआला भी उससे मिलना नापसन्द करता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2684, बुख़ारी, हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1964.

फ़ायदा : मौत अगरचे अज़ियत नाक चीज़ है मगर मोमिन के लिये अल्लाह तआला के दीदार और मुलाक़ात का शौक़ और बख़्शिश व रहमत की बशारत मौत की सख़्ती पर ग़ालिब आ जाती है और काफ़िर के लिये मौत की अज़ियत के अलावा अज़ाब व सज़ा का तसव्वुर बड़ा वहशत नाक बन जाता है, लिहाज़ा वह मौत के वक़्त भी मरना नहीं चाहता।

बाब : (11)
मय्यत को बोसा देना

بَاب : (١١)
تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

(1840) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि हज़रत अबू बक्र (ؓ) ने नबी (ﷺ) की वफ़ात के बाद आपकी आँखों के दरम्यान (पेशानी को) बोसा दिया।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ .

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1965, अगली हदीस देखें।

(1841) हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत आयशा (ؓ) से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू बक्र(ؓ) ने नबी (ﷺ) को बोसा दिया जबकि आप फ़ौत हो चुके थे।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ .

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4455, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1966.

(1842) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने मुझे ख़बर दी कि (जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हो गये तो) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) सुनुह मक़ाम पर वाक़ेअ अपने घर से घोड़े पर आये (ताकि जल्दी पहुँच सकें) यहाँ तक कि वह घोड़े से उतरे और मस्जिद में दाख़िल हुये और किसी से बात चीत नहीं की यहाँ तक कि हज़रत आयशा (ﷺ) के पास गये। उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक धारीदार यमनी चादर से ढाँप दिया गया था। उन्होंने आपके चेहर-ए मुबारक से कपड़ा हटाया, फिर झुक कर आप(ﷺ)को बोसा दिया और रोने लगे, फिर कहा: मेरा बाप आप पर क़ुर्बान! अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला आप पर दो दफ़ा मौत तारी नहीं करेगा। जो मौत आपके लिये मुक़द्दर थी, वह आपको आ चुकी।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا .

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1968.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अल्फ़ाज़ का मक़सद उन लोगों को तम्बीह करना था जो शिद्दते ग़म की वजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी फ़ौत नहीं हुये, बेहोश हैं। या जो लोग आपकी वफ़ात को आरज़ी ख़्याल करते थे। इन दोनों सूरतों में गोया आप पर एक और मौत आनी थी। और ये ना'मुमकिन है कि आप दो दफ़ा फ़ौत हों। **(2)** बाब का मक़सद ये है कि मोमिन मौत से पलीद नहीं हो जाता बल्कि पाक रहता है, लिहाज़ा उसे बोसा देना और छूना जायज़ है जबकि कुछ फ़ुक़हा मय्यत को पलीद कहते हैं लेकिन ये दुरुस्त नहीं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सही सनद के साथ मरवी है कि उन्होंने फ़रमाया: 'मोमिन ज़िन्दा हो या फ़ौतशुदा, पलीद नहीं होता।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1252, व मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस: 239) हाँ काफ़िर मर जायें तो पलीद हैं। **(3)** मय्यत पर रोना जायज़ है, वावेला, चीख़ व पुकार और जाहिलियत की आहो-बुका (चीखना-चिल्लाना) दुरुस्त नहीं।

बाब : (12) मय्यत को ढाँपना

باب: (١٢) تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ فَلَمَّا رُفِعَ سَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ فَقَالَ " مَنْ هَذِهِ " . فَقَالُوا هَذِهِ بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو . قَالَ " فَلاَ تَبْكِي - أَوْ فَلِمَ تَبْكِي - مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ " .

(1843) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन मेरे बाप की मय्यत इस हाल में लाई गई कि उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। (काफ़िरों ने उनके चेहरे के आज़ा काट डाले थे) तो उनकी मय्यत रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने रख दी गई और उसे एक कपड़े से ढाँप दिया गया। मैं मुँह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता था तो मेरी क़ौम के लोग मुझे रोकते थे। आख़िर नबी(ﷺ) ने मय्यत उठाने का हुक्म दिया। जब मय्यत उठाई गई तो आपने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो फ़रमाया: 'ये कौन है?' लोगों ने कहा: ये अम्र की बेटी या अम्र की बहन है। आपने फ़रमाया: 'न रो' या फ़रमाया: 'क्यों रोती है? मय्यत के उठाये जाने तक फ़रिश्तों ने उसे अपने मुबारक परों से साया किये रखा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1293, मुस्लिम, हदीस: 2471, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1969.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अम्र की बेटी' इस सूरत में ये जाबिर के शहीद वालिद की बहन थीं और अगर वह अम्र की बहन थीं तो जाबिर के वालिद की फूफी थीं। पहली बात सही है कि वह शहीद की बहन थीं ..... (ﷺ) दरअसल ये किसी रावी को शक है कि वह अम्र की बेटी थी या अम्र की बहन। **(2)** 'साया कैसे रखा' मतलब ये है कि इतने शर्फ़ वाली शहादत पर आह व ज़ारी मुनासिब नहीं, अगरचे दिल और आँखें तो ग़म करते हैं। **(3)** वफ़ात के बाद मय्यत को कपड़े से ढाँप देना चाहिए ताकि अगर मौत की वजह से उसके चेहरे वग़ैरह में कोई तग़य्युर (चैन्जिंग) आया हो तो नज़र न आये। गुस्ल व तक्फ़ीन के बाद जब उसे साफ़ सुथरा करके जहाँ तक हो सके ख़ूबसूरत बना दिया जाता है, उस वक़्त उसे लोगों के सामने चेहरा देखने के लिये रखा जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहर-ए-अनवर में किसी क़िस्म के तग़य्युर का इम्कान नहीं था, इसलिये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) ने गुस्ल व तक्फ़ीन से पहले भी आपको देखा और बोसा दिया ..... (ﷺ)

बाब : (13)
मय्यत पर रोना

باب : (١٣)
فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

(1844) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक छोटी बेटी की वफ़ात का वक़्त आया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया, फिर अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा। बिल आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने फ़ौत हो गईं। हज़रत उम्मे ऐमन (ﷺ) रोने लगीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उम्मे ऐमन! तुम रोती हो जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारे पास हैं?' उन्होंने अर्ज़ किया: मैं क्यूँ न रोऊँ जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) रो रहे हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं (तुमहारी तरह) नहीं रो रहा बल्कि मेरा रोना तो अल्लाह तआला की रहमत की बिना पर है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन हर हाल में बेहतर रहता है (यहाँ तक कि) उसकी जान निकल रही होती है और वह अल्लाह तआला की तारीफ़ें करता होता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/273, तिर्मिज़ी, हदीस: 325, 308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1970, अहमद: 1/268, 1/297.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَكِ " . فَقَالَتْ مَا لِي لاَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ".

फ़ायदा : दरअसल रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ आंसूओं से रो रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन (ﷺ) (आपकी परवरिश कुनिन्दा) आवाज़ के साथ रो रही थीं, इसलिए आपने उन्हें रोका। बाक़ी रहा आंसूओं से रोना तो ये तो सदमे के मौक़े पर फ़ितरी अम्र है। इन्सान को इतना कठोर दिल नहीं होना चाहिए कि सदमात ख़ुसूसन मौत से भी मुतास्सिर न हो। आंसूओं से रोना उस रहमत का नतीजा है जो अल्लाह

तआला ने मख़्लूक़ात में रखी है। इससे इन्कार फ़ितरते इन्सानिया का इन्कार है, फिर इसमें शिकायत का पहलू भी है और मोमिन रब्बुल आलमीन की शिकायत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वह तो मरते हुये भी रब्बुल आलमीन की तारीफ़ें करता है। अल्लाहुम्मज्अल्ना मिनल मूमिनीन हक़्क़ा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ، بَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ .

(1845) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुये तो (आपकी लख़्ते जिगर) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) रोने लगीं। साथ साथ कह रही थीं: ऐ मेरे अब्बा जान! जो अपने रब से किस क़द्र क़रीब थे। हाय मेरे अब्बा जान! जिनकी वफ़ात की इत्तिला हम हज़रत जिब्रील(ﷺ) को भी देते हैं। हाय मेरे अब्बा जान! जिनका ठिकाना जन्नतुल फ़िरदौस बन चुका।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1971.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्नूई आवाज़ के साथ रोना और है और क़ुदरती आंसूओं के साथ रोते हुये नेक बातें करना कि मय्यत में हक़ीक़तन वह पाई भी जाती हों तो ये और चीज़ है। पहली बात मना है, दूसरी जायज़, और ये ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित है। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) आंसूओं से रोते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ), जिब्रील (ﷺ) और रब तआला का ज़िक्र फ़रमा रही थीं और ये उनका हक़ था। (2) जिब्रील (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात की इत्तिला देना इज़्हारे ग़म ही का एक तरीक़ा था कि वह आप (ﷺ) के बहुत क़रीबी थे, हज़्रो सफ़र, लैल व नहार, उस्र व युस्र और ख़ुशी व ग़मी के साथी थे।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَبْكِي، وَالنَّاسُ، يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنْهَانِي وَجَعَلَتْ

(1846) हज़रत जाबिर (बिन अब्दुल्लाह)(ﷺ) से मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम (ﷺ) उहुद के दिन शहीद हुये। मैं उनके चेहरे से कपड़ा हटाता था और रोता था, लोग मुझे रोकते थे जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे नहीं रोकते थे। मेरी फूफी मोहतरमा (आवाज़ से) रोने लगी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस पर न रो। तुम्हारे उठाने तक फ़रिश्तों ने बराबर इसको अपने

عَمَّتِي تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ " .

परों के साथ साया किये रखा।' (ﷺ)

(1846) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1244, व मुस्लिम, हदीस़: 2471/130, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1972.

باب : (١٤) النَّهْيِ عَنِ الْبُكَاءِ، عَلَى الْمَيِّتِ

बाब : (14) (मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَبْرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ " . فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " . قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْمَوْتُ " . قَالَتِ ابْنَتُهُ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1847) हज़रत जाबिर बिन अ़तीक (ﷺ) ने बताया कि नबी (ﷺ) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन स़ाबित (ﷺ) की बीमारपुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये तो उन्हें मौत की बेहोशी में पाया। आपने उन्हें पुकारा मगर वह जवाब न दे सके। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ा और फ़रमाया: 'ऐ अबू अर्रबीअ! हम तुम्हारे मामले में बेबस हैं (वरना हम तो तुम्हारी ज़िन्दगी के ख़्वाहिशमन्द हैं)' ये सुन कर औरतें चीख़ पुकार करने लगीं। जाबिर बिन अ़तीक उन्हें चुप कराने लगे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रहने दो लेकिन जब वाजिब हो जाये तो फिर कोई औरत (आवाज़ से) न रोये।' लोगों ने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वाजिब होना क्या है? आपने फ़रमाया: 'मौत' उनकी बेटी कहने लगी: अब्बा जान! मुझे तो उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे क्योंकि आपने अपना सामाने जिहाद तैयार कर रखा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ने उनकी नियत के मुताबिक़ उनका स़वाब लिख दिया है। (फिर हाज़िरीन से पूछा:) तुम शहादत किसे समझते हो?' उन्होंने

عليه وسلم " فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ " . قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ " .

कहा: अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाना। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (عزوجل) के रास्ते में मारे जाने के अलावा भी शहादत की सात सूरतें हैं: ताऊन से मर जाने वाला शहीद है। पेट की तक्लीफ़ से मर जाने वाला भी शहीद है। ग़र्क़ होकर मरने वाला भी शहीद है। दब कर मर जाने वाला भी शहीद है। अन्दुरूनी फूटे (कैंसर व सरतान वग़ैरह) से मर जाने वाला भी शहीद है। आग में जल कर मर जाने वाला भी शहीद है और ज़चगी के दौरान में मर जाने वाली औरत भी शहीद है।'

तख़रीज : **(सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 3111, मोता: 1/233, 234, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1973, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1616, वल हाकिम: 1/352, 353.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जब वह मर जाये तो फिर कोई न रोये' क्योंकि नौहा व बीन मरने के बाद होते हैं, पहले नहीं, लिहाज़ा किसी की मौत से पहले घर वाले रो सकते हैं क्योंकि रोना मना नहीं बल्कि नौहा और शिक्वा शिकायत मना है। जो मौत के बाद ही होते हैं। **(2)** 'शहादत फ़ी सबीलिल्लाह' के अलावा शहादत की सात सूरतें और हैं जिनकी इस हदीस में सराहत है। उन्हें किस वजह से शहादत फ़ी सबीलिल्लाह के दर्जे में रखा गया है? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। हमें बहरहाल इस पर यक़ीन रखना चाहिए कि अल्लाह तआला हदीस में मज़्कूर अफ़राद को शहीदों के दर्जे से सरफ़राज़ फ़रमायेगा। **(3)** 'सात सूरतें' कुछ दीगर अहादीस में इन्फ़िरादी तौर पर शहादत की और भी कई सूरतें ज़िक्र की गई हैं। वह इस रिवायत के मुनाफ़ी नहीं क्योंकि सात में ज़ाइद की नफ़ी नहीं। गोया बतौर मिसाल ये सात ज़िक्र की हैं, वरना और भी हैं। **(4)** मरीज़ की एयादत करना सवाब का काम है, और उससे मरीज़ की दिलजोई होती है। **(5)** आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिये अगर आदमी ने किसी काम की नियत की हूई हो और उसके लिये तैयारी मुकम्मल है लेकिन उसे करने का मौक़ा नहीं मिला, तो उसे उसकी नियत के मुताबिक़ उस काम के करने का अज्र मिल जायेगा। **(6)** आलिम को चाहिए कि मसला समझाने का ऐसा अन्दाज़ अपनाये कि सामेईन के दिल में वह रासिख़ हो जाये, किसी क़िस्म का शुब्हा बाक़ी न रहे। **(7)** अल्लाह तआला का इस उम्मत पर फ़ज़्ले अज़ीम है कि उसने इसके लिये शहादत के कई अस्बाब बनाये ताकि ये उम्मत उनकी बिना पर बलन्द दर्जात हासिल कर सके।

(1848) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जब ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) की (ग़ज़्व-ए मोता में) शहादत की ख़बर आई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) (मस्जिद में) बैठ गये। आपके चेहर-ए-मुबारक पर ग़म के आसार हुवैदा थे। मैं दरवाज़े की झुर्री (दर्ज़) से देख रही थी कि एक आदमी आया और कहने लगा: जाफ़र (के घर) की औरतें (ऊँची ऊँची) रो रही हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जा उन्हें रोक' वह चला गया, फिर (कुछ देर बाद) आ गया और कहने लगा: मैंने उन्हें रोका है लेकिन वह रुक नहीं रहीं। आपने फ़रमाया: 'जा और उन्हें रोक' वह चला गया, फिर आ गया और कहने लगा: मैंने फिर रोका है मगर वह फिर भी बाज़ नहीं आईं। आपने फ़रमाया: 'जा फिर उनके मुँह में मिट्टी डाल दे।' हज़रत आयशा ने फ़रमाया: मैंने (गुस्से से) कहा: अल्लाह तुझे ज़लील करे। अल्लाह की क़सम! न तो तू रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुकून से बैठने देता है और न तू कुछ कर सकता है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 935, बुख़ारी, हदीस: 1305, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1974.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صِئْرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ " . فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ . فَقَالَ " انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ " . فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ . قَالَ " فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ الأَبْعَدِ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी क़रीबी की मौत पर इन्सान घर से बाहर किसी खुली जगह ग़म की हालत में बैठ सकता है कि दूसरे लोग भी अफ़सोस के लिये आयें और उसके पास बैठें और ताज़ियत करें। **(2)** किसी की शहादत पर भी इज़्हारे ग़म किया जायेगा अगरचे ये आला दर्जे की मौत है, मगर है तो मौत ही जो ग़म व अन्दोह का मोजिब है। **(3)** 'अल्लाह उस बेसमझ को ज़लील करे' इन्सान को उसी काम में दख़ल देना चाहिए जो उसके बस में हो। ज़ाहिर है औरतों को उनका कोई क़रीबी ही चुप करा सकता है। ये अजनबी क्या कर सकता था? लिहाज़ा उसे इत्तिला करने के बाद आराम से बैठ जाना चाहिए था ताकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) किसी मुताल्लिक़ा शख़्स को भेजते मगर उसने ख़ुद आराम

किया न आपको आराम से बैठने दिया, हालांकि ये ग़म का मौक़ा था। ऐसे मौक़े पर ज़्यादा शोर गुल मुनासिब नहीं। बहर सूरत वह शख़्स नेक था। साबित हुआ मय्यत पर आवाज़ के साथ रोना जायज़ नहीं, तभी आपने रोकने का हुक्म दिया। ये अलग बात है कि वह अ़मल दरआमद न करा सका। **(4)** ताकीद के लिये क़सम उठाना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " .

(1849) हज़रत उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर रोने से अ़ज़ाब दिया जाता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 927, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1976.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1850) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (رحمه الله) फ़रमाते हैं, हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) के पास ये बात ज़िक्र की गई कि मय्यत को ज़िन्दा लोगों के रोने से अ़ज़ाब होता है तो इमरान (ﷺ) कहने लगे: ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाई है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1975, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 732, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " .

(1851) हज़रत उ़मर (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से अ़ज़ाब दिया जाता है।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1002, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1977, मुस्लिम, हदीस: 927.

फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस हज़रत आयशा (ﷺ) को बयान की गई तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे नहीं फ़रमाया। हज़रत उ़मर या अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) को ग़लती लगी। बात ये थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मरने वाली यहूदी औरत के घर के पास से गुज़रे थे, उसके घर वाले उस पर रो रहे थे, आपने फ़रमाया: 'ये रो रहे हैं, उसको अ़ज़ाब हो रहा है।' आपका मतलब तो ये था कि

उसको उसके कुफ़्र की वजह से अ़ज़ाब हो रहा है मगर हज़रत उ़मर या इब्ने उ़मर (ﷺ) को ग़लती लगी। उन्होंने समझा, रोने की वजह से अ़ज़ाब हो रहा है, हालांकि किसी की ग़लती और गुनाह से दूसरे को अ़ज़ाब क्यूँ हो? रोता कोई है, अ़ज़ाब मय्यत को (ला तज़िरू वाज़िरतुव विज़्रा उख़रा) (बनी इस्राईल: 17/15) हज़रत आ़यशा (ﷺ) की ये बात इन्तेहाई माक़ूल है मगर सूरते हाल ये है कि ये रिवायत एक दो से नहीं बल्कि बहुत से सहाब-ए-किराम (ﷺ) से मरवी है। क्या सबको ग़लती लग गई जबकि हज़रत आ़यशा (ﷺ) तो मौक़े पर मौजूद भी न थीं? और फिर हज़रत उ़मर फ़ारूक़(ﷺ) जैसे मुज्तहिद और फ़क़ीह सहाबी भी बात न समझ सके? हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान कर्दा वाक़िया भी सही है मगर उससे ये लाज़िम नहीं आता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूसरे अल्फ़ाज़ (युअ़ज़्ज़बुल मय्यितु ...... अलख़) इरशाद न फ़रमाये हों। बाक़ी रही बात 'कोई किसी का बोझ नहीं उठाता।' (बनी इस्राईल: 17/15) की तो उ़लमा ने इसकी तौजीह में कहा है कि अ़ज़ाब उस मय्यत को होता है जो अपने घर वालों को रोने का हुक्म दे कर मरा हो या उसने रोने से मना न किया हो जबकि रोने का रिवाज हो। या जो अपनी ज़िन्दगी में ऐसे रोने को अच्छा समझता था और उसकी हौसला अफ़ज़ाई करता था। इस ऐतबार से मरने वाले पर घर वालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब का होना इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि इसमें उसका ईमान या पसन्दीदगी शामिल है।

बाब : (15)मय्यत पर नौहा करना

باب: (١٥) النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

(1852) हज़रत क़ैस बिन आ़सिम (ﷺ) ने (अपनी वफ़ात से पहले) फ़रमाया: मुझ पर नौहा न करना क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर नौहा नहीं किया गया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/61, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1978, व सहीह अल हाकिम: 1/382, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 361.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ لاَ تَنُوحُوا عَلَىَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ . مُخْتَصَرٌ .

फ़ायदा : नौहे से मुराद है मय्यत के (झूठे या सच्चे) औसाफ़ ज़िक्र करके ऊँची ऊँची आवाज़ से रोना, ये मना है क्योंकि आ़म तौर पर इस मौक़े पर मुबालिग़ा आराई की जाती है। अ़रब मुआ़शरे में तो बा'क़ायदा पेशावर नौहा करने वालों की ख़िदमात हासिल की जाती थीं जो अपनी तरफ़ से जोड़ जोड़ कर औसाफ़ ज़िक्र करते यहाँ तक कि वह ग़म के बजाये फ़ख़्र व मुबाहात और फ़साहत व बलाग़त की मज्लिस बन जाती। इसके अलावा आवाज़ से रोना भी मना है और नौहा बग़ैर आवाज़ के हो ही नहीं सकता। मय्यत के मर्सिये पढ़ पढ़ कर लोगों को रुलाना भी नौहे में दाख़िल और हराम है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لاَ يَنُحْنَ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ " .

(1853) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमान होने वाली औरतों से (ज़बानी) बैत ली तो उनसे अहद लिया कि वह नौहा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ औरतों ने दौरे जाहिलियत में नौहे में हमारी मदद की थी तो क्या हम उनकी मदद कर लें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में ऐसी मदद करना जायज़ नहीं।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 3/197, अबू दाऊद, हदीस: 3222, तिर्मिज़ी, हदीस: 1601, इब्ने माजा, हदीस: 1885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1979, व मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 6690, व सहीह इब्ने हिब्बान, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान: 738.

फ़ायदा : जाहिलियत में ये तआवुन (मदद) आम था कि ग़म की बिना पर नहीं बल्कि इस बिना पर किसी मय्यत पर नौहा करने जाती थीं कि उस मय्यत की रिश्तेदार औरतों ने हमारी एक मय्यत पर आकर नौहा किया था, हालांकि ये गुनाह में तआवुन है, लिहाज़ा इसमें बदला देना भी हराम है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ " .

(1854) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है कि मय्यत पर नौहा करने से उसको क़ब्र में अज़ाब दिया जाता है।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1292, मुस्लिम, हदीस: 927/17, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 980.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، - هُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ

(1855) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मय्यत को घर वालों के नौहा करने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। एक आदमी ने उनसे कहा: आप बतायें एक आदमी ख़ुरासान में मर गया और उसके घर वालों ने उस पर यहाँ नौहा किया, तो क्या उसे वहाँ घर वालों के नौहा

رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَا هُنَا أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَبْتَ أَنْتَ .

करने की वजह से अ़ज़ाब होगा? (यानी ऐसे नहीं हो सकता) हज़रत इमरान ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सच फ़रमाया है, तू ही ग़लत कहता है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1981, देखें, हदीस: 36, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : तफ़्सीली बहस देखिये हदीस नम्बर 1851 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ " إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " . ثُمَّ قَرَأَتْ { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .

(1856) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब दिया जाता है।' ये बात हज़रत आ़यशा(ﷺ) से ज़िक्र की गई तो फ़रमाने लगीं: इब्ने उ़मर को ग़लती लग गई। बात ये थी कि नबी(ﷺ) एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे। आपने फ़रमाया: 'इस क़ब्र वाले को '(अपने गुनाहों की वजह से) अ़ज़ाब हो रहा है और उसके घर वाले उस पर रो रहे हैं।' फिर हज़रत आ़यशा ने ये आयत पढ़ी: (ला तज़िरु .....) 'कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठायेगा।' (देखिये, हदीस: 1851)

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3978, मुस्लिम, हदीस: 931, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1982.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ، لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ . قَالَتْ

(1857) हज़रत अ़म्र (ﷺ) ने कहा कि हज़रत आ़यशा (ﷺ) के सामने ज़िक्र किया गया कि हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) कहते हैं: बिलाशुब्हा मय्यत को ज़िन्दा लोगों के उस पर रोने की वजह से अ़ज़ाब दिया जाता है। हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला अबू अ़ब्दुर्रहमान

عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ " إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ " .

(इब्ने उमर (ﷺ)) को माफ़ फ़रमाये, उन्होंने झूठ नहीं बोला लेकिन वह भूल गये या उन्हें ग़लती लग गई, हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक फ़ौत शुदा यहूदी औरत (के घर) के पास से गुज़रे जिस पर रोया जा रहा था तो आपने फ़रमाया: 'ये लोग उस पर रो रहे हैं जबकि उसे (अपने कुफ़्र और गुनाहों की बिना पर) अज़ाब दिया जा रहा है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 932/27, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1289, मोता: 1/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1983.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " .

(1858) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो ये फ़रमाया था: 'बेशक अल्लाह तआला काफ़िर के लिये उसके घर वालों के उस पर कुछ (मख़सूस क़िस्म के) रोने की वजह से अज़ाब में इज़ाफ़ा कर देता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 928, 929, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1286, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1984.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ لَمَّا هَلَكَتْ أُمُّ أَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلاَ تَنْهَى هَؤُلاَءِ عَنِ الْبُكَاءِ

(1859) हज़रत इब्ने अबी मुलैका ने कहा: जब (हज़रत उस्मान (ﷺ) की बेटी) उम्मे अबान फ़ौत हुई तो मैं भी लोगों के साथ (उनके घर) गया। मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) के क़रीब बैठने का मौक़ा मिला। औरतें रोने लगीं तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने कहा: क्या आप उन्हें रोने से नहीं रोकते? बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ)

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَأَى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ انْظُرْ مَنِ الرَّكْبُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ . فَقَالَ عَلَىَّ بِصُهَيْبٍ . فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ أُصِيبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهَيْبٌ يَبْكِي عِنْدَهُ يَقُولُ وَاأُخَيَّاهُ وَاأُخَيَّاهُ . فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ لاَ تَبْكِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " . قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذِبَيْنِ مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ لَمَا يَشْفِيكُمْ { أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " .

को फ़रमाते सुना है: 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर कुछ (मख़्सूस क़िस्म के) रोने की वजह से अ़ज़ाब होता है।' हज़रत इब्ने अ़ब्बास फ़रमाने लगे: हज़रत उ़मर(ﷻ) भी ऐसी ही बात कहते थे। मैं एक दफ़ा हज़रत उ़मर (ﷻ) के साथ सफ़र में निकला यहाँ तक कि जब हम बैदा के मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत उ़मर (ﷻ) ने एक दरख़्त के नीचे एक क़ाफ़िला देखा तो फ़रमाया: जाओ, देखो ये क़ाफ़िले वाले कौन हैं? मैं गया तो वह हज़रत सुहैब (ﷻ) और उनके घर वाले थे। मैंने वापस आकर बताया: अमीरुल मोमिनीन! वह सुहैब(ﷻ) और उनके घर वाले हैं। फ़रमाया: सुहैब को मेरे पास लाओ, फिर हम जब मदीना मुनव्वरा आये तो (चन्द दिन बाद) हज़रत उ़मर(ﷻ) पर क़ातिलाना हमला हो गया। हज़रत सुहैब (ﷻ) उनके पास बैठ कर रोने लगे और कहने लगे: हाय मेरे प्यारे भाई! हाय मेरे प्यारे भाई! हज़रत उ़मर (ﷻ) ने फ़रमाया: सुहैब! न रो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर कुछ (मख़्सूस क़िस्म के) रोने की बिना पर अ़ज़ाब दिया जाता है।' हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷻ) ने कहा: मैंने ये बात हज़रत आयशा (ﷻ) से ज़िक्र की तो फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! तुम ये हदीस़ किसी झूठे और झूठ की तरफ़ मन्सूब अश्ख़ास़ से बयान नहीं करते लेकिन सुनने में ग़लती लग जाती है। तुम्हारे लिये क़ुर्आन मजीद में इसका शाफ़ी हल मौजूद है: 'कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा।'

लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यूँ फ़रमाया था: 'अल्लाह तआला काफ़िर के अज़ाब में उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से इज़ाफ़ा फ़रमाता है।'

(1859) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1985.

फ़ायदा : तफ़्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 1851 में गुज़र चुकी है।

बाब : (16)
मय्यत पर रोने की रुख़सत

باب : (١٦)
الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

(1860) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आल में से एक शख़्सियत फ़ौत हो गई तो औरतें इकट्ठी होकर रोने लगीं। हज़रत उमर (رضي الله عنه) उठ कर उन्हें रोकने और उनको मुन्तशिर करने लगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उमर! रहने दो। आँखों से आँसू गिरा ही करते हैं, दिल में सदमा होता ही है और अभी वफ़ात ताज़ा है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1587, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1986, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 747.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَزْرَقِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ " .

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन हदीस में मज़्कूर मसला दीगर सही शवाहिद की बिना पर सही है कि सदमे की वजह से फ़ितरी तौर पर जो रोना आ जाता है, वह जायज़ है, वह ममनूअ रोने की क़िस्म में नहीं आता। अल्लामा अतयूबी (رحمه الله) ने मज़्कूरा हदीस की शरह करते हुये इसके शवाहिद का तज़्किरा किया है और बहुत ही नफ़ीस बहस की है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 18/314-320)

बाब : (17)
जाहिलियत के दौर जैसी आहो बुका (जायज़ नहीं)

باب : (١٧)
دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(1861) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (किसी मुसीबत पर) रुख़सारों पर थप्पड़ मारता है, गिरेबान फाड़ता है या दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारता (नौहा करता) है।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، ح أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ " . وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَقَالَ الْحَسَنُ " بِدَعْوَى " .

ये अल्फ़ाज़ (इमाम नसाई (رحمه الله) के उस्ताद) अली (बिन ख़ुशरम) ने बयान किये हैं जबकि (इमाम साहिब के दूसरे उस्ताद) हसन (बिन इस्माईल बिदुआ की बजाये) बिदअ्वा के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (जबकि माना व मफ़हूम एक ही है, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ है।)

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 103/166, बुख़ारी, हदीस: 1297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1987.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हममें से नहीं' यानी वह हमारे जारी कर्दा तरीक़े पर नहीं बल्कि इस अमल में काफ़िरों जैसा है, न कि वह काफ़िर हो जाता है। **(2)** अल्लाह तआला के फ़ैसले को रज़ामन्दी से तस्लीम करना चाहिए। आहो बुका (रोना-धोना) नाशुक्री के ज़ुमरे में आती है।

बाब : (18)
सल्क़ (चीख़ व पुकार करना)

باب : (١٨) السَّلْقِ

(1862) हज़रत सफ़वान बिन मुहरिज़ बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बेहोश हो गये तो घर वाले उन पर रोने लग गये। (होश में आने के बाद) उन्होंने फ़रमाया: मैं तुम्हारे इस अमल से बराअत का इज़्हार करता हूँ जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे सामने उससे

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خَالِدٍ الأَحْدَبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكَوْا عَلَيْهِ

فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ كَمَا بَرِئَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلاَ خَرَقَ وَلاَ سَلَقَ .

बराअत फ़रमाई थी: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (मुसीबत के मौक़े पर) बाल मुंडवाये, कपड़े फाड़े और चीख़ो पुकार करे।'

(1862) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 104, पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 4/396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1988.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ हज़रात ने सल्क़ के मानी रुख़सार पीटना भी किये हैं। **(2)** अगरचे घर वाले हज़रत अबू मूसा (ﷺ) की बेहोशी पर रोये थे मगर उन्हें ख़दशा हुआ कि ये मेरी वफ़ात पर भी रोयेंगे, इसलिये तम्बीह फ़रमाई ..... (ﷺ)

بَاب: (١٩) ضَرْبِ الْخُدُودِ

बाब : (19) रुख़सार पीटना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " .

(1863) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) रुख़सार पीटे' गिरेबान फाड़े और जाहिलियत जैसी चीख़ो पुकार करे।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1294, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1989.

بَاب: (٢٠) الْحَلْقِ

बाब : (20) (मुसीबत में) बाल मुंडवाना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي، بُرْدَةَ قَالاَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ تَصِيحُ - قَالاَ - فَأَفَاقَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْكِ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالاَ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ

(1864) हज़रात अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद और अबू बुर्दा फ़रमाते हैं कि: जब हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) की तक्लीफ़ (मर्ज़ुल मौत में) बढ़ गई तो उनकी बीवी रोती चिल्लाती हुई आई, वह होश में आये तो फ़रमाने लगे: क्या मैं तुझे बता न दूँ कि मैं हर शख़्स से बरी हूँ जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ला'तालुक़ हैं? हज़रत अबू मूसा अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को ये हदीस बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ " .

'मैं उस शख़्स से ला'ताल्लुक़ हूँ जिसने (मुसीबत के मौक़े पर बतौर सोग) बाल मुंडवाये, कपड़े फाड़े या चीख़ो पुकार की।'

(1864) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 104, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1990.

फ़ायदा : जिन बालों को मुंडना जायज़ है, जैसे: सर के बाल, सोग के तौर पर उन्हें मुंडना भी नाजायज़ है और जिन बालों को मुंडना नाजायज़ है, जैसे: दाढ़ी और आई ब्रो वग़ैरह, उन्हें सोग से मुंडना तो बदर्ज-ए-औला नाजायज़ होगा। दरअसल शरीअत का मन्शा ये है कि इन्सान हवादिस से मुतास्सिर तो हो मगर इस क़द्र नहीं कि इन्सानी वक़ार मज्रूह या ख़त्म हो जाये, इन्सानियत क़ाइम रहनी चाहिए। ऊपर दिये गये काम इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ हैं, लिहाज़ा मना हैं, अलबत्ता बे'इख़्तियार आँखों से आँसूओं का निकल आना और इसी तरह ग़म का इज़्हार करना जायज़ है क्योंकि ये फ़ितरी चीज़ें हैं बल्कि ऐसे मौक़ों पर इन फ़ितरी चीज़ों का भी इज़्हार न हो तो इसका मतलब है कि वह शख़्स फ़ितरी रहमत से आरी है और फ़ितरत से बेन्याज़ी (तबअन हो या तकल्लुफ़न) इन्सानियत के मुनाफ़ी है।

बाब : (21)
गिरेबान फाड़ना

باب : (٢١)
شَقِّ الْجُيُوبِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " .

(1865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) रुख़सार पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की पुकार पुकारे।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1863, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1991.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي

(1866) हज़रत यज़ीद बिन औस से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बेहोश हो गये तो उनकी एक लौण्डी (जो उनके बच्चों की माँ भी थी) रोने लगी। जब वह होश में आये तो

مُوسَى، أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَهَا أَمَا بَلَغَكِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ " .

उससे फ़रमाया: क्या तुझे वह बात नहीं पहुँची जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है? (बाद में) हमने उस लौण्डी से पूछा तो उसने बताया कि (उन्होंने फ़रमाया था) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (मुसीबत के मौक़े पर) चीख़े चिल्लाये, बाल मूंडे ओर कपड़े फाड़े।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/396, अबू दाऊद, हदीस: 3130, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1992, बुख़ारी, हदीस: 1296, मुस्लिम, हदीस: 104.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ، امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ " .

(1867) हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं जो (सोग में) बाल मूंडे, चीख़े चिल्लाये या कपड़े फ़ाड़े।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 104, पिछली हदीस देखें: 1864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1993.

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنِ الْقَرْثَعِ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى . ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَىُّ شَىْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1868) हज़रत क़रसअ ने कहा: जब हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) को तक्लीफ़ ज़्यादा हो गई तो उनकी एक ज़ोज-ए-मोहतरमा रोने लगीं, हज़रत अबू मूसा ने फ़रमाया: क्या तुझे पता नहीं कि इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क्या फ़रमाया है? वह कहने लगीं, क्यों नहीं? फिर वह चुप हो गईं, बाद में उनसे पूछा गया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) का वह फ़रमान क्या था? वह कहने लगीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स पर लानत की है जो (सोग की बिना पर) बाल मूंडे या चीख़े चिल्लाये या कपड़े फाड़े।

لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1994, देखें, हदीस: 1866.

بَاب: (٢٢)
الأَمْرِ بِالاِحْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا . فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ " إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ " . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ " هَذَا رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ " .

बाब : (22)
मुसीबत की आमद के वक़्त सवाब तलब करने की नियत और सब्र करने का हुक्म

(1869) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) की बेटी (हज़रत ज़ैनब(ﷺ)) ने आपको पैग़ाम भेजा कि मेरा बेटा क़रीबुल वफ़ात है, आप तशरीफ़ लायें, आपने जवाबी पैग़ाम भेजा, सलाम कहा और फ़रमाया: 'अल्लाह ही का है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा था, और अल्लाह तआला के यहाँ हर चीज़ की मुद्दत मुक़र्रर है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि वह सब्र करे और (अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो) सवाब तलब करने की नियत करे।' आप की बेटी ने दोबारा पैग़ाम भेजा और आपको क़सम दी कि आप ज़रूर तशरीफ़ लायें। आप उठे जबकि आपके साथ हज़रात सअद बिन उबादा, मुआज़ बिन जबल, उबय बिन कअब, ज़ैद बिन साबित और बहुत से दूसरे सहाबा (ﷺ) भी थे। (जब आप पहुँचे तो) बच्चा रसूलुल्लाह(ﷺ) को पकड़ाया गया। बच्चे का साँस उखड़ रहा था। आपकी आँखों से आँसू बहने लगे। हज़रत सअद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्या है? आपने फ़रमाया: 'ये रहमत है जो अल्लाह तआला अपने बन्दों के दिलों में पैदा करता है और

अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों में से उन्हीं पर रहम फ़रमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं।'

(1869) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1284, मुस्लिम, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 195.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सब्र' से मुराद शरीअ़त के हुक्म का पाबन्द रहना है, न ये कि अफ़सोस न करे या आँसू न बहाये, ये तो फ़ितरी चीज़ें हैं जो ममनूअ़ या नापसन्दीदा नहीं। **(2)** बात को पुख़्ता करने के लिये या किसी से मुतालबा मनवाने के लिये क़सम डाल देना दुरुस्त है। **(3)** अगर कोई इस तरह क़सम डाल दे तो उसकी क़सम को पूरा करना चाहिए। **(4)** पहले सलाम फिर कलाम होना चाहिए। **(5)** मरीज़ की एयादत करनी चाहिए, ख़्वाह वह अपने से कम तर ही हो या छोटा बच्चा ही क्यूँ न हो, इससे उसकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। **(6)** अहले फ़ज़्ल व सलाह को मरीज़ या क़रीबुल वफ़ात शख़्स के पास दुआ़ वग़ैरह के लिये दावत दी जा सकती है। **(7)** आदमी अपने इमाम से कोई नई चीज़ देखे तो वज़ाहत पूछ सकता है। **(8)** सवाल में हुस्ने अदब मल्हूज़ ख़ातिर रहना चहिए। **(9)** अल्लाह की मख़्लूक़ के साथ नर्मी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। **(10)** आहो बुका के बग़ैर रोना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى" .

(1870) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब्र पहली चोट के वक़्त है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1302, मुस्लिम, हदीस: 926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1996

फ़ायदा : मक़सद ये है कि सोग और जज़अ़ फ़ज़अ़ (रोना-धोना) हमेशा तो नहीं रह सकते, आख़िरकार वह ख़त्म हो ही जायेंगे, मगर उसे सब्र नहीं कहते, सब्र तो ये है कि इन्सान मुसीबत के इब्तेदाई वक़्त में अपने आपको शरई अहकाम और इन्सानी वक़ार का पाबन्द रखे, और यही मुश्किल काम है, सवाब भी इसी सब्र का है, रो पीट कर सब्र किया तो वह क्या सब्र है? बिल आख़िर तो सब्र करना ही पड़ता है, लेकिन ये शरीअ़त वाला सब्र नहीं है, ये तो मजबूरी है कि उसके बग़ैर चारा नहीं। अज्र व सवाब सिर्फ़ उसी सब्र में है जो आज़माइश और ग़म के वक़्त किया जाये, न कि उसके बाद वाले सब्र पर।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ، - وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ - عَنْ أَبِيهِ، رضى الله

(1871) हज़रत कुर्रा मुज़नी (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया, उसके साथ उसका एक बेटा था। आपने उस आदमी से फ़रमाया: 'क्या तू इससे मोहब्बत

عنه أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ " أَتُحِبُّهُ " . فَقَالَ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ . فَمَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ " مَا يَسُرُّكَ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ " .

करता है?' उसने कहा: अल्लाह तआला आपसे वैसी ही मोहब्बत फ़रमाये जैसी मैं इससे रखता हूँ (यानी मुझे इससे इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत है) हुआ यूँ कि वह बच्चा फ़ौत हो गया। आपने जब कई दिन उस शख़्स को न देखा तो उसके बारे में पूछा। (आपको बताया गया तो आपने उसे बुलाया, वह आया तो) आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू (क़यामत के दिन) जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाये, वहाँ उसे पाये, वह भागता हुआ तेरे लिये दरवाज़ा खोले?'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/636, 5/34, 35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1997, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 725, वल हाकिम: 1/384.

फ़ायदा : मालूम होता है वह बच्चा नाबालिग़ था। एक दूसरी हदीस के मुताबिक़ नाबालिग़ बच्चे पर सब्र का सवाब दुख़ूले जन्नत है क्योंकि नाबालिग़ बच्चे से प्यार ज़्यादा होता है, उसकी वफ़ात का सदमा भी ज़्यादा होता है, और वह मासूम और बेगुनाह होने की वजह से अल्लाह की रहमत का ज़्यादा हक़दार होता है, उसकी सिफ़ारिश रद्द नहीं होगी लेकिन ये सब कुछ तब है जब सब्र किया हो और सवाब की नियत की हो।

باب : (٢٣)
ثَوَابِ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ

बाब : (23)
जो शख़्स सब्र करे और सवाब की नियत करे, उसका अज्र

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعَزِّيهِ بِابْنٍ لَهُ

(1872) हज़रत अम्र बिन शुऐब ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन को उनके एक फ़ौत होने वाले बेटे की ताज़ियत करते हुये (ख़त) लिखा कि मैंने अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत शुऐब) को अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضی اللہ عنہ) की

هَلَكَ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ " .

रिवायत से ये बयान फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दे के जिगर गोशे को अपने पास बुला ले, और वह उस पर सब्र करे और अल्लाह तआला से इस (मुसीबत के बदले) सवाब तलब करे और वही बात मुँह से निकाले जिसका अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया है तो अल्लाह तआला जन्नत से कम कोई बदला उसके लिये पसन्द नहीं फ़रमाता।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1998, वज़्ज़ुहद लिइब्ने मुबारक: 2/27, हदीस: 106.

फ़ायदा : ज़ाहिर है इससे गुनाह माफ़ हो जायेंगे क्योंकि जन्नत में जाने से पहले गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी है।

باب : (٢٤) ثَوَابِ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ

बाब : (24) जो आदमी अपनी औलाद में से तीन बच्चों पर सब्र करे और सवाब का तालिब हो, तो उसका सवाब

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَوِ اثْنَانِ قَالَ " أَوِ اثْنَانِ " . قَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا .

(1873) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी औलाद में से (फ़ौत होने वाले) तीन बच्चों की वफ़ात पर सब्र करे और सवाब तलब करे, वह जन्नत में जायेगा।' एक औरत खड़ी होकर कहने लगी: अगर दो बच्चे हों तो? आपने फ़रमाया: 'दो हों, तब भी।' (बाद में) उस औरत ने कहा: काश मैं (एक बच्चा) भी कह देती।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6/421, इब्ने हिब्बान, हदीस: 721, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1999.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवाब तो दरअसल सब्र का है, एक बच्चे की वफ़ात पर हो या दो या

तीन बच्चों की वफ़ात पर। अगरचे सवाब में कमी बेशी तो होगी, बहरहाल जन्नत में जाने के लिये एक बच्चे की वफ़ात पर सब्र करना और सवाब तलब करना काफ़ी है जैसा कि रिवायत नम्बर 1872 में गुज़रा। **(2)** सहाबियात (ﷺ) भी दीन के मसाइल जानने पर बहुत हरीस थीं वह बड़े ज़ौक़ शौक़ से मसाइल के बारे में आगही (जानकारी) हासिल करती। मसाइल दरयाफ़्त करने में उन्हें कोई हिजाब और हिचकिचाहट नहीं थी। **(3)** अहले इस्लाम के सिन्ने बुलूग़त को पहुँचने से पहले फ़ौत होने वाले बच्चे जन्नत में जायेंगे।

बाब : (25)
जिस शख़्स के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें?

باب: (٢٥)
مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ

(1874) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान के तीन नाबालिग़ बच्चे फ़ौत हो जायें (फिर वह उन पर सब्र करे) तो अल्लाह तआला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने के बाइस उस (मुसलमान) को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।'

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ " .

(1874) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2001.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नाबालिग़' अरबी अल्फ़ाज़ हैं: (लम यब्लुग़ुल हिन्स) हिन्स गुनाह को कहते हैं, यानी वह गुनाह की उम्र, यानी बुलूग़त को न पहुँचे हों क्योंकि बुलूग़त से पहले बच्चे के गुनाह लिखे नहीं जाते। **(2)** ये सवाब नाबालिग़ के साथ ख़ास है। क्योंकि वह बेगुनाह होता है, उससे मोहब्बत भी शदीद होती है और उसकी वफ़ात का सदमा भी ज़्यादा होता है जबकि बालिग़ गुनाहगार होता है। अल्लाह तआला की रहमत और माँ बाप की मोहब्बत में भी फ़र्क़ पड़ जाता है क्योंकि मुमकिन है उससे माँ बाप के हुक़ूक़ में कमी हो जाती हो। कुछ हज़रात ने बालिग़ को बदर्जे-ए-औला इस सवाब में दाख़िल किया है कि जब नाबालिग़ की वफ़ात पर सब्र का सवाब ये है जिससे वालिदैन को कोई मफ़ाद हासिल नहीं होता बल्कि वालिदैन को ख़ुद उस पर ख़र्च करना पड़ता है और उसकी ख़िदमत भी करनी पड़ती है तो बालिग़ की वफ़ात पर बदर्जे-ए-औला ये सवाब मिलेगा क्योंकि बालिग़ तो वालिदैन का सहारा होता है, उसकी वफ़ात का सदमा ज़्यादा होगा मगर ये तौजीह हदीस के ज़ाहिर और उर्फ़े इन्सानी के ख़िलाफ़ है, पहली बात ही सही तर है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدِّثْنِي . قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ " .

(1875) हज़रत सअ़सअ़ बिन मुआ़विया ने कहा, मैं हज़रत अबू ज़र्र (ﷺ) से मिला और अ़र्ज़ किया: मुझे कोई हदीस़ बयान फ़रमायें! फ़रमाया: अच्छा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी दो मुसलमान (माँ, बाप) हों और उनके तीन नाबालिग़ बच्चे फ़ौत हो जायें तो अल्लाह तआ़ला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों (वालिदैन) के गुनाह भी माफ़ फ़रमा देगा।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुसनद अहमद: 5/151, इब्ने हिब्बान (अल मवारिद), हदीस़: 1649, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2002, मुसनद अहमद: 5/159.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " .

(1876) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान शख़्स़ के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें (और वह उन पर स़ब्र करे) तो उसे आग नहीं छूएगी मगर क़सम पूरी करने के लिये।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** बुख़ारी: 6656, मुस्लिम: 2632, मोता: 1/235, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2003.

फ़ायदा : क़सम से मुराद कुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला का ये फ़रमान है: 'और तुममें से हर शख़्स़ जहन्नम में जायेगा, ये तेरे रब के ज़िम्मे हतमी और तै शुदा बात है।' (मरयम: 19/71) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसका मतलब ये बयान फ़रमाया कि हर शख़्स़ को स़िरात (पुल स़िरात) पर से गुज़रना पड़ेगा जो जहन्नम के ऊपर है ताकि उसमें गुनाहों के मौजूद अस़रात जहन्नम की तपिश या आग से ख़त्म हो जायें और वह पाक स़ाफ़ होकर जन्नत में दाख़िल हो। चूंकि इन्सान तबअ़न ख़ताकार है, लिहाज़ा हर इन्सान का स़िरात पर से गुज़रना माक़ूल है। ये अलग बात है कि मासूम इन्सान, जैसे: अम्बिया (ﷺ) बिजली की तरह गुज़र जायेंगे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا

(1877) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिन मुसलमान माँ बाप

إِسْحَاقُ، - وَهُوَ الأَزْرَقُ - عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ " . قَالَ " يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا فَيُقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ " .

के तीन नाबालिग़ बच्चे फ़ौत हो जायें, अल्लाह तआला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने की वजह से उनके माँ बाप को भी जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। बच्चों से कहा जायेगा: तुम जन्नत में दाख़िल हो जाओ। वह कहेंगे: हम तब जायेंगे जब हमारे माँ बाप भी जन्नत में जायें तो फ़रमाया जायेगा: तुम और तुम्हारे माँ बाप सब जन्नत में दाख़िल हो जाओ।'

(1877) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/510, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2004.

फ़ायदा : अल्लाह तआला ये इस्तिहक़ाक़े जन्नत उन वालिदैन को अता फ़रमायेगा जिन्होंने बच्चों की वफ़ात पर स़ब्र व रिज़ा के सबूत के साथ साथ ईमान व तक़्वा की ज़िन्दगी गुज़ारी होगी। अल्लाह तआला ऐसे अहले ईमान के बारे में उन बच्चों की सिफ़ारिश क़बूल फ़रमायेगा और उन्हें पहले मरहले में जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा।

بَابٌ : (٢٦) مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً

बाब : (26) जिस शख़्स़ के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي، طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا يَشْتَكِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلاَثَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ " .

(1878) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अपने मरीज़ बेटे को लेकर आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस (की मौत) का ख़तरा है जबकि पहले भी मेरे तीन बच्चे मर चुके हैं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने आग से (बचने के लिये) मज़बूत रुकावट तैयार कर ली है।'

(1878) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2000.

बाब : (27)
वफ़ात की इत्तिला करना

باب: (٢٧)
النَّعْيِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

(1879) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद और हज़रत जाफ़र (ﷺ) की वफ़ात की इत्तिला उनकी ख़बर आने से पहले ही (बज़रिय-ए-वह्य) फ़रमा दी थी। जब आपने इत्तिला फ़रमाई तो आपकी आँखों से आँसू बह रहे थे।

(1879) **तख़रीज : (सनद सहीह)** बुख़ारी, हदीस: 3630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2005.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मौत की इत्तिला देना दुरुस्त है। जबकि एक हदीस में नअ्य से रोका गया है। देखिये: (मुसनद अहमद: 5/385) दरअसल इससे मुराद जाहिलियत के दौर की तरह मौत का ऐलान है जो सिर्फ़ फ़ख़्र व मबाहात के लिये बड़े बड़े झूठे सच्चे अल्क़ाबात के ज़रिये से किया जाता था, इसका मक़सद इत्तिला के बजाये फ़ख़्र था और वह बा'क़ायदा पेशावर हज़रात के ज़रिये से बड़े एहतिमाम और ख़र्च के साथ किया जाता था। **(2)** ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोजिज़ा था कि सहाबा शाम में शहीद हुये और आपने मदीना में उनकी ख़बर दे दी। शाम से उनकी शहादत की ख़बर बाद में आई।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ " .

(1880) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हब्शा के बादशाह नजाशी (رحمه الله) की वफ़ात की इत्तिला (बज़रिय-ए-वह्य) उसी दिन दे दी थी जिस दिन वह फ़ौत हुये और फ़रमाया: 'अपने भाई के लिये बख़्शिश की दुआ करो।'

(1880) **तख़रीज : (सनद सहीह)** बुख़ारी, हदीस: 3880, मुस्लिम, हदीस: 951/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2006.

फ़ायदा : नजाशी लक़ब था। नाम उनका अस्हमा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बा'क़ायदा सफ़बन्दी के साथ उनका जनाज़ा भी पढ़ाया था। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَعِيدُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لاَ تَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ " . قَالَتْ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيِّتِ فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ . قَالَ " لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى " . قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ . فَقَالَ لَهَا " لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَبِيعَةُ ضَعِيفٌ .

(1881) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि: एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ चले जा रहे थे कि आपने एक औरत को देखा। वह औरत ये नहीं समझती थी कि आपने उसे पहचान लिया है। जब आप रास्ते के दरम्यान में पहुँचे तो रुक गये यहाँ तक कि वह औरत आपके क़रीब पहुँच गई तो पता चला कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) हैं। आपने उनसे कहा: 'फ़ातिमा! घर से कैसे निकली?' उन्होंने कहा: मैं फ़ुलां मय्यत के घर वालों के पास गई थी। मैंने उनसे इज़्हारे अफ़सोस किया और स़ब्र की तल्क़ीन की और तसल्ली दी। आपने फ़रमाया: 'कहीं आप उनके साथ कुदा क़ब्रिस्तान में तो नहीं गईं?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह कि मैं वहाँ जाती जबकि मैंने आपको इस बारे में बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ फ़रमाते सुना है। आपने फ़रमाया: 'अगर तू उनके साथ क़ब्रिस्तान जाती तो जन्नत को देख भी न सकती (दाख़िल होना तो दूर की बात है) यहाँ तक कि तेरे वालिद के दादा (अ़ब्दुल मुत्तलिब) उसे देखें।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रबीआ ज़ईफ़ है।

तख़रीज : **(सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस़: 3123, नैलुल मक़सूद: क़ 2/714, हदीस़: 3123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2007, व स़हीह अलहाकिम: 1/373,.374.-

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस हदीस़ के रावी रबीआ के ज़ुअ़फ़ की स़राहत करके इमाम नसाई(رحمه الله) ने गोया इस रिवायत के ज़ुअ़फ़ होने की तरफ़ इशारा फ़रमाया है। उ़लमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन के माबैन मज़्कूरा हदीस़ की स़ेहत व ज़ुअ़फ़ की बाबत इख़्तिलाफ़ है। शैख़ अल्बानी(رحمه الله) और शारेह

सुनन नसाई शैख़ अली बिन मुहम्मद अतयूबी ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि मुहक़्क़िक़ीने किताब ने इसकी सनद को हसन कहा है, ताहम अगर मज़्कूरा रिवायत को हसन भी मान लिया जाये, फिर भी इस रिवायत से औरतों का क़ब्रिस्तान में जाना मम्नूअ क़रार नहीं पाता क्योंकि ये उस वक़्त की बात है जब इब्तेदा-ए-इस्लाम में लोगों को क़ब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया था, फिर जब नबी(ﷺ) ने इसकी इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों का भी क़ब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया क्योंकि इजाज़त के अल्फ़ाज़ आम हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, अलबत्ता इस उमूम से वह औरतें ख़ारिज होंगी जो सब्र व ज़ब्त से आरी और ग़ैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिये जाने की इजाज़त नहीं होगी। वल्लाहु आलम। **(2)** इस रिवायत में कुदा से मुराद मक्का का मक़ाम कुदा नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा का क़ब्रिस्तान मुराद है। **(3)** औरत ताज़ियत के लिये किसी के घर जा सकती है।

बाब : (28)
मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना

باب : (٢٨)
غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

(1882) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी साहबज़ादी की वफ़ात के वक़्त हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत हो तो, पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर डाल दो या थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो और फ़ारिग़ होकर मुझे इत्तिला देना।' चुनांचे हमने फ़ारिग़ होकर आपको इत्तिला दी तो आपने हमें अपना तहबन्द दिया और फ़रमाया: 'इसे उसके बदन पर लपेट दो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 939/38, बुख़ारी: 1253, मोता: 1/222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2008.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (ﷺ) थीं। अगरचे कुछ (लोगों) ने हज़रत उम्मे कुल्सूम (ﷺ) भी कहा है। **(2)** बेरी के पत्ते सफ़ाई और नर्मी वग़ैरह के लिये डाले जाते थे। यही

मक़्सद अगर किसी साबुन से पूरा हो जाये तो बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं। उस वक़्त साबुन वग़ैरह न थे। ये चीज़ें मक़्सूद नहीं, ज़रिया हैं और ज़रिया बदलते रहते हैं, ताहम बेरी के पत्ते इस्तेमाल कर लेने बेहतर हैं। **(3)** आपका अपना इज़ार (तहबन्द) पहनाने के लिये देना बतौर तबर्रुक था। रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपसे मुताल्लिक़ा चीज़ों से तबर्रुक तो मुतफ़क़्क़ा मसला है, अलबत्ता दूसरे सालेहीन से तबर्रुक के सबूत की कोई दलील नहीं। सहाबा ने ऐसा नहीं किया। **(4)** मय्यत को ताक़ अदद में ग़ुस्ल देना चाहिए।

बाब : (29)
मय्यत को गर्म पानी से ग़ुस्ल देना

باب : (٢٩)
غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ

(1883) हज़रत उम्मे क़ैस (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मेरा बेटा फ़ौत हो गया। मुझे उस पर सख़्त सदमा हुआ। मैंने ग़ुस्ल देने वाले से कहा: मेरे बेटे को ठण्डे पानी से ग़ुस्ल न देना कि तू उसे मार दे। (मेरा भाई) हज़रत उकाशा बिन मिहसन (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया और मेरी ये बात आपको बताई, आप मुस्कुराये और फ़रमाया: 'क्या कहा उसने? उसकी उम्र लम्बी हो।' हम कोई और औरत ऐसी नहीं जानते जिसे उस जैसी उमर दी गई हो।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** बुख़ारी, अल्अदबुल मुफ़रद हदीस: 652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2009.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، قَالَتْ تُوُفِّيَ ابْنِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لاَ تَغْسِلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ . فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ " مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا " . فَلاَ نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ .

फ़ायदा : 'कि तू उसे मार दे' शिद्दते मोहब्बत और फिर शिद्दते ग़म में ऐसी बातें उमूमन हो जाती हैं। ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है।

बाब : (30)
मय्यत के सर के बाल खोलना

باب : (٣٠)
نَقْضِ رَأْسِ الْمَيِّتِ

(1884) हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरीन बयान करती हैं कि हमें हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) (आपके दौर की ग़ासिला) ने बयान फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ،

تَقُولُ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ . قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ قَالَتْ نَعَمْ .

ग़ुस्ल देने वाली औरतों ने नबी (ﷺ) की बेटी के सर की तीन मेण्ढियाँ बनाई थीं। मैंने पूछा कि बालों को खोल कर फिर तीन मेण्ढियाँ बनाई थीं? उन्होंने कहा: हाँ।

(1884) तख़रीज:(सनद सही) बुख़ारी: 1260, मुस्लिम: 939/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2010.

फ़ायदा : अहनाफ़ मेण्ढियाँ बनाने के बजाये बालों के दो हिस्से करने के क़ाइल हैं, फिर दोनों सीने पर दायें बायें रख दिये जायें मगर अहादीस में तीन मेण्डियों का ज़िक्र है।

باب : (٣١)
مَيَامِنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ

बाब : (31)
मय्यत के दाहिने आज़ा और वुज़ू वाले आज़ा (से ग़ुस्ल की इब्तेदा करना)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ " ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا " .

(1885) हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी के ग़ुस्ल के मौक़े पर फ़रमाया: 'उसके दाहिने और वुज़ू वाले आज़ा से ग़ुस्ल शुरू करना।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 167, मुस्लिम, हदीस: 939/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2011, मुसनद अहमद: 6/408.

باب : (٣٢)
غُسْلِ الْمَيِّتِ وِتْرًا

बाब : (32)
मय्यत को ताक़ तादाद में ग़ुस्ल देना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ "

(1886) हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की एक बेटी फ़ौत हो गईं। आपने हमें (ग़ुस्ल देने के लिये) बुला भेजा, फिर फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल देना और इसे तीन मर्तबा या अगर ज़रूरत महसूस करो तो पाँच मर्तबा या सात मर्तबा ताक़

اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " . وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا .

दफ़ा ग़ुस्ल देना और आख़री दफ़ा कुछ काफ़ूर भी डाल लेना, फिर जब तुम फ़ारिग़ हो जाओ तो मुझे इत्तिला करना।' हम जब फ़ारिग़ हुये तो हमने आपको इत्तिला की। आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फैंका और फ़रमाया: (कफ़न से पहले) इसको इसमें लपेट देना।' हमने उनके बालों की तीन मेण्ढियाँ कंघी से बनाईं और उनको उनके पीछे डाल दिया।

(1886) तख़रीज : (सनद सह़ी) बुख़ारी: 1263, मुस्लिम: 939/41, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2012.

फ़ायदा : 'पीछे डाल दिया' मगर अहनाफ़ सीने पर डालने के क़ाइल हैं।

باب : (٣٣)
غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

बाब : (33)
मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा ग़ुस्ल देना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " .

(1887) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से मरवी है कि जब हम आपकी बेटी को ग़ुस्ल दे रही थीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत महसूस करो, तो पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और आख़री मर्तबा थोड़ा सा काफ़ूर भी शामिल कर दो, फिर जब तुम फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला कर देना।' चुनांचे जब हमने फ़ारिग़ होकर आपको इत्तिला दी तो आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फैंका और फ़रमाया: 'इसको उसमें लपेट कर फिर कफ़न देना।'

(1887) तख़रीज : (सनद सह़ी) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2013.

बाब : (34) मय्यत को सात से भी ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना

باب : (٣٤) غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " .

(1888) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की एक बेटी फ़ौत हो गईं। आपने हमें बुला भेजा और फ़रमाया: 'उसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या उससे ज़्यादा दफ़ा, अगर ज़रूरत महसूस करो तो, पानी और बेरी से गुस्ल देना। और आख़री दफ़ा काफ़ूर डाल देना या थोड़ा सा काफ़ूर (पानी में) मिला लेना, फिर जब तुम फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब हम फ़ारिग़ हुईं तो हमने आपको इत्तिला की। आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फैंका और फ़रमाया: '(कफ़न देने से पहले) उसमें इसको लपेट देना।'

(1888) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2014.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ " .

(1889) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) से इस जैसी रिवायत आती है मगर उसमें ये अल्फ़ाज़ हैं कि आपने फ़रमाया: 'तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या सात मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा अगर तुम ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल दो।'

(1889) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 939/39, बुख़ारी, हदीस: 1258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2015, देखें, हदीस: 1885.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

(1890) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक बेटी फ़ौत हो गईं तो आपने हमें उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया और

عَنْ بَعْضِ، إِخْوَتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ " . قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ " نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "

फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या सात मर्तबा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा, अगर ज़रूरत महसूस करो तो ग़ुस्ल देना।' मैंने कहा: जी ताक़? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और आख़री दफ़ा काफ़ूर डाल लेना। या कुछ काफ़ूर (पानी में) मिला लेना, फिर जब फ़ारिग़ होना तो मुझे इत्तिला करना।' जब हम (ग़ुस्ल से) फ़ारिग़ हो गईं तो हमने आपको इत्तिला की। आपने अपना तहबन्द हमें दिया और फ़रमाया: '(सब से पहले) इसे इसमें लपेटो।'

(1890) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2016, इब्ने सीरीन, हदीस: 1892, 894.

باب : (٣٥)
الْكَافُورِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

बाब : (35)
मय्यत को ग़ुस्ल देते वक़्त काफ़ूर डालना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " . قَالَ أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا .

(1891) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी बेटी को ग़ुस्ल दे रही थीं। आपने फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा अगर ज़रूरत महसूस करो तो, पानी और बेरी (के पत्तों) से ग़ुस्ल देना और आख़री दफ़ा काफ़ूर या कुछ काफ़ूर डाल लेना, फिर जब तुम फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब हम फ़ारिग़ हुए तो हमने आपको इत्तिला की। आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फैंका और फ़रमाया: 'इसको इसमें लपेट देना।'

(रावी-ए-हदीस) अय्यूब बयान करते हैं कि हफ़्सा बिन्ते सीरीन ने कहा: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या

قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

सात मर्तबा ग़ुस्ल देना। और उम्मे अ़तिया (ﷺ) ने फ़रमाया: हमने उनकी तीन मेण्ढियाँ कंघी से बना दीं।

(1891) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1882, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2017.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

(1892) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) फरमाती हैं कि हमने उनके सर के बालों की तीन मेण्ढियाँ बना दीं।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 939/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2019.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَتْ، حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَجَعَلْنَا، رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

(1893) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से रिवायत है कि हमने उनके सर (के बालों) की तीन मेण्ढियाँ बना दीं।

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1884, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2018.

फ़ायदा : एक ही बाब के तहत और एक ही हदीस़ का तकरार कुछ इस्नादी बारीकियाँ ज़ाहिर करने के लिये है जैसा कि कई दफ़ा पीछे गुज़रा। इन बारीकियों को समझने के लिये असानीद का बग़ौर मुताला ज़रूरी है।

باب : (٣٦)
الإِشْعَارِ

बाब : (36)
कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(1894) हज़रत अय्यूब बिन अबी तमीमा से रिवायत है कि मैंने हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन को कहते हुये सुना कि हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) जो कि अन्सार में से थीं, अपने एक बेटे की ख़बर लेने के लिये आई थीं मगर उसे (ज़िन्दा) न पाया। उन्होंने बयान फ़रमाया कि नबी (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी

وسلم عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " . وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ لاَ أَدْرِي أَىُّ بَنَاتِهِ . قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُهُ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " . أَتُؤَزَّرُ بِهِ قَالَ لاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَهَا فِيهِ .

बेटी को गुस्ल दे रही थीं। आपने फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, पानी और बेरी के पत्तो से ग़ुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर भी डाल दो या थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो। और जब ग़ुस्ल से फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब हम फ़ारिग़ हुए (और हमने आपको इत्तिला की) तो आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फैंका और फ़रमाया: 'इसे उसमें लपेट दो।' इससे ज़्यादा कुछ न फ़रमाया। (रावी-ए-हदीस़) अय्यूब ने कहा: मैं नहीं जानता कि ये आपकी कौन सी बेटी थीं? (रावी-ए-हदीस़) इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने (अय्यूब बिन अबी तमीमा से) पूछा: आपके फ़रमान (अश्इर्नहा इय्याहु) का मतलब क्या है? क्या इससे उसका इज़ार बनाया जायेगा? उन्होंने फ़रमाया: मेरा ख़्याल है आपका मतलब ये था कि इसे उसमें लपेट दो।

(1894) **तख़रीज : (सनद स़ही)** देखें, हदीस़: 1884, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2020.

फ़ायदा : औरत के कफ़न के लिये भी तीन कपड़े ही काफ़ी हैं। इसमें मर्द और औरत की तफ़रीक़ की कोई स़ही हदीस़ नहीं। मज़ीद देखिये: (किताबुल जनाइज़, लिल अल्बानी, स़फ़ा: 85)

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

(1895) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की एक बेटी फ़ौत हो गई, आपने फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, ग़ुस्ल दो। और इसे पानी और बेरी (के पत्तों) से ग़ुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर डाल दो या

رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . قَالَتْ فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " .

कुछ काफ़ूर डालो। जब तुम फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला करना।' हमने आपको इत्तिला की तो आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फेंका और फ़रमाया: 'उसके बदन पर इसे लपेट दो।'

(1895) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2021.

फ़ायदा : 'फेंका' गोया पकड़ाया नहीं क्योंकि आपका हाथ सारी ज़िन्दगी ग़ैर महरम औरत के हाथ को नहीं लगा। ये इन्तेहाई दर्जे की एहतियात है जो आपने अपनी उम्मत को समझाने के लिये फ़रमाई। (इस हदीस के बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 1882)

باب: (۳۷)
الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ

बाब : (37)
अच्छे कफ़न का हुक्म

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ " .

(1896) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो आपने अपने एक सहाबी का ज़िक्र फ़रमाया जो फ़ौत हो गया था और उसे रातों रात दफ़न कर दिया गया था और नाक़िस कफ़न पहनाया गया था, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी मय्यत को रात के वक़्त दफ़न करने से मना फ़रमाया मगर ये कि इन्तेहाई मजबूरी व लाचारी हो, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी पर अपने किसी भाई (रिश्तेदार) के कफ़न दफ़न की ज़िम्मेदारी आ पड़े तो वह उसके लिये अच्छा कफ़न तैयार करे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 943, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2022.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कफ़न अच्छा होने से मुराद ये है कि वह नया कपड़ा हो, मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) न हो, सफ़ेद हो रंगदार न हो (ताकि पुराने नये का अन्दाज़ा हो सके), साफ़ सुथरा

हो, मैला कुचेला न हो। दरम्यानी क़ीमत का हो जो देखने में नामुनासिब मालूम न हो और अवामुन्नास इसे इस्तेमाल करते हों। सादा हो, मुनक़्क़श न हो। ये मतलब नहीं कि क़ीमती और महंगा हो क्योंकि कुछ रिवायात में महंगे कफ़न से सराहतन रोका गया है। **(2)** मज़्कूरा हदीस से और इस मौज़ूअ की दीगर तमाम रिवायात जमा करने के बाद मालूम होता है कि रात के वक़्त मुर्दों को दफ़न करना जायज़ नहीं मगर ये कि कोई मजबूरी और अश्द्द (सख़्त) ज़रूरत पेश आ जाये। रात के वक़्त तद्फ़ीन की मुमानिअत मुमकिन है इस गुमान की वजह से हो कि नमाज़े जनाज़ा में लोग कम तादाद में शरीक होंगे, और कफ़न दफ़न में कोताही होगी। लेकिन अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली गई हो तो उज़्र की पेशे नज़र रात को भी दफ़न करना पड़े तो जायज़ है जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने रात के वक़्त मय्यत को क़ब्र में दफ़न किया था। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 1057) और इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने तालीक़न बयान किया है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को रात के वक़्त दफ़न किया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1340) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की बाबत मरवी है कि उनको रात के वक़्त दफ़न किया गया। (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 3/31) मज़्कूरा रिवायात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि मजबूरी और उज़्र के पेशे नज़र रात के वक़्त दफ़न करना जायज़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (38)कौन सा कफ़न बेहतर है?

باب: (٣٨) أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

(1897) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये ज़्यादा साफ़ सुथरे और उम्दा होते हैं और अपने फ़ौतशुदगान को भी इन्हीं में कफ़न दिया करो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2023, तिर्मिज़ी, हदीस: 2810, इब्ने माजा, हदीस: 3567, व सहीह तिर्मिज़ी, वल हाकिम: 4/185.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सफ़ेद कपड़े में मामूली सा मैल कुचेल और गंदगी भी ज़ाहिर होती है, लिहाज़ा उसे जल्दी साफ़ किया जाता है और वह साफ़ सुथरा रहता है, रंगदार कपड़ों में मैल कुचेल महसूस नहीं होता, वह देर तक धोये नहीं जाते, इसलिये बीमारियों का सबब बन सकते हैं। वैसे भी सफ़ेद कपड़े की एक शान होती है। **(2)** मजबूरी न हो तो कफ़न सफ़ेद ही होना चाहिए। **(3)** कफ़न पहनाना वाजिब है।

बाब : (39)
नबी (ﷺ) का कफ़न कैसा था?

باب : (٣٩)
كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1898) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को (इलाक़-ए-यमन की) सुहूल बस्ती के बने हुये तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2024, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 6171, बुख़ारी, व मुस्लिम (अहमद: 6/264).

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ.

(1899) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुहूल बस्ती के बने हुये तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया जिनमें कोई क़मीस या पगड़ी न थी।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1273, मुस्लिम, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2025, मोता: 1/223.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

(1900) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को यमन के बने हुये तीन सफ़ेद सूती कपड़ों में कफ़नाया गया, उनमें कोई क़मीस या पगड़ी न थी। हज़रत आयशा से ज़िक्र किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि दो कपड़े थे और तीसरी धारीदार चादर थी। उन्होंने फ़रमाया: चादर (धारीदार) लाई तो गई थी मगर गुस्ल और कफ़न देने वालों ने वापस कर दी थी, उसमें आपको कफ़न नहीं दिया।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 941/46, बुख़ारी, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2026.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कफ़न के लिये तीन कपड़े मस्नून हैं, दो में भी गुज़ारा हो सकता है, न मिलें तो मजबूरी में एक भी काफ़ी है, जैसे जंगे उहुद के कुछ शोहदा के लिये सिर्फ़ एक चादर ही मिली, नबी (ﷺ) ने उसी एक चादर ही में दफ़न कर दिये। **(2)** 'क़मीस़ और पगड़ी' कफ़न में क़मीस़ और पगड़ी नहीं होनी चाहिए जैसा कि इस हदीस़ में स़राहत है, जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं। अहनाफ़ क़मीस़ और अहम शख़्सियत के लिये पगड़ी जायज़ समझते हैं। इस हदीस़ के मानी करते हैं कि क़मीस़ और पगड़ी उन तीन कपड़ों में शामिल न थे, उनके अ़लावा थे, मगर ये मानी ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हैं, अलबत्ता कुछ ज़ईफ़ अहादीस़ में पगड़ी का ज़िक्र है लेकिन तर्जीह स़ही अहादीस़ ही को होगी।

बाब : (40)कफ़न में क़मीस़

باب: (٤٠) الْقَمِيصِ فِي الْكَفَنِ

(1901) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ؓ) से रिवायत है कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़ीन का सरदार) मर गया तो उसके बेटे (अ़ब्दुल्लाह) नबी (ﷺ) के पास आये और गुज़ारिश की कि मुझे अपनी क़मीस़े मुबारक अ़ता फ़रमायें ताकि मैं अपने बाप को इसमें कफ़न दूँ। आप उसका जनाज़ा भी पढ़िये और उसके लिये बख़्शिश की दुआ़ भी कीजिये। आपने उन्हें क़मीस़ दे दी और फ़रमाया: 'जब तुम गुस्ल और कफ़न से फ़ारिग़ हो तो मुझे इत्तिला करना, मैं उसका जनाज़ा पढ़ूँगा।' (जब आप जनाज़े पर पहुँचे तो) हज़रत उ़मर (ؓ) ने आपको अपनी तरफ़ मुतवज्जा किया और गुज़ारिश की कि क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा पढ़ने से रोका नहीं? आपने फ़रमाया: '(नहीं) मुझे दो चीज़ों में इख़्तियार दिया गया है कि इन (मुनाफ़िक़ीन) के लिये बख़्शिश तलब करो या न करो, अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं फ़रमायेगा।' फिर आपने जनाज़ा पढ़ दिया। बाद में अल्लाह तआ़ला ने ये आयत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ . فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ ثُمَّ قَالَ " إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي أُصَلِّي عَلَيْهِ " . فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ . فَقَالَ " أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ " . قَالَ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ } فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ } فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ.

उतारी: 'इन मुनाफ़िक़ीन में से कोई मर जाये तो कभी भी उसका जनाज़ा न पढ़ें और न उसकी क़ब्र पर खड़े हों।' फिर आपने मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा पढ़ना छोड़ दिया।

(1901) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1269, मुस्लिम, हदीस: 2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2027.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) इन्तेहाई मुख़्लिस मुसलमान थे। उनका रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर ऊपर दी गई गुज़ारिशात करना फ़ितरी चीज़ है। हर बेटा ख़ुसूसन नेक बेटा माँ बाप की भलाई चाहता है। चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबय ज़ाहिरन कलिमा गो था, इसलिये वह समझते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बरकत से शायद उसकी मग़फ़िरत हो जाये, बिल ख़ुसूस जबकि अभी मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने या न पढ़ने की बाबत कोई वाज़ेह हुक्म भी नहीं आया था। इसी तरह नबी (ﷺ) का उनके मुतालबात को तस्लीम फ़रमा लेना दरअसल उस मुसलमान बेटे की दिलदारी के अलावा आपकी रहमतुल लिल आलमीन का भी मज़हर था। इस वाक़िये के बाद अल्लाह तआला ने मुमानिअत का हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया। **(2)** 'क़मीस दे दी' कहा गया है कि ये क़मीस दरअसल उस क़मीस के बदले के तौर पर दी थी जो क़मीस अब्दुल्लाह बिन उबय ने नबी (ﷺ) के चचा हज़रत अब्बास (ﷺ) को बद्र की जंग के क़ैदी की हैसियत में दी थी। **(3)** 'रोका नहीं'? हज़रत उमर (ﷺ) ने समझा कि जब इसकी मग़फ़िरत मुमकिन नहीं तो मतलब यही है कि जनाज़ा न पढ़ो मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला के अन्दाज़े बयान में उम्मीद की किरण देखी क्योंकि सराहतन हुक्मे मुमानिअत न था, हाँ मुश्रिक के लिये इस्तेग़फ़ार से सराहतन रोका गया था मगर अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ था, मुश्रिक न था, मुनाफ़िक़ का हुक्म बाद में उतरा। **(4)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस हदीस से इस्तेदलाल फ़रमाया है कि क़मीस भी कफ़न में शामिल हो सकती है। लेकिन दीगर दलाइल व अहादीस की रोशनी में ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि उनमें ख़ुद आप (ﷺ) के लिये तीन कपड़ों का इन्तेख़ाब हुआ और यक़ीनन जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) के लिये तज्वीज़ हुआ वही अफ़ज़ल है। रही बात जवाज़ की तो सूरते हाल का जायज़ा लेने से ही मालूम होता है कि ये एक इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया था जो आम जवाज़ की दलील नहीं बन सकता, वह इस तरह कि हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस क़मीस का मुतालबा किया था जो आप (ﷺ) के वजूदे मसऊद पर थी और ख़ास कर आपकी जिल्द के साथ लगी थी, आप उसका इन्कार न फ़रमा सके बल्कि तालीफ़े क़ल्ब और हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) की हौसला अफ़ज़ाई की ख़ातिर आपने उन्हें दे दी बल्कि अब्दुल्लाह बिन उबय को ख़ुद पहना दी जैसा कि सही बुख़ारी (हदीस: 1270) में है। बल्कि मालूम होता है कि ये उस

क़मीस़ का बदला था जो आपके चचा अ़ब्बास (ﷺ) को अ़ब्दुल्लाह बिन उबय ने दी थी जबकि वह जंगे बद्र के बाद क़ैदी बने क्योंकि उनकी क़मीस़ फटी हूई थी और आ़म पैमाइश की क़मीस़ उन्हें पूरी नहीं आई थी तब उन्हें वह क़मीस़ मरहमत की गई अ़ब्दुल्लाह बिन उबय क़द्दावर इन्सान था। बहरहाल इस हदीस़ से आप (ﷺ) के ख़ल्क़े अ़ज़ीम का पता चलता है कि आपको उसके मुनाफ़िक़ होने का यक़ीन था, नबी-ए-अकरम(ﷺ), इस्लाम और दीगर मुसलमानों के लिये उसकी ईज़ा भी ढकी छुपी नहीं थी, उसके बावजूद आपने उसे क़मीस़ पहनाई और उसका जनाज़ पढ़ा। **(5)** मुनाफ़िक़ पर उसके ज़ाहिर को मद्दे नज़र रखते हुये दुनिया में इस्लाम वाले अहकाम जारी होंगे। **(6)** आदमी ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसकी हक़ीक़त के बारे में इज़्हार किया जा सकता है, जैसे हज़रत उ़मर(ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन उबय के मुनाफ़िक़ होने का इज़्हार किया है, ये ला तसुब्बुल अम्वात (मुर्दों को बुरा भला न कहो) में शामिल नहीं। **(7)** आदमी स़ाहिबे इल्म व फ़ज़्ल शख़्सियत को कोई ऐसा काम करते देखे जिसे वह ख़िलाफ़े शरअ़ समझता है तो वह इस्तेफ़सार कर सकता है। **(8)** स़ाहिबे फ़ज़्ल शख़्स़ को अच्छी तरह वज़ाहत करके उस आदमी का इश्काल दूर करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ وَقَدْ وُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(1902) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) अ़ब्दुल्लाह बिन उबय की क़ब्र पर तशरीफ़ लाये जबकि उसे लहद में रखा जा चुका था, आप क़ब्र पर खड़े हुये और उसे निकालने का हुक्म दिया। उसे (क़ब्र से) निकाला गया, फिर आपने उसे अपने घुटनों पर रखा और उसे अपनी क़मीस़ पहनाई और उसके मुँह में (या उसके जिस्म पर) अपना लुआ़बे मुबारक डाला। अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानता है। (हिकमत क्या थी?)

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1270, व मुस्लिम, हदीस़: 2773, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2028.

फ़ायदा : ये रिवायत मशहूर रिवायात से मुतआ़रिज़ मालूम होती है जिनमें क़मीस़ पहले देने, जनाज़ा पढ़ने और फिर क़ब्र पर जनाज़े के साथ आने का ज़िक्र है, हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसका एक हल ये पेश किया है कि पहली रिवायत में देने से मुराद देने का वादा है, वादे पर अ़तिया का लफ़्ज़ बोल दिया गया है। दूसरा हल और तत्बीक़ ये है कि मुमकिन है दो मर्तबा आपने क़मीस़ दी हो, एक पहले और दूसरी मर्तबा जब आप क़ब्र पर हाज़िर हुये। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, हदीस़: 1270) वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَبَتِ الأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلاَّ قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ .

(1903) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्बास (ﷺ) मदीना में (क़ैद) थे तो (उनकी क़मीस़ फटी हुई थी, लिहाज़ा) अन्सार ने उनके लिये कोई कपड़ा तलाश किया जो उन्हें पहना सकें मगर अब्दुल्लाह बिन उबय की क़मीस़ के अलावा कोई क़मीस़ उन पर सही न आती थी (क्योंकि वह क़द्दावर थे और वह भी क़द्दावर था। आख़िर उन्होंने वही उनको पहना दी।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई, हदीस: 2029.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़िक्र करने से इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि नबी (ﷺ) का उसकी वफ़ात के मौक़े पर क़मीस़ अता फ़रमाना दरअसल उस क़मीस़ का बदला था जो उसने आपके चचा को पहनाई थी। क्योंकि आप एहसान का बदला ज़रूर देते थे।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا، قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1904) हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हिजरत की तो हम सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के तालिब थे, लिहाज़ा हमारा सवाब अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। हममें से कुछ तो इस हालत में फ़ौत हुये कि उन्होंने अपने अज्र व सवाब का कुछ भी हिस्सा दुनिया में वसूल न किया था। ऐसे मुख़्लिसीन में से एक हज़रत मुसअब बिन उमैर (ﷺ) थे जो जंगे उहुद में शहीद हुये। हमें उनको कफ़न देने के लिये सिर्फ़ एक चादर मिली, वह भी इतनी (छोटी थी) कि जब हम उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव नंगे हो जाते थे और जब हम उनके पाँव ढाँपते थे तो उनका सर नंगा हो जाता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया कि हम इससे उनका सर ढाँप दें

عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا . وَاللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ .

और पाँव पर घास डाल दें। और हममें से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके लिये उनके सवाब का फल इस दुनिया में भी पक कर तैयार हो गया। वह उसको तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं।

हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊद रावी के बयान कर्दा हैं।

(1904) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 3914, मुस्लिम, हदीस़: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2030.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि उन्हें आख़िरत में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि मक़सूद ये है कि उन लोगों को उनकी हिजरत के कुछ नताइज दुनिया में भी हासिल हो गये, आख़िरत में तो सवाब बहर सूरत मिलेगा। मगर मुसअब (ﷺ) जैसे साथियों का दर्जा बहुत ऊँचा होगा। **(2)** इस रिवायत में क़मीस का ज़िक्र नहीं है। जिससे बिला क़मीस कफ़न की मशरूइयत पर इस्तेदलाल है, जबकि आग़ाज़े बाब में अब्दुल्लाह बिन उबय की रिवायत से इसके जवाज़ का रुझान मालूम होता है लेकिन ये उस वक़्त है जब कोई और चार-ए-कार न हो, और उसे मज़्कूरा उन्वान के तहत ज़िक्र करने का मक़सद ये भी हो सकता है कि एक कपड़े में भी कफ़न जायज़ है जबकि सूरते हाल इस क़िस्म की हो। वल्लाहु आलम!

باب : (٤١)
كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

बाब : (41)
जो शख़्स हालते एहराम में, मर जाये तो उसे कैसे कफ़न दिया जाये?

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ

(1905) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुहरिम को उसके उन्हीं दो कपड़ों में ग़ुस्ल दो जिनमें उसने एहराम बाँधा था। और उसे पानी और बेरी (के पत्तों) से ग़ुस्ल दो। उसको उन्हीं दो कपड़ों में कफ़न दो और उसे ख़ुशबू न लगाओ और न उसका सर ढाँपो क्योंकि वह क़यामत के दिन एहराम की हालत में उठाया जायेगा।'

تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا " .

(1905) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1268, मुस्लिम, हदीस: 1206, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2031.

फ़ायदा : इस हदीस से साफ़ मालूम होता है कि मुहरिम फ़ौत भी हो जाये, तब भी उसका एहराम क़ाइम रखा जाये, यानी उसे ख़ूशबू लगाई जाये न उसका सर ढाँपा जाये, मगर अहनाफ़ ने इस ख़ास और सरीह रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत: 'जब इन्सान मर जाये तो उसका अमल मुन्क़तअ़ हो जाता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1631) से इस्तेदलाल करते हुये कहा है कि मुहरिम को भी आम इन्सान की तरह ग़ुस्ल और कफ़न दिया जाये, हालांकि सहीह मुस्लिम की इस रिवायत से कैसे मालूम होता है कि ग़ुस्ल और कफ़न के ख़ुसूसी अहकाम उस पर लागू नहीं हो सकते? जबकि शहीद के बारे में ख़ुद अहनाफ़ मानते हैं कि शहीद को ग़ुस्ल नहीं दिया जायेगा, उसी ख़ून आलूद हालत में उसे दफ़न किया जायेगा तो क्या ऐतराज़ है अगर मुहरिम को एहराम की हालत में दफ़न कर दिया जाये? क्या सब अहादीस पर अमल ज़रूरी नहीं? अगर शहीद का ख़ास हुक्म हो सकता है तो मुहरिम का क्यूँ नहीं? जबकि हदीस सरीह और वाज़ेह है। अहनाफ़ कहते हैं ये हदीस उस मुहरिम के साथ ख़ास है जिसके बारे में आपने ये बयान फ़रमाई थी, मगर पूछा जा सकता है कि हज़रत वाला! शहीद को ग़ुस्ल न देने वाली हदीस शोहदा-ए-उहुद के साथ ख़ास क्यूँ नहीं? बहरहाल वाज़ेह हदीस की मौजूदगी में क़यास और राय की कोई हैसियत नहीं।

बाब : (42)
कस्तूरी

باب : (٤٢)
الْمِسْكُ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ " .

(1906) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन ख़ूशबू कस्तूरी है।'

तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 2252, मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2169, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2032.

फ़ायदा : कस्तूरी के बारे में इश्काल ये हो सकता है कि कस्तूरी तो दरअसल हिरण का ख़ून है जिसका इस्तेमाल जायज़ नहीं, मगर कोई चीज़ जब क़ुदरती तौर पर तब्दील हो जाये और उसमें पहले असरात बिल्कुल ख़त्म हो जायें तो उसका हुक्म बदल जायेगा। कस्तूरी भी किसी लिहाज़ से ख़ून के औसाफ़ नहीं

रखती, लिहाज़ा उसका हुक्म ख़ून से मुख़्तलिफ़ होगा। ख़ून भी तो ख़ूराक से बनता है मगर उसे ख़ूराक का हुक्म हासिल नहीं। इसी तरह ग़ल्ला जात और सब्ज़ियाँ भी तो मिट्टी और गोबर वग़ैरह ही से बनती हैं मगर उन पर अस़ल का हुक्म नहीं लगता।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ " .

(1907) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कस्तूरी तुम्हारी बेहतरीन ख़ूशबू है।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** अबू दाऊद, हदीस़: 3158, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2033, मुस्लिम, हदीस़: 2252, पिछली हदीस़ देखें।

باب : (٤٣)
الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

बाब : (43)
जनाज़े की इत्तिला देना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي " . فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا فَقَالَ " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا " . قَالُوا يَا

(1908) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक मिस्कीन औरत बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को उसकी बीमारी की ख़बर दी गई। रसूलुल्लाह(ﷺ) मिस्कीन लोगों की बीमारपुर्सी और ख़बरगीरी फ़रमाया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे इत्तिला करना।' उसका जनाज़ा रात को ले जाया गया और स़हाबा ने पसन्द न किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जगायें। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस वाक़िये की ख़बर दी गई। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे इसकी इत्तिला देना?' स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने रात के वक़्त आपको जगाना मुनासिब न समझा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्रिस्तान की तरफ़ चले और उसकी क़ब्र

رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلاً . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

पर लोगों की सफ़ें बनाईं और चार तकबीरें कहीं। (यानी जनाज़ा पढ़ा।)

(1908) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद शाफ़ेई, सफ़ा: 358, मोता: 1/227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2034.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मसला साबित होने के साथ ये भी साबित हुआ कि दोबारा क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। अहनाफ़ दोबारा या क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ने के क़ाइल नहीं हैं मगर ये कि मय्यत को बग़ैर जनाज़ा पढ़े दफ़न कर दिया गया हो। वह इस हदीस को बिला दलील रसूलुल्लाह(ﷺ) से ख़ास समझते हैं **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) में ग़ायत दर्जे की तवाज़ोअ थी कि फ़ुक़रा और मसाकीन की एयादत के लिये उनके घर जाते और बीमारपुर्सी करते ..... (ﷺ) **(3)** मर्द औरत की तीमारदारी कर सकता है, इसी तरह औरत भी। **(4)** ऐसी हुक्म अदुली जिसमें हुक्म देने वाले की भलाई और ताज़ीम व तक्रीम मक़सूद हो, गुनाह शुमार नहीं होगी। **(5)** नबी-ए-अकरम(ﷺ) ग़ैब नहीं जानते थे। **(6)** रात को दफ़न करना जायज़ है।

باب : (۴۴)
السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

बाब : (44)
जनाज़ा लेकर जल्दी चलना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ - يَعْنِي السُّوءَ - عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي " .

(1909) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब नेक शख़्स चारपाई पर रखा जाता है तो वह कहता है: मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और जब बुरा आदमी चारपाई पर रखा जाता है तो वह कहता है: अफ़सोस! मुझे कहाँ ले जा रहे हो?'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/292, 474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2035, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 764.

फ़ायदा : मरने के बाद मय्यत आलमे बर्ज़ख में दाख़िल हो जाती है और उस पर बर्ज़ख़ी अहकाम लागू हो जाते हैं जो हमारी दुनिया के अहकाम से मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा मय्यत का ये कहना बर्ज़ख़ी अम्र है

जो हमारी दुनिया से मुताल्लिक़ नहीं, इसलिये हमें सुनाई भी नहीं देता। हो सकता है रूह कहती हो। बहर सूरत आलमे बर्ज़ख़ हमारी अक़्ल से बाला है। उस पर बग़ैर तफ़्सील जाने ईमान लाना वाजिब है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ " .

(1910) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मय्यत को चारपाई पर रखा जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर वह नेक हो तो कहता है: मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और अगर वह नेक नहीं तो कहता है: हाय अफ़सोस! मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज़ को इन्सान के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाये।'

(1910) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1380, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2036.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये कोई मुहाल बात नहीं कि जानवर उस चीज़ का इद्राक कर लें जिसका इन्सान को इदराक नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने जानवरों में बड़ी बड़ी सलाहियतें वदीयत कर रखी हैं, जैसे: कुत्ते की कुव्वते शामा (सूंघने वाली कुव्वत) हैरतअंगेज़ हद तक इन्सान से ज़्यादा है। वह किसी इन्सान के ख़ाली कपड़े सूंघ कर उस इन्सान तक पहुँच जाता है। इन्सान में ये सलाहियत मफ़्कूद है, जैसे: शिकारी और खोजी कुत्ते। **(2)** 'बेहोश हो जाये' यानी उस बुरे इन्सान (मय्यत) की ख़ौफ़नाक आवाज़ सुन कर। **(3)** ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि उसकी आवाज़ ज़िन्दा लोगों को नहीं सुनाता। **(4)** जनाज़ा उठाना मर्दों के लिये मशरूअ है, औरतें नहीं उठायेंगी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " .

(1911) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, और वह इस रिवायत को नबी (ﷺ) तक पहुँचाते थे, कि आपने फ़रमाया: 'जनाज़ा जल्दी लेकर चलो। अगर वह नेक है तो तुम उसे ख़ैर की तरफ़ ले जा रहे हो और अगर वह नेक नहीं तो तुम एक शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1315, मुस्लिम, हदीस: 944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2037.

फ़ायदा : जनाज़ा जल्दी ले जाने के दो मफ़हूम हो सकते हैं: (1) जनाज़ा ज़्यादा देर तक घर में न रखो बल्कि तक्फ़ीन व तज्हीज़ में जल्दी करो। (2) जनाज़ा उठाने के बाद तेज़ तेज़ चलो। बोझ उठाने वाला शख़्स फ़ितरी तौर पर तेज़ तेज़ चलता है, मगर उतना तेज़ न चले कि मय्यत को झटके लगें।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدَّمْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " .

(1912) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'मय्यत को जल्दी ले जाओ क्योंकि अगर वह नेक है तो तुम उसे ख़ैर की तरफ़ जल्दी ले जा रहे हो और अगर वह नेक नहीं तो तुम एक शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 944/51, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2038.

फ़ायदा : 'गर्दनों से उतार रहे हो' पहले मानी की रू से इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग़ हो रहे हो, दूसरा मानी ज़ाहिर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ السَّرِيرِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ . فَكَانُوا يَدِبُّونَ دَبِيبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ

(1913) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जौशन फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा के जनाज़े में हाज़िर हुआ। ज़ियाद (गवर्नर बस्रा) चारपाई के आगे आगे चलने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान के घरेलू रिश्तेदार और उनके गुलाम (चारपाई के आगे) चारपाई की तरफ़ मुँह करके उलटे पाँव चलने लगे। और वह (जनाज़ा उठाने वालों को) कहते थे: आहिस्ता आहिस्ता चलो। अल्लाह तआला तुम्हारी नेकी में बरकत फ़रमाये। तो इस तरह वह गोया रेंग रेंग कर (यानी बहुत आहिस्ता) चल रहे थे यहाँ तक कि जब हम रास्ते में मिर्बद मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत अबू बक्रा(ﷺ) ख़च्चर पर सवार पीछे से हमें आ मिले। जब उन्होंने उन लोगों को ऐसा करते देखा तो उनकी तरफ़ ख़च्चर को दौड़ाया और उनकी

وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُّوا فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلاً ‏.‏ فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ ‏.‏

तरफ़ कोड़ा लहराया और फ़रमाया: रास्ता छोड़ दो। (यानी मय्यत के आगे से हट जाओ) मुझे क़सम है उस ज़ात की जिसने अबुल क़ासिम(ﷺ) के चेहर-ए-अनवर को इज़्ज़त दी है! मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में मय्यत को उठाकर तेज़ तेज़ चलते थे, फिर (ये बात सुन कर) सब लोग मुतमइन हो गये।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2039, व सहीह अल हाकिम: 1/355.

फ़ायदा : 'मुतमइन हो गये' यानी इस वज़ाहत के बाद सब लोग इस बात पर मुतमइन हो गये कि जनाज़े को उठा कर तेज़ तेज़ चलना चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُشَيْمٍ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلاً ‏.‏ وَاللَّفْظُ حَدِيثُ هُشَيْمٍ ‏.‏

(1914) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूब याद है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में मय्यत को लेकर तेज़ तेज़ चलते थे। हदीस के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ हुशैम के हैं (न कि इस्माईल के)

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2040.

फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत को उठा कर तेज़ चलना चाहिए जिस तरह बोझ उठाने वाला तबअन तेज़ चलता है, यहाँ भागना मक़सूद नहीं।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ ‏"‏

(1915) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब जनाज़ा तुम्हारे पास से गुज़रे तो खड़े हो जाओ, फिर जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये, वह जनाज़ा (ज़मीन पर) रखे जाने तक न बैठे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1310, मुस्लिम, हदीस: 959/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2044.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ अगले बाब के तहत ज़िक्र होनी चाहिए। पिछले बाब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। वल्लाहु आलम! **(2)** 'खड़े हो जाओ' एक और हदीस़ में इसकी वजह भी बयान की गई है: (मुसनद अहमद: 3/354) 'मौत घबराहट का बाइस़ है।' यानी मौत को देख कर या सुन कर इन्सान को घबरा जाना चाहिए। हवादिस़ से मुतास्स़िर होना फ़ितरी चीज़ है। और मौत तो सबसे बड़ा हादस़ा है। एक की मौत दूसरों को भी उनकी मौत याद दिलाती है, लिहाज़ा जनाज़ा देखें तो अपना काम छोड़ कर खड़े होना चाहिए। कुछ रिवायात में ये वजह भी ज़िक्र है कि ये क़याम फ़रिश्तों के एहतिराम के तौर पर है जो जनाज़े के साथ होते हैं। इन दोनों सूरतों में जनाज़ा आम होगा, मुस्लिम का हो या काफ़िर का। कुछ का ख़्याल है कि ये खड़े होना तआवुन के इम्कान के लिये है। इस सूरत में ये हुक्म सिर्फ़ मुस्लिम के जनाज़े के लिये होगा, यानी जब तक जनाज़ा कंधों पर है, साथियों के तआवुन की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाज़ा जनाज़ा ज़मीन पर रखने तक शरीक होने वाले न बैठें लेकिन ये तौजीह कमज़ोर है। (क़याम की बाक़ी बहस़ आइन्दा बाब में है।)

बाब : (45)
जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म

باب : (٤٥)
الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ".

(1916) हज़रत आ़मिर बिन रबीआ (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई जनाज़ा (आता हुआ) देखे और उसको जनाज़े के साथ न जाना हो तो (कम अज़ कम) खड़ा हो जाये यहाँ तक कि जनाज़ा उससे आगे गुज़र जाये या गुज़रने से पहले ज़मीन पर रख दिया जाये।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 958/74, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 1308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2041.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ

(1917) हज़रत आ़मिर बिन रबीआ अ़दवी(ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा (आता) देखो तो खड़े हो जाओ यहाँ तक कि जनाज़ा तुमसे आगे गुज़र जाये या (ज़मीन पर) रख दिया जाये।'

(1917) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 958, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1307, 2042.

فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " .

(1918) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा (आता) देखो तो खड़े हो जाओ जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये वह न बैठे यहाँ तक कि जनाज़ा (ज़मीन पर) रख दिया जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1915, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2043.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ " .

(1919) हज़रत अबू हुरैरह और अबू सईद (ﷺ) दोनों ने फ़रमाया: हमने तो कभी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी जनाज़े के साथ तशरीफ़ फ़रमा हों और जनाज़ा ज़मीन पर रखे जाने से पहले बैठ गये हों।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2045, बुख़ारी, हदीस: 1309, 1310 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي، سَعِيدٍ قَالاَ مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ .

(1920) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा लेकर गुज़रे तो आप खड़े हो गये।

अ़म्र (बिन अ़ली की रिवायत में यूँ है, उन्होंने) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/53, अइज़्न: 3/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2046.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ح وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ . وَقَالَ

عَمْرٍو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ .

أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ .

(1921) हज़रत यज़ीद बिन साबित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि (एक दफ़ा) हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे थे कि एक जनाज़ा आता नज़र आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठ खड़े हुये और जो लोग आपके पास थे वह भी उठ खड़े हुये, फिर सब खड़े रहे यहाँ तक कि जनाज़ा आगे गुज़र गया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/388, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2047.

फ़ायदा : ऊपर दी गई क़ौली और फ़ेअली, मरफ़ूअ और मौक़ूफ़ रिवायात से सराहतन साबित होता है कि जनाज़ा आता देख कर खड़े हो जाना चाहिए। फ़ितरत और अक़्ल भी इसी बात का तक़ाज़ा करते हैं और यही सही है। मगर हज़रत अली और इब्ने अब्बास (ﷺ) क़याम के क़ाइल नहीं या कहें कि इसे ज़रूरी नहीं समझते जैसा कि आगे एक बाब में अहादीस आ रही हैं, मगर वह उनका इस्तिम्बात मालूम होता है, इसलिये वह क़याम की रिवायात का मुक़ाबला नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इन रिवायात से रसूलुल्लाह (ﷺ) का बैठना साबित होता है, और तत्बीक़ भी मुमकिन है कि खड़े होने का हुक्म इस्तेहबाब पर दलालत करता है मगर बैठना भी जायज़ है और ये अच्छी तत्बीक़ है। (मज़ीद बहस के लिये देखिये, हदीस: 1915)

باب : (٤٦)
الْقِيَامِ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ

बाब : (46)
मुशिरकीन के जनाज़े के लिये खड़ा होना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

(1922) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला बयान करते हैं कि हज़रात सहल बिन हुनैफ़ और क़ैस बिन सअद बिन उबादा (ﷺ) क़ादसिया मक़ाम पर थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। वह दोनों खड़े हो गये। उनसे कहा गया: ये जनाज़ा तो इस

بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ . فَقَالاَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ . فَقَالَ " أَلَيْسَتْ نَفْسًا " .

इलाक़े वालों (यानी ज़िम्मी काफ़िरों) का है? तो उन दोनों ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये। आपसे कहा गयाः ये तो एक यहूदी का जनाज़ा है! आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'क्या ये इन्सानी जान नहीं थी?'

(1922) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 1312, मुस्लिम, हदीसः 961, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 2048.

फ़ायदा : दीन से क़तअ नज़र इन्सानियत का भी एहतिराम होना चाहिए, और मौत में मुस्लिम काफ़िर सब बराबर हैं, फिर काफ़िरों से रवादारी उन्हें इस्लाम के क़रीब लाने का सबब बनेगी। इख़्तिलाफ़े दीन की वजह से इन्सानी तक़ाज़ों से इन्हिराफ़ दीने फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। दीने इस्लाम तो जानवरों तक से हमदर्दी रखता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बहुत सी अहादीस़ इस पर दलालत करती हैं।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ فَقَالَ " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا " . اللَّفْظُ لِخَالِدٍ .

(1923) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गये। हम भी आपके साथ खड़े हो गये। (बाद में) मैंने आपसे कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो एक यहूदी औरत का जनाज़ा था! आपने फ़रमायाः 'मौत घबराहट वाली चीज़ है, लिहाज़ा जब तुम कोई जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ।'

हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ ख़ालिद रावी के बयान कर्दा हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 960, बुख़ारी, हदीसः 1311, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2049.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस़ नम्बर 1915.

बाब : (47) खड़े न होने की रुख़सत

باب: (٤٧) الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا هَذَا قَالُوا أَمْرُ أَبِي مُوسَى . فَقَالَ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ .

(1924) हज़रत अबू मअ़मर बयान करते हैं कि हम हज़रत अ़ली (ﷺ) के पास बैठे थे कि एक जनाज़ा पास से गुज़रा। लोग उसकी वजह से खड़े हो गये। हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमाया: ये क्या है? (तुम क्यूँ खड़े हुये?) लोगों ने कहा: ये हज़रत अबू मूसा (ﷺ) की हिदायत है। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) तो सिर्फ़ एक यहूदी औरत के जनाज़े को देख कर खड़े हुये थे, उसके बाद कभी खड़े नहीं हुये।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/141, 4/413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2050, आगे हदीस देखें: 2001.

फ़ायदा : हज़रत अ़ली (ﷺ) अपने इल्म व रूयत की बात कर रहे हैं वरना सहाब-ए-किराम (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के खड़े होने की रिवायात सराहतन आई हैं। क़ौली रिवायात इसके अ़लावा हैं। जिनमें हर जनाज़े का ज़िक्र है। इन रिवायात के मुक़ाबले में हज़रत अ़ली (ﷺ) की ये रिवायत उसूले हदीस की रूसे मरजूह है। अ़मल उन रिवायात ही पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि क़याम वाजिब नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةً، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ .

(1925) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है कि हज़रात हसन बिन अ़ली और इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। हज़रत हसन (ﷺ) खड़े हो गये लेकिन हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) खड़े न हुये। हज़रत हसन(ﷺ) कहने लगे: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) एक यहूदी के जनाज़े की वजह से खड़े नहीं हुये थे? हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: ठीक है मगर फिर बैठे भी रहे।

(1925) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/201, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2051.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की बात का मतलब ये है कि फिर ऐसा ही हुआ, कोई जनाज़ा गुज़रा मगर आप बैठे रहे, खड़े नहीं हुये गोया बैठे रहने का जवाज़ भी है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ .

(1926) हज़रत इब्ने सीरीन (ﷺ) ने कहा कि हज़रात हसन बिन अली और इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। हज़रत हसन (ﷺ) खड़े हो गये और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) खड़े न हुये। हज़रत हसन (ﷺ) ने हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) से कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़े को देख कर खड़े नहीं हुये थे? हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: खड़े हुये थे मगर फिर बैठे रहे।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 1/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2052.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَامَ قَالَ لَهُ الَّذِي جَلَسَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَسَ .

(1927) हज़रत अबू मिज्लज़ (ﷺ) से मरवी है कि हज़रात इब्ने अब्बास और हसन (ﷺ) के क़रीब से एक जनाज़ा गुज़रा। उनमें से एक खड़े हो गये जबकि दूसरे बैठे रहे। खड़े होने वाले ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं यक़ीनन जानता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये थे। बैठे रहने वाले ने उनसे कहा: अल्लाह की क़सम! मैं भी यक़ीनन जानता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे भी रहे थे।

(1927) तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2053.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ

(1928) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत हसन बिन अली (ﷺ) बैठे हुये थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। लोग खड़े हो गये यहाँ तक कि जनाज़ा आगे चला गया। हज़रत हसन (ﷺ) फ़रमाने लगे: बात इतनी थी कि एक

الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ .

यहूदी का जनाज़ा गुज़रा रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़े के रास्ते में बैठे हुये थे। आपने नापसन्द फ़रमाया कि एक यहूदी का जनाज़ा आपके सर से ऊँचा हो, इसलिये आप खड़े हो गये।

तख़रीज़ : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 1/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2054.

फ़ायदा : ये रिवायत साबिक़ा रिवायात से मुख़्तलिफ़ है। उनमें तो हज़रत हसन (ﷺ) खड़े होने के क़ाइल व फ़ाइल हैं, और इस रिवायत में उसके ख़िलाफ़ हैं। कस़्रत की बिना पर इन रिवायात को तर्जीह होगी, और ये हज़रत हसन (ﷺ) का अपना ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस वजह से खड़े हूये थे, वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो और वजह बतलाई है। हदीस: 1922 में अ लैसत नफ़्सन और हदीस नम्बर : 1923 इन्न लिल्मौति फ़ज़अन फ़रमाया। और हदीस: 1931 में आ रहा है कि हम फ़रिश्तों की ताज़ीम के लिये खड़े हुये हैं। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह (ﷺ) की बयान कर्दा वजूहात मोतबर हैं न कि हज़रत हसन (ﷺ) का अपना ख़्याल। बिल फ़र्ज़ ये वजह भी हो तो मज़्कूरा बाला वजूहात तो फिर भी क़ाइम हैं, लिहाज़ा स़ही यही है कि जनाज़ा आता देख कर खड़े होना चाहिए, ये अफ़ज़ल और मुस्तहब है, अगरचे बैठे रहने की भी गुंजइश है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ .

(1929) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके स़हाबा (ﷺ) एक यहूदी के जनाज़े को देख कर खड़े हुये जो पास से गुज़रा था यहाँ तक कि नज़रों से ओझल हो गया। (फिर बैठे)

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 960/80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2056.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ.

(1930) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी एक यहूदी के जनाज़े को देख कर खड़े हुये (और फिर खड़े रहे) यहाँ तक कि वह ओझल हो गया।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2056.

फ़ायदा : अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) के खड़े होने की वजह वह होती जो हज़रत हसन (رضي الله عنه) ने (हदीस़ नम्बर 1928) में बयान फ़रमाई है तो फिर इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी कि नज़रों से ओझल होने तक खड़े रहे? मालूम होता है पहली बयान कर्दा वजूहात ही अस़ल हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَنَازَةً، مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ ‏.‏ فَقَالَ "إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ" ‏.‏

(1931) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक जनाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा तो आप खड़े हो गये। आपसे कहा गया कि ये तो एक यहूदी का जनाज़ा है! आपने फ़रमाया: 'हम तो फ़रिश्तों (की ताज़ीम) के लिये खड़े हुये हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2055, मुसनद अहमद: 4/413, देखें हदीस़: 1924.

फ़ायदा : जनाज़ा आता देख कर खड़े होने की तीन वजूहात स़ही अहादीस़ में वारिद हैं। तफ़्स़ील के लिये देखिये फ़ायदा हदीस़ नम्बर: 1928 ये तीनों वजूहात अब भी क़ाइम हैं, लिहाज़ा राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ जनाज़ा आता देख कर खड़ा होना अफ़ज़ल और मुस्तहब है स़िर्फ़ वजूब मन्सूख़ है। वल्लाहु आलम! और इस मसले की तफ़्स़ीली बहस़ के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 19/87-92)

बाब : (48) मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत पाना

باب : (٤٨) اسْتِرَاحَةِ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ "‏ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ "‏ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ‏"‏ ‏.‏

(1932) हज़रत अबू क़तादा बिन रिब्ई (رضي الله عنه) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फ़रमाया: 'उसने आराम पा लिया या लोगों ने उससे आराम पा लिया।' स़हाबा ने अ़र्ज़ किया: इसका क्या मतलब है? आपने फ़रमाया: 'मोमिन शख़्स़ (मौत के साथ) दुनिया के रंज व तक्लीफ़ से आराम पा जाता है और बदकार शख़्स़ (की मौत) से लोग, शहर दरख़्त और जानवर आराम पा जाते हैं।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 950, बुख़ारी, हदीस़: 6512, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मोमिन शख़्स' यहाँ मोमिन से मुत्तक़ी शख़्स मुराद है जो लोगों को भी ईज़ा नहीं पहुँचाता और जानवरों पर भी ज़ुल्म नहीं करता। उसके साथ-साथ हुक़ूक़ुल्लाह की पाबन्दी करता है। इन कामों में उसे दुनिया में तक्लीफ़ वग़ैरह पहुँचे तो उस पर सब्र करता है। दुनिया में मआश के सिलसिले में उसे मेहनत व मशक़्क़त करनी पड़ती है। दुनिया में बीमारी और परेशानियाँ 'दुनिया के रंज व ग़म' सब इसमें दाख़िल हैं। **(2)** 'बदकार शख़्स' इससे मुराद सिर्फ़ काफ़िर ही नहीं बल्कि वह अश्ख़ास भी इसमें दाख़िल हैं जो लोगों पर ज़ुल्म व सितम करते हैं, जानवरों को ईज़ा पहुँचाते हैं, आबादियों को वीरान करते हैं और इसके साथ साथ हुक़ूक़ुल्लाह की भी परवाह नहीं करते। फ़िस्क़ व फ़ुजूर में बे सोचे समझे दौड़े जाते हैं, यहाँ तक कि उनके फ़िस्क़ व फ़ुजूर की वजह से बारिश रुक जाती है और उनकी नहूसत से क़हत साली आ पड़ती है। बे'गुनाह जानवर और दरख़्त अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, अलबत्ता वह लोग जिनसे गुनाह तो सादिर होते हैं (क्योंकि हर इन्सान ख़ताकार है) मगर वह अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ करते हैं, माफ़ी माँगते हैं तो वह 'फ़ाजिर' और 'बदकार' के तहत दाख़िल नहीं क्योंकि माफ़ी और तौबा गुनाह को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि तौबा की बरकत से अल्लाह तआला रहमतें फ़रमाता है, इरशादे बारी तआला है: इस्तग़्फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा ......(नूह: 71/10, 11) लिहाज़ा तौबा और इस्तेग़फ़ार करने वाला इन्सान, ख़्वाह कितना ही गुनाहगार हो, लोगों, शहरों, जानवरों और दरख़्तों के लिये रहमत का सबब है।

बाब : (49)
काफ़िरों से राहत पाना

باب : (٤٩)
الِاسْتِرَاحَةِ مِنَ الْكُفَّارِ

(1933) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे थे कि एक जनाज़ा नमूदार हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये आराम पाने वाला है या मख़लूक़ात को इससे आराम मिला है। मोमिन फ़ौत होता है तो दुनिया की बीमारियाँ, तकालीफ़ और मुसीबतों से निजात पा जाता है। और बदकार शख़्स मरता है तो उससे इन्सान, इलाक़े, दरख़्त और जानवर निजात और आराम पा जाते हैं।'

(1933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2058.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، - وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ

يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَأَذَاهَا وَالْفَاجِرُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ " .

फ़ायदा : बाब में काफ़िर का लफ़्ज़ है और हदीस़ में फ़ाजिर का, इशारा है कि फ़ाजिर से मुराद काफ़िर है या काफ़िरों जैसा। वल्लाहु आलम!

बाब : (50)
(मय्यत की) अच्छी तारीफ़

باب : (٥٠)
الثَّنَاءِ

(1934) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि एक जनाज़ा गुज़रा तो उसकी अच्छी तारीफ़ की गई, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई।' एक और जनाज़ा गुज़रा तो उसकी बुराई बयान की गई, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' हज़रत उमर (ﷺ) ने अर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! एक जनाज़ा गुज़रा, उसकी अच्छी तारीफ़ हुई तो आपने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई।' फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा, उसकी बुराई बयान की गई तो आपने फिर वही फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' (क्या मतलब है?) आपने फ़रमाया: 'जिसकी तुमने अच्छी तारीफ़ की थी उसके लिये जन्नत लाज़िम हो गई और जिसकी बुराई बयान की उसके लिये आग वाजिब हो गई। तुम ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो।'

तख़रीज : **(सनद सहीह)** मुस्लिम, हदीस़: 949, बुख़ारी, हदीस़: 1367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2059.

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . فَقَالَ عُمَرُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ " وَجَبَتْ " . وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ " وَجَبَتْ " . فَقَالَ " مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तुमने अच्छी तारीफ़ की' तुमसे मुराद आम लोग हैं। जिस शख़्स को सब लोग अच्छा कहें, वह अच्छा ही होगा और जिसको सब बुरा कहें (मौत के बाद) वह बुरा ही होगा

क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे जो सबके साथ अच्छा रहा और जिसने सबको अमन में रखा। जो शख़्स लोगों के हुक़ूक़ में कोताही नहीं करता, वह बिलज़्मूम अल्लाह तआला के हुक़ूक़ में भी कोताही नहीं करेगा। इसी तरह बुरा कहना है। लाज़िमन वह लोगों से बद सुलूकी करने वाला है वरना सब बुरा न कहते। और जो लोगों के हुक़ूक़ अदा नहीं करता, वह अल्लाह तआला के हुक़ूक़ भी अदा नहीं करेगा। कुछ अहले इल्म ने तुमसे मुराद सिर्फ़ सहाब-ए-किराम (ﷺ) या मुत्तक़ी हज़रात लिये हैं क्योंकि वह उसी की तारीफ़ करेंगे जो हक़ीक़तन नेक होगा, और उसी को बुरा कहेंगे जो हक़ीक़तन बुरा होगा मगर ये तख़्सीस बिला दलील है, सही तौजीह ऊपर बयान हो चुकी है। (2) 'अल्लाह तआला के गवाह' जिस तरह अदालत में फ़ैसला गवाहों के मुताबिक़ होता है, उसी तरह अल्लाह तआला भी लोगों की गवाही के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेगा। क्योंकि इन्सान के अख़्लाक़ का इल्म मामलात से होता है। (3) इससे उम्मत की फ़ज़ीलत भी ज़ाहिर हूई कि ये ज़मीन पर अल्लाह की गवाह है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَامِرٍ، وَجَدُّهُ، أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . ثُمَّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ الأُولَى وَالأُخْرَى " وَجَبَتْ " . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ " .

(1935) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि लोग नबी (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा लेकर गुज़रे। हाज़िरीन ने उसकी अच्छी तारीफ़ की। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' फिर लोग एक और जनाज़ा लेकर गुज़रे। हाज़िरीन ने उसकी बुराई बयान की। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने पहले जनाज़े के बारे में भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' और दूसरे जनाज़े के बारे में भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गई' (क्या मतलब है?) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते आसमान में अल्लाह तआला के गवाह हैं और तुम ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3233, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2060, बुख़ारी, हदीस: 2642, मुस्लिम, हदीस: 949/60.

फ़ायदा : फ़रिश्ते तहरीरी नाम-ए-आमाल पेश करेंगे और इन्सान अपना तजुर्बा और मामला बयान करेंगे, दोनों की बुनियाद पर फ़ैसला होगा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ . فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . قُلْنَا أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ " أَوْ ثَلاَثَةٌ " . قُلْنَا أَوِ اثْنَانِ قَالَ " أَوِ اثْنَانِ " .

(1936) हज़रत अबुल अस्वद दैली (رَحِمَهُ اللهُ) से मन्क़ूल है कि मैं मदीना मुनव्वरा आया और मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के पास बैठने का इत्तेफ़ाक़ हुआ। एक जनाज़ा गुज़रा और उसकी अच्छी तारीफ़ की गई। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अमीरूल मोमिनीन! क्या वाजिब हो गई? उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो उसी तरह कहा है जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जिस मुसलमान के लिये चार आदमी नेक होने की गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।' हमने कहा: और तीन? फ़रमाया: 'हाँ तीन भी।' हमने कहा: और दो? आपने फ़रमाया: 'हाँ दो भी (यानी दो की गवाही भी मोतबर होगी)'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2061.

फ़ायदा : गवाही के लिये जो शराइत ज़रूरी हैं, वह उनमें पाई जायें, यानी वह आदिल मुसलमान हों। आदिल से मुराद कि वह शरई फ़राइज़ के पाबन्द और कबीरा गुनाहों से महफ़ूज़ हों। ज़ाहिर है इस क़िस्म के गवाह ही सच्ची गवाही देंगे।

باب : (٥١)
النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكَى، إِلاَّ بِخَيْرٍ

बाब : (51)
फ़ौतशुदगान का ज़िक्रे ख़ैर ही किया जाये

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ،

(1937) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) के पास किसी फ़ौतशुदा शख़्स की बुराई बयान की गई तो आपने फ़रमाया: 'अपने फ़ौतशुदगान का ज़िक्रे ख़ैर ही किया करो।'

(1937) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2062.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَالِكٌ بِسُوءٍ فَقَالَ " لاَ تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ " .

फ़ायदा : किसी ग़ाइब शख़्स की बुराई का ज़िक्र करना तो ज़िन्दगी में भी ग़ीबत बन जाती है जो सख़्त मना है, हालांकि उसकी तरफ़ से दिफ़ा मुमकिन है, तो एक मय्यत जो अपना दिफ़ा भी नहीं कर सकता उसकी बुराई बयान करना क्यों कर जायज़ हो सकता है, और गुनाहों और कोताहियों से कौन पाक है? लिहाज़ा फ़ौतशुदा की बुराई बयान न की जाये बल्कि दरगुज़र किया जाये ताकि अल्लाह तआला हमसे दरगुज़र फ़रमाये, अलबत्ता उम्मते मुस्लिमा के मफ़ाद के लिये ज़रूरत की हद तक किसी ज़िन्दा या फ़ौतशुदा की बुराई बयान हो सकती है, जैसे रिजाले हदीस का फ़न।

बाब : (52) फ़ौतशुदगान को बुरा कहने की मुमानिअत

بَاب : (٥٢) النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

(1938) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुर्दों को बुरा न कहो क्योंकि वह अपने आमाल (की जज़ा व सज़ा) की तरफ़ पहुँच चुके हैं।'

(1938) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2063.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا " .

फ़ायदा : फ़ौतशुदगान के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाये क्योंकि अल्लाह तआला का फ़ैसला ही सही है। हम किसी ऐसे शख़्स को बुरा कहें जो अल्लाह तआला के नज़दीक अच्छा हो तो इसमें बहुत गुनाह है, लिहाज़ा ख़ामोशी बेहतर है, अलबत्ता वह काफ़िर या मुनाफ़िक़ या फ़ाजिर जो ऐलानिया अवामुन्नास के नज़दीक उन औसाफ़ में मारूफ़ और बदनाम हैं, उनकी मौत अगर उन्हीं औसाफ़ पर हुई तो उनहें उन औसाफ़ के साथ ज़िक्र किया जा सकता है ताकि लोग उनकी इक़्तेदा न करें। इसी तरह अइम्म-ए-मुज़िल्लीन (अहले बिद्अत) की गुमराहियों की वज़ाहत करनी भी जायज़ बल्कि ज़रूरी।

(1939) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत के साथ तीन चीज़ें क़ब्र की तरफ़ जाती

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ " .

हैं: उसके रिश्तेदार, उसका माल और उसका अ़मल। दो चीज़ें, यानी रिश्तेदार और माल तो वापस आ जाते हैं और एक चीज़, यानी उसका अ़मल उसके पास रह जाता है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 6514, मुस्लिम, हदीस़: 2960/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2064.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उसका माल' मुराद गुलाम वग़ैरह हैं। जाहिलियत में लोग फ़ख़्र के लिये जनाज़े के साथ उसके घोड़े और अस्लहा वग़ैरह भी ले जाते थे। **(2)** इन्सान का अ़मल उसके साथ रहेगा, इसलिए आ़माले स़ालेहा की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और अहल और माल में मशग़ूल होकर आ़माल से ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए। **(3)** इस हदीस़ का बाब से कोई ज़ाहिरी ताल्लुक़ समझ में नहीं आ रहा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ".

(1940) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन के मोमिन पर छः हक़ हैं: जब वह बीमार हो जाये तो उसकी बीमारपुर्सी करे जब वह फ़ौत हो जाये तो (उसके कफ़न, दफ़न और जनाज़े में) शरीक हो, जब वह दावत दे तो क़बूल करे, जब वह उसे मिले तो सलाम कहे, जब उसे छींक आये तो उसे दुआ दे और उसकी ख़ैरख़्वाही करे जब वह ग़ाइब हो या मौजूद।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2737, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2065, मज्मउज़्ज़वाइद: 8/185.

फ़वाइद व मसाइल : (1) याद रहे कि कुछ हुक़ूक़ ताल्लुक़ात और ज़रूरत की हद तक हैं, जैसे: बीमार की बीमारपुर्सी दुनिया के हर मुसलमान का नहीं बल्कि उसके ताल्लुक़दारों का फ़र्ज़ है। इसी तरह कफ़न, दफ़न और जनाज़े में शिर्कत करना भी उसके ताल्लुक़दारों और मुहल्ले के अफ़राद वग़ैरह का फ़र्ज़ है, ऐसे फ़राइज़ को फ़र्ज़े किफ़ाया कहते हैं, यानी कोई बीमार, बीमारपुर्सी के बग़ैर न रहे और कोई मय्यत तक्फ़ीन व तज्हीज़ और जनाज़े से महरूम न रहे वरना मुसलमान गुनाहगार होंगे। हर एक की शिर्कत फ़र्ज़ नहीं। **(2)** सलाम का जवाब और छींक पर दुआ (बशर्ते कि वह अल हम्दुलिल्लाह कहे)

सिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख़्स पर ज़रूरी हैं दावत की क़बूलियत हर शख़्स पर ज़रूरी है। जमाअत की सूरत में चन्द (ख़्वाह एक ही हो) की तरफ़ से अदायगी क़ाफ़ी होगी।

बाब : (53)
जनाज़े के साथ जाने का हुक्म

باب : (٥٣)
الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

(1941) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया और सात चीज़ों से रोका। हमें बीमार की बीमारपुर्सी करने, छींकने वाले को दुआ देने, क़सम खाने वाले की बात को पूरा करने (बशर्ते कि वह जायज़ हो), मज़्लूम की मदद करने, हर मिलने वाले को सलाम कहने, बुलाने वाले की दावत क़बूल करने और जनाज़े के साथ जाने का हुक्म दिया। और सोने की अंगूठी पहनने से, चाँदी के बर्तन (में खाने-पीने) से, सुर्ख़ रेशमी गदीलों, क़स बस्ती के बने हुये रेशमी कपड़े और मोटे या बारीक हर क़िस्म के रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5175, मुस्लिम, हदीस: 2066, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2066.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَأَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ هَنَّادٌ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ .

फ़ायदा : 'इत्तेबा' जनाज़े के साथ निकलने के दो दर्जे हैं: (1) जब घर से जनाज़ा उठाया जाये तो उसके पीछे पीछे रहे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा से फ़ारिग़ हो। (2) घर से मय्यत के साथ निकले, यानी उसकी पैरवी करे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा और तद्फ़ीन से फ़राग़त हो, ये दोनों अमल दुरुस्त और जायज़ हैं लेकिन दूसरा दर्जा क़ाबिले फ़ज़ीलत और ज़्यादा सवाब का हामिल है क्योंकि इस सूरत में दो क़ीरात के बक़द्र सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) से दोनों क़िस्म के अमल मन्क़ूल हैं। बहरहाल रास्ते में मिलने या सीधा क़ब्रिस्तान पहुँचने की निस्बत ज़्यादा सवाब का हामिल और मस्नून अमल ये है कि जहाँ से मय्यत उठाई जाये वहाँ से चलने का एहतिमाम किया जाये, अहादीस में बज़ाहिर क़ीरात या दो क़ीरात का सवाब इसी क़िस्म की कुयूद के साथ मशरूत है जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह की अहादीस में

बसराहत ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो घर से जनाज़े के साथ निकला।' तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 88)

बाब : (54) जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब

باب : (۵۴) فَضْلِ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَةً

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطٌ وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ " .

(1942) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये यहाँ तक कि उसका जनाज़ा पढ़ा जाये तो उसे एक क़ीरात सवाब मिलेगा, और जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये यहाँ तक कि उसे दफ़न किया जाये तो उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा, और क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/294, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2067.

फ़ायदा : यहाँ क़ीरात की तख़सीस की ज़रूरत, इसलिये पड़ी कि मशहूर वज़न 'क़ीरात' तो इन्तेहाई मामूली होता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ " .

(1943) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जनाज़े के साथ जाये और (दफ़न) फ़राग़त तक साथ रहे तो उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा। और जो शख़्स फ़राग़त से पहले वापस आ जाये तो उसे एक क़ीरात मिलेगा।'

(1943) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 5/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2068, पिछली हदीस देखें, मुसनद: 4/86, देखें, हदीस: 36.

बाब : (55)
सवार शख़्स (जनाज़े के साथ) कहाँ चले?

باب : (٥٥)
مَكَانِ الرَّاكِبِ مِنَ الْجَنَازَةِ

(1944) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सवार शख़्स जनाज़े के पीछे चले और पैदल चलने वाला जहाँ चाहे चले (आगे या पीछे या बराबर) और बच्चे का भी जनाज़ा पढ़ा जाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीसः 1481, 1507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2069, व तिर्मिज़ी, हदीसः 1031, इब्ने हिब्बान, वलहाकिम.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ، جَمِيعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवारी की सूरत में जनाज़े के आगे चलने से रोका है क्योंकि वह जनाज़े के लिये रुकावट बन सकता है, जैसेः जानवर अड़ जाये, इंजन बन्द हो जाये वग़ैरह। इस बिना पर मालूम हुआ कि जनाज़े के साथ सवार होकर जाना जायज़ है, अलबत्ता जनाज़े से पीछे रहना चाहिए। **(2)** 'बच्चे का जनाज़ा' इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) ने इसे आम समझा है, ख़्वाह बच्चा ज़िन्दा पैदा हो या मुर्दा क्योंकि मय्यत भी तो पहले ज़िन्दा ही था मगर ये कि मुद्दते हमल चार माह से कम हो क्योंकि इस सूरत में वह मुकम्मल इन्सानी सूरत में न होगा और उसमें रूह नहीं फूंकी गई होगी। जुम्हूर अहले इल्म उस बच्चे के जनाज़े के क़ाइल हैं जो ज़िन्दा पैदा हो, बाद में मरे, ख़्वाह उसमें ज़िन्दगी की कोई भी अलामत पाई गई हो। लेकिन इमाम अहमद (رحمه الله) वग़ैरह का मौक़िफ़ राजेह है क्योंकि हदीस में (अस्सक़्तु युसल्ला अलैहि) के अल्फ़ाज़ भी आते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद (अल जनाइज़, हदीसः 3180) में है। ये हदीस आम है। नाक़िस या ना तमाम पैदा होने वाला बच्चा चीख़े, यानी ब वक़्ते विलादत उसके अन्दर ज़िन्दगी के आसार हों या मुर्दा ही हो बशर्ते कि ये नफ़्ख़े रूह की मुद्दत के बाद हो, तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ और मशरूअ है। मज़ीद देखियेः फ़वाइद सुनन अबी दाऊद, हदीसः 3180.

बाब : (56)
पैदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले?

بَاب : (٥٦)
مَكَانِ الْمَاشِي مِنَ الْجَنَازَةِ

(1945) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सवार जनाज़े के पीछे चले और पैदल जहाँ चाहे चले। और नौमौलूद बच्चे का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2070, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " .

(1946) हज़रत सालिम के वालिदे मोहतरम हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबू बक्र व उमर (ﷺ) को जनाज़े के आगे चलते देखा है।

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3179, तिर्मिज़ी, हदीस: 1007, इब्ने माजा, हदीस: 1482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2071.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

(1947) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि उन्होंने नबी (ﷺ) और अबू बक्र व उमर व उस्मान (ﷺ) को जनाज़े के आगे आगे चलते देखा है।

रिवायत के रावियों में से अकेले बक्र रावी ने हज़रत उस्मान (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) ने कहा है कि ये रिवायत (मौसूल) ग़लत है और मुर्सल सही है।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1007, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2072.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَنْصُورٌ، وَزِيَادٌ، وَبَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ - كُلُّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنَ الزُّهْرِيِّ، يُحَدِّثُ أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ . بَكْرٌ وَحْدَهُ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ

फ़ायदा : अहनाफ़ जनाज़े के आगे चलना दुरुस्त नहीं समझते। उनकी दलील ये हदीस़ है: (अल जनाज़तु मतबूअतुन वला तत्बउ लैसा मअहा मन तक़द्दमहा......) अव्वल तो ये रिवायत ही ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में अबू माजिदा है। इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) ने इसे ग़ैर मारूफ़ कहा है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3184) और इमाम दारक़ुतनी ने इसे मज्हूल कहा है। (हिदायतुर्रुवात लिल अल्बानी, हदीस़: 1612) बिलफ़र्ज़ अगर ये स़ही भी हो तो इसका मतलब ये है कि जनाज़े के साथ जायें ताकि जनाज़ा उठाने में ज़रूरत पड़े तो तआवुन कर सकें। जनाज़े से पहले अलग ही क़ब्रिस्तान न चले जायें वरना जनाज़े के साथ जाने का स़वाब न मिलेगा।

बाब : (57)
मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म

باب : (٥٧)
الأمر بالصلاة على الميت

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ

(1948) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि (जब नजाशी (رحمه الله) फ़ौत हुये तो) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा (इस्लामी) भाई (हब्शा में) फ़ौत हो गया है, लिहाज़ा उठो और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2073.

फ़ायदा : इमाम स़ाहिब का मक़स़द ये है कि जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी हर (मुस्लिम) मय्यत का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए, थोड़े लोग पढ़ें या ज़्यादा, वरना सब गुनाहगार होंगे। इस हदीस़ से बित्तबअ जनाज़-ए-ग़ाइबाना भी स़ाबित होता है, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهما الله) इसके क़ाइल हैं जबकि हनफ़ी और मालकी इसके क़ाइल नहीं। स़ही बात ये है कि ग़ाइबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ है और मज़्कूरा हदीस़ इसकी दलील है।

बाब : (58)
बच्चों का जनाज़ा

باب : (٥٨)
الصلاة على الصبيان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ

(1949) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अन्सार के बच्चों में से एक बच्चे की मय्यत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाई गई तो आपने

بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ".

उसका जनाज़ा पढ़ा। मैंने कहा: उसे मुबारक हो ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है। उसने कोई बुराई की न बुराई की उम्र पाई। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! क्या पता कोई और बात हो जाये? अल्लाह तआला ने जन्नत बनाई तो उसमें जाने वाले भी बना दिये और उन्हें बापों की पुश्तों में पैदा किया। इसी तरह आग बनाई तो उसमें जाने वाले भी बनाये और उन्हें उनके बापों की पुश्तों में पैदा किया।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2662/31, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2074, 12/403, 17873.

फ़वाइद व मसाइल : (1).अगरचे बच्चा बुलूग़त से पहले बेगुनाह होता है मगर जनाज़ा मुस्लिम मय्यत की सुन्नत है, और बख़्शिश और दुआ-ए-रहमत बच्चे के वालिदैन के लिये होगी, इसलिये बच्चे का जनाज़ा भी पढ़ा जायेगा। **(2)** इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नत या जहन्नम में जाने वालों का क़तई इल्म अल्लाह तआला के पास है, किसी फ़र्दे वाहिद को क़तइयत के साथ जन्नती या जहन्नमी नहीं कहा जा सकता (जब तक वह्य न आये) ख़्वाह वह नाबालिग़ बच्चा ही हो, अलबत्ता उमूमी हुक्म यही है कि मुसलमानों के बच्चे (बुलूग़त से पहले फ़ौत होने वाले) जन्नत में जायेंगे। एक दूसरी तत्बीक़ इस तरह हो सकती है कि ये उस वक़्त की बात है जब बच्चों के बारे में कोई ख़ुसूसी हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था बाद में बता दिया गया कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जायेंगे। कुफ़्फ़ार के बच्चों के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

कुछ अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि जब कुफ़्फ़ार के बच्चे सिन्ने तमीज़ से पहले फ़ौत हो जायें और उनके वालिद काफ़िर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा कि न उन्हें ग़ुस्ल दिया जायेगा न कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफ़न किया जायेगा क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफ़िर ही हैं बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल तो ये अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के अमल करते? सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6597) और कुछ अहले इल्म का एक क़ौल ये भी है कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इल्म

क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा और उनका भी अहले फ़ितरत की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने अल्लाह तआला के हुक्म की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाख़िल होंगे और अगर नाफ़रमानी की तो जहन्नम रसीद होंगे। सही अहादीस़ से स़ाबित है कि अहले फ़ितरत का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। अहले फ़ितरत से मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया की दावत नहीं पहुँची होगी। इसी तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे, जैसे: कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा क्योंकि इरशादे बारी तआला है: 'वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नब्अस़ रसूलन' (बनी इस्राईल: 17/15) 'अहले फ़ितरत के बारे में सबसे ज़्यादा स़ही क़ौल यही है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़य्यिम, फ़ज़ीलतुश्शैख़ इब्ने बाज़ और फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुहम्मद बिन स़ालेह अल्उसैमीन (رحمهم الله) ने इसको इख़्तियार किया है। जबकि कुछ अहले इल्म के बक़ौल वह जन्नत में जायेंगे क्योंकि वह बेगुनाह हैं। मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/372, 373, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 19/193-196) **(3)** जन्नत और जहन्नम का वजूद है।

बाब : (59) नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा

باب: (٥٩) الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ

(1950) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सवार जनाज़े के पीछे चले, पैदल जहाँ चाहे चले और नोमौलूद का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।'

(1950) तख़रीज : **(सनद हसन)** देखें, हदीस़: 1944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2075.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ".

फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस़: 1924, 1947.

बाब : (60) मुश्रिकीन की औलाद

باب: (٦٠) أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

(1951) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुश्रिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया (कि वह कहाँ जायेगी?) तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि उन्होंने क्या काम करने थे।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ "

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

(1951) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1384, मुस्लिम, हदीस़: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2076.

फ़ायदा : गोया अल्लाह तआला अपने इल्म के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेगा। इस क़िस्म की अहादीस़ के पेशे नज़र कुछ उलमा इस मसले में सुकूत और तवक़्क़ुफ़ के क़ाइल हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

(1952) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुश्रिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि वह क्या करने वाले थे।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2077.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " خَلَقَهُمُ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

(1953) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुश्रिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने उनहें पैदा फ़रमाया तो अल्लाह तआला ख़ूब जानता था कि वह क्या करने वाले थे।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1383, मुस्लिम, 2660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2078.

أَخْبَرَنِي مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

(1954) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) से मुश्रिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ही ख़ूब जानता है कि (अगर वह बुलूग़त को पाते) वह क्या करने वाले थे?'

(1954) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2079.

बाब : (61)
शोहदा का जनाज़ा

باب: (٦١)
الصَّلاَةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

(1955) हज़रत शद्दाद बिन हाद से रिवायत है कि एक आराबी नबी (ﷺ) के पास आया और आप पर ईमान ले आया और आपका मुतीअ बन गया, फिर वह कहने लगाः मैं तो आपके साथ मुहाजिर बन कर रहूँगा। नबी (ﷺ) ने अपने एक सहाबी को उस (के क़याम व तआम) का ख़्याल रखने को कहा, फिर एक जंग हुई तो नबी (ﷺ) को ग़नीमत में क़ैदी मिले। आपने उन्हें तक़्सीम किया तो उस आराबी का हिस्सा भी रखा और उसके साथियों को दे दिया। वह उनके सवारी के ऊँट चराया करता था। जब वह चरा कर वापस आया तो उन्होंने उसका हिस्सा उसे दिया। उसने कहाः ये क्या है? साथियों ने कहाः नबी (ﷺ) ने तुझे (गनीमत से) हिस्सा दिया है। उसने अपना हिस्सा लिया और उसे लेकर नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगाः ये क्या है? आपने फ़रमायाः 'मैंने तुझे तेरा हिस्सा दिया है।' वह कहने लगाः मैं इसकी ख़ातिर तो आपका पेरोकार नहीं बना था, मैं तो आपका पेरोकार, इसलिये बना हूँ कि मुझे यहाँ तीर लगे, और उसने अपने हल्क़ की तरफ़ इशारा किया, और मैं मर कर जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आपने फ़रमायाः 'अगर तू ये बात सच्चे दिल से कहता है तो अल्लाह तआला तेरी ख़्वाहिश पूरी फ़रमायेगा।' थोड़े अर्से के बाद वह (सहाबा) फिर दुश्मन से लडाई के लिये गये तो उसे नबी

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ ‏.‏ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ ‏"‏ قَسَمْتُهُ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ ‏"‏ ‏.‏ فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ

سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَهُوَ هُوَ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ " . ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ " .

(ﷺ) के पास इस हाल में उठा कर लाया गया कि उसे उसी जगह तीर लगा हुआ था जहाँ उसने इशारा किया था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या ये वही आराबी है? 'लोगों ने कहा: जी हाँ, आपने फ़रमाया: 'इसने सच्चे दिल से अल्लाह तआला से दुआ की थी, अल्लाह तआला ने इसकी ख़्वाहिश पूरी फ़रमा दी।' फिर नबी (ﷺ) ने इसे अपनी क़मीस़ में कफ़न दिया, फिर उसे आगे रखा और उस पर नमाज़ पढ़ी। आपकी दुआ के ये अल्फ़ाज़ ज़ाहिर हुये: 'ऐ अल्लाह! ये तेरा (सच्चा) बन्दा है। तेरे रास्ते में हिजरत करते हुये घर से निकला और शहीद हो गया। मैं इन बातों का ऐनी गवाह हूँ।'

(1955) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/545, 546, हदीस़: 6651, अब्दुल्लाह बिन मुबारक: 5/276, हदीस़: 9597, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2080.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़हे क़िस्मत! क्या बलन्द मर्तबा मिला उस आराबी को कि रसूलुल्लाह(ﷺ) इन ज़ोरदार अल्फ़ाज़ से उसके हक़ में गवाही दे रहे हैं। (ﷺ) हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ? **(2)** 'नमाज़ पढ़ी' कुछ अहले इल्म ने इसके बजाये दुआ करने के मानी किये हैं क्योंकि यहाँ स़फ़बन्दी का ज़िक्र है न तकबीरों का, स़िर्फ़ दुआ का ज़िक्र है, लिहाज़ा उनके नज़दीक यही मानी मुनासिब हैं ताकि उन स़ही तरीन अहादीस़ की मुवाफ़िक़त हो जाये जिनमें शोहदा-ए-उहुद के जनाज़े न पढ़ने का ज़िक्र है जबकि इस हदीस़ में मज़्कूरा आमाल के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि सिरे से उन उमूर का वक़ूअ ही नहीं हुआ बल्कि ये इख़्तेस़ार के पेशे नज़र भी हो सकता है। कुछ ने इस रिवायत से शहीद के जनाज़े पर इस्तेदलाल किया है। अगर तर्जीह दी जाये तो तर्जीह अस़हह रिवायात ही को है जिनमें जनाज़ा न पढ़ने का ज़िक्र है। तत्बीक़ दी जाये तो इस रिवायत में दुआ के मानी कर लिये जायें। या इमाम अहमद (رحمه الله) के मुताबिक़ कहा जाये कि शहीद का जनाज़ा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं। यही मौक़िफ़ दुरुस्त और दुरुस्ती के ज़्यादा क़रीब है। हदीस़ के ज़ाहिर का तक़ाज़ा भी यही है। बाक़ी सब एहतिमालात हैं, और ग़ज़्व-ए-उहुद के शोहदा पर तर्के जनाज़ा से ये लाज़िम नहीं आता कि शोहदा की नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त नहीं, न इससे ये लाज़िम आता है कि किसी और शहीद की नमाज़े जनाज़ा भी न पढ़ी जाये या आप (

ने न पढ़ी हो, दोनों तरह जायज़ है, पढ़ना न पढ़ना भी, लेकिन चूंकि ये दुआ है और बख़्शिश और रफ़-ए-दर्जात का एक ज़रिया है जिसका हर मुसलमान, ख़्वाह कितने ही बड़े दर्जे पर फ़ाइज़ क्यों न हो, मोहताज रहता है, इसलिये शहीद की नमाज़े जनाज़ा बजाये तर्क के पढ़ लेना औला और अफ़ज़ल है। वल्लाहु आलम! (3) नबी-ए-अकरम (ﷺ) अपने सहाबा ख़ास कर गुरबा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। (4) शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा। (5) शहीद को कफ़न पहनाया जायेगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ " إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ " .

(1956) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन (अपनी ज़िन्दगी के आख़री दिनों में) उहुद की तरफ़ गये और उहुद के शोहदा के लिये इस तरह (आहवज़ारी से) दुआएँ कीं जिस तरह मय्यत के लिये करते थे, फिर वापस आकर मिम्बर पर चढ़े और फ़रमाया: 'मैं तुम्हारा पेश रू हूँ। (तुम्हारा अमीरे सामान हूँ) और मैं तुम्हारे हक़ में (ईमान व नुस्रत की) गवाही दूँगा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6426, मुस्लिम, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2081.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ अहले इल्म ने तर्जुमा यूँ भी किया है: 'आपने उहुद वालों का जनाज़ा पढ़ा जैसे मय्यत का पढ़ते हैं' मगर ये मानी महल्ले नज़र हैं। अव्वलन: इसलिये कि ये वाक़िया उनकी शहादत से आठवें साल का है। दफ़न के मौक़े पर जनाज़ा न पढ़ना, सात साल तक न पढ़ना फिर आठवें साल पढ़ना ताज्जुब की बात है, और कोई भी आठवें साल जनाज़े के जवाज़ का क़ाइल नहीं यहाँ तक कि अहनाफ़ जो इस रिवायत से शहीद के जनाज़े पर इस्तेदलाल करते हैं, वह भी इतनी देर बाद जनाज़े के क़ाइल नहीं, लिहाज़ा इस रिवायत से शहीद की नमाज़े जनाज़ा का इस्तेदलाल वाज़ेह नहीं। सानियन: अगर आपने जनाज़ा पढ़ा था तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी 'जैसे मय्यत का पढ़ते थे' जनाज़े में तो सूरत ही एक है। क्या मय्यत के अलावा भी जनाज़ा होता है? लिहाज़ा सही ये मालूम होता है कि आपने बहुत इल्हाह और गिरयाज़ारी से दुआएँ कीं, गोया कि जनाज़ा पढ़ रहे हैं। इस मानी में कोई इश्काल भी नहीं और रिवायात में तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। वल्लाहु आलम! (2) 'पेश रू' इसमें अपने मुक़ामे अज़ीम की तरफ़ इशारा है। 'पेश रू' से मुराद है जो क़ाफ़िले से आगे आगे इन्तेज़ामात करने, जैसे: रिहाइश, पानी और दीगर ज़रूरियात पर मुक़र्रर होता है। (3) 'गवाही' अल्लाह तआला हर बात से बज़ाते ख़ुद वाक़िफ़ है मगर सहाबा की ताज़ीम व तशरीफ़ के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) से उनके हक़ में गवाही ली जायेगी जिसे

सब उम्मतें सुनेंगी.... (ﷺ) (4) इस उम्मत की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि उनका नबी हौज़े कौसर पर उनका इन्तेज़ार कर रहा होगा। ये इस उम्मत के लिये एक बहुत बड़ी बशारत है।

बाब : (62) शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना

باب: (٦٢) تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ

(1957) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (कपड़ों की कमी की वजह से) शोहद-ए-उहुद में से दो दो अश्ख़ास को एक एक कपड़े में इकट्ठा रखते थे, फिर फ़रमाते: 'इनमें से किसको कुर्आन ज़्यादा याद है?' जब उनमें से किसी एक की तरफ़ इशारा किया जाता तो आप उसे लहद में (क़िब्ले की तरफ़) आगे रखते और आपने फ़रमाया: 'मैं इनके हक़ में गवाही दूँगा।' और आपने उनको (कपड़ों और जिस्मों पर) ख़ून समेत दफ़न करने का हुक्म दिया। न उनका जनाज़ा पढ़ा और न उन्हें गुस्ल दिया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ " أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ " . فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ . قَالَ " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ " . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُوا .

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1343, मुसनद अहमद: 4079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2082.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आगे रखते' ताकि उसकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो। **(2)** 'ख़ून समेत' ताकि उनकी मज़लूमियत क़ाइम रहे और क़यामत के दिन उनकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि जिस हाल में कोई दफ़न होगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जायेगा। **(3)** शहीद को गुस्ल और जनाज़े के बग़ैर दफ़न करना उसकी इम्तियाज़ी शान है। शहीद के जनाज़े की बहस साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है।

बाब : (63) रज्म शुदा शख़्स का जनाज़ा न पढ़ना?

باب: (٦٣) تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْجُومِ

(1958) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बनू असलम (क़बीले) का एक शख़्स नबी (ﷺ) के पास आया और उसने ज़िना करने का ऐतराफ़ किया। आपने उससे मुँह मोड़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبِكَ جُنُونٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَحْصَنْتَ " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने फिर मुँह मोड़ लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने फिर मुँह मोड़ लिया यहाँ तक कि उसने अपने ख़िलाफ़ चार दफ़ा गवाही दी (कि मैंने ज़िना किया है) तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझे जुनून तो नहीं?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तू शादीशुदा है? उसने कहा: जी हाँ। आपने उसे रज्म करने का हुक्म दिया। उसे रज्म किया जाने लगा लेकिन जब उसे पत्थरों ने तकलीफ़ पहुँचाई तो वह भाग उठा, मगर उसे पकड़ लिया गया और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। नबी (ﷺ) ने उसके बारे में तारीफ़ी कलिमात फ़रमाये लेकिन उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा।

(1958) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6820, मुस्लिम, हदीस: 1691/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2083, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 7/320, हदीस: 13337.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये शख़्स हज़रत माइज़ असलमी (رضي الله عنه) थे। **(2)** 'मुँह मोड़ लिया' इसमें इशारा है कि गुनाह हो जाये और गवाह न हों तो ऐतराफ़ के बजाये अल्लाह तआला से माफ़ी माँग ली जाये और तौबा कर ली जाये, तौबा भी गुनाह को मिटा देती है, अलबत्ता अगर वह शख़्स क़ाज़ी के सामने ज़िना का ऐतराफ़ कर ले या उसे चार आदमी ऐन हालते ज़िना में देख लें तो उस पर हद नाफ़िज़ होगी। **(3)** 'जुनून तो नहीं?' मालूम हुआ मजनून पर हद नहीं है। **(4)** 'शादीशुदा है?' शादी शुदा न हो तो सज़ा कोड़े हैं, रज्म नहीं। **(5)** तारीफ़ी कलिमात कहे' क्योंकि उसने सच्ची तौबा कर ली यहाँ तक कि जान क़ुर्बान कर दी। **(6)** 'जनाज़ा नहीं पढ़ा' मगर दीगर रिवायात में है कि आपने जनाज़ा पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6820) दरअसल उस वक़्त नहीं पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने अबू क़ुर्रा की सुनन के हवाले से ज़िक्र किया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी, हदीस: 12/131-6820) मालूम हुआ इस क़िस्म के शख़्स का जनाज़ा पढ़ा जायेगा मगर एहतिमाम के साथ नहीं बल्कि चन्द लोगों के साथ पढ़ लिया जाये ताकि मुजरिमों की हौसला शिकनी हो और मय्यत जनाज़े से महरूम भी न रहे। **(7)** जब तक पूरी तरह बात वाज़ेह न हो जाये, हद क़ाइम नहीं की जायेगी। **(8)** इमाम अपनी तरफ़ से किसी को हद लगाने की ज़िम्मेदारी सौंप सकता है।

बाब : (64)
रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना

باب : (٦٤)
الصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْجُومِ

(1959) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जुहैना (क़बीले) की एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी: मैंने ज़िना किया है। और वह हामिला भी थी, लिहाज़ा आपने उस औरत को उसके वली के सुपुर्द कर दिया और फ़रमाया: 'इससे हुस्ने सुलूक करना। जब ये बच्चा जन ले तो इसे मेरे पास ले आना।' जब उसने बच्चा जन लिया तो वह उसे लेकर आया। आपने उसके रज्म का हुक्म दिया। उसके कपड़े अच्छी तरह कस कर बाँध दिये गये (ताकि बेपर्दगी न हो), फिर उसे (आपके हुक्म से) रज्म किया गया, फिर आपने उसका जनाज़ा पढ़ा। हज़रत उमर (ﷺ) ने अर्ज़ किया: आप इसका जनाज़ा पढ़ते हैं जबकि इसने तो ज़िना किया है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! इसने ऐसी तौबा की है अगर वह मदीने वालों में से सत्तर अश्ख़ास पर तक़्सीम कर दी जाये तो उन सबको पूरी आ जाये (उनकी निजात के लिये काफ़ी हो) और इससे अफ़ज़ल तौबा क्या होगी कि उसने अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिये अपनी जान क़ुर्बान कर दी।' (ﷺ)

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1696, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2084.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا فَقَالَ " أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا " . فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वली के सुपुर्द कर दिया' क्योंकि हराम कारी से पैदा होने वाला बच्चा तो बेक़ुसूर है, लिहाज़ा उसे हलाक नहीं किया जायेगा बल्कि उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी, और ये तरीक़ा

ज़िना रोकने में मुमिद्द (मददगार) होगा क्योंकि बच्चे की सूरत में ज़ानियों के लिये अब्दी आर मौजूद रहेगी। (2) 'बच्चा जन लिया' जनने के फ़ौरन बाद रज्म नहीं किया गया बल्कि दीगर रिवायात में है जब बच्चा उसके दूध से बेन्याज़ हो गया और रोटी खाने लगा। क़ुर्बान जायें ऐसे शफ़ीक़ व करीम नबी पर(ﷺ) (3) शादीशुदा औरत अगर ज़िना का इरतेकाब करे तो उसको भी रज्म किया जायेगा जिस तरह मर्द को रज्म किया जाता है। (4) हामिला औरत को रज्म नहीं किया जायेगा जब तक वज़अे हमल न हो जाये और बच्चा दूध के अलावा कुछ खाने पीने लग जाये। (5) कपड़े बाँध लेना मुस्तहब है ताकि बेपर्दगी न हो। (6) क़ाज़ी या हाकिम का रज्म में शिर्कत करना ज़रूरी नहीं। (7) गुनाह किये हुये ज़्यादा अर्सा गुज़र जाये तो उससे हद साक़ित नहीं हो जाती बल्कि जब भी अदालत में केस साबित हो गया तो हद क़ाइम की जायेगी। (8) हद लगने के बाद आदमी को उस गुनाह का तअ़ना नहीं दिया जा सकता क्योंकि हद गुनाह को ख़त्म कर देती है, अब वह ऐसे ही है जैसे उसने वह गुनाह किया ही नहीं।

बाब : (65)
जो आदमी वसीयत में ज़ुल्म कर जाये उसका जनाज़ा?

باب : (٦٥)
الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ

(1960) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضی الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने मरते वक़्त अपने छः गुलाम आज़ाद कर दिये। इनके अलावा उसके पास कोई माल न था। ये बात नबी (ﷺ) को पहुँची तो आप उस पर बहुत नाराज़ हुये और फ़रमाया: 'मेरा इरादा हुआ कि मैं उसका जनाज़ा न पढ़ूँ।' फिर आपने उसके गुलाम बुलाये, उनके तीन हिस्से किये, फिर उनमें क़ुरआ डाला। दो को आज़ाद फ़रमाया और चार को गुलाम रखा।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، -وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ " . ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .

(1960) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 4/430, 4/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2085, मुस्लिम, हदीस: 1668.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस क़िस्म के शख़्स का जनाज़ा तो पढ़ा जायेगा मगर उसकी वसीयत को शरीयत के मुताबिक़ दुरुस्त कर दिया जायेगा। (2) मौत के क़रीब कोई शख़्स तिहाई माल से ज़्यादा में तसर्रुफ़ का इख़्तियार नहीं रखता, यानी वह एक तिहाई माल से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। (3)

'इस नबवी फ़ैसले के बरअक्स, अहनाफ़ का ख़्याल है कि 'सब गुलाम आज़ाद होंगे। हर एक का तिहाई हिस्सा वसीयत की बिना पर और बाक़ी दो तिहाई हिस्से की क़ीमत हर गुलाम मय्यत के वारिसीन को कमा कर अदा करेगा।' लेकिन ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले में तसर्रुफ़ है और किसी उम्मती को इसका क़तअन कोई इख़्तियार नहीं। (4) ग़ैर वारिस क़रीबी रिश्तेदार के अलावा भी किसी को वसीयत की जा सकती है।

बाब : (66)
ख़्यानत करने वाले का जनाज़ा?

باب : (٦٦)
الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ غَلَّ

(1961) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (ﷺ) ने कहा: एक आदमी ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढ़ूँगा) क्योंकि उसने जिहाद के दौरान में ख़्यानत की है।' हमने उसके सामान की तलाशी ली तो उसमें यहूदियों के मूंगों में से कुछ मूंगे पाये जो दो दिरहम क़ीमत भी नहीं रखते थे।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2710, इब्ने माजा, हदीस: 2848, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2086, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, इब्ने जारूद, हदीस: 1081, हाकिम: 2/127.

फ़ायदा : गोया इस क़िस्म के लोगों का जनाज़ा चन्द लोग पढ़ें, एहतिमाम न किया जाये और अहम शख़्सियात जनाज़ा न पढ़ें ताकि ऐसे मुजरिमों की हौसला शिकनी हो और उन्हें ख़ौफ़ रहे।

बाब : (67)
मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा?

باب : (٦٧)
الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

(1962) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक अन्सारी शख़्स की मय्यत जनाज़े के लिए लाई गई तो

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا " . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَىَّ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِالْوَفَاءِ " . قَالَ بِالْوَفَاءِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ .

नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढ़ूँगा) इस पर तो क़र्ज़ है।' मैंने अर्ज़ किया: वह क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे रहा। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू ये ज़िम्मेदारी पूरी भी करेगा?' मैंने कहा: ज़रूर पूरी करूंगा तो आपने उसका जनाज़ा पढ़ दिया।

(1962) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1069, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2087, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1161.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहले पहल आपका मामूल यही था कि मक़रूज़ मय्यत जो अदायगी के लिये माल न छोड़ कर फ़ौत होता, उसका जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता कोई शख़्स सच्चे दिल से क़र्ज़ अदा करना चाहता था मगर अदा न कर सका तो ऐसा मजबूर शख़्स अल्लाह तआला के नज़दीक गुनाहगार नहीं। बाद में बैतुलमाल में वुस्अत हो गई तो आप जनाज़ा पढ़ लेते थे और अदायगी बैतुलमाल से फ़रमा देते थे। जिसकी ताईद इस हदीस से होती है: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2298, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1619) बहरहाल हर गुनाहगार मय्यत का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए। **(2)** मय्यत के ज़िम्मे अगर क़र्ज़ वग़ैरह हो तो कोई शख़्स उसे अपने ज़िम्मे ले सकता है, और उसकी ज़िम्मेदारी क़बूल की जा सकती है, ये नाजायज़ नहीं जैसे कि कुछ लोगों का ख़्याल है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الأَكْوَعِ - قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا . قَالَ " هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " هَلْ تَرَكَ مِنْ شَىْءٍ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . قَالَ رَجُلٌ مِنَ

(1963) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास एक जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! इसका जनाज़ा पढ़िये। आपने फ़रमाया: 'इस पर कुछ क़र्ज़ तो नहीं?' लोगों ने कहा: क़र्ज़ है। आपने फ़रमाया: 'ये अदायगी के लिये कुछ माल छोड़ गया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' अन्सार में से एक शख़्स जिन्हें अबू क़तादा कहा जाता था, ने कहा: आप इसका जनाज़ा

पढ़िये, इसका क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे है तो आपने जनाज़ा पढ़ दिया।

(1963) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2088.

الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ .

(1964) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ऐसे शख़्स का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे जिस पर क़र्ज़ होता था। एक मय्यत आपके पास लाई गई। आपने पूछा: 'क्या इस पर क़र्ज़ है?' लोगों ने कहा: जी हाँ! इस पर दो दीनार क़र्ज़ है। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दो दीनार मेरे ज़िम्मे हैं। आपने जनाज़ा पढ़ दिया, फिर जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को फ़ुतूहात दीं तो आपने फ़रमाया: 'मैं हर मोमिन के लिये उसके नफ़्स से भी बढ़ कर क़रीबी हूँ, लिहाज़ा जो क़र्ज़ छोड़ जाये तो उसकी अदायगी मेरे (यानी बैतुलमाल के) ज़िम्मे है और जो माल छोड़ जाये वह उसके वारिसों को मिलेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3343, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 15257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2089, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1162, व इब्ने जारूद: 1111, मुसनद अहमद: 3/330.

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ " . قَالُوا نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ . قَالَ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ " .

(1965) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि जब कोई मुसलमान फ़ौत होता और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) पूछते: 'क्या ये मरने वाला अपने क़र्ज़ की अदायगी के लिये कुछ माल छोड़ गया है?' अगर लोग कहते:

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ " . فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ قَالَ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " .

जी हाँ, तो आप उसका जनाज़ा पढ़ते वरना आप फ़रमाते: 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' फिर जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को फ़ुतूहात से नवाज़ा तो आपने फ़रमाया: 'मैं मुसलमानों के लिये उनके नफ़्सों से भी ज़्यादा क़रीब हूँ, लिहाज़ा जो शख़्स मक़रूज़ फ़ौत हो जाये तो उसके क़र्ज़ की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी और जो शख़्स माल छोड़ कर फ़ौत हो तो वह माल उसके वारिसों को मिलेगा।'

(1965) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1619, बुख़ारी, हदीस: 6731, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2090.

फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में भी सिर्फ़ नबी (ﷺ) ही मक़रूज़ के जनाज़े से इन्कार फ़रमाते थे (ताकि लोग क़र्ज़ की अदायगी में सुस्ती न करें), दूसरे लोग जनाज़ा पढ़ते थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि कोई गुनाहगार मुसलमान बग़ैर जनाज़े के दफ़न हुआ हो।

باب : (٦٨)
تَرْكُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

बाब : (68)
ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَلاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ " .

(1966) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ؓ) से रिवायत है कि एक आदमी ने तीरों से ख़ुदकुशी कर ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं उसका जनाज़ा नहीं पढ़ूँगा।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 978, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2091.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर दूसरों को रोका नहीं, यानी दूसरों ने पढ़ा। बलन्द मर्तबा लोग न पढ़ें। एहतिमाम न किया जाये। चन्द लोग जनाज़ा पढ़ कर दफ़न कर दें। जनाज़े के बग़ैर न दफ़न किया जाये क्योंकि ख़ुदकुशी गुनाहे कबीरा है, कुफ़्र नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ - ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَيَّ شَىْءٌ خَالِدٌ يَقُولُ - كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .

(1967) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो पहाड़ (या किसी और बलन्द मक़ाम) से गिर कर ख़ुदकुशी करे, वह जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा (जहन्नमी पहाड़) से गिरता रहेगा। और जिस शख़्स ने ज़हर पीकर ख़ुदकुशी की तो उसका ज़हर उसके हाथ में दिया जायेगा और वह जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा उसे पीता रहेगा। और जो आदमी किसी तेज़ धार आले (तलवार, ख़न्जर, चाक़ू या छुरी वग़ैरह) से ख़ुदकुशी करे तो उसका वह हथियार उसके हाथ में दिया जायेगा और वह हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में उसे अपने पेट में घोंपता रहेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5778, मुस्लिम, हदीस: 109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2092.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सान अपने जिस्म व जान का मालिक नहीं है, लिहाज़ा वह अपने आपको नुक़सान पहुँचाए तो उसने अल्लाह तआला की चीज़ को नुक़सान पहुँचाया। अपने आपको क़त्ल करना दूसरों को क़त्ल करने की तरह जुर्म है, लिहाज़ा ख़ुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। अल्लाह तआला पर राज़ी रहना चाहिए। **(2)** 'हमेशा हमेशा' यानी जब तक अपने जुर्म की सज़ा में जहन्नम में रहेगा, ख़ुदकुशी वाला फ़ेअल करता रहेगा, अज़ियत होगी, मगर मरेगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में रहेगा क्योंकि ख़ुदकुशी कुफ़्र नहीं। हर मोमिन अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करके (अल्लाह के फ़ज़्ल से या कुछ सज़ा भुगत कर) आख़िर जन्नत में ज़रूर जायेगा। अगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद हों तो इस रिवायत को तग़लीज़ व मुबालिग़ा पर महमूल किया जायेगा या ये सज़ा सिर्फ़ इस जुर्म की है लेकिन इसके साथ उसका कलिम-ए-तय्यबा पढ़ना जन्नत को वाजिब करता है, लिहाज़ा जब नेकियाँ और गुनाह मिलाये जायेंगे तो इन्फ़िरादी जज़ा व सज़ा का ऐतबार न होगा बल्कि मज्मूई तौर पर जो पलड़ा भारी हुआ, उसके मुताबिक़ फ़ैसला होगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (49) मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा?

باب : (۴۹) الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىِّ ابْنِ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ " . فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ " إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا " . فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ

(1968) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय इब्ने सलूल (मुनाफ़िक़) मर गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को उसका जनाज़ा पढ़ने के लिये बुलाया गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (जनाज़ा पढ़ने के लिये) खड़े हो गये, मैं जल्दी से आपके सामने जा खड़ा हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप इब्ने उबय का जनाज़ा पढ़ते हैं, हालांकि इसने फ़ुलां फ़ुलां दिन ऐसी ऐसी बातें कीं? मैं (उसकी शरारतें) शुमार करने लगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) मुस्कुराते रहे, आख़िर फ़रमाया: 'उमर! एक तरफ़ हट जाओ।' जब मैंने अपनी बात पर इस्रार किया तो आपने फ़रमाया: 'मुझे इख़्तियार दिया गया है (कि इस्तेग़फ़ार करो या न करो, अल्लाह मग़फ़िरत न करेगा) तो मैंने इस्तेग़फ़ार को इख़्तियार किया है। अगर मुझे इल्म होता कि मैं सत्तर दफ़ा से ज़्यादा इस्तेग़फ़ार करूं तो इसे माफ़ी हो जायेगी तो मैं यक़ीनन सत्तर दफ़ा से ज़्यादा भी इस्तेग़फ़ार कर देता।' चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनाज़ा पढ़ दिया, फिर वापस तशरीफ़ ले गये। अभी थोड़ी ही देर गुज़री थी कि सूर-ए-बराअत की दो आयतें उतरीं: (वला तुसल्लि अला अहदिन .....) 'ऐ नबी! इन मुनाफ़िक़ों में से कोई मर जाये तो हरगिज़ उसका जनाज़ा न पढ़ें और न उनकी क़ब्र पर (दुआ-ए-मग़फ़िरत के लिये) जायें क्योंकि

جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इन्कार किया और फिर इसी इन्कार व फ़िस्क़ की हालत में फ़ौत हुये।' बाद में मुझे अपनी इस जुर्अत पर, जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने की, बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं।

(1968) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2093.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस की तफ़हीम के लिये मुताला फ़रमायें फ़वाइदे हदीस: 1901 मज़ीद बातें दर्ज ज़ेल हैं। **(2)** 'सलूल' उसकी माँ का नाम था। वह मारूफ़ औरत थी, इसलिये उसकी तरफ़ भी मन्सूब होता था। **(3)** 'जनाज़ा न पढ़ें' यहाँ मुनाफ़िक़ से मुराद वह है जो ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ हो, यानी जो दिल से ईमान न लाया हो, दिल में कुफ़्र हो। सिर्फ़ ज़बान से (धोखा देने के लिये) कलिमा पढ़ा हो। और इस बात का इल्म अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मगर ये कि अल्लाह तआला वह्य नाज़िल फ़रमाये और ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मुमकिन था। आज हम किसी को मुनाफ़िक़ (इस मानी में) नहीं कह सकते। अलामाते निफ़ाक़ पाये जाने से कोई आदमी ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ नहीं बन जाता, अमली मुनाफ़िक़ बनता है, यानी देखने में मुनाफ़िक़ों जैसा, हक़ीक़त तो अल्लाह तआला ही जानता है, लिहाज़ा अब हर कलिमा गो मुसलमान का जनाज़ा पढ़ लिया जायेगा। अलामाते निफ़ाक़ तो किसी हद तक हर एक में पाई जाती है। वल्लाहु आलम! **(4)** 'ताज्जुब हुआ' दरअसल ये जुर्अत भी उन्हें अल्लाह तआला ही ने बख़्शी थी वरना हज़रत उमर(رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने अपने तौर पर चूँ भी न करते थे। कई वाक़ियात इस पर दाल्ल हैं। और इस जुर्अत में भी अल्लाह तआला की बहुत सी हिकमतें पोशीदा थी।

बाब : (70)
मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

باب : (٧٠)
الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(1969) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सुहैल इब्ने बैज़ा(رضي الله عنه) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था।

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ .

(1969) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 973, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2094.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सुहैल इब्ने बैज़ा' बैज़ा उनकी वालिदा का नाम था। ये तीन भाई थे। सुहैल, सहल और सफ़वान। सुहैल (ﷺ) 9 हिजरी में फ़ौत हुये। **(2)** 'मस्जिद में पढ़ा' रसूलुल्लाह(ﷺ) का आम मामूल तो मस्जिद से बाहर पढ़ने का था मगर मस्जिद में पढ़ना भी साबित है। बाद में हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) के जनाज़े भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़े गये। हज़रत सअद(ﷺ) का जनाज़ा हज़रत आयशा (ﷺ) ने हुक्मन मस्जिद में पढ़ाया, लिहाज़ा ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। चूंकि दफ़न बाहर किया जाता है, लिहाज़ा उमूमन जनाज़ा बाहर ही पढ़ा जाता है। ये वजह नहीं कि मस्जिद में कराहत है, बल्कि ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हो तो मस्जिद में बिला कराहत दुरुस्त है। अहनाफ़ सिरे से मस्जिद में जनाज़ा दुरुस्त ही नहीं समझते कि अबू दाऊद की एक रिवायत है: 'जिसने मस्जिद में जनाज़ा पढ़ा फ़ला शैआ लहू 'उसे सवाब नहीं मिलेगा।' कुछ नुस्ख़ों में फ़ला शैआ अलैहि (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3191) ग़र्ज़ इसमें कोई हर्ज नहीं' के अल्फ़ाज़ भी हैं। लेकिन पहले अल्फ़ाज़ ही दुरुस्त हैं जिसका मतलब ये है कि ख़ास अज्र नहीं मिलेगा जैसा कि अल्लामा सिन्धी हनफ़ी (رحمه الله) ने तत्बीक़ दी है सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा का अज्र मिलेगा, मुत्लक़ अज्र की नफ़ी इसलिये नहीं की जा सकती कि सही हदीस से ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है, इसलिये मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़ल क़रार पायेगा। (फ़वाइद सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3191) ऐसी मुहतमिल रिवायत की बिना पर नबी (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) के सरीह और मुत्तफ़क़ा फ़ेअल की नफ़ी की जा रही है। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हर हदीस पर अमल हो जाये। मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुस्सहीहा: 5/465)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ

(1970) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सुहैल बिन बैज़ा(ﷺ) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 2095.

बाब : (71)
रात को जनाज़ा पढ़ना

باب: (۷۱)
الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ

(1971) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) ने कहा: एक मिस्कीन औरत (मदीने के मज़ाफ़ात) अवाली में बीमार हो गई तो नबी(ﷺ) लोगों से उस (की सेहत) के बारे में पूछते रहते थे, और आपने फ़रमाया: 'अगर वह फ़ौत हो जाये तो उसे दफ़न न करना यहाँ तक कि मैं उसका जनाज़ा पढ़ूँ' आख़िर वह फ़ौत हो गई तो लोग उसका जनाज़ा लेकर इशा के बाद मदीना मुनव्वरा में आये लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सोते पाया। उन्होंने आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, ख़ुद ही जनाज़ा पढ़ा और उसे बक़ीअ ग़रक़द में दफ़न कर दिया। जब सुबह हूई तो वह लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। आपने उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो दफ़न भी हो चुकी। हम आपके पास हाज़िर हुये थे मगर हमने आपको सोते पाया और आपको जगाना मुनासिब न समझा। आपने फ़रमाया: 'चलो' आप चले। वह लोग भी आपके साथ चले यहाँ तक कि उन्होंने आपको उसकी क़ब्र दिखाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) (क़ब्र के सामने) खड़े हुये। वह लोग (आपके हुक्म से) आपके पीछे सफ़ में खड़े हो गये। आपने उसका जनाज़ा पढ़ाया और चार तकबीरें कहीं।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1908, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2096.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةٌ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ " إِنْ مَاتَتْ فَلاَ تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " . فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَامَ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلُّوا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ . قَالَ " فَانْطَلِقُوا " . فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفُّوا وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये औरत उम्मे मिहजन (ﷺ) थीं। मस्जिद की सफ़ाई से ख़ुसूसी शग़फ़ रखती थीं। उनकी तकरीम में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊपर दी गई बात इरशाद फ़रमाया था। (2) 'दफ़न कर दिया' इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह (ﷺ) का एहतिराम किस क़द्र था कि आपको जगाना भी नापसन्द या उसे सूए अदब ख़याल करते थे। (ﷺ) बाक़ी रहा आपका फ़रमान तो उसे उन्होंने मामूल पर महमूल किया, न कि ख़ुसूसी हुक्म पर, तभी तो आपने बाद में उन पर नाराज़ी का इज़्हार न फ़रमाया। (3) 'चार तकबीरें कहीं' इसका मन्शा ये है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा न कि सिर्फ़ दुआ की वरना सल्ला के मानी दुआ भी हो सकते हैं। (4) इस हदीस से इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि सहाबा (ﷺ) ने उसका जनाज़ा रात को पढ़ा और नबी (ﷺ) ने उस पर इन्कार भी नहीं फ़रमाया। (5) इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है अगरचे मय्यत को जनाज़ा पढ़ कर दफ़न किया गया हो, और दूसरे जनाज़े में पहले जनाज़े वाले लोग भी शरीक हो सकते हैं वरना सहाबा अलग खड़े रहते। मालूम हुआ दोबारा जनाज़ा नबी (ﷺ) का ख़ास्सा नहीं।

बाब : (72)
जनाज़े पर सफ़ें बाँधना

باب: (٧٢)
الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ " . فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ .

(1972) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा (इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया है। उठो, उसका जनाज़ा पढ़ो।' आप खड़े हुये और हमारी सफ़बन्दी फ़रमाई जैसे जनाज़े में सफ़बन्दी की जाती है, फिर उसका जनाज़ा पढ़ा।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1320, मुस्लिम, हदीस: 952/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2097.

फ़ायदा : 'सफ़बन्दी फ़रमाई' यानी बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा, न कि सिर्फ़ दुआ की। ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा की बहस हदीस नम्बर: 1948 में गुज़र चुकी है, मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

(1973) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने लोगों को हज़रत नजाशी(رحمه الله) की वफ़ात की इत्तिला उनकी

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

वफ़ात ही के दिन फ़रमाई थी, फिर आप लोगों को साथ लेकर जनाज़ागाह में गये। उनकी स़फ़बन्दी की और उनका जनाज़ा पढ़ाया। और चार तकबीरें कहीं।

(1973) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1245, मुस्लिम, हदीस़: 951, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2098, मोता: 1/226.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ لأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنِّي لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتَ .

(1974) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा में अपने स़हाबा को नजाशी (رحمه الله) की वफ़ात की ख़बर दी। उन्होंने आपके पीछे स़फ़ें बनाईं। आपने जनाज़ा पढ़ाया और चार तकबीरें कहीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि इब्ने मुसय्यब का लफ़्ज़ मैं अपनी मन्शा के मुताबिक़ समझ नहीं सका।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1218, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2099.

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम ज़ोहरी के उस्ताद दो हैं: इब्ने मुसय्यब और अबू सलमा। इमाम स़ाहिब का मक़सूद ये लगता है कि मुझे सनद में अबू सलमा का ज़िक्र तो स़ही तौर पर याद है मगर इब्ने मुसय्यब के बारे में शक है कि इस रिवायत में वह मज़्कूर हैं या नहीं, अगरचे दीगर रिवायात में उनका यक़ीनन ज़िक्र है। मुमकिन है जब इमाम नसाई (رحمه الله) के उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ़ ने ये हदीस़ बयान की हो तो इमाम स़ाहिब (رحمه الله) लोगों की कस़रत या उस्ताद की धीमी आवाज़ की वजह से अच्छी तरह न सुन सके हो। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ " . فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ .

(1975) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा भाई फ़ौत हो गया है। उठो! उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो हमने उसके जनाज़े में दो स़फ़ें बनाईं।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 952/66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2100.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ.

(1976) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत नजाशी (رحمه الله) का जनाज़ा पढ़ाया, मैं दूसरी स़फ़ में था।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2101, बुख़ारी, हदीस़: 1320.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ " . قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ .

(1977) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है, हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा (इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया है, उठो उसका जनाज़ा पढ़ो।' हम खड़े हुये और स़फ़बन्दी की जैसे मय्यत पर की जाती है। और उसका जनाज़ा पढ़ा जैसे मय्यत का जनाज़ा पढ़ा जाता है।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 953, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1039, व इब्ने माजा, हदीस़: 1535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2102.

फ़ायदा : 'जैसे मय्यत पर की जाती है' गोया जनाज़े में स़फ़बन्दी एक मशहूर और ग़ैर मुतनाज़ा बात है। वैसे भी जनाज़े के लिये लफ़्ज़े नमाज़ का इस्तेमाल दलालत करता है कि जनाज़े के ख़ुसूसी अहकाम के अलावा नमाज़ के तमाम अहकाम उस पर लागू होंगे, जैसे: क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना, वुज़ू करना, स़फ़ें दुरुस्त करना और फ़ातिहा की क़िराअत वग़ैरह।

बाब : (73)
नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ना

باب : (٧٣)
الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِمًا

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي

(1978) हज़रत समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज़रत उम्मे कअ़ब (ﷺ) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे की पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी कमर के बराबर खड़े हुये।

نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا .

(1978) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2103.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि औरत के जनाज़े में इमाम कमर के बराबर खड़ा होगा। अबू दाऊद की एक रिवायत जो हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, के मुताबिक़ मर्द के जनाज़े में इमाम सर के बराबर खड़ा होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) अहनाफ़ दोनों सूरतों में सीने के बराबर खड़ा होने के क़ाइल हैं। वह इस रिवायत को निफ़ास वाली औरत से ख़ास करते हैं कि आप उसे पर्दा करने के लिये पेट के सामने खड़े हुये थे, मगर किसी रिवायत में ये वजह बयान नहीं की गई, न अक़्ल इस तौजीह की ताईद करती है क्योंकि इमाम के पेट के सामने खड़ा होने से पूरी सफ़ से पर्दा मुमकिन नहीं। सिर्फ़ दो चार आदमियों से पर्दा हो सकता है और वह किसी भी जगह खड़े होने से हासिल हो सकता है न कि सिर्फ़ पेट के सामने खड़ा होने से। वैसे भी पूरा जनाज़ा कफ़न में लिपटा हुआ होता है, फिर इमाम के ज़रिये से पर्दा कैसा होगा? और इस पर्दे की ज़रूरत क्यूँ है? फिर मुफ़स्सल रिवायात या हज़रत समुरा की इस हदीस का मुकम्मल जायज़ा लिया जाये तो निफ़ास वाली औरत से उसकी तख़्सीस बेमानी ठहरती है हर औरत की मय्यत पर खड़ा होने का यही तरीक़ा मस्नून है। अला कुल्लि हाल! जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की सही हदीस या आपका वाज़ेह अमल मौजूद हो तो मुहतमिल इधर उधर के दलाइल या क़यास आराइयों से उसे टालना नहीं चाहिए। **(2)** बाब वाला मसला ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये। गोया ये आपका मामूल था।

बाब : (74) बच्चे और औरत के जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो?

باب : (٧٤)
اجْتِمَاعُ جَنَازَةِ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو

(1979) हज़रत अता बिन अबी रबाह से मन्क़ूल है कि एक औरत और एक बच्चे के जनाज़े इकट्ठे हो गये तो हज़रत अम्मार (ﷺ) ने बच्चे की मय्यत को लोगों की तरफ़ आगे रखा और औरत को उसके पीछे (यानी क़िब्ले की तरफ़) रखा और दोनों का जनाज़ा (एक साथ) पढ़ा। हाज़िरीन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने अब्बास, अबू क़तादा और अबू हुरैरह (ﷺ) भी थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन सब ने कहा

قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا السُّنَّةُ .

कि यही मस्नून तरीक़ा है।

(1979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3193, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2104.

फ़ायदा : मय्यत एक से ज़्यादा हो तो उनका जनाज़ा एक साथ पढ़ा जा सकता है, ख़्वाह वह एक अस्नाफ़ से ताल्लुक़ रखते हों या मुख़्तलिफ़ अस्नाफ़ से, बच्चे हों या बड़े, अलबत्ता मर्दों को इमाम के क़रीब रखा जायेगा और औरतों को मर्दों से पीछे रखा जायेगा। दुआ आम मय्यत वाली पढ़ दी जाये तो सबको किफ़ायत कर जायेगी।

باب : (٧٥) اجْتِمَاعِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

बाब : (75) मर्दों और औरतों के (एक से ज़्यादा) जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعًا وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلاَمُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هِيَ السُّنَّةُ .

(1980) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने नो मय्यतों का इकट्ठा जनाज़ा पढ़ा। मर्दों को इमाम की जानिब रखा और औरतों को क़िब्ले की जानिब और उन सबको एक सीध में रखा। और (इसी तरह) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) की बीवी हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्ते अली और उनके बेटे जिनका नाम ज़ैद था, को इकट्ठा रखा गया। उस वक़्त इमाम सईद बिन आस (ﷺ) थे। हाज़िरीन में इब्ने उमर, अबू हुरैरह, अबू सईद और अबू क़तादा (ﷺ) शामिल थे। बच्चे को इमाम की जानिब रखा गया। एक आदमी ने कहा कि मैंने उसको दुरुस्त न समझा तो मैंने हज़रात इब्ने अब्बास, अबू हुरैरह, अबू सईद और अबू क़तादा (ﷺ) की तरफ़ देखा और कहा: ये क्या है? उन सबने कहा: यही मस्नून तरीक़ा है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2105, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/465, हदीस: 6337.

फ़ायदा : जब सहाबी किसी काम को सुन्नत या मस्नून कहे तो इससे मुराद नबी (ﷺ) की सुन्नत ही होती है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلاَنٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا .

(1981) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्मे फ़ुलां (उम्मे कअ़ब (ﷺ)) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे की पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं तो आप उनके दरम्यान में (यानी कमर के बराबर) खड़े हुये।

(1981) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2106.

फ़ायदा : हदीस का बाब से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ मालूम नहीं होता। वल्लाहु आलम!

باب : (٧٦) عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

बाब : (76) जनाज़े में तकबीरों की तादाद

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

(1982) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को हज़रत नजाशी (رحمه الله) की वफ़ात की इत्तिला दी। उन्हें लेकर (बाहर) निकले। उनकी सफ़बन्दी की और जनाज़े में चार तकबीरें कहीं।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1973, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2107.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में जनाज़े की तकबीरात चार से ज़्यादा, यानी नौ तक भी मन्क़ूल हैं। नबी(ﷺ) की वफ़ात के बाद भी कुछ सहाबा से चार से ज़्यादा तकबीरें कहना साबित है, लिहाज़ा अ़मल में तनव्वोअ़ बेहतर है, लेकिन अगर मज़्कूरा तरीक़ों में से किसी एक पर इल्तेज़ाम करना है तो चार पर अ़मल बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि नबी (ﷺ) का आम मामूल यही था। तफ़्सील व तहक़ीक़ के लिये शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की अहकामुल जनाइज़, सफ़ा: 141-146 मुलाहिज़ा की जा सकती है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ

(1983) हज़रत अबू उमामा बिन सहल (ﷺ) बयान करते हैं कि इलाक़-ए-अवाली में एक औरत बीमार हो गई और नबी (ﷺ) बीमार की

مَرِضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ فَقَالَ " إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي " . فَمَاتَتْ لَيْلاً فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

बीमारपुर्सी और ऐयादत बहुत ज़्यादा फ़रमाया करते थे। आपने (उस औरत की ऐयादत के मौक़े पर) फ़रमाया: 'जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे इत्तिला करना' वह रात को फ़ौत हूई तो उन्होंने (ख़ुद ही जनाज़ा पढ़ कर) उसे दफ़न कर दिया और नबी (ﷺ) को इत्तिला न की। सुबह हूई तो नबी (ﷺ) ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने (पूरी सूरत गोशे गुज़ार की ओर) कहा कि हमने आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, फिर आप उसकी क़ब्र पर आये, उसका जनाज़ा पढ़ा और चार तकबीरें कहीं।

(1983) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1908, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2108.

फ़ायदा : 'जब ये फ़ौत हो जाये' गोया आपको वह्य से या उसकी हालत से उसकी वफ़ात का यक़ीन हो चला था, इसलिये आपने 'अगर' की बजाये 'जब' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जो यक़ीन पर दलालत करता है। इस हदीस की मज़ीद तफ़्सीलात क़रीब ही हदीस नम्बर: 1971 में गुज़र चुकी हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1984) हज़रत इब्ने अबी लैला से मन्क़ूल है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) ने एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ा तो उस पर पाँच तकबीरें कहीं, फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (कुछ औक़ात) पाँच तकबीरें भी कही हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2109.

باب: (٧٧) الدُّعَاءِ

बाब : (77) जनाज़े की दुआएँ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(1985) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ते हुये ये कहते सुना:

جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " . قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ الْمَيِّتِ .

(अल्लाहुम्मग़ फिर् लहू वर्हम्हू ....) 'ऐ अल्लाह! इसके गुनाह बख़्श दे और इस पर रहम फ़रमा। इससे दरगुज़र फ़रमा और इसे ख़ैरियत से रख। इसकी अच्छी मेहमान नवाज़ी फ़रमा और इसका ठिकाना वसीअ फ़रमा। और इसे पानी, बर्फ़ और औलों के साथ धो दे और इसे ग़लतियों से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ किया जाता है। और इसे इसके (दुनियावी) घर वालों से बेहतर घर वाले अता फ़रमा। और इसे क़ब्र के अज़ाब और आग के अज़ाब से बचा।' हज़रत औफ़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मय्यत के लिये ये (जामेअ) दुआएँ सुन कर मुझे ख़्वाहिश हुई कि काश मैं ये मय्यत होता।

(1985) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2110.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सुना' मालूम हुआ रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाज़ा बलन्द आवाज़ से पढ़ रहे थे, लिहाज़ा जनाज़े में जहर (ज़ोर से पढ़ना) जायज़ है। ज़ाहिर यही है कि मुकम्मल जनाज़ा जहरन था, मगर कहा जा सकता है कि इस हदीस से सिर्फ़ दुआ का जहर साबित होता है, अलबत्ता ये बात बईद मालूम होती है कि क़िराअत आहिस्ता हो मगर दुआ जहर के साथ, जबकि नमाज़ में तो दुआ आहिस्ता होने के बावजूद कुछ सूरतों में क़िराअत जहरन होती है, और दरूद भी तो दुआ ही है, लिहाज़ा दुआ का जहर क़िराअत और दरूद के जहर को भी मुस्तलज़िम है। **(2)** 'सफ़ेद कपड़ा' क्योंकि सफ़ेद कपड़ा अच्छी तरह साफ़ किया जाता है वरना उस पर दाग़ धब्बे नुमायाँ होंगे। इस तम्सील से मुराद माफ़ी में मुबालिग़ा है। **(3)** 'जोड़े' ये मानी इसलिये किया गया है कि मर्द और औरत दोनों के लिये इस्तेमाल हो सके। मर्द के लिये बीवी जोड़ा है और औरत के लिये ख़ाविन्द। कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि औरत के जनाज़े में ये लफ़्ज़ (व ज़ौजन ख़ैरम् मिन ज़ौजिहा) न कहा जाये क्योंकि हो सकता है, उसका दुनियावी ख़ाविन्द ही आख़िरत में भी उसका ख़ाविन्द हो और ख़ाविन्द एक से ज़्यादा नहीं हो सकते जबकि बीवियाँ एक से ज़्यादा होंगी मगर ये ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है क्योंकि जन्नती ख़ाविन्द, ख़्वाह साबिक़ा ही हो, दुनियावी ख़ाविन्द से रुत्बे और दर्जे में बहर सूरत बेहतर होगा वरना दुनियावी बीवी भी जन्नत में बीवी न बन

सकेगी। जबकि अहादीस़ में नेक दुनियावी बीवी के आख़िरत में उसी शख़्स की बीवी होने की स़रहात है। **(4)** जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली तकबीर के बाद स़ना, सूर-ए-फ़ातिहा और क़िराअत, दूसरी के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद सलाम होगा। पहली तकबीर के बाद स़ना पढ़ने के मुताल्लिक़ इस किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाये। **(5)** कुछ अहले इल्म ईद की ज़्यादा तकबीरात की तरह जनाज़े की चारों तकबीरों को भी शुरू में इकट्ठा कहने के क़ाइल हैं, यानी चारों तकबीरात कहने के बाद मुसल्सल स़ना, सूर-ए-फ़ातिहा, क़िराअत, दरूद और दुआ व सलाम होंगे मगर इस तरीक़े से नमाज़े जनाज़ा, नमाज़े ईद के मुशाबा हो जायेगी और नमाज़े जनाज़ा का इम्तियाज़ ख़त्म हो जायेगा, लिहाज़ा पहला तरीक़ा ही राजेह मालूम होता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ - وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " .

(1986) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ते सुना। मैंने सुना, आप दुआ में यूँ फ़रमा रहे थे: (अल्लाहुम्मग़्फ़िरलहू.....) 'ऐ अल्लाह! इस (के गुनाहों) को बख़्श दे और इस पर रहम फ़रमा। इसे ख़ैरियत के साथ रख और इससे दरगुज़र फ़रमा। इसकी मेहमान नवाज़ी अच्छी फ़रमा और इसकी क़ब्र को खुला कर दे और इसे पानी, बर्फ़ और औलों से धो डाल। और इसे ग़लतियों (के अस़रात) से इस तरह पाक व स़ाफ़ फ़रमा दे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से स़ाफ़ रखा है। और इसे इसके घर से बेहतर घर, इसके घर वालों से बेहतर घर वाले और इसके साथी से बेहतर साथी अता फ़रमा। इसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा और आग से दूर रख।' या आपने फ़रमाया: (व अइज़्हु मिन अज़ाबिल क़ब्र) 'इसे अज़ाबे क़ब्र से बचा।'

(1986) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2111.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तूने सफ़ेद कपड़े को' क्योंकि कपड़े का सफ़ेद माद्दा तो अल्लाह तआला ही ने पैदा फ़रमाया है जो हर क़िस्म के दाग़ धब्बे से महफ़ूज़ होता है। अगर अल्लाह तआला बेदाग़ माद्दा पैदा न फ़रमाता तो इन्सान ख़ालिस़ सफ़ेद रंग कहाँ से हासिल करता? (2) 'साथी' ज़ोज के ये मानी भी हो सकते हैं जिसमें ख़ाविन्द बीवी बदर्जे-ए-औला शामिल हैं। (उह्शुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़्वाजहुम) (साफ़्फ़ात: 37/22) इस मानी के लिहाज़ से ये दुआ ग़ैर शादीशुदा मर्द और औरत के जनाज़े पर भी पढ़ी जा सकती है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا قُلْتُمْ " . قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " . قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَعْجَبَنِي لأَنَّهُ أَسْنَدَ لِي .

(1987) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ सुलमी(ﷺ) जो कि स़हाबी-ए-रसूल हैं, ने हज़रत उबैद बिन ख़ालिद सुलमी (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो आदमियों को आपस में भाई बना दिया। उनमें से एक शहीद हो गया और दूसरा उसके कुछ बाद फ़ौत हुआ। हमने उसका जनाज़ा पढ़ा। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने (जनाज़े में) उसके लिये क्या दुआ की?' स़हाबा ने अर्ज़ किया: हमने उसके लिये ये दुआ की: (अल्लाहुम्मग़फ़िर्लहू ......) 'ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा। इस पर रहम फ़रमा और इसे इसके साथी (भाई) के साथ मिला दे।' नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो उसके बाद इसकी नमाज़ें और दूसरे नेक आमाल किधर गये? अल्लाह की क़सम! उनके दरम्यान तो ज़मीन व आसमान के बीच जैसा फ़ासिला है।' अम्र बिन मैमून ने कहा: ये रिवायत मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने (उस्तादे मोहतरम) ने ये रिवायत (बग़ैर वास्ता गिराये) मुझे बयान की।

(1987) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2112, तहावी: 3/102, 103.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इस रिवायत में हज़रत अ़म्र बिन मैमून के उस्ताद सहाबी हैं। और वह एक दूसरे सहाबी से बयान कर रहे हैं। एक सहाबी अगर दूसरे सहाबी का वास्ता ज़िक्र न भी करे तो रिवायत की इस्नादी हैसियत कमज़ोर नहीं होती, अलबत्ता वास्ते का ज़िक्र बेहतर है, इसी लिये हज़रत अ़म्र बिन मैमून ने इस रिवायत पर अपनी ख़ुशी का इज़्हार फ़रमाया। **(2)** गोया जनाज़े में मुत्लक़ मग़फ़िरत और रफ़ए दर्जात की दुआ की जाये। किसी शख़्सियत का हवाला या उसकी तरफ़ निस्बत मुनासिब नहीं क्योंकि हर शख़्स का हक़ीक़ी मर्तबा अल्लाह तआला ही जानता है, अलबत्ता सिफ़ात का हवाला दिया जा सकता है। जैसे: 'ऐ अल्लाह! इसको शोहदा व सालेहीन के साथ मिला दे।' वग़ैरह **(3)** आमाले सालेहा वाली लम्बी ज़िन्दगी मुसलमान आदमी के लिये ग़नीमत है। 94) ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ, इख़्लास और तक़्वा की ज़्यादती की बिना पर बसा औक़ात आदमी बिस्तर पर फ़ौत हो कर भी शहीद के बराबर या उससे बलन्द दर्जा हासिल कर लेता है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا " .

(1988) हज़रत अबू इब्राहीम अन्सारी अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं उन्होंने नबी(ﷺ) को एक मय्यत के जनाज़े में यूँ दुआ करते सुना: (अल्लाहुम्मग़फ़िरलिहय्यिना .....) 'ऐ अल्लाह! माफ़ फ़रमा दे हमारे फ़ौतशुदा और ज़िन्दा को और हाज़िर व ग़ाइब को और मुज़क्कर व मुअन्नस को और छोटे और बड़े को।'

(1988) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2113, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: 541, अबी दाऊद, हदीस: 3201, मुसनद अहमद: 5/299, 308 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** हाज़िर व ग़ाइब से मुराद जनाज़े के वक़्त हाज़िर व ग़ाइब भी हो सकता है, यानी जो जनाज़े में मौजूद हैं या ग़ाइब हैं। और ग़ाइब से मुराद फ़ौतशुदा भी हो सकता है। इस सूरत में हाज़िर से मुराद ज़िन्दा होगा। ग़ाइब से मुराद वह अफ़राद भी हो सकते हैं जो अभी पैदा नहीं हुये। इस सूरत में हाज़िर से मुराद ज़िन्दा और पैदा शुदा लोग होंगे। हाज़िर से मुराद मौजूद जनाज़ा भी हो सकता है और ग़ाइब से मुराद वह होगा जो वहाँ मोजूद नहीं है। इससे जनाज़-ए-ग़ाइबाना की मशरूइयत भी इस्तिम्बात की जा सकती है। **(2)** सग़ीर से मुराद नाबालिग़ नहीं कि वह तो वैसे ही मग़फ़ूर लहू है बल्कि जो किसी दूसरे के मुक़ाबले में छोटा है, ख़्वाह बालिग़ ही हो। इसी तरह कबीर से मुराद हर वह शख़्स है जो किसी

दूसरे के मुक़ाबले में बड़ा हो। वैसे भी इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर मानी के बजाये तअ्मीम मक़सूद होती है, यानी लाइक़े मग़फ़िरत शख़्स को बख़्श दे। या बच्चे के लिये रफ़ए दर्जात की दुआ है क्योंकि उसके गुनाह तो होते नहीं।

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ .

(1989) हज़रत तल्हा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) के पीछे एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ा। उन्होंने सूर-ए-फ़ातिहा और एक और सूरत पढ़ी और (दोनों) बलन्द आवाज़ से पढ़ीं यहाँ तक कि हमें सुनाई दीं। जब वह फ़ारिग़ हुये तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये सुन्नत और हक़ है।

(1989) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2114.

फ़ायदा : साबित हुआ कि जनाज़े में भी क़िराअते फ़ातिहा ज़रूरी है। सुन्नत से मुराद नबी (ﷺ) का मुक़र्रर कर्दा तरीक़ा है। यहाँ सुन्नत वजूब के मुक़ाबले में नहीं जैसा कि लफ़्ज़ 'हक़' से साफ़ ज़ाहिर है। (ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातल किताब) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 756, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 394) का उमूम भी क़िराअते फ़ातिहा को वाजिब करता है। जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं। अहनाफ़ बिला वजह क़िराअत के मुख़ालिफ़ हैं। इस हदीस के जवाब में वह कहते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने सूर-ए-फ़ातिहा और दूसरी सूरत क़िराअत की नियत से नहीं बल्कि दुआ की नियत से पढ़ी होंगी। मगर इस 'होंगी' की कोई दलील भी तो होनी चाहिए। आख़िर क़िराअते फ़ातिहा से मानेअ़ किया है? क्या जनाज़े का दुआ होना क़िराअत की ज़िद है? आम नमाज़ों में भी क़िराअते फ़ातिहा होती है, दुआएँ भी, ये कौन सा जमा बैनन नक़ीज़ैन है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ

(1990) हज़रत तल्हा बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के पीछे एक जनाज़ा पढ़ा। मैंने उन्हें सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ते सुना। जब वह जनाज़े से फ़ारिग़ हुये तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या आप (जनाज़े में) क़िराअत करते हैं?

فَقُلْتُ تَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ .

उन्होंने फ़रमाया: हाँ, ये हक़ है, और नबी(ﷺ) की सुन्नत है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1335, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2115.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ .

(1991) हज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नमाज़े जनाज़ा में सुन्नत ये है कि पहली तकबीर के बाद सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े, फिर तीन तकबीरें कहे और आख़री तकबीर के बाद सलाम फेर दे।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, हदीस: 540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2116, व सहीह इब्ने अल मुलक़्क़िन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस: 788, अत्तहावी: 1/500, व सहीह अल हाकिम: 1/360.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावी-ए-हदीस हज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) मारूफ़ सहाबी-ए-रसूल, अबू उमामा बाहिली नहीं हैं बल्कि ये और सहाबी हैं जो उन्हीं की कुनियत से मारूफ़ हैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का शर्फ़े रुयत नसीब है, अगरचे बराहे रास्त उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई हदीस नहीं सुनी, ये रिवायत भी उन्होंने किसी और सहाबी के वास्ते से ली है लेकिन बिला वास्ता बयान फ़रमा दी। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसे मुर्सले सहाबी कहते हैं, और ये क़ाबिले हुज्जत होती है। इसे मरफ़ूअ रिवायत ही का हुक्म मिलता है। मज़ीद देखिये: (तालीक़ अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी, सफ़ा: 141) **(2)** 'सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े' जबकि पीछे हदीस नम्बर 1989 में सराहतन जहर (ज़ोर से पढ़ने) का ज़िक्र है, लिहाज़ा दोनों तरह जायज़ है। आहिस्ता पढ़े या बलन्द आवाज़ से। **(3)** 'फिर तीन तकबीरें कहे' रिवायत मुख़्तसर है, यानी तीन तकबीरें इकट्ठी नहीं कही जायेंगी बल्कि तमाम मिल कर तीन होंगी, यानी अलग अलग। दूसरी के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद सलाम जैसा कि तफ़्सील हदीस: 1985 फ़ायदा: 4 में गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ الْفِهْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِيِّ، بِنَحْوِ ذَلِكَ .

(1992) हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस दमिश्क़ी से भी इसी क़िस्म की (इसके हम मानी) रिवायत आती है।

(1992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2117.

बाब : (78)
जिस शख़्स के जनाज़े में सो मुसलमान हों, उसकी फ़ज़ीलत?

باب : (٧٨)
فَضْلِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ

(1993) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मय्यत पर मुसलमानों की एक जमाअत जनाज़ा पढ़े जो सौ तक पहुँचते हों और वह उसकी (बख़िशश) की सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उस मय्यत के हक़ में उनकी सिफ़ारिश क़बूल की जाती है।'

रावी-ए-हदीस़ सलाम बिन अबू मुतीअ बयान करते हैं कि मैंने ये रिवायत हज़रत शुऐब बिन हब्हाब को बयान की तो वह कहने लगे: मुझे यही रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक (﵁) ने नबी (ﷺ) से बयान की है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2119.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ " . قَالَ سَلاَّمٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया ये रिवायत हज़रत आयशा (﵂) से भी मरवी है और हज़रत अनस(﵁) से भी। **(2)** 'सिफ़ारिश क़बूल की जाती है' बशर्ते कि वह इन्सान क़ाबिले मग़फ़िरत हो। ये क़ैद हर ऐसी रिवायत में मल्हूज़ रहनी चाहिए।

(1994) हज़रत आयशा (﵂) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान फ़ौत हो जाये, फिर उस पर मुसलमानों की एक जमाअत जनाज़ा पढ़े जो एक सौ तक पहुँचते हों और वह उसके लिये सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उनकी सिफ़ारिश उसके हक़ में क़बूल की जाती है।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2119.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، - رَضِيعٌ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ " .

(1995) अबू बक्कार हकम बिन फ़र्रूख़ से रिवायत है कि हज़रत अबू मलीह ने हमें एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ाया। हमने समझा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर कह दिया है लेकिन (अचानक) उन्होंने हमारी तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमाया: अपनी सफ़ें दुरुस्त और सीधी करो। और तुम्हारी सिफ़ारिश बेहतरीन होनी चाहिए (क्योंकि) मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलीत ने उम्महातुल मोमिनीन में से नबी (ﷺ) की एक ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जिस मय्यत पर मुसलमानों की एक जमाअत जनाज़ा पढ़ दे, उसके हक़ में उनकी सिफ़ारिश ज़रूर क़बूल होगी।' मैंने हज़रत अबू मलीह से पूछा कि वह जमाअत कितनी हो? उन्होंने कहा: चालीस अफ़राद

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ - عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ " . فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الأُمَّةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ .

(1995) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/331, 334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2120.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में रसूलुल्लाह (ﷺ) से सराहतन चालीस अफ़राद का ज़िक्र आता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 948) इसलिये हज़रत अबू मलीह ने इस रिवायत में भी 'उम्मत यानी जमाअत' की तफ़्सीर चालीस अफ़राद से फ़रमा दी। (رحمه الله)

बाब : (79) जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब

باب: (٧٩) ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

(1996) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी मय्यत का जनाज़ा पढ़े, उसके लिये एक क़ीरात सवाब है और जो शख़्स (जनाज़े के बाद) इन्तेज़ार करता रहे यहाँ तक कि उसे लहद में रख

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ".

दिया जाये तो उसके लिये दो क़ीरात (सवाब) है। और दो क़ीरात दो अज़ीम पहाड़ों की तरह हैं।'

(1996) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 945, बुख़ारी: 1/177, व तोहफ़तुल अशराफ़: 10/248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2121.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 1942.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ " . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ " .

(1997) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जनाज़े में हाज़िर हुआ और जनाज़ा पढ़े जाने तक रहे तो उसके लिये एक क़ीरात (सवाब) है और जो दफ़न किये जाने तक रहे तो उसके लिये दो क़ीरात (सवाब) है।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क़ीरात कैसे होंगे? आपने फ़रमाया: 'दो अज़ीम पहाड़ों जैसे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1325, मुस्लिम, हदीस: 945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2122.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ " .

(1998) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ जाये, उसका जनाज़ा पढ़े और उसे दफ़न करे तो उसके लिये दो क़ीरात हैं। और जो शख़्स जनाज़ा पढ़ कर दफ़न से पहले वापस आ जाये तो वह एक क़ीरात (सवाब) के साथ पलटता है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2123.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ

(1999) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये, उसका जनाज़ा पढ़े, फिर

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"

वापस आ जाये तो उसके लिये एक क़ीरात अज्र है। और जो साथ जाये, जनाज़ा पढ़े, फिर बैठा रहे यहाँ तक कि तद्फ़ीन से फ़राग़त हो तो उसके लिये दो क़ीरात अज्र है। हर क़ीरात उहुद (पहाड़) से बड़ा होगा।'

(1999) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2124.

फ़ायदा : 'बैठा रहे' मुराद ठहरना है, ख़्वाह बैठे या खड़ा रहे।

باب: (٨٠) الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ

बाब : (80) जनाज़ा रखने से पहले बैठना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ "

(2000) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ। और जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये, वह न बैठे यहाँ तक कि जनाज़ा (ज़मीन पर) रख दिया जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1918, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2125.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 1915 से 1931.

باب: (٨١) الْوُقُوفِ لِلْجَنَائِزِ

बाब : (81) जनाज़ा देख कर खड़ा होना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، : أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ .

(2001) हज़रत अली (ﷺ) के सामने जनाज़ा (ज़मीन पर) रखे जाने तक खड़े रहने का ज़िक्र किया गया तो हज़रत अली बिन अबी तालिब(ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (पहले) खड़े रहते थे, मगर बाद में बैठे रहते थे।

(2001) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 962, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2126.

फ़ायदा : ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर: 1924 व माबअद।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا .

(2002) हज़रत अली (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खड़े होते देखा तो हम भी खड़े रहे, फिर हमने आपको बैठे देखा तो हम भी बैठे रहे।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2127.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ .

(2003) हज़रत बराअ (ؓ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक जनाज़े में गये। जब हम क़ब्र के पास पहुँचे तो (देखा कि) क़ब्र तैयार नहीं हुई थी। आप बैठ गये और हम आपके इर्द गिर्द बैठ गये (बग़ैर किसी हरकत व आवाज़ के) गोया कि हमारे सरों पर परिन्दे बैठे हैं।

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3212, व इब्ने माजा, हदीस: 1548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2128, व सहीह अलबैहक़ी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बैठ गये' गोया दफ़न करने से पहले बैठा जा सकता है बशर्ते कि मय्यत को ज़मीन पर रख दिया गया हो। **(2)** 'परिन्दे बैठे हैं।' ये सुकून और ख़ामोशी रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहतिराम के साथ साथ मौक़े व महल की मुनासिबत से थी कि क़ब्र बनाई जा रही है, मय्यत पास रखी है और क़ब्र के किनारे बैठे हैं।

باب : (٨٢) مُوَارَاةِ الشَّهِيدِ فِي دَمِهِ

बाब : (82) शहीद को ख़ून समेत (बग़ैर गुस्ल दिये और कपड़े उतारे) दफ़न किया जाये

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَتْلَى

(2004) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअ्लबा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जंगे उहुद के शोहदा के बारे में फ़रमाया था: 'उन्हें उनके ख़ून आलूद जिस्मों और कपड़ों

أُحُدٍ : " زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ " .

समेत कफ़न दो क्योंकि जो ज़ख़्म भी अल्लाह तआला के रास्ते में लगा हो क़यामत के दिन उसकी ये हालत होगी कि रंग तो ख़ून जैसा ही होगा मगर ख़ुशबू कस्तूरी जैसी होगी।

(2004) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 5/431, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2129, मुसनद इमाम अहमद: 5/431.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये बात मुत्तफ़क़ अलैहि है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा बल्कि उसी ख़ून आलूद हालत में मुनासिब कपड़े में कफ़न देकर दफ़न कर दिया जायेगा ताकि उस पर मज़लूमियत के निशान बाक़ी रहें, और क़यामत के दिन उसका इम्तियाज़ क़ाइम रहे और सब हाज़िरीन के सामने उसकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि क़यामत के दिन हर मय्यत को इस हाल में उठाया जायेगा जिस पर वह फ़ौत और दफ़न हुआ, अलबत्ता अहनाफ़ ने इसके लिये चन्द शर्तें लगाई हैं, जैसे: उसने ज़ख़्मी होने के बाद न कुछ खाया पिया हो, न साया हासिल किया हो, न उसका इलाज किया गया हो यहाँ तक कि न उसने वसीयत की हो मगर ये तमाम शर्तें बिला दलील बल्कि बातिल हैं बल्कि शहादत के साथ मज़ाक़ और शहीद पर ज़ुल्म है। गोया उसे धूप में प्यासा रख कर तड़पा तड़पा कर मारा जाये या मरने दिया जाये। लुत्फ़ तो ये है कि उसे बात करने की भी इजाज़त न दी जाये। अस्तग़फ़िरुल्लाह! **(2)** शहीद के जनाज़े के बारे में इख़्तिलाफ़ है और ये बहस तफ़सील के साथ अहादीस: 1955 से 1957 में गुज़र चुकी है।

बाब : (83)
शहीद को कहाँ दफ़न किया जाये?

باب : (٨٣)
أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةَ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَحُمِلاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا . وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2005) हज़रत उबैदुल्लाह बिन मुअय्या से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: ताइफ़ के दौरान में दो मुसलमान शहीद हुये तो उनको उठा कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया। आपने हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दफ़न किया जाये जहाँ ये शहीद हुये। (रावी-ए-हदीस) हज़रत इब्ने मुअय्या रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में पैदा हुये थे।

(2005) **तख़रीज : (सनद हसन)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2130.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावी-ए-हदीस़ उबैदुल्लाह बिन मुअय्या के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का दीदार साबित नहीं, लिहाज़ा उन्हें सहाबी नहीं कहा जायेगा। बल्कि वह जलीलुल क़द्र ताबेई थे। जब ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करे तो उस रिवायत को मुर्सल कहते हैं और मुर्सल रिवायत ज़ईफ़ होती है, लेकिन चूंकि माबअ़द की हदीसे जाबिर इसकी ताईद करती है, यानी इसका शाहिद है, इसलिये सही है। **(2)** ये ज़रूरी नहीं कि मय्यत को ऐन उसी जगह दफ़न किया जाये जहाँ वह शहीद हो बल्कि बसा औक़ात ये मुमकिन भी नहीं होता, जैसे: जब उस जगह दुश्मन का क़ब्ज़ा हो, लिहाज़ा शहीद को किसी क़रीबी जगह भी दफ़न किया जा सकता है जैसा कि शोहदा-ए-उहुद इकट्ठे एक जगह दफ़न हैं मगर ज़रूरी नहीं कि वह सब के सब उसी जगह बल्कि अपने अपने मदफ़न में ही शहीद हुये हों, अलबत्ता ये मुनासिब है कि उन्हें मैदाने शहादत या उससे क़रीब दफ़न कर दिया जाये। आम आबादी में न ले जाया जाये। **(3)** उमूमी तौर पर भी इस्लाम मय्यत की मुन्तक़िल की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करता, हाँ अशद्द ज़रूरत और मजबूरी हो तो वफ़ात की जगह से मुन्तक़िल हो भी सकती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ .

(2006) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि शोहदा-ए-उहुद को उनकी शहादत के मैदान में वापस लाया जाये क्योंकि उन (में से कुछ) को मदीना मुनव्वरा ले जाया गया था।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3165, व इब्ने माजा, हदीस: 1516, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2131, व सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 1717, व इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ " .

(2007) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'शोहदा (ए-उहुद) को उनकी शहादतगाह ही में दफ़न किया जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2132.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हुक्म की तौजीह हदीस नम्बर 2005 के तहत बयान हो चुकी है। **(2)** जंगे उहुद में हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) के वालिदे मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) भी शहीद हुये थे,

इसलिये हज़रत जाबिर (ﷺ) का इस फ़रमान से ख़ुसूसी ताल्लुक़ था। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) को इत्तिला मिली थी कि कुछ लोग अपने क़रीबी शोहदा की लाशें मदीना ले गये हैं, जैसा कि हदीस: 2006 में है, मज़ीद लाशें ले जाने का इम्कान भी था, इसलिये आपने ये हुक्म जारी फ़रमाया।

बाब : (84)
मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये

باب : (٨٤)
مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

(2008) **हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है कि (जब मेरे वालिद अबू तालिब फ़ौत हुये तो) मैंने नबी (ﷺ) से गुज़ारिश की कि आपके गुम कर्दा राह चचा फ़ौत हो गये हैं। अब उन्हें कौन (ज़मीन में) छुपाये (दफ़न) करेगा? आपने फ़रमाया: 'जाओ, अपने वालिद को (ज़मीन में) छुपाओ (दफ़न करो) और मेरे पास वापस आने से पहले कोई और काम न करना।' मैं उनको दफ़नाने के बाद आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने मुझे गुस्ल करने का हुक्म दिया। मैंने गुस्ल किया तो आपने मेरे लिये (सब्र व तहम्मुल की) दुआ की लेकिन वह दुआ मुझे याद नहीं।**

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ : " اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " . فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ

(2008, तख़रीज : **(सनद हसन)** देखें, हदीस: 190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2133.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपके चचा अबू तालिब बावजूद आपकी कोशिशों के इस्लाम क़बूल किये बग़ैर ही फ़ौत हो गये। इस बात का आपको और हज़रत अली को बहुत सदमा था। जिसका इज़्हार ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ से हो रहा है। वैसे वह आपका भरपूर साथ देते रहे और कुफ़्फ़ार के सामने ढाल बने रहे। यही वजह है कि अल्लाह तआला भी उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फ़रमायेगा। **(2)** 'दफ़न करो' काफ़िर रिश्तेदार को भी दफ़न किया जायेगा, ख़ुसूसन जबकि वह वालिद हो तो फिर एहतिराम के साथ दफ़न करना होगा। (वसाहिबहुमा फ़िदुनिया मअरूफ़ा) (लुक़मान: 31/15) अलबत्ता मस्नून तकफ़ीन व तद्फ़ीन सिर्फ़ मुसलमान के लिये होगी, और काफ़िर की क़ब्र मुसलमानों की क़ब्रों से अलग जगह होनी चाहिए।

बाब : (85)
लहद और शक़

بَابٌ : (٨٥)
اللَّحْدِ وَالشَّقِّ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(2009) हज़रत सअ़द (ﷺ) ने (वसीयत के तौर पर) फ़रमायाः मेरे लिये लहद बनाना और फिर ईंटें लगा देना जैसा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) के लिये किया गया था।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 1/169, 173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2134.

फ़ायदा : 'लहद' बग़ली क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़िब्ले की दीवार में बनाई जाती है। और 'शक़' सीधी क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़ब्र के दरम्यान में खोदी जाती है। दोनों तरीक़े जायज़ हैं मगर लहद बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'लहद हमारे लिये है और शक़ दूसरों के लिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 3208) तफ़्सील मुताल्लिक़ा हदीस में आयेगी। इन्शाअल्लाह!

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، : أَنَّ سَعْدًا، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2010) हज़रत आमिर बिन सअ़द से रिवायत है कि जब (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअ़द (ﷺ) की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने फ़रमायाः मेरे लिये लहद बनाना और फिर ईंटें लगा देना जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये किया गया।

(2010) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीसः 966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2135.

फ़ायदा : 'ईंटें लगा देना' यानी लहद का मुँह बन्द करने के लिये। और ये सस्ता तरीक़ा है जबकि शक़ को ढाँपना महँगा है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَذْرَمِيُّ، عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ

(2011) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'लहद हमारे लिये है और शक़ दूसरों के लिये।'

بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا " .

(2011) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3208, तिर्मिज़ी, हदीस: 1045, व इब्ने माजा, हदीस: 1554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2136.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत अगरचे इस सनद से ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की वजह से कुछ हज़रात के नज़दीक सही है और यही बात दुरुस्त है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने जामेअ तिर्मिज़ी में इन शवाहिद की तस्रीह फ़रमाई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 1045) **(2)** 'दूसरों के लिये' मुसनद अहमद में जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस में है और 'शक़ अहले किताब के लिये है।'(मुसनद अहमद: 4/363) लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि मुसलमानों के लिये शक़ जायज़ नहीं क्योंकि कुछ इलाक़ों में लहद मुमकिन ही नहीं, शक़ ही बनानी पड़ती है। मुमकिन है नबी (ﷺ) का मतलब भी ये हो कि बक़ीउल गर्क़द (जन्नतुल बक़ीअ) की ज़मीन सख़्त है, लहद बन सकती है, लिहाज़ा हमारे लिये लहद बेहतर है, वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक के लिये भी दोनों आदमियों (लहद और शक़ वाले) को पैग़ाम भेजा गया था। इत्तेफ़ाक़न लहद बनाने वाले सहाबी पहले आ गये, इसलिये इत्तिफ़ाक़े सहाबा लहद बनाई गई। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1557) मुमकिन है अहले किताब के यहाँ शक़ का रिवाज हो। आपने इम्तियाज़ (फ़र्क़) के लिये मुसलमानों को लहद बनाने का मशवरा दिया हो। (और देखिये, फ़वाइद हदीस: 2009, 2010)

بَاب : (٨٦)
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِعْمَاقِ الْقَبْرِ

बाब : (86)
क़ब्र को गहरा खोदना मुस्तहब है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " احْفِرُوا

(2012) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि हमने जंगे उहुद के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) से शिकायत की और कहा कि हर मय्यत के लिये अलग अलग क़ब्र खोदना हमारे लिये बहुत मुश्किल है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो, गहरी खोदो और अच्छी तरह खोदो। और दो दो, तीन तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न कर दो।' लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आगे किस मय्यत को रखें? आपने फ़रमाया: 'जो ज़्यादा

وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " . قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " . قَالَ : فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

क़ुर्आन पढ़ा हुआ हो।' रावी-ए-हदीस़ हज़रत हिशाम ने कहा कि मेरे वालिद समेत तीन आदमी एक क़ब्र में दफ़न किये गये। (ﷺ)

(2012) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3216, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1713, व इब्ने माजा, हदीस़: 1560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2137.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बहुत मुश्किल है' क्योंकि शोहदा ज़्यादा थे, बाक़ी मान्दा लोग ज़ख़्मों से चूर और इस अ़ज़ीम नुक़सान से दिल बरदाश्ता थे। ऐसी हालत में एक दिन में सत्तर क़ब्रें निकालना निहायत मुश्किल था। अमन की हालत में भी इतनी क़ब्रें बनाना बहुत मुश्किल काम है। **(2)** 'गहरी खोदो' क्योंकि इस तरह मय्यत जानवरों और बारिश वग़ैरह से बहुत महफ़ूज़ रहेगी, और लहद गिरने का ख़तरा नहीं रहेगा। **(3)** ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा आदमी भी एक क़ब्र में दफ़न किये जा सकते हैं मगर कफ़न अलग अलग होना ज़रूरी है, अलबत्ता औ़रत को ग़ैर महरम के साथ दफ़न न किया जाये, हाँ माँ बच्चे को इकट्ठा दफ़न करने में कोई हर्ज नहीं।

بَابٌ : (٨٧)
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْسِيعِ الْقَبْرِ

बाब : (87)
क़ब्र को वसीअ़ बनाना मुस्तहब है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " .

(2013) हज़रत हिशाम बिन आ़मिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन बहुत ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गये। (बाक़ी मान्दा) लोगों को बहुत ज़ख़्म लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अज़ राहे शफ़क़त) फ़रमाया: 'खोदो और कुशादा खोदो और दो दो, तीन तीन शोहदा को एक एक क़ब्र में दफ़न कर दो और जिसने क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, उसे आगे रखो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2138, पिछली हदीस़ देखें।

फ़ायदा : वसीअ़ क़ब्र में दफ़न करना आसान होगा और क़ब्र गिरने से महफ़ूज़ रहेगी, इसलिये ये मुस्तहब है।

बाब : (88) लहद में (मय्यत के नीचे) अलग कपड़ा रखना?

باب: (٨٨) وَضْعِ الثَّوْبِ فِي اللَّحْدِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ .

(2014) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को दफ़न किया गया तो आपके नीचे सुर्ख़ रंग की एक चादर बिछाई गई।

(2014) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 967, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2139.

फ़ायदा : मस्नून कफ़न तीन कपड़े ही हैं। आज कल अमल भी इसी पर है, अलबत्ता अगर नीचे ज़्यादा चादर बिछा ली जाये तो इस हदीस की रू से जायज़ है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 19/364-369)

बाब : (89) वह औक़ात जिनमें मय्यत को दफ़न करना मना है

باب: (٨٩) السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ إِقْبَارِ الْمَوْتَى فِيهِنَّ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ : ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ .

(2015) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि तीन औक़ात ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें उनमें नमाज़ पढ़ने और मय्यत के दफ़न करने से मना फ़रमाया: जब सूरज तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि कुछ ऊँचा हो जाये। और जब सूरज निस्फ़ुन्नहार पर हो यहाँ तक कि ढल जाये। और जब सूरज गुरूब होने के ऐन क़रीब हो।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 561, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2140.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इन तीन औक़ात में नमाज़ पढ़ने और मय्यत को दफ़न करने की मुमानिअत साबित होती है। कुछ उलमा ने अगरचे इसका मतलब ये बयान किया है कि इन औक़ात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है, दफ़न किया जा सकता है लेकिन ये तावील बईद है,

इसलिये बात वही सही है जो हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होती है। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर इन औक़ात में दफ़नाने की गुंजाइश है जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। (2) इस रिवायत से मुताल्लिक़ा दूसरे मबाहिस हदीस नम्बर 1561 और 1896 में गुज़र चुके हैं।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً، وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ .

(2016) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और अपने सहाबा में से एक शख़्स का ज़िक्र किया जो (रात को) फ़ौत हो गया था और उसे रात ही को नाक़िस और ग़ैर मुनासिब कफ़न में दफ़न कर दिया गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी मय्यत को रात के वक़्त दफ़न करने से मना फ़रमा दिया मगर ये कि अशद्द मजबूरी हो।

(2016) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 21541.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस सहीह मुस्लिम (943) में भी है, इसमें ये इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने पर डाँटा सिवाए इस सूरत के कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली गई हो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि उन्होंने उस सहाबी की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी थी लेकिन ऐसा होना बईद अज़ क़यास है, इसलिये शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसके मानी ये किये हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा दिन के वक़्त पढ़ ली गई हो तो फिर रात के वक़्त दफ़नाना जायज़ है क्योंकि आपके फ़रमान 'सिवाए मजबूरी के' का ये मफ़हूम नहीं है कि मजबूरी के वक़्त रात को दफ़न करना जायज़ है। (2) रात के वक़्त नमाज़े जनाज़ा जायज़ है या नहीं? इसमें राजेह बात ये है कि अफ़ज़ल तो यही है कि दिन के वक़्त नमाज़े जनाज़ा अदा की जाये ताकि ज़्यादा लोग शामिल हो सकें क्योंकि ये शरअन मतलूब है, अलबत्ता बवक़्ते ज़रूरत रात के वक़्त भी नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है जैसा कि सही रिवायात से साबित है।

बाब : (90) एक से ज़्यादा अफ़राद को एक क़ब्र में दफ़न करना

باب : (٩٠) دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

(2017) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन लोगों को सख़्त तक्लीफ़ पहुँची तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया:

حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ " . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " .

'क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और दो दो, तीन तीन शोहदा को एक एक क़ब्र में दफ़न करो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम किस को आगे (क़िब्ले की तरफ़) रखें? आपने फ़रमाया: 'जो उनमें से ज़्यादा कुर्आन पढ़ा हुआ हो।'

(2017) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2012, मुसनद अहमद: 4/19, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2142, अबू दाऊद, हदीस: 3215.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2012.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

(2018) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि जंगे उहुद में लोगों को ज़ख़्मों की सख़्त तक्लीफ़ थी। इस बात की शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की गई। आपने फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और अच्छी तरह खोदो और दो दो, तीन तीन को एक एक क़ब्र में दफ़न करो। और जो शख़्स ज़्यादा कुर्आन पढ़ा हुआ हो, उसे आगे रखो।'

(2018) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2012, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2143.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :"احْفِرُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " .

(2019) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो और अच्छी तरह खोदो और दो दो, तीन तीन को (इकट्ठा) दफ़न करो। और जो शख़्स कुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, उसे आगे रखो।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1560, देखें, हदीस: 2012, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2144.

बाब : (91)
(एक से ज़्यादा होने की सूरत में) किस मय्यत को आगे रखा जाये?

باب : (٩١)
مَنْ يُقَدَّمُ

(2020) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन मेरे वालिद शहीद हो गये। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो कुशादा खोदो, और अच्छी तरह खोदा। और दो दो, तीन तीन को एक एक क़ब्र में दफ़न करो और जिसने क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, उसे आगे रखो।' मेरे वालिद तीन में से एक थे (जो एक ही क़ब्र में दफ़न किये गये, यानी उनके साथ दो और आदमी दफ़न किये गये) चूंकि वह (मेरे वालिद) क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़े हुये थे, लिहाज़ा उन्हें (क़िब्ले की तरफ़) आगे रखा गया।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2012, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2145.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " . فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ .

फ़ायदा : इल्म इन्सान का ख़ास्सा है, लिहाज़ा इन्सानों में फ़ज़ीलत की बुनियाद इल्म है। और क़ुर्आन मजीद असल इल्म है, इसलिये नबी (ﷺ) ने इसे मैयारे फ़ज़ीलत बनाया।

बाब : (92)मय्यत को लहद में रखने के बाद (किसी वजह से) निकालना

باب : (٩٢) إِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ فِيهِ

(2021) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबय को क़ब्र में रखे जाने के बाद नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये और उसे बाहर निकालने का हुक्म दिया, फिर आपने उसे अपने घुटनों पर रखा और किसी क़द्र अपना लुआबे दहन उस पर डाला। और उसे अपनी क़मीस

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ

عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

पहनाई। अल्लाह तआला ही (उसकी मसलिहत) जानता है।

(2021) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1902, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2146.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ . قَالَ جَابِرٌ : وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(2022) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह बिन उबय को उसकी क़ब्र से निकाला गया, फिर आपने उसका सर अपने घुटनों पर रखा। और उसके मुँह में अपना लुआबे दहन थूका। उसे अपनी क़मीस पहनाई और उसका जनाज़ा पढ़ा। (इन कामों की मसलिहत) अल्लाह तआला ही जानता है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1270, 1350, मुस्लिम, हदीस: 2773, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2147.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 1901, 1902, 1968.

بَاب: (٩٣) إِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ

बाब : (93) मय्यत को दफ़न करने के बाद क़ब्र से निकालना?

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِبْ قَلْبِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَى حِدَةٍ .

(2023) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद (शहीदे उहुद) के साथ क़ब्र में एक और शहीद भी दफ़नाये गये थे मगर मेरे दिल को ये अच्छा न लगा यहाँ तक कि मैंने उनको निकाल कर अलग दफ़न किया।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2148.

फ़ायदा : ये दफ़नाने से छ: माह बाद की बात है, और उनकी मय्यत बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह रखी गई थी (ﷺ) साबित हुआ कि अशद्द (सख़्त) ज़रूरत हो तो क़ब्र कुशाई की जा सकती है वरना इससे बचना बेहतर है।

बाब : (94) क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

باب: (٩٤) الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَقَالَ : " مَا هَذَا " . قَالُوا : هَذِهِ فُلاَنَةُ مَوْلاَةُ بَنِي فُلاَنٍ، فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ، فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ : " لاَ يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةٌ".

(2024) हज़रत यज़ीद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (बक़ीअ की तरफ़) निकले तो आपने एक ताज़ा क़ब्र देखी। आपने फ़रमाया: 'ये क़ब्र कैसी है?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये फुलां क़बीले की फुलां लौण्डी की क़ब्र है, आपने उसे पहचान लिया, ये ज़ुहर के वक़्त फ़ौत हुई थी। आप उस वक़्त रोज़े की हालत में दोपहर के वक़्त आराम फ़रमा रहे थे। हमने इसकी ख़ातिर आपको जगाना मुनासिब न समझा। अल्लाह के रसूल(ﷺ) (क़ब्र के रुख़) खड़े हुये, और अपने पीछे लोगों की स़फ़ बनाई और आपने चार तकबीरें कहीं (यानी मुकम्मल जनाज़ा पढ़ा) फिर फ़रमाया: 'जब तक मैं तुममें मौजूद हूँ, कोई शख़्स भी फ़ौत हो मुझे ज़रूर इत्तिला किया करो क्योंकि मेरा जनाज़ा पढ़ना उसके लिये रहमत का सबब है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2149, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 759-761, देखें, हदीस़: 1921.

फ़ायदा : कोई मय्यत बग़ैर जनाज़े के दफ़न कर दी जाये तो इस सूरत में क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना मुत्तफ़क़ा मसला है, अलबत्ता नमाज़े जनाज़ा के साथ दफ़न की जाने वाली मय्यत का क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना इख़्तिलाफ़ी मसला है। ये हदीस़ जवाज़ की दलील है। अदमे जवाज़ के क़ाइलीन इसे नबी (ﷺ) का ख़ास्सा बनाते हैं मगर आपका हर अमल उसके मशरूअे आम होने की दलील होता है जब तक कि तख़्सीस़ की दलील न हो और यहाँ तख़्सीस़ की दलील नहीं। इसके अलावा स़हाबा का साथ खड़ा होना तख़्सीस़ के ख़िलाफ़ जाता है, अगरचे कहा जा सकता है कि स़हाबा बित तबअ खड़े हुये थे, बहर सूरत जवाज़ तो स़ाबित होता है। मज़ीद देखिये हदीस़: 1971.

(2025) हज़रत शअ़बी (رَحِمَهُ اللهُ) से रिवायत है कि मुझे उस सहाबी ने बताया जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक अलग बनी हुई क़ब्र के पास से गुज़रे थे, आपने इमामत फ़रमाई और उन्होंने (इब्ने अ़ब्बास और दूसरे लोगों) ने आपके पीछे सफ़बन्दी की। शअ़बी से पूछा गया: वह कौन से सहाबी हैं? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه).

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 857, मुस्लिम, हदीस: 954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2150.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، : أَخْبَرَنِي مَنْ، مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ، قُلْتُ : مَنْ هُوَ يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ .

(2026) हज़रत शअ़बी (رَحِمَهُ اللهُ) बयान करते हैं कि मुझे उस सहाबी ने ख़बर दी जिन्होंने ख़ुद देखा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक अलग बनी हुई क़ब्र के क़रीब से गुज़रे तो आपने अपने सहाबा की अपने पीछे सफ़ बनाई और जनाज़ा पढ़ाया। (शअ़बी से) पूछा गया: आपको किस सहाबी ने बयान फ़रमाया? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2151.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ . قِيلَ : مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ .

(2027) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक औरत की क़ब्र पर उसके दफ़न किये जाने के बाद जनाज़ा पढ़ा।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2152.

أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ .

बाब : (95)
जनाज़े से फ़राग़त के बाद (वापसी पर) सवार होना

بَابٌ: (٩٥)
الرُّكُوبِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَنَازَةِ

(2028) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत इब्ने दहदाह(ﷺ) के जनाज़े के लिये निकले (पैदल तशरीफ़ ले गये) जब वापस हुये तो आपके पास बग़ैर काठी के घोड़ा लाया गया। आप सवार हो गये। हम आपके साथ साथ पैदल चलते रहे।

(2028) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 965, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2153.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ، فَلَمَّا رَجَعَ أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ .

फ़ायदा : जनाज़ा पढ़ने के बाद वापसी पर सवार होकर आना जायज़ है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। जाते वक़्त भी सवार होकर जाया जा सकता है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 1944 के फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (96)
क़ब्र पर इज़ाफ़ा करना

بَابٌ: (٩٦)
الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَبْرِ

(2029) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि क़ब्र पर कोई इमारत बनाई जाये या क़ब्र पर इज़ाफ़ा किया जाये या क़ब्र को पुख़्ता बनाया जाये। रावी सुलैमान बिन मूसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा बयान किये हैं: या उस पर कुछ लिखा जाये।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 2154, व सहीह तिर्मिज़ी: 1052.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ . زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इमारत' यानी क़ब्र को इमारत की तरह ऊँचा बनाना या क़ब्र के इर्द गिर्द इमारत बनाना, ख़्वाह क़ब्र की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइरीन की सहूलत के लिये, बहर सूरत मना है

क्योंकि इस तरह क़ब्र देर तक बाक़ी रहेगी। बाद में आने वालों को तंगी होगी, और ये क़ब्र की पूजा पाठ का सबब है। आज कल ऐसी क़ब्रें मुजरिमों और नशई लोगों का अड्डा बनी हूई हैं। (2) 'इज़ाफ़ा' क़ब्र से निकलने वाली मिट्टी के अलावा और मिट्टी डालना मना है क्योंकि इस तरह क़ब्र शरई हद से बलन्द हो जायेगी और उसे ख़त्म होने में देर लगेगी। या इससे मुराद ज़रूरत से ज़्यादा लम्बी चोड़ी क़ब्र बनाना है, ये भी मना है क्योंकि इससे जगह तंग होगी और दूसरे लोगों के लिये मुश्किलात पैदा होंगी, और बे मक़सद जगह ज़ाया होगी। (3) तज्सीस़, यानी चूने वग़ैरह से पुख़्ता करना क्योंकि इससे मज़बूती और पायेदारी होती है जबकि शरीयत का मन्शा ये है कि क़ब्र कुछ देर के लिये रहे, फिर ख़त्म हो जाये ताकि आने वालों के लिये जगह ख़ाली हो। कुछ उलमा ने मिट्टी के साथ क़ब्र लीपने की इजाज़त दी है मगर इस हदीस़ से मालूम होता है कि वह मिट्टी क़ब्र की मिट्टी के अलावा न हो बल्कि क़ब्र ही की मिट्टी पर पानी डाल कर हाथ फेर दिया जाये, अलबत्ता अगर कोई क़ब्र बैठ कर गढ़ा बन जाये तो उसे अलग मिट्टी से पुर किया जा सकता है क्योंकि ये मजबूरी है। (4) 'लिखा जाये' जैसे: नाम व नसब और पता वग़ैरह या तारीख़े वफ़ात या क़ुर्आन मजीद की आयात या अहादीस़ वग़ैरह, गोया कुछ भी लिखना मना है क्योंकि ये चीज़ क़ब्र को अर्स़-ए-दराज़ तक बाक़ी रखने का सबब बनेगी। क़ुर्आन मजीद वग़ैरह लिखना, इसलिये भी मना है कि क़ब्र में टूट फूट होती रहती है और ये अल्फ़ाज़े मुक़द्दसा की बेहुर्मती का सबब बनेगी, और मुताल्लिक़ीन को तो क़ब्र बग़ैर किताबत के भी मालूम होती है और अवामुन्नास को इस ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा लिखना फ़ुज़ूल है बल्कि रियाकारी है। (5) अवामुन्नास में किसी चीज़ का राइज हो जाना उसके जवाज़ की दलील नहीं जबकि वह स़रीह फ़रमाने रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ हो जैसे ऊपर दी गई चीज़ें। शिर्क भी तो हर दौर में महबूबे अवाम रहा है।

बाब : (97)
क़ब्र पर इमारत बनाना

باب: (٩٧)
الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

(2030) हज़रत जाबिर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्रों को पुख़्ता करने या उन पर इमारत बनाने या उन पर बैठने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2155.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ .

फ़ायदा : 'बैठने से मना फ़रमाया' क्योंकि इसमें स़ाहिबे क़ब्र की बेहुर्मती है या बतौर सोग बैठने से

रोका है या मुजाविर बन कर बैठना मुराद है। कुछ ने उससे क़ज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है। सही बात ये है कि ऊपर दी गई तमाम सूरतें मना हैं। इसी तरह क़ब्र पर टेक लगाना भी मना है क्योंकि इसमें भी साहिबे क़ब्र की बेहुर्रमती है।

बाब : (98)
क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना

باب : (۹۸)
تَجْصِيصِ الْقُبُورِ

(2031) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्रों को चूना गच करने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/95, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2156.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ .

फ़ायदा : उस ज़माने में जो काम चूने से लिया जाता था, आज कल वह काम सिमेन्ट से लिया जाता है, लिहाज़ा सिमेन्ट का इस्तेमाल भी क़ब्र पर मना है। (मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये, हदीस: 2029)

बाब : (99)
ज़्यादा बलन्द बनी हूई क़ब्र को हमवार करना

باب : (۹۹)
تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ إِذَا رُفِعَتْ

(2032) हज़रत सुमामा बिन शुफ़य बयान करते हैं कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) के साथ रूमियों के इलाक़े में थे कि हमारा एक साथी फ़ौत हो गया। तो हज़रत फ़ज़ाला ने हुक्म दिया और उसकी क़ब्र हमवार कर दी गई, फिर फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप क़ब्रों को हमवार करने का हुक्म देते थे।

(2032) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 968, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2157.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ، حَدَّثَهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا .

फ़ायदा : इस हदीस का ये मतलब नहीं कि क़ब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार बनाया जाये क्योंकि इस तरह तो क़ब्र और ग़ैर क़ब्र का पता ही नहीं चलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि क़ब्र ज़्यादा

ऊँची न हो बल्कि क़ब्र की अपनी मिट्टी को हमवार कर दिया जाये, मज़ीद मिट्टी न डाली जाये। या इस हदीस़ का मतलब ये है कि क़ब्र को ज़मीन की तरह हमवार, यानी चिपटी (मुसतह) बनाया जाये, टीले की तरह न बनाई जाये ताकि क़ब्र और टीले में इम्तियाज़ हो सके और उसके आदाब मल्हूज़ रखे जा सकें। और अगर ज़ाहिर मानी मुराद हो (यानी क़ब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार कर दिया जाये) तो ये उस क़ब्र की इस्लाह होगी जिसे बहुत ऊँची बना दिया गया हो या जहाँ शिर्क का अन्देशा हो, ताकि उस पर ग़ैर शरई काम न हो सकें, उसका नाम व निशान मिटा दिया जाये। कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन की क़ब्रों का नाम व निशान मिटाया जा सकता है,जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिदे नबवी के एहाते की क़ब्रों को उखाड़ दिया था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ، وَلاَ صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهَا .

(2033) हज़रत अबू हय्याज से मन्क़ूल है, हज़रत अ़ली (ؓ) ने मुझसे फ़रमाया: क्या मैं तुझे उस काम पर न भेजूँ जिस पर मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भेजा था कि तू कोई बलन्द क़ब्र न छोड़ मगर उसे हमवार कर दे और न किसी घर में कोई बुत या तस्वीर छोड़ मगर उसे तोड़ फोड़ दे।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस़: 969, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2158.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बलन्द क़ब्र' जो ख़ुद इमारत की तरह ऊँची हो या जिस पर इमारत हो, वरना जायज़ हद तक, यानी एक बालिश्त ज़मीन से ऊँची क़ब्र को क़ाइम रखा जायेगा ताकि उस पर क़ब्र के अहकाम व आदाब लागू हों क्योंकि क़ब्र और आ़म ज़मीन में इम्तियाज़ तो ज़रूरी है। इस सिलसिले में हदीस़: 2032 का फ़ायदा मल्हूज़े ख़ातिर रहे। (2) 'तस्वीर' यानी किसी भी जानदार की तस्वीर या मुजस्समा जो पत्थर वग़ैरह से बनाया गया हो (तभी उसके मानी बुत किये गये हैं) ख़्वाह उसकी पूजा होती हो या न होती हो। उसे भी इस हद तक तोड़ फोड़ दिया जाये कि उसका सर चेहरा वग़ैरह क़ाइम न रहे बल्कि एक आ़म पत्थर की तरह रह जाये। याद रहे यहाँ ज़ी रूह का मुजस्समा मुराद है, इन्सान हो या हैवान क्योंकि हैवानात की भी तो पूजा की जाती रही है।

बाब : (100)
क़ब्रों की ज़ियारत

باب : (١٠٠)
زِيَارَةِ الْقُبُورِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .

(2034) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत करने (क़ब्रिस्तान में जाने) की इजाज़त है। (इसी तरह) मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था, अब तुम रख सकते हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे (इसी तरह) मैंने तुम्हें मशकीज़े के अलावा किसी और बर्तन में नबीज़ बनाने से रोका था, अब तुम हर क़िस्म के बर्तन में नबीज़ बना सकते हो, अलबत्ता नशे वाला नबीज़ न पीना।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2159.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ काम हमेशा के लिये हराम होते हैं। उनके जवाज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मगर कुछ काम बज़ाते ख़ुद जायज़ होते हैं लेकिन किसी वक़्ती मसलिहत की ख़ातिर उन्हें ममनूअ क़रार दे दिया जाता है। मसलिहत गुज़र जाने के बाद वह अपने असली हुक्म पर आ जाते हैं। हदीस में मज़्कूर तीनों काम इसी नोइयत के हैं। क़ब्रों पर जाना, तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त खाना और नबीज़ पीना जायज़ काम हैं, मगर कुछ नुक़सानात से बचने के लिये उनसे रोका गया जब नुक़सान का ख़तरा न रहा तो जवाज़ का ऐलान फ़रमा दिया गया। **(2)** रसूले अकरम (ﷺ) की बिअ्सत के इब्तेदाई दौर में शिर्क आम था। बुतों और क़ब्रों की पूजा खुले आम थी, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों को क़ब्रों पर जाने से रोक दिया ताकि शिर्क की तरफ़ ज़हन मुतवज्जा ही न हो। जब तौहीद आम हो गई और ज़हन पुख़्ता हो गये, शिर्क का इम्कान न रहा तो आप (ﷺ) ने क़ब्रों पर जाने की इजाज़त दे दी ताकि मौत याद रहे। अफ़सोस का मक़ाम है कि अब फिर क़ब्रों पर दुआ व पुकार होती है। मौत की याद की बजाये शिर्क की याद ताज़ा होती है, लिहाज़ा इस हदीस की रोशनी में ऐसी क़ब्रों पर जाना मना है जिनकी पूजा होती है और जिन्हें आज की इस्तेलाह में 'मज़ार' कहा जाता है। **(3)** 'कुर्बानी का गोश्त' इब्तेदा में अक्सर सहाबा फ़क़ीर थे। ख़ाल ख़ाल लोग कुर्बानी कर सकते थे, ज़्यादा तर

मुसलमान ग़रीब और मिस्कीन थे, इसलिये आपने तीन दिन से ऊपर क़ुर्बानी का गोश्त रखने से रोक दिया था, फिर जब ग़नाइम की कस्रत हो गई और क़ुर्बानियाँ आम हो गईं और लोगों को हाजत न रही तो आपने असली हुक्म बहाल फ़रमा दिया कि जब तक चाहो, खाओ, अलबत्ता किसी साइल को महरूम न रखा जाये और न पड़ोसी ही महरूम रहे। (4) 'नबीज़' इब्तेदाई दौर में लोग मै (शराब) नोशी के आदी थे। थोड़ा बहुत नशा तो उन्हें महसूस ही न होता था, इसलिये जब शराब हराम हूई तो आपने उन बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया जो शराब बनाने के लिये इस्तेमाल होते थे क्योंकि उनकी साख़्त ऐसी थी कि उनमें जल्द नशा पैदा होता था, इम्कान था कि अगर उन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दी गई तो अव्वलन शराब की याद बाक़ी रहेगी, सानियन नबीज़ में नशा पैदा हो जायेगा और उन्हें पता नहीं चलेगा, इसलिये शराब के बर्तनों से मुस्तक़िल रोक दिया गया लेकिन जब शराब ज़हनों से महव (मिटना) हो गई और तबीअतों में नशे के असरात न रहे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असली हुक्म बहाल फ़रमा दिया कि किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाई जा सकती है क्योंकि बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करता। हराम करने वाली चीज़ तो नशा है, अगर नशा पैदा न हो तो किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं। (5) इस हदीस से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त या मुफ़्ती और क़ाज़ी किसी चीज़ को जायज़ होने के बावजूद वक़्ती तौर पर ममनूअ कर सकते हैं जब किसी मफ़सदे (फ़साद) और ख़राबी का हक़ीक़ी ख़तरा हो, मगर ये पाबन्दी आरज़ी होगी। ज्यों ही ख़राबी का ख़तरा ख़त्म हो तो वह चीज़ दोबारा जायज़ हो जायेगी। शरअन जायज़ अम्र को मुस्तक़िल तौर पर ममनूअ क़रार नहीं दिया जा सकता, हाँ जुज़्वी या आरज़ी तौर पर पाबन्दी मुमकिन है बशर्ते कि कोई ठोस वजह मौजूद हो।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي إِلاَّ ثَلاَثًا، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ، انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا

(2035) हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं एक ऐसी मज्लिस में था जिसमें रसूलुल्लाह(ﷺ) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया था लेकिन अब तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ और जब तक चाहो, रखो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें कहा था कि उन बर्तनों में नबीज़ न बनाओ, यानी कद्दू का बर्तन, तारकोल मला हुआ बर्तन, खजूर की जड़ का बर्तन और मसाम बन्द मटका, लेकिन अब जिस बर्तन में चाहो नबीज़ बनाओ, अलबत्ता हर नशे वाली चीज़ से बचो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें

كُلِّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا " .

क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था लेकिन अब जो क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाना चाहे, जाये मगर (वहाँ जाकर) कोई ग़लत बात न कहो।'

(2035) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2160.

फ़ायदा : 'ग़लत बात' जैसे: शिर्किया बात, नौहा, रोना धोना वग़ैरह औरतें इतना ज़ब्त नहीं रखतीं, लिहाज़ा वह कभी कभार ही जा सकती हैं, ताहम जिन औरतों से ये ख़तरा न हो, उनके लिये क़ब्रिस्तान जाने की इजाज़त है।

बाब : (101)
मुश्रिक की क़ब्र पर जाना

باب : (١٠١)
زِيَارَةِ قَبْرِ الْمُشْرِكِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ : " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ " .

(2036) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वालिदा की क़ब्र देखने गये तो ख़ुद भी रोये और साथियों को भी रुलाया और फ़रमाया: 'मैंने अपने रब तआला से इजाज़त तलब की थी कि मैं अपनी वालिदा के लिये बख़्शिश की दुआ करूँ लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई, फिर मैंने इजाज़त तलब की कि उनकी क़ब्र देखने जाऊँ तो मुझे इजाज़त दे दी गई। तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो क्योंकि वह मौत को याद दिलाती हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 976/108, देखें, हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2161.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहिब (رحمه الله) ने इस्तेग़फ़ार की इजाज़त न मिलने से ये नतीजा अख़ज़ किया कि आपकी वालिदा इस्लाम से पहले फ़ौत हो गई थी और ऐसे लोगों के लिये दुआ-ए मग़फ़िरत की मुमानिअत है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी बचपन की उम्र में थे जब आपकी वालिदा की वफ़ात हो गई थी। माँ, बाप की क़ब्र की ज़ियारत की ख़्वाहिश एक फ़ितरी अम्र है जिस पर शरअन भी कोई पाबन्दी नहीं। क़ब्र की ज़ियारत के मौक़े पर रोना भी फ़ितरी चीज़ है, ख़ुसूसन जबकि आपने आलमे

होश में पहली दफ़ा अपनी वालिदा की क़ब्र देखी थी। अल्लाह जाने! किस क़िस्म के जज़्बात मोहब्बत व प्यार आपके दिल में उमड़ आये होंगे, ममता कोई मामूली चीज़ नहीं। (3) वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, वह मुसलमान हों या काफ़िर व मुश्रिक उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना औलाद का फ़र्ज़ है।

बाब : (102) मुश्रिकीन के लिये इस्तेग़फ़ार की मुमानिअ़त

باب : (١٠٢) النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ : " أَىْ عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " . فَنَزَلَتْ { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } وَنَزَلَتْ {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } .

(2037) हज़रत मुसय्यब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो नबी (ﷺ) उसके पास तशरीफ़ ले गये। उसके पास (उस वक़्त) अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमैया थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ चचा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मैं इसे अल्लाह तआला के पास तेरे लिये बतौर हुज्जत पेश करूँगा।' अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमैया उसे कहने लगे: ऐ अबू तालिब! क्या तू अ़ब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देगा? वह दोनों उससे इस क़िस्म की बातें करते रहे यहाँ तक कि आख़री बात जो अबू तालिब ने उनसे की, वह ये थी कि मैं अ़ब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। तो नबी(ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'मैं तेरे लिये इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा बशर्ते कि मुझे रोका न गया।' फिर ये आयत उतरी: (मा काना .....) 'नबी और ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं कि मुश्रिकीन के लिये इस्तिग़फ़ार करें।' और ये आयत भी उतरी: (इन्नका ला .....) 'आप जिसे चाहें राहे रास्त पर नहीं ला सकते।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2884, मुस्लिम, हदीस: 24/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबित हुआ कि अबू तालिब ने इस्लाम क़बूल नहीं किया बल्कि कुफ़्र ही पर फ़ौत हुआ। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की वजह से उसको सबसे हल्का अज़ाब होगा। चूंकि शिर्क नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है, इसलिये मुश्रिक के लिये इस्तिग़फ़ार नाजायज़ है। अबू तालिब को माज़ूरीन में शामिल करना भी मुश्किल है क्योंकि उसे तो दीने हक़ पहुँच गया था मगर वह क़बूल न कर सका। वल्लाहु आलम! **(2)** इन्सान को क़यामत के दिन उसका अमल काम देगा, हसब व नसब काम न आ सकेगा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً، يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ : أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ { وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ } .

(2038) हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने एक शख़्स को सुना जो अपने मुश्रिक वालिदैन के लिये इस्तिग़फ़ार कर रहा था तो मैंने कहा: क्या तू उनके लिये इस्तिग़फ़ार करता है, हालांकि वह मुश्रिक थे? उसने कहा: क्या हज़रत इब्राहीम (علیہ السلام) ने अपने वालिद के लिये इस्तिग़फ़ार नहीं की थी? मैं नबी (ﷺ) के पास आया और ये बात आपसे ज़िक्र की तो ये आयत उतरी: (वमा काना .....) 'इब्राहीम (علیہ السلام) का अपने वालिद के लिये इस्तिग़फ़ार करना उस वादे की बिना पर था जो उन्होंने उससे किया था।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3101, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2163, अबी यअ्ला: 1/280, हदीस: 335, व सहीह अल हाकिम: 2/335.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शवाहिद मुस्तदरक हाकिम वग़ैरह में हैं जिन्हें इमाम हाकिम ने सही कहा है और इमाम ज़हबी ने मुवाफ़िक़त की है लेकिन मुहक़्क़िक़े किताब ने इन शवाहिद पर ख़ुद कोई हुक्म नहीं लगाया जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत को ग़ालिबन इन्हीं शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है और दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/68, रक़म: 2035, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/44, 45) **(2)** हज़रत इब्राहीम(علیہ السلام) को जब पता चल गया कि मेरा वालिद कुफ़्र ही पर फ़ौत हुआ है तो उन्होंने उसके लिये इस्तिग़फ़ार तर्क फ़रमा दिया। ज़िन्दगी में तो मुश्रिक के लिये मग़फ़िरत और हिदायत की दुआ की जा सकती है, मगर शिर्क पर मर जाने के बाद नहीं।

बाब : (103) मोमिनीन के लिये इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है

باب : (١٠٣) الأَمْرِ بِالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ قَالَتْ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَطَالَ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ،

(2039) हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़्रमा से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: क्या मैं तुम को अपने और नबी(ﷺ) के बारे में एक वाक़िया बयान न करूँ? हमने कहा: हाँ ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया: एक मर्तबा मेरी रात की बारी थी जिसमें आप मेरे यहाँ थे। आप (इशा की नमाज़ पढ़ कर) लौटे तो अपने जूते अपने पाँव के पास उतार कर रख लिये और अपनी चादर का किनारा अपने बिस्तर पर बिछा लिया। थोड़ी देर के बाद जब आपने ये ख़याल किया कि मैं सो गई हूँ (आप उठे) आहिस्तगी से जूते पहने, चुपके से चादर पकड़ी, फिर होले से दरवाज़ा खोला और बग़ैर आवाज़ किये निकल गये। मैंने फ़ौरन क़मीस पहनी, औढ़नी औढ़ी, तहबन्द बाँधा और आपके पीछे चल पड़ी यहाँ तक कि आप बक़ीअ (कब्रिस्तान) में पहुँच गये और तीन दफ़ा हाथ उठा उठा कर लम्बी दुआएँ कीं, फिर आप वापस मुड़े तो मैं भी मुड़ी। आप तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ हो गई। आप भागने लगे तो मैं भी भागने लगी। आपने दौड़ लगा दी तो मैंने भी दौड़ लगा दी लेकिन मैं आपसे (आगे थी, लिहाज़ा) पहले पहुँच गई और घर में दाख़िल हो गई। अभी मैं लेटी ही थी कि आप तशरीफ़ ले आये और आपने पूछा: 'आयशा! तुझे क्या हुआ? तेरा साँस चढ़ा हुआ है। पेट फूला हुआ है?' मैंने कहा: जी! कुछ भी नहीं। आपने फ़रमाया: 'मुझे सच सच बता दे वरना मुझे बारीक बीन और

فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ : " مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ : لاَ . قَالَ : " لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ . قَالَ : " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قَالَتْ : نَعَمْ، فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ : " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قُلْتُ : مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ . قَالَ : " فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي، فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ " .

ख़बरदार ज़ात बता देगी।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! फिर मैंने पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: 'तेरा ही वह वजूद था जो मैंने आगे आगे देखा था?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने मेरे सीने में इस ज़ोर से मुक्का मारा कि मुझे सख़्त तक्लीफ़ हूई, फिर फ़रमाया: 'क्या तू समझती थी कि अल्लाह तआला और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' मैंने (दिल में) कहा: लोगों से जितना भी छुपाया जाये, अल्लाह तआला तो उसे जानता ही है। आपने फ़रमाया: 'जब तूने मुझे उठते देखा था तो जिब्रील (عليه السلام) मेरे पास आये थे लेकिन वह अन्दर दाख़िल नहीं हुये क्योंकि तू कपड़े उतार चुकी थी। उन्होंने मुझे (हल्के से) बुलाया कि तुझे पता नहीं चलने दिया। मैंने भी (होले से) जवाब दिया कि तुझे पता नहीं चल सका। मेरा ख़्याल था कि तू सो चुकी है, इसलिये मैंने तुझे जगाना मुनासिब न समझा। मुझे ख़तरा था कि तू डरने लगेगी। तो जिब्रील (عليه السلام) ने मुझसे कहा कि मैं बक़ीअ जाऊँ और उनके लिये बख़्शिश की दुआ करूँ।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (मुझे क़ब्रिस्तान जाने का मौक़ा मिले तो) मैं कैसे दुआ करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू कह: (अस्सलामुअला अह्लिद्दियार ....) इस क़ब्रिस्तान के मोमिन और मुसलमानों पर सलामती हो। और अल्लाह तआला हममें से पहले आने वालों और पीछे रहने वालों सब पर रहम फ़रमाये और अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो हम भी तुम्हें मिलने वाले हैं।'

(2039) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 974/102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2164.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वाक़िये की तफ़्सीलात तो हदीस से वाज़ेह हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) का ख़्याल था कि आप मेरी बारी की रात किसी और बीवी के घर गये हैं, हालांकि आप जैसी आदिल शख़्सियत के लिये ये मुमकिन न था क्योंकि ये तो ज़ुल्म है और नबी की शख़्सियत उससे पाक होती है। ग़ैरत के जज़्बात की वजह से हज़रत आयशा (ﷺ) का ध्यान इस हक़ीक़त की तरफ़ न जा सका। तभी आपने उनके सीने पर मुक्का मार कर उन्हें हक़ीक़त की तरफ़ तवज्जा दिलाई। चूंकि आप अल्लाह तआला के हुक्म के बग़ैर क़दम नहीं उठाते थे, इसलिये अपने साथ अल्लाह तआला का भी ज़िक्र फ़रमाया: (अंय यहीफ़ल्लाहु अलैक व रसूलुहु) कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे? (2) इससे इस्तेदलाल किया गया है कि आप पर बीवियों के दरम्यान बारी मुक़र्रर करना वाजिब था, वरना बारी की ख़िलाफ़वर्ज़ी ज़ुल्म न होता मगर इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि नबी (ﷺ) जैसी आदिल शख़्सियत वजूब के बग़ैर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी। आपके अख़्लाक़े करीमाना से बईद था कि आप किसी की दिल आज़ारी करे। (3) मालूम हुआ कि दुआ के क़सद से क़ब्रिस्तान जाना चाहिए और लम्बी दुआ करनी चाहिए। (अस्सलामुअला ....) के अलावा भी मज़ीद दुआ करनी जायज़ है। इसके अलावा हाथ उठा कर की जाये या वैसे ही कर ली जाये, दोनों तरह जायज़ है। (4) हज़रत आयशा (ﷺ) के सवाल और नबी (ﷺ) के जवाब से मालूम हुआ कि औरत भी ज़ियारते क़ब्र के लिये जा सकती है। वल्लाहु आलम!

(2040) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे, अपने कपड़े पहने और फिर निकल गये। मैंने अपनी लौण्डी बरीरा (ﷺ) से कहा कि वह आपका पीछा करे। उसने आपका पीछा किया यहाँ तक कि आप बक़ीअ (जन्नतुल बक़ीअ) में पहुँच गये और उसके इब्तेदाई हिस्से में खड़े (दुआ करते) रहे। जब तक अल्लाह तआला ने चाहा, फिर वापस चल पड़े। बरीरा आपसे पहले पहुँच गई और मुझे सब कुछ बता दिया। (आप तशरीफ़ लाये तो) मैंने आपसे कुछ न कहा यहाँ तक कि जब सुबह हूई तो फिर मैंने इस बात का तज़्किरा आपसे किया। आपने फ़रमाया: 'मुझे (अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्मन) कहा गया था कि मैं बक़ीअ में

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ - قَالَتْ - فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : "

إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ "

मदफ़ून लोगों के लिये दुआए रहमत व मग़फ़िरत करूँ।'

(2040) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 6/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2165, मोता: 1/242, सफ़ा: 416: 405, व सहीह अल हाकिम: 1/488.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया साबिक़ा हदीस वाले वाक़िये से अलग है जैसा कि इससे और माबाद वाली हदीस से साफ़ मालूम हो रहा है। **(2)** फ़ौतशुदगान ख़ुद तो दुआ कर नहीं सकते कि उनके लिये दुआ का वक़्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़िन्दा मुताल्लिक़ीन के लिये ज़रूरी है कि उन्हें दुआओं में याद रखें।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ : " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا أَوْ مُوَاكِلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " .

(2041) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की जानिब से मेरी बारी वाली रात होती तो आप रात के आख़री हिस्से में बक़ीअ (क़ब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते और यूँ फ़रमाते: (अस्सलामुअलैकुम ....) 'ऐ मोमिनीने क़ब्रिस्तान! तुम पर सलामती हो। हम और तुम कल को वक़्ते मुक़र्ररा पर अल्लाह तआला के सामने पेश होने वाले हैं और शफ़ाअत वग़ैरह में एक दूसरे का सहारा बनने वाले हैं और यक़ीनन जब अल्लाह तआला ने चाहा तो हम भी तुम से मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह! बक़ीअुल ग़र्क़द में मदफ़ून मुसलमानों को माफ़ फ़रमा।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2166.

फ़ायदा : 'सहारा' क्योंकि क़यामत के दिन अम्बिया, शोहदा, उलमा और सुलहा सिफ़ारिश करेंगे, और एक दूसरे के हक़ में सच्ची गवाही भी देंगे, वरना सहारा तो अल्लाह तआला की रहमत ही का है क्योंकि अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश है, न शहादत।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ " .

(2042) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब क़ब्रिस्तान जाते तो फ़रमाते: (अस्सलामुअलैकुम .....) 'ऐ इस क़ब्रिस्तान के मुसलमान और मोमिन बासियों! तुम पर सलामती हो। यक़ीनन हम भी, अल्लाह ने चाहा तो, तुमसे मिलने वाले हैं। तुम हमसे पहले आ गये हो। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैं अपने लिये और तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से ख़ैरियत व सलामती की दुआ करता हूँ।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 975, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2167.

फ़ायदा : फ़ौतशुदगान से ख़िताब सिर्फ़ अपने ज़हन में उनकी याद ताज़ा होने के लिहाज़ से है वरना उन्हें सुनाना मक़सूद है न जवाब लेना क्योंकि ये दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। ख़ुसूसन इस हदीस में तो सिर्फ़ उनके लिये दुआ की जा रही है, जिसमें ख़िताब मक़सूद ही नहीं। इन्सानी ज़िन्दगी में इसकी मिसालें आम मिल जाती हैं। बसा औक़ात इन्सान ख़ुद कलामी के अन्दाज़ में ख़िताब करता है, हालांकि वहाँ कोई भी मुख़ातब मौजूद नहीं होता, सिर्फ़ अपने जज़्बात का इज़्हार मक़सूद होता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :"اسْتَغْفِرُوا لَهُ " .

(2043) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जब हज़रत नजाशी (رحمه الله) फ़ौत हुये तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उनके लिये बख़्शिश की दुआ करो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/241, हुमैदी, हदीस: 1029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2168.

फ़ायदा : मालूम हुआ किसी की वफ़ात की इत्तिला मिलने पर (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ने के साथ उसके लिये बख़्शिश की दुआ भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह तआला हमें भी माफ़ फ़रमाये।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

(2044) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जिस दिन हब्शा के बादशाह नजाशी(رحمه الله) फ़ौत हुये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ : " اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ " .

उसी दिन उनकी वफ़ात की इत्तिला हमें दी और फ़रमाया: 'अपने (इस्लामी) भाई के लिये इस्तिग़फ़ार करो।'

(2044) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1880, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2169.

باب : (١٠٤)
التَّغْلِيظِ فِي اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُورِ

बाब : (104)
क़ब्रों पर चिराग़ जलाना सख़्त मना है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

(2045) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्रिस्तान जाने वाली औरतों और क़ब्रों पर इबादतगाहें बनाने वालों और चिराग़ जलाने वालों पर लानत की है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 320, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2170, इब्ने माजा, हदीस: 1575, अबू दाऊद, हदीस: 3236.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने आख़री अल्फ़ाज़ 'चिराग़' के अलावा बाक़ी रिवायत को शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है। और दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! और ज़ाइरातिल क़ुबूर की बजाये ज़व्वारातिल क़ुबूर के अल्फ़ाज़ सही साबित हैं, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन औरतों पर लानत फ़रमाई है जो कस्रत से क़ब्रिस्तान जाती हैं। याद रहे औरतों के लिये भी ज़ियारते क़ुबूर वैसे ही मुस्तहब है जैसे मर्दों के लिये। औरतों का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये कि उनमें सब्र और हौसले की कमी होती है। जज़अ फ़ज़अ (रोना-धोना) ज़्यादा होती है, लिहाज़ा कभी कभार ही जायें मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 4/363-365, व सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा: 1/393-396, रक़म: 335, व अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 227-237) **(2)** क़ब्रों पर इबादतगाह बनाने का मतलब ये है कि वहाँ नमाज़ वग़ैरह पढ़े जिसमें क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़े जाने का भी इम्कान हो। क़ब्र पर मकान बना हो तो उसका हुक्म भी क़ब्र जैसा है, यानी उसकी तरफ़ भी नमाज़ पढ़ना मना है। क़ब्र के क़रीब मस्जिद बनाना भी कराहत से

ख़ाली नहीं। ये ऐसे है जैसे नजासत के क़रीब नमाज़ पढ़ी जाये कि नमाज़ तो हो जायेगी मगर क़बीह चीज़ है। क़ब्र, मसाजिद बल्कि आबादी से अलग और दूर बनानी चाहिए। क़ब्र के ऊपर इमारत, ख़्वाह वह क़ब्र की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइर की सहूलत के लिये, मना है। अगर क़ब्र पहले से हो तो इमारत ढहा देनी चाहिए और अगर इमारत पहले थी तो क़ब्र को उखाड़ देना चाहिए। नबी (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक पर जो इमारत बनी हूई है, वह सदियों बाद सलातीन (बादशाहों) की तामीर कर्दा है, वरना सहाबा व ताबेईन के दौर में ऐसा नहीं था, इसलिये इससे क़ब्रों पर इमारतें बनाने पर इस्तेदलाल करना सही नहीं है। वल्लाहु आलम! **(3)** हदीस के आख़री जुम्ले (वस्सुरुज) यानी नबी(ﷺ) ने चिराग़ जलाने वालों पर लानत की है।' की तज़ईफ़ से ये साबित नहीं होता कि इसकी मुमानिअ़त साबित नहीं बल्कि उमूमी दलाइल से इसकी मुमानिअ़त साबित होती है, जैसे: कुल्लु बिद्‌अतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार कि हर बिद्‌अत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़ब्र पर चिराग़ जलाना या तो क़ब्र की ताज़ीम के लिये होगा तो ऐसी ताज़ीम मना है बल्कि ये तो क़ब्र पर चढ़ावे की तरह है, या बेफ़ायदा होगा। क़ब्रों पर रोशनी की ज़रूरत नहीं, उनके अन्दर रोशनी की ज़रूरत है और वह आमाले सालेहा के साथ है। अगर आने जाने वालों के लिये रोशनी करना मक़सूद हो तो क़ब्र के बजाये किसी और चीज़ पर रोशनी का इन्तेज़ाम किया जाये ताकि ताज़ीम का वहम न हो। वल्लाहु आलम!

बाब : (105)
क़ब्र पर बैठने की बाबत तशदीद

باب : (١٠٥)
التَّشْدِيدِ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

(2046) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से किसी शख़्स का अंगारे पर बैठना जिससे उसके कपड़े जल जायें, क़ब्र पर बैठने से बेहतर है।

(2046) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 971, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2171.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " .

(2047) हज़रत अ़म्र बिन हज़्म (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों पर मत बैठो।'

तख़रीज : (सनद हसन) जामेउल मसानीद, इब्ने कसीर: 9/559, 560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2172.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ "

बाब : (106)
क़ब्रों को इबादतगाह बनाना

باب : (١٠٦)
اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

(2048) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उन लोगों (यहूद व नसारा) पर लानत फ़रमाये जिन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को इबादतगाह बनाया।'

(2048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/146, 252, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2173, तोहफ़तुल अशराफ़ लिल मिज़्ज़ी: 11/412.

फ़ायदा : यानी उनकी तरफ़ नमाज़ पढ़ी या उन पर इबादतगाह बनाई क्योंकि ये या तो क़ब्र की इबादत है या क़ब्र की इबादत करने वालों के साथ मुशाबिहत है और मुमकिन है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क़ब्र ही की पूजा शुरू हो जाये जैसे आज कल क़ुबूरे सालेहीन के साथ हो रहा है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2045)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، صَاعِقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "

(2049) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला इन यहूदियों और ईसाइयों पर लानत फ़रमाये जिन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को इबादतगाह बनाया।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 437, मुस्लिम, हदीस: 530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2174.

बाब : (107)
क़ब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के जूते पहन कर चलने की कराहत (मुमानिअत)

باب: (١٠٧)
كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ شَرًّا كَثِيرًا " . ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا " . فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا " .

(2050) हज़रत बशीर बिन ख़सासिया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहा था, आप चन्द मुसलमानों की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'ये लोग (वफ़ात की वजह से) बहुत ज़्यादा शर से बच गये हैं' फिर आप कुछ मुश्रिकीन की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'ये लोग (अपनी मौत की वजह से) बहुत ज़्यादा ख़ैर से महरूम रहे।' अचानक आपने तवज्जा फ़रमाई तो एक शख़्स को क़ब्रिस्तान में जूतों समेत चलते देखा तो फ़रमाया: 'ऐ साफ़ रंगे हुये (रंग कर साफ़ किये हुये) चमड़े के जूते पहनने वाले! उन्हें उतार दे।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1568, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2175, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, वज़्ज़हबी, व अबू दाऊद, हदीस: 3230.

फ़ायदा : इस हदीस से ज़ाहिरन मालूम होता है कि क़ब्रिस्तान में जूतों समेत नहीं चलना चाहिए ताकि क़ब्रों का एहतिराम क़ाइम रहे, आइन्दा दो रिवायात से इमाम साहिब (رحمہ اللہ) ने क़ब्रिस्तान में जूतों समेत चलने का जवाज़ निकाला है, इसलिये वह ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की रिआयत से ये तत्बीक़ दे रहे हैं कि रंग कर साफ़ किये हुये चमड़े के जूते पहन कर चलना मना है, सादा जूते पहन कर चल सकता है मगर ये तत्बीक़ दिल को नहीं लगती। आइन्दा हदीस के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'जब मय्यत को क़ब्र में रख दिया जाता है और दफ़नाने वाले वापस आ जाते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज़ सुनता है।' इससे ये साबित नहीं होता कि क़ब्रिस्तान में जूतों समेत जाना और क़ब्रों के दरम्यान फिरना जायज़ है क्योंकि इसकी कोई सराहत नहीं। क़ब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त जूते उतार दिये जायें और वापसी पर पहन लिये जायें। ये मफ़हूम इस हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं बल्कि ऐन मुवाफ़िक़ है, इसलिये राजेह बात यही है कि क़ब्रिस्तान में जूते

पहन कर न जाया जाये, अगर कोई ऐसा उज़्र है कि जूतों के बग़ैर अन्दर जाना मुमकिन नहीं, जैसे काँटे या कंकरियाँ वग़ैरह हैं या ज़मीन बहुत गर्म है तो फिर मजबूरी के तहत पहने जा सकते हैं। (वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मज़्तुरिर्तुम इलैहि) (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) का तक़ाज़ा यही है। वल्लाहु आलम!

बाब : (108) जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई हर्ज नहीं

باب: (١٠٨) التَّسْهِيلِ فِي غَيْرِ السِّبْتِيَّةِ

(2051) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत को जब क़ब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी उसे दफ़न करने के बाद वापस आ जाते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1338, मुस्लिम, हदीस: 2870/71, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2176.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस्तेदलाल किया है कि क़ब्रिस्तान में जूतों समेत चलना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल क़वी नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2050 का फ़ायदा। (2) 'सुन रहा होता है।' इससे कुछ अहले इल्म ने सिमाअे मोता पर इस्तेदलाल किया है। दीगर अहले इल्म क़ुर्आन मजीद की सरीह आयत: 'यक़ीनन अल्लाह तआला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में हैं।' (फ़ातिर: 35/22) से इस्तेदलाल करते हैं कि फ़ौतशुदगान नहीं सुनते मगर ये कि अल्लाह तआला कोई ख़ास चीज़ सुना दे। इस तरह इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन आप मुर्दों को सुना नहीं सकते।' ग़र्ज़ वह इस क़िस्म की अहादीस को ख़ुसूसी हालत पर महमूल करते हैं और यही मस्लक ज़्यादा मोहतात और तमाम आयात व अहादीस के मुवाफ़िक़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (109) क़ब्र में सवाल (व जवाब)

باب: (١٠٩) الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ

(2052) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मय्यत को जब क़ब्र में रख दिया

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالاَ حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ " . قَالَ " فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ " . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا " .

जाता है और उसके साथी उसे दफ़न करके वापस आ जाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है कि उसके पास दो फ़रिश्ते आ जाते हैं। वह उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं: तू उस आदमी के बारे में क्या कहता था? मोमिन शख़्स तो कहता है: मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। उसे कहा जाता है: तू अपने जहन्नमी ठिकाने को देख। अल्लाह तआला ने तुझे इसके बजाये जन्नती ठिकाना दे दिया है।' नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह दोनों ठिकानों को देखता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2870/70, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2177.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़रिश्तों का आना, उसे बिठाना और फिर सवाल व जवाब करना और दीगर बातें बर्ज़ख़ी अहवाल हैं। इसका दुनियावी ज़िन्दगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की हक़ीक़त तो बयान नहीं की जा सकती कि वह हमारी अक़्ल व हवास से मावरा है, अलबत्ता उसकी मिसाल ख़्वाब से दी जा सकती है कि ख़्वाब देखने वाला आदमी अपने ख़्वाब में बोलता भी है, सुनता भी है, चलता फिरता भी है, रोता हँसता, खाता पीता और दौड़ता भागता भी है लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल साकिन होता है। उसके जिस्म को देख कर कोई शख़्स ये नहीं समझ सकता कि वह ख़्वाब की दुनिया में इतना कुछ कर रहा है। मय्यत का हाल भी ऐसा ही होता हे। **(2)** 'उस आदमी' से मुराद हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं। गोया ये ज़हनी इशारा है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि मय्यत को रसूलुल्लाह (ﷺ) दिखाये जाते हैं मगर उसका कोई सबूत नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो तो वह आपका तसव्वुर होगा जो उसके ज़हन में डाला जायेगा न कि आपका हक़ीक़ी वजूद, जैसे टी.वी. वग़ैरह में होता है, यानी इससे आप हाज़िर व नाज़िर साबित न हो सकेंगे। **(3)** 'दोनों को देखता है' सही हदीस है कि हर शख़्स का जन्नत में भी ठिकाना है और जहन्नम में भी लेकिन जहन्नम में जाने वाला चूंकि जन्नत में जाने का इस्तेहक़ाक़ खो बैठता है, इसलिये वह जन्नती ठिकाने से महरूम हो जाता है और जन्नत में जाने वाला अपने अमल की वजह से जहन्नम से बच जाता है तो वह जहन्नमी ठिकाने से महफ़ूज़ हो जाता है। जअलनल्लाहु मिन्हुम!

बाब : (110) काफ़िर से सवाल का बयान

بَاب: (١١٠) مَسْأَلَةِ الْكَافِرِ

(2053) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मय्यत को क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है और उसके साथी उससे लौट कर जाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है कि उसके पास दो फ़रिश्ते आ जाते हैं। वह उसे बिठा लेते हैं और उससे कहते हैं: तो उस शख़्स (मुहम्मद (ﷺ)) के बारे में क्या कहा करता था? मोमिन कहता है: मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह तआला के बन्दे और उसके रसूल हैं। तू उसे कहा जाता है: तू अपने जहन्नमी ठिकाने को देख। अल्लाह तआला ने तुझे उसके बजाये अच्छा ठिकाना दे दिया है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह दोनों ठिकानों को देखता है। लेकिन काफ़िर या मुनाफ़िक़ से कहा जाता है: तू उस शख़्स के बारे में क्या कहता था? तो वह कहता है: मैं कुछ नहीं जानता। जिस तरह लोग कहते थे, मैं भी कहता था। उसे (फ़रिश्तों की तरफ़ से) कहा जाता है: न तूने जानने की कोशिश की और न तूने क़ुरआन पढ़ा, फिर उसके कानों के दरम्यान (यानी उसके चेहरे पर) सख़्त ज़र्ब लगाई जाती है तो वह इस क़द्र चीख़ता है कि इन्सान व जिन्न के अलावा हर क़रीबी मख़्लूक़ उसकी आहो-बुका सुनती है।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِنْهُ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ . فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ . ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ " .

(2053) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2501, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2178.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जिस तरह लोग कहते थे' गोया उसका अपना ईमान नहीं था। ईमान का असर ही बाक़ी रहता है। ज़बानी बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, लिहाज़ा उसकी समझ में कुछ न आयेगा।

(2) 'इन्सान व जिन्न के अलावा' वरना उनकी ज़िन्दगी बर्बाद हो जाये और मआश बिगड़ जाये। दूसरी मख़्लूक़ात का अ़ज़ाबे क़ब्र को सुनने कोई बईद बात नहीं। अल्लाह तआ़ला ने बहुत से हैवानात को कुछ सलाहियतें इन्सान से बढ़ कर दी हैं, जैसे कुत्ते वग़ैरह की सूंघने की कुव्वत इन्सान से बहुत बढ़ कर है। (ज़ालिक तक़दीरूल अ़ज़ीज़िल अ़लीम) (यासीन 36/38) **(3)** दीनी मसाइल में तक़्लीद मज़्मूम (बुरी) चीज़ है, हर मुकल्लफ़ पर इत्तिबा ज़रूरी है।

बाब : (111)
जो शख़्स पेट की तक्लीफ़ से मर जाये

باب : (١١١)
مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلاً، تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ " . فَقَالَ الآخَرُ بَلَى .

(2054) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन यसार बयान करते हैं कि मैं सुलैमान बिन सुरद और ख़ालिद बिन उर्फ़ुता (ﷺ) के पास बैठा था कि लोगों ने एक शख़्स का ज़िक्र किया जो पेट की तक्लीफ़ से फ़ौत हो गया था। उन दोनों में से हर एक बुज़ुर्ग ने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि उसके जनाज़े में शरीक हों। उनमें से एक ने दूसरे से कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़रमाया था: 'जो आदमी पेट की तक्लीफ़ से मर जाये, उसे अ़ज़ाबे क़ब्र नहीं होगा?' तो दूसरे ने कहा: क्यों नहीं! (आपने ज़रूर फ़रमाया था)

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2179, तिर्मिज़ी, हदीस: 1064.

फ़ायदा : पेट की तक्लीफ़ से मुराद पेट से मुताल्लिक़ा बीमारी की कोई भी नोइयत हो सकती है, जैसे: इस्हाल या हैज़ा या आँतों का सरतान वग़ैरह। हादसाती मौत को शहादत फ़रमाया गया और पेट की बीमारी से मौत को अ़ज़ाबे क़ब्र से मानेअ बताया गया। चूंकि इस क़िस्म की अमवात ज़्यादा सदमे और तक्लीफ़ का मोजिब होती हैं, लिहाज़ा इनका सवाब व अज्र भी ज़्यादा होता है। कुछ ने पेट की तक्लीफ़ से इस्तेस्क़ा की बीमारी मुराद ली है जिसमें मरीज़ को इन्तेहाई प्यास महसूस होती है। वह खूब पानी पीता है मगर सैर नहीं होता, नतीजतन पेट फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। आख़िर मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अल्लाह हमें बचाये बुरी बीमारियों से और बुरी मौतों से।

बाब : (112) शहीद का बयान

باب: (١١٢) الشَّهِيدِ

(2055) हज़रत राशिद बिन सअद नबी (ﷺ) के एक सहाबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि अहले ईमान का उनकी क़ब्रों में इम्तेहान लिया जाता है मगर शहीद का नहीं? आपने फ़रमाया: 'उसके सर पर चमकती तलवारें उसके लिये इम्तेहान से काफ़ी हो गईं।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2180.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ قَالَ " كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया जिहाद और शहादत का सवाब इस क़द्र ज़्यादा है कि सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब गुनाह ही न रहे तो इम्तेहान काहे का? शहीद का तलवारों के नीचे क़ाइम रहना बल्कि बे ख़ौफ़ होकर लड़ना, जंग से न भागना, जान की परवाह तक न करना यहाँ तक कि जान क़ुर्बान कर देना उसके ईमान की वाज़ेह दलील है। इससे बड़ी दलील क्या होगी? लिहाज़ा सवाल व जवाब की ज़रूरत न रही। (2) मज़्कूरा हदीस से ये भी इस्तेदलाल किया गया है कि सिद्दीक़ीन से भी सवाल व जवाब नहीं होगा क्योंकि उनका मर्तबा शोहदा से बलन्द है। अम्बिया (ﷺ) तो ज़ाती तौर पर इससे मुस्तसना (अलग) हैं।

(2056) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ﷺ) फ़रमाते हैं, ताऊन, पेट की तक्लीफ़, ग़र्क़ और दर्दे ज़ेह से आने वाली मौत शहादत है। (रावी-ए-हदीस सुलैमान तैमी ने) कहा: हमसे ये हदीस अबू उस्मान ने कई बार बयान की। और एक बार उसको (मरफ़ूअ) नबी (ﷺ) का फ़रमान बयान किया।

(2056) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2181, नसाई, हदीस: 3165, बुख़ारी, हदीस: 653, मुस्लिम, हदीस: 1914/164 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ الطَّاعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

फ़ायदा : इस क़िस्म की तकलीफ़देह मौत क़त्ल से मिलती जुलती मौत है, इसलिये इसे भी शहादत के साथ मुल्हक़ कर दिया गया है और इसे शहादत पर फ़ाइज़ समझा जायेगा, अलबत्ता इस पर शहीद के बाक़ी अहकाम लागू नहीं होंगे, जैसे उन्हें ख़ून आलूद कपड़ों में दफ़नाना और ग़ुस्ल न देना वग़ैरह।

बाब : (113)
क़ब्र का मय्यत को भींचना और ज़ोर से दबाना

باب : (١١٣)
ضَمَّةِ الْقَبْرِ وَضَغْطَتِهِ

(2057) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हज़रत सअद बिन मुआज(ﷺ) के दफ़न के वक़्त) फ़रमाया: 'ये शख़्स जिसके लिये अर्श झूम गया, उस (की रूह) के लिये आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिये गये और उसके जनाज़े पर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते हाज़िर हुये, वह भी भींच दिया गया मगर फिर उसे छोड़ दिया गया।'

(2057) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2182.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'झूम गया' यानी उनके इस्तेक़बाल की ख़ुशी में। ये मानी उनकी अज़मत व शान पर दलालत करते हैं। **(2)** 'भींचा गया' क्योंकि हर इन्सान में कोई न कोई कमी होती है (अलावा अम्बिया (عليهم السلام) के कि वह मासूम होते हैं) इस भींचने से वह इस कमी के असर से निजात पा लेता है बशर्ते कि वह मोमिन हो। मोमिन को सिर्फ़ एक दफ़ा भींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है मगर कुछ अजब नहीं कि काफ़िर पर ये अज़ाब बार बार होता हो। हदीस में आता है कि क़ब्र हर एक को भींचती है, अगर उससे कोई महफ़ूज़ रहता तो यक़ीनन हज़रत सअद बिन मुआज़ (ﷺ) महफ़ूज़ रहते। (अलमौसूआ अलदीसीया मुसनद इमाम अहमद) 40/327, रक़म: 2483, वस्सहीहा: 4/268, रक़म: 1695) **(3)** इसकी तौजीह में ये बात भी कही गई है कि 'क़ब्र' इन्सान के लिये माँ की तरह है क्योंकि वह इसी मिट्टी से बनाया गया था। अर्स-ए-दराज़ के बाद मिलने वाले बेटे को माँ ख़ूब ज़ोर से अपने जिस्म के साथ भींचती है, चाहे उसे उससे तक्लीफ़ ही हो। क़ब्र का मामला भी ऐसा ही है, अलबत्ता नेक शख़्स को वह मोहब्बत से भींचती है और बुरे शख़्स को ग़ुस्से और नाराज़ी से। नेक के लिये इसमें सुरूर है और बुरे के लिये अज़ाब। वल्लाहु आलम!

बाब : (114) अज़ाबे क़ब्र

باب: (١١٤) عَذَابِ الْقَبْرِ

(2058) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि ये आयत अज़ाबे क़ब्र के बारे में उतरी है: (युसब्बितुल्लाहुल्लाज़ीन ......) 'अल्लाह तआला मोमिनों को दुनिया और आख़िरत (क़ब्र) में सही बात पर क़ाइम रखता है।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ } قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

(2058) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2871/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2183.

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र से दो मुख़्तलिफ़ मानी मुराद हैं: **(1)** क़ब्र में सवाल व जवाब, इसे फ़ित्न-ए-क़ब्र भी कहा जाता है। **(2)** गुनाहों की वजह से क़ब्र में पहुँचने वाली तक्लीफ़, किसी हदीस में पहले मानी मुराद होते हैं किसी में दूसरे। ऊपर दी गई आयत में क़ब्र का सवाल व जवाब मुराद है। इसी तरह शहीद, ताऊन, हैज़ा और हादसाती मौत वग़ैरह से मरने वालों से अज़ाबे क़ब्र की नफ़ी से मुराद भी सवाल व जवाब की नफ़ी है जबकि हज़रत सअद (ﷺ) वाली रिवायत में दूसरे मानी मुराद हैं और ये भींचे जाने की हद तक तो सबको होता है। (अलावा अम्बिया (ﷺ) के) इससे ज़्यादा अपने अपने गुनाहों के मुताबिक़ यहाँ तक कि कुछ को क़यामत तक होगा।

(2059) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये आयत अज़ाबे क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है: (युसब्बितुल्लाहु ....) 'अल्लाह तआला ईमान वालों को दुनिया व आख़िरत (क़ब्र) में दुरुस्त बात पर क़ाइम रखता है। मय्यत से पूछा जाता है: तेरा रब कौन है? मोमिन कहता है: मेरा रब अल्लाह है। और मेरे नबी हज़रत मुहम्मद(ﷺ) हैं। ये मतलब है इस फ़रमाने इलाही का: (युसब्बितुल्लाहु ....) 'अल्लाह तआला ईमान वालों को दुनिया व आख़िरत (क़ब्र) में सही बात पर क़ाइम रखता है।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ } قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِي دِينُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ قَوْلُهُ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ

الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ } .

(2059) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2871, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2184.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ " مَتَى مَاتَ هَذَا " . قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ " .

(2060) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने एक क़ब्र से आवाज़ सुनी तो फ़रमायाः 'ये कब फ़ौत हुआ?' लोगों ने बताया कि ये दौरे जाहिलियत में फ़ौत हुआ था। तो आपको ख़ुशी हूई, फिर फ़रमायाः 'अगर ये ख़तरा न हो कि तुम मुर्दों को दफ़न नहीं करोगे तो मैं अल्लाह तआला से दुआ करता कि वह तुम्हें अज़ाबे क़ब्र सुना दे।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/103, 114, 201, व 3/153, व सहीह इब्ने हिब्बानः 200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2185, मुस्लिम, हदीस: 2868.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में अज़ाबे क़ब्र से मुराद दूसरे मानी हैं, यानी गुनाहों के सिलसिले में पहुँचने वाला अज़ाब। **(2)** 'ख़ुशी हूई' कि ये मदफ़ून शख़्स मुसलमान नहीं था। मुसलमान को अज़ाब होने से रसूलुल्लाह (ﷺ) को तक्लीफ़ होती। ख़ुशी होने से मुराद तक्लीफ़ का न होना और फ़िक्रमन्दी का ख़त्म होना है, वरना नबी-ए-अकरम व रऊफ़ुर्रहीम (ﷺ) को अज़ाब पर कैसे ख़ुशी हो सकती है? **(3)** 'दफ़न नहीं करोगे' अज़ाबे क़ब्र के डर से मालूम होता है कि दफ़न से पहले अज़ाबे क़ब्र शुरू नहीं होता, अलबत्ता जो लोग दफ़न नहीं करते, उनका अज़ाब मरते ही शुरू हो जाता है। और उनकी क़ब्र से मुराद वह ठिकाना है जो उनके जिस्म या रूह को मरने के बाद दुनिया व आख़िरत (बर्ज़ख़) में मिलता है। वल्लाहु अलीमुन क़दीर (अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 2052)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ " يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا " .

(2061) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गुरूबे शम्स के बाद बाहर तशरीफ़ ले गये। आपने एक आवाज़ सुनी तो फ़रमायाः 'यहूदियों को उनकी क़ब्रों में अज़ाब हो रहा है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1375, मुस्लिम, हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2186.

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र सबको होता है। किसी को सवाल व जवाब की हद तक, किसी को उससे बढ़ कर भींचने की हद तक, किसी को कुछ देर के लिये, किसी को हमेशा के लिये (क़यामत तक) ग़ालिबन वहाँ क़रीब ही यहूदियों का क़ब्रिस्तान था। ये नबी-ए-अकरम (ﷺ) का मोजिज़ा था।

बाब : (115) अज़ाबे क़ब्र से बचाव की दुआ करना

باب : (١١٥) التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

(2062) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यूँ दुआ फ़रमाया करते थे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी ......) 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहता हूँ। और आग के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहता हूँ। और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ और (झूठे) मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1377, मुस्लिम, हदीस: 5520, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2187.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मौत के फ़ित्ने' से मुराद मुमकिन है मौत के वक़्त शैतान के बहकावे में आना हो या क़ब्र में सवाल व जवाब के वक़्त सही जवाब न सोचना हो। **(2)** इस रिवायत में अज़ाबे क़ब्र से मुराद दूसरे मानी हैं। (देखिये, हदीस: 2058)

(2063) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसके बाद अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह तआला की पनाह माँगते सुना।

(2063) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 585, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2188.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

फ़ायदा : 'इसके बाद' इशारा है यहूदी औरत की बात की तरफ़ जिसने अज़ाबे क़ब्र की बात की थी। इसकी तफ़सील आगे हदीस नम्बर 2066 में आ रही है।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلاَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي أَىْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ " قَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ "

(2064) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े हुये तो आपने उस आज़माइश का ज़िक्र फ़रमाया जिसमें हर शख़्स को क़ब्र के अन्दर मुब्तला होना पड़ेगा। जब आपने ये ज़िक्र फ़रमाया तो मुसलमान आहो-बुका करने लगे (रोने-धोने लगे) यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) का कलाम न समझ सकी। जब उनकी आहो-बुका की आवाज़ रुक गई तो मैंने एक क़रीबी शख़्स से कहा: अल्लाह तआला तेरे लिये बरकत फ़रमाये! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आख़िर में क्या फ़रमाया है? उसने कहा: आपने फ़रमाया था: 'मुझे वह्य की गई है कि क़ब्रों में तुम्हारी फ़ित्न-ए-दज्जाल जैसी आज़माइश होगी।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1374, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2189.

फ़ायदा : 'फ़ित्न-ए-दज्जाल जैसी आज़माइश' से मुराद क़ब्र में सवाल व जवाब है। इसे फ़ित्न-ए दज्जाल से तश्बीह दी गई है क्योंकि दोनों पुर ख़तर मक़ाम हैं। दज्जाल की वहशत, इक़्तेदार व इख़्तियारात के सामने कलिम-ए-हक़ पर क़ाइम रहना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ़ है। इसी तरह क़ब्र की हौलनाकी, फ़रिश्तों का रौब, दहशत और क़ैद तन्हाई कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह तआला की रहमत के बग़ैर 'दुरुस्त बात' पर क़ाइम रहना सख़्त मुश्किल होगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

(2065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ सहाब-ए-किराम (ﷺ) को क़ुर्आन की सूरत की तरह सिखाते थे, फ़रमाया: 'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा इन्नी .....) ऐ अल्लाह! हम जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं और क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ" .

तेरी पनाह चाहते हैं और (झूठे) मसीह दज्जाल की आज़माइश से बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं और ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं।'

(2065) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 590, मोता: 1/215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2190.

फ़ायदा : 'दज्जाल' को 'मसीह' इसलिये कहा गया कि उसे यहूदी अपना मसीह क़रार देते हैं, निजात दहिन्दा समझते हैं और उसके इन्तेज़ार में हैं, हालांकि असली मसीह तो ईसा (ﷺ) हैं जो कब के आ चुके और क़यामत के क़रीब उनका दोबारा आसमान से नुज़ूल होगा। गोया तन्ज़न दज्जाल को मसीह कहा गया है। एक वजह दज्जाल का मम्सूहुल ऐन होना भी है।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ . فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ " . وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(2066) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी और वह कह रही थी कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान लिया जायेगा (या तुम्हें अज़ाब होगा) रसूलुल्लाह (ﷺ) घबरा गये और फ़रमाया: 'सिर्फ़ यहूद को अज़ाब होगा।' कुछ दिन गुज़रे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे वह्य की गई है कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: इसके बाद मैंने सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 584, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2191.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में इम्तेहान और अज़ाबे क़ब्र से मुराद एक ही चीज़ है, यानी सवाल व जवाब। अल्लाह तआला की पनाह तलब करने का मतलब साबित क़दमी और सही जवाब की तौफ़ीक़ है। **(2)** इब्तेदा में नबी (ﷺ) का ख़याल था कि क़ब्र का इम्तेहान या अज़ाब सिर्फ़ कुफ्फ़ार

के साथ ख़ास है। बाद में पता चला कि ये सबके साथ होगा। इल्ला माशाअल्लाह! साबित हुआ कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) को इल्मे ग़ैब न था। इसी वजह से आपने इन्कार कर दिया था, बाद में बज़रिय-ए-वह्य अल्लाह तआला ने ख़बर दी तो पता चला।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ " إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ " .

(2067) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अज़ाबे क़ब्र और फ़ित्न-ए-दज्जाल से अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बैहक़ी, हदीस: 176, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2192, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 851, बुख़ारी, हदीस: 1049, 1050.

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، دَخَلَتْ يَهُودِيَّةٌ عَلَيْهَا فَاسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ " .

(2068) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि एक यहूदी औरत हज़रत आयशा (ﷺ) के पास आई और उनसे कोई चीज़ माँगी। हज़रत आयशा(ﷺ) ने वह चीज़ उसे दे दी तो उसने कहा अल्लाह तआला तुझे अज़ाबे क़ब्र से बचाये हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे इस बारे में कुछ तरद्दुद हुआ यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने ये बात आपसे बयान की। आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन इन (यहूदियों) को उनकी क़ब्रों में अज़ाब होता है यहाँ तक कि जानवर उसे सुनते हैं।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 6366, मुस्लिम, हदीस: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2193.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَتَانِ

(2069) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: मदीने की दो यहूदी औरतें मेरे पास आईं और कहने लगीं कि क़ब्रों वालों को उनकी क़ब्रों में अज़ाब होता है। मैंने उनकी तक्ज़ीब की। मेरा

دِلْ उनकी तस्दीक़ पर मुतमइन न हुआ। वह चली गईं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! दो बूढ़ी यहूदी औरतों ने कहा है कि फ़ौतशुदागान को क़ब्रों में अ़ज़ाब होता है। आपने फ़रमाया: 'वह सच कहती हैं। उनको अ़ज़ाब होता है यहाँ तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' इसके बाद मैंने देखा कि जब भी आपने नमाज़ पढ़ी, अ़ज़ाबे क़ब्र से ज़रूर पनाह तलब की।

(2069) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2194.

مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ . فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَتَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ قَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ . قَالَ " صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا " . فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

बाब : (116)
क़ब्र पर शाख़ रखना

بَاب : (١١٦)
وَضْعِ الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ

(2070) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा के बाग़ात में से एक बाग़ से गुज़रे तो आपने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी जिन्हें क़ब्रों में अ़ज़ाब हो रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उन्हें अ़ज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज़ के बारे में अ़ज़ाब नहीं हो रहा।' फिर फ़रमाया: 'क्यूँ नहीं! (वह बड़ी ही है) उनमें से एक अपने पेशाब से बचता न था और दूसरा चुग़लियाँ खाया करता था।' फिर आपने एक छड़ी मँगवाई, उसके दो हिस्से किये और हर क़ब्र पर एक एक टुकड़ा रख दिया। आपसे अ़र्ज़ किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ किया? आपने फ़रमाया: 'उम्मीद है इनके ख़ुश्क

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ " . ثُمَّ قَالَ " بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " . ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ

فَعَلْتَ هَذَا قَالَ " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا أَوْ أَنْ يَيْبَسَا " .

होने तक उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी।'

(2070) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 31, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2195.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वह बड़ी ही है।' मतलब ये है कि उनके लिये ये कोई मुश्किल और भारी काम न था, जबकि हक़ीक़तन था वह कबीरा गुनाह ही। **(2)** 'पेशाब से न बचता' यानी वह शख़्स छींटों से परहेज़ नहीं करता था। **(3)** 'चुग़लियाँ' बाहमी लड़ाई और फ़साद डालने के लिये इधर की बात उधर और उधर की इधर पहुँचाना, चाहे वह सच ही हो। ये भी गुनाहे कबीरा है क्योंकि फ़साद से बुरी कोई चीज़ नहीं। दरोग़ मस्लिहत आमेज़ बा, अज़ रास्ती फ़ित्ना अंगेज़। जिस सच से फ़साद बढ़े उससे वह मस्लिहत आमेज़ झूठ, जिससे फ़साद मिटे, बेहतर है।' **(4)** नबी (ﷺ) का उन क़ब्रों पर छड़ियाँ रखना आपकी फ़ेअ़ली शफ़ाअत है कि या अल्लाह! इनके ख़ुश्क होने तक इनसे अज़ाब रुक जाये। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी छड़ियाँ रखना शुरू कर दें। अगर इस तरह छड़ियाँ रखने से अज़ाब रुक जाता हो तो फिर तो लोग क़ब्र पर दरख़्त ही लगा दिया करें, वह ख़ुश्क हो न अज़ाब शुरू हो। ये तो सबसे आसान तरीक़ा है। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़ेअ़ल वह्य की बुनियाद पर मुतय्यन वक़्त के लिये किया था, वरना छड़ी का अज़ाब की तख़फ़ीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इस वाक़िये के अलावा कभी किसी क़ब्र पर छड़ी नहीं रखी। ये आपका ख़ास्सा था, सुन्नत नहीं। इस हदीस से बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर फूल चढ़ाने के लिये इस्तेदलाल करना अजीब है। इस इस्तेदलाल का मन्तिक़ी नतीजा ये है कि उनका अ़मल ये वाज़ेह कर रहा है कि उनके बुज़ुर्गों को या क़ब्रों में मदफ़ून लोगों को अ़ज़ाब हो रहा है। वरना क़ब्रों पर गुल पाशी वग़ैरह करने का क्या जवाज़ है?

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً

(2071) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे और फ़रमाया: 'इन दोनों को अ़ज़ाब हो रहा है और ये अ़ज़ाब किसी बड़े काम के बारे में नहीं हो रहा। इनमें से एक शख़्स तो अपने पेशाब से बचता न था और दूसरा चुग़लियाँ खाया करता था।' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा शाख़ ली, उसे चीर कर दो हिस्से किये और फिर हर क़ब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ " لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" .

किया? आपने फ़रमाया: 'मुझे उम्मीद है जब तक ये ख़ुश्क नहीं होंगी, उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी।'

(2071) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 31, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2196.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(2072) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! जब तुममें से कोई शख़्स फ़ौत हो जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर वह जन्नती हो तो जन्नती ठिकाना और अगर जहन्नमी हो तो जहन्नमी ठिकाना (और ये सिलसिला जारी रहेगा) यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन क़ब्र से उठा ले (तो फिर वह उसमें दाख़िल हो जायेगा)'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3240, मुस्लिम, हदीस: 2866, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2197.

फ़ायदा : इब्ने उमर (ﷺ) की इस हदीस की बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं क्योंकि इसमें छड़ियों के क़ब्र पर रखने का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है नुसाख़ से तर्जुमतुल बाब साक़ित हो गया हो। इमाम बुख़ारी(ﷺ) ने सहीह बुख़ारी में इस हदीस पर ये बाब बाँधा है: 'मय्यत पर उसका (अब्दी) ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُعْرَضُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ

(2073) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर वह जहन्नमी हो तो उसे कहा जाता है कि ये है तेरा असल ठिकाना (लेकिन अभी तू इसमें नहीं जायेगा) यहाँ तक कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन तुझे क़ब्र से उठाये।'

هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(2073) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1072, व इब्ने माजा, हदीस: 4270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2198, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : ये बात हर जन्नती और जहन्नमी मय्यत से कही जाती है। यहाँ सिर्फ़ जहन्नमी का ज़िक्र है। ये ग़ालिबन किसी रावी का इख़्तिसार है, वरना दूसरी रिवायात में अहले जन्नत और अहले नार दोनों का ज़िक्र है। इस हदीस की भी बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं है क्योंकि इसमें भी छड़ियाँ रखने का ज़िक्र मफ़क़ूद है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(2074) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर वह जन्नती हो तो जन्नती ठिकाना पेश किया जाता है और अगर वह जहन्नमी हो तो जहन्नमी ठिकाना पेश किया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है यहाँ तक कि तुझे अल्लाह तआला क़यामत के दिन इससे उठाये।'

(2074) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1379, मुस्लिम, हदीस: 2866, मोता: 1/239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2199.

फ़ायदा : 'ये तेरा ठिकाना है' इशारा असल ठिकाने की तरफ़ है, यानी तेरा असल ठिकाना तो यही है (जो पेश किया जाता है) मगर फ़िलहाल तू इसमें नहीं जा सकता।

بَاب: (١١٧) أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

बाब : (117) मोमिनीन की रूहें

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ

(2075) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन की रूह (वफ़ात के बाद) जन्नत के दरख़्तों में उड़ती रहती है यहाँ तक कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसे उसके जिस्म में दाख़िल करेगा।

الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(2075) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1641, व इब्ने माजा, हदीस: 1449, हदीस: 4271, मोता: 1/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2200, व सहीह इबने हिब्बान: 734, मुसनद अहमद: 6/424, 425 वग़ैरह.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि सुनन इब्ने माजा की तहक़ीक़ में बिऐनिही इसी रिवायत पर सनदन ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखते हैं कि इससे सुनन इब्ने माजा ही की रिवायत नम्बर: 4271 किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक भी क़ाबिले हुज्जत है। इसके अलावा दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी इसे सही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 25/55-59, वस्सहीहा लिल अल्बानी, रक़म: 995, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/123-144) इस 'जिस्म' से मुराद बर्ज़ख़ी जिस्म है जिस पर बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की कैफ़ियात गुज़रेंगी जिसकी असल हक़ीक़त अल्लाह ही जानता है, ताहम वहाँ उसे जन्नत और जहन्नम की नेमतों और तक्लीफ़ों का एहसास होगा।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُرِينَا مَصَارِعَهُمْ بِالأَمْسِ قَالَ " هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا " . قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا تِيكَ فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَى " يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ

(2076) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान हज़रत उमर (ﷺ) के साथ थे। वह हमें बद्र के काफ़िर मक़्तूलीन के बारे में बताने लगे कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जंग से एक दिन पहले हमें उनके हलाक होने की जगहें दिखा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह कल ये फ़ुलां की हलाकतगाह होगी।' हज़रत उमर ने फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया! वह इन जगहों से ज़र्रा भर भी इधर उधर नहीं हुये, फिर उन्हें एक कूएँ में फैंक दिया गया, फिर नबी (ﷺ) उनके पास (उस कुएँ पर) गये और बलन्द आवाज़ से पुकारा: 'ऐ फ़ुलां बिन फ़ुलां! ऐ फ़ुलां बिन फ़ुलां! क्या तुमने सच पाई

رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا " . فَقَالَ عُمَرُ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ " مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ" .

वह चीज़ जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था? मैंने तो अल्लाह के वादे को सच पाया है।' हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: आप ऐसे अज्साम (जिस्मों) से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह नहीं? आपने फ़रमाया: 'तुम मेरी बातों को उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं।'

(2076) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस़: 2873, 1779, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2201.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुफ़्फ़ार की हलाकतगाहों का तअय्युन वह्य से था, लिहाज़ा हर मक़्तूल आपकी बयान कर्दा जगह ही में मरा। **(2)** कूएँ में उन्हें फैंकना तअफ़्फ़ुन से बचने के लिये था, और इसमें कुछ उनके जिस्मों की हिफ़ाज़त भी थी। मालूम हुआ काफ़िर की लाश को भी महफ़ूज़ किया जा सकता है। **(3)** 'बलन्द आवाज़ से पुकारा' रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यही मालूम होता है कि इन मक़्तूलीन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ सुने। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि मुर्दे सुनते हैं लेकिन उनमें हिस्स व हरकत नहीं होती, यानी जवाब नहीं दे सकते। जो अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं हैं, वह इस हदीस़ में सिमाअ़ को इल्म के मानी में लेते हैं बल्कि हज़रत आयशा (ﷺ) से तो ये अल्फ़ाज़ आते हैं कि आपने अस्मउ के बजाये आलमु के लफ़्ज ही इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 3979) यानी अब उनको पता चल चुका है कि अल्लाह तआला के वादे सच्चे थे। उनके नज़दीक अस्मउ का लफ़्ज़ सुनने वाले सहाबी की ग़लत फ़हमी है। मगर मुहक़्क़िक़ीन ने हज़रत आयशा (ﷺ) की इस तौजीह को तस्लीम नहीं किया, इसलिये कि वह मौक़े पर मौजूद न थीं जबकि रावी-ए-हदीस़ हज़रत उमर (ﷺ) मौक़े के गवाह हैं, अलबत्ता मजाज़न 'सिमाअ़' से इल्म मुराद लिया जा सकता है क्योंकि सिमाअ़, इल्म का सबब है। सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना बुलग़ा के कलाम में आम है। कुछ अहले इल्म ने कहा है असल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते मगर अल्लाह तआला चाहे तो उन्हें कभी कभार कोई बात सुना सकता है। नबी (ﷺ) की बातें भी अल्लाह तआला ने उन्हें सुना दीं ताकि उनकी नदामत, हसरत, अफ़सोस और अज़ाब में इज़ाफ़ा हो। हज़रत क़तादा ने यही मफ़हूम मुराद लिया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 3976) तमाम नुसूस को तस्लीम करने के लिये ये तौजीह बहुत मुनासिब है। वरना किसी न किसी नस़ का इन्कार लाज़िम आयेगा।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ،

(2077) हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुसलमानों ने (जंगे बद्र के बाद) रात को बद्र के

مِنَ اللَّيْلِ بِبِئْرِ بَدْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُنَادِي " يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ وَيَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ وَيَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا فَقَالَ " مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا " .

कुएँ पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को खड़े फ़रमाते हुये सुना: 'ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ शैबा बिन रबीया! ऐ उत्बा बिन रबीया! ऐ उमैया बिन ख़ल्फ़! क्या तुमने अपने रब का वादा सच पाया? मैंने तो अपने रब का वादा सच पाया है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन लोगों को पुकार रहे हैं जो लाश बन चुके हैं? आपने फ़रमाया: 'तुम मेरी बात को उनसे ज़्यादा नहीं सुनते मगर वह जवाब नहीं दे सकते।'

(2077) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/104, 182, 263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2202.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ " هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا - قَالَ - إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ الآنَ مَا أَقُولُ لَهُمْ " . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُمُ الآنَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ " . ثُمَّ قَرَأَتْ قَوْلَهُ { إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى } حَتَّى قَرَأَتِ الآيَةَ .

(2078) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) (जंगे बद्र से अगले दिन) बद्र के कुएँ के किनारे जा खड़े हुये और फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने रब के वादे को बरहक़ पाया?' आपने फ़रमाया: 'अब ये मेरी बात को बख़ूबी सुन रहे हैं।' ये बात हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: इब्ने उमर को ग़लतफ़हमी हो गई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो फ़रमाया था: 'अब वह बख़ूबी जान चुके हैं कि मैं जो कुछ उनको कहता रहा हूँ, वह बिल्कुल सच है।' फिर उन्होंने अल्लाह तआला का ये फ़रमान पढ़ा (इन्नका ला तुस्मिऊ.....) 'यक़ीनन तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। उन्होंने पूरी आयत पढ़ी।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3980, मुस्लिम, हदीस: 932, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2203.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (رضي الله عنها) की ऊपर दी गई तावील पर बहस हदीस नम्बर 2076 में गुज़र चुकी है। और इस मसले की मुख़्तसर तहक़ीक़ भी। बाक़ी रहा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का मज़्कूरा आयत से

इस्तेदलाल तो जवाब ये है कि नफ़ी आपके सुनाने की है, न कि अल्लाह तआला के सुनाने की (इन्नल्लाह युस्मिउ मय यशाउ) और आपके अल्फ़ाज़ उनको अल्लाह तआला ने सुनाये थे, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके सुनने की जो तस़रीह फ़रमाई है तो वह सिमाअ़ वक़्ती था जैसा कि अहादीस़ में 'अल्आन' की क़ैद आती है, यक़ीनन ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोजिज़ा ही है। बहरहाल सिमाअ़े मौता का मसला मुतकल्लम फ़ीह है। अहले इल्म का एक गिरोह सिमाअ़े मोता का क़ाइल है, दूसरा क़ाइल नहीं। कुछ मुहक़्क़िक़ीन मोतदिल हैं जैसा कि हदीस़ नम्बर 2076 के फ़वाइद में गुज़रा लेकिन याद रहे, सिमाअ़े मौता के क़ाइल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन्हें इबादत में पुकारना जायज़ है क्योंकि हाजात में तो ज़िन्दों को पुकारना भी जायज़ नहीं जो कि सबके नज़दीक सुनते हैं, फिर मुर्दों को पुकारना किस तरह जायज़ होगा? वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ بَنِي آدَمَ - وَفِي حَدِيثِ مُغِيرَةَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ - يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ " .

(2079) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(मरने के बाद) इन्सान के तमाम आज़ा को मिट्टी खा लेती है सिवाए बुने दुम के (रीढ़ की हड्डी का आख़री सिरा) इसी से इन्सान की पैदाइश की इब्तेदा हुई और इसी से (दोबारा) जिस्म जोड़ा जायेगा।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 2955/142, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2204, मोता: 1/239.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मिट्टी खा लेती है।' यानी सब आज़ा मिट्टी बन जाते हैं लेकिन ये हर शख़्स में ज़रूरी नहीं क्योंकि अम्बिया (علیہم السلام) के बारे में स़राहत है कि उनके अज्सामे मुक़द्दसा ज्यूँ के त्यूँ रहते हैं, हदीस़ में है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह पैग़म्बरों के जिस्मों को खाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1047, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1085) इनके अलावा भी किसी का जिस्म, अगर अल्लाह तआला चाहे, बिऐनिही बाक़ी रह सकता है। **(2)** 'बुने दुम' ये बहुत ही छोटा और लतीफ़ हिस्सा है जो ज़रूरी नहीं कि अलग नज़र आये। एक और रिवायत में आपने इसे राई के दाने से तश्बीह दी है। देखिये (अलमौसूआ अल्हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 17/332, हदीस़: 11230) यानी बहुत ही छोटा। कहा गया है कि इन्सानी जिस्म में सबसे पहले ये हिस्सा बनता है और उख़रवी जिस्म भी इसी से बनेगा। और ये मुहाल नहीं कि ये हिस्सा क़यामत तक बाक़ी रहे। अगरचे कुछ ने इससे अर्से-ए-दराज़ तक बाक़ी रहना मुराद लिया है, न कि क़यामत तक। उनके नज़दीक इस हदीस़ का मतलब ये है कि जब नया जिस्म बनेगा तो उसकी इब्तेदा भी बुने दुम से होगी अगरचे वह नया बनाया जाये। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ إِنِّي لاَ أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَىَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ " .

(2080) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (عزوجل) ने फ़रमाया: आदम का बेटा मेरी तक्ज़ीब करता है, हालांकि उसे मेरी तक्ज़ीब जचती नहीं। (इसी तरह) आदम का बेटा मुझे गाली देता है, हालांकि उसे जचता नहीं कि वह मुझे गाली दे। उसका मेरी तक्ज़ीब करना तो ये है कि वह कहता है: अल्लाह तआला मुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकेगा, हालांकि मैंने उसे पहली दफ़ा पैदा किया है और दूसरी दफ़ा बनाना मेरे लिये पहली दफ़ा से मुश्किल नहीं। और उसका मुझे गाली देना ये है कि वह कहता है: अल्लाह तआला की भी औलाद है, हालांकि मैं यक्ता अल्लाह हूँ जिसको किसी की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं। न मुझसे कोई पैदा हुआ, न मैं किसी से पैदा हुआ और न कोई मेरा हमसर है।'

(2080) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 3193, हदीस: 4974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2205.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आदम का बेटा' कहने का मकसद' इन्सान को उसकी असलियत याद दिलाना है कि उसे शर्म आनी चाहिए, वह मिट्टी से बन कर अल्लाह तआला की क़ुदरत से इन्कार करता है या अल्लाह तआला को अपने जैसा समझता है। **(2)** 'मेरी तक्ज़ीब' यानी मेरी क़ुदरत की तक्ज़ीब, और जब क़ुदरत की तक्ज़ीब कर दी तो गोया ज़ात ही की तक्ज़ीब कर दी। **(3)** 'गाली' जो चीज़ किसी के लायक़ न हो, उसकी तरफ़ निस्बत करना गाली ही है, जैसे किसी ग़ैर शादी शुदा की तरफ़ औलाद की निस्बत की जाये।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

(2081) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'एक आदमी ने अपने आप पर बहुत ज़ुल्म किया था (बहुत गुनाह किये थे) यहाँ तक कि उसकी

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِّ مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ . فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ".

वफ़ात का वक़्त आ गया। उसने अपने घर वालों से कहा: जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर मेरी हड्डियों को पीस लेना, फिर हवा वाले दिन मेरी राख समन्दर में उड़ा देना। अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह तआला ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे ऐसा अ़ज़ाब देगा जो उसने अपनी मख़्लूक़ में से किसी को न दिया होगा। उसके घर वालों ने ऐसे ही किया। अल्लाह तआला ने हर उस चीज़ को, जिसमें उसके जिस्म का कोई हिस्सा था, हुक्म दिया कि जो कुछ तुझ में उसका हिस्सा है, निकाल दे। तो नागहाँ वह अल्लाह तआला के सामने पूरे का पूरा खड़ा था। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जो कुछ तूने किया, किस बिना पर किया? उसने कहा: तेरे डर की बिना पर। तो अल्लाह तआला ने उसे माफ़ कर दिया।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2756, बुख़ारी, हदीस: 3481, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2206.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुझे पकड़ लिया' उसने समझा कि इस तरीक़े से जिस्म को बज़ाहिर ख़त्म करने के बाद अल्लाह तआला मुझे पकड़ न सकेगा, मगर ये उसकी नादानी थी क्योंकि इस तरीक़े से जिस्म की शक्ल व सूरत तो बदल सकती है कि वह गोश्त और हड्डियों से राख बन गया मगर ख़त्म तो न हो सकेगा, राख तो मौजूद ही है। **(2)** 'माफ़ कर दिया' उसकी जहालत को उ़ज़्र क़रार दिया, और उसकी नियत तो अल्लाह तआला के अ़ज़ाब से बचने ही की थी अगरचे तरीक़ा ग़लत था। मालूम हुआ अ़मल के बजाये नियत का ऐतबार ज़्यादा होता है। नियत ग़लत हो और अ़मल सही तो अ़मल ग़ैर मोतबर होता है, जैसे दिखलावे की नमाज़, लेकिन अगर नियत सही हो, अ़मल ग़लत हो जाये तो सवाब मिल जाता है, जैसे हक़ की तलाश करने वाले मुज्तहिद को हक़ न भी मिल सके तब भी वह सवाब का मुस्तहिक़ होता है। **(3)** हदीस से मालूम होता है कि वह काफ़िर न था, क़ाबिले माफ़ी था वरना कुफ़्र और शिर्क तो किसी सूरत भी माफ़ नहीं हो सकता। गुनाहों का एहसास और ख़ौफ़ भी ईमान की अ़लामत है। **(4)** मौत के बाद उठने का इस्बात (सुबूत) होता है। **(5)** अल्लाह तआला की अ़ज़ीम क़ुदरत मालूम होती है। **(6)** अल्लाह तआला से डरने की फ़ज़ीलत का पता चलता है। **(7)** अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ़ है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَىَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي . قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلاَئِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ قَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلاَّ مِنْ مَخَافَتِكَ . فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ " .

(2082) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोगों में एक आदमी अपने आमाल के बारे में बुरा गुमान रखता था (कि वह क़ाबिले माफ़ी नहीं), लिहाज़ा जब उसकी वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा: जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर पीस कर आटा कर देना, फिर मेरी राख को समन्दर में उड़ा देना। अगर अल्लाह तआला ने मुझ पर क़ाबू पा लिया तो मुझे हरगिज़ माफ़ न करेगा। अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने उसकी रूह निकाल ली, फिर अल्लाह तआला ने (उसका ढाँचा हाज़िर कया और) फ़रमाया: जो कुछ तूने किया, क्यूँ किया? उसने कहा: ऐ मेरे रब! मैंने जो कुछ किया, तेरे डर से किया। तो अल्लाह तआला ने उसे माफ़ कर दिया।'

(2082) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6480, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207.

फ़ायदा : दफ़न के बाद 'रूह' का 'जिस्म' से इतना ताल्लुक़ हो जाता है कि सवाल व जवाब हो सकें, मगर ये दुनियावी ज़िन्दगी से यक्सर मुख़्तलिफ़ है, फिर रूह को (इल्लिय्यीन) और (सिज्जीन) में भेजा जाता है। (इल्लिय्यीन) अल्लाह तआला के अर्श के पास एक मक़ाम है और (सिज्जीन) ज़मीन के नीचे जहन्नम के क़रीब, लेकिन इसका ताल्लुक़ अपने जिस्म, ख़्वाह वह किसी हाल में हो, से एक हद तक क़ाइम रहता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन दोबारा अरवाह अज्साम में दाख़िल हो जायेंगी। याद रहे रूह और जिस्म का ताल्लुक़ (बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी में) हमारी समझ में आने वाली चीज़ नहीं। हमें इसकी ज़रूरत है न हमारे दिमाग़ ऐसी चीज़ें समझने के लिये बनाये गये हैं, जैसे भैंस रियाज़ी नहीं समझ सकती, अगरचे दो और दो चार ही है।

बाब : (118)
(क़यामत के दिन) क़ब्रों से उठाया जाना

باب : (١١٨)
الْبَعْثِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ " إِنَّكُمْ مُلاَقُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً " .

(2083) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर ख़ुत्बे की हालत में ये फ़रमाते हुए सुना: 'तुम नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बग़ैर ख़त्ना के अल्लाह तआला से मिलोगे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6525, मुस्लिम, हदीस: 2860, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2208.

फ़ायदा : यानी जिस हालत में इस दुनिया में आये थे, उसी हालत में लौटा कर आख़िरत में ले जाया जायेगा। अमल के अलावा दुनिया की कोई चीज़ साथ न होगी। और अमल भी रूहानी असरात की सूरत में। अल्लाह तआला से मिलने का मतलब उसके हुज़ूर हाज़िरी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلاً وَأَوَّلُ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَرَأَ { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ}" .

(2084) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन लोग नंगे जिस्म और बग़ैर ख़त्नों के इकट्ठे किये जायेंगे। और इन्सानों में से सबसे पहले हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को कपड़े पहनाये जायेंगे, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (कमा बदअ्ना अव्वला ख़ल्किन नुईदुहू) जैसे हमने उसे पहली दफ़ा पैदा किया था, वैसे ही फिर उसे पलटायेंगे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3349, मुस्लिम, हदीस: 2860/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2209.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को सबसे पहले लिबास मुहैया होना उनकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। और ये उनका ऐसा इम्तियाज़ है जिस पर कोई और नबी यहाँ तक कि ख़ातमुन्नबिय्यीन (ﷺ) भी शरीक नहीं। ये उनकी जुज़्वी फ़ज़ीलत है। और ये कोई बईद नहीं कि किसी नबी को जुज़्वी तौर पर ख़ातमुन्नबिय्यीन (ﷺ) पर फ़जीलत हासिल हो अलबत्ता ये बात क़तई है कि मज्मूई तौर पर

ख़ातमुन्नबिय्यीन (ﷺ) ही अफ़ज़ल हैं। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को ये फ़ज़ीलत इस बिना पर हासिल हूई कि उन्हें आग में फैंकते वक़्त अल्लाह के रास्ते में नंगा किया गया और उन्होंने उसे अल्लाह तआ़ला की रज़ा की ख़ातिर बरदाश्त किया और सवाब के तालिब हुये। या, इसलिये कि उन्होंने सबसे पहले लिबास पहना जो यक़ीनन पर्दादार लिबास है। इसका बदला उनको इस फ़ज़ीलत की सूरत में दिया जायेगा। 'वैसे ही' यानी तमाम आज़ा असली हालत में होंगे यहाँ तक कि ख़त्ना भी नहीं होगा (क्योंकि ये बाद की तब्दीली है) अलबत्ता जसामत के लिहाज़ से जिस्म बड़ा होगा।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ " لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ " .

(2085) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन सब लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बग़ैर ख़त्नों के (क़ब्रों से) उठाये जायेंगे' हज़रत आयशा(رضي الله عنها) ने अर्ज़ किया: शर्मगाहों का क्या बनेगा? आपने फ़रमाया: (लिकुल्लिम् रिइम मिन्हुम यौमइज़िन शानुय्युग़्नीह .....) 'हर शख़्स की उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे (हर चीज़ से) बेन्याज़ कर देगी।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 6/89, 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2210, व सहीह अलहाकिम: 4/564.

फ़ायदा : यानी इस क़द्र दहशत और ख़ौफ़ होगा कि किसी शख़्स को इधर उधर देखने का होश ही न होगा जैसे हादसात वग़ैरह के मौक़े पर होता है। क़यामत तो सबसे अज़ीम हादसा है जिसका इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً " . قُلْتُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

(2086) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हें नंगे पाँव और नंगे जिस्म (अल्लाह तआ़ला के सामने) जमा किया जायेगा।' मैंने कहा: मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! सूरते हाल इतनी हौलनाक होगी कि किसी को उसका ख़याल भी न आयेगा।'

قَالَ " إِنَّ الأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ " .

(2086) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2859, बुख़ारी, हदीस: 6527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2211.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا " .

(2087) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन लोग तीन हालतों में इकट्ठे किये जायेंगे। एक गिरोह रहमत की उम्मीद रखे हुये अपने अंजाम से डरता होगा। (और दूसरा गिरोह) दो आदमी एक ऊँट पर होंगे या तीन आदमी एक ऊँट पर या चार एक ऊँट पर या दस आदमी एक ऊँट पर। और बाक़ी लोगों (तीसरे गिरोह) को आग इकट्ठा करेगी। जहाँ वह लोग दोपहर को आराम के लिये ठहरेंगे, आग भी वहाँ उनके साथ ठहरेगी। और जहाँ वह रात गुज़ारेंगे, आग भी उनके साथ रात गुज़ारेगी। जहाँ वह सुबह करेंगे, वहाँ आग भी उनके साथ सुबह करेगी और जहाँ वह शाम करेंगे, वहीं आग भी उनके साथ शाम करेगी।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6522, मुस्लिम, हदीस: 2861, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2212.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़यामत के दिन' ज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि ये हश्र क़यामत के दिन नहीं बल्कि क़यामत से पहले होगा। बहुत से मुहद्दिसीन ने इस क़िस्म की रिवायात को अलामाते क़यामत में ज़िक्र किया है क्योंकि इसमें ऊँटों, दोपहर, रात, सुबह और शाम का ज़िक्र है। ज़ाहिर है ये चीज़ें दुनिया में हैं न कि क़यामत के रोज़। अगरचे कुछ अहले इल्म ने इसे क़यामत ही के दिन पर महमूल किया है मगर इसमें बहुत तकल्लुफ़ है। क़यामत के दिन से मुराद क़ुर्बे क़यामत भी हो सकता है और यही सही है। **(2)** 'तीन हालतों में' यानी कुछ ख़ालिस नेक, कुछ मिले जुले कामों वाले, कुछ ख़ाालिस काफ़िर। या महशर की तीन हालतें मुराद हैं: कुछ लोग तो वक़्त ही पर रग़बत और रहबत के ज़ेरे असर अपने आप महशर में पहुँच जायेंगे। कुछ लोग तंग वक़्त में भागेंगे जब सवारियों की कमी होगी, फिर दो, दो तीन, तीन चार चार बल्कि इससे भी ज़्यादा एक ऊँट पर सवार होकर बड़ी तंगी के

साथ पहुँचेंगे। कुछ लोग आग के साथ ज़बरदस्ती इकट्ठे किये जायेंगे। (3) ये आग क़यामत से पहले अदन के साहिल से निकलेगी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2901) कुछ लोगों ने इस आग से हक़ीक़ी आग के बजाये फ़ित्ना मुराद लिया है और मजाज़न फ़ित्ने को भी आग कह लिया जाता है लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنِي " أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلاَثَةَ أَفْوَاجٍ فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي اللَّهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا " .

(2088) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, नबी सादिक़ व मसदूक़ (ﷺ) ने मुझसे बयान फ़रमाया: 'लोग तीन गिरोहों की सूरत में इकट्ठे किये जायेंगे: कुछ तो सवार होकर खाते पीते पहनते (ख़ूश ख़ूश) आयेंगे। और कुछ लोगों को फ़रिश्ते चेहरों के बल घसीटते हुये लायेंगे और आग उनको इकट्ठा करेगी। और कुछ लोग पैदल चलते और दौड़ते भागते, गिरते पड़ते आयेंगे। अल्लाह तआला सवारी के जानवरों पर कोई वबा डाल देगा तो वह ख़त्म हो जायेंगे (बहुत ही कम रह जायेंगे) यहाँ तक कि बाग़ वाला आदमी अपना पूरा बाग़ एक ऊँटनी के बदले देने पर तैयार होगा मगर ऊँटनी न ले सकेगा।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 5/164, वलहाकिम: 4/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2213.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सादिक़ व मसदूक़' सादिक़ से मुराद ख़ुद सच्चे और मसदूक़ से मुराद जिनको (अल्लाह तआला की तरफ़ से) सच बताया गया। गोया उनकी बात में झूठ का इम्कान नहीं क्योंकि न वह ख़ुद झूठ बोलते हैं, न वह वह्य झूठी है जो उन पर उतरी, तो झूठ किधर से आयेगा। **(2)** ये हश्र क़यामत से पहले होगा जैसा कि ऊपर गुज़रा।

बाब : (119) सब से पहले किस को लिबास पहनाया जायेगा?

باب: (١١٩) ذِكْرُ أَوَّلِ مَنْ يُكْسَى

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ

(2089) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) वाज़ व नसीहत के लिये खड़े हुये तो फ़रमाया: 'ऐ

شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " حُفَاةً غُرْلاً " . وَقَالَ وَكِيعٌ وَوَهْبٌ " عُرَاةً غُرْلاً { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ } قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " يُجَاءُ " . وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكِيعٌ " سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي . فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي } إِلَى قَوْلِهِ { وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ } الآيَةَ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ " .

लोगो! यक़ीनन तुम्हें अल्लाह तआला के सामने नंगे जिस्म, नंगे पाँव बग़ैर ख़त्ने के जमा किया जायेगा। इरशादे बारी तआला है: (कमा बदअ्ना.....) 'जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, उसी तरह हम पलटायेंगे।' फिर आपने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को लिबास पहनाया जायेगा। मेरी उम्मत के कुछ लोग लाये जायेंगे, फिर उन्हें बायीं तरफ़ निकाल लिया जायेगा। मैं कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये तो मेरी उम्मत से हैं (या मेरे साथी हैं?) तो कहा जायेगा: आप जानते इन्होंने आपकी अदमे मौजूदगी में क्या कुछ किया। तो मैं (इसी तरह कहूँगा: जिस तरह अल्लाह के नेक बन्दे (हज़रत ईसा मसीह (عليه السلام)) का क़ौल है: (व कुन्तु अलैहिम शहीदम......) '(ऐ अल्लाह!) मैं तो उन पर गवाह था जब तक मैं उनमें रहा, जब तूने मुझे अपने क़ब्ज़े में ले लिया, फिर तो तू ही उन पर निगरां था (लिहाज़ा तुझे ही इनके कामों का इल्म है) और तू हर चीज़ पर ख़ूब गवाह है, अगर तू अज़ाब दे तो यह तेरे बन्दे हैं और अगर बख़्श दे तो बेशक तू ग़ालिब है ख़ूब हिकमत वाला है।' फिर कहा जायेगा: जब से आप इनको छोड़ कर (हमारे पास) आ गये ये उसी वक़्त से मुर्तद हो गये थे और मुर्तद ही रहे।'

(2089) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2084, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2214.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत की कुछ बातों की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 2084) **(2)** 'बायीं तरफ़' यानी उन्हें जहन्नम की तरफ़ ले जाया जायेगा। जहन्नमियों को

अस्हाबुश्शिमाल कहा गया है। (3) 'उसी वक़्त मुर्तद हो गये थे' फ़ित्ना तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के फ़ौरन बाद शुरू हो गया था और अब तक जारी है। कोई न कोई बदनसीब मुर्तद होता ही रहता है। अआज़नल्लाहु मिन्हु! मुमकिन है सिर्फ़ वह लोग मुराद हों जो आप (ﷺ) की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुर्तद हो गये थे और जिनसे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) बर सरे पैकार हुये। और मुमकिन है इस्लाम से इर्तेदाद के बजाये सुनन से इर्तेदाद मक़सूद हो, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद बिद्अती हो गये थे और असल इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ़ करके इसी बिद्अती इन्हिराफ़ पर क़ाइम रहे। अआज़नल्लाहु मिनल बिदअि वलख़ुराफ़ाति!

बाब : (120) ताज़ियत का बयान

باب: (١٢٠) فِي التَّعْزِيَةِ

(2090) हज़रत क़ुर्रा मुज़नी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब नबी (ﷺ) बैठते तो आपके साथ आपके सहाबा में से कुछ न कुछ लोग बैठा करते थे। उनमें एक शख़्स था जिसका एक मासूम बेटा था। वह पीछे से आता तो बाप उसे अपने आगे बैठा लेता था। इत्तेफ़ाक़न वह बच्चा फ़ौत हो गया तो वह शख़्स अपने बेटे की याद में (कई रोज़ तक) आपकी मज्लिस में हाज़िर न हुआ क्योंकि उसे उस (की वफ़ात) का शदीद ग़म था। जब नबी(ﷺ) ने उसे (कई दिन) न देखा तो फ़रमाया: 'क्या वजह है कि फ़ुलां शख़्स नज़र नहीं आता?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसका वह छोटा सा बच्चा जो आपने भी देखा था, फ़ौत हो गया है, फिर नबी (ﷺ) उस शख़्स से मिले और उसके बेटे के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह तो फ़ौत हो चुका है। आपने उसे तसल्ली दी। आपने फ़रमाया: 'ऐ शख़्स! तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसन्द है तू अपनी सारी उम्र उससे फ़ायदा उठाता (आँखें ठण्डी

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا لِي لاَ أَرَى فُلاَنًا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ . فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيُّمَا

كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ " فَذَاكَ لَكَ " .

करता) या ये कि तू जन्नत के जिस दरवाज़े के पास भी जाये, उसे वहाँ पाये कि वह तुझसे पहले पहुँच कर उसे तेरे लिये खोल दे?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द है कि वह मुझसे पहले जाकर मेरे लिये जन्नत का दरवाज़ा खोले। आपने फ़रमाया: 'बस! ये चीज़ तुझे मिल जायेगी।'

(2090) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1871.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लेकिन ये तब है जब कोई शख़्स अपने नाबालिग़ बच्चे की मौत पर सब्र करे और सवाब का तालिब हो। दरअसल ये सब्र का सवाब है जो उसे जन्नत में दाख़िल करने का सबब बनेगा। उसका ज़हूर इस तरह होगा कि वह बच्चा उसके लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल कर उसका इस्तिक़बाल करेगा। बच्चा ख़ुद तो मासूम होने की वजह से क़तअन जन्नती है। (2) छोटे बच्चों को भी मजालिसे इल्म में ले जाना चाहिए।

بَاب : (١٢١)
نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (121)
ताज़ियत की एक और सूरत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ . فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ

(2091) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा (عليه السلام) की तरफ़ (इन्सानी सूरत में) भेजा गया। जब वह फ़रिश्ता आया तो मूसा (عليه السلام) ने उसे थप्पड़ मार कर उसकी आँख फोड़ दी। वह अपने रब तआला के पास वापस गया और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह! तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह तआला ने उसकी आँख दुरुस्त फ़रमा दी और फ़रमाया: उसके पास दोबारा जा और उसे कह कि अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखे। उसे हर बाल के ऐवज़, जो उसके

بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ . قَالَ أَىْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْمَوْتُ . قَالَ فَالآنَ . فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ " .

हाथ के नीचे आयेगा, एक साल ज़िन्दगी मिलेगी। (इस सारी कार्रवाही के बाद) मूसा (ﷺ) ने कहा: ऐ मेरे रब! फिर क्या होगा? फ़रमाया: (फिर) मौत! उन्होंने कहा: फिर अभी ठीक है लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला से ये गुज़ारिश की कि मुझे एक पत्थर फैंकने के फ़ासिले तक मुक़द्दस सरज़मीन के क़रीब कर दिया जाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख़ रंग के टीले के नीचे उनकी क़ब्र दिखाता।'

(2091) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2372, बुख़ारी, हदीस: 1339, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 11/274, हदीस: 20530, वज़ाद: (हदीस: 3417).

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ बद अक़ीदा हज़रात ने इस वाक़िये का इन्कार किया है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नबी मलकुल मौत को थप्पड़ मार दे और मरने से इन्कार करे, हालांकि ये उनकी जहालत है। इस वाक़िये में कोई इस्तेबआद नहीं। नक़लन ये वाक़िया बिल्कुल सही है, अक़्लन भी कोई इश्काल नहीं। बात सिर्फ़ इतनी है कि मलकुल मौत अनजानी इन्सानी सूरत में हज़रत मूसा(ﷺ) के पास पहुँचे कि मैं तेरी जान निकालने आया हूँ; ज़ाहिर है इस तरह तो कोई भी शख़्स किसी भी इन्सान को जान निकालने नहीं देता बल्कि अपना दिफ़ाअ करता है, लिहाज़ा उन्होंने इन्सान समझ कर मलकुल मौत को थप्पड़ मारा। थप्पड़ चेहरे पर लगा और आँख को नुक़सान पहुँचा। फ़रिश्ता जब इन्सानी सूरत में आयेगा तो उस पर इन्सानी अहकाम ही लागू होंगे, लिहाज़ा आँख के नुक़सान पर कोई ताज्जुब नहीं। फ़रिश्ते ने अल्लाह तआला से शिकायत की तो अल्लाह तआला ने आँख दुरुस्त कर के भेजा तो मूसा (ﷺ) समझ गये कि ये इन्सान नहीं फ़रिश्ता है (तभी तो आँख फ़ौरन ठीक हो गई) लिहाज़ा फ़ौरन मौत के लिये तैयार हो गये अगरचे उन्हें लम्बी ज़िन्दगी की पेशकश की गई थी। बताइये इसमें कौन सा अक़्ली इश्काल है जिसकी बिना पर सही हदीस का इन्कार किया जाये? 'कितने ही नुक़्स निकालने वाले रास्त बोल को मायूब समझते हैं इन (ऐबजूओं) पर ये सख़्ती कमज़ोर फ़हम की वजह से हुई।' **(2)** 'आँख फोड़ दी' ये दलील है कि फ़रिश्ता इन्सानी सूरत में आया था,वरना फ़रिश्ते की तो आँख नज़र ही नहीं आती, फूटेगी कैसे? **(3)** 'मरना नहीं चाहता' ये मलकुल मौत का ज़ाहिरी

हालात से अन्दाज़ा है, वरना ये वजह न थी बल्कि थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि फ़रिश्ता इस हालत में नहीं आया था जिस हालत में रूह क़ब्ज़ करता है, इसलिये उन्होंने उसे इन्सान समझा और अपना दिफ़ाअ फ़रमाया, और ये उनका हक़ था। (4) 'बैल की पुश्त पर हाथ रखे' इस बात का मक़सद दरअसल फ़रिश्ते को ये समझाना था कि मूसा का थप्पड़ मारना मौत से इन्कार की बिना पर नहीं और वाक़ेअतन ऐसा ही हुआ। जब मूसा (عليه السلام) को पता चल गया कि ये फ़रिश्ता है तो ज़िन्दगी की पेशकश क़बूल नहीं की। दरहक़ीक़त ये पेशकश नहीं थी बल्कि मूसा(عليه السلام) की बराअत मक़सूद थी। वरना मौत का दिन तो मुक़र्रर है। आगे पीछे नहीं हो सकता, पेशकश कैसी? (5) 'क़रीब कर दिया जाये' मालूम हुआ मुक़द्दस मक़ाम में दफ़न होने की ख़्वाहिश दुरुस्त है क्योंकि पड़ौस का भी असर होता है। हज़रात अबू बक्र सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ व आयशा (رضي الله عنهم) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के जवार में दफ़न होना पसन्द फ़रमाया, ख़्वाहिश की, इजाज़त हासिल की और पहले दो बुज़ुर्ग तो दफ़न भी हुये। (6) 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया' ये पूरी रिवायत ही आपका फ़रमान है। अगरचे इस सनद में आपका ज़िक्र सिर्फ़ आख़िर में है। (7) इस रिवायत में तसल्ली इस तरह है कि जब आख़िरकार मरना ही मुक़द्दर है तो किसी की मौत पर ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट क्यों?